सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

वित्त विभाग

आर्थिक सर्वेक्षण
2008-09

बिहार सरकार

फरवरी 2009

बिहार सरकार

वित्त विभाग

आर्थिक सर्वेक्षण

2008-09

फरवरी 2009

मुख्य मंत्री
बिहार

पटना

प्राक्कथन

आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना किसी राज्य सरकार के लिए वस्तुतः बजट–पूर्व अभ्यास होता है । इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की बारीकियों, ताकतों और कमजोरियों को समझने में मदद मिलती है, ताकि आसन्न बजट में उन पर ध्यान रखा जा सके । इसके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे नियमित आधार पर प्रकाशित करना तय किया है । इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण भी उसी दिशा में एक प्रयास है और इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति तथा विभिन्न प्रक्षेत्रों में हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत है ।

विकास की प्रक्रिया को बल देने के लिए राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन उत्तर–पूर्व अंचल में जनसंख्या के बड़े हिस्से को तबाह–बर्बाद करने वाली अप्रत्याशित बाढ़ के कारण इसे इस साल एक प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा । इससे राज्य सरकार के विकास प्रयासों में निश्चित तौर पर अवरोध पैदा हुआ । लेकिन राज्य सरकार द्वारा ली गई अनेक पहलकदमियों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था विकास पथ पर सही ढंग से अग्रसर है । शासन में पारदर्शिता के साथ समावेशी विकास हमारे लिए निरंतर ध्येय रहा है ।

मुझे विश्वास है कि आम आदमी और विद्वज्जन, दोनों इस दस्तावेज से लाभान्वित होंगे और राज्य की विकास पहल के साथ कदम मिलाकर चलेंगे ।

(नीतीश कुमार)

सुशील कुमार मोदी
उप मुख्यमंत्री एवं
वित्त मंत्री, बिहार

बिहार सरकार

पटना

आमुख

राज्य का विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसकी गति त्वरित करने के लिए नियमित हस्तक्षेप आवश्यक होते हैं। ऐसे हस्तक्षेपों के लिए आर्थिक सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक है जो सबको अर्थव्यवस्था की धड़कन का अहसास कराता है। इसे ध्यान में रखकर तथा सुशासन के अंग के रूप में राज्य सरकार आर्थिक सर्वेक्षण का 2006-07 से नियमित प्रकाशन कर रही है। सर्वेक्षण में अन्य चीजों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रक्षेत्रों में की गई पहल और उनके परिणामों पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में किए गए प्रयत्न विकास के सकारात्मक प्रतीकों के जरिए प्रतिध्वनित होने लगे हैं। राज्य में अभिशासन की गुणवत्ता और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जिससे बाहरी निवेश हेतु अनुकूल वातावरण निर्माण के साथ-साथ सभी स्तरों पर सेवा-प्रदान में वास्तविक सुधार हुआ है। बेहतर संसाधन संग्रह, व्यय की युक्तिसंगतता तथा लोक ऋण के प्रभावी प्रबंधन के जरिए वित्तीय और राजकोषीय प्रदर्शनों में सुधार किया गया है। इन मामलों में प्राप्त लाभों को राज्य सरकार द्वारा सबसे निचले स्तरों तक भी पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

आशा है, आर्थिक सर्वेक्षण राज्य के विकास में लगे प्रशासकों, तकनीकी अधिकारियों और विद्वानों - सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगी।

(सुशील कुमार मोदी)

विषय सूची

अध्याय		शीर्षक	पृष्ठ संख्या
		तकनीकी शब्दावली एवं संक्षेप का शब्द-संग्रह	i-vi
		तालिका सूची	vii-xiv
		कार्यकारी सारांश	xv-xxxii
अध्याय 1	**:**	**वृहदावलोकन**	**1-55**
		1.1 राज्य घरेलू उत्पाद	1-09
		1.2 आंचलिक विषमता	10-13
		1.3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	13-14
		1.4 अभिशासन (गवर्नेंस)	15-36
		1.5 आपदा प्रबंधन	36-46
		परिशिष्ट	*47-55*
अध्याय 2	**:**	**कृषि**	**56-86**
		2.1 वर्षापात	57-59
		2.2 भूमि उपयोग	60
		2.3 उत्पादन एवं उत्पादकता	61-69
		2.4 सिंचाई	69-70
		2.5 कृषि लागत	70-74
		2.6 कृषि ऋण	74-80
		2.7 पशुपालन	80-83
		2.8 कृषि हेतु रोडमैप	83-86
अध्याय 3	**:**	**उद्योग एवं संबद्ध क्षेत्र**	**87-113**
		3.1 उद्योगों का ढांचा	87-88
		3.2 बड़े एवं मंझोले उद्योग	88-89
		3.3 लघु उद्योग	89-90
		3.4 कृषि आधारित उद्योग	90-94

	3.5 गैर-कृषि आधारित उद्योग	94-97
	3.6 औद्योगिक रुग्नता	97
	3.7 सहायता संस्थान	97-98
	3.8 उद्योग मित्र	98
	3.9 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा)	99
	3.10 जिला उद्योग केंद्र	99-100
	3.11 प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)	100
	3.12 सूचना प्रौद्योगिकी	100-103
	3.13 निवेश प्रस्ताव	104-105
	3.14 पर्यटन	105-106
	3.15 बिहार में औद्योगीकरण की समस्याएं और संभावनाएं	106-107
	परिशिष्ट	*108-113*
अध्याय 4 :	**भौतिक अधिसंरचना**	**114-140**
	4.1. सड़क एवं पुल	115-117
	4.2 मोटर वाहन	117-121
	4.3 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम	121-122
	4.4 ऊर्जा प्रक्षेत्र	122-129
	4.5 सिंचाई	130-133
	4.6 वायुसेवा	133-134
	4.7 दूर संचार	134-135
	4.8 डाक सुविधाएं	135-136
	परिशिष्ट	*137-141*
अध्याय 5 :	**सामाजिक प्रक्षेत्र**	**142-202**
	5.1 साक्षरता एवं शिक्षा	142-155
	5.2 जनसांख्यिकी एवं स्वास्थ्य	155-167
	5.3 श्रम, रोजगार एवं गरीबी	167-180
	5.4 सीमांतकृत (मार्जिनलाइज्ड) तबकों के लिए हस्तक्षेप	180-188
	परिशिष्ट	*189-202*

अध्याय 6	**:**	**बैंक तथा संबंधित क्षेत्र**	**203-235**
		6.1 बैंकिंग अधिसंरचना	204-207
		6.2 जमा, ऋण और ऋण-जमा अनुपात	207-213
		6.3 विभिन्न अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	214
		6.4 विभिन्न जिलों के ऋण-जमा अनुपात	215
		6.5 निवेश सह ऋण-जमा (आइसीडी) अनुपात	216-217
		6.6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	217-218
		6.7 कुल बैंक ऋण में उद्योग का हिस्सा	219-220
		6.8 वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत अग्रिम (एसीपी)	220-221
		6.9 प्राथमिक कृषि ऋण संघ	222
		6.10 राज्य सहकारी बैंक	222-223
		6.11 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)	223-224
		6.12 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)	224-226
		6.13 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	226-228
		6.14 सूक्ष्मवित्त	229-230
		6.15 चुनिंदा सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन	230-232
		6.16 सारांश	232-233
		परिशिष्ट	*234-235*
अध्याय 7	**:**	**लोक वित्त**	**236-**
		7.1 भूमिका	236-238
		7.2 समग्र वित्तीय स्थिति	238-241
		7.3 राजकोषीय प्रदर्शन	241-246
		7.4 राज्य की वित्त व्यवस्था का सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता	247-250
		7.5 घाटा प्रबंधन	251-254
		7.6 बिहार सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय : राजस्व लेखा	255-259
		7.7 ऋण प्रबंधन	259-261
		7.8 एफआरबीएम अधिनियम और राजकोषीय सुधार पथ	262
		7.9 संसाधन एकत्रीकरण	262-275
		7.10 राज्य कर विभागों के प्रदर्शन का विश्लेषण	276-280

7.11 व्यय प्रबंधन	281-284
7.12 राजस्व व्यय	284-285
7.13 वेतन एवं पेंशन पर व्यय	285-287
7.14 व्यय की गुणवत्ता	288
7.15 प्रक्षेत्रवार व्यय	289-292
7.16 सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय	293-294
7.17 2008-09 का राज्य बजट	295-298
7.18 राज्य बजट को दरकिनार करते केंद्रीय कोष	298-300
7.19 जिलों में योजना और गैर-योजना व्यय	300-302
7.20 केंद्र प्रायोजित योजनाएं	303-304
7.21 राजकीय सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम	305-310
7.22 जिलों के बीच सामाजिक प्रक्षेत्र पर सरकारी व्यय में विषमता	310-319
7.23 पंचायती राज संस्थाएं	319-324
परिशिष्ट	*325-343*

तकनीकी शब्दावली एवं संक्षेप का शब्द-संग्रह

एसीपी	वार्षिक ऋण कार्यक्रम
एडीबी	एशियन डेवलपमेंट बैंक
एडीवी	विज्ञापन कर
एआइबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
एआइसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एएनएम	सहायक नर्स एवं मिडवाइफ
एपीडीआरपी	त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम
एपीएचसी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
एपीएमबी	कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड
एपीएमसी	कृषि उत्पाद विपणन सहकारी समिति
एआरईपी	त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम
एएसएचए	प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एएसआइ	वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण
एटीएमए	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी
एडब्ल्यूसी	आंगनबाड़ी केन्द्र
एडब्ल्यूडब्ल्यू	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
बी2सी	बिजनेस टू सिटिजन
बीएडीपी	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
बीएपीएमसी	बिहार कृषि उत्पाद विपणन निगम
बीसीआर	वर्तमान राजस्व शेष
बीडीआरएम	बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन
बीएचईएल	भारत हेवी इलेट्रिकल्स लिमिटेड
बीआइएडीए (बिआडा)	बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार
बीआइसीआइसीओ (बिसिको)	बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम
बीआइएसडब्ल्यूएएन	बिहार स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क (बिस्वान)
बीपीएसएम	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन

बीआरएईएन-डीसी	बिहार राजस्व एवं समेकित डाटा केन्द्र (ब्रेन-डीसी)
बीआरईडीए	बिहार नवीकरणीय विकास एजेन्सी
बीएसईबी	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
बीएसएफसी	बिहार राज्य वित्त निगम
बीएसएचपीसी	बिहार राज्य जलविद्युत निगम
बीएसआइडीसी	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम
बीएसएलआइडीसी	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम
बीएसएससी	बिहार राज्य चीनी निगम
बीएसटीडीसी	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम
सीबीआर	अशोधित जन्म दर
सीसीबी	केंद्रीय सहकारी बैंक
सीडी	ऋण-जमा
सीडीपीओ	बाल विकास परियोजना अधिकारी
सीडीआर	अशोधित मृत्यु दर
सीईओ	केंद्रीय विद्युत प्राधिकार
सीईसी	सतत शिक्षा केंद्र
सीईपी	सतत शिक्षा कार्यक्रम
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर
सीजीजी	सुशासन केंद्र
सीओएमएफईडी	सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड (कॉम्फेड)
सीपीआइ	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीआरपीसी	अपराध दंड-संहिता
सीआरएफ	आपदा राहत कोष
सीआरएफ	केंद्रीय सड़क कोष
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
सीएसएस	सार्वजनिक सूचना केंद्र
डीडीजी	विकेंद्रित वितरण एवं उत्पादन
डीएफआइडी	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग
डीआइसी	जिला उद्योग केंद्र

डीएमई	जन शिक्षा निदेशालय
ईबीसी	अति पिछड़ी जाति
ईडी	विद्युत शुल्क
ईएनटी	प्रवेश कर (चुंगी)
ईओसी	आपात कार्यसंचालन केंद्र
ईटी	मनोरंजन कर
एफसीपी	राजकोषीय सुधार पथ
एफआरबीएमए	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम
जी2सी	सरकार से नागरिक को
जीडीडीपी	सकल जिला घरेलू उत्पाद
जीएफडी	सकल राजकोषीय घाटा
जीपी	ग्राम पंचायत
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एचडीआइ	मानव विकास सूचकांक
एचएलटी	होटल विलासिता कर
आइएवाइ	इंदिरा आवास योजना
आइसीडी	निवेश सह ऋण-जमा अनुपात
आइसीडीएस	समेकित बाल विकास परियोजना
आइसीआइसीआइ	भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम
आइडी	निवेश: जमा
आइडीबीआइ	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आइएफसीआइ	भारतीय अधिसंरचना विकास निगम
आइएमएफएल	भारत निर्मित विदेशी शराब
आइएमआर	शिशु मृत्यु दर
आइपीडी	अंतरंग रोगी विभाग
आइटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आइटीआइ	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आइडब्ल्यूएआइ	भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकार
आइडब्ल्यूडीएमएस	समेकित कार्यप्रवाह एवं अभिलेख पंबंधन सॉफ्टवेयर

जेबीएसवाइ	जननी एवं बाल सुरक्षा योजना
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केएसवाइ	किसान सम्मान योजना
केवीके	कृषि विज्ञान केंद्र
लैन	लोकल एरिया नेटवर्क
एमडीएमएस	मध्याह्न भोजन
एमएमआर	मातृ मृत्यु दर
एमएमएसएनवाइ	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनसीईसी	नोडल सतत शिक्षा केंद्र
एनडीएमए	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा राहत कोष
एनएचडीपी	राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना
एनएचएम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
एनएचपीसी	राष्ट्रीय जलविद्युत निगम
एनएलएम	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
एनपीए	अनिष्पादित परिसंपत्ति
एनआरईजीएस	राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (नरेगा)
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनएसडीपी	निवल राज्य घरेलू उत्पाद
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एनटीपीसी	राष्ट्रीय तापविद्युत निगम
ओएफपीपीसी	क्षेत्रगत प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र
ओपीडी	वाह्य रोगी विभाग
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण सहयोग समितियां
पीसीआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीजीसीआइएल	भारतीय पावरग्रिड निगम लिमिटेड
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

पीआइएम	सहभागी सिंचाई प्रबंधन
पीएलएफ	प्लांट लोड फैक्टर
पीएलपी	उत्तर साक्षरता कार्यक्रम
पीएमआरवाइ	प्रधानमंत्री रोजगार योजना
पीपीपी	सार्वजनिक-निजी भागीदारी
पीक्यूएलआइ	भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक
पीआरडी	पंचायती राज विभाग
पीआरआइ	पंचायती राज संस्था
पीएस	पंचायत समिति
क्यूई	त्वरित अनुमान
आरजीजीवीवाइ	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
आरआइडीएफ	ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएसवीवाइ	राष्ट्रीय सम विकास योजना
आरयूडीएसईटीआइ	ग्रामीण विकास एवं स्वयं-प्रशिक्षण संस्थान
एसएपी (सैप)	विशेष सहायक पुलिस
एससीए	सेवा केंद्र अभिकरण
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित व्यावसायिक बैंक
एसडीसी	राज्य आंकड़ा केंद्र
एसडीआरएफ	राज्य आपदा राहत कोष
एसएफसी	राज्य खाद्य निगम
एसएफसी	राज्य वित्त आयोग
एसजीआरवाइ	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एसजीएसवाइ	स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना
एसएचजीएस	स्वयं सहायता समूह
एसआइडीबीआइ	भारतीय लघु उद्योग बैंक (सिडबी)
एसआइपीबी	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड
एसआरआर	बीज प्रतिस्थापन अनुपात

एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसएसआइ	लघु उद्योग
एसडब्ल्यूएएन (स्वान)	राज्य वाइड एरिया नेटवर्क
टीएफसी	बारहवां वित्त आयोग
टीआइएनएक्सआइएस	कर सूचना विनिमय प्रणाली (टिंक्सिस)
टीएससी	संपूर्ण साक्षरता अभियान
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
वीएटी (वैट)	मूल्यवर्धित कर
वीडीए	परिवर्तनीय महगाई भत्ता
वीपीजीसीएल	वैशाली विद्युत उत्पादन कंपनी
वीटीएफ	ग्राम कार्यबल
डब्ल्यूपीआइ	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूपीआर	कार्य सहभागिता अनुपात
डब्ल्यूयूए	जल उपभोक्ता संघ
जेडपी	जिला परिषद

तालिका सूची

तालिका सं.	विषय सूची	पेज नं.
1.1	उपादान लागत (फैक्टर कॉस्ट) पर वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	2
1.2	उपादान लागत पर स्थिर मूल्य (1999-00) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	3
1.3	उपादान लागत पर वर्तमान मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी)	4
1.4	उपादान लागत पर स्थिर मूल्य (1999-00) पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी)	5
1.5	वर्तमान मूल्य पर पर प्रमुख भारतीय राज्यों का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद	6
1.6	उपादान लागत पर स्थिर मूल्य (1999-00) पर जीएसडीपी की प्रक्षेत्रवार संरचना का प्रतिशत वितरण	8
1.7	स्थिर मूल्य (1999-00) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर	9
1.8	बिहार में सकल जिला घरेलू उत्पाद (जीडीडीपी) और प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद	10
1.9	पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत (2007-08)	11
1.10	डाकघरों और सार्वजनिक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत	12
1.11	बिहार और भारत में थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	14
1.12	राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में स्वीकृत कर्मी क्षमता	16-17
1.13	राज्य सरकार कें विभिन्न विभागों की कर्मी क्षमता (प्रतिशत में)	18-19
1.14	राज्य सरकार के विभागों में भरे हुए पदों का प्रतिशत वितरण	20
1.15	राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में श्रेणीवार स्वीकृत एवं कार्यरत कर्मी क्षमता	21-22
1.16	2007 में राज्यवार आइपीसी अपराध दर	25
1.17	बिहार में 2001 से 2008 तक आइपीसी अपराध दरें	26
1.18	बिहार में नक्सली हिंसा का आंकड़ा सार	27
1.19	अपराधियों की दोषसिद्धि (जनवरी 2006 से नवंबर 2008)	28
1.20	अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के खिलाफ अपराध	29
1.21	कारा प्रशासन में मानव बल	34
1.22	बिहार में आए भूकंप	38
1.23	बिहार में 2002 की बाढ़ का आंकड़ा सार	39

तालिका सं.	विषय सूची	पेज नं.
1.24	बिहार में 2004 की बाढ़ का सारांश	40
1.25	बिहार में 2007 की बाढ़ का विहंगावलोकन	41
1.26	बिहार में 2008 की बाढ़ का विहंगावलोकन	42
1.27	बिहार में 2008 की कोशी की बाढ़ का आंकड़ा सार	43
1.28	कोशी बाढ़पीड़ितों के लिए राहत कार्य के मुख्य बिंदु	44
1.29	बिहार में बाढ़ राहत कार्य का विहंगावलोकन	45
2.1	बिहार में जिलावार वार्षिक वर्षापात	58
2.2	बिहार में विभिन्न ऋतुओं में जिलावार वार्षिक वर्षापात (2007 और 2008)	59
2.3	बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न	60
2.4	बिहार में प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन (2000-01 से 2003-04)	62-63
2.5	प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता (2002-03 से 2006-07)	64
2.6	बिहार में प्रमुख फसलों की उत्पादकता (2000-01 से 2007-08)	65
2.7	बिहार में मिश्रित फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता (2004-05 से 2007-08)	66
2.8	2006-07 में जिलावार प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता	68
2.9	2008-09 के लिए बिहार की प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता के अग्रिम अनुमान	69
2.10	बिहार में अलग-अलग स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र	70
2.11	बिहार में प्रमाणित बीजों का वितरण एवं महत्वपूर्ण फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर (2006-07 से 2008-09)	71
2.12	बिहार में उर्वरक की खपत (2004-05 से 2007-08)	72
2.13	बिहार में मिनी किट का वितरण/ प्रदर्शन (2006-07 से 2008-09)	73
2.14	बिहार के कृषि प्रक्षेत्र में ऋण प्रवाह (2003-04 से 2008-09)	75
2.15	बिहार में सहकारी ऋण वितरण	76
2.16	बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का वितरण	77
2.17	जिलावार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की उपलब्धि	78
2.18	बिहार में फसल बीमा	79
2.19	बिहार में जिलावार पशुधन (2003)	81
2.20	बिहार में पशुधन प्रजनन एवं स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धि के जिलावार आंकड़े (2003)	82
2.21	बिहार में कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र हेतु रोडमैप के लिए वित्तीय आवश्यकताएं	86

तालिका सं.	विषय सूची	पेज नं.
3.1	बिहार और भारत में चुनिंदा कृषि आधारित उद्योगों का आकार (2004-05)	87
3.2	बिहार में बड़ी और मंझोली औद्योगिक इकाइयां (2008-09)	89
3.3	बिहार में स्थायी निबंधित लघु उद्योग इकाइयां	89
3.4	बिहार में लघु, अतिलघु और कारीगर आधारित उद्योगों का प्रतिशत	90
3.5	बिहार में सब्जियों एवं फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2006-07)	91
3.6	बिहार में पशुधन की आबादी (2003)	92
3.7	बुनकरों के लिए ऋण माफी योजना की स्थिति	94
3.8	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य	96
3.9	बिहार में प्रमुख खनिजों के सुरक्षित भंडार (2005-06)	97
3.10	उद्योग मित्र की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां (2004-05 से 2007-08)	98
3.11	बिस्वान परियोजना के लिए 2009-10 हेतु परिव्यय	101
3.12	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हेतु योजना परिव्यय (2009-10)	102
3.13	एसआइपीबी अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण (दिसंबर 2008 तक)	104
3.14	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अनुमादित प्रस्तावों की स्थिति (दिसंबर 2008 तक)	105
4.1	अधिसंरचना सूचकांक के अनुसार राज्यों का क्रम विन्यास	114
4.2	चुनिंदा राज्यों तथा भारत में सड़कों का घनत्व	115
4.3	बिहार में सड़कों की लंबाई (2008)	115
4.4	निबंधित वाहनों की संख्या	118
4.5	परिवहन विभाग द्वारा संग्रहित राजस्व	118
4.6	उत्क्रमित किए जाने वाले महत्वपूर्ण पथ (कॉरिडोर)	119
4.7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की अचल परिसंपत्ति, टर्नओवर और मुनाफा	120
4.8	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का आय-व्यय	122
4.9	भारत तथा बिहार की अधिष्ठापित विद्युत क्षमता (2008)	122
4.10	बिहार में बिजलीघरों की अधिष्ठापित क्षमता	123
4.11	केंद्रीय विद्युत केंद्रों से बिहार को प्राप्त बिजली	123
4.12	बिहार तथा भारत में बिजली की खपत (2005)	124
4.13	बिहार में ऊर्जा आपूर्ति - खपत पैटर्न	124
4.14	श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या	125

तालिका सं.	विषय सूची	पेज नं.
4.15	ऊर्जा आवश्यकता : पूर्वानुमान	126
4.16	बिहार उप-संचरण योजना का चरणबद्ध कार्यान्वयन	127
4.17	31 दिसंबर, 2007 को उप-संचरण योजनाओं की वित्तीय स्थिति	128
4.18	नए प्रस्तावित विद्युत संयंत्र	128
4.19	स्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल	130
4.20	बिहार में एआइवीपी योजनाओं की स्थिति	131
4.21	एआवीपी के अंतर्गत जारी परियोजनाओं के व्यय	132
4.22	बिहार में लघु सिंचाई क्षमता और उसका उपयोग (क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर)	133
4.23	जल उपयोक्ता संघ को रखरखाव की जिम्मेवारी सौंपने के मामले में प्रगति	133
4.24	पटना से वायुयान यात्रियों की आवाजाही (जनवरी-दिसंबर 2008)	134
4.25	बिहार में जीएसएम ग्राहक	135
4.26	बिहार में अलग-अलग कंपनियों का राजस्व संग्रह	135
4.27	बिहार में डाक सुविधाएं	136
4.28	बिहार में डाकघरों के माध्यम से पत्रों की आवाजाही	136
4.29	बिहार में डाकघरों के खाते	136
5.1	बिहार में जिलावार साक्षरता दरें (2001)	143
5.2	बिहार में शैक्षिक स्तरों के अनुसार कुल नामांकन	144
5.3	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, तथा माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें	145
5.4	शिक्षा पर व्यय	145
5.5	मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5) (2008-09)	147
5.6	मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8) (2008-09)	148
5.7	मध्याह्न भोजन योजना में कोष का उपयोग	149
5.8	उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18 से 24 वर्ष)	150
5.9	बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत	150
5.10	बिहार में उच्च शिक्षा संस्थान	151
5.11	बिहार में उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम-वार नामांकन	152
5.12	बिहार में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम-वार नामांकन	153
5.13	बिहार में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम-वार नामांकन	154
5.14	बिहार का जिलावार जनसांख्यिक विवरण	156

तालिका सं.	विषय सूची	पेज नं.
5.15	बिहार में कार्य सहभागिता दरें	157
5.16	स्वास्थ्य अधिसंरचना की स्थिति (दिसंबर 2008 तक)	159
5.17	स्वास्थ्य व्यय का वित्तीय सारांश	163
5.18	जिलावार परियोजनाएं	164
5.19	समेकित बाल विकास योजना - परियोजनाओं की संख्या	164
5.20	समेकित बाल विकास योजना - कार्मिक स्थिति	165
5.21	समेकित बाल विकास परियोजना - संसाधनों का उपयोग	165
5.22	अनाच्छादिन और अंशत: आच्छादित बसाहटों के लिए जिलावार आच्छादन	166
5.23	बिहार और भारत में गरीबी अनुपात	167
5.24	स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना - भौतिक एवं वित्तीय सारांश (2007-08)	169
5.25	स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना - प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता (2007-08)	170
5.26	नरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन - 2007-08	172
5.27	नरेगा -भौतिक एवं वित्तीय सारांश - 2007-08	173
5.28	2007-08 तक इंदिरा आवास योजना का सारांश	175
5.29	इंदिरा आवास योजना (नई) : भौतिक एवं वित्तीय सारांश - 2007-08	176
5.30	जन वितरण प्रणाली का सारांश	178
5.31	जन वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं का आबंटन एवं उठाव (2007-08)	179
5.32	दलितों का जनसांख्यिक प्रोफाइल	181
5.33	दलित आबादी का जिलावार जनसांख्यिक सारांश	182
5.34	धार्मिक आधार पर जनसंख्या की जिलावार संरचना	187
6.1	बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का वितरण	205
6.2	विभिन्न राज्यों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का वितरण (2007-08)	205
6.3	31 मार्च, 2007 को अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण	206
6.4	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	206
6.5	राज्य एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या (31 मार्च को)	207
6.6	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा एवं ऋण	208
6.7	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के राज्यवार प्रति व्यक्ति जमा एवं ऋण	209
6.8	बिहार में शाखाओं की अवस्थिति के अनुसार विभिन्न बैंक समूहों के जमा और ऋण (2007-08)	211
6.9	बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (2007-08)	212
6.10	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	213
6.11	बिहार में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात	214

तालिका सं.	विषय सूची	पेज नं.
6.12	बिहार में जिलावार ऋण-जमा अनुपात	215
6.13	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार निवेश वितरण	216
6.14	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के निवेश सह ऋण-जमा अनुपात	217
6.15	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण जमा अनुपात	218
6.16	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण	218
6.17	बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के ऋणों में प्रक्षेत्रवार हिस्सा	219
6.18	बकाया कृषि अग्रिम	220
6.19	वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत अग्रिम में उपलब्धि - सभी बैंक	221
6.20	वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत अग्रिम का संस्थावार विश्लेषण (मार्च 2008)	221
6.21	अग्रिमों का प्रक्षेत्रवार हिस्सा (2006-07)	221
6.22	प्राथमिक कृषि ऋण संघों के चुनिंदा सूचक (31 मार्च, 2007)	222
6.23	राज्य सहकारी बैंकों के कार्यकारी परिणाम	223
6.24	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्यकारी परिणाम (अंतिम मार्च)	224
6.25	बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या	225
6.26	आरआइडीएफ के तहत मार्च 2008 तक संचित वितरण	227
6.27	बिहार में नाबार्ड द्वारा प्रक्षेत्रवार पुनर्वित्तीयन	227
6.28	मार्च्र 2008 तक बिहार में आरआइडीएफ के अंतर्गत स्वीकृति एवं संवितरण	228
6.29	बिहार में सूक्ष्मवित्तीयन	229
6.30	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सूक्ष्मवित्तीयन (2007-08)	230
6.31	प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लक्ष्य और उपलब्धियां	230
6.32	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन : व्यक्तिगत	231
6.33	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन (स्वयं सहायता समूह)	232
7.1	बिहार सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय	240
7.2	प्रमुख राजकोषीय सूचक	243
7.3	राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन संबंधी सूचक	250
7.4	राज्यों की घाटा/ अधिशेष की स्थिति	251
7.5	सकल राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)	252
7.6	बिहार के सकल राजकोषीय घाटे की संरचना	253
7.7	बिहार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	254
7.8	बिहार का राजस्व लेखा	255
7.9	बिहार सरकार का व्यय	256
7.10	ब्याज भुगतान और प्राप्ति	258

7.11	बिहार का नगद शेष	258
7.12	व्यय के अन्य पैरामीटर	258
7.13	केंद्र से बिहार को संसाधनों का अंतरण	259
7.14	बकाया देनदारियां	260
7.15	प्राप्त निवल ऋण	260
7.16	अदायगी संबंधी दायित्व	261
7.17	राजकोषीय सुधार पथ के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियां, 2007-08	262
7.18	राज्य की राजस्व प्राप्तियां	264
7.19	बिहार सरकार का कर राजस्व	264
7.20	बिहार सरकार के कर राजस्व की संरचना	265
7.21	बिहार सरकार के कर राजस्व की वृद्धि	266
7.22	बिहार में कराधान का ढांचा	266
7.23	बिहार के प्रमुख गैर-कर राजस्व	268
7.24	बिहार के गैर-कर राजस्वों की संरचना	268
7.25	कर एवं गैर-कर राजस्व में अनुमानित और वास्तविक वसूली के बीच अंतर (2007-08)	270
7.26	करों का वसूली व्यय	271
7.27	कर एवं गैर-कर राजस्व जीएसडीपी के प्रतिशत में	272
7.28	राज्यों का कर : जीएसडीपी अनुपात (2007-08)	272
7.29	महत्वपूर्ण कर एवं गैर-कर स्रोतों की उत्फुल्लता	273
7.30	केंद्र सरकार से अनुदान और अंशदान	273
क	बिक्री कर की तुलनात्मक वस्तुवार वसूली	274-275
7.31	अधिनियम-वार तुलनात्मक वसूली (2003-04 से 2008-09)	276
7.32	कुल राजस्व में वाणिज्य करों का वर्षवार प्रतिशत हिस्सा	277
7.33	उत्पाद से प्राप्त राजस्व	278
7.34	स्टांप एवं निबंधन शुल्कों से राजस्व प्राप्ति	279
7.35	स्टांप एवं निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व	280
7.36	संचित निधि से व्यय	281
7.37	संचित निधि से व्यय की संरचना	282
7.38	संचित निधि से व्यय की वृद्धि	283
7.39	भवनों, सड़कों एवं पुलों तथा सिंचाई सुविधाओं की मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय	284
7.40	राजस्व व्यय	285
7.41	वेतन और पेंशन पर व्यय	286
7.42	व्यय के गुणवत्ता संबंधी पैरामीटर	288
7.43	सामाजिक सेवाओं पर व्यय	290
7.44	गैर-योजना राजस्व व्यय के मामले में 12वें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों के बरअक्स उपलब्धियां	291

7.45	आर्थिक सेवाओं पर व्यय	292
7.46	सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय	293
7.47	2008-09 के बजट का सारांश	296
7.48	संचित निधि की प्राप्तियों एवं व्यय का ढांचा (प्रतिशत)	297
7.49	राज्य बजट को दरकिनार करते केंद्रीय कोषों का विवरण (2006-06 एवं 2007-08)	299
7.50	जिलावार व्यय (2007-08)	301
7.51	जिलावार प्रति व्यक्ति व्यय (2007-08)	302
7.52	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन	303
7.53	वित्तीय प्रदर्शन : डीआरडीए के अंतर्गत योजनाएं (2007-08)	304
7.54	प्रक्षेत्रवार राज्य सरकार की कंपनियां और निगम	305
7.55	बिहार में सार्वजनिक प्रक्षेत्र के समेकित वित्तीय परिणाम (2005-06 और 2006-07)	306
7.56	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय परिणाम	307
7.57	नवीनतम लेखों के अनुसार बिहार में सार्वजनिक प्रक्षेत्र के सारकृत परिणाम (करोड़ रु.)	309
7.58	शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का राजस्व व्यय	311
7.59	सामाजिक प्रक्षेत्र पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.) - 2007-08	312
7.60	2007-08 में कुछ अन्य सामाजिक प्रक्षेत्रों पर जिलावार व्यय (करोड़ रु.)	316
7.61	2007-08 में जिलावार प्रति व्यक्ति व्यय (रुपए)	317
7.62	जिलों का प्रति व्यक्ति अधिकतम और न्यूनतम व्यय (2007-08)	319
7.63	पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	320
7.64	2005-06 तक पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियां एवं व्यय	321
7.65	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 2005-06 तक किए गए कुल कार्यों का सारांश	321
7.66	12 जिला परिषदों के लिए अनुदान (1996-97 से 2005-06)	323
7.67	65 पंचायत समितियों के लिए अनुदान (2001-02 से 2005-06)	324
7.68	195 ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान (2001-02 से 2005-06)	324

कार्यकारी सारांश

1. वर्ष 1999-2000 से 2008-09 की अवधि लेने पर स्थिर मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद की मध्यावधि विकास दर 5.57 प्रतिशत आकलित है। यह विकास दर राष्ट्रीय विकास दर - लगभग 6-7 प्रतिशत - के मुकाबले कम है। लेकिन निकट अतीत की अपेक्षा यह विकास दर में सुधार को सूचित करती है जब राज्य की अर्थव्यवस्था की विकास दर मुश्किल से 3-4 प्रतिशत रह पाती थी। राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 3.61 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। स्थिर मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कम से कम तीन प्रक्षेत्रों का मध्यावधि विकास दर बहुत अच्छा रहा है - निर्माण (21.53 प्रतिशत), संचार (16.01 प्रतिशत) तथा व्यापार, होटल एवं रेस्टूरेंट (12.08 प्रतिशत)। लगातार दो भयानक बाढ़ों के चलते कृषि का विकास 1. 38 प्रतिशत की अपेक्षाकृत धीमी गति से हुआ है।

2. बिहार धीमे विकास दरों से ही नहीं, विकास दरों में साल दर साल काफी अंतर से भी पीड़ित होती है। गत दशक के दौरान विकास दरें प्राथमिक प्रक्षेत्र में (-)21.92 से 37.22 प्रतिशत, द्वितीयक प्रक्षेत्रों में (-)2.26 से 22.80 प्रतिशत और तृतीयक प्रक्षेत्रों में 2.03 से 18.44 प्रतिशत रही हैं। समग्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए वार्षिक विकास दर (-)4.73 से 11.31 प्रतिशत के बीच रही है।

3. अन्य राज्यों की तरह बिहार भी राज्य में मौजूद आंचलिक असमानताओं से भी पीड़ित होता है। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से राज्य के जिलों के बीच 29,482 रु. के आंकड़े के साथ पटना जिला शीर्ष पर है।

4. वर्ष 2007-08 और 2008-09 के पहले आठ महीनों में देखा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूरे देश के मुकाबले बिहार में अधिक बढ़ा है। शहरी श्रमिकेतर कर्मचारियों के लिए भी (जिनके लिए 2008-09 के सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देश के मुकाबले अधिक तेज दर से बढ़ रहा है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक धीमी गति से बढ़ रहा है। यह कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों, दोनों के मामले में सही है।

5. गत तीन वर्षों में अभिशासन की गुणवत्ता में उदाहरणीय परिवर्तन आया है। कर्मचारियों और आगंतुकों, दोनों के अनुकूल कामकाजी माहौल बनाने का समेकित प्रयास किया जा रहा है। लोगों के दुख-दर्द समझने के लिए मुख्यमंत्री ने 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' के साप्ताहिक आयोजन के जरिए प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त करने के लिए नवाचारी अभ्यास शुरू किया है। पहले अंत:क्रिया सामान्य विषयों पर होती थी लेकिन बाद में विशेष मुद्दों पर 'दरबार' आयोजित होने लगे। वर्तमान सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बिहार में अभिशासन के प्रभाव को समझने के लिहाज से चुनिंदा जिलों में 'विकास यात्रा' की भी शुरुआत की है।

6. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (बीपीएसएम) राज्य के प्रशासन तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार की एक पहल है। इस मिशन का विस्तार राज्य की राजधानी से लेकर जिलों तक होगा। मुख्यमंत्री द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की शुरुआत नवंबर 2008 में की गई थी। मिशन राज्य सरकार को अपने सभी नागरिकों तक, खास कर निर्धनतम एवं अभिवंचित नागरिकों तक बेहतर गुणवत्ता की सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा।

7. सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के बीच 118 अपराधों के साथ बिहार देश में 28वें स्थान पर था। प्रमुख अपराधों में गिरावट आई है जिसमें हत्या (-3.2 प्रतिशत), डकैती (-10.10 प्रतिशत), लूट (-4.99 प्रतिशत), फिरौती हेतु अपहरण (-23 प्रतिशत), बैंक डकैती (-15.03 प्रतिशत) आदि शामिल हैं। तथापि सेंधमारी (1.63 प्रतिशत) और बलात्कार (5.34 प्रतिशत) में इस अवधि के दौरान वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2001 से 2008 के बीच डकैती, अपहरण, सड़क डकैती, और बैंक डकैती के मामलों में लगभग 50 प्रतिशत या अधिक गिरावट आई है। अधिकांश जिलों ने हत्या के मामले में कमी की सूचना दी।

8. राज्य में गत तीन-चार वर्षों के दौरान अतिवाद के प्रमुख मामलों में भी सराहनीय गिरावट आई है। वर्ष 2004 में 382 मामले दर्ज किए गए थे लेकिन 2008 में (नवंबर तक) मात्र 79 मामले ही दर्ज किए गए हैं। मामलों की संख्या में गिरावट मुख्यतः 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम की अग्रलक्षी सामाजिक नीति के कारण है। आत्मसमर्पण करने वाले अतिवादियों को सम्मानपूर्वक पुनर्वासित किया गया। सामाजिक सहयोग के अलावा, अर्धसैनिक और अन्य बलों की तैनाती, पुलिसकर्मियों का विशेष प्रशिक्षण आदि के जरिए राज्य प्रशासन के सुरक्षा उपकरण को मजबूत किया गया।

9. पांच वर्षों में (2002-2006) महिलाओं के विरुद्ध आइपीसी मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर 7.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2007 में बड़े राज्यों के बीच बिहार का 28वां स्थान था और कुल संज्ञेय अपराधों में इसका हिस्सा 8.1 प्रतिशत था। राज्य की पहलकदमियों के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध 2006 के 9.3 प्रतिशत से गिरकर 2007 में 7.5 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार जनजातीय आबादी के मामले में भी अपराध में गिरावट आई है जो 1.2 प्रतिशत से घटकर 1.0 प्रतिशत हो गया है।

10. राज्य में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बिहार सतर्कता अनुसंधान ब्यूरो (बिहार विजिलेंस इनवेस्टिगेशन ब्यूरो) उच्च मनोबल के साथ काम कर रहा है। मोबाइल फोनों के नंबर के व्यापक प्रचार के जरिए ब्यूरो अनेक भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को पकड़ने में सफल रहा। वर्ष 1995 से 2005 के बीच भ्रष्ट लोगों को रंगे हाथ पकड़ने के (ट्रैप केसेज) मात्र 47 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2007 में ऐसे 108 मामले और 126 गिरफ्तारियां हुई जबकि 2008 में (नवंबर तक) इनकी संख्या क्रमशः 78 और 92 है।

कृषि

1. 2000-01 से 2005-06 के दौरान बागान के अंतर्गत भूमि 2.47 से बढ़कर 2.57 प्रतिशत हो गई जिसका अर्थ हुआ कि और 10 हजार हेक्टेयर भूमि बागान के अंतर्गत चली आई। इस बात की ज्यादा संभावना लगती है कि परती भूमि धीरे-धीरे बगानों में तब्दील की जा रही है क्योंकि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में परती भूमि के प्रतिशत में थोड़ी कमी आई है। बिहार की भूमि अत्यंत उर्वर है, यह इस तथ्य से उद्घाटित होता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में निवल बुआई क्षेत्र का अंश बहुत ज्यादा, करीब 60 प्रतिशत है। हाल के वर्षों में निवल बुआई क्षेत्र के अंश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन सकल बुआई क्षेत्र में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और कृषि अर्थव्यवस्था में अभी फसल सघनता 2.06 प्रतिशत है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बिहार में कृषि भूमि के प्रत्येक टुकड़े में औसत दो फसल होती है।

2. 2003-04 से 2007-08 तक पांच वर्षों की अवधि में बिहार के प्रमुख फसलों के औसत उत्पादन स्तर इस प्रकार हैं : चावल - 43.7 लाख टन, गेहूं - 36.0 लाख टन और मक्का - 14.9 लाख टन। इस आंकड़े में अन्य अनाजों (जिन्हें मोटा अनाज माना जाता है) के उत्पादन को जोड़ने पर कुल अनाज उत्पादन 95.4 लाख टन हो जाता है। फिर इसमें अगर कुल दलहन उत्पादन 4.9 लाख टन को जोड़ दें, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 100.3 लाख टन हो है - तकरीबन 9.9 करोड़ आबादी के लिए।

3. लगभग 95 प्रतिशत प्रमुख फसल क्षेत्र खाद्यान्न से संबंधित हैं। इस श्रेणी में अनाज का फसली क्षेत्र बढ़ता रहा है - 2000-01 में यह 87.21 प्रतिशत था जो बढ़कर 2007-08 में 94.20 प्रतिशत हो गया। नतीजे के तौर पर, तिलहन के फसली क्षेत्र में गिरावट आई है - 2000-01 में यह 8.77 प्रतिशत था जो गिरकर 2006-07 में 1.42 प्रतिशत हो गया।

4. चावल की औसत उत्पादकता 1287 कि.ग्राम/ हेक्टेयर है, हालांकि अगहनी चावल (तीन किस्मों में सबसे महत्वपूर्ण) की उत्पादकता थोड़ी अधिक 1327 कि.ग्राम/ हेक्टेयर है। गेहूं की उत्पादकता अधिक है - 1749 कि.ग्राम/ हेक्टेयर। मक्के की उत्पादकता में सबसे संतोषजनक मुकाम हासिल हुआ है (2367 कि.ग्रा./ हेक्टेयर) और यहां भी अगहनी मक्के (मक्के की तीन किस्मों में सबसे महत्वपूर्ण) की उत्पादकता ज्यादा है - 3030 कि.ग्राम/ हेक्टेयर। दलहन के मामले में रबी मौसम का बहुत महत्व है क्योंकि इसी मौसम में 80 प्रतिशत दलहन का उत्पादन होता है, फिर भी रबी दलहन की उत्पादकता (738 कि.ग्रा./ हेक्टेयर) के मुकाबले खरीफ दलहन की उत्पादकता (929 कि.ग्रा./ हेक्टेयर) ज्यादा पाई गई है।

5. शेष मिश्रित फसलों में सब्जी की श्रेणी की जो फसल बिहार के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे हैं आलू, गोभी, टमाटर और बैंगन। वर्ष 2006-07 में इन फसलों का उत्पादन स्तर इस प्रकार था : आलू - 11.8 लाख टन, फूलगोभी - 10.1 लाख टन, टमाटर - 9.2 लाख टन और बैंगन - 11.2 लाख टन। फल की श्रेणी में कई किस्म के फल शामिल हैं लेकिन उसमें चार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं : आम, लीची, अमरुद और केला। वर्ष 2006-07 में इन फलों का उत्पादन स्तर था : आम - 13.1 लाख टन, लीची - 2.1 लाख टन, अमरुद - 2.5 लाख टन और केला - 11.3 लाख टन।

6. चावल के उत्पादन में शीर्ष पांच जिले हैं : नालंदा - 2.3 लाख टन, भोजपुर - 2.3 लाख टन, रोहतास - 4.7 लाख टन, भभुआ (कैमूर) - 3.1 लाख टन और औरंगाबाद - 4.4 लाख टन। इसकी उत्पादकता के मामले में 5 शीर्ष जिले हैं : भोजपुर - 2654 कि.ग्रा./ हेक्टेयर, नालंदा - 2382 कि.ग्रा./ हेक्टेयर, औरंगाबाद - 2598 कि.ग्रा./ हेक्टेयर, शेखपुरा - 2399 कि.ग्रा./ हेक्टेयर और बांका - 2595 कि.ग्रा./ हेक्टेयर। सभी प्रमुख फसलों - चावल, गेहूं और मक्का के अधिकतम और निम्नतम उत्पादकता स्तर के मामले में जिलों में भारी अंतराल है। चावल के मामले में उत्पादकता अधिकतम 2808 कि.ग्रा./ हेक्टेयर (कैमूर) और न्यूनतम 522 कि.ग्राम/ हेक्टेयर (शिवहर) है। इसी प्रकार, गेहूं की उत्पादकता के मामले में एक छोर पर समस्तीपुर (2789 कि.ग्राम/ हेक्टेयर) है तो दूसरे छोर पर अररिया (698 कि.ग्रा./हेक्टेयर)। और अंत में, मक्का की उत्पादकता का उच्चतम स्तर 4108 कि.ग्रा./ हेक्टेयर (खगड़िया) है तो निम्नतम स्तर 115 कि.ग्रा./ हेक्टेयर (जमुई)। बिहार के कोशी क्षेत्र में प्रलयकारी बाढ़ की वजह से 2008-09 में राज्य के फसल उत्पादन में गिरावट की आशंका है। जिन फसलों के मामले में अग्रिम अनुमान उपलब्ध हैं, होने की आशंका है, उनमें अगहनी चावल और ज्वार को छोड़कर सभी में गिरावट की आशंका है।

7. भारत के प्रमुख राज्यों की तुलना में बिहार में बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) सबसे कम है। खरीफ फसलों में धान की बीज प्रतिस्थापन दर 2008-09 में 19.0 प्रतिशत थी, 2006-07 में यह दर मात्र 12.0 प्रतिशत थी। खरीफ मक्का की बीज प्रतिस्थापन दर में हल्का सुधार हुआ है - 2006-07 के 50.0 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 57.0 प्रतिशत। हालांकि अरहर, उड़द और मूंग की बीज प्रतिस्थापन दर में मामूली वृद्धि हुई है। रबी फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर से संबंधित आंकड़े सिर्फ 2006-07 और 2007-08 तक उपलब्ध हैं। इन दो वर्षों के दौरान दो रबी फसलों - मक्का (60.0 से बढ़कर 74.0 प्रतिशत) और तोरिया/ सरसों (40.0 से बढ़कर 73.0 प्रतिशत) की बीज प्रतिस्थापन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

8. हाल के वर्षों में बिहार में रासायनिक उर्वरकों की खपत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। चार वर्षों के दरम्यान उर्वरकों की खपत में 62.2 प्रतिशत वृद्धि हुई जो इस मूल्यवान लागत सामग्री के प्रति बिहार के किसानों की चाहत की द्योतक है। वर्ष 2007-08 में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत 155.60 कि.ग्रा. थी। दो महत्वपूर्ण फसल मौसमों में रबी के मौसम में उर्वरक का उपयोग ज्यादा होता है (195.80 कि.ग्रा./ हेक्टेयर) जो खरीफ के मौसम में उर्वरक उपयोग (120.10 कि.ग्रा./ हेक्टेयर) से डेढ़गुना ज्यादा है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों में यूरिया का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है - कुल उर्वरक खपत का लगभग आधा अकेले यूरिया ही है।

9. संबंधित विभाग में कर्मियों की सीमित संख्या के कारण बिहार में कृषि विकास हेतु विस्तार सेवाओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। राज्य सरकार विस्तार सेवा के तौर पर फिलहाल बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण फसलों के लिए मिनी किट वितरण/ प्रदर्शनों का आयोजन कर रही है। खरीफ के मौसम में 2006-07 में ऐसे वितरण/ प्रदर्शनों की संख्या महज 27.3 हजार थी, जो 2008-09 में बढ़कर 85.6 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार, 2006-07 में रबी के मौसम में इन प्रदर्शनों की संख्या 17.7 हजार थी जो अगले वर्ष 43.8 हजार तक पहुंच गई।

10. तीन प्रमुख ऋण स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कुल ऋण वितरण का लगभग 65 प्रतिशत इन्हीं के माध्यम से होता है; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी क्रमशः 25 और 10 प्रतिशत है। चूंकि वाणिज्यिक बैंक सबसे अहम ऋणस्रोत हैं, इसीलिए उपलब्धि दर में इन बैंकों द्वारा भी गिरावट के रुझान का प्रदर्शन चिंता का विषय है। वर्ष 2007-08 में उपर्युक्त तीन श्रेणियों के बैंकों की उपलब्धि दर इस प्रकार थी : वाणिज्यक बैंक - 81.47 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - 75.80 प्रतिशत और केंद्रीय सरकारी बैंक - 57.42 प्रतिशत। बिहार में कृषि ऋण में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी मात्र 10 प्रतिशत है। सहकारी बैंकों की इतनी सीमित पहुंच का मुख्य कारण यह है कि बिहार के 16 जिलों में तो इन बैंकों का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

11. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के मामले में, सितंबर 2008 तक बिहार में 20.88 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके थे। 44.60 लाख किसानों के लक्ष्य की तुलना में किसान क्रेडिट कार्ड वितरण की उपलब्धि दर मात्र 46.81 प्रतिशत है। तीन ऋण स्रोतों की उपलब्धि दर में कोई खास फर्क नहीं है : वाणिज्यिक बैंक - 48.24 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - 47.49 प्रतिशत और केंद्रीय सहकारी बैंक - 44.40 प्रतिशत।

12. 2007-08 की समाप्ति तक सिर्फ 9.13 लाख ऐसे किसान थे जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराने में सफलता पाई हो। मोटे तौर पर एक आकलन के अनुसार 10 प्रतिशत से भी कम किसान फसल बीमा से आच्छादित हैं। इधर कई वर्षों से राज्य में फसल बीमा का प्रचलन बढ़ रहा है। जिन जिलों में 50 हजार से अधिक किसानों ने फसल बीमा अपनाया है, उनके नाम हैं - पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और बेगूसराय।

13. 2003 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल पशुधन की संख्या 407.83 लाख है। इसमें 39.8 प्रतिशत दुधारू पशु हैं जिसमें गायों की संख्या 104.7 लाख और भैसों 57.66 लाख है। राज्य में बकरियों की भी बड़ी तादाद है (96.06 लाख) जिन्हें 'गरीबों की गाय' कहा जाता है। राज्य में पॉल्ट्री पक्षियों की संख्या भी काफी अधिक (139.68 लाख) है। राज्य में इतनी विशाल मात्रा में पशुधन की मौजूदगी को देखते हुए यहां पशुधन उत्पादों की प्रचुर संभावना है। राज्य के कुल पशुधन में अलग-अलग जिलों की हिस्सेदारी में काफी भिन्नताएं मौजूद हैं। बिहार में पशुपालन प्रक्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के संबंधित विभाग प्रजनन, विसंक्रमण, टीकाकरण, चारा बीजों का निःशुल्क वितरण जैसी अनेक उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं।

14. राज्य सरकार ने बिहार के कृषि और समवर्गी प्रक्षेत्र के लिए एक रोडमैप तैयार किया है जिसमें वर्ष 2008-12 के दौरान चलाए जाने वाले कई विकास कार्यक्रमों को चिन्हित किया गया है। रोडमैप में कृषि तथा इसके समवर्गी प्रक्षेत्र के तमाम पहलुओं को समेटते हुए कई कार्यक्रम चिन्हित किए गए हैं।

उद्योग एवं संबंधित प्रक्षेत्र

1. वर्तमान बिहार के लिए 2007-08 में वर्तमान मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) 94,489 करोड़ रु. था जिसमें विनिर्माण (मैनुफैक्चरिंग) प्रक्षेत्र का हिस्सा मात्र 4,664 करोड़ रु. (5.16 प्रतिशत) था।

बिहार में व्यवहारतः कोई भी खनिज आधारित उद्योग नहीं बचा है। वस्त्र, चर्म, काष्ठ एवं कागज समेत कृषि आधारित उद्योगों का सकल मूल्यवर्धन में लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा हो गया। पेट्रोलियम और आणविक इंधन का सकल मूल्यवर्धन 48 प्रतिशत के आसपास था। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के प्रदर्शन का स्तर संतोषजनक नहीं है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि संपूण भारत के स्तर पर कृषि आधारित उद्योगों के कुल उत्पादन में बिहार के ऐसे उद्योगों का हिस्सा बहुत नाम मात्र का, मात्र 0.48 प्रतिशत था।

2. 263 बड़ी एवं मंझोली इकाइयों में से सर्वोच्च संकेंद्रण (38 प्रतिशत) पटना प्रमंडल में है जिसके बाद तिरहुत प्रमंडल का स्थान है (22.5 प्रतिशत)। मगध प्रमंडल का हिस्सा 9.5 प्रतिशत और दरभंगा प्रमंडल का 7.3 प्रतिशत है। कोशी प्रमंडल में तो एक भी बड़ा या मंझोला उद्योग होने की सूचना नहीं है। राज्य के 38 जिलों में से 10 में कोई बड़ी/ मंझोली औद्योगिक इकाई नहीं है और अन्य 11 जिलों में से प्रत्येक में 5 से कम इकाइयां हैं।

3. वर्तमान बिहार के औद्योगिक प्रक्षेत्र की पहचान छोटे आकार वाली इकाइयों के जरिए ही नहीं, अनिबंधित इकाइयों की अधिकता के जरिए भी की जाती है जिनका कुल इकाइयों में एक-तिहाई हिस्सा है। लघु उद्योग प्रक्षेत्र में भी अतिलघु (टिनी) तथा कारीगर-आधारित (आर्टिजन) उद्योगों की बहुतायत है। ये उच्च उत्पादकता वाले तो नहीं हैं, लेकिन कृषि के बाहर रोजगार का अवसर प्रदान करने में लघु, अतिलघु एवं कारीगर आधारित उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिसंबर 2008 में बिहार में 1,74,278 स्थायी निबंधित इकाइयां थीं। इनमें 1,502 लघु इकाइयां, 1,02,676 अतिलघु इकाइयां तथा 70,100 कारीगर आधारित इकाइयां थी। उनमें कुल निवेश 1,017.62 करोड़ रु. था और उन इकाइयों ने 5.68 लाख श्रमिकों को रोजगार दे रखा था।

4. लघु, अतिलघु और कारीगर आधारित उद्योगों के संकेंद्रण का पैटर्न भी बड़ी/ मंझोली इकाइयों जेसा ही था। लघु, अतिलघु और कारीगर आधारित इकाइयों का सर्वाधिक संकेंद्रण तिरहुत प्रमंडल में था (20 प्रतिशत) जिसके बाद पटना प्रमंडल का स्थान था (17.4 प्रतिशत)। मगध और पूर्णिया प्रमंडलों का हिस्सा 10-10 प्रतिशत था जबकि भागलपुर (4.9 प्रतिशत) और कोशी (5.8 प्रतिशत) का हिस्सा सबसे कम था।

5. कृषि आधारित उद्योगों के बीच रोजगार सृजन के लिए फलों और सब्जियों के साथ दूध और अंडे भी काफी महत्वपूर्ण हैं। बिहार के आधे जिलों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जरिए बागवानी के विस्तार के भी प्रयास किए जा रहे हैं। शेष 19 जिलों में, जिन्हें राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल नहीं किया गया है, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन की शुरुआत की गई है।

6. राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की काफी संभावना है। अगर सही ढंग से विकास किया जाय तो इससे न्यूनतम 5 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकता है। अनाजों के प्रसंस्करण के अलावा, फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण की भारी संभावना का दोहन किया जाना शेष है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के

विकास की भारी संभावना को देखते हुए उद्योग विभाग ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण अधिसंरचना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु 1,760 करोड़ रु. की एक परियोजना के लिए योजना बनाई है।

7. राज्य में चीनी उद्योग महत्वपूर्ण स्थिति में है। यह कृषि प्रक्षेत्र में प्रत्यक्षत: और सहायक इकाइयों तथा संबंधित गतिविधियों के जरिए काफी रोजगार उपलब्ध कराता है। अनुमानत: 5 लाख किसान ईख की खेती में लगे हैं और 50 हजार कुशल-अकुशल लोग चीनी उद्योगों में नियोजित हैं। ग्यारहवीं योजना के उद्देश्यों में कृषि क्षेत्र में वृद्धि करके ईख का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना भी रहा है। दीर्घकालिक लक्ष्य इसके क्षेत्रफल को क्रमिक रूप से बढ़ाते हुए 4.6 लाख हे. तक पहुंचाना है।

8. बिहार में बुनकरों की बड़ी संख्या में मौजूदगी के कारण राज्य के संदर्भ में हथकरघा उद्योग का भारी महत्व है। ये बुनकर मुख्यत: पटना, गया, भागलपुर, बांका, दरभंगा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, भभुआ, खगड़िया, मधुबनी और सीवान जिलों में संकेंद्रित हैं। राज्य में लगभग 1,071 बुनकर सहकारी समितियां हैं जिनके पास 10,817 हथकरघे हैं। इसके अलावा, 23,503 हथकरघे सहकारी प्रक्षेत्र के बाहर हैं। इस प्रक्षेत्र में 1.33 लाख बुनकर कार्यरत थे। इनमें से लगभग 1 लाख लोग सहकारी प्रक्षेत्र के बाहर हैं। राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए विपणन सहायता, प्रशिक्षण केंद्रों का आधुनिकीकरण, तथा कार्यस्थल सह आवास की मरम्मत के रूप में कल्याण योजनाओं की शुरुआत की है।

9. बिहार में 12 सहायता करने वाली संस्थाएं हैं। इनमें से दो वित्तीय सहायता संस्थाएं बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी) और बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम (बिसिको) को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) को भी पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी प्रकार उद्योग मित्र भी पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू है। बिआडा औद्योगिक प्रांगणों में पानी, सड़क, नाली, बिजली आदि विकसित अधिसंरचना उपलब्ध कराने के लिए जवाबदेह है। वह भावी उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु सूचना और सहायता भी उपलब्ध कराती है।

10. अर्थव्यवस्था के विभिन्न अनुभागों में ज्ञानमूलक आधार और रोजगार के विस्तार के लिहाज से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) के क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं के दोहन हेतु राज्य में शुरुआत कर दी गई है। यह विभिन्न क्षेत्रों, खास कर कृषि, उद्योग तथा विपणन में अद्यतन तकनीकी जानकारियों को बहुत तेजी से प्रदर्शित करेगा। सभी 38 जिलों में वीडियो कांफेरेंसिंग शुरू हो गया है। सार्वजनिक निजी सहभागिता के जरिए कोषागार, वित्त, भविष्य निधि, कर संग्रह, बिजली बिल, संपत्तियों का निबंधन, ई-गवर्नेंस आदि के कंप्यूटरीकरण की योजना बनाई गई है जिसमें बेल्ट्रॉन एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

11. 2008-09 में (दिसंबर 2008 तक) बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या 164 पहुंच गई है जिनमें कुल 91.75 हजार करोड़ रु. का निवेश और 1.23 लाख लोगों के लिए रोजगार प्रस्तावित है। 164 अनुमोदित प्रस्तावों में से 15 क्रियान्वित हो चुके हैं और काम कर रहे हैं, एक उत्पादन के लिए तैयार है

और कुल 22.91 हजार करोड़ रु. निवेश के 49 प्रस्ताव क्रियान्वयन के अग्रिम चरण में हैं। बहरहाल, शेष 99 प्रस्ताव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

12. राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन के विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं। पर्यटकों के विभिन्न गंतव्य स्थालों पर कानून-व्यवस्था तथा अधिसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थिति में सुधार से देशी और विदेशी, दोनों तरह के पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2005 में इनकी संख्या 69.44 लाख थी जो 2006 में बढ़कर 107.65 लाख और 2007 में 105.30 लाख हो गई।

भौतिक अधिसंरचना

1. मौजूदा निम्नस्तरीय अधिसंरचनात्मक सुविधाएं राज्य की विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने की राह में बड़ी बाधा हैं। राज्य सरकार बिहार अधिसंरचना विकास समर्थकारी अधिनियम पर अमल करते हुए कुछ प्रक्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) की संभावना तलाशकर इसे लागू करना आरंभ कर चुकी है और इन पहलकदमियों को विस्तारित करने की योजना बना रही है।

2. सघन आबादी वाला राज्य होने के बावजूद बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़कों का घनत्व महज 111 कि.मी. है जबकि संपूर्ण देश में यह घनत्व तीनगुना ज्यादा (360 कि.मी.) है। यहां सड़क से संपर्कित गांव सिर्फ 57 प्रतिशत हैं जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह प्रतिशत 62 है और गुजरात में 99 प्रतिशत। सन 2008 में बिहार की सड़कों की कुल लंबाई 82,959 कि.मी. थी। इसमें शामिल थे राष्ट्रीय उच्चपथ (4.50 प्रतिशत), राज्य उच्चपथ (4.81 प्रतिशत), प्रमुख जिला सड़कें (9.83 प्रतिशत), अन्य जिला सड़कें (4.60 प्रतिशत) और ग्रामीण सड़कें (76.26 प्रतिशत)। हालांकि अंतिम दो श्रेणियों की सड़कों के कुछ अंश पक्के नहीं हैं। राज्य में सड़कों की लंबाई के मामले में अलग-अलग जिलों में काफी भिन्नताएं हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय उच्चपथ के अतिरिक्त, राज्य उच्चपथ तथा प्रमुख जिला सड़कों को भी उत्क्रमित किया जाएगा।

3. बिहार में 2007 में मोटर वाहनों की संख्या 239 प्रतिशत बढ़ी है। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि राज्य में परिवहन की वृद्धि के अनुरूप सड़क नेटवर्क का विकास नहीं हुआ। मोटर वाहनों की संख्या में अपूर्व वृद्धि को देखते हुए प्रशासनिक, आर्थिक एवं पर्यटन जरूरतों के मुताबिक राज्य के सभी महत्वपूर्ण पथों को राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना (एनएचडीपी) के अंतर्गत फोर लेन में उत्क्रमित करना होगा।

4. वर्तमान में राज्य उच्चपथ पर 1,055 तथा प्रमुख जिला सड़कों पर 3,049 छोटे-बड़े पुल हैं। राज्य में गंगा करीब 400 कि.मी. का रास्ता तय करती है लेकिन इस पर केवल 4 पुल हैं। बेहतर संपर्क सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की प्रमुख नदियों पर प्रत्येक 50 कि.मी. की दूरी पर पुल हों। इसके अलावा,

छोटी नदियों पर भी पुल निर्माण का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान 1,844 योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य है।

5. व्यवहारिक तौर पर बिहार में वायुसेवा का अभी तक विकास नहीं हुआ है। बिहार की राजधानी पटना दिल्ली-कोलकता वायुमार्ग पर स्थित है। इसका मुंबई से भी वायु संपर्क है। पटना से रांची और लखनऊ के लिए भी नियमित वायु सेवा उपलब्ध है। जिलों के बीच गया में भी एक अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा है। इंडियन एयरलाइन्स के अलावा, जेटलाइट, किंगफिशर और जेट एयरवेज का भी पटना हवाईअड्डा से परिचालन होता है।

6. दूरसंचार के क्षेत्र में बीएसएनएल, रिलायंस, भारती एयरटेल, एबीटीएल (आइडिया), वोडाफोन इस्सार और डिशनेट वायरलेस जैसी विभिन्न कंपनियां सक्रिय हैं। नवंबर 2008 में जीएसएम ग्राहकों की संख्या में जबर्दस्त वृद्धि दर्ज की गई - 2004-05 में इसकी संख्या महज 9.70 लाख थी, जो बढ़कर 1.24 करोड़ हो गई। इन कंपनियों में एयरटेल के पास सबसे ज्यादा ग्राहक हैं (64.19 लाख)।

7. डाकघर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे हैं। मार्च 2008 तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 9,057 डाकघर थे, जिनमें से 95 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित थे।। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विभागेतर डाकघर थे (92 प्रतिशत)। तकरीबन तमाम डाकघरों को, चाहे वे विभागीय हो या विभागेतर, स्थायी दर्जा मिला हुआ था।

8. राज्य में बिजली की घोर किल्लत है और सिर्फ 41 प्रतिशत गांवों और 10 प्रतिशत घरों का ही विद्युतीकरण हो पाया है। राज्य में बिजली की अधिकतम उपलब्धता करीब 950 मेगावाट है। इस प्रकार 550 मेगावाट की कमी रह जाती है, जिसके कारण सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती। बिहार में सिर्फ 592 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता है जिसमें 540 मेगावाट ताप विद्युत, 47 मेगावाट जलविद्युत और 5 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा है। मगर इसके अपने ताप विद्युत केंद्रों का उत्पादन नगण्य है, अत: अधिकांश विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति केंद्रीय उत्पादन से खरीदकर की जाती है। वर्ष 2005 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत सिर्फ 76 यूनिट थी जबकि राष्ट्रीय औसत था 612 यूनिट। राज्य में 104.9 करोड़ यूनिट (15.31 प्रतिशत) की कमी थी जो अगले साल बढ़कर 147.1 करोड़ यूनिट हो गई (11.50 प्रतिशत)।

9. बिहार में कुल सिंचाई क्षमता 98.38 लाख हेक्टेयर भूमि की है जिसमें 53.53 लाख हेक्टेयर बड़ी एवं मंझोली सिंचाई तथा 49.56 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। आधे से अधिक क्षेत्र लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित होते हैं और 98 प्रतिशत लघु सिंचाई स्रोत नलकूप हैं। चूंकि राजकीय नलकूपों की संख्या बहुत कम है इसलिए बिहार में सिंचाई स्रोत के रूप में निजी नलकूपों का बहुत महत्व है। वर्ष 2006-07 में 5,556 राजकीय नलकूपों में से 5,130 काम कर रहे थे। इसी तरह, 10.97 लाख निजी

नलकूपों में से 9.55 लाख क्रियाशील थे। विगत वर्षों बड़े/ मंझोले सिंचाई स्रोतों के अंतर्गत क्षेत्रफल में उतार–चढ़ाव होता रहा है। लघु सिंचाई के विभिन्न संघटकों में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हुई है।

10. सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु सिंचाई के माध्यम से करीब 1.65 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी और 4 लाख हेक्टेयर समाप्त सिंचाई क्षमता पुन:स्थापित की जाएगी। इन योजनाओं में सिंचाई की परंपरागत पद्धतियों – आहर तथा पईन का भी नवीकरण एवं पुन: स्थापन किया जाएगा। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आरआइडीफ (चरण 12) की भूजल परियोजनाएं पूरी की जाएगी और इस प्रकार 80 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित की जाएगी। 1,10,549 हेक्टेयर कमान क्षेत्र वाले 32 वितरणियों के परिचालन, रखरखाव एवं देखरेख की जिम्मेवारी जल उपयोक्ता संघ (डब्ल्यूयूए) को सौंपकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। समग्र रूप से रणनीति यह है कि ग्यारहवीं योजना अवधि की समाप्ति तक सभी सिंचाई प्रणालियों की प्रदाता प्रणाली जल उपयोक्ता संघ को देकर विकेंद्रित कर दी जाए।

सामाजिक प्रक्षेत्र

1. मानव विकास के मामले में बिहार 1981, 1991 और 2001 में भारत के बड़े राज्यों के बीच सबसे निचले पायदान पर रहा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी इसका वही दर्जा दुहराया गया है। बिहार में आर्थिक विकास और मानव विकास की जुड़वां चुनौतियों को उच्च गरीबी अनुपात और निम्न प्रति व्यक्ति आय से भी खाद–पानी मिलता है। तथापि, बिहार में गरीबी में कमी की दर राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ऊंची रही है।

2. वर्ष 2001 में भारत की साक्षरता दर समग्रत: 65.4 प्रतिशत थी जबकि बिहार की 47.0 प्रतिशत। तब बिहार की महिला साक्षरता दर तो और भी कम, 33 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय औसत 54.2 प्रतिशत था। भोजपुर और रोहतास जिले साक्षरता संबंधी सूचक के मामले में क्रमश: 59.0 और 61.3 प्रतिशत के साथ राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं। तथापि, दोनों जिलों की महिला साक्षरता दरें क्रमश: 41.8 और 45.7 प्रतिशत हैं जो राष्ट्रीय औसत 54.2 प्रतिशत के मुकाबले कम हैं। पटना बिहार का अकेला जिला है जहां की 50 प्रतिशत से अधिक महिला आबादी साक्षर है। किशनगंज में तो 20 प्रतिशत से भी कम महिलााएं साक्षर हैं। राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर भी किशनगंज में ही है।

3. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर समग्र नामांकन 34.5 प्रतिशत बढ़ा है। अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चों का नामांकन 41.5 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों का नामांकन 80.7 प्रतिशत बढ़ा है। 72.8 प्रतिशत की समग्र वृद्धि के साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अनुसूचित जातियों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन 97.4 प्रतिशत बढ़ा है जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए यह वृद्धि 126.0 प्रतिशत है।

4. बिहार में 2004-05 और 2005-06 के बीच प्राथमिक शिक्षा में छीजन दरों में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के मामले में अधिक है। हालांकि उच्च प्राथमिक स्तर पर ठीक 1 प्रतिशत की कमी आई। छीजन दर में 0.01 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ माध्यमिक स्तर पर स्थिति और खराब ही हुई है।

5. बिहार में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 6.71 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 9.21 प्रतिशत से नीचे है। पुरुष सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत के करीब है, लेकिन बिहार के महिला सकल नामांकन अनुपात (3.50 प्रतिशत) और राष्ट्रीय औसत (7.65 प्रतिशत) के बीच पुनः काफी अंतराल है।

6. बिहार में उच्च शिक्षा के लिए 12 विश्वविद्यालय, एक मुक्त विश्वविद्यालय तथा 504 महाविद्यालय एवं संस्थान हैं। लेकिन चिकित्सा महाविद्यालयों (23) और अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालयों की संख्या (7) के मामले में राज्य अभी भी पिछड़ा है। कला, विज्ञान एवं वाणिज्य जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों में सभी छात्रओं के बीच अनुसूचित जाति की छात्राओं का नामांकन महज 5-6 प्रतिशत है जो छात्रों के लिए काफी अधिक (11-15 प्रतिशत) है। हालांकि चिकित्सा और अभियंत्रण में छात्रों और छात्राओं का नामांकन समान ही है। समान जनसंख्या कोहॉर्ट के आधार पर मापने पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के बीच छात्रों और छात्राओं के नामांकन प्रतिशत लगभग समान हैं।

7. बिहार की कुल जनसंख्या का 89.5 प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है। इस कारण बिहार देश के बड़े राज्यों के बीच सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य है। पटना यहां का सर्वाधिक शहरीकृत जिला है जहां ग्रामीण आबादी 58.4 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर मुंगेर है, जहां ग्रामीण आबादी 72.1 प्रतिशत है। शेष सभी जिलों में ग्रामीण आबादी का अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक है। सात जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात तो 95 प्रतिशत से भी अधिक है। बिहार में लिंग अनुपात 919 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है जो राष्ट्रीय औसत (933) से थोड़ा नीचे है। राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जाति का हिस्सा 15.7 प्रतिशत है।

8. बिहार में कार्य सहभागिता की औसत दर 32.9 प्रतिशत है। सारण, सीवान, वैशाली, बक्सर, मुंगेर, भोजपुर और गोपालगंज का कार्य सहभागिता अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 30 प्रतिशत से कम है। सुपौल, जमुई और मधेपुरा का कार्य सहभागिता अनुपात 40 प्रतिशत से ऊपर और अन्य 14 जिलों का 35 प्रतिशत से ऊपर है। कार्य सहभागिता अनुपात के मामले में लैंगिक अंतराल काफी अधिक है। राज्य में महिला कार्य सहभागिता अनुपात 18.4 प्रतिशत है और पुरुष कार्य सहभागिता अनुपात 46.3 प्रतिशत।

9. बिहार में 1998-99 और 2004-05 के बीच टीकाकरण का आच्छादन 12 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया है जबकि इस दौरान राष्ट्रीय औसत में महज 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में शिशु मृत्यु दर भी 72 (प्रति हजार जीवित प्रसव) से घटकर 68 रह गई। इसका श्रेय मुख्यतः संस्थागत सेवा-प्रदान में वृद्धि को दिया जा सकता है जो इस अवधि में 15 प्रतिशत से 22 प्रतिशत हो गया।

10. बिहार में कुल मिलाकर 11,107 स्वास्थ्य केंद्र हैं। प्रति लाख आबादी पर राज्य में 13 स्वास्थ्य केंद्र हैं। जिला स्तर पर उनके आच्छादन में काफी अंतर है। प्रति लाख आबादी पर जहां खगड़िया 153 और गोपालगंज में 89 स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहीं नवादा में यह आंकड़ा मात्र 8 है। गोपालगंज और खगड़िया के अलावा किसी भी जिले में प्रति लाख आबादी पर 19 से अधिक केंद्र नहीं हैं। 28 जिलों में न्यूनतम 1 रेफरल अस्पताल है, लेकिन शेष 10 जिलों में तो एक भी नहीं है। राज्य में रेफरल अस्पतालों की कुल संख्या 70 है।

11. राज्य में चिकित्सकों के 4,643 नियमित और 2,369 संविदा आधारित पद स्वीकृत हैं। अभी 58.4 प्रतिशत नियमित और 58.8 प्रतिशत संविदा आधारित पद भरे हुए हैं। राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर 5 चिकित्सक पदस्थापित और कार्यरत हैं। चिकित्सकों की उपलब्धता के मामले में जिलों के बीच अंतर मौजूद है। जहां प्रति लाख जनसंख्या पर खगड़िया में 49 और गोपालगंज में 38 चिकित्सक उपलब्ध हैं, वहीं अरवल में केवल एक। प्रति लाख जनसंख्या पर ए श्रेणी की कुल 2 नर्सें पदस्थापित और कार्यरत हैं। ऐसी नर्सों से 57.1 प्रतिशत नियमित और 26.4 प्रतिशत संविदा आधारित पद भरे गए हैं। ए.एन.एम. की उपलब्धता के मामले में भी यही पैटर्न दुहराया गया है। राज्य में प्रति लाख आबादी पर 16 ए.एन.एम. कार्यरत हैं।

12. बिहार में ग्रामीण गरीबी का स्तर 1983-84 में 64.4 प्रतिशत था जो 2004-05 में घटकर 45.7 प्रतिशत रह गया। तथापि, 2004-05 का गरीबी अनुपात भी राष्ट्रीय औसत के समकक्ष आंकड़ों - ग्रामीण (28.3 प्रतिशत) और शहरी (25.7 प्रतिशत) - के मुकाबले काफी अधिक है।

13. स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ) समुदायों में स्वयं सहायता समूहों तथा व्यक्तिगत स्वरोजगार कार्यक्रमों के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की एक योजना है। इसके तहत 2007-08 में 14,036 स्वयं सहायता समूह बनाए गए जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 8,324 था। वर्ष 2007-08 में स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत आर्थिक गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूहों के कुल 85,355 स्वरोजगारी सदस्यों को और 18,205 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को सहायता दी गई। इसी प्रकार नरेगा एक मांग आधारित गारंटीशुदा रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत किसी आवेदक को 100 दिनों के रोजगार का हक दिया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 2007-08 में 81,24,997 परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए थे। वर्ष 2007-08 में कुल 1.3 प्रतिशत (49,945) परिवारों को ही 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। गरीबी रेखा से नीचे स्थित लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना शक्य आवासन (अफोर्डेबल हाउसिंग) के लिहाज से एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है।

14. आवश्यक वस्तुओं के लिए जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) राज्य में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के उपयों का महत्वपूर्ण भाग है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे स्थित परिवारों को बहुत नाम मात्र की कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं; वहीं अन्नपूर्णा योजना के तहत गृहविहीन वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

15. महादलित विकास मिशन के जरिए दलितों में भी अत्यंत अभिवंचित महादलितों के लाभ के लिए नई पहलकदमियां ली गई हैं। इसी प्रकार, अपनी आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण के जरिए स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए महिलाओं के संवेदनीकरण, सशक्तीकरण एवं सहायता के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य के पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के समग्र विकास के लिए भी कल्याण के आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

बैंकिंग एवं संबद्ध क्षेत्र

1. राज्य में तीन प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं : (1) अनसूचित व्यावसायिक बैंक (एससीबी), (2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंक जिनकी कमशः 3,769, 1,465 और 293 शाखाएं हैं।

2. जहां बिहार में 2007-08 में गत वर्ष की अपेक्षा कुल जमा में 11,681 करोड़ रु. की अच्छी-खासी वृद्धि हुई है, वहीं ऋण में मात्र 3,712 करोड़ रु. का ही विस्तार हुआ है। लेकिन अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ऋणों में बिहार का हिस्सा पिछले वर्षों के 0.9 प्रतिशत पर बरकरार है। प्रति व्यक्ति जमा और ऋण, दोनों मामलों में बिहार का स्थान देश के प्रमुख राज्यों के बीच सबसे नीचे है। जहां बिहार के प्रति व्यक्ति जमा में 2007-08 के दौरान काफी वृद्धि हुई है, वहीं प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि सराहनीय नहीं रही है।

3. अभी बिहार का ऋण-जमा अनुपात 32.35 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 72.4 प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है। महाराष्ट्र (102.2 प्रतिशत), राजस्थान (82 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (62.4 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (61.4 प्रतिशत) जैसे राज्यों से भी यह काफी कम है। निरपेक्ष रूप में इसका अर्थ यह हुआ कि अगर राज्य का ऋण-जमा अनुपात लगभग 32 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़कर लगभग 72 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत तक पहुंच जाय, तो राज्य में लगभग 27,000 करोड़ रु. निवेश बढ़ जाएगा जो राज्य के वर्तमान योजना परिव्यय से भी अधिक है। यह आर्थिक गतिविधियों को बहुप्रतीक्षित आवेग प्रदान करेगा। राज्य में निम्न ऋण-जमा अनुपात के लिए अनेक कारक जवाबदेह हैं, जैसे कमजोर ऋण अवशोषण क्षमता और कमजोर बुनियादी अधिसंरचना के अलावा अनिष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) वाले खातों की बड़ी संख्या।

4. अगुआ (लीड) बैंकों में यूको बैंक का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक - लगभग 38.78 प्रतिशत - है जो पिछले साल के 41.21 प्रतिशत से कम है। अन्य बैंकों में सिंडिकेट बैंक का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक - 53.80 प्रतिशत है। कुछ बैंकों के लिए ऋण-जमा अनुपात बहुत ही कम थे, जैसे कि कॉर्पोरेशन बैंक (6.95 प्रतिशत) या इंडियन ओवरसीज बैंक (12.5 प्रतिशत)।

5. 2007-08 में जिलों के ऋण-जमा अनुपात में काफी अंतर है जो सीवान में 20.66 प्रतिशत है तो उसके पड़ोसी जिले पश्चिम चंपारण में 48.99 प्रतिशत और कटिहार में 55.59 प्रतिशत। भोजपुर, लखीसराय, मुंगेर, सारण और सीवान में यह 25 प्रतिशत के नीचे है और अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया तथा पश्चिम

चंपारण में 50 प्रतिशत के ऊपर। हालांकि अनेक जिलों में ऋण-जमा अनुपातों का ऊंचा होना पूर्व में दिए गए ऋणों पर संचित ब्याज से संबंधित है।

6. आर्थिक गतिविधियों में बैंकों की वास्तविक संलग्नता अकेले ऋण-जमा अनुपात से नहीं, निवेश सह ऋण-जमा अनुपात से प्रतिबिंबित होती है। मार्च 2007 में बिहार का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात 57.9 प्रतिशत था जबकि ऋण-जमा अनुपात 32.35 प्रतिशत। तथापि, बिहार का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात भी राज्स्थान (104.5 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (74.4 प्रतिशत) और उड़ीसा (82.4 प्रतिशत) के साथ-साथ राष्ट्रीय औसत 79.8 प्रतिशत से भी काफी कम है।

7. बिहार में बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के तहत राज्य में कुल ऋणप्रवाह 23 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 2006-07 के 8,738 करोड़ रु. से बढ़कर 2007-08 में 10,763 करोड़ रु. हो गया। 2006-07 में कुल अग्रिमों में प्राथमिकता-प्राप्त प्रक्षेत्रों (प्रायरिटी सेक्टर) के अग्रिम का हिस्सा 62 प्रतिशत था। राज्य में अकेले कृषि प्रक्षेत्र का प्राथमिकता-प्राप्त प्रक्षेत्र के कुल ऋण में लगभग आधा और कुल ऋण में एक-तिहाई से अधिक हिस्सा था। लघु उद्योगों को बहुत कम अग्रिम उपलब्ध कराया गया था।

8. जहां किसान केडिट कार्ड के मामले में व्यावसायिक बैंकों के लिए उपलब्धि के आंकड़े संपूर्ण अवधि में निरंतर उच्च स्तर पर थे, वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने बाद के दौर में अच्छा प्रदर्शन किया। तथापि, सहकारी बैंकों के लिए इस काम में तेजी लाना अभी भी बाकी है। कुल मिलाकर, राज्य में संपूर्ण अवधि में उपलब्धि लक्ष्य के महज 45.07 प्रतिशत के आसपास रही है।

9. दिसंबर 2007 तक नाबार्ड ने आरआइडीएफ के अंतर्गत राज्य में 9,372 परियोजनाएं स्वकृत की थीं जिनमें से 7,951 लघु सिंचाई से संबंधित हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान बैंकों के पुनर्वित्तीयन के जरिए नाबार्ड द्वारा कुल 184 करोड़ रु. का ऋण वितरित किया गया है। मार्च 2008 तक बिहार में नाबार्ड द्वारा आरआइडीएफ के विभिन्न चरणों के अंतर्गत 2,309 करोड़ रु. की कुल स्वीकृत राशि में से मात्र 747 करोड़ रु. ही वितरित किए गए हैं जो स्वीकृत राशि का मात्र 31.19 प्रतिशत है। इस प्रकार स्वीकृत राशि और संवितरण के बीच काफी अंतर रह जाता है।

10. स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित एसएचजी-बैंक सहलग्नता (लिंकेज) कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्मवित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है। बिहार एसएचजी-बैंक सहलग्नता के मामले में क्रमिक रूप से अन्य राज्यों के समकक्ष पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 31 मार्च 2008 तक कुल मिलाकर 1,41,377 स्वयं सहायता समूहों की बैंकों के साथ ऋण-सहलग्नता कायम हो चुकी थी और इन स्वयं सहायता समूहों तक 296.12 करोड़ रु. का ऋणप्रवाह हो चुका था।

11. विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बीच प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाइ) और स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना राज्य में महत्वपूर्ण गरीबी-निवारण कार्यक्रम हैं। स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए 2006-07 में ऋण वसूली की दरें क्रमशः 31 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के आसपास ही हैं।

लोक वित्त

1. राज्य में 2004-05 में पहली बार राजस्व अधिशेष सृजित हुआ जिसका परिमाण 1,000 करोड़ रु. से भी अधिक था। यह अधिशेष लगातार बढ़ रहा है और 2005-06 के 82 करोड़ रु. से बढ़कर 2007-08 में 4,647 करोड़ रु. हो गया है। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में भी राज्य ने इसे लगभग उसी स्तर पर रखना अनुमानित किया है। यह विकास की गति बरकरार रखने के लिए आवश्यक व्यय में कटौती करके संभव नहीं बनाया गया है, राजस्व बढ़ाकर (खास कर 2005-06 से) और कुशल ऋण प्रबंधन करके हासिल किया गया है।

2. वर्ष 2005-06 से योजना और गैर-योजना व्ययों के बीच अंतराल में भी कमी हो रही है। मार्च 2008 में गैर-योजना व्यय योजना व्यय के दूने से कम था जो चार वर्ष पूर्व तीनगुना था। वर्ष 2005-06 सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) में कमी की शुरुआत का वर्ष भी था, जो 2005-06 के 3,700 करोड़ रु. से घटकर 2007-08 में 1,703 करोड़ रु. रह गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में यह 4.64 से घटकर 1.62 प्रतिशत रह गया है जो एफआरबीएम अधिनियम के लक्ष्य 3 प्रतिशत की बिल्कुल जद में है। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में भी सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.96 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा गया है जो एफआरबीएमए लक्ष्य की जद के बिल्कुल भीतर है।

3. व्यय प्रबंधन के मामले में जहां अर्थव्यवस्था में कुल ऋण स्टॉक बढ़ने नहीं दिया गया है, वहीं उधारियों में कमी करके ब्याज भुगतानों को भी लगभग पूर्व के स्तर पर ही कायम रखा गया है। यह 2003-04 में 5,653 करोड़ रु. था और 2007-08 में 1,612 करोड़ रु. है।

4. वर्ष 2007-08 के अंत में राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था पिछले किसी भी समय से अधिक मजबूत स्थिति में थी। तमाम प्रमुख सूचक राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार की ओर संकेत करते हैं। सुस्थिरता के पैरामीटर में काफी सुधार हुआ है, हालांकि कर संभावना काफी अदोहित है और कर प्रयासों में काफी सुधार की गुंजाइश है। कर राजस्व उत्फुल्ल (बायोएंट) थे, हालांकि गैर-कर राजस्वों ने राज्य की बढ़ती आय के प्रति कोई अनुक्रियाशीलता (रिस्पांसिवनेस) नहीं दर्शाई। अपनी व्यय संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार अभी भी बाहरी संसाधनों, खास कर केंद्रीय कोषों पर अत्यधिक निर्भर है।

5. बिहार का राजस्व घाटा प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था जिसकी परिणति 2006-07 से राजस्व लेखे में उत्तरोत्तर अधिक अधिशेष सृजन में हुई। मुख्यतः राजस्व लेखे में इस विशाल अधिशेष के कारण बिहार

के राजस्व और पूंजी के संयुक्त लेखे का बजट घाटा भी कम किया जा सका, जो 2007-08 के 1,724 करोड़ रु. के मुकाबले 2008-09 में मात्र 501 करोड़ रु. रह गया।

6. वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक राजस्व प्राप्तियों और व्यय में लगभग समान दर पर वृद्धि हुई। गत 4 वर्षों के दौरान प्राप्तियां व्यय से अधिक बढ़ गईं जिसकी परिणति राजस्व अधिशेष में हुई है। राज्य सरकार के अपने कर और गैर-कर राजस्व, दोनों मिलकर इसकी व्यय संबंधी आवश्यकताओं का मात्र 20 प्रतिशत पूरा कर पाते हैं और शेष को केंद्र सरकार के करों में अपने हिस्से तथा उसके अनुदान से पूरा करना होता है। वर्ष 2003 से 2009 के दौरान राज्य सरकार का कर राजस्व लगभग तीनगुना बढ़कर 12,456 करोड़ रु. से 33,551 करोड़ रु. हो गया। लेकिन राज्य सरकार का अपना कर और गैर-कर राजस्व वहुत धीमी गति से बढ़ा है और इस दौरान 3,239 करोड़ रु. से लगभग 75 प्रतिशत बढ़कर महज 5,678 करोड़ रु. तक पहुंचा है।

7. विवेच्य वर्षों के दौरान कुल व्यय में विकास व्यय का हिस्सा 60 से 70 प्रतिशत के बीच रहा है। निरपेक्ष रूप में, इन वर्षों के दौरान यह लगभग दूना हो गया और 2004-05 में आई थोड़ी गिरावट को छोड़ दें, तो वृद्धि दर बहुत ऊंची रही है। दूसरी ओर, गैर-विकास व्यय धीमी गति से बढ़ा है। वर्ष 2005-06 तक योजना व्यय कुल व्यय का लगभग 20 प्रतिशत हुआ करता था जिसके बाद से बढ़ते हुए 2008-09 में यह लगभग 40 प्रतिशत हो गया है। लगभग आधा गैर-योजना व्यय गैर-विकास प्रकृति का है और लगभग एक-चौथाई तो बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान और पेंशन तथा ग्रेच्यूटी के लेखे के भुगतान का है।

8. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में राज्य सरकार की बकाया देनदारी 2003-04 से 2008-09 के बीच 51 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत रह गई है और यह ऋण की ऋणभार धारण क्षमता अभिव्यक्त करती है। राज्य सरकार का कुल लोक ऋण 2007-08 के अंत में 35,045 करोड़ रु. था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 33 प्रतिशत होता है। यह बड़ा आंकड़ा विगत उधारियों का संचित प्रभाव (एक्युमुलेटेड अफेक्ट) है जो 2003-04 से लगभग 5.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रही हैं। इस विशाल ऋण का बड़ा हिस्सा (लगभग 60 प्रतिशत) राज्य सरकार द्वारा बाजार से उठाए गए आंतरिक ऋणों का है और 16 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार के ऋणों का।

9. वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों का लगभग 80 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार से सहायता अनुदानों और विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से के जरिए आया। जहां अपना कर राजस्व 2003-04 के 2,919 करोड़ रु. से 80 प्रतिशत बढ़कर 2008-09 में 5,256 करोड रु. हो गया है, वहीं गैर-कर राजस्व इस अवधि में 32 प्रतिशत ही बढ़ा है और 320 करोड़ रु. से 422 करोड़ रु. तक पहुंचा है।

10. बिक्री कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क, राज्य उत्पाद कर, विद्युत कर एवं शुल्क तथा वाहन कर इसके प्रमुख कर स्रोत हैं। ये पांचों कर मिलकर राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियों (2008-09 में) का 98 प्रतिशत

हो गया। इनमें भी कुल कर प्राप्तियों का 56 प्रतिशत योगदान अकेले बिक्री कर का है। इसके बाद स्टांप एवं निबंधन शुल्क (16 प्रतिशत) का स्थान है। ये कर काफी उत्फुल्ल (बायोएंट) हैं और आय के स्तर में सामान्य वृद्धि से, जिसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, इनकी प्राप्ति में स्वतः वृद्धि हो जाती है। राज्य सरकार के गैर-कर राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व खानों एवं खनिजों की रॉयल्टी है। दूसरा मजत्वपूर्ण स्रोत ब्याज प्राप्तियां है। कुल गैर-कर प्राप्तियों में इन दोनों का संयुक्त योगदान ब्याज प्राप्तियों में काफी गिरावट के कारण 2008-09 में 46 प्रतिशत था जबकि उसके पिछले साल 66 प्रतिशत से भी अधिक था। वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार के कुल कर राजस्व के मुकाबले बिक्री कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, वाहन कर, तथा राज्य उत्पाद कर काफी अधिक उत्फुल्ल थे।

11. 2007-08 से राज्य सरकार की व्यय संरचना में बदलाव आया है। वर्ष 2007-08 के पूर्व राज्य के दैनिक प्रशासन पर अधिकांशतः खर्च होने वाले सार्वजनिक सेवा के व्यय का संचित निधि के व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा होता था। उसके बाद ही सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं का स्थान आता था। लेकिन 2007-08 से सामान्य सेवाओं की प्रधानता बरकरार नहीं रही। अब सामाजिक सेवाओं का हिस्सा सबसे अधिक है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास को दिए गए महत्व के लिहाज से राज्य सरकार की प्राथमिकता में बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। आय और रोजगार सृजन की क्षमता वाले पूंजीगत परिव्यय को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है और राज्य सरकार के कुल व्यय में इसका एक-चौथाई हिस्सा है।

12. 75 प्रतिशत हिस्से के साथ राजस्व व्यय कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है। बिहार का कुल व्यय उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 34 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय उसके 19 प्रतिशत के बराबर है। उत्फुल्लता अनुपातों से देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले तो काफी तेजी से बढ़ रहा है लेकिन राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले नहीं। अकेले राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन ही राज्य सरकार के राजस्व व्यय के एक-चौथाई से अधिक (28 प्रतिशत) हो जाता है।

13. इन पांच वर्षों के दौरान बिहार में व्यय की गुणवत्ता में इस दौरान काफी सुधार हुआ है। पूंजीगत परिव्यय महज 7 प्रतिशत से बढ़कर कुल व्यय का लगभग पांचवा भाग हो गया है, वहीं राजस्व व्यय व्यवहारतः कुल व्यय के 75 प्रतिशत के स्तर पर ही स्थिर रहा है। व्यय के शेष घटकों का उपयोग लोक ऋण की अदायगी तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों के लिए किया गया है। विकासमूलक राजस्व व्यय का वेतन घटक इस अवधि में 54 प्रतिशत से गिरकर मात्र 23 प्रतिशत रह गया है जबकि गैर-वेतन घटक 46 प्रतिशत से बढ़कर कुल विकासमूलक राजस्व व्यय के 77 प्रतिशत पर पहुंच गया है। कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा भी 23 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है।

14. प्रति व्यक्ति पूंजीगत परिव्यय 2005-06 से लगातार बढ़ता गया है और अभी 770 रु. है जबकि प्रति व्यक्ति व्यय सामाजिक सेवाओं पर 1,374 रु. और आर्थिक सेवाओं पर 1,193 रु. है। तथापि, चिकित्सा एवं लोक

स्वास्थ्य तथा पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर प्रति व्यक्ति व्यय के निम्न स्तर चिंता के विषय हैं। प्रति व्यक्ति व्यय सामान्य शिक्षा (अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा) पर 2004-05 से बढ़ा है और 2008-09 के अंत में 726 रु. है। यह चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के मामले में महज 143 रु. और जलापूर्ति एवं स्वच्छता के मामले में तो मात्र 97 रु. ही है।

15. वर्ष 2007-08 में शिक्षा पर हुए राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय का 67 प्रतिशत भाग प्राथमिक शिक्षा पर, 17 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा पर और 14 प्रतिशत विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा पर किया गया था। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में पिछले साल के 46 प्रतिशत के मुकाबले कुल व्यय का 50 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया गया। उसके बाद 30 प्रतिशत खर्च शहरी क्षेत्रों में और 10 प्रतिशत चिकित्सीय प्रशिक्षण पर किया गया। शेष 6 प्रतिशत खर्च ही लोक स्वास्थ्य पर किया गया।

अध्याय 1

वृहदावलोकन

बिहार की अर्थव्यवस्था अब विकास के पथ पर अग्रसर है जो सुनिश्चित करेगा कि राज्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) में अपने लक्ष्य हासिल कर लेगा। अनिवार्यत:, इन लक्ष्यों में त्वरित विकास शामिल है जो समावेशी भी है, जिसका आशय हुआ सामाजिक प्रक्षेत्र में विकास का ऊंचा स्तर और सामाजिक सेवा प्रदान में सुधार। वर्ष 2008-09 में बिहार की जनसंख्या 9.9 करोड़ पहुंच जाने का अनुमान है जिसका अर्थ होता है 951 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. जनसंख्या घनत्व। लेकिन सौभाग्य वश जमीन पर भारी जनसांख्यिक दबाव के बावजूद अपने विकास लक्ष्यों के अनुसरण के लिए वर्तमान बिहार के पास उपजाऊ जमीन और पर्याप्त जल के रूप में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन मौजूद है।

बिहार में विकास की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। लेकिन राज्य को इस साल अप्रत्याशित बाढ़ के रूप में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है जो उत्तर-पूर्वी अंचल की बड़ी आबादी के लिए विनाशकारी साबित हुई है। इस बाढ़ में लगभग 50 लाख लोग असहाय हो गए और लगभग तमाम लोगों के मकान और अन्य परिसंपत्तियां बर्बाद हो गईं। अकेले बचाव कार्य में राज्य सरकार को विशाल धनराशि खर्च करनी पड़ी। हालांकि अधिसंरचना और सामाजिक प्रक्षेत्र में उच्च स्तर के व्यय के जरिए अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के अपने प्रयास जारी रखने के मामले में राज्य सरकार इससे डरी नहीं है।

आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और निकट अतीत में विभिन्न प्रक्षेत्रों में किए गए विकास का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वृहदावलोकन के अलावा सर्वेक्षण छ: अध्यायों में विभाजित है - कृषि, उद्योग एवं संबद्ध प्रक्षेत्र, भौतिक अधिसंरचना, सामाजिक प्रक्षेत्र और अंत में लोक वित्त।

1.1 राज्य घरेलू उत्पाद

राष्ट्रीय पैटर्न का अनुसरण करते हुए बिहार का राज्य घ्ररेलू उत्पाद (स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) का वर्तमान और स्थिर (1999-2000), दोनों मूल्यों के आधार पर आकलन किया गया है। ये आकलन सकल (ग्रॉस) राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और निवल (नेट) राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी), दोनों के लिए अलग-अलग तैयार किए गए हैं। तालिका 1.1 और 1.2 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमश: वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य पर अनुमान प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार, तालिका 1.3 और 1.4 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमश: वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य पर अनुमान प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.1 : उपादान लागत (फैक्टर कॉस्ट) पर वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

(करोड़ रु.)

प्रक्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (त्वरित)	2008-09 (अग्रिम)	वृद्धि दर
1. कृषि/ पशुपालन	15202.45	19732.38	17666.38	21144.54	19040.88	19717.33	19575.16	24597.99	23470.31	22231.34	4.31
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	910.61	1007.82	1083.73	1151.37	1243.03	1351.46	1465.93	1589.17	1722.20	1837.31	8.11
3. मस्त्य ग्रहण	696.66	825.32	1031.79	1126.67	1189.94	1135.66	1167.44	1323.42	1448.68	1388.95	7.97
4. खनन/ प्रस्तर खनन	94.44	109.08	165.69	51.27	44.95	40.25	95.29	81.34	81.22	61.76	-4.61
उप-योग (प्राथमिक)	**16904.16**	**21674.60**	**19947.59**	**23473.85**	**21518.80**	**22244.70**	**22303.82**	**27591.92**	**26722.41**	25441.32	**4.65**
5. विनिर्माण	3614.00	3470.43	3237.16	3686.05	3719.63	4290.94	4879.59	5425.99	5970.15	6910.25	7.47
5.1 निर्बंधित	1150.65	871.15	749.08	1025.59	738.33	1119.07	1334.01	1591.05	1892.59	2450.19	8.76
5.2 अनिबंधित	2463.35	2599.28	2488.08	2660.46	2981.30	3171.87	3545.58	3834.94	4077.56	4533.76	7.01
6. निर्माण	1929.19	1941.37	2235.18	2688.81	2775.68	3433.37	5973.34	7721.36	8130.28	11858.30	22.36
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	718.52	1008.37	727.18	740.17	906.59	1082.21	1163.88	1159.09	1299.17	1330.53	7.09
उप-योग (द्वितीयक)	**6261.71**	**6420.17**	**6199.52**	**7115.03**	**7401.90**	**8806.52**	**12016.81**	**14306.44**	**15399.60**	19404.37	**13.39**
8. परिवहन/ भंडारण/ संचार	3723.96	3904.94	3898.86	4190.78	3969.28	4338.87	4868.60	5411.68	5555.32	5891.18	5.23
8.1 रेलवे	1563.75	1711.05	1716.13	1822.88	1413.74	1558.15	1756.15	2053.14	2053.14	1965.71	2.57
8.2 अन्य परिवहन/ भंडारण	1392.61	1472.07	1496.17	1621.67	1720.17	1863.77	2032.27	2228.68	2372.32	2586.15	7.12
8.3 संचार	767.60	721.82	686.56	746.23	835.37	916.95	1080.18	1129.86	1129.86	1399.27	6.90
9. व्यापार/ होटल/ रेस्टूरेंट	7540.85	8614.05	9582.62	11936.37	12761.66	16045.27	16844.34	22923.76	27612.78	31599.60	17.26
उप-योग (8 व 9)	**11264.81**	**12518.99**	**13481.48**	**16127.15**	**16730.94**	**20384.14**	**21712.94**	**28335.44**	**33168.10**	37163.68	**14.18**
10. बैंक/ बीमा	1819.14	2056.00	2735.69	2723.18	2889.89	2908.21	2938.59	3567.48	3567.48	3603.05	7.89
11. आरईओडीबी	2097.09	2358.44	2583.31	2900.14	3401.22	3737.55	4251.33	4831.28	5514.18	6238.96	12.88
उप-योग (10 व 11)	**3916.23**	**4414.44**	**5319.00**	**5623.32**	**6291.11**	**6645.76**	**7189.92**	**8398.76**	**9081.66**	9725.24	**10.63**
12. सार्वजनिक प्रशासन	3793.61	4113.73	4540.48	4084.96	4903.03	5367.87	5542.50	6895.30	7187.76	7767.72	8.29
13. अन्य सेवाएं	8059.41	8127.83	8200.03	8576.07	9408.29	9771.83	11390.53	13428.91	13588.82	15555.42	7.58
उप-योग (तृतीयक)	**27034.06**	**29174.99**	**31540.99**	**34411.50**	**37333.37**	**42169.60**	**45835.89**	**57058.41**	**63026.34**	**70066.48**	**11.16**
कुल जीएसडीपी	**50199.93**	**57269.76**	**57688.10**	**65000.38**	**66254.07**	**73220.82**	**80156.52**	**98956.77**	**105148.35**	**112424.35**	**9.37**
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (रु.)	**6304.00**	**6995.00**	**6836.00**	**7596.00**	**7604.00**	**8258.00**	**8890.00**	**10799.00**	**11298.00**	**11917.60**	**7.33**

टिप्पणी : आरईडीओबी = स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं व्यापार

तालिका 1.2 : उपादान लागत पर स्थिर मूल्य (1999-00) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

(करोड़ रु.)

प्रक्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (त्वरित)	2008-09 (अग्रिम)	वृद्धि दर
1. कृषि/ पशुपालन	15202.45	20861.35	16287.60	20666.04	16899.48	19417.48	16983.80	21729.49	19083.25	17804.05	1.77
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	910.61	962.94	987.71	1023.17	1066.04	1116.76	1166.02	1216.03	1267.56	1313.54	4.15
3. मस्त्य ग्रहण	696.66	769.24	984.79	1069.27	1091.47	1095.34	1144.70	1069.06	1148.74	1145.09	5.68
4. खनन/ प्रस्तर खनन	94.44	133.42	242.54	67.95	55.70	43.82	74.76	64.19	64.00	35.39	-10.33
उप-योग (प्राथमिक)	**16904.16**	**22726.95**	**18502.64**	**22826.43**	**19112.69**	**21673.40**	**19369.28**	**24078.77**	**21563.55**	**20198.02**	**2.00**
5. विनिर्माण	3614.00	3389.89	3143.56	3386.16	3317.22	3526.58	3789.47	4002.46	4183.01	4524.25	2.53
5.1 निबंधित	1150.65	785.84	677.24	841.63	621.81	790.40	871.55	963.61	1061.33	1283.86	1.22
5.2 अनिबंधित	2463.35	2604.05	2466.32	2544.53	2695.41	2736.18	2917.92	3038.85	3121.68	3236.37	3.08
6. निर्माण	1929.19	1952.50	2159.39	2574.73	2517.52	3103.99	5698.33	7419.19	7750.18	11148.97	21.52
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	718.52	778.00	602.14	615.71	631.70	654.44	727.82	771.98	821.52	828.90	1.60
उप-योग (द्वितीयक)	**6261.71**	**6120.39**	**5905.09**	**6576.60**	**6466.44**	**7285.01**	**10215.62**	**12193.63**	**12754.71**	**15662.63**	**10.72**
8. परिवहन/ भंडारण/ संचार	3723.96	4053.84	4050.59	4357.25	4070.67	4390.91	4890.87	5396.72	5425.28	5623.87	4.69
8.1 रेलवे	1563.75	1755.17	1802.44	1836.62	1383.12	1485.20	1613.19	1758.55	1758.55	1573.43	0.07
8.2 अन्य परिवहन/ भंडारण	1392.61	1503.87	1497.88	1575.46	1582.05	1655.99	1674.54	1778.25	1806.81	1828.96	3.07
8.3 संचार	767.60	794.80	750.27	945.17	1105.50	1249.72	1603.14	1859.92	1859.92	2506.27	14.05
9. व्यापार/ होटल/ रेस्टूरेंट	7540.85	8700.94	9529.99	11357.42	11419.66	13880.69	13571.04	17413.14	19600.68	20943.37	12.02
उप-योग (8 व 9)	**11264.81**	**12754.78**	**13580.58**	**15714.67**	**15490.33**	**18271.60**	**18461.91**	**22809.86**	**25025.96**	**26494.43**	**9.97**
10. बैंक/ बीमा	1819.14	2014.32	2473.59	2366.69	2295.32	2424.91	2602.62	3199.76	3199.76	3203.83	6.49
11. आरईओडीबी	2097.09	2209.78	2304.39	2399.66	2508.55	2637.63	2782.37	2947.23	3128.82	3257.40	5.01
उप-योग (10 व 11)	**3916.23**	**4224.10**	**4777.98**	**4766.35**	**4803.87**	**5062.54**	**5384.99**	**6146.99**	**6328.58**	**6467.83**	**5.73**
12. सार्वजनिक प्रशासन	3793.61	4129.39	4461.52	3846.02	4362.53	4587.63	4431.99	5210.40	5091.62	5149.91	3.45
13. अन्य सेवाएं	8059.41	8295.06	8267.58	8328.77	8663.59	8683.54	9530.42	10613.98	10229.45	10910.55	3.42
उप-योग (तृतीयक)	**27034.06**	**29403.33**	**31087.66**	**32655.81**	**33320.32**	**36605.31**	**37809.31**	**44781.23**	**46675.61**	**48907.34**	**6.81**
कुल जीएसडीपी	**50199.93**	**58250.67**	**55495.39**	**62058.84**	**58899.45**	**65563.72**	**67394.21**	**81053.63**	**80993.87**	**82947.52**	**5.74**
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (रु.)	**6304**	**7115**	**6576**	**7253**	**6760**	**7395**	**7475**	**8846**	**8703**	**8794**	**3.77**

टिप्पणी : आरईडीओबी = स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं व्यापार

तालिका 1.3 : उपादान लागत पर वर्तमान मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी)

(करोड़ रु.)

प्रक्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (त्वरित)	2008-09 (अग्रिम)	वृद्धि दर
1. कृषि/ पशुपालन	14322.92	18735.97	16522.50	19896.05	17671.26	18152.64	17815.67	22387.03	21360.71	19898.49	3.72
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	878.63	973.49	1046.70	1110.02	1197.71	1301.05	1412.69	1531.45	1659.65	1768.04	8.08
3. मस्त्य ग्रहण	628.22	737.17	901.99	974.99	1012.88	938.27	972.36	1102.28	1206.60	1132.65	6.77
4. खनन/ प्रस्तर खनन	74.84	87.34	131.73	42.86	37.13	33.91	80.33	68.57	68.47	52.96	-3.77
उप-योग (प्राथमिक)	**15904.61**	**20533.97**	**18602.92**	**22023.92**	**19918.98**	**20425.87**	**20281.05**	**25089.33**	**24295.43**	**22773.35**	**4.07**
5. विनिर्माण	3153.14	2947.19	2656.42	3050.22	2990.49	3401.11	3817.97	4242.86	4664.89	5325.61	6.00
5.1 निबंधित	999.95	699.87	557.30	818.83	510.24	853.07	1020.05	1216.60	1447.17	1931.03	7.59
5.2 अनिबंधित	2153.19	2247.32	2099.12	2231.39	2480.25	2548.04	2797.92	3026.26	3217.72	3483.41	5.49
6. निर्माण	1890.26	1885.96	2168.36	2620.57	2688.64	3321.66	5805.86	7504.87	7902.32	11559.54	22.29
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	407.87	568.93	322.32	384.11	469.86	566.47	574.15	571.79	640.89	675.75	5.77
उप-योग (द्वितीयक)	**5451.27**	**5402.08**	**5147.10**	**6054.90**	**6148.99**	**7289.24**	**10197.98**	**12319.52**	**13208.10**	**16958.59**	**13.44**
8. परिवहन/ भंडारण/ संचार	3039.31	3238.80	3227.67	3438.83	3182.78	3390.48	3828.89	4296.73	4419.61	4538.50	4.56
8.1 रेलवे	1207.04	1350.45	1360.33	1446.00	1021.54	1073.40	1241.10	1501.86	1501.86	1342.99	1.19
8.2 अन्य परिवहन/ भंडारण	1239.77	1314.51	1319.51	1415.26	1499.04	1593.40	1738.51	1906.53	2029.41	2178.10	6.46
8.3 संचार	592.50	573.84	547.83	577.57	662.20	723.68	849.28	888.34	888.34	1085.03	6.95
9. व्यापार/ होटल/ रेस्टूरेंट	7427.58	8483.11	9454.98	11803.75	12611.02	15876.34	16654.80	22665.81	27302.07	31274.96	17.32
उप-योग (8 व 9)	**10466.89**	**11721.91**	**12682.65**	**15242.58**	**15793.80**	**19266.82**	**20483.69**	**26962.54**	**31721.68**	**35420.61**	**14.51**
10. बैंक/ बीमा	1766.89	1988.58	2649.98	2645.45	2807.97	2821.03	2848.04	3467.52	3467.52	3508.62	7.92
11. आरईओडीबी	1357.97	1492.92	1495.86	1632.55	1919.79	1921.75	2138.35	2430.06	2773.54	2960.53	9.05
उप-योग (10 व 11)	**3124.86**	**3481.50**	**4145.84**	**4278.00**	**4727.76**	**4742.78**	**4986.39**	**5897.58**	**6241.06**	**6439.71**	**8.37**
12. सार्वजनिक प्रशासन	3228.44	3445.69	3776.69	3385.62	4047.84	4453.00	4572.29	5688.28	5929.55	6428.89	7.95
13. अन्य सेवाएं	7920.88	7961.63	7999.17	8351.55	9142.56	9430.20	10975.88	12940.06	13094.15	14921.33	7.29
उप-योग (तृतीयक)	**24741.07**	**26610.73**	**28604.35**	**31257.75**	**33711.96**	**37892.80**	**41018.25**	**51488.46**	**56986.44**	**62998.12**	**10.94**
कुल जीएसडीपी	**46096.95**	**52546.78**	**52354.37**	**59336.57**	**59779.93**	**65607.91**	**71497.28**	**88897.31**	**94489.97**	**100138.36**	**9.00**
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (रु.)	**5789.00**	**6418.00**	**6204.00**	**6934.00**	**6861.00**	**7400.00**	**7930.00**	**9702.00**	**10153.00**	**10616.30**	**6.97**

टिप्पणी : आरईडीओबी = स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं व्यापार

तालिका 1.4 : उपादान लागत पर स्थिर मूल्य (1999-00) पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी)

(करोड़ रु.)

प्रक्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (त्वरित)	2008-09 (अग्रिम)	वृद्धि दर
1. कृषि/ पशुपालन	14322.92	19882.95	15220.43	19537.87	15702.42	18157.17	15646.30	20018.26	17580.41	16202.30	1.38
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	878.63	929.03	952.81	985.33	1025.78	1075.44	1124.47	1172.70	1222.39	1266.64	4.15
3. मस्त्य ग्रहण	628.22	684.57	867.33	932.04	935.73	932.75	987.02	921.80	990.50	981.29	5.08
4. खनन/ प्रस्तर खनन	74.84	112.34	211.45	60.48	48.96	38.77	63.53	54.55	54.39	29.12	-9.96
उप-योग (प्राथमिक)	**15904.61**	**21608.89**	**17252.02**	**21515.72**	**17712.89**	**20204.13**	**17821.32**	**22167.31**	**19847.69**	**18380.36**	**1.62**
5. विनिर्माण	3153.14	2890.62	2618.42	2823.16	2701.19	2835.30	3014.39	3179.68	3317.90	3542.17	1.30
5.1 निर्बंधित	999.95	623.34	503.59	657.03	423.78	574.02	628.78	695.20	765.70	937.30	-0.72
5.2 अनिबंधित	2153.19	2267.28	2114.83	2166.13	2277.41	2261.28	2385.61	2484.48	2552.20	2592.73	2.09
6. निर्माण	1890.26	1899.99	2098.71	2513.39	2441.78	3011.60	5566.27	7247.25	7570.57	10929.24	21.53
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	407.87	352.92	232.16	298.83	255.63	243.37	284.26	301.51	320.86	339.03	-2.03
उप-योग (द्वितीयक)	**5451.27**	**5143.53**	**4949.29**	**5635.38**	**5398.60**	**6090.27**	**8864.92**	**10728.44**	**11209.33**	**14093.45**	**11.13**
8. परिवहन/ भंडारण/ संचार	3039.31	3413.10	3424.02	3675.11	3410.52	3679.58	4151.77	4598.94	4623.37	4737.53	5.06
8.1 रेलवे	1207.04	1406.00	1464.50	1490.71	1068.71	1158.24	1286.33	1415.28	1415.28	1233.50	0.24
8.2 अन्य परिवहन/ भंडारण	1239.77	1354.59	1335.37	1387.28	1382.19	1424.22	1432.77	1521.51	1545.94	1529.14	2.36
8.3 संचार	592.50	652.51	624.15	797.12	959.62	1097.12	1432.67	1662.15	1662.15	2255.70	16.01
9. व्यापार/ होटल/ रेस्टूरेंट	7427.58	8576.88	9414.07	11238.29	11289.47	13745.02	13426.30	17227.42	19391.63	20729.03	12.08
उप-योग (8 व 9)	**10466.89**	**11989.98**	**12838.09**	**14913.40**	**14699.99**	**17424.60**	**17578.07**	**21826.36**	**24015.00**	**25372.84**	**10.34**
10. बैंक/ बीमा	1766.89	1950.31	2395.92	2297.35	2224.53	2354.58	2533.45	3126.84	3126.84	3141.04	6.60
11. आरईओडीबी	1357.97	1377.23	1333.40	1301.22	1276.17	1276.42	1285.54	1361.71	1445.61	1383.43	0.21
उप-योग (10 व 11)	**3124.86**	**3327.54**	**3729.32**	**3598.57**	**3500.70**	**3631.00**	**3818.99**	**4488.55**	**4572.45**	**4531.00**	**4.21**
12. सार्वजनिक प्रशासन	3228.44	3478.39	3754.17	3217.96	3618.02	3848.41	3689.12	4337.06	4238.19	4289.44	3.21
13. अन्य सेवाएं	7920.88	8136.00	8084.43	8128.06	8436.69	8414.79	9221.92	10270.41	9898.32	10514.43	3.20
उप-योग (तृतीयक)	**24741.07**	**26931.91**	**28406.01**	**29857.99**	**30255.40**	**33318.80**	**34308.10**	**40922.38**	**42723.96**	**44593.62**	**6.76**
कुल जीएसडीपी	**46096.95**	**53684.33**	**50607.32**	**57009.09**	**53366.89**	**59613.20**	**60994.34**	**73818.13**	**73780.98**	**75112.14**	**5.57**
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (रु.)	**5789.00**	**6557.00**	**5997.00**	**6662.00**	**6125.00**	**6724.00**	**6765.00**	**8056.00**	**7928.00**	**7963.05**	**3.61**

टिप्पणी : आरईडीओबी = स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं व्यापार

वर्ष 1999–2000 से 2008–09 की अवधि लेने पर स्थिर मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद की मध्यावधि विकास दर 5.57 प्रतिशत आकलित है। यह विकास दर राष्ट्रीय विकास दर – लगभग 6–7 प्रतिशत – के मुकाबले कम है। लेकिन निकट अतीत की अपेक्षा यह विकास दर में सुधार को सूचित करती है जब राज्य की अर्थव्यवस्था की विकास दर मुश्किल से 3–4 प्रतिशत रह पाती थी। लगभग 1.96 प्रतिशत वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर के साथ राज्य में निवल राज्य घरेलू उत्पाद 3.61 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। बिहार की तुलनात्मक स्थिति की जानकारी के लिए तालिका 1.5 में देखा जा सकता है कि 2005–06 में वर्तमान मूल्य पर पूरे देश का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 25,716 रु. था और बिहार का 7,875 रु., जो राष्ट्रीय औसत का महज 30.6 प्रतिशत है।

तालिका 1.5 : वर्तमान मूल्य पर पर प्रमुख भारतीय राज्यों का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(रुपए)

राज्य	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
आंध्र प्रदेश	15507	17243	18630	19568	22041	23729	26211
असम	12269	12797	13153	14600	15687	16825	18598
बिहार	**5766**	**6396**	**6197**	**6928**	**6913**	**7464**	**7875**
छत्तीसगढ़	11761	10985	12443	13145	16098	18068	20151
गुजरात	18864	18392	19823	22683	26922	29468	34157
हरियाणा	21966	24138	26077	28259	31509	35044	38832
हिमाचल प्रदेश	20806	22795	24608	26627	28333	31140	33805
झारखंड	12747	10294	10972	11865	12941	17493	19066
कर्नाटक	16758	17464	17776	19041	20515	24199	27291
केरल	19294	19917	21047	23207	25645	27864	30668
मध्य प्रदेश	12384	11862	12697	12303	14306	14534	15647
महाराष्ट्र	23340	22992	24450	26697	29770	32979	37081
उड़ीसा	10567	10452	11075	11788	14252	16306	17299
पंजाब	25615	27863	28949	29443	31192	32945	34929
राजस्थान	13477	12897	14165	13126	16704	16800	17863
तमिलनाडु	19378	20927	20924	21813	24106	27137	29958
उत्तर प्रदेश	9405	9541	9781	10435	11250	11941	13262
पश्चिम बंगाल	15826	16521	17826	18746	20806	22522	25223
भारत	15839	16648	17800	18899	20936	22946	25716

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, 2007–08, भारत सरकार

प्रमुख प्रक्षेत्रों में स्थिर मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कम से कम तीन प्रक्षेत्रों की मध्यावधि विकास दर संतोषजनक रही है – निर्माण (21.53 प्रतिशत), संचार (16.01 प्रतिशत) तथा व्यापार, होटल एवं रेस्टूरेंट (12.08 प्रतिशत)। स्पष्ट है कि मात्र 1.38 प्रतिशत विकास दर वाली कृषि सर्वाधिक पिछड़ने वाले क्षेत्रों में से एक लगती है। लेकिन ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2007–08 और 2008–09 की दो लगातार बाढ़ों ने दोनों साल कृषि आय में काफी कमी की है जिसकी परिणति इस प्रक्षेत्र में निवल राज्य घरेलू उत्पाद में कमी में हुई। ऐसी आपदा न होने पर कृषि विकास दर काफी अधिक रही होती। प्राथमिक प्रक्षेत्रों की निम्न विकास दर के कारण निवल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रक्षेत्रवार संरचना में गत वर्षों के दौरान धीमा किंतु नियमित बदलाव होता रहा है (तालिका 1.6)। वर्तमान दशक के आरंभ में निवल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रक्षेत्रवार संरचना इस प्रकार थी – प्राथमिक (35 प्रतिशत), द्वितीयक (11 प्रतिशत) तथा तृतीयक (54 प्रतिशत)। अभी परिवर्तित संरचना इस प्रकार है – कृषि (27 प्रतिशत), द्वितीयक (17 प्रतिशत) और तृतीयक (56 प्रतिशत)।

बिहार की सुविधावंचित अर्थव्यवथा अपनी अपेक्षा धीमे विकास दरों से ही नहीं, विकास दरों में साल दर साल काफी अंतर से भी पीड़ित होती है। कृषि इस अंतर का संभवत: सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है लेकिन अनेक अन्य प्रक्षेत्र भी इस ढांचागत कमजोरी से मुक्त नहीं हैं (तालिका 1.7)। गत दशक के दौरान विकास दरें प्राथमिक प्रक्षेत्र में (–)21.92 से 37.22 प्रतिशत, द्वितीयक प्रक्षेत्रों में (–)2.26 से 22.80 प्रतिशत और तृतीयक प्रक्षेत्रों में 2.03 से 18.44 प्रतिशत रही हैं। समग्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए वार्षिक विकास दर (–)4.73 से 11.31 प्रतिशत के बीच रही है।

राज्य की अर्थव्यवस्था के 2008–09 में प्रदर्शन की बात करें जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान (तालिका 1.2) से प्रकट होता है, तो देखा जा सकता है कि इस साल अनुमानित विकास दर औसत से कम है। यह मुख्यत: 2008 की अप्रत्याशित बाढ़ के कारण है जिसने कृषि प्रक्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। लेकिन अर्थव्यवस्था के दो उत्फुल्ल (बायोएंट) प्रक्षेत्रों का इस साल और भी अधिक दर से विकसित होना अनुमानित है – निर्माण 43.85 प्रतिशत और संचार 34.75 प्रतिशत। सशक्त नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण निर्बंधित विनिर्माण (मैनुफैक्चरिंग) प्रक्षेत्र का भी 2008–09 में 20.97 प्रतिशत की दर से विकसित होना अनुमानित है।

तालिका 1.6 : उपादान लागत पर स्थिर मूल्य (1999-00) पर जीएसडीपी की प्रक्षेत्रवार संरचना का प्रतिशत वितरण

प्रक्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (त्वरित)	2008-09 (अग्रिम)
1. कृषि/ पशुपालन	30.28	35.81	29.35	33.30	28.69	29.62	25.20	26.81	23.56	21.46
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	1.81	1.65	1.78	1.65	1.81	1.70	1.73	1.50	1.57	1.58
3. मत्स्य ग्रहण	1.39	1.32	1.77	1.72	1.85	1.67	1.70	1.32	1.42	1.38
4. खनन/ प्रस्तर खनन	0.19	0.23	0.44	0.11	0.09	0.07	0.11	0.08	0.08	0.04
उप-योग (प्राथमिक)	**33.67**	**39.02**	**33.34**	**36.78**	**32.45**	**33.06**	**28.74**	**29.71**	**26.62**	**24.35**
5. विनिर्माण	7.20	5.82	5.66	5.46	5.63	5.38	5.62	4.94	5.16	5.45
5.1 निबंधित	2.29	1.35	1.22	1.36	1.06	1.21	1.29	1.19	1.31	1.55
5.2 अनिबंधित	4.91	4.47	4.44	4.10	4.58	4.17	4.33	3.75	3.85	3.90
6. निर्माण	3.84	3.35	3.89	4.15	4.27	4.73	8.46	9.15	9.57	13.44
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	1.43	1.34	1.09	0.99	1.07	1.00	1.08	0.95	1.01	1.00
उप-योग (द्वितीयक)	**12.47**	**10.51**	**10.64**	**10.60**	**10.98**	**11.11**	**15.16**	**15.04**	**15.75**	**18.88**
8. परिवहन/ भंडारण/ संचार	7.42	6.96	7.30	7.02	6.91	6.70	7.26	6.66	6.70	6.78
8.1 रेलवे	3.12	3.01	3.25	2.96	2.35	2.27	2.39	2.17	2.17	1.90
8.2 अन्य परिवहन/ भंडारण	2.77	2.58	2.70	2.54	2.69	2.53	2.48	2.19	2.23	2.20
8.3 संचार	1.53	1.36	1.35	1.52	1.88	1.91	2.38	2.29	2.30	3.02
9. व्यापार/ होटल/ रेस्टूरेंट	15.02	14.94	17.17	18.30	19.39	21.17	20.14	21.48	24.20	25.25
उप-योग (8 व 9)	**22.44**	**21.90**	**24.47**	**25.32**	**26.30**	**27.87**	**27.39**	**28.14**	**30.90**	**31.94**
10. बैंक/ बीमा	3.62	3.46	4.46	3.81	3.90	3.70	3.86	3.95	3.95	3.86
11. आरईओडीबी	4.18	3.79	4.15	3.87	4.26	4.02	4.13	3.64	3.86	3.93
उप-योग (10 व 11)	**7.80**	**7.25**	**8.61**	**7.68**	**8.16**	**7.72**	**7.99**	**7.58**	**7.81**	**7.80**
12. सार्वजनिक प्रशासन	7.56	7.09	8.04	6.20	7.41	7.00	6.58	6.43	6.29	6.21
13. अन्य सेवाएं	16.05	14.24	14.90	13.42	14.71	13.24	14.14	13.10	12.63	13.15
उप-योग (तृतीयक)	**53.85**	**50.48**	**56.02**	**52.62**	**56.57**	**55.83**	**56.10**	**55.25**	**57.63**	**58.96**
कुल जीएसडीपी	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

टिप्पणी : आरईडीओबी = स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं व्यापार

तालिका 1.7 : स्थिर मूल्य (1999-00) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर

प्रक्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (त्वरित)	2008-09 (अग्रिम)
1. कृषि/ पशुपालन	37.22	-21.92	26.88	-18.23	14.90	-12.53	27.94	-12.18	-6.70
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	5.75	2.57	3.59	4.19	4.76	4.41	4.29	4.24	3.63
3. मस्त्य ग्रहण	10.42	28.02	8.58	2.08	0.35	4.51	-6.61	7.45	-0.32
4. खनन/ प्रस्तर खनन	41.27	81.79	-71.98	-18.03	-21.33	70.61	-14.14	-0.30	-44.70
उप-योग (प्राथमिक)	**34.45**	**-18.59**	**23.37**	**-16.27**	**13.40**	**-10.63**	**24.31**	-10.45	-6.33
5. विनिर्माण	-6.20	-7.27	7.72	-2.04	6.31	7.45	5.62	4.51	8.16
5.1 निबंधित	-31.70	-13.82	24.27	-26.12	27.11	10.27	10.56	10.14	20.97
5.2 अनिबंधित	5.71	-5.29	3.17	5.93	1.51	6.64	4.14	2.73	3.67
6. निर्माण	1.21	10.60	19.23	-2.22	23.30	83.58	30.20	4.46	43.85
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	8.28	-22.60	2.25	2.60	3.60	11.21	6.07	6.42	0.90
उप-योग (द्वितीयक)	**-2.26**	**-3.52**	**11.37**	**-1.68**	**12.66**	**40.23**	**19.36**	**4.60**	**22.80**
8. परिवहन/ भंडारण/ संचार	8.86	-0.08	7.57	-6.58	7.87	11.39	10.34	0.53	3.66
8.1 रेलवे	12.24	2.69	1.90	-24.69	7.38	8.62	9.01	0.00	-10.53
8.2 अन्य परिवहन/ भंडारण	7.99	-0.40	5.18	0.42	4.67	1.12	6.19	1.61	1.23
8.3 संचार	3.54	-5.60	25.98	16.96	13.05	28.28	16.02	0.00	34.75
9. व्यापार/ होटल/ रेस्टूरेंट	15.38	9.53	19.18	0.55	21.55	-2.23	28.31	12.56	6.85
उप-योग (8 व 9)	**13.23**	**6.47**	**15.71**	**-1.43**	**17.95**	**1.04**	**23.55**	**9.72**	**5.87**
10. बैंक/ बीमा	10.73	22.80	-4.32	-3.02	5.65	7.33	22.94	0.00	0.13
11. आरईओडीबी	5.37	4.28	4.13	4.54	5.15	5.49	5.93	6.16	4.11
उप-योग (10 व 11)	**7.86**	**13.11**	**-0.24**	**0.79**	**5.38**	**6.37**	**14.15**	**2.95**	**2.20**
12. सार्वजनिक प्रशासन	8.85	8.04	-13.80	13.43	5.16	-3.39	17.56	-2.28	1.14
13. अन्य सेवाएं	2.92	-0.33	0.74	4.02	0.23	9.75	11.37	-3.62	6.66
उप-योग (तृतीयक)	**8.76**	**5.73**	**5.04**	**2.03**	**9.86**	**3.29**	**18.44**	**4.23**	**4.78**
कुल जीएसडीपी	**16.04**	**-4.73**	**11.83**	**-5.09**	**11.31**	**2.79**	**20.27**	-0.07	2.41
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (रु.)	**12.86**	**-7.58**	**10.30**	**-6.80**	**9.39**	**1.08**	**18.34**	**-1.62**	**1.04**

टिप्पणी : आरईडीओबी = स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं व्यापार

1.2 आंचलिक विषमता

बिहार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य तो है ही, राज्य के अंदर उच्च आंचलिक विषमता से भी पीड़ित है। विषमता कितनी है, इसका जायजा लेने के लिए राज्य सरकार के सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय ने 2003-04 और 2004-05 में सकल जिला घरेलू उत्पाद (जीडीडीपी) का आकलन किया है। (तालिका 1.8)। दो वर्षों के सकल जिला घरेलू अनुपात का औसत लेकर तालिका 1.8 में राज्य के सभी 38 जिलों का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद भी प्रस्तुत किया गया है। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के मामले में 29,482 रु. के साथ पटना जिला शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर स्थित मुंगेर जिले का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 9,736 रु. है। सूची में नीचे के दो जिले सीतामढ़ी (4,392 रु.) और शिवहर (3,967 रु.) हैं। साफ कहें, तो प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़े दर्शाते हैं कि दक्षिण बिहार के जिले उत्तर बिहार के जिलों से अधिक उन्नतिशील हैं।

तालिका 1.8 : बिहार में सकल जिला घरेलू उत्पाद (जीडीडीपी) और प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद

प्रमंडल/ जिला	जीडीडीपी (1999-00 मूल्य) (करोड़ रु.)			प्रति व्यक्ति जीडीडीपी (रु.)	प्रमंडल/ जिला	जीडीडीपी (1999-00 मूल्य) (करोड़ रु.)			प्रति व्यक्ति जीडीडीपी (रु.)
	2003-04	2004-05	औसत			2003-04	2004-05	औसत	
पटना	13721	15924	14823	29842 (1)	बक्सर	793	795	794	5365 (21)
मुंगेर	1141	1198	1169	9763 (2)	किशनगंज	699	763	731	5355 (22)
बेगूसराय	1871	2342	2106	8525 (3)	समस्तीपुर	1757	2075	1916	5322 (23)
भागलपुर	2002	2129	2066	8059 (4)	अरवल	306	297	302	5301 (24)
मुजफ्फरपुर	2674	3031	2852	7225 (5)	मधेपुरा	804	886	845	5255 (25)
रोहतास	1780	1864	1822	7056 (6)	सारण	1716	1831	1774	5172 (26)
पू. चंपारण	2067	2287	2177	6784 (7)	जहानाबाद	532	522	527	5138 (27)
कटिहार	1519	1744	1632	6474 (8)	सुपौल	854	1032	943	5124 (28)
सहरसा	972	1064	1018	6405 (9)	गोपालगंज	1123	1167	1145	5050 (29)
गया	2259	2245	2252	6163 (10)	शेखपुरा	285	274	279	5039 (30)
लखीसराय	495	516	506	5986 (11)	बांका	805	903	854	5031 (31)
खगड़िया	758	850	804	5970 (12)	सीवान	1371	1440	1405	4920 (32)
भोजपुर	1395	1373	1384	5876 (13)	जमुई	695	743	719	4879 (33)
कैमूर	807	756	781	5766 (14)	नवादा	942	911	927	4857 (34)
नालंदा	1425	1409	1417	5673 (15)	प. चंपारण	1901	1997	1949	4699 (35)
पूर्णिया	1486	1550	1518	5664 (16)	अररिया	997	1071	1034	4613 (36)
मधुबनी	1648	2599	2124	5639 (17)	सीतामढ़ी	1210	1263	1237	4392 (37)
वैशाली	1402	1738	1570	5488 (18)	शिवहर	226	205	215	3967 (38)
औरंगाबाद	1167	1143	1155	5463 (19)	**योग**	**59386**	**65913**	**62650**	**7168**
दरभंगा	1783	1976	1880	5425 (20)					

स्रोत: सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 1.9 : पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत (2007-08)

जिला	जनसंख्या का हिस्सा	खपत (हजार टन)			किरासन तेल
		पेट्रॉल	डीजल खुदरा	एलपीजी	
पटना	5.69	29.90 (19.1)	120.27 (11.6)	55.87 (21.0)	39.52 (6.0)
नालंदा	2.86	3.22 (2.1)	32.21 (3.1)	7.67 (2.9)	18.56 (2.8)
भोजपुर	2.70	3.35 (2.1)	27.48 (2.7)	9.17 (3.4)	17.51 (2.6)
बक्सर	1.69	2.21(1.4)	22.62 (2.2)	4.52 (1.7)	11.00 (1.7)
रोहतास	2.95	5.21 (3.3)	56.28 (5.4)	8.79 (3.3)	19.76 (3.0)
कैमूर	1.55	1.76 (1.1)	21.04 (2.0)	1.89 (0.7)	7.73 (1.2)
गया	4.18	5.96 (3.8)	41.02 (4.0)	10.01 (3.8)	27.18 (4.1)
जहानाबाद	1.20	1.05 (0.7)	10.46 (1.0)	3.73 (1.4)	7.74 (1.2)
अरवल	0.63	0.31 (0.2)	2.22 (0.2)	0.47 (0.2)	4.04 (0.6)
नवादा	2.18	1.42 (0.9)	15.33 (1.5)	3.37 (1.3)	14.14 (2.1)
औरंगाबाद	2.43	3.99 (2.5)	32.48 (3.1)	4.52 (1.7)	15.14 (2.3)
भागलपुर	2.92	5.99 (3.8)	40.58 (3.9)	9.59 (3.6)	19.99 (3.0)
बांका	1.94	1.62 (1.0)	9.78 (0.9)	3.08 (1.2)	11.82 (1.8)
मुंगेर	1.37	2.13 (1.4)	9.84 (1.0)	7.03 (2.6)	9.98 (1.5)
शेखपुरा	0.63	0.65 (0.4)	8.60 (0.8)	9.91 (3.7)	4.02 (0.6)
जमुई	1.69	1.39 (0.9)	9.36 (0.9)	1.96 (0.7)	10.89 (1.6)
लखीसराय	0.97	0.66 (0.4)	10.00 (1.0)	0.98 (0.4)	5.16 (0.8)
खगड़िया	1.54	1.06 (0.7)	15.17 (1.5)	1.92 (0.7)	10.69 (1.6)
बेगूसराय	2.83	4.23 (2.7)	61.39 (5.9)	8.69 (3.3)	18.70 (2.8)
मुजफ्फरपुर	4.51	1.07 (6.9)	60.52 (5.9)	14.95 (5.6)	32.80 (4.9)
सीतामढ़ी	3.23	3.25 (2.1)	19.40 (1.9)	6.78 (2.5)	25.02 (3.8)
शिवहर	0.62	0.26 (0.2)	1.43 (0.1)	1.28 (0.5)	1.76 (0.3)
वैशाली	3.28	6.65 (4.3)	34.89 (3.4)	9.41 (3.5)	21.74 (3.3)
पू. चंपारण	3.67	6.43 (4.1)	51.51 (5.0)	7.92 (3.0)	29.228 (4.4)
प. चंपारण	4.75	4.25 (2.7)	29.99 (2.9)	6.28 (2.4)	26.84 (4.0)
दरभंगा	3.97	5.64 (3.6)	28.29 (2.7)	10.35 (3.9)	28.03 (4.2)
मधुबनी	4.31	4.92 (3.1)	20.85 (2.0)	7.70 (2.9)	29.15 (4.4)
समस्तीपुर	4.09	5.15 (3.3)	32.13 (3.1)	3.28 (1.2)	27.50 (4.1)
सारण	3.91	5.75 (3.7)	34.79 (3.4)	6.64 (2.5)	25.36 (3.8)
सीवान	3.27	4.95 (3.2)	27.76 (2.7)	6.08 (2.3)	21.22 (3.2)
गोपालगंज	2.59	4.55 (2.9)	25.45 (2.5)	5.03(1.9)	16.87 (2.5)
सहरसा	1.82	1.84 (1.2)	10.48 (1.0)	8.08 (3.0)	12.00 (1.8)
सुपौल	2.09	1.75 (1.1)	8.10 (0.9)	.92 (0.3)	11.37 (1.7)
मधेपुरा	1.84	2.33 (1.5)	15.81 (1.5)	2.66 (1.0)	14.32 (2.2)
पूर्णिया	3.07	4.17 (2.7)	35.06 (3.4)	6.87 (2.6)	19.87 (3.0)
अररिया	2.60	2.98 (1.9)	20.83 (2.0)	2.99 (1.1)	16.88 (2.5)
कटिहार	2.88	2.90 (1.9)	21.95 (2.1)	5.29 (2.0)	19.29 (2.9)
किशनगंज	1.56	1.94 (1.2)	8.28 (0.8)	0.79 (0.3)	10.10 (1.5)
कुल योग	100.00	156.52 (100)	103.44 (100)	266.44 (100)	662.89 (100)

स्रोत : इंडियन ऑयल कार्पोरेशन

तालिका 1.10 : डाकघरों और सार्वजनिक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत

जिला	2007-08			2008-09 (नवंबर तक)		
	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	प्रति व्यक्ति बचत (रु.)	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	प्रति व्यक्ति बचत (रु.)
पटना	400.00	111.02	208.14	200.00	91.56	168.67
नालंदा	100.00	58.97	220.06	50.00	58.95	216.17
भोजपुर	90.00	27.96	110.27	45.00	23.03	89.25
बक्सर	50.00	17.01	107.30	25.00	15.03	93.16
रोहतास	90.00	25.92	93.56	45.00	24.04	85.27
कैमूर	35.00	10.08	69.17	18.00	9.42	63.52
गया	75.00	29.24	74.47	37.00	23.65	59.19
जहानाबाद	15.00	7.74	68.80	8.00	7.63	66.65
अरवल	10.00	4.98	84.86	5.00	4.87	81.55
नवादा	40.00	30.70	150.07	20.00	21.00	100.87
औरंगाबाद	45.00	24.57	107.97	22.00	23.95	103.42
भागलपुर	60.00	7.96	29.06	30.00	14.40	51.66
बांका	15.00	9.58	52.68	8.00	6.75	36.47
मुंगेर	35.00	10.69	83.11	17.00	10.88	83.12
शेखपुरा	10.00	2.88	48.48	5.00	2.98	49.29
जमुई	15.00	7.54	47.68	8.00	7.37	45.80
लखीसराय	10.00	2.97	32.75	5.00	2.94	31.86
खगड़िया	10.00	3.08	21.28	5.00	2.53	17.18
बेगूसराय	55.00	16.57	62.39	27.00	13.07	48.36
मुजफ्फरपुर	80.00	22.86	53.97	40.00	26.58	61.67
सीतामढ़ी	25.00	8.69	28.66	12.00	9.46	30.65
शिवहर	5.00	1.96	33.60	3.00	2.28	38.41
वैशाली	70.00	38.11	124.02	35.00	29.43	94.11
पू. चंपारण	50.00	29.51	85.78	25.00	23.71	67.72
प. चंपारण	25.00	13.80	30.99	13.00	14.55	32.10
दरभंगा	70.00	28.39	76.20	35.00	38.80	102.34
मधुबनी	55.00	31.10	76.95	27.00	21.94	53.34
समस्तीपुर	50.00	20.63	53.76	25.00	19.40	49.68
सारण	140.00	76.32	207.82	70.00	62.79	168.01
सीवान	70.00	38.39	125.12	35.00	29.54	94.60
गोपालगंज	45.00	29.15	119.79	22.00	24.82	100.23
सहरसा	25.00	13.19	77.37	13.00	13.18	75.97
सुपौल	15.00	9.74	49.73	8.00	9.76	48.97
मधेपुरा	15.00	9.66	55.98	7.00	9.51	54.15
पूर्णिया	40.00	13.08	45.48	20.00	14.91	50.95
अररिया	15.00	4.62	18.93	8.00	5.75	23.16
कटिहार	30.00	10.88	40.23	15.00	10.27	37.31
किशनगंज	15.00	5.54	37.80	7.00	4.60	30.85
कुल योग	**2000.00**	**815.08**	**86.87**	**1000.00**	**735.33**	**77.01**

आंचलिक विषमता के दो और सूचकों के बतौर दो तालिकाओं में पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत (तालिका 1.9) और डाकघरों तथा सार्वजनिक भविष्य निधि में लघु बचतों (तालिका 1.10) के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। सिर्फ पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत पर भी नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में इनकी कुल खपत में अकेले पटना जिले का 19.1 प्रतिशत हिस्सा है। जिन अन्य जिलों की पेट्रॉलियम खपत आबादी में उनके हिस्से के मुकाबले काफी अधिक है, वे हैं – रोहतास, भागलपुर, बेगूसराय, वैशाली, दरभंगा, सारण और गोपालगंज। जहानाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और शिवहर पेट्रॉलियम की बहुत कम खपत वाले जिले हैं। डाकघरों तथा सार्वजनिक भविष्य निधि में लघु बचतों के मामले में 2008-09 में प्रति व्यक्ति बचत में नालंदा जिला (216 रु.) सबसे ऊपर था जिसके बाद पटना (169 रु.), छपरा (103 रु.), औरंगाबाद (103 रु.), दरभंगा (102 रु.) और गोपालगंज (100 रु.) का स्थान था। वर्ष 2008-09 में सबसे कम प्रति व्यक्ति बचत वाले तीन जिले सीतामढ़ी (31 रु.), अररिया (23 रु.) और खगड़िया (17 रु.) हैं।

1.3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

केंद्र सरकार पूरे देश के लिए थोक मूल्य सूचकांक (इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइसेस) की गणना करने के अलावा विभिन्न राज्यों के लिए औद्योगिक श्रमिकों (इंडस्ट्रियल लेबरर्स), शहरी श्रमिकेतर कर्मचारियों (अर्बन नॉन-लेबर एंप्लाइज), कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) भी अलग-अलग तैयार करती है। हालांकि इन सूचकांकों के वार्षिक आधार भिन्न हैं – 1993-94 थोक मूल्य सूचकांक के लिए, 2000-01 औद्योगिक श्रमिकों के लिए, 1984-85 शहरी श्रमिकेतर कर्मचारियों के लिए तथा 1986-87 कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों, दोनों के लिए। तालिका 1.11 में इन सूचकांकों को प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के पहले आठ महीनों में देखा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूरे देश के मुकाबले बिहार में अधिक बढ़ा है। शहरी श्रमिकेतर कर्मचारियों के लिए भी (जिनके लिए 2008-09 के सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देश के मुकाबले अधिक तेज दर से बढ़ रहा है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक धीमी गति से बढ़ रहा है। यह कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों, दोनों के मामले में सही है।

नवंबर 2009 में, जिस माह के नवीनतम सूचकांक उपलब्ध हैं, बिहार और भारत के सूचकांक क्रमशः इस प्रकार थे – औद्योगिक श्रमिकों के लिए 148 और 144, कृषि श्रमिकों के लिए 444 और 460 और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 444 और 460।

तालिका 1.11 : बिहार और भारत में थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष		थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1993-94 = 100)	औद्योगिक श्रमिक (आधार : 2000-01 = 100)		शहरी श्रमिकेतर कर्मचारी (आधार : 1984-85 = 100)		कृषि श्रमिक (आधार : 1986-87 = 100)		ग्रामीण श्रमिक (आधार : 1986-87 = 100)	
		भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत
2001-02		161.3	98	100	359	390	290	311	292	313
2002-03		166.8	102	104	366	405	299	323	301	325
2003-04		180.0	109	108	382	420	311	322	313	335
2004- 05		187.3	112	112	396	436	324	342	326	344
2005- 06		195.6	120	117	418	456	347	358	348	360
2006-07		206.2	128	125	451	486	376	380	377	382
2007-08		215.8	136	133	484	515	403	409	403	409
2007- 08	अप्रैल	211.5	130	128	464	501	391	394	391	395
	मई	212.3	128	129	461	503	385	395	386	396
	जून	212.3	130	130	463	506	385	399	385	400
	जुलाई	213.6	134	132	475	514	390	404	391	404
	अगस्त	213.8	138	133	482	515	400	408	400	408
	सितंबर	215.1	141	133	490	516	408	410	408	410
	अक्तूबर	215.2	142	134	494	520	415	413	415	413
	नवंबर	215.9	142	134	495	519	413	414	413	414
	दिसंबर	216.4	139	134	492	518	411	413	411	413
	जनवरी	218.2	136	134	496	520	409	413	409	414
	फरवरी	219.9	136	135	496	523	413	417	413	417
	मार्च	225.5	140	137	501	528	416	423	417	423
2008-09	अप्रैल	228.5	140	138	-	-	422	429	422	429
	मई	231.1	140	139	-	-	419	431	419	431
	जून	238.4	141	140	-	-	421	434	421	435
	जुलाई	240.7	145	143	-	-	433	442	433	442
	अगस्त	241.4	151	145	-	-	440	450	440	450
	सितंबर	241.3	151	146	-	-	443	455	444	455
	अक्तूबर	238.5 (अनंतिम)	155	148	-	-	446	459	446	459
	नवंबर	233.6 (अनंतिम)	154	148	-	-	444	460	444	460

1.4 अभिशासन (गवर्नेंस)

गत तीन वर्षों में अभिशासन की गुणवत्ता में उदाहरणीय परिवर्तन आया है। पूर्वगठित प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न अनुशंसाओं को क्रमश: क्रियान्वित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय, सुधार और विकास में मददगार राज्य के सभी अंगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन (टेकनोलॉजी अपग्रेडेशन) अथवा कर्मचारियों के व्यापक प्रशिक्षण के जरिए सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वर्षों से उपेक्षित रहे अधिकांश सरकारी कार्यालयों को उच्च प्रौद्योगिकी से लैश किया जा रहा है। कार्यालयों को समुचित रूप से सजाया जा रहा है और उन्हें प्रस्तुति योग्य बनाने के लिए बाहर से भी रंग-रोगन कराया जा रहा है। कर्मचारियों और आगंतुकों, दोनों के अनुकूल कामकाजी माहौल बनाने का समेकित प्रयास किया जा रहा है। लोगों के दुख-दर्द समझने के लिए मुख्यमंत्री ने 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' के साप्ताहिक आयोजन के जरिए प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त करने के लिए नवाचारी अभ्यास शुरू किया है। पहले अंत:क्रिया सामान्य विषयों पर होती थी लेकिन बाद में विशेष मुद्दों पर 'दरबार' आयोजित होने लगे। इस प्रक्रिया का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि जिलाधिकारियों द्वारा इसे साप्ताहिक अथवा पाक्षिक आधार पर दुहराया जाने लगा जिससे जनता के बड़े हिस्से की परेशानियों के निवारण में मदद मिली। वर्तमान सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बिहार में अभिशासन के प्रभाव को समझने के लिहाज से चुनिंदा जिलों में 'विकास यात्रा' की भी शुरुआत की है। यात्रा से यह भी पता चलेगा कि राज्य तंत्र और लोगों के बीच पुल बना है या नहीं, ताकि समावेशी अभिशासन के लिए अंतर्निर्मित तंत्र (इनबिल्ट मेकैनिज्म) बने। बिहार में अभिशासन को अब गोपनीय संकल्पना नहीं माना जाता, मूल्यांकन के लिए जमीनी स्तर पर इसके फलीभूत होने की समय-समय पर जांच की जाती है।

लोक प्रशासन का ढांचा

वर्ष 2007-08 में राज्य प्रशासन के कर्मियों की कुल क्षमता 5.79 लाख कर्मियों की थी लेकिन केवल 76 प्रतिशत पद ही भरे थे (तालिका 1.12 और 1.13)। गत छ: वर्षों के दौरान (2002-03 से 2007-08 तक) राज्य प्रशासन में स्वीकृत पदों के लिहाज से तो बहुत थोड़ी (1.2 प्रतिशत) वृद्धि हुई लेकिन उनकी संरचना बदल गई है क्योंकि कुछ विभागों में विस्तार हुआ है और कुछ विभाग सिमटे हैं। जो विभाग काफी अधिक सिमटे हैं, उनमें वृहद/मध्यम सिंचाई (82.8 प्रतिशत), बाढ़ नियंत्रण एवं क्षति (38.3 प्रतिशत), उद्योग (35.5 प्रतिशत) और पर्यटन (39.4 प्रतिशत) शामिल हैं। दूसरी ओर काफी विस्तार वाले विभाग हैं - वाहन कर (25.3 प्रतिशत), कोषागार प्रशासन (270.8 प्रतिशत), परिवार कल्याण (1074.4 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता (190.3 प्रतिशत)।

लोक प्रशासन की वास्तविक कर्मी क्षमता की बात करें, तो 2007-08 में राज्य सरकार के कर्मियों की कुल संख्या लगभग 4.4 लाख थी जो स्वीकृत क्षमता का 76 प्रतिशत थी। इन वर्षों के दौरान भरे पदों का अनुपात 2002-03 में 80.7 प्रतिशत था जो 2007-08 में 76 प्रतिशत रह गया। हालांकि पदों को भरने का हिसाब भी सभी विभागों में एक जैसा नहीं था। जहां शहरी विकास विभाग में 21.7 प्रतिशत पद भरे गए थे, वहीं कई विभागों में यह अनुपात शत-प्रतिशत के आसपास था। तालिका 1.14 में भरे गए पदों के लिहाज से राज्य सरकार के विभागों के बीच वितरण प्रस्तुत किया गया है। अभिशासन (गवर्नेंस) और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद कृषि (43.4 प्रतिशत), जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी (55.4 प्रतिशत), श्रम एवं नियोजन (54.3 प्रतिशत), नागरिक आपूर्ति (53.2 प्रतिशत) तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (57.3 प्रतिशत) विभाग कर्मियों की कमी झेल रहे हैं।

तालिका 1.12 : राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में स्वीकृत कर्मी क्षमता

विभाग	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	वृद्धि/ कमी (%)
राज्य विधानमंडल	2026	2784	2851	2228	1822	1925	-5.0
राज्यपाल कार्यालय	158	154	154	155	155	155	-1.9
प्रशासन (न्यायपालिका)	11686	11467	11470	11480	11689	11687	0.0
चुनाव आयोग	401	398	397	397	397	397	-1.0
भूमि राजस्व	14520	14519	15076	15045	15041	15042	3.6
स्टांप एवं निबंधन	1960	2005	2010	1915	1915	1916	-2.2
राज्य उत्पाद	1883	1877	1877	1876	1876	1876	-0.4
बिक्री कर	2291	2275	2299	2298	2266	2266	-1.1
वाहन कर	364	364	364	478	456	456	25.3
अन्य कर	59	60	60	62	68	67	13.6
अन्य राजकोषीय सेवाएं	252	252	252	233	237	237	-6.0
लोक सेवा आयोग	285	318	315	351	339	351	23.2
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	4116	4146	4388	2741	3444	3475	-15.6
जिला प्रशासन	7711	8142	8142	8027	8027	8027	4.1
कोषागार प्रशासन	452	452	452	1782	1670	1676	270.8
पुलिस	105176	104884	104920	110536	110977	110793	5.3
कारा	2989	2989	2989	2989	2989	2989	0.0
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	1417	1508	1508	1549	1551	1551	9.5
लोक निर्माण	6797	6781	6673	6503	6499	6493	-4.5
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	4530	4519	4526	3838	4008	3993	-11.9
सामान्य शिक्षा	230480	230966	230966	218410	221992	221945	-3.7
तकनीकी शिक्षा	1442	1442	1442	1475	1475	1475	2.3
क्रीड़ा एवं युवा कार्य	1117	1118	1109	1115	1114	1114	-0.3
कला एवं संस्कृति	492	512	512	506	493	472	-4.1
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	44617	44600	44602	52943	53013	56303	26.2
परिवार कल्याण	172	172	172	2020	2020	2020	1074.4
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	3799	9458	9217	8859	8847	11030	190.3
शहरी विकास	284	339	284	247	253	253	-10.9
सूचना/ विज्ञापन	854	849	849	829	794	790	-7.5
अजा/ अजजा/ अपिजा कल्याण	3026	3026	3026	3596	3596	3596	18.8
श्रम एवं नियोजन	3927	3929	3839	3852	3862	3860	-1.7
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1502	1508	1544	1597	1371	1292	-14.0
आपदा प्रबंधन	0	154	150	150	150	150	100.0
अन्य सामाजिक सेवाएं	68	71	70	54	54	75	10.3
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	776	855	935	887	937	875	12.8

.... (जारी)

तालिका 1.12 : (जारी)

विभाग	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	वृद्धि/ कमी (%)
कृषि	13479	12809	12802	12480	12268	12267	-9.0
मृदा एवं जल संरक्षण	373	377	377	379	379	379	1.6
पशुपालन	8492	8479	8191	7916	7905	9998	17.7
दुग्ध विकास	328	328	348	351	316	335	2.1
मत्स्यपालन	991	990	987	1158	1158	1158	16.9
बागवानी/ वन्य जीवन	2248	2453	2453	2528	2528	2401	6.8
कृषि शोध एवं प्रसार	271	462	462	271	271	271	0.0
सहकारिता	3485	3813	3687	3553	3556	3556	2.0
अन्य कृषि कार्यक्रम	112	106	106	107	107	107	-4.5
अन्य ग्रामीण विकास कार्य	24403	24389	24389	23709	23709	23696	-2.9
प्रमुख सिंचाई	-	-	-	6318	6415	6415	-
वृहद/ मध्यम सिंचाई	20189	17154	10656	6857	6847	3471	-82.8
लघु सिंचाई	10711	10711	10361	10366	10366	10366	-3.2
बाढ़ नियंत्रण एवं जलनिकासी	4723	4212	3313	3078	2913	2913	-38.3
ग्रामीण/ लघु उद्योग	1321	1296	1295	1256	1518	1518	14.9
उद्योग	1265	1285	1295	956	956	816	-35.5
अलौह खनन/ उद्योग	576	578	576	579	570	571	-0.9
नागर विमानन	55	55	55	54	56	56	1.8
सड़क एवं पुल	12819	12820	12820	12864	12939	12860	0.3
अन्य परिवहन सेवाएं	31	32	32	31	31	30	-3.2
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	979	1044	1082	1076	1161	1150	17.5
पर्यटन	277	277	277	240	221	168	-39.4
जनगणना/ सर्वेक्षण/ सांख्यिकी	1438	1546	1546	1439	1439	1439	0.1
नागरिक आपूर्ति	1725	1739	1803	2145	2146	2155	24.9
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	492	500	500	488	492	492	0.0
योग	572412	576348	568853	571222	575664	579210	1.2

(समाप्त)

तालिका 1.13 : राज्य सरकार कें विभिन्न विभागों की कर्मी क्षमता (प्रतिशत में)

विभाग	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
राज्य विधानमंडल	63.7	56.5	57.5	67.1	82.0	82.5
राज्यपाल कार्यालय	100.0	99.4	99.4	97.4	100.0	98.7
प्रशासन (न्यायपालिका)	98.7	98.8	99.6	99.4	95.4	95.5
चुनाव आयोग	75.8	74.1	71.5	67.8	74.8	76.6
भूमि राजस्व	80.8	80.4	80.5	80.0	78.7	79.4
स्टांप एवं निबंधन	79.0	78.9	79.2	92.8	93.0	93.1
राज्य उत्पाद	83.2	80.9	80.8	81.0	86.1	86.1
बिक्री कर	66.2	66.2	66.7	66.8	66.6	66.5
वाहन कर	86.5	86.3	77.5	64.6	68.0	74.6
अन्य कर	61.0	55.0	58.3	46.8	50.0	47.8
अन्य राजकोषीय सेवाएं	69.0	67.5	67.5	70.8	57.0	57.0
लोक सेवा आयोग	89.8	87.7	89.5	78.9	85.0	83.8
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	59.4	58.2	54.1	63.7	67.5	66.0
जिला प्रशासन	84.5	81.4	81.4	15.3	83.0	84.3
कोषागार प्रशासन	89.6	89.6	89.6	18.5	59.9	59.8
पुलिस	85.5	82.1	81.7	77.1	77.6	77.5
कारा	78.3	70.7	70.7	71.2	70.7	67.0
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	49.3	47.5	47.5	43.2	40.9	41.0
लोक निर्माण	70.7	72.1	68.9	69.1	68.3	66.6
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	59.0	59.3	59.4	51.8	51.9	50.6
सामान्य शिक्षा	85.1	84.1	84.1	92.2	81.2	81.4
तकनीकी शिक्षा	78.0	78.0	78.0	59.5	57.8	56.7
क्रीड़ा एवं युवा कार्य	77.6	74.3	69.2	70.9	72.8	72.0
कला एवं संस्कृति	78.5	76.4	75.2	72.7	74.2	75.8
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	81.9	71.3	69.7	52.1	61.3	57.3
परिवार कल्याण	98.3	98.3	94.2	8.0	66.4	67.9
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	80.8	90.6	86.9	88.6	88.7	91.4
शहरी विकास	41.5	37.8	36.6	21.9	23.7	21.7
सूचना/ विज्ञापन	67.3	66.7	65.6	64.8	67.4	64.1
अजा/ अजजा/ अपिजा कल्याण	67.5	59.5	59.6	51.3	67.2	69.8
श्रम एवं नियोजन	64.5	62.6	55.4	51.3	51.6	54.3
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	88.7	77.3	74.6	63.0	70.8	81.1
आपदा प्रबंधन	-	76.0	78.7	74.7	70.7	70.7
अन्य सामाजिक सेवाएं	64.7	60.6	62.9	1.9	50.0	57.3
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	66.6	65.5	62.7	57.6	69.8	74.3

... (जारी)

तालिका 1.13 : (जारी)

विभाग	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
कृषि	16.8	52.7	47.0	43.4	43.7	43.4
मृदा एवं जल संरक्षण	70.0	66.0	56.2	53.0	51.5	51.2
पशुपालन	47.8	66.6	68.8	63.8	62.1	65.5
दुग्ध विकास	75.9	73.5	73.0	0.0	73.7	61.5
मत्स्यपालन	69.1	61.4	66.0	0.0	61.5	56.7
बागवानी/ वन्य जीवन	83.6	80.5	80.5	81.6	73.1	77.8
कृषि शोध एवं प्रसार	66.8	78.4	77.1	75.3	78.2	75.3
सहकारिता	61.6	60.0	61.1	50.6	51.7	51.7
अन्य कृषि कार्यक्रम	40.2	95.3	91.5	92.5	92.5	89.7
अन्य ग्रामीण विकास कार्य	79.3	76.3	73.8	75.5	71.5	70.8
प्रमुख सिंचाई	-	-	-	129.4	115.8	118.0
वृहद/ मध्यम सिंचाई	78.1	78.5	119.7	56.8	93.2	93.2
लघु सिंचाई	87.8	87.8	85.1	80.1	79.7	79.3
बाढ़ नियंत्रण एवं जलनिकासी	74.5	78.9	97.2	100.2	96.2	101.9
ग्रामीण/ लघु उद्योग	73.4	68.2	61.3	56.8	52.2	51.8
उद्योग	73.2	65.0	60.5	48.1	46.9	52.3
अलौह खनन/ उद्योग	85.9	86.2	87.2	84.3	71.8	71.8
नागर विमानन	70.9	65.5	65.5	64.8	62.5	58.9
सड़क एवं पुल	84.2	82.2	81.8	81.5	79.7	80.5
अन्य परिवहन सेवाएं	58.1	56.3	68.8	61.3	54.8	56.7
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	74.4	71.8	68.8	66.7	66.1	68.4
पर्यटन	73.3	73.3	73.3	59.2	49.8	51.8
जनगणना/ सर्वेक्षण/ सांख्यिकी	64.3	56.3	53.0	52.5	55.3	55.4
नागरिक आपूर्ति	56.4	48.6	46.9	50.3	46.3	53.2
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13.6	58.6	58.4	48.0	50.2	53.0
योग	80.7	79.7	79.9	77.9	76.2	76.0

(समाप्त)

तालिका 1.14 : राज्य सरकार के विभागों में भरे हुए पदों का प्रतिशत वितरण

भरे हुए पदों का प्रतिशत	विभागों की संख्या	विभागों के नाम
40 प्रतिशत से कम	1	शहरी विकास
41 से 50 प्रतिशत	3	अन्य कर/ कृषि/ लेखन सामग्री एवं मुद्रण
50 से 60 प्रतिशत	18	कोषागार एवं महालेखाकार प्रशासन/ नागरिक उड्डयन/ अन्य सामाजिक सेवाएं/ अन्य राजकोषीय सेवाएं/ मत्स्यपालन/ तकनीकी शिक्षा/ सांख्यिकी (जनगणना/ सर्वेक्षण)/ श्रम एवं नियोजन/ नागरिक आपूर्ति/ उद्योग/ पर्यटन/ ग्रामीण/लघु उद्योग/ मृदा एवं जल संरक्षण/ अन्य प्रशासनिक सेवाएं/ चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य/ अन्य परिवहन सेवाएं/ अन्य आर्थिक सेवाएं/ सहकारिता
51 से 60 प्रतितश	10	कल्याण (अजा/ अजजा/ अपिजा)/ सचिवालय - आर्थिक सेवाएं परिवार कल्याण/ लोक निर्माण/ बिक्री कर/ सचिवालय - सामान्य सेवाएं/ सूचना एवं विज्ञापन/ दुग्ध विकास/ कारा/ पशुपालन
70 से 80 प्रतिशत	13	भूमि राजस्व/ लघु सिंचाई/ बागवानी एवं वन्य जीवन/ चुनाव आयोग/ कला एवं संस्कृति/ कृषि अनुसंधान एवं प्रसार/ सचिवालय -सामाजिक सेवाएं/ क्रीड़ा एवं युवा कार्य/ उद्योग (अलौह खनन)/ पुलिस/ वाहन कर/ अन्य ग्रामीण विकास कार्य/ आपदा प्रबंधन
80 से 90 प्रतिशत	8	अन्य कृषि कार्यक्रम/ राज्य उत्पाद/ जिला प्रशासन/ राज्य विधानमंडल/ सामान्य शिक्षा/ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण/ लोक सेवा आयोग/ सड़क एवं पुल
90 प्रतिशत से ऊपर	7	प्रमुख सिंचाई/ बाढ़ नियंत्रण एवं जलनिकासी/ राज्यपाल कार्यालय/ सिंचाई (वृहद/ मध्यम)/ स्टांप एवं निबंधन/ जलापूर्ति एवं स्वच्छता/ प्रशासन (न्यायपालिका)

विभिन्न विभागों के बीच वितरण के अलावा राज्य सरकार के कर्मी चार प्रमुख श्रेणियों में भी विभाजित हैं। इन श्रेणियों के बीच विभिन्न विभागों के कर्मियों का प्रतिशत विभाजन तालिका 1.15 में प्रस्तुत है। स्वीकृत पदों के आधार पर राज्य सरकार के समस्त कर्मियों का वितरण इस प्रकार है - श्रेणी 1 (1.14 प्रतिशत), श्रेणी 2 (4.1 प्रतिशत), श्रेणी 3 (64.9 प्रतिशत) तथा श्रेणी 4 (29.6 प्रतिशत)। यह बताता है कि अपेक्षाकृत निम्न उत्पादकता वाले श्रेणी 4 के कर्मचारी राज्य सरकार के कुल कर्मियों के एक-चौथाई से अधिक हैं। अगर कार्यरत कर्मचारियों के आधार पर देखा जाय, तो श्रेणी 4 के कर्मियों का हिस्सा 33 प्रतिशत से भी अधिक है।

तालिका 1.15 : राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में श्रेणीवार स्वीकृत एवं कार्यरत कर्मी क्षमता

विभाग	स्वीकृत/ कार्यरत	कर्मियों की संख्या				योग
		श्रेणी 1	श्रेणी 2	श्रेणी 3	श्रेणी 4	
राज्य विधानमंडल	स्वीकृत	45 (6.9)	129 (19.9)	157 (24.2)	317 (48.9)	648 (100.0)
	कार्यरत	32 (6.5)	115 (23.3)	102 (20.7)	244 (49.5)	493 (100.0)
संसदीय कार्य	स्वीकृत	—	9 (47.4)	—	10 (52.6)	19 (100.0)
	कार्यरत	—	5 (50.0)	—	5 (50.0)	10 (100.0)
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार	स्वीकृत	69 (15.1)	3 (0.7)	54 (11.8)	330 (72.4)	456 (100.0)
	कार्यरत	64 (28.2)	2 (0.9)	25 (11.0)	136 (59.9)	227 (100.0)
राज्यपाल कार्यालय	स्वीकृत	5 (4.2)	1 (0.8)	33 (27.7)	80 (67.2)	119 (100.0)
	कार्यरत	5 (4.8)	1 (1.0)	34 (32.4)	65 (61.9)	105 (100.0)
पटना उच्च न्यायालय	स्वीकृत	87 (42.6)	7 (3.4)	106 (52.0)	4 (2.0)	204 (100.0)
	कार्यरत	73 (39.0)	7 (3.7)	103 (55.1)	4 (2.1)	187 (100.0)
वित्त	स्वीकृत	32 (0.8)	839 (19.8)	1832 (43.2)	1535 (36.2)	4238 (100.0)
	कार्यरत	22 (0.9)	465 (19.5)	811 (34.0)	1088 (45.6)	2386 (100.0)
विधि	स्वीकृत	1564 (13.6)	2 (0.0)	4939 (43.0)	4985 (43.4)	11490 (100.0)
	कार्यरत	1233 (11.9)	0 (0.0)	4868 (47.0)	4247 (41.0)	10348 (100.0)
चुनाव आयोग	स्वीकृत	2 (1.0)	87 (42.4)	108 (52.7)	8 (3.9)	205 (100.0)
	कार्यरत	3 (3.4)	46 (52.9)	34 (39.1)	4 (4.6)	87 (100.0)
योजना एवं विकास	स्वीकृत	75 (5.1)	150 (10.1)	1248 (84.10)	11 (0.7)	1484 (100.0)
	कार्यरत	36 (4.6)	53 (6.8)	689 (87.9)	6 (0.8)	784 (100.0)
भूमि राजस्व	स्वीकृत	773 (5.1)	928 (6.1)	9361 (61.8)	4074 (26.9)	15136 (100.0)
	कार्यरत	613 (5.2)	567 (4.8)	7453 (62.7)	3253 (27.4)	11886 (100.0)
स्टांप एवं निबंधन	स्वीकृत	46 (1.2)	132 (3.5)	2221 (59.4)	1339 (35.8)	3738 (100.0)
	कार्यरत	40 (1.2)	101 (3.1)	1847 (56.7)	1272 (39.0)	3260 (100.0)
वाणिज्यिक कर	स्वीकृत	81 (2.5)	308 (9.6)	31 (1.0)	2794 (86.9)	3214 (100.0)
	कार्यरत	58 (2.1)	275 (10.1)	28 (1.0)	2370 (86.8)	2731 (100.0)
बिहार लोक सेवा आयोग	स्वीकृत	0 (0.0)	16 (48.5)	16 (48.5)	1 (3.0)	33 (100.0)
	कार्यरत	1 (4.2)	10 (41.7)	12 (50.0)	1 (4.2)	24 (100.0)
सचिवालय	स्वीकृत	36 (1.9)	34 (1.8)	1705 (92.1)	77 (4.2)	1852 (100.0)
	कार्यरत	21 (1.5)	15 (1.1)	1285 (93.4)	55 (4.0)	1376 (100.0)
पंचायती राज	स्वीकृत	64 (0.7)	9 (0.1)	8696 (95.1)	379 (4.1)	9148 (100.0)
	कार्यरत	45 (0.7)	7 (0.1)	5944 (95.2)	247 (4.0)	6243 (100.0)
कला एवं संस्कृति	स्वीकृत	110 (11.5)	62 (6.5)	233 (24.4)	550 (57.6)	955 (100.0)
	कार्यरत	99 (13.3)	29 (3.9)	139 (18.7)	477 (64.1)	744 (100.0)
स्वास्थ्य	स्वीकृत	1344 (2.4)	5728 (10.2)	24776 (44.1)	24301 (43.3)	56149 (100.0)
	कार्यरत	776 (2.1)	4257 (11.6)	14865 (40.5)	16850 (45.9)	36748 (100.0)
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	स्वीकृत	100 (1.3)	219 (2.8)	3504 (45.5)	3885 (50.4)	7708 (100.0)
	कार्यरत	72 (1.2)	87 (1.5)	2544 (42.6)	3266 (54.7)	5969 (100.0)
गृह	स्वीकृत	217 (0.3)	1364 (1.8)	21889 (29.4)	51011 (68.5)	74481 (100.0)
	कार्यरत	148 (0.3)	985 (1.7)	14947 (26.1)	41086 (71.9)	57166 (100.0)
शहरी विकास	स्वीकृत	20 (16.0)	42 (33.6)	62 (49.6)	1 (0.8)	125 (100.0)
	कार्यरत	3 (10.0)	6 (20.0)	20 (66.7)	1 (3.3)	30 (100.0)
मानव संसाधन विकास	स्वीकृत	305 (0.1)	3729 (1.8)	199294 (97.7)	726 (0.4)	204054 (100.0)
	कार्यरत	234 (0.2)	2902 (2.1)	135614 (97.4)	447 (0.3)	139197 (100.0)
सूचना/ जनसंपर्क	स्वीकृत	18 (3.3)	44 (8.0)	276 (50.3)	211 (38.4)	549 (100.0)
	कार्यरत	13 (3.9)	22 (6.6)	141 (42.6)	155 (46.8)	331 (100.0)
सूचना प्रौद्योगिकी	स्वीकृत	-	7 (53.8)	6 (46.2)	-	13 (100.0)
	कार्यरत	-	0 (0.0)	3 (100.0)	-	3 (100.0)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	स्वीकृत	182 (11.8)	32 (2.1)	1207 (78.0)	127 (8.2)	1548 (100.0)
	कार्यरत	119 (18.9)	11 (1.7)	399 (63.3)	101 (16.0)	630 (100.0)

.....(जारी)

तालिका 1.15 : (जारी)

विभाग	स्वीकृत/कार्यरत	कर्मियों की संख्या				योग
		श्रेणी 1	श्रेणी 2	श्रेणी 3	श्रेणी 4	
अजा/ अजजा/ अपिजा कल्याण	स्वीकृत	52 (1.9)	168 (6.2)	1865 (68.3)	645 (23.6)	2730 (100.0)
	कार्यरत	43 (2.3)	161 (8.5)	1251 (66.2)	435 (23.0)	1890 (100.0)
पिछड़ी जाति/अति पिछड़ी जाति कल्याण	स्वीकृत	-	58 (59.8)	-	39 (40.2)	97 (100.0)
	कार्यरत	-	58 (65.9)	-	30(34.1)	88 (100.0)
पिछड़ी जाति/अति पिछड़ी जाति कल्याण	स्वीकृत	2 (5.1)	9 (23.1)	22 (56.4)	6 (15.4)	39 (100.0)
	कार्यरत	0 (0.0)	8 (28.6)	14 (50.0)	6 (21.4)	28 (100.0)
श्रम संसाधन	स्वीकृत	103 (0.6)	1489 (8.6)	15592 (89.8)	172 (1.0)	17356 (100.0)
	कार्यरत	47 (0.5)	961 (9.5)	8942 (88.3)	177 (1.7)	10127 (100.0)
सामाजिक कल्याण	स्वीकृत	11 (0.70)	87 (5.4)	202 (12.6)	1299 (81.2)	1599 (100.0)
	कार्यरत	10 (1.1)	18 (2.1)	79 (9.0)	771 (87.8)	878 (100.0)
आपदा प्रबंधन	स्वीकृत	3 (4.0)	1 (1.3)	58 (77.3)	13 (17.3)	75 (100.0)
	कार्यरत	3 (4.8)	0 (0.0)	51 (81.0)	9 (14.3)	63 (100.0)
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	स्वीकृत	27 (1.8)	58 (3.8)	1303 (85.8)	131 (8.6)	1519 (100.0)
	कार्यरत	20 (2.4)	1 (0.1)	715 (86.0)	95 (11.4)	831 (100.0)
कृषि	स्वीकृत	136 (0.6)	1126 (4.6)	20179 (82.6)	2991 (12.2)	24432 (100.0)
	कार्यरत	94 (0.6)	662 (4.2)	13584 (86.4)	1389 (8.8)	15729 (100.0)
पशुपालन/ मत्स्यपालन	स्वीकृत	29 (0.4)	1445 (18.8)	4123 (53.6)	2089 (27.2)	7686 (100.0)
	कार्यरत	14 (0.3)	869 (21.5)	1610 (39.9)	1541 (38.2)	4034 (100.0)
ऊर्जा	स्वीकृत	12 (0.5)	14 (0.6)	1609 (71.8)	605 (27.0)	2240 (100.0)
	कार्यरत	10 (0.5)	1 (0.0)	1077 (51.7)	996 (47.8)	2084 (100.0)
पर्यावरण/ वानिकी	स्वीकृत	42 (2.1)	28 (1.4)	736 (36.6)	1207 (60.0)	2013 (100.0)
	कार्यरत	35 (2.2)	37 (2.3)	562 (35.2)	964 (60.3)	1598 (100.0)
सहकारिता	स्वीकृत	36 (1.1)	947 (29.0)	2282 (69.9)	1 (0.0)	3266 (100.0)
	कार्यरत	20 (1.3)	672 (42.7)	881 (56.0)	1 (0.1)	1574 (100.0)
ग्रामीण विकास	स्वीकृत	7 (0.1)	1561 (13.5)	9915 (86.0)	50 (0.4)	11533 (100.0)
	कार्यरत	3 (0.0)	1193 (16.1)	6206 (83.6)	22 (0.3)	7424 (100.0)
ग्रामीण कार्य	स्वीकृत	12 (1.6)	89 (12.1)	99 (13.5)	536 (72.8)	736 (100.0)
	कार्यरत	8 (1.0)	69 (8.5)	101 (12.4)	636 (78.1)	814 (100.0)
जल संसाधन	स्वीकृत	49 (0.1)	24 (0.0)	8496 (14.0)	52325 (85.9)	60894 (100.0)
	कार्यरत	29 (0.1)	11 (0.0)	7676 (15.1)	43069 (84.8)	50785 (100.0)
लघु सिंचाई	स्वीकृत	46 (0.6)	18 (0.2)	5701 (73.8)	1963 (25.4)	7728 (100.0)
	कार्यरत	27 (0.4)	5 (0.1)	4582 (73.4)	1626 (26.1)	6240 (100.0)
उद्योग	स्वीकृत	51 (2.2)	42 (1.8)	1595 (69.0)	623 (27.0)	2311 (100.0)
	कार्यरत	31 (2.3)	19 (1.4)	979 (71.3)	345 (25.1)	1374 (100.0)
ईख उद्योग	स्वीकृत	18 (3.0)	155 (25.6)	411 (67.8)	22 (3.6)	606 (100.0)
	कार्यरत	5 (2.8)	37 (20.6)	125 (69.4)	13 (7.2)	180 (100.0)
अलौह खनन/ उद्योग	स्वीकृत	17 (3.4)	66 (13.1)	273 (54.4)	146 (29.1)	502 (100.0)
	कार्यरत	13(3.5)	25 (6.7)	230 (62.0)	103 (27.8)	371 (100.0)
भवन निर्माण	स्वीकृत	53 (1.9)	406 (14.5)	1273 (45.4)	1070 (38.2)	2802 (100.0)
	कार्यरत	21 (0.9)	208 (8.7)	790 (32.9)	1382 (57.6)	2401 (100.0)
सड़क निर्माण	स्वीकृत	78 (1.2)	85 (1.3)	3139 (49.0)	3099 (48.4)	6401 (100.0)
	कार्यरत	57 (1.1)	59 (1.2)	2360 (47.0)	2543 (50.7)	5019 (100.0)
परिवहन सेवाएं	स्वीकृत	17 (6.1)	96 (34.5)	157 (56.5)	8 (2.9)	278 (100.0)
	कार्यरत	15 (7.9)	77 (40.7)	91 (48.1)	6 (3.2)	189 (100.0)
पर्यटन	स्वीकृत	1 (1.3)	21 (26.9)	56 (71.8)		78 (100.0)
	कार्यरत	1 (2.9)	7 (20.6)	26 (76.5)		34 (100.0)
निगरानी	स्वीकृत	1786 (29.2)	1055 (17.2)	3025 (49.5)	250 (4.1)	6116 (100.0)
	कार्यरत	1238 (27.6)	681 (15.2)	2366 (52.8)	198 (4.4)	4483 (100.0)
योग	स्वीकृत	7763 (1.4)	22929 (4.1)	363865 (65.0)	16 6046 (29.6)	560603 (100.0)
	कार्यरत	5454 (1.4)	15807 (4.0)	246205 (61.7)	131737 (33.0)	399203 (100.0)

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (बीपीएसएम)

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन राज्य के प्रशासन तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार की एक पहल है। इस मिशन का विस्तार राज्य की राजधानी से लेकर जिलों तक होगा। मुख्यमंत्री द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की शुरुआत नवंबर 2008 में की गई थी। मिशन राज्य सरकार को अपने सभी नागरिकों तक, खास कर निर्धनतम एवं अभिवंचित नागरिकों तक बेहतर गुणवत्ता की सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा। अभी तकनीकी विशेषज्ञता और वित्त की उपलब्धता के रूप में इसे ब्रितानी सरकार के विकास अभिकरण (डेवलपमेंट एजेंसी) डीएफआडी का समर्थन मिल रहा है। मिशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(1) लोगों की बेहतर सेवा के लिए अधिक तेज, अधिक पारदर्शी और अधिक कार्यकुशल सरकारी प्रशासन।

(2) नागरिक-उन्मुख विचारपद्धति के साथ कार्य हेतु बेहतर प्रशिक्षित एवं उत्प्रेरित लोकसेवक।

(3) सरकारी सेवाओं की परिमेय (मेजरेबल) बेहतर उपलब्धता - प्रारंभ में भूमि राजस्व, भूमि निबंधन, शिक्षा, कर्मियों, वाणिज्य करों आदि में।

(4) बिहार की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों की ओर उन्मुख 'सुशासन केंद्र' की स्थापना।

लोक-केंद्रित साधनों के जरिए, जिनमें नागरिक चार्टर, स्कोर कार्ड, सार्वजनिक सूचना प्रदर्शन और अधिक अनुक्रियाशील (रिस्पोंसिव) सार्वजनिक शिकायत प्रणाली भी शामिल हैं, अभिशासन के सभी स्तरों पर सेवा प्रदान में वास्तविक सुधारों के लिए मिशन एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता है। ये उद्देश्य एक सुधार-श्रृंखला के जरिए हासिल किए जाने हैं ताकि सरकार के कामकाज में बढ़ी कार्यकुशलता और लोकसेवकों के बीच बढ़ी प्रेरणा से नागरिकों को लाभ मिले। इसके कुछ महत्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं (1) उन्नत प्रक्रियाओं, बेहतर कार्मिक ढांचा तथा ई-गवर्नेंस के जरिए जिला समाहरणालयों का आधुनिकीकरण; (2) इंटरनेट पर भूमि निबंधन की सूचना; (3) विभिन्न प्रमापत्रों के लिए ऑन-लाइन पहुंच; (4) पुराने निबंधन अभिलेखों का डिजिटाइजेशन; (5) बेहतर अभिलेख प्रबंधन; (6) ई-फाइल के आवागमन के जरिए कुछ समाहरणालयों में प्रायोगिक (पायलट) आधार पर फाइलों का तेजी से निष्पादन; (7) आधुनिक एवं व्यापक मानव संसाधन नीति; (8) सूचना अधिकार के अनुरोधों का अपेक्षाकृत अधिक और बेहतर अनुपालन; तथा (10) प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।

प्रशासनिक सुधार को प्रभावी बनाने के क्रम में शुरुआत सबसे पहले विभागीय स्तर पर की जाएगी और चिन्हित विभाग हैं : (क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, (ख) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (जिला समाहरणालयों सहित), (ग) वाणिज्य कर, (घ) निबंधन एवं मद्यनिषेध, तथा (च) मानव संसाधन विकास। केंद्रित

विभागों के अंदर समर्पित सुधार समर्थन इकाइयों (रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट्स) का निर्माण किया गया है जिनके मकसद हैं : (1) लक्ष्य, समय सीमा आदि से युक्त विभागीय सुधार रणनीति का निर्माण करना, (2) मौजूद अवरोधों की पहचान करना और उन पर काबू पाने की योजना बनाना, तथा (3) सुधार रणनीति के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा जनता से संवाद में विभागीय प्रमुख की सहायता करना।

मुख्य लाभार्थियों में राज्य के नागरिक, खास कर गरीब और अभिवंचित लोग, सरकार के वरिष्ठ निर्णयकर्ता और राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल होंगे जो बेहतर कौशल और प्रेरणा से लाभान्वित भी करेंगे। ई–पीएबीएक्स सुविधाओं, अभिलेखों के आधुनिक भंडारण के प्रावधान, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, समाहरणालयों के आइएसओ प्रमाणन, रिक्तियों को भरने, उपयुक्त ई–गवर्नेंस अपनाने आदि के जरिए जिला समाहरणालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

कानून एवं व्यवस्था

अभिशासन और विकास प्रत्यक्षतः अंतर्संबंधित हैं। राज्य और इसकी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए अनुक्रियाशील अभिशासन (रिस्पांसिव गवर्नेंस) महत्वपूर्ण है। खास कर कानून–व्यवस्था की स्थिति किसी राज्य में अभिशासन का महत्वपूर्ण सूचक है। अगर कानून एवं व्यवस्था को सही ढंग से बहाल और अपराध को नियंत्रित रखा जाता है, तो इससे घरेलू और विदेशी, दोनों प्रकार के निवेशों के लिए अनुकूल वातावरण बनता है और उससे समग्र आर्थिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक विकास होता है।

<u>सापेक्ष अपराध दरें</u> : वर्ष 2007 में अपराध दर (प्रति लाख जनसंख्या पर अपराधों की संख्या) का समस्त भारत का औसत 175 था जिसमें पांडीचेरी (475) सबसे ऊपर था, जिसके बाद चंडीगढ़ (348) और दिल्ली (335) का स्थान था। प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक अपराध दर केरल (319) में पाई गई जिसके बाद मध्य प्रदेश (296) और तमिलनाडु (262) का स्थान था। जिन राज्यों की अपराध दर 100 से नीचे थी, उनमें पश्चिम बंगाल (93), मेघालय (83), लक्षद्वीप (82), उत्तर प्रदेश (80) तथा नगालैंड (54) थे। 35 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के बीच 118 अपराधों के साथ बिहार देश में 28वें स्थान पर था। विस्तृत विवरण तालिका 1.16 में देखा जा सकता है। तालिका के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपनी कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए बिहार ने काफी कुछ किया है जिसके कारण यहां अपराध दर दूसरे राज्य के मुकाबले नीचे है।

तालिका 1.16 : 2007 में राज्यवार आइपीसी अपराध दर

क्रम सं.	राज्य और केंद्रशासित प्रदेश	अपराध दर और श्रेणीक्रम	क्रम सं.	राज्य और केंद्रशासित प्रदेश	अपराध दर और श्रेणीक्रम
1	पांडीचेरी	475.40	19	दादरा एवं नागर हवेली	165.40
2	चंडीगढ़	348.30	20	गोवा	155.30
3	दिल्ली	335.10	21	असम	152.90
4	केरल	319.10	22	दमन एवं दिव	141.30
5	मध्य प्रदेश	295.60	23	उड़ीसा	138.50
6	तमिलनाडु	261.70	24	पंजाब	135.60
7	राजस्थान	232.90	25	झारखंड	129.40
8	गुजरात	220.50	26	मणिपुर	125.10
9	हरियाणा	219.30	27	त्रिपुरा	122.80
10	हिमाचल प्रदेश	218.50	28	बिहार	117.90
11	आंध्र प्रदेश	214.60	29	सिक्किम	113.20
12	मिजोरम	214.30	30	उत्तराखंड	102.10
13	कर्नाटक	211.70	31	पश्चिम बंगाल	93.00
14	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	199.30	32	मेघालय	82.70
15	छत्तीसगढ़	196.00	33	लक्षद्वीप	82.40
16	अरुणाचल प्रदेश	192.10	34	उत्तर प्रदेश	79.70
17	महाराष्ट्र	184.70	35	नगालैंड	54.40
18	जम्मू एवं कश्मीर	177.20		संपूर्ण भारत का औसत	175.10

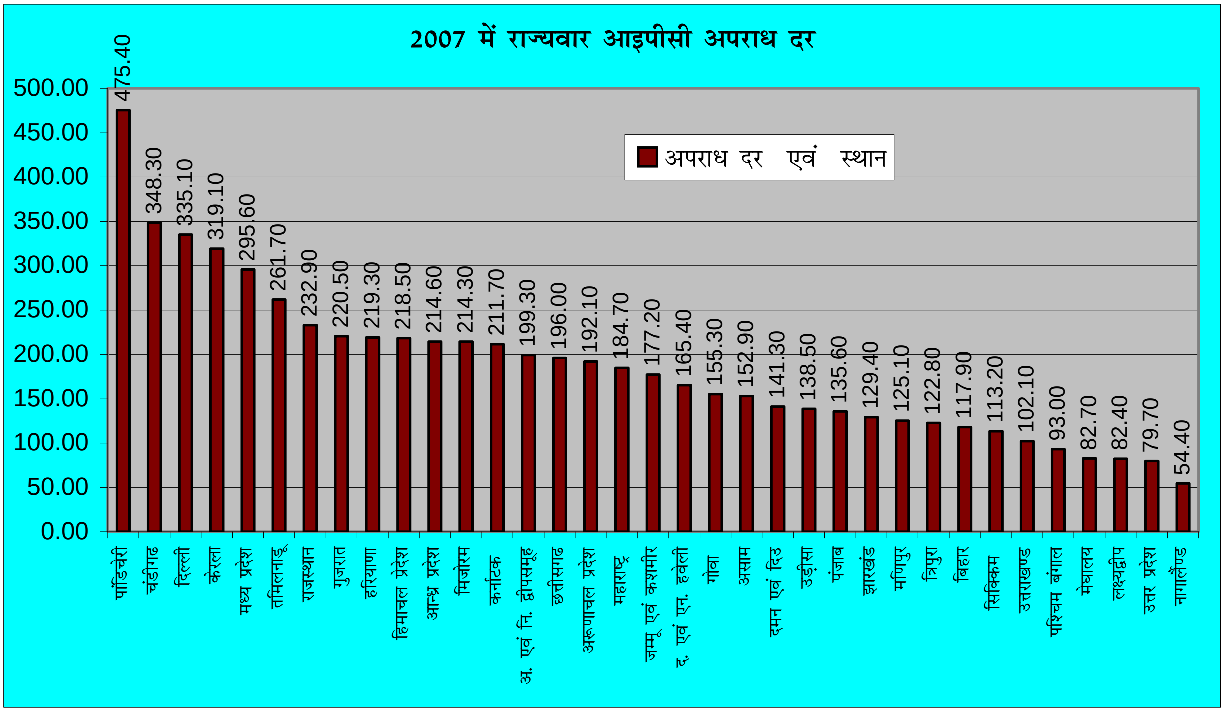

वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद अभिशासन में इसकी एक प्राथमिकता कानून एवं व्यवस्था में सुधार थी। और उसके अनुरूप करते हुए वांछित बुनियादी अधिसंरचना प्रदान करके पुलिस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया। इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिला है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सराहनीय सुधार हुआ है। किसी बड़े जातीय अथवा सामुदायिक झगड़े की सूचना नहीं है। तालिका 1.17 में देखा जा सकता है कि प्रमुख अपराधों में गिरावट आई है जिसमें हत्या (−3.2 प्रतिशत), डकैती (−10.16 प्रतिशत), लूट (−4.99 प्रतिशत), फिरौती हेतु अपहरण (−22.99 प्रतिशत), बैंक डकैती (−15.03 प्रतिशत) आदि शामिल हैं। यह गिरावट 2004 के बाद से काफी तेजी से आई। फिरौती हेतु अपहरण के मामले में यह गिरावट सबसे तेज थी। तालिका को ध्यान से देखने पर यह भी पता चलता है कि 2006 से 2008 के बीच के तीन वर्षों में डकैती, अपहरण, सड़क डकैती, और बैंक डकैती के वारदातों में तेजी से गिरावट आई है।

तालिका 1.17 : बिहार में 2001 से 2008 तक आइपीसी अपराध दरें

अपराध का नाम	अपराधों की संख्या								वार्षिक चक्रवृद्धि दर	2004 से 2008 तक
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008		
हत्या	3619	3634	3652	3861	3423	3225	2963	3029	-3.23	-6.10
डकैती	1293	1259	1203	1297	1191	967	646	640	-10.16	-18.33
लूट	2175	2236	2425	2909	2379	2138	1729	1536	-4.99	-14.75
फिरौती हेतु अपहरण	385	396	335	411	251	194	89	66	-22.99	-37.47
सड़क डकैती	257	252	247	287	224	211	151	146	-8.26	-16.02
सड़क लूट	1296	1323	1430	1875	1310	1251	1109	897	-4.90	-15.14
बैंक डकैती	22	28	14	30	26	15	19	16	-4.77	-14.54
बैंक लूट	18	15	15	27	8	5	9	7	-15.03	-22.76

<u>अतिवाद</u> : राज्य में गत वर्षों के दौरान अतिवाद के प्रमुख मामलों में भी सराहनीय गिरावट आई है। वर्ष 2004 में 382 मामले दर्ज किए गए थे लेकिन 2008 में (नवंबर तक) मात्र 79 मामले ही दर्ज किए गए हैं। वारदातों में गिरावट मुख्यत: सम्प्रगतामूलक कार्यक्रम 'आपकी सरकार आपके द्वार' और राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार एवं आय सृजन हेतु लक्षित अन्य पहलकदमियो के कारण है। सामाजिक सहयोग के अलावा, अर्धसैनिक बलों की तैनाती, पुलिसकर्मियों का विशेष प्रशिक्षण और सुदृढ़ीकृत पुलिस अधिसंरचना आदि के जरिए राज्य प्रशासन के सुरक्षा उपकरण को मजबूत किया गया। अतिवादी परिदृश्य का विवरण तालिका 1.18 में देखा जा सकता है।

तालिका 1.18 : बिहार में नक्सली हिंसा का आंकड़ा सार

विवरण	2004	2005	2006	2007	2008	2004 से 2008 में कमी (–)/ वृद्धि (+)
हिंसक हमलों की संख्या	382	210	63	73	79	-79.32
आम नागरिकों के मृत्यु की संख्या	199	114	49	39	43	-78.39
पुलिस पर हमलों की संख्या	19	14	7	10	5	-73.68
मारे गए अतिवादियों की संख्या (पुलिस के साथ मुठभेड़ में)	3	15	6	10	31	933.33
गिरफ्तार नक्सलवादियों की सं.	107	277	446	579	450	320.56
आत्मसमर्पणकर्ता नक्सलवादियों की सं.	1	74	21	29	20	1900.00
जब्त पुलिस हथियारों की संख्या	6	14	9	21	18	200.00
जब्त गोला-बारूद की संख्या	85	275	146	162	133	56.47
जब्त गोलियों की संख्या	1050	2125	1193	4810	17098	1528.38
जब्त विस्फोटकों की मात्रा (कि.ग्रा.)		80	49	2500	7459	-
जब्त डिटोनेटरों की संख्या	7401	472	480	2916	24147	226.27
जब्त केन बमों/ सुरंगों की संख्या	-	19	17	65	192	-
लेवी की जब्त रकम	-	70820	30470	591131	729700	-

जिलों में अपराध दरें : अपराध में कमी प्रायः सभी जिलों में प्रतिबिंबित होती है। वर्ष 2005 की तुलना में 2008 में लगभग सभी जिलों में एक जैसा सुधार दिखता है (परिशिष्ट 1 से 6)। अधिकांश जिलों में हत्या के मामलों में कमी दर्ज की गई जो सर्वाधिक 42 प्रतिशत शेखपुरा में और न्यूनतम 1.5 प्रतिशत पश्चिम चंपारण जिले थी। इस अवधि में वैशाली, दरभंगा और सहरसा जिलों में से प्रत्येक में लगभग 76 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। डकैती, लूट, सड़क लूट, अपहरण आदि अपराधों में भी 2005 की अपेक्षा 2008 में एक समान कमी दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान पश्चिम चंपारण, रेलवे, और सहरसा जैसे जिलों में डकैती के मामलों में तथा पश्चिम चंपारण, सहरसा समस्तीपुर और शिवहर में लूट के मामलों में बढ़त देखी गई। लेकिन देखा जा सकता है कि कुछ जिलों में अपहरण, सड़क डकैती और सड़क लूट के छिटफुट मामले ही दर्ज किए गए और उनमें भी गिरावट दिखी।

दोषसिद्धि (कनविक्शन) : यह स्वीकृत तथ्य है कि अपराध दर अपराधियों की दोषसिद्धि से प्रत्यक्षतः संबंधित है। दोषसिद्धि के अभाव में अधिक अपराध करने के लिए अपराधियों का हौसला बढ़ता है, वहीं तेजी से दोषसिद्धि होना प्रमुख अवरोधक का काम करता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) के

कुल मामले 2006 में 2,178, 2007 में 3,695 और 2008 में (नवंबर तक) 4,461 थे। यह 2006 से 2007 के बीच 70 प्रतिशत और 2007 और 2008 के बीच 20 प्रतिशत वृद्धि की सूचना देता है। शस्त्र अधिनियम के मामलों में वृद्धि दर वास्तव में ऋणात्मक थी। इन तीनों वर्षों में दोष सिद्धि की दरें काफी अधिक थीं। आइपीसी मामलों में दोषसिद्ध अपराधियों की संख्या 2006 से 2007 के बीच 68 प्रतिशत और 2007 से 2008 के बीच 25 प्रतिशत रही है (तालिका 1.19)।

तालिका 1.19 : अपराधियों की दोषसिद्धि (जनवरी 2006 से नवंबर 2008)

महीना	मामलों की सं.		दोषसिद्ध अपराधियों की सं.		दंड की श्रेणी				
	आइपीसी	शस्त्र अधिनियम	आइपीसी	शस्त्र अधिनियम	मृत्युदंड	आजीवन कारावास	10 साल से अधिक	10 साल से कम	कुल दोष सिद्धि
2006	2178	1156	5230	1609	17	1389	366	5067	6839
2007	3695	800	8774	1154	39	2168	680	6966	9853
2008 (नवंबर 2008 तक)	4461	706	10994	1018	27	2307	610	9063	12007
कुल योग	10334	2662	24998	3781	83	5864	1656	21096	28699
2006 से 2007 के बीच % परिवर्तन	69.65	-30.80	67.76	-28.28	129.41	56.08	85.79	37.48	44.07
2007 से 2008 के बीच % परिवर्तन	20.73	-11.75	25.30	-11.79	-30.77	6.41	-10.29	30.10	21.86

<u>महिलाओं के विरुद्ध अपराध</u> : एनसीआरबी की सांख्यिकी में पाया गया है कि पांच वर्षों में (2002-2006) महिलाओं के विरुद्ध आइपीसी मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर 7.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। वस्तुत: 2002 और 2003 को छोड़ दें, तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले 1996 से ही बढ़ते रहे हैं। महिलाओं से संबंधित अपराधों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बड़ी संख्या में (38.3 प्रतिशत) मामले पतियों अथवा संबंधियों द्वारा महिलाओं पर आक्रमण से संबंधित हैं; बलात्कार का तीसरा और अपहरण का चौथा स्थान था। फिर महिला विरोधी अपराधों के राष्ट्रीय आंकड़ों पर एक नजर डालने से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का सूची में ऊपर स्थान था। वर्ष 2007 में बड़े राज्यों के बीच बिहार का 28वां स्थान था और कुल संज्ञेय अपराधों में इसका हिस्सा 8.1 प्रतिशत था (अनुसूची 7)।

महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है। इस मामले में ऐसे अपराधों के संबंध में अपने प्रयास केंद्रित करने के लिए तमाम आरक्षी अधीक्षकों का उपयुक्त संवेदनीकरण किया गया है। हर जिले में आरक्षी

अधीक्षक कार्यालय में विशेष रूप से महिला उत्पीड़न कोषांग गठित करने की योजना बनाई जा रही है। मानव ट्रैफिकिंग विरोधी कार्यकम (एएचटी) के अंतर्गत महिला ट्रैफिकिंग रोकने के लिए अपराध अन्वेषण विभाग (सीआइडी) संयुक्त राष्ट्र माादक दव्य एवं अपराध विषयक संगठन (यूएनओडीसी) के परामर्श से काम कर रहा है।

<u>अनुसूचित जाति/ जनजाति के विरुद्ध अपराध</u> : अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, दोनों नितांत असुरक्षित हैं। अतएव, सामाजिक न्याय का तकाजा पूरा करने के लिए उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकना अनिवार्य हो जाता है। राज्य सरकार इसके प्रति वचनवद्ध है और कुछ पहलकदमियों के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध 2006 के 9.3 प्रतिशत से गिरकर 2007 में 7.5 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार जनजातीय आबादी के मामले में भी अपराध में गिरावट आई है जो 1.2 प्रतिशत से घटकर 1.0 प्रतिशत हो गया है।

तालिका 1.20 : अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के खिलाफ अपराध

राज्य	अपराध प्रतिशत में			
	अनसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां	
	2006	2007	2006	2007
बिहार	9.3	7.5	1.2	1.0
आंध्र प्रदेश	11.3	14.4	13.6	13.7
मध्य प्रदेश	13.7	15.6	27.1	25.9
राजस्थान	13.9	14.4	20.1	16.7
उत्तर प्रदेश	20.5	18.3	-	-
गुजरात	3.5	3.7	2.8	2.8
महाराष्ट्र	3.9	3.9	4.3	4.6
उड़ीसा	4.5	4.3	7.1	6.0
तमिलनाडु	5.8	3.7	-	-
कर्नाटक	6.1	6.4	3.7	3.7
झारखंड	-	-	4.8	5.7
छत्तीसगढ़	-	-	11.1	10.1
केरल	-	-	1.6	1.3
अन्य राज्य	7.5	7.8	2.6	8.5

तालिका 1.20 में देखा जा सकता है कि 2006 और 2007, दोनों वर्षों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति/ जनजाति विरोधी अपराधों के काफी अधिक मामले दर्ज किए गए थे। यह भी देखा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात – सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की दर्ज संख्या बढ़ रही है।

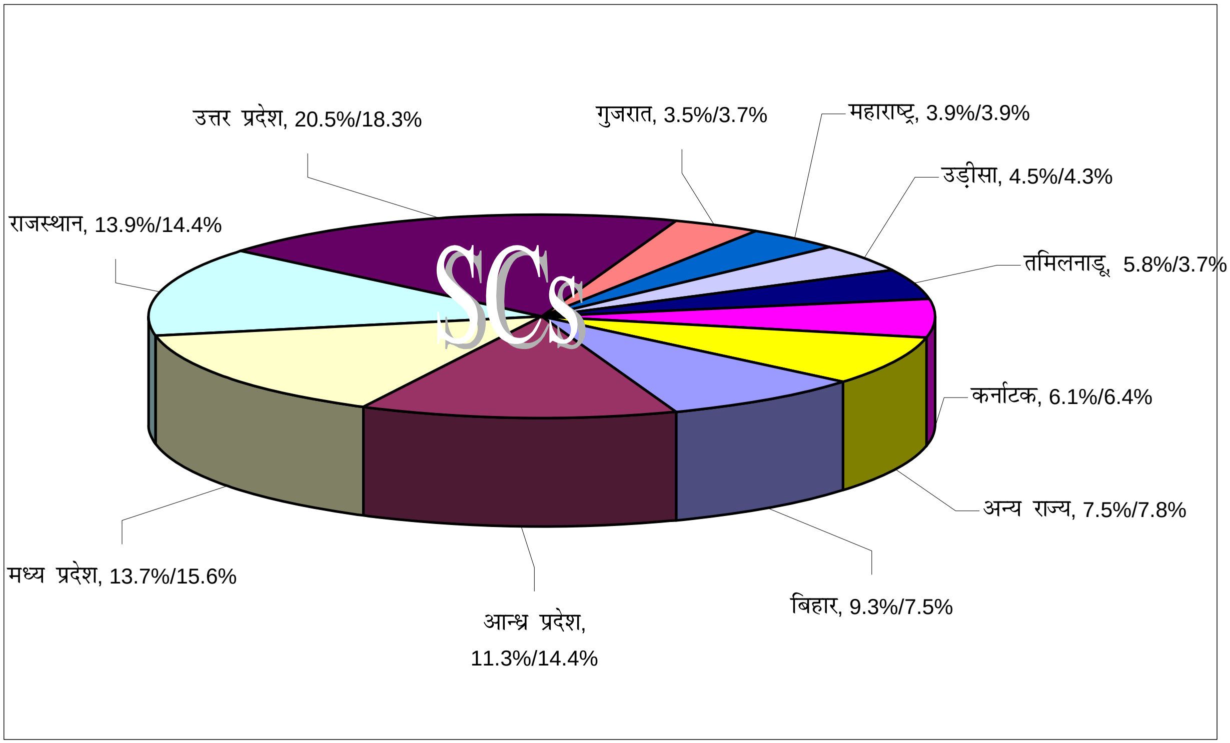
SCs
उत्तर प्रदेश, 20.5%/18.3%
गुजरात, 3.5%/3.7%
महाराष्ट्र, 3.9%/3.9%
उड़ीसा, 4.5%/4.3%
तमिलनाडु, 5.8%/3.7%
राजस्थान, 13.9%/14.4%
कर्नाटक, 6.1%/6.4%
अन्य राज्य, 7.5%/7.8%
मध्य प्रदेश, 13.7%/15.6%
बिहार, 9.3%/7.5%
आन्ध्र प्रदेश, 11.3%/14.4%

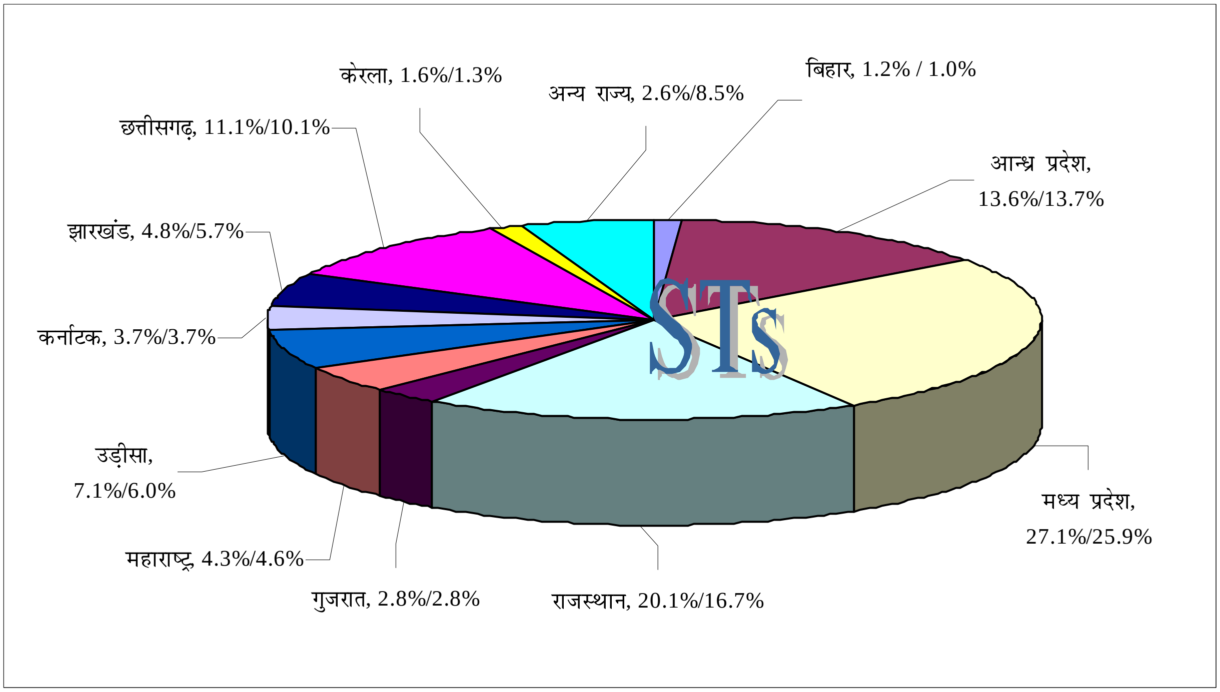
STs
केरला, 1.6%/1.3%
अन्य राज्य, 2.6%/8.5%
बिहार, 1.2% / 1.0%
छत्तीसगढ़, 11.1%/10.1%
आन्ध्र प्रदेश, 13.6%/13.7%
झारखंड, 4.8%/5.7%
कर्नाटक, 3.7%/3.7%
उड़ीसा, 7.1%/6.0%
मध्य प्रदेश, 27.1%/25.9%
महाराष्ट्र, 4.3%/4.6%
गुजरात, 2.8%/2.8%
राजस्थान, 20.1%/16.7%

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के खिलाफ हुए अपराधों की पुलिस के पास बिना डरे रिपोर्ट दर्ज कराई जाय, पटना के अनुसूचित जाति/ जनजाति थाने में एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है जिसका अधिकारक्षेत्र पूरा राज्य है। यहां चौबीसो घंटे काम के लिहाज से कर्मियों की तैनाती की गई है और उन्हें अजा/ अजजा के खिलाफ की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसका अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) आरक्षी मुख्यालय के एक आरक्षी अधीक्षक द्वारा किया जा रहा है।

पुलिस प्रशासन

बिहार आरक्षी अधिनियम, 2007 राज्य सरकार द्वारा ली गई एक महत्वपूर्ण पहलकदमी है जिसमें मानवाधिकारों के प्रोत्साहन का ध्यान रखा गया है और पुलिस की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया गया है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। वर्ष 2006-07 में पुलिस प्रशासन पर व्यय में 2005-06 के मुकाबले 27.4 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन की मदद के लिए 5,000 पूर्वसैनिकों की नियुक्ति की है। अकार्यशील पड़े बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को पुनर्जीवित किया गया है। इसके अलावा, पुलिसकर्मियों के लिए 2,650 रु. वर्दी भत्ता स्वीकृत किया गया है। गृहरक्षकों का दैनिक भत्ता भी बढ़ाया गया है और 20,000 नए स्वयंसेवकों का नामांकन किया गया है। एक बिहार पुलिस अकादमी एवं शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है और इस मकसद से राजगिर (नालंदा) में 133.28 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में एक आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन किया है। दस्ते को ऐसी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैश किया जा रहा है।

राजधानी में पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए अनेक थानों और अनुमंडलीय आरक्षी अधिकारी कार्यालयों तथा दो नगर आरक्षी अधीक्षकों के पदों का सृजन किया गया है।

पुलिस के सक्रिय सहयोग से कुल 1,84,987 गरीब और अनाथ बच्चे विद्यालयों में दाखिल कराए गए हैं। पुलिस के इस प्रयास ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया है और अब बच्चे उन्हें 'पुलिस अंकल' कहते हैं। पुलिस राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी राज्य सरकार का सक्रिय सहयोग कर रही है।

जहां तक भ्रष्टाचार के मामलों की बात है, तो राज्य सरकार इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बिहार सतर्कता अनुसंधान ब्यूरो (बिहार विजिलेंस इनवेस्टिगेशन ब्यूरो) उच्च मनोबल के साथ काम कर रहा है। मोबाइल फोनों के नंबर के व्यापक प्रचार के जरिए ब्यूरो इन फोनों पर हासिल सूचनाओं के आधार पर अनेक भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को पकड़ने में सफल रहा। वर्ष 1995 से 2005 के बीच भ्रष्ट लोगों को रंगे हाथ पकड़ने के (ट्रैप केसेज) मात्र 47 मामले दर्ज हुए थे। लेकिन अकेले 2006 में ऐसे

60 मामले दर्ज हुए और 68 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए। वर्ष 2007 में ऐसे 108 मामले और 126 गिरफ्तारियां हुईं जबकि 2008 में (नवंबर तक) इनकी संख्या क्रमशः 78 और 92 है।

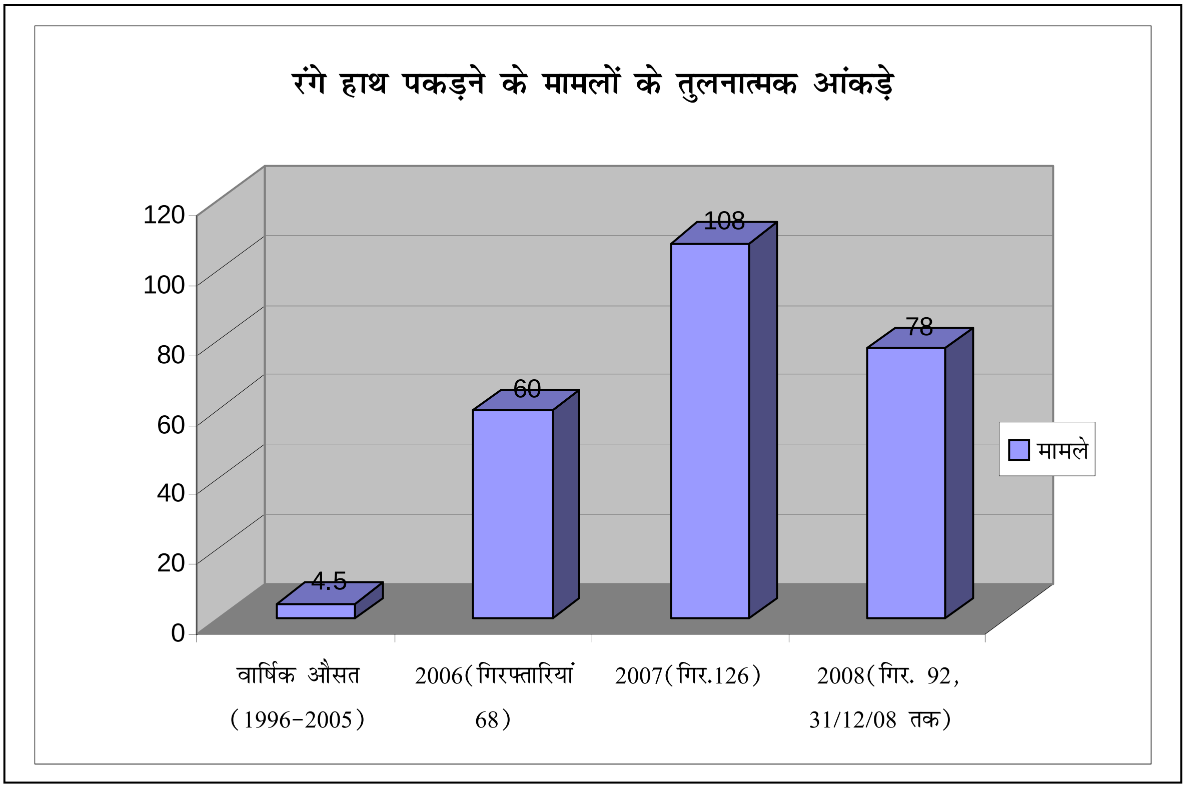

भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथ पकड़ने के 2006 में 103 मामले दर्ज हुए थे जो 2007 में 133 और 2008 में (नवंबर तक) 110 हो गए। वर्ष 2007 में 1985 से लंबित पड़े मामलों की छानबीन का अभियान चलाया गया था। वर्ष 2006 में भ्रष्टाचार के 99 मामलों की छानबीन की गई थी। इनकी संख्या 2007 मे 277 और 2008 में (दिसंबर तक) 89 हो गई। फलतः आय से अधिक परिसंपत्तियों के मामलों में 10 करोड़ रु. से अधिक की संपत्ति की पहचान की गई और मुकदमे दर्ज किए गए। इसी प्रकार, राज्य खाद्य निगम और इसके मालवाहकों (ट्रांसपोर्टर्स) के जुड़ी अनेक अनियमितताओं का पता लगाया गया है।

रंगे हाथ पकड़े गए लोगों के मुकदमों की सुनवाई के लिए नया विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। राज्य सरकार ने सुमुचित छानबीन करके कर्मियों की नियुक्ति का निर्णय किया है। प्रतिनियुक्ति की अवधि में उन्हें 15 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन भुगतान किया जाएगा और एक पदोन्नति भी मिलेगी। बिहार सतर्कता अनुसंधान ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की प्रक्रिया चल रही है। परिवादियों (कंप्लेंट्स) को रिश्वत दी गई राशि का तत्काल भुगतान किया जाएगा। ब्यूरो को इस मकसद से 20 लाख रु. उपलब्ध करा दिए गए हैं।

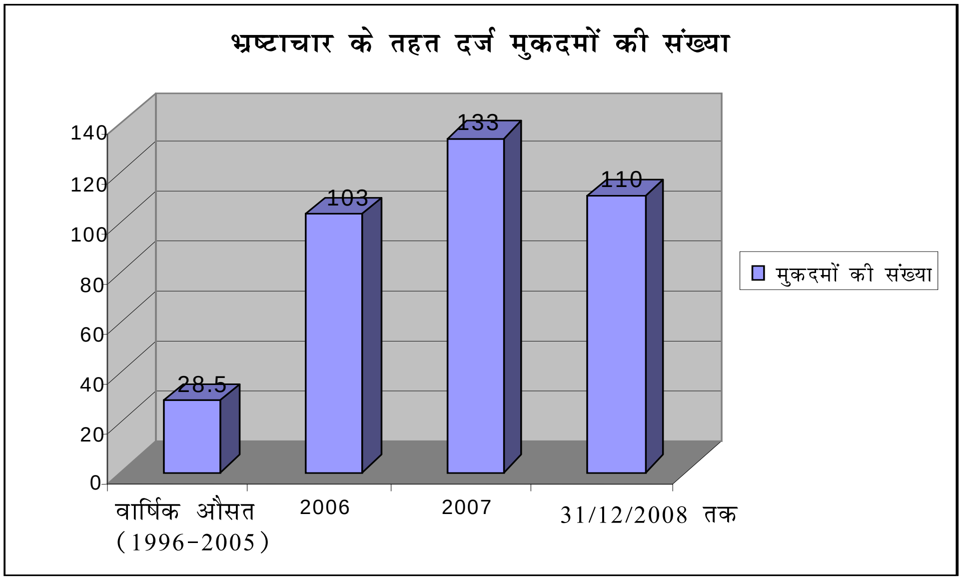

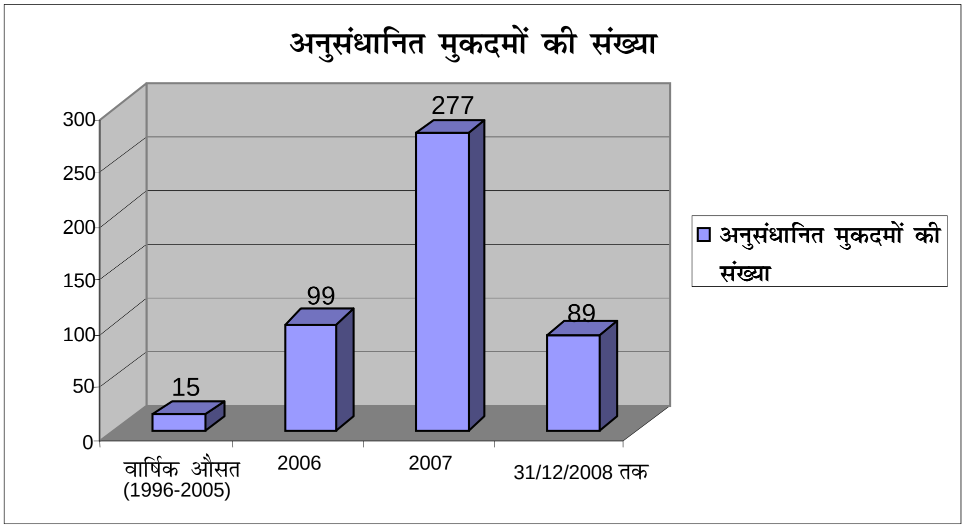

कारा प्रशासन

बिहार में 6 केंद्रीय कारा, 33 जिला कारा और 17 उप-कारा हैं (तालिका 1.21))। उदाकिशनगंज का उप-कारा क्रियाशील नहीं है। सभी काराओं में कुल मिलाकर उनकी क्षमता से अधिक बंदी थे। तथापि केंद्रीय काराओं के मामले में आंकड़ों से पता चलता है कि रह रहे बंदियों की संख्या (11,312) क्षमता (12,349) से कम है। अलग-अलग केंद्रीय काराओं के आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि पटना आदर्श कारा और गया केंद्रीय कारा में क्षमता से अधिक बंदी हैं। मुजफ्फरपुर और बक्सर केंद्रीय काराओं में क्षमता के लगभग बराबर बंदी थे। भागलपुर के केंद्रीय कारा और विशेष केंद्रीय कारा में बंद लोगों की संख्या क्षमता से काफी कम थी। लेकिन 33 जिला

काराओं में कुल मिलाकर 23,105 बंदी थे जबकि उनकी क्षमता 15,860 की है। एक और उल्लेखनीय तथ्य महिला बंदियों से संबंधित है जिनकी संख्या 885 भी क्षमता (587) से अधिक है (परिशिष्ट 8)।

तालिका 1.21 : कारा प्रशासन में मानव बल

क्रम सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	नए स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पद	कार्यशील बल	रिक्त	रिक्त प्रतिशत में
सुरक्षा संबंधी पदनाम							
1	कारा अधीक्षक	57 (2 मुख्य अधिकारियों सहित)	-	57	33	24	42.11
2	कारापाल	31	12	43	31	11	25.58
3	उप कारापाल	108	93	201	64	137	68.16
4	प्रधान मुख्य वार्डन	7	32	39	4	35	89.74
5	मुख्य वार्डन	266	284	550	210	340	61.82
6	वार्डन	2247	2844	5091	1233	3858	75.78
	वार्डन की जगह कार्यरत पूर्वसैनिक				74		—
7	महिला सिपाही	157	0	157	105	52	33.12
8	विशेष सहायक पुलिस (सैप)	0	770	770	0	770	100.00
योग		**2873**	**4035**	**6908**	**1754**	**5227**	75.67
चिकित्सा संबंधी पदनाम							
9	(क) कारा चिकित्सक	64	-	64	47	17	26.56
	(ख) कारा चिकित्सक (वाह्य स्रोत)	-	43	43	0	43	100.00
10	कंपाउंडर (मिश्रक)	58	43	101	10	91	90.10
11	ड्रेसर (परिधापक)	51	50	101	13	88	87.13
योग		**173**	**136**	**309**	**75**	**239**	77.35
अन्य पदनाम							
12	लेखा अधिकारी	0	6	6	0	6	100.00
13	लेखापाल	0	32	32	0	32	100.00
14	लेखा लिपिक	0	23	23	0	23	100.00
15	कनीय संवर्ग लिपिक	15	21	36	14	22	61.11
16	कारा लिपिक	117	0	117	87	30	25.64
17	हज्जाम	0	105	105	0	105	100.00
18	सफाई मजदूर	22	503	525	22	503	95.81
योग		**154**	**690**	**844**	**123**	**721**	85.43
कुल योग		**3200**	**4861**	**8061**	**1947**	**6187**	76.75

स्रोत : गृह विभाग, बिहार सरकार

बंदियों की समुचित सुरक्षा एवं देखरेख के लिए काराओं में सुरक्षा तथा चिकित्सा संबंधी देखरेख के लिए कर्मचारी पदस्थापित हैं। अधिक दोषसिद्धियों के लिहाज से काराओं में बंदियों की संख्या बढ़ सकती है। इस पृष्ठभूमि में सुरक्षाकर्मियों के कुछ नए पद भी सृजित किए गए थे जिनके कारण स्वीकृत पदों की कुल संख्या 2,873 से बढ़कर 6,908 हो गई। लेकिन स्वीकृत पदों में वृद्धि के बावजूद सुरक्षाकर्मियों के 5,227 (75.67 प्रतिशत) पद रिक्त हैं। इसी प्रकार, चिकित्सा संबंधी पदों में, कुल 309 स्वीकृत पदों में से 75 (24.27 प्रतिशत) भरे थे। लेखा और अन्य अनुभागों में, कुल 844 पदों में से 85.43 प्रतिशत रिक्त थे। इस प्रकार, कुल 8,061 स्वीकृत पदों में से 6,187 (77 प्रतिशत) रिक्त हैं।

कारा प्रशासन में सुधार हेतु राज्य सरकार ने अनेक पहलकदमियों की योजना बनाई है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

(1) कारा प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्तमान रिक्तयों के बरअक्स अधिकारियों-कर्मियों की नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं। आदर्श केंद्रीय कारा, बेउर, पटना में एक कारा सुधार संस्थान की स्थापना की गई है।

(2) वर्ष 2002-03 से प्रारंभ होकर पांच वर्षों के लिए तय कारा सुधार की केंद्र प्रायोजित योजना (सेंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम) के अधीन गैर-योजनागत योजना (नॉन-प्लान स्कीम) के तहत कुल 179.43 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। योजना के लिए केंद्र और राज्य के अंशदान क्रमशः 75 और 25 के अनुपात में हैं। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए क्रमशः 63.86 करोड़ रु. और 103.13 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए हैं। ये राशियां काराओं/ उप-काराओं, बंदी सेलों, पहरे की मीनारों (वाच टावर्स), वार्डन और गार्ड के बैरकों, शौचालयों, 50 काराओं में आधुनिक रसोईघरों के निर्माण, चापाकल लगाने आदि के लिए निर्धारित हैं।

(3) काराओं के अंदर स्वच्छता बहाल रखने के लिए सफाईकर्मियों के 503 पद स्वीकृत किए गए हैं।

(4) कारा के लेखों के अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) और जांच के लिए लेखा अधिकारियों के 6, लेखापालों के 32 और लेखा लिपिकों के 23 पद सृजित किए गए हैं।

(5) स्वास्थ्य की देखरेख तथा कैंसर और किडनी खराब होने जैसी गंभीर बीमारियों के मामले में समुचित इलाज में बंदियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक बंदी कल्याण कोष स्थापित करने की योजना है। कोष में सरकार के अंशदान के अलावा बंदियों की कारा के अंदर आय से भी कुछ अंशदान की योजना है।

(6) शोषण एवं यातना से महिलाओं एवं बाल बंदियों के बचाव के लिए बिहार विधान सभा की महिला एवं बाल विकास समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जा रहा है।

(7) काराओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वीडियो कंफरेंसिंग, क्लोज सर्किट टीवी, और मेटल डिटेक्टर, वाकी-टाकी, स्कैनर जैसे सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान किया गया है।

(8) काराओं में बिजली के पंखे और श्वेत-श्याम टीवी लगाए गए हैं। 12 काराओं में एलपीजी कुकिंग सिस्टम लगाया गया है। इन्हें 2008-09 तक शेष काराओं में भी ये लगाया जा रहा है। बेउर कारा, पटना में बेकरी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कुछ काराओं में मुद्रण मशीनें, कंबल बुनाई के हथकरघे, मसाला पिसाई मशीनें आदि लगाई जा रही हैं और कौशल विकास के लिए बंदियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(9) बक्सर में एक खुला कारा के निर्माण की योजना है जिसके लिए 4.10 करोड़ का अनुमोदन किया गया है।

(10) सभी केंद्रीय काराओं और कुछ जिला काराओं में बंदियों के वस्त्र, टेंट, तारपोलिन, कालीन, साबुन, कंबल आदि के निर्माण के लिए कार्यशालाएं मौजूद हैं। बंदियों को विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है और किए गए हल्के, मध्यम अथवा भारी परिश्रम के लिहाज से उन्हें क्रमशः 8 रु., 10 रु. और 12 रु. का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2007-08 में बंदियों द्वारा तैयार वस्तुओं की बिक्री से कारा विभाग को 9.35 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ था।

(11) मुंगेर योग विद्यालय के साथ मिलकर शारीरिक एवं नैतिक विकास के लिए बंदियों को जीवन-कला, योग आदि का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(12) महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के लिए दूध पिलाने हेतु अलग बर्तनों और बोतलों का प्रावधान है। बच्चों को टीके भी लगाए जाते हैं।

(13) काराओं के लिए एक लोक शिकायत कोषांग भी है और एक पदाधिकारी को इस मकसद से नामित किया गया है।

1.5 आपदा प्रबंधन

बिहार अनेक आपदाओं के मामले में ऐतिहासिक रूप से असुरक्षित रहा है। राज्य खास तौर पर दो आपदाओं के लिहाज से असुरक्षित है - बाढ़ और भूकंप।

<u>भूकंप</u>

बिहार उत्तर से हिमालय के अग्रीय प्रणोद (फ्रंटल थ्रस्ट) द्वारा बंधा है। देश में आए बड़े भूकंपों में से कुछ उच्च सिस्मिक जोन में अवस्थित बिहार में भी आए हैं। राज्य के आठ जिले जोन 5 में (सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, और दरभंगा), बीस जिले जोन 4 में (पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, खगड़िया, पटना और नालंदा) तथा शेष जिले जोन 3 में हैं। पटना शहर जोन 4 में है और इसकी जनसंख्या 17 लाख से अधिक है। इस शहर में आने वाला कोई भी भूकंप भयानक आपदा में बदल सकता है। 15 जनवरी, 1934 को आए और भारत और नेपाल, दोनों को प्रभावित करने वाले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.0 थी। उसमें उत्तर बिहार में लगभग 10,700 लोग मारे गए थे और मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा तथा मुंगेर शहरों में भारी क्षति हुई थी। उसका झटका पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में महसूस किया गया था – मुंबई में भी और यहां तक कि केरल में भी। राज्य में आए अन्य भूकंपों की सूची तालिका 1.22 में दी गई है।

तालिका 1.22 : बिहार में आए भूकंप

तिथि	प्रभावित क्षेत्र	रिक्टर पैमाने पर तीव्रता
4 जून, 1764	बिहार- पश्चिम बंगाल सीमा	6.0
23 अगस्त, 1833	नेपाल सीमा	7.7
23 मई, 1866	नेपाल सीमा	7.0
23 मई, 1866	बिहार-झरखंड सीमा	5.5
30 सितंबर, 1868	हजारीबाग	5.7
7 अक्तूबर, 1920	बिहार-उत्तर पद्रेश सीमा	5.5
15 जनवरी, 1934	बिहार-नेपाल सीमा	8.0
11 जनवरी, 1962	बिहार-नेपाल सीमा	6.0
21 अगस्त, 1988	बिहार-नेपाल सीमा	6.8

<u>बाढ़</u>

बाढ़ आना बिहार की नियमित वार्षिक आपदाजनक घटना है हालांकि इनकी तीव्रता में अंतर होता है। बिहार देश का सर्वाधिक बाढ़प्रवण राज्य है जिसका लगभग 73.06 प्रतिशत क्षेत्रफल (68,000 वर्ग कि.मी.) बाढ़प्रवण है। उत्तर बिहार के मैदान बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित हैं और यहां की 76 प्रतिशत जनसंख्या बाढ़प्रवण है। इस क्षेत्र में गत 30 वर्षों के दौरान सबसे अधिक बाढ़ देखी गई है। बिहार को 1978, 1987, 1998, 2007 और 2008 में उच्च क्षमता की बाढ़ झेलनी पड़ी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी इन वर्षों के दौरान वृद्धि होती गई है।

वर्ष 2002 में, राज्य में बाढ़ से 25 जिले प्रभावित हुए थे। उस दौरान 489 लोगों की मौत हुई थी और 160.11 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। सबसे अधिक मृत्यु दरभंगा जिले में हुई थी (74)। इस बाढ़ में 1,450 पशु मरे थे, जिनमें से 671 की मौत अकेले समस्तीपुर जिले में हुई थी। कुल 9.26 लाख हेक्टेयर फसली क्षेत्र (क्रॉप्ड एरिया) प्रभावित हुआ था। इसके अलावा, 4,19,014 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, जिसमें से 2,10,382 अकेले मधुबनी जिले में थे (तालिका 1.23)।

वर्ष 2004 की बाढ़ ने राज्य में समस्या की बढ़ी तीव्रता दर्शाई जब बागमती, कमला और अधवारा समूह की नदियों की बाढ़ से उत्तर बिहार के 20 जिलों में 23,490 वर्ग कि.मी. क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इस बाढ़ में 885 लोगों की मृत्यु हुई थी और 213.19 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इस बार भी दरभंगा जिले में ही सबसे अधिक मृत्यु हुई थी। इसके अलावा, 3,992 पशुओं की मौत हुई थी, जिनमें से 718 अकेले सीतामढ़ी जिले के थे। कुल 13.99

लाख हे. फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ था। कुल क्षतिग्रस्त 9,29,773 मकानों में से 2,19,500 अकेले अररिया जिले के थे (तालिका 1.24)।

तालिका 1.23 : बिहार में 2002 की बाढ़ का आंकड़ा सार

जिला	व्यक्ति (लाख में)	फसली क्षेत्र (लाख हे. में)	क्षतिग्रस्त मकान	जीवन हानि	
				मानव	पशु
मुजफ्फरपुर	10.53	0.48	4108	41	85
प. चंपारण	0.85	0.18	4200	0	152
पू. चंपारण	2.7	0.41	2861	1	0
सीतामढ़ी	22.47	0.8	30812	47	15
शिवहर	3.53	0.3	30456	20	55
सारण	4.93	0.25	36	15	22
सीवान	2.13	0:15	4109	4	2
गोपालगंज	6.96	1.02	8161	42	56
दरभंगा	26.26	1.32	36235	74	23
समस्तीपुर	12.31	0.63	38676	86	671
मधुबनी	24.7	1.71	210382	35	102
सहरसा	5.99	0.23	8072	20	2
सुपौल	3.02	0.44	4406	5	2
मधेपुरा	0.79	0.06	37	2	0
पूर्णिया	6.98	0.23	3139	6	0
अररिया	5.83	0.26	7332	22	1
किशनगंज	2.39	0.05	3135	0	0
कटिहार	6.98	0.4	9746	5	252
बेगूसराय	2.15	0.09	1006	10	6
खगड़िया	7.37	0.3	7207	47	4
लखीसराय	0.02	0.01	479	0	0
भागलपुर	0.04	0.004	322	0	0
पटना	0.52	0.07	0	0	0
नालंदा	0	0	685	7	0
शेखपुरा	0.66	0.005	3412	0	0
योग	160.11	9.259417	419014	489	1450

तालिका 1.24 : बिहार में 2004 की बाढ़ का सारांश

जिला	व्यक्ति (लाख में)	फसली क्षेत्र (लाख हे. में)	क्षतिग्रस्त मकान	जीवन हानि	
				मानव	पशु
मुजफ्फरपुर	16.44	0.73	40103	91	168
सीतामढ़ी	28.59	0.45	118903	102	718
शिवहर	5.17	0.35	41300	25	33
पू. चंपारण	20.01	1.89	52365	15	534
प. चंपारण	0.81	0.28	652	0	0
वैशाली	0.89	0.04	1093	0	0
दरभंगा	32.12	0.94	117202	251	664
मधुबनी	29.29	2.18	122205	93	579
समस्तीपुर	18.06	0.61	70999	161	350
सहरसा	6.74	0.67	5996	8	0
सुपौल	4.21	0.47	15131	7	3
मधेपुरा	5.14	0.49	4790	18	42
पूर्णिया	6.06	1.31	2245	6	8
अररिया	16.5	1.56	219500	14	32
किशनगंज	2.48	0.02	9690	4	0
कटिहार	6.09	0.6	2830	19	0
खगड़िया	9.22	0.9	68500	39	125
बेगूसराय	3.34	0.25	27257	10	8
भागलपुर	1.45	0.2	9012	20	28
गोपालगंज	0.58	0.05	0	2	0
योग	**213.19**	**13.99**	**929773**	**885**	**3292**

वर्ष 2007 में लगभग सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के चलते आई बाढ़ के कारण लगभग पूरे उत्तर बिहार में भारी बाढ़ आई थी। इस दौरान 22 जिले प्रभावित हुए थे और 28 अलग-अलग स्थानों पर तटबंध टूटे थे। हर बाढ़ के साथ बिहार में मानव मृत्यु के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान 1,287 लोगों की मौत हुई थी जिसमें से सर्वाधिक मौतें (201) समस्तीपुर में हुई थीं। 10.60 लाख हे. फसली क्षेत्र को नुकसान पहुंचा था। क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 7,42,330 थी, जिसमें से अकेले मधुबनी में 1,45,517 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे (तालिका 1.25)।

तालिका 1.25 : बिहार में 2007 की बाढ़ का विहंगावलोकन

जिला	व्यक्ति (लाख में)	फसली क्षेत्र (लाख हे. में)	क्षतिग्रस्त मकान	जीवन हानि	
				मानव	पशु
मुजफ्फरपुर	32.63	0.88	37450	154	882
सीतामढ़ी	28.39	0.8	90318	59	201
शिवहर	3.54	0.12	50728	10	4
पू. चंपारण	37.08	0.41	71564	122	151
प. चंपारण	7.07	0.73	21201	22	4
वैशाली	14.37	0.78	4 l998	47	78
दरभंगा	33.61	0.81	83489	158	378
मधुबनी	18.01	0.79	145517	89	59
समस्तीपुर	19.47	1.25	56397	201	64
सहरसा	3.65	0.27	14024	42	0
सुपौल	2.37	0.12	11671	1	0
मधेपुरा	0.7	0.05	2100	19	0
पूर्णिया	0.14	0.003	716	0	0
अररिया	0.01	0.00	99	0	0
कटिहार	5.4	0.19	2312	37	2
गोपालगंज	1.64	0.13	3701	13	0
सीवान		0.00	0	0	0
पटना	7.48	0.27	55457	5	0
नालंदा	6.04	0.69	16760	20	21
खगड़िया	10.14	0.5	36720	155	290
बेगूसराय	6.58	1.31	18385	92	289
भागलपुर	6.1	0.50	23721	41	0
योग	246.42	10.60	742330	1287	2423

वर्ष 2008 में बाढ़ से 19 जिले प्रभावित हुए। कुल 533 में प्रखंडों में से 117 डूब गए, जिनमें 928 पंचायत और 2,534 गांव शामिल थे। इस बाढ़ में 608 लोगों की मौत हुई जिनमें से सर्वाधिक लोग मधेपुरा के थे (270)। कुल 2.70 लाख हे. फसली क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। क्षतिग्रस्त मकानों की कुल संख्या 2,95,041 थी जिनमें से 1,30,041 मकान अकेले सुपौल जिले के थे (तालिका 1.26)।

तालिका 1.26 : बिहार में 2008 की बाढ़ का विहंगावलोकन

जिला	व्यक्ति (लाख में)	फसली क्षेत्र (लाख हे. में)	क्षतिग्रस्त मकान	जीावन हानि	
				मानव	पशु
मुजफ्फरपुर	1.41	0.00	4	12	0
पटना	1.83	0.12	1243	3	0
कटिहार	6.75	0.30	206	23	0
नालंदा	1.37	0.02	1571	2	0
प. चंपारण	0.2	0.0002	74	0	0
खगड़िया	1.99	0.06	1626	5	24
शेखपुरा	0.10	0.00	3	14	0
सारण	0.49	0.14	441	0	0
बेगूसराय	0.00	0.00	0	0	0
भागलपुर	1.58	0.20	1536	16	0
वैशाली	0.39	0.00	1279	3	0
किशनगंज	0.06	0.00	428	3	0
भोजपुर	0.78	0.005	0	3	0
सहरसा	4.49	0.29	26124	40	0
सुपौल	6.71	0.43	130207	211	0
मधेपुरा	14.2	0.58	114545	270	0
पूर्णिया	1.64	0.15	7682	1	0
अररिया	6.28	0.40	8439	2	0
सीतामढ़ी	0.00	0.00	0	0	4
योग	50.274	2.69655	295401	608	28

<u>कोशी बाढ़ 2008</u>

राज्य 2007 की बाढ़ से उबरता, इसके पहले ही 18 अगस्त, 2008 को कोशी ने अपनी विनाशकारी शक्ति दिखाई और उसने बराज से 12 कि.मी. ऊपर कुशहा में पूर्वी तटबंध तोड़ दिया। राज्य के पांच जिले बाढ़ में डूब गए और हानि इतनी अधिक हुई कि उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पड़ा।

तालिका 1.27 : बिहार में 2008 की कोशी की बाढ़ का आंकड़ा सार

विवरण	सुपौल	मधेपुरा	अररिया	सहरसा	पूर्णिया	योग
प्रभावित प्रखंडों की संख्या	5	11	4	6	9	35
प्रभावित पंचायतों की संख्या	65	140	71	59	77	412
प्रभावित गांवों की संख्या	178	370	141	169	140	998
प्रभावित जनसंख्या	670709	1419856	626062	448796	164000	3329423
प्रभावित परिवारों की संख्या	186661	374798	140895	130000	41645	873999
प्रभावित पशुधन	132500	303640	80000	161000	35000	712140
प्रभावित क्षेत्रफल (लाख हे.)	1	2	0	0	0	3
क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	130207	114545	8439	26124	7562	286877
हटाए गए परिवारों की संख्या	370000	335110	107937	115945	65000	993992
मानव मृत्यु की संख्या	211	272	2	44	1	530
पशुधन मृत्यु की संख्या	97	3322	0	22	0	3441

इस कारण आई बाढ़ ने राज्य के पांच जिलों (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया) के 35 प्रखंडों को प्रभावित किया जिसमें 412 पंचायतों के 998 गांव डूब गए। कुल मिलाकर 33.92 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 9,93,992 लोगों को बचाकर बाहर लाना पड़ा। इस प्रलय ने 530 लोगों की बलि ले ली है जिनकी संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि लोग अभी अपने गांवों में लौट ही रहे हैं। इसमें 3 लाख हे. क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है और 2,86,877 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगभग 2.84 लाख हे. जमीन पर गाद-बालू भर गया है, जिसमें से 2.69 लाख हे. कृषि भूमि है (तालिका 1.27)।

पांचो जिलों में मौजूद ग्रामीण सड़क नेटवर्क का 92 प्रतिशत हिस्सा (782.5 कि.मी. में से 721.2 कि.मी.) क्षतिग्रस्त हो गया है। इन जिलों में मौजूद लगभग 251 कि.मी. राज्य उच्चपथ और प्रमुख जिला सड़कें तथा 61 कि.मी. राष्ट्रीय उच्चपथ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी प्रकार, प्रभावित जिलों में 351 पुल-पुलिए पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसी तरह, इन पांच जिलों तथा समीपवर्ती कटिहार, किशनगंज और भागलपुर जिलों में विद्युत अधिसंरचना को भी भारी क्षति पहुंची है। इसी प्रकार की गंभीर क्षति शैक्षिक एवं स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं को भी पहुंची है।

कोशी की बाढ़ द्वारा हुई वित्तीय क्षति महज अधिसंरचना के नुकसान और राहत एवं पुनर्वास व्यय तक सीमित नहीं है। वस्तुतः क्षति का उससे भी अधिक गंभीर पक्ष प्रभावित अंचल की अर्थव्यवस्था को हुई अप्रत्यक्ष क्षति है। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त अधिसंरचनात्मक क्षमता और कृषि उत्पादन की बुरी तरह बिगड़ी स्थिति (खेतों में बलुई गाद जमा हो जाने से) के कारण राज्य के लिए भारी उत्पादन हानि का सामना करना तय है। उत्पादन में यह हानि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, प्रभावित लाखों लोगों के जीवन के लिए तो तात्कालिक महत्व का है क्योंकि इन नुकसानों से उनका मौलिक अस्तिरव ही खतरे में पड़ गया है। तालिका 1.28 में कोशी आपदा के बाद तात्कालिक राहत के बतौर बांटे गए खाद्यान्न, नगद और किट का विवरण दिया गया है।

कोशी बाढ़ : राहत के उपाय

- 35 कॉलम सेना और वायु सेना के 11 हेलीकॉप्टरों के साथ-साथ नाव के साथ स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के 855 स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी।
- बचाव एवं राहत कार्यों में 1000 नावें लगाई गई थीं।
- 4.5 लाख बाढ़ पीड़ितों के रहने के लिए 350 मेगा शिविर स्थापित किए गए थे।
- शिविरों में पूरी और सामान्य जिंदगी सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य सेवाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा खेलों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का समग्रतापूर्ण कनवर्जेंस किया गया था।

तालिका 1.28 : कोशी बाढ़पीड़ितों के लिए राहत कार्य के मुख्य बिंदु

विवरण	सुपौल	मधेपुरा	अररिया	सहरसा	पूर्णिया	योग
खाद्यान्न वितरण (क्विंटल में)	145157	353877	168282	111020	87955	866292
नगद वितरण (लाख रु. में)	3283	8351	3357	2493	1609	19095
सीएमआरएफ से वितरित किटों की संख्या	53844	66435	42541	20804	14412	198036

कोशी आपदा : पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण नीति

कोशी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण परियोजना आपदा प्रभावित लोगों के लिए निम्नलिखित हेतु एक व्यापक बहुक्षेत्रीय परियोजना है :

- मकानों का पुनर्निर्माण
- सामुदायिक सुविधाओं की उपलब्धता
- अधिसंरचना की बहाली और विकास
- टिकाऊ अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर आधारित जीविका सहयोग उपलब्धता
- सामाजिक विकास और सशक्तीकरण की सुनिश्चितता

परियोजना के मुख्य घटक आवासन, मलबा हटाना, अस्थायी शरणस्थल निर्माण, सार्वजनिक भवनों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण, जीविका कार्यक्रम, सामाजिक एवं भौतिक अधिसंरचना, तथा सामाजिक एवं सामुदायिक विकास हैं।

तालिका 1.29 : बिहार में बाढ़ राहत कार्य का विहंगावलोकन

विवरण	1998	2002	2004	2007	2008 (22-12-08 तक)
खाद्यान्न वितरण (क्विंटल)	794475	634992	843145	4685707.15	1098344.25
बाढ राहत हेतु कुल आबंटन (लाख रु.), जिसमें	**17817**	**6757.35**	**23132.75**	**93364.86**	**57353.03**
खाद्यान्न	9647.74	596	7500.00	35079.22	15582.79
नगद अनुदान	4505.68	276.00	5777.50	11355.81	3604.50
कृषि लागत सब्सिडी	0	225	3550	14000.00	4982.00
मानव मृत्यु पर अनुग्रह राशि भुगतान	169.05	263	305.16	926.50	786.00
मकान की क्षति पर मुआबजा	0.00	-	87	22442.50	11123.605

तालिका 1.29 में 1998 से राज्य में बाढ़ राहत आबंटन का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2008 में आबंटन बाढ़ के स्तर के अनुपात में है जिसका फैलाव तो 2007 के मुकाबले कम जिलों में था, लेकिन सघनता बहुत अधिक थी। वर्ष 2007-08 और 2008-09 में कृषि लागत सब्सिडी और मकानों की क्षति पर मुआबजा दर्शाता है कि तात्कालिक राहत से आगे बढ़कर, जीवन और जीविका के पुनर्वास पर आबंटन का विशेष जोर है।

<u>भविष्य के लिए तैयारी</u>

बाढ़ के मामले में स्थिति सुधारने के लिए अनेक उपायों की योजना बनाई गई है। गत वर्षों में ऊपर वर्णित नदी प्रणालियों के ऊपर तटबंध बनाए गए हैं, लेकिन निरंतर बहकर आती गाद की भारी मात्रा ने इन तटबंधों का टिकाऊपन घटा दिया है। इन उपायों द्वारा टिकाऊपन बढ़ाने की योजना बनाई गई है : (क) नेपाल में जलग्रहण क्षेत्रों का उपचार (ट्रीटमेंट), ख) ऊंची जगहों पर नदियों पर डैम, (ग) नदियों की उड़ाही (ड्रेजिंग), और (घ) एक नदी बेसिन का पानी दूसरे बेसिन में ले जाना (इंटर-बेसिन ट्रांसफर)। चूंकि पहले दो विकल्पों पर महज नाम मात्र का नियंत्रण है, इसलिए राज्य सरकार के नियंत्रण में नदियों की उड़ाही और एक बेसिन का पानी दूसरे बेसिन में ले जाना ही है। अनुमान है कि उड़ाही/ तली से गाद हटाने में पांच वर्षों के दौरान 5,098 करोड़ रु. खर्च आएगा जबकि इतनी अवधि में नदियों को जोड़ने पर आने वाला खर्च 3,580 करोड़ रु. होगा।

भूकंप के लिए प्रस्तावित उपाय अभियंताओं, राज मिस्त्रियों, वास्तुविदों (आर्किटेक्ट्स), भवन निर्माताओं (बिल्डर्स) तथा शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों का भूकंपरोधी निर्माण में प्रशिक्षण है। इसके अलावा स्वनिर्मित मकानों के लिए पर्चा, वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंटरी), होर्डिंग, छोटी फिल्म आदि सूचना, शिक्षा एवं संवाद सामग्रियाकं (आइईसी मेटेरियल्स) का भी उपयोग किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए एक विशेषज्ञ अनुक्रिया दल (स्पेशलिस्ट रिस्पौंस टीम) तैयार करने का भी प्रस्ताव है। पटना में राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) का एक बटालियन रहना चाहिए जिसके लिए राज्य सरकार ने 27 करोड़ रु. के व्यय से 74.47 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। इसके अलावा,

511 करोड़ रु. के व्यय से (एनडीआरएफ के मानकों के अनरूप) राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) के चार बटालियन भी बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सहरसा और दरभंगा में गठित किए जाएंगे। बिहार गृहरक्षा वाहिनी की एक बटालियन को भी आपदा प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित किया जाना है। इसके अलावा, 2,000 पूर्वसैनिकों (सैप) को भी नियुक्त एवं प्रशिक्षित किया जाना है। 560.60 करोड़ रु. के खर्च से हर प्रखंड (439) में अग्निशामक सहयोग भी दिया जाएगा। और अंत में, भूकंप और अग्निकांड में अग्निशमन केंद्र चूंकि बचाव के नोडल अभिकरण होंगे, इसलिए 75 करोड़ रु. के व्यय से उन्हें खोज एवं राहत उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रभावी आपदा प्रबंधन के अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) 9.80 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से 28 बाढ़प्रवण जिलों में से प्रत्येक को 10 मोटरबोट उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) 35 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ की तत्काल तैनाती तथा राहत सामग्री गिराने और कर्मचारियों की तैनाती हेतु एक हेलीकॉप्टर हासिल किया जाएगा। बचाव एवं राहत कार्य के लिए राज्य सरकार चुनिंदा जगहों पर 50 हेलीपैड बनवाएगी जिस पर 1.5 करोड़ (5 लाख रु. प्रति हेलीपैड) खर्च आएगा।

(3) सभी 38 जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र (ईओसी) केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भवन (6 लाख रु. प्रति जिला) तथा उपकरण (45 लाख रु. प्रति जिला) पर अनुमानतः 19.38 करोड़ रु. खर्च आएगा।

(4) टेंट, पूर्वनिर्मित आश्रय (प्री–फैब्रिकेटेड शेल्टर) आदि राहत सामग्रियों के भंडारण के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा में भंडारगृह बनवाए जाएंगे। 6,000 वर्गफीट क्षेत्रफल पर बनने वाले 1. हजार टन क्षमता के प्रति भंडारगृह पर कुल 6.30 करोड़ रु. खर्च आएगा (जमीन की कीमत के अलावा)।

(5) नागरिक रक्षा संगठन (सिविल डिफेंस ऑर्गनाइजेशन) का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसका विस्तार सभी असुरक्षित जिलों तक किया जाएगा। इसमें जिला स्तर पर 6.90 करोड़ रु. प्रति जिला व्यय अनुमानित है। राज्य स्तर पर अनुमानित व्यय 9.80 करोड़ रु. है – परिवहन (2 करोड़ रु.), उपकरण (5 करोड़ रु.) तथा प्रशिक्षण (2.80 करोड़ रु.)।

(6) असुरक्षा मानचित्रण (वल्नरेबलिटी मैपिंग), प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल, उपकरण आदि आपदा तत्परता हेतु पंचायती राज संस्थाओं को कोष उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं और नागरिक रक्षा संगठनों के समेकन की व्यवस्था की जाएगी।

(7) प्रत्येक प्रमुख वासस्थल में बहुद्देश्यीय सामुदायिक भवन सह आश्रय का निर्माण किया जाएगा। दोतल्ला भवन का फ्लोर एरिया 4 हजार वर्गफीट होगा जो भूकंपरोधी होगा। सामान्य समय में इसका उपयोग विद्यालय/ सामुदायिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। हर साल ऐसे 500 भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है। एक भवन का अनुमानित व्यय 35 लाख रु. है। इन सामुदायिक भवनों का भूक्षेत्र ऊंचा किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में वह हेलीपैड का काम कर सके।

परिशिष्ट 1 : बिहार में हत्याएं

	हत्याओं की संख्या					2005 से 2008 के बीच कमी (-)/ वृद्धि (+)
	जिला	2005	2006	2007	2008	
	पटना	436	387	320	341	-21.79
	नालंदा	158	137	121	120	-24.05
	भोजपुर	158	127	107	108	-31.65
	बक्सर	68	53	35	49	-27.94
	रोहतास	107	102	89	112	4.67
	भभुआ	57	59	55	43	-24.56
	गया	158	158	157	141	-10.76
	नवादा	78	77	75	79	1.28
	औरंगाबाद	58	82	67	70	20.69
	जहानाबाद	52	39	38	35	-32.69
	अरवल	28	22	17	28	0.00
	सारण	118	106	85	75	-36.44
	सीवान	89	93	74	99	11.24
	गोपालगंज	74	72	48	74	0.00
	पू. चंपारण	107	119	111	120	12.15
	बगहा	40	48	34	27	-32.50
	प. चंपारण	68	72	61	67	-1.47
	मुजफ्फरपुर	130	134	149	138	6.15
	वैशाली	60	99	120	106	76.67
	समस्तीपुर	62	45	51	72	16.13
	शिवहर	10	16	23	9	-10.00
	दरभंगा	41	62	76	72	75.61
	सीतामढ़ी	121	102	74	81	-33.06
	मधुबनी	69	62	76	56	-18.84
	सहरसा	17	44	50	30	76.47
	मधेपुरा	52	60	68	34	-34.62
	सुपौल	34	31	36	39	14.71
	पूर्णिया	113	57	90	71	-37.17
	कटिहार	78	59	63	63	-19.23
	अररिया	62	63	48	50	-19.35
	किशनगंज	25	18	23	32	28.00
	भागलपुर	101	119	92	90	-10.89
	बांका	49	65	46	70	42.86
	नौगछिया	52	35	30	31	-40.38
	मुंगेर	103	74	74	88	-14.56
	शेखपुरा	33	25	19	19	-42.42
	लखीसराय	52	47	35	40	-23.08
	जमुई	81	66	44	35	-56.79
	खगड़िया	47	53	48	55	17.02
	बेगूसराय	121	87	96	101	-16.53
	रेलवे पटना	15	16	15	25	66.67
	रेलवे जमालपुर	7	5	7	9	28.57
	रेलवे मुजफ्फरपुर	23	18	10	17	-26.09
	रेलवे कटिहार	11	10	6	8	-27.27
	योग	3423	3225	2963	3029	-11.51

गृह विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 2 : बिहार में डकैती

डकैतियों की संख्या						2005 से 2008 के बीच कमी (–)/ वृद्धि (+)
क्रम सं.	जिला	2005	2006	2007	2008	
1	पटना	127	87	58	63	-50.39
2	नालंदा	41	27	16	10	-75.61
3	भोजपुर	32	32	10	14	-56.25
4	बक्सर	30	28	12	8	-73.33
5	रोहतास	23	20	7	22	-4.35
6	भभुआ	18	30	7	3	-83.33
7	गया	112	72	48	34	-69.64
8	नवादा	19	7	8	8	-57.89
9	औरंगाबाद	21	23	30	23	9.52
10	जहानाबाद	35	16	11	15	-57.14
11	अरवल	10	2	4	1	-90.00
12	सारण	50	41	33	29	-42.00
13	सीवान	51	37	22	15	-70.59
14	गोपालगंज	10	25	11	16	60.00
15	पू. चंपारण	52	42	25	32	-38.46
16	बगहा	1	9	4	6	500.00
17	प. चंपारण	26	14	12	8	-69.23
18	मुजफ्फरपुर	47	50	31	34	-27.66
19	वैशाली	14	19	9	13	-7.14
20	समस्तीपुर	20	34	24	26	30.00
21	शिवहर	11	2	1	5	-54.55
22	दरभंगा	25	25	9	16	-36.00
23	सीतामढ़ी	19	12	13	8	-57.89
24	मधुबनी	45	50	17	22	-51.11
25	सहरसा	6	1	7	13	116.67
26	मधेपुरा	17	16	10	7	-58.82
27	सुपौल	39	7	9	3	-92.31
28	पूर्णिया	38	21	28	25	-34.21
29	कटिहार	19	8	9	16	-15.79
30	अररिया	37	43	40	49	32.43
31	किशनगंज	15	7	11	7	-53.33
32	भागलपुर	14	14	15	10	-28.57
33	बांका	33	17	20	14	-57.58
34	नौगछिया	6	4	2	1	-83.33
35	मुंगेर	19	19	5	6	-68.42
36	शेखपुरा	4	5	3	2	-50.00
37	लखीसराय	8	6	5	7	-12.50
38	जमुई	38	25	14	13	-65.79
39	खगड़िया	12	14	8	7	-41.67
40	बेगूसराय	9	7	6	10	11.11
41	रेलवे पटना	15	18	11	9	-40.00
42	रेलवे जमालपुर	10	7	10	8	-20.00
43	रेलवे मुजफ्फरपुर	11	15	3	2	-81.82
44	रेलवे कटिहार	2	9	8	5	150.00
	योग	1191	967	646	645	-45.84

परिशिष्ट 3 : बिहार में लूट

क्रम सं.	जिला	लूटों की संख्या 2005	2006	2007	2008	2005 से 2008 के बीच कमी (–)/ वृद्धि (+)
1	पटना	635	535	381	311	-51.02
2	नालंदा	91	56	48	23	-74.73
3	भोजपुर	46	57	42	44	-4.35
4	बक्सर	35	35	29	25	-28.57
5	रोहतास	26	37	20	49	88.46
6	भभुआ	18	16	19	15	-16.67
7	गया	129	100	90	70	-45.74
8	नवादा	31	24	17	25	-19.35
9	औरंगाबाद	27	34	26	20	-25.93
10	जहानाबाद	35	16	16	18	-48.57
11	अरवल	14	7	4	4	-71.43
12	सारण	60	80	82	57	-5.00
13	सीवान	122	100	71	55	-54.92
14	गोपालगंज	53	40	32	41	-22.64
15	पू. चंपारण	66	55	41	50	-24.24
16	बगहा	4	7	10	15	275.00
17	प. चंपारण	30	38	15	21	-30.00
18	मुजफ्फरपुर	91	102	70	50	-45.05
19	वैशाली	52	59	51	35	-32.69
20	समस्तीपुर	15	33	28	36	140.00
21	शिवहर	4	3	0	9	125.00
22	दरभंगा	18	25	20	10	-44.44
23	सीतामढ़ी	61	50	42	28	-54.10
24	मधुबनी	33	21	16	23	-30.30
25	सहरसा	28	34	55	70	150.00
26	मधेपुरा	38	40	34	33	-13.16
27	सुपौल	35	24	36	30	-14.29
28	पूर्णिया	96	70	47	27	-71.88
29	कटिहार	34	14	26	23	-32.35
30	अररिया	44	48	50	51	15.91
31	किशनगंज	10	11	11	17	70.00
32	भागलपुर	58	50	31	34	-41.38
33	बांका	14	18	27	24	71.43
34	नौगछिया	16	15	12	5	-68.75
35	मुंगेर	64	47	38	43	-32.81
36	शेखपुरा	14	16	11	5	-64.29
37	लखीसराय	33	13	19	21	-36.36
38	जमुई	42	60	21	18	-57.14
39	खगड़िया	39	31	26	17	-56.41
40	बेगूसराय	53	52	65	46	-13.21
41	रेलवे पटना	28	30	10	12	-57.14
42	रेलवे जमालपुर	9	5	10	3	-66.67
43	रेलवे मुजफ्फरपुर	15	22	16	14	-6.67
44	रेलवे कटिहार	13	8	14	9	-30.77
	योग	2379	2138	1729	1536	-35.44

स्रोत : गृह विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 4 : बिहार में फिरौती हेतु अपहरण

फिरौती हेतु अपहरण की संख्या						2005 से 2008 के बीच कमी (–)/ वृद्धि (+)
क्रम सं.	जिला	2005	2006	2007	2008	
1	पटना	25	28	14	13	-48.00
2	नालंदा	16	5	0	0	-100.00
3	भोजपुर	3	5	0	0	-100.00
4	बक्सर	8	10	1	4	-50.00
5	रोहतास	6	1	0	3	-50.00
6	भभुआ	4	3	1	2	-50.00
7	गया	7	9	1	2	-71.43
8	नवादा	12	6	6	1	-91.67
9	औरंगाबाद	1	1	2	0	-100.00
10	जहानाबाद	3	2	0	0	-100.00
11	अरवल	2	0	0	1	-50.00
12	सारण	6	7	0	0	-100.00
13	सीवान	5	8	7	5	0.00
14	गोपालगंज	3	4	2	4	33.33
15	पू. चंपारण	31	10	7	7	-77.42
16	बगहा	18	27	5	3	-83.33
17	प. चंपारण	30	16	1	3	-90.00
18	मुजफ्फरपुर	12	4	5	2	-83.33
19	वैशाली	3	2	6	0	-100.00
20	समस्तीपुर	4	2	2	0	-100.00
21	शिवहर	3	0	0	0	-100.00
22	दरभंगा	3	4	1	1	-66.67
23	सीतामढ़ी	4	2	2	0	-100.00
24	मधुबनी	4	0	0	1	-75.00
25	सहरसा	1	1	2	2	100.00
26	मधेपुरा	0	0	5	0	-
27	सुपौल	1	0	0	1	0.00
28	पूर्णिया	6	1	0	0	-100.00
29	कटिहार	1	3	2	0	-100.00
30	अररिया	1	0	0	0	-100.00
31	किशनगंज	1	0	0	0	-100.00
32	भागलपुर	3	3	2	4	33.33
33	बांका	1	1	2	0	-100.00
34	नौगछिया	1	1	1	0	-100.00
35	मुंगेर	0	3	3	0	-
36	शेखपुरा	1	1	1	1	0.00
37	लखीसराय	3	4	1	1	-66.67
38	जमुई	12	5	3	3	-75.00
39	खगड़िया	2	4	0	0	-100.00
40	बेगूसराय	3	7	2	2	-33.33
41	रेलवे पटना	0	2	1	0	-
42	रेलवे जमालपुर	0	0	0	0	-
43	रेलवे मुजफ्फरपुर	1	2	0	0	-100.00
44	रेलवे कटिहार	0	0	1	0	-
	योग	251	194	89	66	-73.71

स्रोत : गृह विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 5 : बिहार में सड़क डकैतियां

		सड़क डकैतियां की संख्या				2005 से 2008 के बीच कमी (–)/ वृद्धि (+)
क्र.म सं.	जिला	2005	2006	2007	2008	
1	पटना	25	21	22	11	-56.00
2	नालंदा	5	11	6	4	-20.00
3	भोजपुर	12	11	2	5	-58.33
4	बक्सर	13	8	4	5	-61.54
5	रोहतास	10	7	3	11	10.00
6	भभुआ	7	9	3	0	-100.00
7	गया	13	16	10	5	-61.54
8	नवादा	9	3	5	4	-55.56
9	औरंगाबाद	2	10	13	10	400.00
10	जहानाबाद	6	3	4	1	-83.33
11	अरवल	2	0	0	1	-50.00
12	सारण	7	3	5	3	-57.14
13	सीवान	5	4	2	4	-20.00
14	गोपालगंज	1	2	4	5	400.00
15	पू. चंपारण	7	6	1	10	42.86
16	बगहा	0	2	2	4	-
17	प. चंपारण	1	3	1	1	0.00
18	मुजफ्फरपुर	7	7	8	2	-71.43
19	वैशाली	7	6	5	2	-71.43
20	समस्तीपुर	0	2	1	1	-
21	शिवहर	1	0	0	1	0.00
22	दरभंगा	1	2	1	2	100.00
23	सीतामढ़ी	2	1	3	0	-100.00
24	मधुबनी	0	5	1	0	-
25	सहरसा	0	0	4	5	-
26	मधेपुरा	0	3	1	3	-
27	सुपौल	5	3	2	0	-100.00
28	पूर्णिया	9	4	0	4	-55.56
29	कटिहार	5	0	2	3	-40.00
30	अररिया	2	2	7	7	250.00
31	किशनगंज	2	0	0	1	-50.00
32	भागलपुर	6	9	5	6	0.00
33	बांका	9	7	6	1	-88.89
34	नौगछिया	3	3	1	0	-100.00
35	मुंगेर	15	12	4	3	-80.00
36	शेखपुरा	1	0	0	1	0.00
37	लखीसराय	3	0	2	3	0.00
38	जमुई	9	8	5	5	-44.44
39	खगड़िया	9	12	3	5	-44.44
40	बेगूसराय	3	6	3	7	133.33
41	रेलवे पटना	0	0	0	0	-
42	रेलवे जमालपुर	0	0	0	0	-
43	रेलवे मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	-
44	रेलवे कटिहार	0	0	0	0	-
	योग	224	211	151	146	-34.82

स्रोत : गृह विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 6 : बिहार में सड़क लूट

	सड़क लूटों की संख्या					2005 से 2008 के बीच कमी (–)/ वृद्धि (+)
क्रम सं.	जिला	2005	2006	2007	2008	
1	पटना	296	229	216	143	-51.69
2	नालंदा	28	25	21	8	-71.43
3	भोजपुर	29	35	32	35	20.69
4	बक्सर	16	20	18	19	18.75
5	रोहतास	13	29	15	32	146.15
6	भभुआ	10	11	7	10	0.00
7	गया	69	69	61	39	-43.48
8	नवादा	17	16	8	16	-5.88
9	औरंगाबाद	13	26	20	16	23.08
10	जहानाबाद	22	9	5	11	-50.00
11	अरवल	9	6	1	4	-55.56
12	सारण	40	60	60	38	-5.00
13	सीवान	96	87	56	49	-48.96
14	गोपालगंज	34	32	26	28	-17.65
15	पू. चंपारण	46	40	29	25	-45.65
16	बगहा	2	2	5	5	150.00
17	प. चंपारण	15	12	8	10	-33.33
18	मुजफ्फरपुर	54	57	47	36	-33.33
19	वैशाली	34	47	38	22	-35.29
20	समस्तीपुर	9	8	14	2	-77.78
21	शिवहर	2	1	0	3	50.00
22	दरभंगा	15	15	15	2	-86.67
23	सीतामढ़ी	36	41	33	15	-58.33
24	मधुबनी	21	14	8	16	-23.81
25	सहरसा	21	23	42	48	128.57
26	मधेपुरा	26	38	28	25	-3.85
27	सुपौल	24	23	26	22	-8.33
28	पूर्णिया	56	59	30	18	-67.86
29	कटिहार	20	7	13	15	-25.00
30	अररिया	33	38	41	34	3.03
31	किशनगंज	6	6	9	13	116.67
32	भागलपुर	34	17	20	17	-50.00
33	बांका	9	7	21	17	88.89
34	नौगछिया	11	10	6	3	-72.73
35	मुंगेर	33	20	25	32	-3.03
36	शेखपुरा	9	9	7	2	-77.78
37	लखीसराय	11	8	14	12	9.09
38	जमुई	26	38	15	15	-42.31
39	खगड़िया	23	21	17	10	-56.52
40	बेगूसराय	38	36	48	29	-23.68
41	रेलवे पटना	1	0	0	0	-100.00
42	रेलवे जमालपुर	0	0	1	0	-
43	रेलवे मुजफ्फरपुर	2	0	2	0	-100.00
44	रेलवे कटिहार	1	0	1	1	0.00
	योग	1310	1251	1109	897	-31.53

स्रोत : गृह विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 7 : राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हुई महिला विरोधी अपराधों की घटनाएं और दर (2007)

क्रम सं.	राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	घटना	पूरे भारत के योग में % योगदान	वर्ष-मध्य की अनुमानित जनसंख्या (लाख में)*	कुल संज्ञेय अपराध दर	कुल संज्ञेय अपराध दर पर आधारित रैंक	प्रतिशत हिस्सा पर आधारित रैंक
राज्य							
1	आंध्र प्रदेश	24738	13.3	816	30.3	2	1
2	अरुणाचल प्रदेश	185	0.1	11.9	15.5	16	25
3	असम	6844	3.7	296.2	23.1	4	12
4	बिहार	7548	4.1	928.3	8.1	28	10
5	छत्तीसगढ़	3775	2.0	233.9	16.1	14	16
6	गोवा	80	0.0	16	5	34	29
7	गुजरात	8260	4.5	558.8	14.8	18	7
8	हरियाणा	4645	2.5	235.3	19.7	10	15
9	हिमाचल प्रदेश	1018	0.5	65.1	15.6	15	22
10	जम्मू एवं कश्मीर	2521	1.4	121	20.8	9	19
11	झारखंड	3317	1.8	297.3	11.2	24	17
12	कर्नाटक	6569	3.5	569.8	11.5	23	13
13	केरल	7837	4.2	340.1	23	5	8
14	मध्य प्रदेश	15370	8.3	684.6	22.5	6	4
15	महाराष्ट्र	14924	8.1	1059.7	14.1	19	5
16	मणिपुर	188	0.1	26.1	7.2	30	24
17	मेघालय	172	0.1	25.2	6.8	32	27
18	मिजोरम	151	0.1	9.7	15.5	17	28
19	नगालैंड	32	0.0	21.7	1.5	35	32
20	उड़ीसा	7304	3.9	396.2	18.4	12	11
21	पंजाब	2694	1.5	263.9	10.2	26	18
22	राजस्थान	14270	7.7	639.1	22.3	7	6
23	सिक्किम	55	0.0	5.9	9.3	27	31
24	तमिलनाडु	7811	4.2	660.2	11.8	21	9
25	त्रिपुरा	1067	0.6	34.8	30.7	1	21
26	उत्तर प्रदेश	20993	11.3	1885.4	11.1	25	2
27	उत्तराखंड	1097	0.6	94	11.7	22	20
28	पश्चिम बंगाल	16544	8.9	871.8	19	11	3
	योग (सभी राज्य)	**180009.0**	**97.1**	**11168.0**	**16.1**		
केंद्रशासित प्रदेश			0.0				
9	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	56	0.0	4.1	13.8	20	30
30	चंडीगढ़	230	0.1	10.5	22	8	23
31	दादरा एवं नगर हवेली	18	0.0	2.6	7	31	33
32	दमन एवं दिव	11	0.0	1.8	6	33	34
33	दिल्ली	4804	2.6	167.3	28.7	3	14
34	लक्षद्वीप	5	0.0	0.7	7.4	29	35
35	पांडीचेरी	179	0.1	10.6	16.8	13	26
	कुल केंद्रशासित प्रदेश	**5303**	**2.9**	**197.6**	**26.8**		
	योग (संपूर्ण भारत)	**185312**	**100.0**	**11365.6**	**16.3**		

* महिलाओं सहित कुल जनसंख्या

परिशिष्ट 8 : बिहार के राज्यतंत्र के बंदी संबधी आंकड़े (अगस्त 2008)

क्रम सं.	कारा का नाम	क्षमता			बंदियों की संख्या			संख्या क्षमता के % में		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	केंद्रीय कारा, बेउर, पटना	2260	100	2360	2588	89	2677	114.5	89.0	113.4
2	केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर	1992	143	2135	2066	100	2166	103.7	69.9	101.5
3	केंद्रीय कारा, बक्सर	1126	0	1126	1124	0	1124	99.8	-	99.8
4	विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर	3288	0	3288	2010	0	2010	61.1	-	61.1
5	केंद्रीय कारा, भागलपुर	1962	0	1962	1344	0	1344	68.5	-	68.5
6	केंद्रीय कारा, गया	1464	14	1478	1928	63	1991	131.7	450.0	134.7
योग		**12092**	**12092**	**257**	**12349**	**11060**	**252**	**11312**	**91.5**	**98.1**
1	जिला कारा, मोतिहारी	1388	35	1423	1290	38	1328	92.9	108.6	93.3
2	जिला कारा, बेतिया	489	20	509	766	30	796	156.6	150.0	156.4
3	जिला कारा, सीतामढ़ी	262	24	286	620	25	645	236.6	104.2	225.5
4	जिला कारा, हाजीपुर	728	25	753	949	36	985	130.4	144.0	130.8
5	जिला कारा, मधुबनी	621	25	646	519	15	534	83.6	60.0	82.7
6	जिला कारा, दरभंगा	391	10	401	574	29	603	146.8	290.0	150.4
7	जिला कारा, समस्तीपुर	860	20	880	863	68	931	100.3	340.0	105.8
8	जिला कारा, कटिहार	719	40	759	686	39	725	95.4	97.5	95.5
9	जिला कारा, नवादा	200	18	218	852	30	882	426.0	16.7	404.6
10	जिला कारा, आरा	639	25	664	1364	43	1407	213.5	172.0	211.9
11	जिला कारा, भभुआ	83	2	85	515	17	532	620.5	850.0	625.9
12	जिला कारा, पूर्णिया	400	12	412	1190	53	1243	297.5	441.7	301.7
13	जिला कारा, शेखपुरा	150	6	156	208	6	214	138.7	100.0	137.2
14	जिला कारा, बिहारशरीफ	474	25	499	851	27	878	179.5	108.0	176.0
15	जिला कारा, भागलपुर	0	83	83	0	92	92	-	110.8	110.8
16	जिला कारा, फुलवारीशरीफ	700	0	700	509	0	509	72.7	-	72.7
17	जिला कारा, मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	-	-	-
18	जिला कारा, सहरसा	547	10	557	1006	35	1041	183.9	350.0	186.9
19	जिला कारा, छपरा	662	12	674	957	33	990	144.6	275.0	146.9
20	जिला कारा, बेगूसराय	947	10	957	1241	40	1281	131.0	400.0	13.9
21	जिला कारा, सासाराम	960	10	970	765	39	804	79.7	390.0	82.9
22	जिला कारा, किशनगंज	211	10	221	272	19	291	128.9	190.0	131.7
23	जिला कारा, औरंगाबाद	286	23	309	572	19	591	200.0	82.6	191.3
24	जिला कारा, गोपालगंज	500	50	550	592	17	609	118.4	34.0	110.7
25	जिला कारा, सुपौल	126	12	138	392	16	408	311.1	13.3	295.7
26	जिला कारा, मुंगेर	450	32	482	568	14	582	126.2	43.8	120.7
27	जिला कारा, लखीसराय	432	7	439	488	6	494	113.0	85.7	112.5
28	जिला कारा, अररिया	160	2	162	514	12	526	321.3	600.0	324.7
29	जिला कारा, सीवान	664	20	684	497	18	515	74.8	90.0	75.3
30	जिला कारा, खगड़िया	180	3	183	725	8	733	402.8	266.7	400.5
31	जिला कारा, जमुई	184	4	188	625	13	638	339.7	325.0	339.4
32	जिला कारा, बांका	726	6	732	596	23	619	82.1	383.3	84.6
33	जिला कारा, जहानाबाद	134	6	140	654	25	679	488.1	416.7	485.0
योग		**15273**	**15273**	**587**	**15860**	**22220**	**885**	**23105**	**145.5**	**150.8**

(जारी)

परिशिष्ट 8 : (जारी)

क्रम सं.	कारा का नाम	क्षमता			बंदियों की संख्या			निवास अनुपात (%)		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	उप-कारा, बगहा	456	25	481	329	19	348	72.1	76.0	72.3
2	उप-कारा, बेनीपुर	200	15	215	190	7	197	95.0	46.7	91.6
3	उप-कारा, रोसड़ा	100	0	100	244	0	244	244.0	-	244.0
4	उप-कारा, झंझारपुर	100	20	120	203	7	210	203.0	35.0	175.0
5	उप-कारा, दलसिंहसराय	149	15	164	107	4	111	71.8	26.7	67.7
6	उप-कारा, नौगछिया	200	20	220	308	4	312	154.0	20.0	141.8
7	उप-कारा, हिलसा	200	10	210	423	19	442	211.5	190.0	210.5
8	उप-कारा, बीरपुर	कर्मी सुपौल जिला कारा में स्थानांतरित								
9	उप-कारा, मसौढ़ी	180	13	193	187	4	191	103.9	30.8	99.0
10	उप-कारा, पटना सिटी	37	0	37	144	0	144	389.2	-	389.2
11	उप-कारा, बाढ़	165	2	167	595	13	608	360.6	650.0	364.1
12	उप-कारा, दानापुर	87	0	87	261	0	261	300.0	-	300.0
13	उप-कारा, बक्सर	51	3	54	102	30	132	200.0	1000.0	244.4
14	उप-कारा, शेरघाटी	240	10	250	232	12	244	96.7	120.0	97.6
15	उप-कारा, बिक्रमगंज	282	25	307	188	4	192	66.7	16.0	62.5
16	उप-कारा, दाउदनगर	500	60	560	130	2	132	26.0	3.3	23.6
17	उप-कारा, उदाकिसुनगंज	कार्यरत नहीं								
योग		**2947**	**218**	**3165**	**3643**	**125**	**3768**	**123.6**	**57.3**	**119.1**
कुल योग		**30312**	**1062**	**31374**	**36923**	**1262**	**38185**	**121.8**	**118.8**	**121.7**

(समाप्त)

अध्याय 2

कृषि और सहायक प्रक्षेत्र

बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि प्रक्षेत्र का न सिर्फ इस कारण से बहुत महत्व है कि यहां की 90 फीसदी आबादी इस प्रक्षेत्र से अपना जीविकोपार्जन करती है, बल्कि इस कारण से भी है कि इस प्रक्षेत्र में ही बिहार की अर्थव्यवस्था की महान संभावनाएं मौजूद हैं। गंगा के मैदानी इलाके में अवस्थित होने के कारण राज्य अत्यंत उपजाऊ मिट्टी एवं प्रचुर जल संसाधनों से संपन्न है। विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति के कारण राज्य में काफी जैव विविधता है, जिसके परिणामस्वरूप यहां के किसान अनाज, तिलहन, रेशे (फाइबर), फल और सब्जी जैसी अनेकानेक फसलें पैदा करते हैं। इसके अलावा, कृषि प्रक्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए भी जरूरी आधार मुहैय्या करता है। पशुपालन भी ग्रामीण आबादी के लिए आमदनी का अच्छा जरिया है। उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए आवश्यक है कि कृषि प्रक्षेत्र के विकास पर राज्य सरकार का अधिकतम ध्यान हो। हालांकि तथ्य यही है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी घटती रही है और अभी एक-चौथाई के लगभग ही रह गई है।

बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है जिसे निम्नलिखित तीन कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है।

1. <u>उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र</u> : इस क्षेत्र में 13 जिले हैं – पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय। इस क्षेत्र में करीब 1040-1450 मि.मी. वार्षिक वर्षापात होता है। यहां की मिट्टी ज्यादातर बलुआही दोमट या दोमट है।
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र : इस क्षेत्र में 8 जिले हैं – सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियां, कटिहार, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। इन जिलों में 1200 से 1700 मि.मी. के बीच वार्षिक वर्षापात होता है और यहां की अधिकांश मिट्टी बलुआही और चिकनी दोमट है।
3. दक्षिणी क्षेत्र : यह सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें 17 जिले हैं। यह सामान्यतया पूर्वी तथा पश्चिमी, दो उप-क्षेत्रों में बंटा हुआ है। पूर्वी उप-क्षेत्र में 6 जिले हैं – शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर

इस अध्याय में कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के बारे में विभिन्न प्रमुख शीर्षकों - वर्षापात, भूमि उपयोग, उत्पादन एवं उत्पादकता, सिंचाई, कृषि लागत (बीज, उर्वरक तथा विस्तार सेवाएं) और कृषि ऋण के अंतर्गत विवरण दिए गए हैं। अंत में, कृषि और समवर्गी प्रक्षेत्रों के विकास के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा तैयार रोडमैप का सार-संकलन भी एक अध्याय में दिया गया है।

2.1 वर्षापात

बिहार में औसतन करीब 1098 मि.मी. सालाना वर्षापात होता है लेकिन अलग-अलग वर्षों में इसमें काफी विविधता रहती है। वर्ष 2001-2006 के दौरान इसमें काफी विविधता देखी गई - 2005 में 866 मि.मी. (औसत से करीब 20 प्रतिशत कम) और 2001 में यह 1365 मि.मी. थी (औसत से करीब 22 प्रतिशत ज्यादा)। (तालिका 2.1) वार्षिक वर्षापात के मामले में अलग-अलग जिलों में भी अच्छी खासी विविधता है। प्रति जिला औसत वार्षिक वर्षापात 1098 मिमी. है, लेकिन कम से कम 3 जिले (बक्सर, अरवल और शेखपुरा) ऐसे हैं जहां औसत वार्षिक वर्षापात 800 मि.मी. से कम है। वहीं, 8 जिलों (पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार) में 1300 मिमी. वार्षिक वर्षापात होता है।

2008 में (सितंबर तक) बिहार में कुल वर्षापात 1016 मि.मी. हुआ जो औसत 1098 मि.मी. के बहुत करीब है (तालिका 2.2)। तथापि, कई जिलों जैसे - शिवहर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, बेगूसराय, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णियां में 2008 में 800 मि.मी. से कम वर्षापात हुआ। बक्सर अरवल, सारण, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, अररिया और किशनगंज ऐसे जिले थे जहां अत्यधिक वर्षा हुई (1300 मि.मी. से अधिक) यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि 2008 में बिहार की प्रयलकारी बाढ़ अतिवृष्टि से नहीं, नेपाल में अवस्थित कोशी नदी पर बांध के टूटने से आई थी।

तालिका 2.1 : बिहार में जिलावार वार्षिक वर्षापात

जिला	वार्षिक वर्षापात (मि.मी.)						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Average
पटना	923.8	918.6	744.8	608.2	710.2	1065.2	828.5
नालंदा	835.5	940.7	1121.4	499.8	493.7	944.0	805.9
भोजपुर	1155.2	901.5	1045.6	683.7	851.8	1040.4	946.4
बक्सर	884.3	816.8	921.8	454.2	734.6	777.3	764.8
रोहतास	930.6	862.4	930.3	661.3	731.2	901.6	836.2
कैमूर	1108.5	1022.4	1334.4	763.4	848.2	1079.6	1026.1
गया	968.0	957.4	1010.8	694.4	499.8	1073.7	867.4
जहानाबाद	746.9	1121.9	968.9	639.2	776.4	1002.2	875.9
अरवल	-	686.9	737.5	593.8	844.4	974.9	767.5
नवादा	840.4	1065.0	1061.1	654.1	661.1	1211.2	915.5
औरंगाबाद	991.8	1023.7	1344.5	608.2	601.3	966.7	922.7
सारण	1147.8	953.8	1082.0	837.0	930.8	941.2	982.1
सीवान	1198.0	1031.8	1419.8	1014.8	802.5	811.1	1046.3
गोपालगंज	1458.1	813.8	859.8	1219.8	857.8	1104.6	1052.3
मुजफ्फरपुर	1284.0	1118.0	1051.1	957.5	845.7	1058.5	1052.5
वैशाली	1211.2	-	-	-	713.7	875.2	933.4
सीतामढ़ी	1503.1	1053.4	1627.6	1342.7	978.5	956.5	1243.6
शिवहर	1340.4	1161.0	-	1747.5	1269.2	858.6	1275.3
पूर्वी. चंपारण	1645.2	1271.9	1235.9	1633.8	1071.1	1090.8	1324.8
पश्चिमी चंपारण	1743.4	1452.9	1774.9	1270.4	1099.5	1707.0	1508.0
दरभंगा	922.9	703.0	822.4	896.2	907.8	825.6	846.3
समस्तीपुर	1197.4	1066.9	1268.9	827.6	577.1	1031.0	994.8
बेगूसराय	8136.6	1205.0	1224.6	804.2	732.3	685.7	2131.4
मुंगेर	998.3	835.8	-	1005.3	1002.6	969.5	962.3
लखीसराय	465.2	1076.3	1236.2	724.1	1028.0	832.9	893.8
मधुबनी	1139.3	776.1	653.9	878.2	781.2	1529.3	959.7
शेखपुरा	521.0	-	885.4	489.1	571.2	1143.4	722.0
जमुई	1026.6	1051.8	1242.4	828.9	510.3	1270.1	988.4
खगड़िया	1497.4	937.0	1512.1	905.6	1006.5	1027.6	1147.7
भागलपुर	1022.8	-	-	-	1134.0	1177.9	1111.6
बांका	828.5	1046.3	967.3	1448.8	1027.3	1297.9	1102.7
सहरसा	1168.4	787.8	982.8	971.6	612.1	794.6	886.2
सुपौल	1448.5	1117.3	1647.9	1791.4	1089.0	889.0	1330.5
मधेपुरा	1530.3	1167.3	1363.1	1386.3	1023.8	1189.8	1276.8
पूर्णियां	1576.2	940.0	1654.0	2298.6	1149.1	1201.3	1469.9
अररिया	1611.3	1488.8	1787.5	1581.9	1137.7	1136.0	1457.2
किशनगंज	2049.3	1539.7	1416.6	2938.4	1288.8	1034.0	1711.1
कटिहार	1453.7	1441.1	1801.6	2194.0	992.9	1146.3	1504.9
बिहार	**1365.1**	**1038.7**	**1198.2**	**1079.3**	**865.6**	**1042.7**	**1098.3**

टिप्पणी : छूटे हुए आंकड़े राज्य औसत के आधार पर आकलित किए गए हैं।

तालिका 2.2 : बिहार में विभिन्न ऋतुओं में जिलावार वार्षिक वर्षापात (2007 और 2008)

जिला	वार्षिक वर्षापात (मि.मी.)								
	2007					2008 (सितंबर तक)			
	शीत-कालीन वर्षा	ग्रीष्म-कालीन वर्षा	दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून	उत्तर-पश्चिमी मॉनसून	योग	शीतकालीन वर्षा	मौसमी वर्षा	दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून	योग
पटना	3.6	88.0	1345.9	24.0	1461.5	60.8	47.7	1168.2	1276.7
नालंदा	24.6	60.4	1136.4	36.2	1257.6	60.5	4.6	941.2	1006.3
भोजपुर	32.1	91.4	1605.4	293.7	2022.6	59.9	66.4	757.0	883.3
बक्सर	7.0	7.1	919.4	10.5	944.0	27.5	48.9	1270.0	1346.4
रोहतास	56.1	11.9	868.9	40.2	977.1	55.9	47.0	742.4	845.3
कैमूर	139.2	0.3	896.4	9.7	1045.6	11.2	1.2	791.3	803.7
गया	36.0	56.3	971.9	69.2	1133.4	96.9	27.0	925.9	1049.8
जहानाबाद	23.6	58.8	1163.0	35.1	1280.5	66.6	25.2	1171.2	1263.0
अरवल	40.9	56.5	1201.5	47.0	1345.9	50.0	61.7	1196.5	1308.2
नवादा	38.3	37.8	990.0	67.0	1133.1	61.5	35.7	1054.2	1151.4
औरंगाबाद	51.4	49.8	931.6	59.9	1092.7	86.3	56.9	964.8	1108.0
सारण	19.7	80.2	1435.9	67.0	1602.8	20.3	50.3	1375.4	1446.0
सीवान	21.7	101.4	1253.8	9.2	1386.1	0.0	0.0	1197.8	1197.8
गोपालगंज	20.6	95.6	1667.3	38.8	1822.3	0.0	50.4	1202.6	1253.0
मुजफ्फरपुर	31.6	132.9	2009.0	121.7	2295.2	13.3	18.9	1237.8	1270.0
वैशाली	31.0	72.7	1927.8	10.8	2042.3	6.8	97.1	1195.5	1299.4
सीतामढ़ी	44.3	80.2	1911.5	49.5	2085.5	0.0	110.9	1234.1	1345.0
शिवहर	1.8	0.0	1723.1	0.0	1724.9	1.5	53.1	680.5	735.1
पूर्वी. चंपारण	1.6	12.7	1562.2	0.0	1576.5	0.0	113.0	605.9	718.9
पश्चिमी चंपारण	32.2	96.0	1560.3	49.2	1737.7	11.4	23.2		34.6
दरभंगा	20.3	69.5	1484.8	36.1	1610.7	1.3	44.8	726.0	772.1
समस्तीपुर	10.9	38.7	1718.7	36.9	1805.2	0.0	0.0	682.8	682.8
बेगूसराय	19.5	86.8	1618.6	70.5	1795.4	19.9	15.0	713.9	748.8
मुंगेर	30.1	142.7	1379.8	64.8	1617.4	2.4	0.0	831.6	834.0
लखीसराय	25.0	97.0	1464.5	35.3	1621.8	33.4	50.6	798.6	882.6
मधुबनी	13.1	41.8	1192.6	8.4	1255.9	68.4	18.2	916.3	1002.9
शेखपुरा	8.5	73.0	1334.5	36.7	1452.7	27.9	62.8	894.8	985.5
जमुई	72.3	36.6	1083.2	36.7	1228.8	0.0	0.0	628.3	628.3
खगड़िया	26.6	125.3	1370.8	19.5	1542.2	26.8	50.9	801.1	878.8
भागलपुर	5.6	104.6	1118.0	20.2	1248.4	29.8	46.1	809.0	884.9
बांका	69.8	153.5	1364.8	28.7	1616.8	67.7	36.6	751.9	856.2
सहरसा	12.7	64.9	1161.1	32.0	1270.7	32.5	186.6	866.8	1085.9
सुपौल	26.1	178.3	1239.2	6.5	1450.1	18.0	238.8	443.5	700.3
मधेपुरा	52.2	101.4	1193.5	11.9	1359.0	16.9	47.3	561.8	626.0
पूर्णियां	16.2	38.9	1336.2	16.4	1407.7	23.4	122.2	618.7	764.3
अररिया	0.0	259.0	1906.9	9.6	2175.5	26.7	188.4	1959.6	2174.7
किशनगंज	0.0	0.0	1571.9	0.0	1571.9	6.0	180.6	1434.4	1621.0
कटिहार	10.6	101.2	1092.0	29.9	1233.7	19.3	106.5	993.3	1119.1
बिहार	**28.3**	**76.4**	**1360.9**	**40.5**	**1506.1**	**29.2**	**61.4**	**949.9**	**1015.5**

2.2 भूमि उपयोग

राज्य के विभिन्न उपयोगिता वाले 93.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के वितरण को तालिका 2.3 में दर्शाया गया है। तालिका से सर्वप्रथम यह स्पष्ट होता कि राज्य में वन क्षेत्र बहुत सीमित है – कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का महज 6.64 प्रतिशत। हालांकि गैर कृषि उपयोग वाली बागानी भूमि महत्वपूर्ण है। इससे ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त आमदनी होती है जो फसल उत्पादन से प्राप्त आय के पूरक का काम करती है। यह एक रोचक तथ्य है कि 2000–01 से 2005–06 के दौरान बागान के अंतर्गत भूमि 2.47 से बढ़कर 2.57 प्रतिशत हो गई जिसका अर्थ हुआ कि और 10 हजार हेक्टेयर भूमि बागान के अंतर्गत चली गई। इस बात की ज्यादा संभावना लगती है कि परती भूमि धीरे–धीरे बगानों में तब्दील की जा रही है क्योंकि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में परती भूमि के प्रतिशत में थोड़ी कमी आई है। बिहार की भूमि अत्यंत उर्वर है, यह इस तथ्य से उद्‌घाटित होता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में निवल बुआई क्षेत्र का अंश बहुत ज्यादा, करीब 60 प्रतिशत है। हाल के वर्षों में निवल बुआई क्षेत्र के अंश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन सकल बुआई क्षेत्र में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और कृषि अर्थव्यवस्था में अभी फसल सघनता 2.06 प्रतिशत है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बिहार में कृषि भूमि के प्रत्येक टुकड़े में औसत दो फसल होती है।

तालिका 2.3 : बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न

भूमि उपयोग	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत					
(1) वन	6.59	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
(2) ऊसर एवं अकृष्य भूमि	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66
(3) गैर कृषि भूमि	17.51	17.55	17.55	17.57	17.59	17.58
भूमि क्षेत्र	13.63	13.67	13.69	13.71	13.73	13.74
जल क्षेत्र	3.88	3.88	3.86	3.86	3.86	3.84
(4) कृष्य भूमि	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
(5) स्थायी चारागाह	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
(6) बाग–बगीचे के अंतर्गत भूमि	2.47	2.51	2.53	2.55	2.56	2.57
(7) परती भूमि (वर्तमान परती भूमि को छोड़कर)	1.44	1.44	1.42	1.39	1.42	1.38
(8) वर्तमान परती भूमि	6.15	6.01	5.33	5.48	6.92	7.12
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	39.50	39.49	38.81	38.97	40.47	40.63
निवल बुआई क्षेत्र	60.50	60.51	61.19	61.03	59.53	59.37
सकल बुआई क्षेत्र	85.39	84.37	85.02	84.22	79.06	122.02
फसल सघनता	1.41	1.39	1.39	1.38	1.33	2.06

2.3 उत्पादन एवं उत्पादकता

बिहार की समृद्ध जैव विविधता के कारण यहां के किसान अनाज, दलहन, तिहलन, रेशे, फल तथा सब्जी जैसी अनेक फसलों का उत्पादन कर लेते हैं। तालिका 2.4 में बिहार में प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल संबंधी विगत आठ वर्षों (2000–01 से 2007–08) के आंकड़े प्रस्तुत हैं। चूंकि हरेक साल उत्पादन स्तर में काफी विविधता है, इसलिए 2003–04 से 2007–08 तक पांच वर्षों की अवधि के औसत आंकड़े तालिका 2.5 में दर्शाए गए हैं। इस तालिका में बिहार के प्रमुख फसलों के औसत उत्पादन स्तर को देखा जा सकता है। ये उत्पादन स्तर इस प्रकार हैं : चावल – 43.7 लाख टन, गेहूं – 36.0 लाख टन और मक्का – 14.9 लाख टन। इस आंकड़े में अन्य अनाजों (जिन्हें मोटा अनाज माना जाता है) के उत्पादन को जोड़ने पर कुल अनाज उत्पादन 95.4 लाख टन हो जाता है। और भी, इसमें अगर कुल दलहन उत्पादन 4.9 लाख टन को जोड़ दें, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 100. 3 लाख टन तक पहुंच जाता है – तकरीबन 9.9 करोड़ आबादी के लिए। खाद्यान्न के अलावा प्रमुख फसलों में तिलहन और रेशेदार फसलें भी शामिल हैं। तिलहन का औसत उत्पादन स्तर 1.3 लाख टन है तथा रेशेदार फसलों का 13.1 लाख गांठें।

फसलें	फसली क्षेत्र का प्रतिशत							
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (द्वितीय अग्रिम अनुमान)
खाद्यान्न	95.98	96.01	96.09	96.12	53.34	62.96	49.99	46.84
अनाज	87.21	87.79	87.81	89.79	34.13	39.64	31.60	28.64
दलहन	8.77	8.22	8.28	6.33	19.21	23.32	18.38	18.20
तिलहन	1.85	1.91	1.95	1.80	12.69	14.67	12.14	12.37
रेशेदार फसलें	2.17	2.07	1.97	2.09	33.97	22.38	37.87	40.78
योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

चूंकि बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पर जीवन–निर्वाह आधारित है, इसीलिए प्रमुख फसलों में खाद्यान्न का अनुपात सबसे अधिक है। नीचे दी गई तालिका से यह पता चलता है कि लगभग 95 प्रतिशत प्रमुख फसल क्षेत्र खाद्यान्न से संबंधित हैं। इस श्रेणी में अनाज का फसली क्षेत्र बढ़ता रहा है – 2000–01 में यह 87.21 प्रतिशत था जो बढ़कर 2007–08 में 94.20 प्रतिशत हो गया। नतीजे के तौर पर, तिलहन के फसली क्षेत्र में गिरावट आई है – 2000–01 में यह 8.77 प्रतिशत था जो गिरकर 2006–07 में 1.42 प्रतिशत हो गया। तिलहन के फसली क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई है – 2007–08 में यह 2.03 प्रतिशत हो गया जबकि 2000–01 में यह 1.85 प्रतिशत था। जहां तक रेशेदार फसलों के उत्पादन का प्रश्न है, तो यह लगभग 2.23 प्रतिशत पर करीब–करीब स्थिर बना हुआ है।

तालिका 2.4 : बिहार में प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन (2000-01 से 2003-04)

(क्षेत्र. हजार हेक्टेयर में / उत्पादन हजार टन में)

फसल	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
कुल अनाज	6455.6	11495.1	6379.6	11187.9	6447.6	10578.2	6364.7	10696.0
कुल चावल	3656.8	5444.4	3552.2	5202.9	3584.7	5085.6	3578.0	5447.8
अगहनी चावल	2939.8	4444.4	2843.6	4244.6	2881.1	4205.0	2907.2	4589.7
शरदकालीन चावल	591.7	786.9	593.8	736.3	583.3	682.9	553.9	688.2
ग्रीष्मकालीन चावल	125.3	213.2	114.9	222.0	120.4	197.6	116.9	169.9
गेहूं	2067.3	4438.0	2126.3	4391.1	2130.9	4040.6	2076.8	3688.9
कुल मक्का	620.5	1497.3	594.3	1488.3	603.6	1349.8	616.4	1473.6
शरदकालीन मक्का	273.0	477.1	244.6	460.3	255.0	428.2	259.0	438.0
रबी मक्का	191.5	559.1	185.8	593.6	187.7	489.9	196.3	594.7
ग्रीष्मकालीन मक्का	156.0	461.1	163.9	434.4	160.9	431.6	161.1	440.8
कुल मोटे अनाज	110.9	115.5	106.8	105.7	128.4	102.2	93.4	85.7
ज्वार	1.1	1.0	4.4	3.7	4.4	4.4	1.5	1.5
बाजरा	1.5	1.3	0.8	0.6	1.0	1.0	1.6	1.6
रागी	22.5	24.7	19.6	16.7	28.7	14.2	15.2	10.4
जौ	22.6	26.5	21.6	26.7	20.3	23.4	21.4	24.0
कोदा-सावां	7.8	4.3	7.0	5.1	9.8	7.9	7.0	5.3
अन्य मोटे अनाज	55.5	57.7	53.4	52.8	64.2	51.1	46.7	42.9
कुल दलहन	717.2	621.5	694.2	547.1	697.8	560.9	680.9	434.2
कुल रबी दलहन	613.1	522.8	597.5	461.8	604.5	479.5	592.8	351.9
चना	76.2	78.7	68.2	65.3	71.4	72.1	80.3	78.6
मसूर	172.2	169.8	172.6	137.8	179.6	156.6	171.0	159.8
खेसारी	157.1	143.7	157.0	129.7	141.6	114.7	133.1	
मटर	25.7	24.8	23.8	23.4	23.3	20.8	23.7	22.2
ग्रीष्मकालीन मूंग	177.8	103.4	172.7	103.3	185.1	112.8	181.4	88.9
अन्य रबी दलहन	4.1	2.3	3.1	2.2	3.5	2.5	3.3	2.5
कुल खरीफ दलहन	104.1	98.8	96.8	85.2	93.3	81.4	88.0	82.4
तूर	43.6	58.9	41.3	47.7	37.7	43.0	38.9	48.1
मूंग	9.2	5.2	7.9	3.9	10.7	5.7	8.4	4.2
उड़द	32.1	20.3	32.0	21.5	25.1	18.6	24.2	18.0
घघरा	0.6	0.4	0.8	0.4	0.8	0.4	0.4	0.2
कुल्थी	17.5	13.5	14.3	11.5	13.1	10.4	15.4	11.4
अन्य मोटे अनाज	1.1	0.6	0.5	0.3	5.9	3.3	0.7	0.4
कुल तिलहन	153.7	131.0	1427.8	1260.1	137.2	104.9	140.5	123.7
मूंगफली	0.1	0.1	2.5	1.4	0.4	0.2	0.5	0.2
अरंडी	0.3	0.2	0.6	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2
तिल	3.4	1.8	31.0	79.9	3.8	2.7	3.8	2.8
तोरिया एवं सरसों	97.0	84.4	931.2	780.8	90.1	62.0	83.7	69.0
तीसी	41.8	28.5	357.5	256.1	29.2	22.2	34.7	27.2
कुसुम	0.3	0.2	2.6	2.1	0.2	0.1	0.2	0.2
सूर्यमुखी	10.8	15.8	102.3	139.2	13.4	17.4	17.5	24.2
कुल रेशेदार फसलें	169.7	1381.6	1605.6	11037.4	232.1	1096.6	178.0	1288.7
जूट	135.3	1133.7	1426.3	9964.4	147.8	973.5	154.6	1147.4
मेसता	31.9	246.3	153.7	1052.9	80.0	120.0	20.0	138.9
सनई (सनहेंप)	2.4	1.7	25.6	20.1	4.2	3.0	3.4	2.5

...(जारी)

तालिका 2.4 : (जारी)

फसल	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08 (द्वितीय अग्रिम अनुमान)	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
कुल अनाज	5922.4	7473.7	5995.6	7926.8	6142.0	11005.4	5913.5	8411.3
कुल चावल	3188.2	2625.1	3249.5	3677.4	3357.1	4989.2	3302.0	3775.4
अगहनी चावल	2519.7	1957.7	2604.8	3023.0	2736.6	4333.7	3302.0	3775.4
शरदकालीन चावल	554.2	505.7	533.8	502.0	511.1	491.5	-	-
ग्रीष्मकालीन चावल	114.3	161.7	111.0	152.4	109.4	164.0	-	-
गेहूं	2022.3	3279.9	2003.7	2763.3	2049.7	4211.4	2049.7	3474.2
कुल मक्का	626.9	1491.2	649.1	1397.2	641.9	1714.8	472.9	1076.3
शरदकालीन मक्का	271.0	443.8	277.0	456.1	259.5	397.6	269.2	432.4
रबी मक्का	195.1	592.9	208.9	551.8	382.4	1317.2	203.7	644.0
ग्रीष्मकालीन मक्का	160.8	454.5	163.2	389.3	-	-	-	-
कुल मोटे अनाज	84.9	77.4	93.3	88.8	93.3	90.0	89.0	85.4
ज्वार	2.0	2.0	4.1	4.2	3.4	3.5	3.7	3.8
बाजरा	1.2	1.3	4.3	4.6	4.1	4.4	4.8	5.1
रागी	15.4	10.9	14.5	11.3	14.3	12.5	14.7	12.1
जौ	18.4	20.3	16.3	18.8	18.7	19.9	17.7	18.9
कोदा-सावां	5.5	4.2	7.4	5.5	6.2	4.6	3.7	2.7
अन्य मोटे अनाज	42.5	38.7	46.6	44.4	46.6	45.0	44.5	42.7
कुल दलहन	649.2	471.4	597.4	447.1	607.8	431.2	448.7	365.4
कुल रबी दलहन	567.2	387.3	517.5	368.9	519.6	356.6	365.2	285.7
चना	73.3	61.0	62.2	56.1	56.7	46.4	64.2	55.5
मसूर	179.4	131.2	162.5	114.5	166.5	117.3	-	-
खेसारी	118.0	84.9	92.1	78.6	101.7	80.3	-	
मटर	23.1	20.9	24.1	21.5	23.7	22.0	-	-
ग्रीष्मकालीन मूंग	171.2	87.5	174.1	96.2	168.7	88.7	-	-
अन्य रबी दलहन	2.3	1.8	2.4	1.9	2.4	1.9	301.0	230.2
कुल खरीफ दलहन	82.0	84.1	79.9	78.2	88.1	74.7	83.5	79.7
तूर	35.3	49.2	33.3	43.0	35.9	35.5	35.1	43.5
मूंग	6.8	3.9	8.2	4.9	10.1	5.5	8.4	4.8
उड़द	24.4	18.1	25.2	19.4	25.5	19.8	25.0	19.1
घघरा	0.5	0.2	0.5	0.2	0.9	0.6	-	-
कुल्थी	14.3	12.4	11.7	10.1	14.0	12.1	-	-
अन्य मोटे अनाज	0.7	0.4	0.9	0.5	1.8	1.2	14.9	12.4
कुल तिलहन	136.9	116.3	139.0	137.6	142.9	147.4	127.5	116.8
मूंगफली	0.8	0.4	0.9	0.5	0.9	0.5	0.9	0.4
अरंडी	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
तिल	3.5	2.7	3.6	2.9	3.3	2.5	3.3	2.6
तोरिया एवं सरसों	83.3	59.8	82.1	77.1	86.9	89.4	84.6	75.3
तीसी	27.8	24.0	29.5	26.4	28.6	24.3	27.8	23.8
कुसुम	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.8	0.6
सूर्यमुखी	21.2	29.1	22.6	30.4	22.8	30.5	9.9	13.8
कुल रेशेदार फसलें	160.8	1373.9	150.7	1389.1	144.5	1392.5	147.9	1415.4
जूट	140.9	1223.7	133.0	1298.6	127.1	1253.3	133.0	1272.9
मेसता	16.1	147.3	14.5	88.0	14.1	136.5	14.9	142.5
सनई (सनहेंप)	3.9	3.0	3.2	2.4	3.2	2.6	0.0	0.0

तालिका 2.5 : प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता (2002-03 से 2006-07)

(क्षेत्र. हजार हेक्टेयर में, उत्पादन हजार टन में, उत्पादकता : कि.ग्रा./हेक्टेयर)

फसल	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	फसल	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
कुल अनाज	6174	9536	1544	मटर	24	21	911
कुल चावल	3392	4365	1287	ग्रीष्मकालीन मूंग	176	95	539
अगहनी चावल	2730	3622	1327	अन्य रबी दलहने	3	2	757
शरदकालीन चावल	547	574	1049	कुल खरीफ दलहन	86	80	929
ग्रीष्मकालीन चावल	114	169	1478	तूर	36	44	1209
गेहूं	2057	3597	1749	मूंग	9	5	548
कुल मक्का	628	1485	2367	उड़द	25	19	755
शरदकालीन मक्का	264	433	1637	घाघरा	1	0	561
रबी मक्का	234	709	3030	कुल्थी	14	11	822
ग्रीष्मकालीन मक्का	161	429	2657	अन्य मोटे अनाज	2	1	567
कुल मोटे अनाज	99	89	900	कुल तिलहन	139	126	904
ज्वार	3	3	1021	मूंगफली	1	0	493
बाजरा	2	3	1064	अरंडी	0	0	965
रागी	18	12	673	तिल	4	3	765
जौ	19	21	1120	तोरिया एवं सरसों	85	71	839
कोदो-सावां	7	6	770	तीसी	30	25	828
अन्य मोटे अनाज	49	44	900	कुसुम	0	0	801
कुल दलहन	647	493	763	सूर्यमुखी	20	26	1349
कुल रबी दलहन	560	413	738	कुल रेशेदार फसलें	173	1308	7553
चना	69	63	913	जूट	141	1179	8383
मसूर	172	136	791	मेसता	29	126	4358
खेसारी	117	96	820	सनई (सनहेंप)	4	3	755

विभिन्न फसलों की उत्पादकता को तालिका 2.6 में दर्शाया गया है। चूंकि उत्पादकता संबंधी आंकड़ों में विभिन्न वर्षों के दौरान काफी विविधता रही है।?, अतः तालिका 2.5 में प्रस्तुत और गत आंकड़ों को मानकर चलना बेहतर होगा। चावल की औसत उत्पादकता 1287 कि.ग्राम/ हेक्टेयर है, हालांकि अगहनी चावल (तीन किस्मों में सबसे महत्वपूर्ण) की उत्पादकता थोड़ी अधिक 1327 कि.ग्राम/ हेक्टेयर है। गेहूं की उत्पादकता अधिक है - 1749 कि. ग्राम/ हेक्टेयर। मक्के की उत्पादकता में सबसे संतोषजनक मुकाम हासिल हुआ है (2367 कि.ग्रा./ हेक्टेयर) और यहां भी अगहनी मक्के (मक्के की तीन किस्मों में सबसे महत्वपूर्ण) की उत्पादकता ज्यादा है - 3030 कि.ग्राम/ हेक्टेयर। दलहन के मामले में रबी मौसम का बहुत महत्व है क्योंकि इसी मौसम में 80 प्रतिशत दलहन का उत्पादन होता है, फिर भी रबी दलहन की उत्पादकता (738 कि.ग्रा./ हेक्टेयर) के मुकाबले खरीफ दलहन की उत्पादकता (929 कि.ग्रा./ हेक्टेयर) ज्यादा पाई गई है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, बिहार में जैव विविधता बहुत व्यापक है। यही कारण है कि यहां के किसान तालिका 2.4 में सूचीबद्ध प्रमुख फसलों के अलावा भी बड़ी संख्या में फलों एवं सब्जियों का उत्पादन करते हैं।

तालिका 2.6 : बिहार में प्रमुख फसलों की उत्पादकता (2000-01 से 2007-08)

(उत्पादकता कि.ग्राम/ हेक्टेयर में)

फसल	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (द्वितीय अग्रिम अनुमान)
कुल अनाज	16862.6	16639.6	15585.1	16289.5	15544.6	14904.5	14281.2	13305.8
कुल चावल	1488.8	1464.7	1418.7	1522.6	823.4	1131.7	1486.1	1143.4
अगहनी चावल	1511.8	1492.7	1459.5	1578.7	776.9	1160.6	1583.6	1143.4
शरदकालीन चावल	1329.8	1240.0	1170.9	1242.4	912.5	940.5	961.6	-
ग्रीष्मकालीन चावल	1700.5	1932.7	1642.0	1453.6	1415.1	1372.9	1498.4	-
गेहूं	2146.7	2065.1	1896.2	1776.2	1621.9	1379.1	2054.7	1695.0
कुल मक्का	7622.3	7726.7	6972.3	7457.1	7503.5	6673.9	4976.6	4767.9
शरदकालीन मक्का	1748.0	1881.6	1678.9	1691.0	1637.9	1646.7	1532.2	1606.0
रबी मक्का	2919.6	3194.3	2610.2	3029.1	3038.6	2641.0	3444.4	3161.9
ग्रीष्मकालीन मक्का	2954.7	2650.8	2683.2	2737.0	2827.0	2386.2	-	-
कुल मोटे अनाज	5604.8	5383.2	5297.9	5533.6	5595.9	5719.8	5763.8	5699.5
ज्वार	914.4	851.0	1010.0	1009.3	1014.0	1030.2	1032.4	1024.1
बाजरा	825.3	722.2	1029.5	1044.6	1097.2	1058.3	1075.4	1077.7
रागी	1098.7	850.3	496.1	683.2	706.7	777.4	873.4	827.3
जौ	1173.9	1238.7	1152.8	1119.4	1104.8	1154.0	1067.8	1069.0
कोदो-सावां	551.5	731.3	813.6	759.6	761.6	747.2	750.4	741.8
अन्य मोटे अनाज	1040.9	989.6	796.0	917.6	911.6	952.7	964.3	959.6
कुल दलहन	9490.3	9126.8	9166.8	9313.1	9042.3	9292.3	9078.2	5027.2
कुल रबी दलहन	5044.9	4870.7	4907.1	5000.6	4465.0	4704.0	4559.1	1628.8
चना	1033.7	958.5	1009.8	978.4	831.9	900.8	819.0	864.0
मसूर	986.2	798.5	872.1	934.0	731.4	704.6	704.4	-
खेसारी	914.6	826.3	809.7	921.2	720.0	854.0	789.2	-
मटर	965.1	984.1	893.1	934.0	905.0	891.0	929.8	-
ग्रीष्मकालीन मूंग	581.3	598.0	609.5	490.2	511.4	552.6	525.8	-
अन्य रबी दलहने	563.9	705.2	712.9	742.9	765.3	801.1	790.8	764.8
कुल खरीफ दलहन	4445.4	4256.1	4259.7	4312.5	4577.3	4588.3	4519.1	3398.3
तूर	1349.8	1155.1	1140.3	1237.9	1394.4	1292.1	989.2	1237.8
मूंग	559.6	486.6	539.1	503.8	563.9	593.9	544.6	568.5
उड़द	633.0	672.3	740.6	744.2	740.1	771.6	777.5	763.1
घाघरा	608.9	581.9	491.4	551.1	494.0	494.8	704.0	-
कुल्थी	772.7	802.8	795.5	739.0	865.1	860.1	863.1	-
अन्य मोटे अनाज	521.2	557.4	552.8	536.5	519.8	575.9	640.9	829.0
कुल तिलहन	6268.5	7878.5	5766.4	6027.0	5973.5	6228.6	6171.2	6223.0
मूंगफली	1104.2	561.0	493.3	493.6	495.4	494.0	489.1	494.3
अरंडी	827.1	1047.6	987.3	993.5	940.0	947.4	916.7	1000.0
तिल	523.7	2575.1	720.5	748.4	783.8	800.1	774.4	786.1
तोरिया एवं सरसों	869.5	838.5	688.4	824.4	717.6	939.8	1028.4	890.0
तीसी	682.3	716.2	760.1	784.0	862.8	895.1	848.9	855.9
कुसुम	802.9	779.5	814.8	805.0	799.1	807.7	777.8	797.5
सूर्यमुखी	1458.8	1360.7	1302.0	1378.1	1374.8	1344.6	1336.0	1399.2
कुल रेशेदार फसलें	16781.7	14620.7	8798.2	15080.6	18625.3	16596.5	20338.2	19125.4
जूट	8379.4	6986.2	6587.1	7422.0	8686.3	9764.2	9860.2	9570.0
मेसता	7717.4	6848.8	1499.9	6941.6	9173.1	6060.6	9655.6	9555.3
सनई	684.8	785.8	711.2	716.9	766.0	771.7	822.4	-

तालिका 2.7 : बिहार में मिश्रित फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता (2004-05 से 2007-08)

(क्षेत्र. हजार हेक्टेयर में, उत्पादन हजार टन में, उत्पादकता : कि.ग्रा./ हेक्टेयर)

फसल	2004-2005			2005-2006			2006-2007		
	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
आलू	145.0	1110.7	7658.0	142.3	1232.7	8663.0	151.4	1178.1	7781.1
प्याज	14.2	104.7	7378.9	15.9	128.1	8078.1	15.1	120.5	7988.7
शक्करकंद	5.0	69.0	13877.7	-	-	-	5.5	73.5	13386.2
गन्ना	104.5	3769.2	36083.8	101.3	4337.9	42826.8	117.2	5338.8	45561.0
तंबाकू	16.0	18.6	1161.0	14.9	17.3	1160.9	1.4	16.1	11446.8
सूखी मिर्च	3.0	2.2	728.8	3.1	3.1	998.7	2.9	3.0	1048.6
सूखा अदरख	-	0.6	1512.7	0.8	1.2	1495.0	-	0.8	1551.0
हल्दी	2.8	2.7	964.6	3.5	3.4	957.5	3.0	3.0	980.3
धनिया	2.2	1.6	737.7	2.3	1.7	724.2	2.3	1.7	740.1
लहसुन	2.6	3.9	1506.3	2.8	4.1	1461.5	-	3.8	15916.7
गोभी	59.7	955.2	16000.0	19.9	1.4	71.3	60.1	1009.0	16778.5
पत्तागोभी	36.5	598.8	16400.0	9.6	-	-	37.0	623.5	16849.0
टमाटर	46.0	735.8	16000.0	2.3	-	174.1	46.5	916.8	19732.0
भिंडी	56.2	730.2	13000.0	12.3	-	-	-	-	-
बैंगन	53.7	1073.0	20000.0	-	1.2	2415.7	54.1	1120.6	20723.8
कद्दू	29.1	582.9	20000.0	9.9	6.1	617.9	-	-	-
खीरा	-	-	-	1.3	13.9	11078.2	1.5	15.7	10671.2
करैला	8.4	50.5	6000.0	8.5	49.3	5800.0	8.7	59.4	6803.7
परवल	4.6	45.9	10000.0	4.6	47.8	10300.1	-	-	-
बोड़ा	11.6	69.5	6000.0	11.6	86.1	7399.3	-	-	-
मटर	-	-	-	8.1	50.5	6243.8	8.7	53.1	6072.8
मूली	-	-	-	14.4	217.3	15136.6	14.9	226.6	15178.7
गाजर	-	-	-	4.0	46.1	11642.0	-	-	-
आम	140.1	865.6	6178.3	140.2	1222.7	8720.0	140.8	1306.9	9283.2
अमरुद	27.7	256.1	9257.3	27.7	199.0	7180.0	28.0	248.0	8857.6
लीची	28.4	204.9	7219.0	28.4	200.1	7044.5	28.8	211.9	7368.6
नींबू	16.8	122.9	7310.5	16.8	112.3	6670.0	17.1	121.6	7102.0
केला	28.0	920.0	32872.8	28.0	959.3	34210.0	29.0	1125.1	38779.1
अन्नानास	4.2	122.5	29077.8	4.2	108.0	25540.1	4.5	121.1	27179.4
नारियल	15.2	150.8	9952.3	15.2	123.8	8160.0	-	-	-
अन्य फल	30.9	277.5	8970.3	31.0	267.0	8615.0	31.3	291.9	9331.3

उपरोक्त तालिका में 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान विभिन्न फलों एवं सब्जियों की सूची, उनके क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता को प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, बिहार में गन्ना अत्यंत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसका उत्पादन स्तर 2006–07 में 53.4 लाख टन था। शेष मिश्रित फसलों में सब्जी की श्रेणी की जो फसल बिहार के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे हैं आलू, गोभी, टमाटर और बैंगन। वर्ष 2006–07 में इन फसलों का उत्पादन स्तर इस प्रकार था : आलू – 11.8 लाख टन, फूलगोभी – 10.1 लाख टन, टमाटर – 9.2 लाख टन और बैंगन – 11.2 लाख टन। फल की श्रेणी में कई किस्म के फल शामिल हैं लेकिन उसमें चार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं : आम, लीची, अमरुद और केला। वर्ष 2006–07 में इन फलों का उत्पादन स्तर था : आम – 13.1 लाख टन, लीची – 2.1 लाख टन, अमरुद – 2.5 लाख टन और केला – 11.3 लाख टन।

जहां तक विभिन्न जिलों में कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिति का प्रश्न है तो तालिका 2.8 में वर्ष 2006–07 में सभी 38 जिलों में तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसलों (चावल, गेहूं और मक्का) के क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता का ब्यौरा दिया गया है। चावल के उत्पादन में शीर्ष पांच जिले हैं : नालंदा – 2.3 लाख टन, भोजपुर – 2.3 लाख टन, रोहतास – 4.7 लाख टन, भभुआ (कैमूर) – 3.1 लाख टन और औरंगाबाद – 4.4 लाख टन। इसकी उत्पादकता के मामले में 5 शीर्ष जिले हैं : भोजपुर – 2654 कि.ग्रा./ हेक्टेयर, नालंदा – 2382 कि.ग्रा./ हेक्टेयर, औरंगाबाद – 2598 कि.ग्रा./ हेक्टेयर, शेखपुरा – 2399 कि.ग्रा./ हेक्टेयर और बांका – 2595 कि.ग्रा./ हेक्टेयर। तालिका से यह भी दृष्टिगोचर होता है कि सभी प्रमुख फसलों – चावल, गेहूं और मक्का के अधिकतम और निम्नतम उत्पादकता स्तर के मामले में जिलों में भारी अंतराल है। चावल का उदाहरण लें। इसकी अधिकतम उत्पादकता 2808 कि.ग्रा./ हेक्टेयर (कैमूर) और निम्नतम उत्पादकता 522 कि.ग्राम/ हेक्टेयर (शिवहर) है। इसी प्रकार, गेहूं की उत्पादकता के मामले में एक छोर पर समस्तीपुर (2789 कि.ग्राम/ हेक्टेयर) है तो दूसरे छोर पर अररिया (698 कि.ग्रा./हेक्टेयर)। और अंत में, मक्का की उत्पादकता का उच्चतम स्तर 4108 कि.ग्रा./ हेक्टेयर (खगड़िया) है तो निम्नतम स्तर 115 कि.ग्रा./ हेक्टेयर (जमुई)।

राज्य सरकार को अपनी कृषि रणनीति बनाने में सहायता हेतु सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय बिहार की प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के बारे में अग्रिम अनुमान करता है। तालिका 2.9 में 2008–09 के लिए इन अग्रिम अनुमानों को प्रस्तुत किया गया है। यदि उत्पादन के औसत स्तर (तालिका 2.5) के साथ उत्पादन संबंधी इन अग्रिम अनुमानों की तुलना की जाए तो यह कहना होगा कि बिहार के कोशी क्षेत्र में प्रलयकारी बाढ़ की वजह से 2008–09 में राज्य के फसल उत्पादन में गिरावट की आशंका है। जिन फसलों के मामले में अग्रिम अनुमान उपलब्ध हैं, होने की आशंका है, उनमें अगहनी चावल और ज्वार को छोड़कर सभी में गिरावट की आशंका है।

तालिका 2.8 : 2006-07 में जिलावार प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

(क्षेत्रफल हे. में, उत्पादन टन में और उत्पादकता कि.ग्रा./ हे. में)

जिला	चावल			गेहूं			मक्का		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	88480	145350	1643	57643	123775	2147	11965	28545	2386
नालंदा	95385	227246	2382	82238	157209	1912	4973	7847	1578
भोजपुर	85454	226802	2654	75252	190165	2527	3651	7002	1918
बक्सर	82536	187071	2267	60699	123162	2029	4286	4855	1133
रोहतास	166681	468067	2808	135644	330444	2436	591	1010	1709
भभुआ	133136	310928	2335	61071	131927	2160	356	470	1320
गया	54595	80617	1477	73663	156981	2131	6256	11225	1794
जहानाबाद	84720	156043	1842	32803	72142	2199	1280	3067	2396
नवादा	73308	147689	2015	45191	97142	2150	2678	5985	2235
औरंगाबाद	171133	444650	2598	61320	124774	2035	591	999	1690
सारण	86752	97669	1126	88112	206367	2342	27777	53835	1938
सीवान	106790	148459	1390	91888	191136	2080	19410	44212	2278
गोपालगंज	75801	89959	1187	83202	208168	2502	14925	28159	1887
मुजफ्फरपुर	139377	95559	686	85448	163884	1918	22543	48798	2165
पूर्वी चंपारण	212875	166100	780	98681	199138	2018	17184	19858	1156
पश्चिमी चंपारण	168920	167909	994	83627	159715	1910	16620	24811	1493
सीतामढ़ी	92512	64415	696	68215	118146	1732	6149	12560	2043
शिवहर	23671	12351	522	14075	19128	1359	972	3597	3701
वैशाली	59596	46071	773	47880	120298	2512	34162	69797	2043
दरभंगा	74855	65429	874	67181	126518	1883	13418	36367	2710
मधुबनी	158929	141393	890	82150	131494	1601	1217	3278	2694
समस्तीपुर	70238	41689	594	51367	143248	2789	44568	161829	3631
बेगूसराय	24451	33919	1387	52751	114505	2171	63287	131759	2082
मुंगेर	30027	59693	1988	18205	33736	1853	7788	15461	1985
शेखपुरा	39302	94300	2399	30061	74091	2465	8152	12203	1497
लखीसराय	24520	56289	2296	20530	41845	2038	1431	1906	1332
जमुई	50289	88727	1764	11777	17647	1498	5033	5611	1115
खगड़िया	22217	19132	861	32229	47665	1479	54737	224875	4108
भागलपुर	48200	114228	2370	44159	73965	1675	44438	104899	2361
बांका	99429	258065	2595	28781	53142	1846	12214	29779	2438
सहरसा	87740	86432	985	42621	82012	1924	30479	110101	3612
सुपौल	102061	120735	1183	50795	94125	1853	11902	54673	4594
मधेपुरा	78281	89689	1146	36629	53177	1452	39810	114837	2885
पूर्णिया	123851	118237	955	46296	62224	1344	42968	150671	3507
किशनगंज	138639	142541	1028	21676	27904	1287	1549	4659	3008
अररिया	82768	75595	913	57551	40153	698	20765	74704	3598
कटिहार	106491	138899	1304	35316	44389	1257	41090	141705	3449
कुल	3364010	5027947	1495	2076727	4155541	2001	641215	1755949	2738

तालिका 2.9 : 2008-09 के लिए बिहार की प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता के अग्रिम अनुमान

(क्षेत्रफल हे. में, उत्पादन टन में और उत्पादकता कि.ग्रा./ हे. में)

फसल	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
चावल भदई	546.33	435.43	797
चावल अगहनी	2997.09	3914.19	1306
जवार	5.17	4.83	933
बाजरा	2.68	2.53	944
मक्का	223.33	264.87	1186
रागी	10.11	5.98	592
कोदो-सावां	2.98	1.98	666
तूर	-	-	-
उड़द	18.38	13.22	719
मूंग	7.26	4.13	569
अन्य खरीफ दलहन	12.30	9.71	790
मुंगफली	0.98	0.49	494
तिल	2.05	1.42	691
अरंडी	-	-	-
नाइजर	-	-	-
सोयाबीन	-	-	-
सूर्यमुखी	3.44	3.75	1091
कपास	-	-	-
जूट	133.04	1260.21	9472
मेसता	22.07	203.79	9233
ईख	107.59	4351.59	40446

टिप्पणी : कपास का उत्पादन 170 कि.ग्रा. की हजार गांठों में, जूट और मेसता का उत्पादन 180 कि.ग्रा. की हजार गांठों में।

2.4 सिंचाई

कृषि पर छाए मॉनसून की अनिश्चिता के बादल को छंटाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस प्रक्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं से लैश किया जाए। सुनिश्चित सिंचाई से कृषि उत्पादन में स्थिरता तो आएगी ही, उन्नत किस्म के (एचवाईवी) बीजों को अपनाने के लिए भी यह अनिवार्य पूर्वशर्त्त है। राज्य में प्रचुर संसाधनों के मद्देनजर, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं बिहार के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य के सिर्फ 60 प्रतिशत कृष्य क्षेत्र में ही कुछ सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं।

2000–01 से 2007–08 के दौरान बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 28.20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 32.24 लाख हेक्टेयर हो गया है (तालिका 2.10)। यानी 7 वर्षों की अवधि में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सिंचाई सुविधाओं के फैलाव में फिलहाल सिंचाई के मुख्य स्रोत के रूप में नलकूपों का होना एक बड़ा अवरोध है। बिजली के अभाव में प्रायः नलकूपों को डीजल से चलाना पड़ता है जो किसानों के लिए एक महंगा सौदा है। राज्य सरकार द्वारा हाल में ली गई पहल से विद्युत प्रक्षेत्र में सुधार की उम्मीद बंधी है। जाहिर है, इससे सिंचाई की स्थिति में भी सुधार होगा।

तालिका 2.10 : बिहार में अलग-अलग स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र

(लाख हे.)

वर्ष	नहर भूजल मंझोली सिंचाई	तालाब (आहर-पईन प्रणाली समेत)	नलकूप (निजी एवं राजकीय)	अन्य कुएं (सिंचाई कुआं)	अन्य स्रोत (लघु सिंचाई एवं डेंगी लघु सिंचाई)	कुल सिंचित क्षेत्र
2000-01	29.22 (1.0)	332.56 (11.8)	2310.06 (81.9)	145.84 (5.2)	3.26 (0.1)	2820.93 (100.0)
2001-02	23.25 (0.8)	332.56 (11.8)	2308.71 (82.0)	145.79 (5.2)	3.56 (0.1)	2813.87 (100.0)
2002-03	28.69 (1.0)	332.56 (11.1)	2474.77 (82.9)	145.79 (4.9)	3.19 (0.1)	2985.00 (100.0)
2003-04	34.88 (1.1)	332.56 (10.5)	2650.38 (83.7)	145.79 (4.6)	1.95 (0.1)	3165.56 (100.0)
2004-05	17.56 (0.5)	431.21 (13.3)	2664.00 (82.2)	121.01 (3.7)	6.23 (0.2)	3240.01 (100.0)
2005-06	19.86 (0.6)	332.56 (10.5)	2643.21 (83.4)	145.79 (4.6)	28.23 (0.9)	3169.65 (100.0)
2006-07	29.34 (0.9)	332.56 (10.3)	2710.50 (83.6)	145.79 (4.5)	23.33 (0.7)	3241.52 (100.0)
2007-08	29.80 (0.9)	332.56 (10.3)	2701.19 (83.8)	145.79 (4.5)	15.12 (0.5)	3224.45 (100.0)

राज्य में सिंचाई के विभिन्न स्रोतों में नलकूप सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं। 2007–08 के आंकड़ों के मुताबिक 83.8 प्रतिशत सिंचाई इसी माध्यम से होती है। इसके प्रतिशत में वृद्धि होती रही है – 2000–01 में यह 81.9 प्रतिशत था जो 2007–08 में बढ़कर 83.8 प्रतिशत हो गया है। अन्य स्रोतों (नहर, तालाब, कुंआ तथा अन्य) का प्रतिशत या तो यथावत रहा है या फिर उनमें थोड़ा ह्रास हुआ है।

जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार द्वारा तैयार बिहार की कृषि हेतु रोडमैप में कई परियोजनाओं के जरिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित करने की बात रखी गई है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं : पश्चिमी कोशी नहर, दुर्गावती जलाशय, सोन नहर आधुनिकीकरण, बरनार जलाशय, बटेश्वरनाथ गंगा पंप नहर (चरण–1), जमानिया पंप नहर, उत्तरी किउल जलाशय, पुनपुन बराज, बटाने जलाशय, उदेरा स्थान बराज और बागमती बहुद्देश्यीय परियोजना। राज्य सरकार राज्य के समेकित जल प्रबंधन की दिशा में एक कदम के तौर पर राज्य की नदियों को जोड़ने की योजना बना रही है। इस परियोजना से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जन के अलावा बाढ़ एवं सूखे की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए नदी के बेसिन को इकाई के रूप में लिया जाएगा और सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा जलनिकासी हेतु एक समेकित योजना बनाई जाएगी।

2.5 कृषि लागत

कृषि विकास के लिए सिंचाई सुविधाओं के साथ-साथ पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण लागत सामग्रियों, खास तौर से बीज, उर्वरक तथा विस्तार सेवाओं की आवश्यकता होती है।

बीज

भूमि एवं सिंचाई सुविधाओं की संपूर्ण क्षमता का फायदा उठाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न कारणों से भारत के प्रमुख राज्यों की तुलना में बिहार में बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) सबसे कम है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने इस स्थिति में सुधार हेतु कई अहम कदम उठाए हैं। खरीफ और रबी, फसलों दोनों के मामले में सुधार हो रहा है (तालिका 2.11)

खरीफ फसलों में धान की बीज प्रतिस्थापन दर 2008-09 में 19.0 प्रतिशत थी, 2006-07 में यह दर मात्र 12.0 प्रतिशत थी। खरीफ मक्का की बीज प्रतिस्थापन दर में हल्का सुधार हुआ है - 2006-07 के 50.0 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 57.0 प्रतिशत। हालांकि अरहर, उड़द और मूंग की बीज प्रतिस्थापन दर में मामूली वृद्धि हुई है। रबी फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर से संबंधित आंकड़े सिर्फ 2006-07 और 2007-08 तक उपलब्ध हैं। इन दो वर्षों के दौरान दो रबी फसलों - मक्का (60.0 से बढ़कर 74.0 प्रतिशत) और तोरिया/ सरसों (40.0 से बढ़कर 73.0 प्रतिशत) की बीज प्रतिस्थापन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अन्य फसलों (गेहूं, चना और मसूर) की बीज प्रतिस्थापन दर में हल्की वृद्धि हुई है जबकि मटर की दर में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

तालिका 2.11 : बिहार में प्रमाणित बीजों का वितरण एवं महत्वपूर्ण फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर (2006-07 से 2008-09)

(आवश्यकता एवं आपूर्ति क्विंटल में, बीज प्रतिस्थापन दर प्रतिशत में)

वर्ष/ फसल	2006-07			2007-08			2008-09		
	आवश्यकता	आपूर्ति	बीज प्रतिस्थापन दर	आवश्यकता	आपूर्ति	बीज प्रतिस्थापन दर	आवश्यकता	आपूर्ति	बीज प्रतिस्थापन दर
खरीफ फसल									
धान	207200	203977	12.0	222000	204824	14.0	282080	267620	19.0
मक्का	41500	20880	50.0	40000	42390	56.0	41580	42850	57.0
अरहर	3500	360	5.0	1280	410	4.0	1440	940	6.0
ऊड़द	1400	167	8.0	600	550	9.0	720	610	10.0
मूंग	420	325	9.0	300	918	30.0	360	315	10.0
रबी फसल									
गेहूं	320000	265400	11.0	34500	342340	15.0	470000	-	-
मक्का	55000	54200	60.0	75000	74340	74.0	80000	-	-
चना	13000	5230	6.0	8325	6950	8.0	9990	-	-
मटर	2700	1700	7.0	3000	1520	5.0	3600	-	-
मसूर	6000	4100	7.0	6600	3208	5.0	7920	-	-
तोरिया/ सरसों	1500	3200	40.0	2310	4840	73.0	2640	-	-

राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्वक बीज आपूर्ति के महत्व को समझते हुए बीज प्रबंधन में सुधार हेतु कई पहल की है। मृतप्राय बिहार राज्य बीज निगम को 2006-07 में पुनर्जीवित किया गया है और 2007-08 में सभी बीज गुणन फार्मों (सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म्स) को क्रियाशील बना दिया गया है।

उर्वरक

हाल के वर्षों में बिहार में रासायनिक उर्वरकों की खपत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है (तालिका 2.12)। इसका उपभोग स्तर क्रमिक तौर पर बढ़ता रहा है - 2250.19 हजार टन (2004-05), 2772.79 हजार टन (2005-06), 3225.31 हजार टन (2006-07) और अंत में, 649.32 हजार टन (2007-08)। इस प्रकार चार वर्षों के दरम्यान उर्वरकों की खपत में 62.2 प्रतिशत वृद्धि हुई जो इस मूल्यवान लागत सामग्री के प्रति बिहार के किसानों की चाहत की द्योतक है। वर्ष 2007-08 में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत 155.60 कि.ग्रा. थी। दो महत्वपूर्ण फसल मौसमों में रबी के मौसम में उर्वरक का उपयोग ज्यादा होता है (195.80 कि.ग्रा./ हेक्टेयर) जो खरीफ के मौसम में उर्वरक उपयोग (120.10 कि.ग्रा./ हेक्टेयर) से डेढ़गुना ज्यादा है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों में यूरिया का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है - कुल उर्वरक खपत का लगभग आधा अकेले यूरिया ही है।

तालिका 2.12 : बिहार में उर्वरक की खपत (2004-05 से 2007-08)

(हजार टन)

उर्वरक	2004-05			2005-06		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
यूरिया	616.76	663.61	1280.37	647.32	733.94	1381.26
डीएपी	23.60	75.15	98.75	62.16	116.36	178.52
एसएसपी	2.40	2.37	4.77	5.71	24.88	30.59
एमओपी	1.34	49.92	51.26	43.10	80.38	123.48
मिश्रित	15.23	68.13	83.36	42.69	102.83	145.52
कुल (एनपीके)	309.48	422.20	731.68	389.58	523.84	913.42
नाइट्रोजन	290.13	328.67	618.80	314.91	373.15	688.06
फॉस्फेट	16.11	54.79	70.90	42.66	88.36	131.02
पोटाश	3.24	38.74	41.98	32.01	62.33	94.34
योग	968.81	1281.38	2250.19	1190.56	1582.23	2772.79
उर्वरक की खपत (कि. ग्राम/हेक्टेयर)	-	-	92.15	101.65	138.11	119.78
उर्वरक	2006-07			2007-08		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
यूरिया	666.51	931.59	1598.10	783.80	1067.92	1851.72
डीएपी	95.90	167.32	263.22	103.81	209.14	312.95
एसएसपी	16.96	9.83	26.79	15.52	4.58	20.10
एमओपी	26.86	63.52	90.38	33.19	71.86	105.06
मिश्रित	75.28	106.74	182.02	81.38	72.65	154.03
कुल (एनपीके)	430.21	634.59	1064.80	495.24	710.24	1205.47
नाइट्रोजन	333.59	475.12	808.71	391.32	538.16	929.48
फॉस्फेट	69.86	108.86	178.72	73.96	117.60	191.57
पोटाश	26.76	50.61	77.38	29.96	54.47	84.43
कुल	1311.72	1913.59	3225.31	1512.93	2136.39	3649.32
उर्वरक की खपत (कि. ग्राम/हेक्टेयर)	113.10	171.00	141.70	120.10	195.80	155.60

विस्तार सेवाएं

संबंधित विभाग में कर्मियों की सीमित संख्या के कारण बिहार में कृषि विकास हेतु विस्तार सेवाओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। बीज प्रबंधन, विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का उपयुक्त मिश्रण, नई किस्म के फसलों तथा नए फसल पैटर्न का आरंभ जैसे कृषिगत कार्यवाहियों से किसानों की आमदनी में इजाफा हो सकता है, अतः बिहार में विस्तार सेवाओं का सुदृढ़ीकरण बेहद जरूरी है। इस जरूरत के मद्देनजर बिहार सरकार ने व्यापक विस्तार सेवाओं हेतु एक दस्तावेज तैयार किया है। विस्तार सेवाओं को पंचायत स्तर तक ले जाने की योजना है।

तालिका 2:13 : बिहार में मिनी किट का वितरण/ प्रदर्शन (2006-07 से 2008-09)

मौसम/ फसल	वितरण/ प्रदर्शनों की संख्या		
	2006-07	2007-08	2008-09
खरीफ मौसम			
धाान (20 कि.ग्रा.)	-	9118	-
धान (एचवाईवी) (10 कि.ग्रा.)	15040	-	-
धान (5 कि.ग्रा.)	-	-	35880
धान (एचवाईवी) (2 कि.ग्र्))	2550	-	-
मक्का (2 कि.ग्रा.)	1000	7000	10000
अरहर (4 कि.ग्रा.)	5000	2750	5000
उड़द (4 कि.ग्रा.)	900	7500	30000
मूंग (4 कि.ग्रा.)	-	5450	2225
अरंडी (2 कि.ग्रा.)	800	-	2500
तिल (1 कि.ग्रा.	2000	500	-
रबी मौसम			
गेहूं (40 कि.ग्रा.)	26513	-	-
गेहूं (10 कि.ग्रा.)		-	-
गेहूं (5 कि.ग्रा.)	-	151500	-
मक्का (2 कि.ग्रा.)	10000	-	-
चना ((8 कि.ग्रा.)	11200	81900	-
मसूर (4 कि.ग्रा.)	2850	18100	-
मटर (8 कि.ग्रा.)	3600	3767	-
राई/ तोरी (2 कि.ग्रा.)	122550	182289	-
राजमा (8 कि.ग्रा.)	50	-	-
राजमा (3 कि.ग्रा.)	-	500	-
गरमा मौसम			
मक्का (2 कि.ग्रा.)		500	20000
उड़द (4 कि.ग्रा.)	1000	7000	23000
मूंग (4 कि.ग्रा.)	-	13275	37525
तिल (1 कि.ग्रा.)	500	1000	1500
कुसुम (2 कि.ग्रा.)	500	1000	-

राज्य सरकार विस्तार सेवा के तौर पर फिलहाल बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण फसलों के लिए मिनी किट वितरण/ प्रदर्शनों का आयोजन कर रही है (तालिका 2.13)। इनमें निम्नांकित चयनित फसलें हैं: खरीफ फसल - धान, मक्का, अरहर, मूंग, अरंडी; रबी फसल - गेहूं, मक्का, चना, मसूर, मटर, राई/ तोरी और राजमा; और गरमा फसल - मक्का, उड़द, मूंग, तिल और कुसुम। विगत वर्षों मिनी किट वितरण/ प्रदर्शनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, खरीफ के मौसम में 2006-07 में ऐसे वितरण/ प्रदर्शनों की संख्या महज 27.3 हजार थी, जो 2008-09 में बढ़कर 85.6 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार, 2006-07 में रबी के मौसम में इन प्रदर्शनों की संख्या 17.7 हजार थी जो अगले वर्ष 43.8 हजार तक पहुंच गई (2008-09 के आंकड़ों का अभी तक संकलन नहीं हुआ है)। गरमा फसलों के मामले में भी इसी तरह के रुझान देखे जा सकते हैं।

2.6 कृषि ऋण

कृषि में उत्पादन की आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति की जड़ जमने के साथ ही खेती लागत और आउटपुट, दोनों ही लिहाज से सीधे तौर पर बाजार के संपर्क में आ जाती है। हालांकि बिहार में अभी बाजार के लिए उत्पादन कृषि का मुख्य चरित्र-लक्षण नहीं बन पाया है। लेकिन लागत सामग्रियों के लिए बाजार पर काफी निर्भरता है। ऐसी कृषि की, जहां सीमांत और छोटी जोतें कुल जोतों का 96.50 प्रतिशत और कुल स्वामित्व वाली भूमि का 67.36 प्रतिशत हो, लागत सामग्रियों हेतु बाजार पर इस कदर निर्भरता कृषि ऋण को कृषि उत्पादन की एक अहम लागत बना देती है।

बिहार के कृषि प्रक्षेत्र में ऋण प्रवाह संबंधी सूचना तालिका 2.14 में दी गई है। चूंकि 2008-09 के आंकड़े उस वर्ष के प्रथम छः महीने से ही संबंधित हैं, इसलिए 2008-09 के दौरान उपलब्धि दर में कमी कोई आश्चर्य की बात नहीं। पूर्ववर्ती वर्षों के आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि 2003-04 से सिर्फ एक साल 2004-05 को छोड़कर, सभी बैंकों द्वारा ऋण वितरण में गिरावट के रुझान हैं। यह बहुत ही गंभीर परिघटना है, खास तौर से यह जानते हुए कि किसानों की वास्तविक जरूरतों के मुकाबले निर्धारित लक्ष्य अपने आप में बहुत कम रहे हैं। 2003-04 में उपलब्धि दर 82.01 प्रतिशत से प्रारंभ हुई थी जो 2007-08 में गिरकर 76.96 प्रतिशत हो गई।

तीन प्रमुख ऋण स्रोतों में व्यावसायिक बैंक सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कुल ऋण वितरण का लगभग 65 प्रतिशत इन्हीं के माध्यम से होता है; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी क्रमशः 25 और 10 प्रतिशत है। चूंकि व्यावसायिक बैंक सबसे अहम ऋणस्रोत हैं, इसीलिए उपलब्धि दर में इन बैंकों द्वारा भी गिरावट के रुझान का प्रदर्शन चिंता का विषय है। वर्ष 2007-08 में उपर्युक्त तीन श्रेणियों के बैंकों की उपलब्धि दर इस प्रकार थी : वाणिज्यक बैंक - 81.47 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - 75.80 प्रतिशत और केंद्रीय सहकारी बैंक - 57.42 प्रतिशत।

तालिका 2:14 : बिहार के कृषि प्रक्षेत्र में ऋण प्रवाह (2003-04 से 2008-09)

बैंक समूह		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
व्यावसायिक बैंक	लक्ष्य	1220.15	1386.39	1645.57	2274.36	3003.58	4355.35
	उपलब्धि	792.44	1325.06	1489.33	1915.93	2447.04	1388.80
	प्रतिशत	64.95	95.58	90.51	84.24	81.47	31.89
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	लक्ष्य	376.98	550.86	644.26	938.67	1256.34	1821.69
	उपलब्धि	204.87	431.30	450.09	797.07	952.36	552.13
	प्रतिशत	54.35	78.30	69.86	84.91	75.80	30.31
केंद्रीय सहकारी बैंक	लक्ष्य	303.21	402.71	407.65	509.34	619.75	898.69
	उपलब्धि	561.11	273.75	234.61	272.04	355.85	97.02
	प्रतिशत	185.06	67.98	57.55	53.41	57.42	10.80
अन्य बैंक	लक्ष्य	1900.34	2339.96	2697.48	3722.37	4879.67	7075.73
	उपलब्धि	1558.42	2030.11	2174.03	2985.04	3755.25	2037.95
	प्रतिशत	82.01	86.76	80.59	80.19	76.96	28.80

टिप्पणी : 2008-09 का मूल्य, सितंबर तक

चूंकि व्यावसायिक बैंक और यहां तक कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कृषि ऋणों का विस्तार करने के प्रति प्राय: उदासीन रहते हैं, अत: सहकारी बैंकों को ही किसानों के लिए आदर्श ऋण स्रोत माना जाता है। दुर्भाग्यवश, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, बिहार में कृषि ऋण में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी मात्र 10 प्रतिशत है (तालिका 2.15)। सहकारी बैंकों की इतनी सीमित पहुंच का मुख्य कारण यह है कि बिहार के 16 जिलों में तो इन बैंकों का कोई अस्तित्व ही नहीं है (तालिका 1.15)। जिन 22 जिलों में ये बैंक मौजूद हैं, उनमें इनकी उपलब्धि दर प्राय: 40 प्रतिशत से भी कम है। छ: जिलों में तो उनकी उपलब्धि दर 10 प्रतिशत से कम है।

कृषि ऋण को प्रोत्साहन वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना बैंकिंग प्रक्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है। यह योजना 1999 मे आरंभ की गई थी और इसके तहत किसानों को अधिकतम 50 हजार रुपए उधार देने का प्रावधान है। सितंबर 2008 तक बिहार में 20.88 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके थे (तालिका 2. 16)। 44.60 लाख किसानों के लक्ष्य की तुलना में किसान क्रेडिट कार्ड वितरण की उपलब्धि दर मात्र 46.81 प्रतिशत है। तीन ऋण स्रोतों की उपलब्धि दर में कोई खास फर्क नहीं है : व्यावसायिक बैंक - 48.24 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - 47.49 प्रतिशत और केंद्रीय सहकारी बैंक - 44.40 प्रतिशत। विगत वर्षों की उपलब्धि दर के तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है कि 2000-01 मे यह दर 60.11 प्रतिशत थी जो 2005-06 तक आते-आते गिरकर 56.22 प्रतिशत हो गई। बहरहाल, अगले दो वर्षों (2006-07 और 2007-08) तक बैंकों ने बेहतर प्रदर्शन किया और उपलब्धि दर को क्रमश: 66.56 एवं 67.81 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। 2008-09 में सितंबर तक, छ: माह पूरे होने के बाद भी उपलब्धि दर मात्र 16.90 प्रतिशत है। यदि अगले छ: माह के दौरान कार्ड के वितरण में तेजी नहीं लाई जाती है, तो इस बात के पूरे आसार हैं कि पूरे 2008-09 के दौरान प्रदर्शन फीका रहेगा।

तालिका 2.15 : बिहार में सहकारी ऋण वितरण

जिला	लक्ष्य (लाख रु. मे)			वितरण (लाख रु. में)			उपलब्धि (प्रतिशत)		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
पटना	26.0	21.5	25.0	18.2	22.3	6.9	69.9	103.7	27.5
नालंदा	35.0	14.0	23.0	8.7	17.2	3.6	25.0	123.1	15.8
भोजपुर	36.0	21.5	32.5	7.7	13.8	3.4	21.5	64.3	10.6
बक्सर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रोहतास	36.0	11.0	26.0	6.0	9.3	2.7	16.5	85.0	10.2
भागलपुर	27.0	15.0	21.0	13.1	9.2	2.9	48.7	61.4	13.9
गया	25.0	11.0	17.0	3.3	4.2	0.7	13.2	37.8	4.1
जहानाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अरवल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नवादा	27.0	14.0	24.0	10.3	12.5	5.6	38.3	89.1	23.2
औरंगाबाद	26.0	19.0	25.5	17.5	11.3	8.6	67.4	59.5	33.6
सारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सीवान	18.0	13.0	19.0	12.4	11.5	3.0	68.6	88.2	15.9
गोपालगंज	27.0	14.5	26.0	7.6	15.3	4.6	28.1	105.7	17.6
मुजफ्फरपुर	26.0	11.0	30.0	6.7	13.2	2.8	25.8	120.0	9.3
पूर्वी चंपारण	35.0	17.0	38.0	23.5	25.1	15.9	67.0	147.5	41.7
पश्चिमी चंपारण	31.0	15.0	31.0	7.4	11.6	7.5	24.0	77.6	24.2
सीतामढ़ी	32.0	13.0	28.0	5.4	12.1	0.3	17.0	92.9	1.1
शिवहर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वैशाली	23.0	10.0	22.0	11.4	4.1	1.1	49.7	41.1	5.1
दरभंगा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मधुबनी	28.0	20.0	27.0	19.9	19.5	4.5	71.1	97.7	16.6
समस्तीपुर	36.0	23.0	40.0	27.5	30.4	7.4	76.5	132.1	18.6
बेगूसराय	66.0	30.0	60.0	28.1	30.2	11.5	42.5	100.6	19.1
मुंगेर	22.0	12.0	17.0	5.3	10.4	1.6	24.1	86.5	9.6
शेखपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लखीसराय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जमुई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खगड़िया	34.0	17.5	33.0	6.4	9.4	3.1	18.8	53.9	9.4
भागलपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बांका	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सहरसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सुपौल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मधेपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्णिया	57.0	35.0	55.0	46.7	44.8	10.3	82.0	127.9	18.7
किशनगंज	26.0	14.0	30.0	9.7	18.4	11.0	37.4	131.5	36.6
अररिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कटिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-

तालिका 2.16 : बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का वितरण

(कार्डों की संख्या)

बैंक समूह		2000-01	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (सितंबर-08)	कुल
व्यावसायिक बैंक	लक्ष्य	101501	174850	143866	250000	300000	861429	1831646
	उपलब्धि	65750	140793	131618	203935	222478	119050	883624
	प्रतिशत	64.78	80.52	91.49	81.57	74.16	13.82	48.24
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	लक्ष्य	28617	150500	129719	190000	228000	478571	1205407
	उपलब्धि	13576	76891	66332	140071	168529	107045	572444
	प्रतिशत	47.44	51.09	51.14	73.72	73.92	22.37	47.49
केंद्रीय सहकारी बैंक	लक्ष्य	180000	470350	293166	160000	160000	160000	1423516
	उपलब्धि	107094	245907	120653	55374	75533	27422	631983
	प्रतिशत	59.50	52.28	41.16	34.61	47.21	17.14	44.40
योग	लक्ष्य	310118	795700	566751	600000	688000	1500000	4460569
	उपलब्धि	186420	465744	318603	399380	466540	253517	2088051
	प्रतिशत	60.11	58.53	56.22	66.56	67.81	16.90	46.81

स्रोत : संस्थागत वित्त विभाग, बिहार सरकार

38 जिलों की उपलब्धि दरों में काफी भिन्नताएं हैं (तालिका 2.17)। विभिन्न जिलों की आबादी एवं तदनुसार केसीसी के अंश के तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है कि 14 जिलों का अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में वितरण हुआ है। ये जिले हैं : नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, पूर्णिया और किशनगंज। यहां एक रोचक तथ्य का उल्लेख प्रासंगिक होगा कि कुछ जिलों (जैसे पटना और बक्सर) में कृषि अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, फिर भी वहां कार्ड वितरण की गति मंद है।

तालिका 2.17 : जिलावार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की उपलब्धि

जिला	2003 तक	2004	2005	2006	2007	2008	योग	कार्डों का प्रतिश	आबादी का प्रतिशत
पटना	52977	23113	20036	10801	26204	18048	151179	4.77	5.69
नालंदा	37361	20562	18229	13266	16297	16175	121890	3.85	2.86
भोजपुर	44944	32437	21830	4833	17683	15918	137645	4.34	2.70
बक्सर	9042	2862	4279	4051	8824	6775	35833	1.13	1.69
रोहतास	37508	22363	7777	6674	15272	19590	109184	3.44	2.95
भागलपुर	17184	5685	15015	5205	9624	12094	64807	2.04	1.55
गया	29817	22998	18865	8601	19716	16371	116368	3.67	4.18
जहानाबाद	7086	1807	3818	2381	5681	5348	26121	0.82	1.82
अरवल	923	1275	2058	1052	2698	2932	10938	0.35	1.82
नवादा	36160	27525	11264	7668	11281	11217	105115	3.32	2.18
औरंगाबाद	23875	31358	17569	12707	9272	8638	103419	3.26	2.43
सारण	21812	4677	8845	9190	8881	14127	67532	2.13	3.91
सीवान	33983	18995	10809	7074	10551	14545	95957	3.03	3.27
गोपालगंज	16867	19734	12938	5413	11205	13396	79553	2.51	2.59
मुजफ्फरपुर	19520	14331	22390	7517	15170	20050	98978	3.12	4.51
पूर्वी चंपारण	23416	18707	15312	12409	15141	17144	102129	3.22	3.28
पश्चिमी चंपारण	37243	29720	9027	6814	10883	24403	118090	3.73	3.23
सीतामढ़ी	508	173	425	1309	1538	2617	6570	0.21	0.62
शिवहर	19812	19515	19279	14701	21053	26210	120570	3.80	4.75
वैशाली	47373	26005	27614	31407	35212	32431	200042	6.31	3.67
दरभंगा	23831	1459	6751	3816	7783	8011	51651	1.63	3.97
मधुबनी	50512	38406	20970	21759	14954	22783	169384	5.34	4.09
समस्तीपुर	32333	24782	35001	21426	9352	14712	137606	4.34	2.83
बेगूसराय	17492	19611	10244	2869	3967	5608	59791	1.89	1.37
मुंगेर	2439	1225	2447	2353	3422	4587	16473	0.52	0.97
शेखपुरा	33458	29187	25258	12656	9559	15598	125716	3.97	4.31
लखीसराय	2047	880	1503	2216	2317	3532	12495	0.39	0.63
जमुई	3823	1828	3352	4113	3777	7382	24275	0.77	1.69
खगड़िया	25820	18483	19707	9028	5528	9296	87862	2.77	1.54
भागलपुर	70632	40851	9366	4726	9223	11477	146275	4.61	2.92
बांका	3433	896	3395	3138	4141	4282	19285	0.61	1.94
सहरसा	3696	1118	2906	2135	5513	7250	22618	0.71	1.82
सुपौल	5350	1216	3424	2838	5593	6296	24717	0.78	2.09
मधेपुरा	17651	854	2844	2962	4679	6056	35046	1.11	1.84
पूर्णिया	75725	39782	25036	11791	12350	13477	178161	5.62	3.07
किशनगंज	4175	1988	6264	13238	9170	8558	43393	1.37	2.60
अररिया	3115	1287	4977	8952	5484	7393	31208	0.98	1.56
कटिहार	27923	26457	23531	12329	9565	12213	112018	3.53	2.88
योग	920866	594152	474355	315418	398563	466540	3169894	100.00	100.00

स्रोत : संस्थागत वित्त विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.18 : बिहार में फसल बीमा

जिला	2005-06		2006-07		2007-08	
	किसानों की संख्या		किसानों की संख्या		किसानों की संख्या	
	आच्छादित	लाभान्वित	आच्छादित	लाभान्वित	आच्छादित	लाभान्वित
पटना	27548	10395	43881	7754	53496	19461
नालंदा	31574	14908	48378	274	68109	11977
भोजपुर	6524	32	22820	34	20856	0
बक्सर	4142	873	14787	2125	14123	0
रोहतास	6898	2348	18673	466	16798	2508
भागलपुर	9232	3204	19873	1125	22158	2741
गया	19890	16286	32867	0	38008	0
जहानाबाद	3637	2570	7035	0	8025	0
अरवल	1590	658	3150	453	3025	0
नवादा	8624	5325	19178	0	15980	0
औरंगाबाद	23074	19631	22148	1636	18752	1178
सारण	40	0	683	0	4197	621
सीवान	5351	2626	12391	2370	14732	1686
गोपालगंज	2583	1785	18029	4216	24483	10198
मुजफ्फरपुर	16258	9542	27101	1712	59955	50537
पूर्वी चंपारण	33933	21281	56836	31713	119045	78666
पश्चिमी चंपारण	16570	5860	14697	6059	38814	35181
सीतामढ़ी	14743	9741	22022	1043	55741	8218
शिवहर	1878	637	5314	28	8068	0
वैशाली	12475	9292	21117	13595	21088	8844
दरभंगा	4215	886	6185	243	11632	4210
मधुबनी	20118	11389	27610	12	40524	3448
समस्तीपुर	34162	15491	47568	13207	69401	45247
बेगूसराय	26747	17980	52863	18842	52327	40061
मुंगेर	1721	2	2757	289	2097	0
शेखपुरा	1484	670	2352	0	2580	0
लखीसराय	1849	1115	2508	0	2427	80
जमुई	5691	4422	8044	1470	8985	2667
खगड़िया	12476	0	13213	6322	26511	22000
भागलपुर	5590	3878	8781	2958	8830	1977
बांका	3597	2547	12773	3598	4629	0
सहरसा	5512	3912	1024	0	2585	91
सुपौल	73	36	1308	0	1310	0
मधेपुरा	468	0	1179	12	1526	1
पूर्णिया	4550	3277	21900	8532	13756	4604
किशनगंज	4770	1865	6064	1049	7348	1291
अररिया	16101	15752	23799	13326	20576	11511
कटिहार	14258	8671	13527	1505	10511	5975
योग	409946	228887	684435	145968	913008	374979

अनिश्चित वर्षा और बाढ़ के प्रकोप के कारण बिहार के किसानों को अक्सर फसलों की अप्रत्याशित क्षति का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल उनकी आमदनी घट जाती है, बल्कि कई मर्तबा उन पर कर्ज का भारी बोझ लद जाता है। इस पृष्ठभूमि में, फसल बीमा का विस्तार बिहार में कृषि के विकास की दृष्टि से बेहद आवश्यक कार्यभार है। लेकिन दुर्भाग्यवश, 2007-08 की समाप्ति तक सिर्फ 9.13 लाख ऐसे किसान थे जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराने में सफलता पाई हो (तालिका 2.18)। मोटे तौर पर एक आकलन के अनुसार 10 प्रतिशत से भी कम किसान फसल बीमा से आच्छादित हैं। हालांकि थोड़ी ढाढ़स की बात है कि इधर कई वर्षों से राज्य में फसल बीमा का प्रचलन बढ़ रहा है। वर्ष 2005-06 में फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या सिर्फ 4.10 लाख थी जो दो वर्षों में (2007-08 तक) बढ़कर 9.13 लाख हो गई अर्थात 122.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जिन जिलों में 50 हजार से अधिक किसानों ने फसल बीमा अपनाया है, उनके नाम हैं - पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और बेगूसराय। खास तौर से अरवल, सारण, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, बांका, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रदर्शन खराब रहा है।

2.7 पशुपालन

2003 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल पशुधन की संख्या 407.83 लाख है। इसमें 39.8 प्रतिशत दुधारू पशु हैं जिसमें गायों की संख्या 104.7 लाख और भैसों 57.66 लाख है (तालिका 2.19)। राज्य में बकरियों की भी बड़ी तादाद है (96.06 लाख) जिन्हें 'गरीबों की गाय' कहा जाता है। राज्य में पॉल्ट्री पक्षियों की संख्या भी काफी अधिक (139.68 लाख) है। राज्य में इतनी विशाल मात्रा में पशुधन की मौजूदगी को देखते हुए यहां पशुधन उत्पादों की प्रचुर संभावना है। हालांकि बिहार में पशुधन से प्राप्त आय ग्रामीण आय का महत्वपूर्ण संघटक है, फिर भी यह चारित्रिक रूप से समृद्धि की बजाय जीवन निर्वाह का साधन बनी हुई है। पशुधन का विकास और इस प्रक्षेत्र से अधिक उत्पादन बिहार के गांवों की आर्थिक समृद्धि का बेहद महबूत आधार बन सकता है।

जिलावार पशुधन की उपलब्धता (तालिका 2.19) के अध्ययन से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि राज्य के कुल पशुधन में अलग-अलग जिलों की हिस्सेदारी में काफी भिन्नताएं मौजूद हैं। गो-जातीय पशुओं (गाय-भैंस) की संख्या पटना, भोजपुर, रोहतास, गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और पूर्णिया में अपेक्षाकृत ज्यादा है। बकरी और पॉल्ट्री पक्षियों के लिहाज से राज्य का उत्तर-पूर्वी अंचल खास तौर से अनुकूल है और पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार जिलों में इनका संकेंद्रण सबसे अधिक है।

तालिका 2.19 : बिहार में जिलावार पशुधन (2003)

(आंकड़े हजार में)

जिला	गाय	भैंस	सूअर	भेड़	बकरी	पॉल्ट्री
पटना	315.1(3.0)	265.8(4.6)	51.0(8.1)	17.5(5.0)	196.6(2.0)	383.7(2.7)
नालंदा	199.5(1.9)	219.3(3.8)	23.1(3.7)	6.2(1.8)	171.1(1.8)	395.6(2.8)
भोजपुर	213.8(2.0)	228.6(4.0)	17.2(2.8)	43.6(12.6)	133.4(1.4)	238.3(1.7)
बक्सर	138.2(1.3)	161.8(2.8)	8.5(1.3)	20.0(5.8)	70.8(0.7)	126.6(0.9)
रोहतास	254.7(2.4)	321.9(5.6)	12.5(2.0)	28.8(8.3)	195.1(2.0)	315.2(2.3)
भागलपुर	212.8(2.0)	191.1(3.3)	4.7(0.7)	29.6(8.5)	104.5(1.1)	216.3(1.5)
गया	640.2(6.1)	278.1(4.8)	119.1(19.0)	18.0(5.2)	442.6(4.6)	886.1(6.3)
जहानाबाद	80.0(0.8)	105.7(1.8)	19.0(3.0)	4.5(1.3)	63.5(0.7)	124.1(0.9)
अरवल	52.0(0.5)	38.5(0.7)	2.5(0.4)	4.6(1.3)	39.6(0.4)	58.4(0.4)
नवादा	321.3(3.1)	121.6(2.1)	47.3(7.5)	6.0(1.7)	226.7(2.4)	315.2(2.3)
औरंगाबाद	405.5(3.9)	175.2(3.0)	20.7(3.3)	47.6(13.7)	227.5(2.4)	365.0(2.6)
सारण	243.8(2.3)	154.7(2.7)	10.7(1.7)	7.9(2.3)	196.5(2.0)	237.6(1.7)
सीवान	249.9(2.4)	140.7(2.4)	12.3(2.0)	2.4(0.7)	210.7(2.2)	248.3(1.8)
गोपालगंज	188.6(1.8)	118.3(2.1)	7.6(1.2)	1.2(0.3)	216.3(2.3)	215.4(1.5)
मुजफ्फरपुर	411.4(3.9)	299.9(5.2)	12.3(2.0)	1.7(0.5)	451.0(4.7)	434.0(3.1)
पूर्वी चंपारण	181.1(1.7)	145.0(2.5)	2.1(0.3)	4.5(1.3)	235.9(2.5)	411.4(2.9)
पश्चिमी चंपारण	216.9(2.1)	169.5(2.9)	12.6(2.0)	1.3(0.4)	307.3(3.2)	316.8(2.3)
सीतामढ़ी	31.3(0.3)	25.9(0.4)	1.4(0.2)	-	72.5(0.8)	75.4(0.5)
शिवहर	294.6(2.8)	223.7(3.9)	12.8(2.0)	2.8(0.8)	529.9(5.5)	518.8(3.7)
वैशाली	427.5(4.1)	222.3(3.9)	21.6(3.4)	4.5(1.3)	510.6(5.3)	762.4(5.5)
दरभंगा	216.0(2.1)	170.3(3.0)	6.6(1.1)	0.7(0.2)	197.4(2.1)	417.8(3.0)
मधुबनी	362.0(3.5)	213.2(3.7)	2.9(0.5)	5.8(1.7)	284.2(3.0)	230.0(1.6)
समस्तीपुर	278.9(2.7)	101.6(1.8)	3.8(0.6)	1.3(0.4)	141.4(1.5)	187.2(1.3)
बेगूसराय	143.3(1.4)	53.7(0.9)	6.4(1.0)	0.7(0.2)	140.1(1.5)	102.8(0.7)
मुंगेर	114.5(1.1)	53.2(0.9)	7.5(1.2)	0.1(0.0)	92.9(1.0)	57.7(0.4)
शेखपुरा	451.8(4.3)	255.1(4.4)	12.0(1.9)	41.6(12.0)	321.2(3.3)	322.1(2.3)
लखीसराय	58.8(0.6)	46.4(0.8)	8.2(1.3)	0.7(0.2)	59.3(0.6)	86.2(0.6)
जमुई	388.3(3.7)	67.2(1.2)	50.4(8.0)	16.5(4.8)	299.0(3.1)	266.4(1.9)
खगड़िया	174.5(1.7)	82.7(1.4)	4.4(0.7)	0.0(0.0)	191.9(2.0)	130.9(0.9)
भागलपुर	345.5(3.3)	132.3(2.3)	5.0(0.8)	0.7(0.2)	349.5(3.6)	425.6(3.0)
बांका	472.9(4.5)	120.5(2.1)	18.6(3.0)	10.7(3.1)	368.3(3.8)	360.2(2.6)
सहरसा	259.4(2.5)	126.5(2.2)	6.3(1.0)	0.3(0.1)	275.0(2.9)	180.5(1.3)
सुपौल	399.8(3.8)	149.8(2.6)	7.5(1.2)	5.5(1.6)	394.6(4.1)	275.7(2.0)
मधेपुरा	248.3(2.4)	122.1(2.1)	9.2(1.5)	1.2(0.3)	285.7(3.0)	143.9(1.0)
पूर्णिया	413.4(3.9)	192.6(3.3)	26.7(4.3)	0.2(0.1)	433.9(4.5)	895.9(6.4)
किशनगंज	395.6(3.8)	155.8(2.7)	13.0(2.1)	0.6(0.20	441.1(4.6)	827.6(5.9)
अररिया	267.5(2.6)	45.2(0.8)	4.3(0.7)	0.2(0.1)	282.9(2.9)	1051.5(7.5)
कटिहार	401.3(3.8)	69.9(1.2)	15.3(2.4)	6.7(1.9)	445.3(4.6)	1360.9(9.7)
योग	10470.2 (100.0)	5765.7 (100.0)	627.0 (100.0)	346.3 (100.0)	9605.7 (100.0)	13967.8 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जिला की हिस्सेदारी को प्रदर्शित करते हैं।

तालिका 2.20 : बिहार में पशुधन प्रजनन एवं स्वास्थय संबंधी उपलब्धि के जिलावार आंकड़े (2003)

(चारा बीज के नि:शुल्क वितरण संबंधी आंकड़े क्विंटल में और अन्य आंकड़े लाख में)

जिला	2006-07				2007-08			
	उपचारित पशु	विसंक्रमण	टीकाकरण	चारा बीज का नि:शुल्क वितरण	उपचारित पशु	विसंक्रमण	टीकाकरण	चारा बीज का नि:शुल्क वितरण
पटना	1.5	0.09	1.35	9.9	1.69	0.08	2.26	12.02
नालंदा	0.7	0.08	0.04	4.8	0.68	0.06	1.67	6.58
भोजपुर	1.22	0.15	0.04	9.9	1.16	0.11	1.8	10.52
बक्सर	-	-	-	-	-	-	-	-
रोहतास	1.32	0.16		9.9	1.59	0.18	2.56	9.72
भागलपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
गया	1.24	0.1	0.09	2.55	1.13	0.1	3.74	5.91
जहानाबाद	0.36	0.04	0.06	2.85	0.34	0.03	0.09	2.16
अरवल	-	-	-	-	-	-	-	-
नवादा	0.71	0.08	0.22	4.5	0.75	0.08	1.52	5.91
औरंगाबाद	0.74	0.09	-	3.45	0.72	0.07	1.59	10.34
सारण	1.2	0.1	0	9.2	1.06	0.09	1.98	3.19
सीवान	0.95	0.07	-	5.45	0.88	0.05	0.84	3.19
गोपालगंज	0.55	0.07		3.8	0.78	0.06	1.53	3.19
मुजफ्फरपुर	1.12	0.06	0.18	9.72	2.16	0.03	2.96	3.82
पूर्वी चंपारण	0.7	0.05	0.42	2.67	1.12	0.04	2.31	3.8
पश्चिमी चंपारण	0.57	0.02	-	2.67	1.06	0.02	1.87	3.8
सीतामढ़ी	-	-	-	-	-	-	-	-
शिवहर	0.6	0.07	-	2.67	0.87	0.05	2.55	3.8
वैशाली	0.54	0.03	-	2.67	0.83	0.02	2.93	3.8
दरभंगा	0.75	0.02	0.2	8.94	1.18	0.02	2.76	3.18
मधुबनी	0.83	0.04	0.1	8.19	1.38	0.02	2.87	6.48
समस्तीपुर	0.89	0	0.11	9.69	0.78	0.04	0.93	3.16
बेगूसराय	1.83	0.2	0.02	10.85	1.61	0.1	3.33	7.41
मुंगेर								
शेखपुरा	0.95	0.07	0.1	9.78	1.34	0.05	3.66	3.16
लखीसराय	-	-	-	-	-	-	-	-
जमुई	-	-	-	-	-	-	-	-
खगड़िया	0.49	0.04	0.3	3.8	0.62	0.03	2.1	7.41
भागलपुर	1.22	Q.11		10.85	1.07	0.09	2.48	7.41
बांका	-	-	-	-	-	-	-	-
सहरसा	1.38	0.14		6.63	1.44	0.12	3.7	6.3
सुपौल	-	-	-	-	-	-	-	-
मधेपुरा	0.39	0.03	0.35	8.67	0.62	0.D3	1.6	3.15
पूर्णिया	0.76	0.1	0.1	3.6	0.67	0.07	1.68	2
किशनगंज	0.43	0.03	0.31	3	0.48	0.03	1.91	1.34
अररिया	0.3	0.03	0.2	3.45	0.39	0.02	1.25	1.34
कटिहार	0.66	0.06	0	3.3	0.69	0.05	1.48	2
योग	24.96	2.21	4.41	177.45	29.1	1.74	61.95	146.09

बिहार में पशुपालन प्रक्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के संबंधित विभाग प्रजनन, विसंक्रमण, टीकाकरण, चारा बीजों का नि:शुल्क वितरण जैसी अनेक उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं (तालिका 2.20)। वर्ष 2006-07 और 2008-09 में इन सेवाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि जहां प्रजनन एवं टीकाकरण सेवाओं का विकास हुआ, वहीं विसंक्रमण और चारा बीजों का नि:शुल्क वितरण जैसी संघटक सेवाओं में गिरावट देखी गई। 2006-07 में 24.96 लाख पशुओं का उपचार किया गया जिनकी संख्या बढ़कर 2007-08 में 29.09 लाख हो गई। विसंक्रमण संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं - 2006-07 में 2.21 लाख और 2007-08 में 1.74 लाख। टीकाकरण सेवाओं मे बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई - 2006-07 में इसकी संख्या मात्र 4.41 लाख थी जो छलांग लगाकर 2007-08 में 61.95 लाख हो गई। लेकिन वहीं चारा बीजों के नि:शुल्क वितरण में करीब 18 प्रतिशत की गिरावट देखी गई - 2006-07 में यह 177.45 क्विंटल था जो घटकर 2007-08 में 146.09 क्विंटल हो गया।

2.8 कृषि हेतु रोडमैप

एक ओर कृषि पैदावार में भारी अंतराल तो दूसरी ओर किसानों की बेहद कम आय और ग्रामीण क्षेत्रों में चारो तरफ फैली गरीबी, साथ ही समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और महती जन आकांक्षाएं। इन सब विरोधाभासों को देखते हुए गरीबी की फांस से बिहार की जनता को धीरे-धीरे मुक्त करने की दृष्टि न तो आर्थिक रूप से सही है और न ही सामाजिक रूप से उपादेय। यह एक चुनौती है जो सम्मिलित समयबद्ध विकास प्रयासों का मांग करती है ताकि बिहार के कृषि प्रक्षेत्र के तकनीकी आधार को सर्वांगीण रूप से बदला जा सके। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने बिहार के कृषि और समवर्गी प्रक्षेत्र के लिए एक रोडमैप तैयार किया है जिसमें वर्ष 2008-12 के दौरान चलाए जाने वाले कई विकास कार्यक्रमों को चिन्हित किया गया है। रोडमैप के पांच प्रमुख लक्ष्य हैं :

1 विशेषकर जोतों के छोटे आकार को देखते हुए किसानों की आय को जीवक्षम (वायवल) स्तर तक सुनिश्चित करना।

2. मुनाफा के साथ जोड़ते हुए उत्पादकता में वृद्धि कर खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना।

3 उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उठाकर पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना।

4 लाभकर रोगगार के सृजन और पलायन की रोकथाम के उद्देश्य से खेती को नई जीवनशक्ति प्रदान करना।

5 लैंगिक एवं मानवीय पहलू पर केंद्रित कार्यक्रम सहित, न्याय के साथ कृषि का विकास सुनिश्चित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रोडमैप में कृषि तथा इसके समवर्गी प्रक्षेत्र के तमाम पहलुओं को समेटते हुए कई कार्यक्रम चिन्हित किए गए हैं। कुल मिलाकर रोडमैप में प्रस्तुत एजेंडा के सात आयाम हैं। इन सभी का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

कृषि

कृषि प्रक्षेत्र के लिए कार्यक्रम इन चार प्रमुख समूहों में हैं - (क) लागत, सुगम्यता, आपूर्ति एवं गुणवत्ता, (ख) प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण एवं विस्तार, (ग) आय सृजन गतिविधियां तथा (घ) विपणन। कृषि विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों को निम्नलिखित 12 शीर्षकों के अंतर्गत बांटा गया है :

1 बीज योजना : राज्य में मौजूद बीज अधिसंरचना - बिहार राज्य बीज निगम, बिहार राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण (बीएसएससीए), बीज गुणन फार्म (एसएमएफ) और पूर्णत: यंत्रीकृत कृषि फार्म (एमएएफ) को मजबूत करके प्रमुख फसलों के लिए आदर्श बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) की प्राप्ति।

2 बागवानी : गुणवत्तापूर्ण रोपण सामाग्रियों का प्रावधान तथा एक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना।

3 मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन : संतुलित पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फेट एवं पोटाश) के इस्तेमाल, जैव उर्वरक को प्रोत्साहन तथा जिन 24 जिलों में क्षारीय प्रतिक्रिया वाली मिट्टी है वहां जिप्सम/ पाइराइट का इस्तेमाल करके मिट्टी की सेहत में सुधार।

4 फसल सुरक्षा : समेकित कीट प्रबंधन को प्रोत्साहन तथा पौधा संरक्षण केंद्रों और जैव नियंत्रण कार्यशालाओं का परिचालन करके फसलों की क्षति की रोकथाम।

5 फार्म यंत्रीकरण : आधुनिक कृषि उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करके यंत्रीकृत खेती को प्रोत्साहन।

6 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण : किसान फील्ड स्कूल, फील्ड प्रदर्शन, किसान प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर यात्राएं, प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में अधिकारियों का प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों का आरंभ।

7 कृषि विस्तार : विस्तार कार्य हेतु जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर अधिकारियों की नियुक्ति करके कृषि विभाग का कायाकल्प।

8 समेकित खेती मॉडल : किसानों को वित्तीय समर्थन देकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के मॉडल पर आधारित समेकित खेती को प्रोत्साहन।

9 मिट्टी एवं जल संरक्षण : जल संग्रह ढांचा, सिल्ट अवरोधी डैम और मिट्टी के चेक डैम का निर्माण करके मिट्टी एवं जल संरक्षण को प्रोत्साहन तथा शुष्क भूमि बागवानी एवं कृषि वानिकी को भी बढ़ावा।

10 लघु मौसम केंद्र : लघु मौसम केंद्रों की स्थापना ताकि किसानों को मौसम संबंधी उपयोगी सूचनाएं मुहय्या कराई जा सकें।

11 सूक्ष्मस्तरीय सिंचाई परियोजना : राज्य के सभी 38 जिलों में फैली करीब 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की ड्रिप एवं छिड़काव पद्धति से सिंचाई करके सूक्ष्मस्तरीय सिंचाई को प्रोत्साहन।

12 कृषि विपणन : तीन स्तरों वाली व्यापक कृषि विपणन अधिसंरचना की स्थापना। शीर्ष स्तर पर मॉडल टर्मिनल बाजार (एमटीएम) होगा और इसके बाद कृषि व्यापार केंद्र (एबीसी) और ग्रामीण हाट। कुल मिलाकर 5 मॉडल टर्मिनल बाजार (पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और गया में), 40 कृषि व्यापार केंद्र और 1500 ग्रामीण हाट होंगे।

पशुपालन

पशुपालन प्रक्षेत्र के विकास हेतु, निम्नलिखित योजनावार कार्यक्रम बनाए गए हैं : (1) घर-घर (डोर-स्टेप) पशु चिकित्सा सेवाएं, (2) घर-घर जाकर टीकाकरण एवं दवा पिलाना (3) पशुपालन कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण (4) पशुपालन हेतु विस्तार सेवाएं (5) बकरी प्रजनन एवं पालन फार्म (6) पशु शवों का निपटान (7) भैंस विकास तथा (8) ग्रामीण पॉल्ट्री का विकास।

डेयरी विकास

भारत के कुल पशुधन में विस्तार की हिस्सेदारी लगभग 5.6 प्रतिशत है, अतः राज्य के विकास में डेयरी प्रक्षेत्र का काफी महत्व है। हालांकि कई बाधाओं की वजह से इसकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है। रोडमैप में पशु लागत कार्यक्रम (प्रजनन सुविधा, पशु स्वस्थ्य देखभाल तथा पशु पोषण), विशेषीकृत अधिसंरचना (डेयरी संयंत्र, शीतलीकरण केंद्र तथा बल्क कूलर्स) का निर्माण तथा सक्षम विपणन व्यवस्था के जरिए इन अवरोधों को दूर करने की कल्पना की गई है।

मत्स्यपालन विकास

ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए जलकृषि एवं कृषि आधारित मत्स्यपालन केंद्र बहुमूल्य विकल्प हैं। समग्रत:, प्रस्तावित रोडमैप में मत्स्यपालन प्रक्षेत्र का विकास निम्नलिखित के जरिए करना प्रस्तावित है : (क) तालाब-पोखर जैसे जलागारों का निर्माण , (ख) तालाबों में सघन तथा अर्ध-सघन मछलीपालन तथा (ग) मानों में पानी की आसानी से आवाजाही के लिए उपयुक्त संरचनाओं का निर्माण। इस प्रक्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रमों में शामिल हैं - बीज के रूप में अंगुलिकाओं की व्यवस्था, जलजमाव-ग्रस्त क्षेत्रों में मछली पालन केंद्रों का विकास, मछली उत्पादन, विपणन अधिसंरचना, प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाएं, तथा मत्स्यपालन शोध केंद्र की स्थापना।

सहकारी प्रक्षेत्र

राज्य में कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों के विकास के लिए सहकारी प्रक्षेत्र मुख्य भूमिका निभाना जारी रखेगा। हाल के वर्षों में अपनी खराब वित्तीय स्थिति के चलते सहकारी प्रक्षेत्र कमजोर हुआ है। रोडमैप में इस रुझान को पलट देने की योजना बनाई गई है, ताकि इससे कृषि विकास में मदद मिले। खास कर, रोडमैप में पांच विशिष्ट क्षेत्रों में सहकारी प्रक्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है - अल्पकालिक कृषि ऋण, कृषि लागत सामग्रियों की आपूर्ति, फसल बीमा, भंडारण एवं विपणन तथा कृषि विस्तार सेवाएं।

संस्थागत वित्त व्यवस्था

कृषि विकास को बढ़ावा देने में संस्थागत वित्त व्यवस्था से प्रमुख भूमिका निभाने की आशा की जाती है। हालांकि बिहार में वार्षिक ऋण योजना के विश्लेषण से पता चलता है कि ऋण संवितरण लक्ष्य के 80 प्रतिशत के ही आसपास है – तब भी, जब अवशोषण क्षमता लक्ष्य से काफी अधिक है। रोडमैप में उत्पादन एवं विपणन हेतु अल्पकालिक ऋण, निवेश हेतु ऋण, गैर–कृषि गतिविधियों के लिए ऋण, सूक्ष्मऋण तथा अन्य प्राथमिकता एवं गैर–प्राथमिकता प्राप्त प्रक्षेत्रों के लिए ऋण जैसे विभिन्न संघटकों के लिए कुल ऋण आवश्यकता का आकलन किया गया है।

रोडमैप का वित्तपोषण

रोडमैप के तहत सभी कार्यक्रमों के लिए पांच वर्षों के लिए कुल वित्तीय आवश्यकता 6,135.37 करोड़ रु. है। विभिन्न प्रक्षेत्रों एवं वर्षों के लिए इस राशि का विवरण तालिका 2.21 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.21 : बिहार में कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र हेतु रोडमैप के लिए वित्तीय आवश्यकताएं

(करोड़ रु.)

वर्ष	प्रक्षेत्र					योग
	कृषि	पशुपालन	डेयरी	मत्स्यपालन	सहकारिता	
2008-09	922.13	180.99	115.97	122.34	60.75	1402.18
2009-10	916.70	196.02	116.07	157.31	118.10	1504.2
2010-11	977.02	213.45	114.38	199.41	92.92	1597.18
2011-12	941.27	228.65	125.34	197.63	139.48	1632.37
योग	3757.12	819.13	471.78	676.69	411.25	6135.97

अध्याय 3

उद्योग एवं संबंधित क्षेत्र

बिहार में औद्योगिक विकास गंभीर अधिसंरचनात्मक अवरोधों के चलते काफी गतिरुद्ध हुआ है। इसके साथ उन सेवाओं की अनुपलब्धता भी जुड़ गई है, जिसकी आशा राष्ट्रीय और राज्य सरकारों तथा पार-राज्यीय अभिकरणों (पारा-स्टेटल एजेंसीज) से की जाती थी। समग्र औद्योगिक प्रक्षेत्र में 1991-92 से शुरू आर्थिक सुधार के दौर में उत्पादन और उत्पादकता में उभार दिखा, लेकिन स्पष्टत: अपनी कमजोर अधिसंरचना और अक्रियाशील सहयोगदाता संस्थाओं के कारण बिहार लाभान्वित नहीं हो पाया। विभाजन के पहले भी औद्योगीकरण के मामले में राज्य अन्य राज्यों से काफी पिछड़ा हुआ था। तथापि विभाजन के बाद परिस्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि अधिकांश बड़े और मंझोले उद्योग और उनकी आनुषंगिक (एंसीलरी) इकाइयां नवगठित झारखंड राज्य में चली गईं। वर्तमान बिहार के लिए 2007-08 में वर्तमान मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) 94,489 करोड़ रु. था जिसमें विनिर्माण (मैनुफैक्चरिंग) प्रक्षेत्र का हिस्सा मात्र 4,664 करोड़ रु. (5.16 प्रतिशत) था।

3.1 उद्योगों का ढांचा

बिहार के विभाजन से वर्तमान बिहार में उद्योगों के समग्र ढांचे में भारी बदलाव आया। बिहार में व्यवहारत: कोई भी खनिज आधारित उद्योग नहीं बचा है। वस्त्र, चर्म, काष्ठ एवं कागज समेत कृषि आधारित उद्योगों का सकल मूल्यवर्धन में लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा हो गया। पेट्रोलियम और आणविक इंधन का सकल मूल्यवर्धन 48 प्रतिशत के आसपास था (परिशिष्ट 1)। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के प्रदर्शन का स्तर संतोषजनक नहीं है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि संपूण भारत के स्तर पर कृषि आधारित उद्योगों के कुल उत्पादन में बिहार के ऐसे उद्योगों का हिस्सा बहुत नाम मात्र का, मात्र 0.48 प्रतिशत था। निरपेक्ष रूप से, 2004-05 में बिहार का उत्पादन मूल्य मात्र 1,922 करोड़ रु. था जबकि भारत स्तर पर यह आंकड़ा 4,03,472 करोड़ रु. था (तालिका 3.1)।

तालिका 3.1 : बिहार और भारत में चुनिंदा कृषि आधारित उद्योगों का आकार (2004-05)

एनआइसी कोड	औद्योगिक समूह	उत्पादन मूल्य (हजार करोड़ रु.)		
		संपूर्ण भारत	बिहार	बिहार का हिस्सा (%)
15	खाद्य/ पेय	204255	1209	0.59
16	तंबाकू उत्पाद	12336	332	2.69
17-18	वस्त्र/ वस्त्र उत्पाद	134831	62	0.05
19	चर्म/ चर्म उत्पाद	12324	69	0.56
20	काष्ठ/ काष्ठ उत्पाद	4187	20	0.48
21-22	कागज/ मुद्रण/ प्रकाशन	35639	230	0.65
	योग	403572	1922	0.48

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2004-05

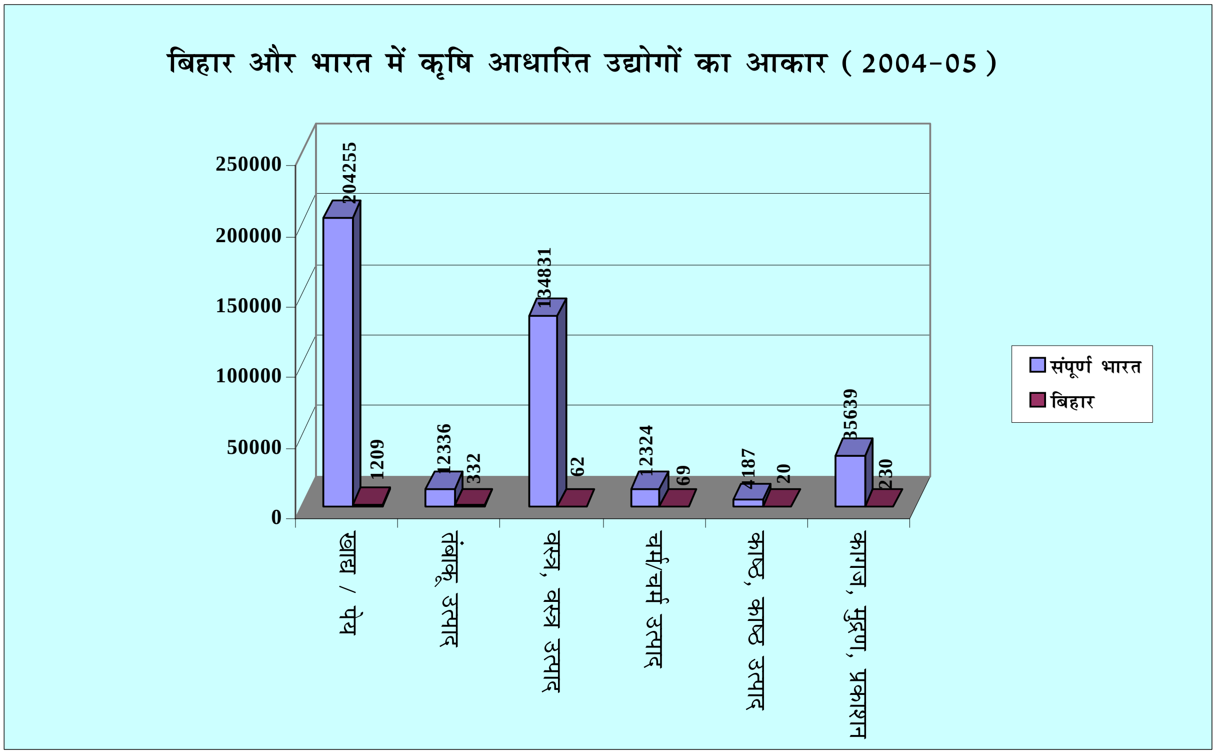

3.2 बड़े एवं मंझोले उद्योग

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई कि राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप अधिकांश बड़े और मंझोले उद्योग झारखंड क्षेत्र में चले गए। बिहार में अब गिनती के बड़े उद्योगों के साथ कुछ मंझोले उद्योग बचे हैं। ये इकाइयां भी राज्य के कुछ प्रमंडलों में ही संकेंद्रित हैं। कुछ औद्योगिक समूह भी ऐसे ही हैं। तालिका 3.2 में देखा जा सकता है कि 263 बड़ी एवं मंझोली इकाइयों में से सर्वोच्च संकेंद्रण (38 प्रतिशत) पटना प्रमंडल में है जिसके बाद तिरहुत प्रमंडल का स्थान है (22.5 प्रतिशत)। मगध प्रमंडल का हिस्सा 9.5 प्रतिशत और दरभंगा प्रमंडल का 7.3 प्रतिशत है। कोशी प्रमंडल में तो एक भी बड़ा या मंझोला उद्योग होने की सूचना नहीं है। बड़ी और मंझोली औद्योगिक इकाइयों के जिलावार फैलाव की जांच से पता चलता है कि राज्य के 38 जिलों में से 10 में कोई बड़ी/ मंझोली औद्योगिक इकाई नहीं है और अन्य 11 जिलों में से प्रत्येक में 5 से कम इकाइयां हैं। पुनः, बड़े और मंझोले उद्योगों में खाद्य, पेय एवं तंबाकू तथा कपास, जूट, चमड़ा आदि समेत कृषि आधारित उद्योगों का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है। इस कारण राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की काफी गुंजाइश है। समुचित और पर्याप्त अधिसंरचना होने पर कोशी समेत तमाम अंचलों में अच्छी संख्या में कृषि आधारित उद्योग स्थापित हो सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा 2006 की उदार औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद बड़े और मंझोले उद्योगों की स्थापना के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और निकट भविष्य में उनके क्रियान्वित होने की आशा है।

तालिका 3.2 : बिहार में बड़ी और मंझोली औद्योगिक इकाइयां (2008-09)

प्रमंडल	खाद्य, पेय, तंबाकू	कपास, ऊन, जूट, कागज, चमड़ा	रबर, प्लास्टिक, रसायन	माल, धातु, मशीन, परिवहन, उपकरण	योग	प्रतिशत हिस्सा
पटना	22	18	7	53	100	38.0
मगध	6	1	9	9	25	9.5
भागलपुर	2	3	2	3	10	3.8
मुंगेर	2	3	12	1	18	6.8
सारण	12	1	0	1	14	5.3
तिरहुत	24	6	13	16	59	22.5
दरभंगा	9	9	1	-	19	7.3
कोशी	-	-	-	-	-	0.0
पूर्णिया	8	6	1	3	18	6.8
बिहार	85 (32.3)	47 (17.9)	45 (17.1)	86 (32.7)	263 (100.0)	100

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

3.3 लघु उद्योग

वर्तमान बिहार के औद्योगिक प्रक्षेत्र की पहचान छोटे आकार वाली इकाइयों के जरिए ही नहीं, अनिबंधित इकाइयों की अधिकता के जरिए भी की जाती है जिनका कुल इकाइयों में एक-तिहाई हिस्सा है। लघु उद्योग प्रक्षेत्र में भी अतिलघु (टिनी) तथा कारीगर-आधारित (आर्टिजन) उद्योगों की बहुतायत है। ये उच्च उत्पादकता वाले तो नहीं हैं, लेकिन कृषि के बाहर रोजगार का अवसर प्रदान करने में लघु, अतिलघु एवं कारीगर आधारित उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिसंबर 2008 में बिहार में 1,74,278 स्थायी निबंधित इकाइयां थीं। इनमें 1,502 लघु इकाइयां, 1,02,676 अतिलघु इकाइयां तथा 70,100 कारीगर आधारित इकाइयां थी। उनमें कुल निवेश 1,017.62 करोड़ रु. था और उन इकाइयों ने 5.68 लाख श्रमिकों को रोजगार दे रखा था (तालिका 3.3)।

तालिका 3.3 : बिहार में स्थायी निबंधित लघु उद्योग इकाइयां

वर्ष	लघु उद्योग	अतिलघु/ अत्यंत लघु	कारीगर आधारित	योग	निवेश (लाख रु.)	रोजगार (संख्या)
31-03-2000 तक	1261	72767	44413	118441	44701.38	433808
2000-01	35	3249	2530	5814	3805.15	14015
2001-02	31	3206	3314	6551	4192.04	15283
2002-03	24	3290	2983	6297	4638.07	13622
2003-04	21	3462	2616	6099	5430.39	14346
2004-05	17	3335	2897	6249	5371.79	13346
2005-06	24	3584	3333	6941	4697.31	15732
2006-07	20	3472	3612	7104	7279.79	16738
2007-08	46	2754	4402	7202	13482.98	19963
2008-09 (दिसंबर, 08 तक)	23	3557	-	3580	8163.14	10739
योग	1502	102676	70100	174278	101762.04	567592

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

लघु, अतिलघु और कारीगर आधारित उद्योगों के प्रमंडलवार वितरण के विश्लेषण से पता चलता है कि उनके संकेंद्रण का पैटर्न भी बड़ी/ मंझोली इकाइयों जेसा ही था। लघु, अतिलघु और कारीगर आधारित इकाइयों का सर्वाधिक संकेंद्रण तिरहुत प्रमंडल में था (20 प्रतिशत) जिसके बाद पटना प्रमंडल का स्थान था (17.4 प्रतिशत)। मगध और पूर्णिया प्रमंडलों का हिस्सा 10-10 प्रतिशत था जबकि भागलपुर (4.9 प्रतिशत) और कोशी (5.8 प्रतिशत) का हिस्सा सबसे कम था।

तालिका 3.4 : बिहार में लघु, अतिलघु और कारीगर आधारित उद्योगों का प्रतिशत

(अक्तूबर 2008 तक)

प्रमंडल	प्रतिशत				आबादी का प्रतिशत हिस्सा
	लघु	अतिलघु	कारीगर आधारित	योग	
पटना	43.4	26.4	22.8	25.1	17.4
मगध	5.8	14.1	13.9	14.0	10.6
भागलपुर	4.5	4.3	3.5	3.9	4.9
मुंगेर	10.3	7.9	8.3	8.1	9.0
सारण	7.8	9.9	4.8	7.8	9.8
तिरहुत	10.2	17.4	18.3	17.7	20.0
दरभंगा	3.1	9.4	15.1	11.8	12.4
कोशी	1.9	3.7	5.6	4.5	5.8
पूर्णिया	13.2	7.0	7.8	7.4	10.1
बिहार	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

3.4 कृषि आधारित उद्योग

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा आच्छादित औद्योगिक इकाइयों के आधार पर कहें, तो बिहार में कृषि आधारित इकाइयों का सकल मूल्यवर्धन में लगभग आधा हिस्सा है। अगर शेष छोटी इकाइयों को भी शामिल कर लें, तो कृषि आधारित इकाइयों का हिस्सा और भी बढ़ जाएगा। तथापि, कृषि आधारित उद्योगों की पूरी संभावना का उपयोग नहीं हो पाया है। इनका विकास मोटे तौर पर अन्य फसलों के मुकाबले फलों एवं सब्जियों को दिए गए महत्व पर निर्भर करता है। वर्ष 2006-07 में 2.79 लाख हे. क्षेत्रफल फल उत्पादन के अंतर्गत और 8.24 लाख हे. सब्जी उत्पादन के अंतर्गत था जिनका उत्पादन क्रमशः 34.26 लाख टन और 136.08 लाख टन था।

तालिका 3.5 : बिहार में सब्जियों एवं फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2006-07)

सब्जियां	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)	फल	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)
गोभी	60135	1008975	आम	140786	1306944
पत्तागोभी	37003	623463	अमरुद	27994	247960
प्याज	50472	962705	लीची	28758	211905
टमाटर	46461	916769	नींबू	17122	121601
आलू	322840	5741290	केला	29013	1125099
बैगन	54072	1120579	अन्नानास	4454	121057
अन्य	253174	3234683	अन्य	31284	291919
योग	824157	13608464	योग	279411	3426485

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

हाल के वर्षों में सब्जियों और फलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि संतोषजनक नहीं रही है। कृषि आधारित उद्योगों में वृद्धि के लिए क्षेत्रफल और उत्पादन, दोनों में वर्तमान स्तर के मुकाबले काफी वृद्धि करना महत्वपूर्ण होगा ताकि बड़ी संख्या में किसानों की आय और रोजगार बढ़े। शहद के मामले में राज्य की औसत उपज 60 किलोग्राम प्रति बक्सा है जो राष्ट्रीय औसत (20 किलोग्राम प्रति बक्सा) से तीनगुना अधिक है। शहद के क्षेत्र में एक लाख से अधिक परिवार प्रत्यक्षत: लगे हैं।

रोजगार सृजन के लिए फलों और सब्जियों के साथ दूध और अंडे भी काफी महत्वपूर्ण हैं। बिहार के आधे जिलों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जरिए बागवानी के विस्तार के भी प्रयास किए जा रहे हैं। शेष 19 जिलों में, जिन्हें राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल नहीं किया गया है, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन की शुरुआत की गई है।

<u>खाद्य प्रसंस्करण</u> : राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की काफी संभावना है। अगर सही ढंग से विकास किया जाय तो इससे न्यूनतम 5 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकता है। अनाजों के प्रसंस्करण के अलावा, फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण की भारी संभावना का दोहन किया जाना शेष है। आम, लीची, केला आदि के प्रसंस्करण से ग्रामीण आबादी की आय और रोजगार वृद्धि के अलावा मौसमी उपयोग, भंडारण और उनका पोषण मूल्य बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। राज्य के उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वी भाग के 10 जिलों में 16.90 हजार हे. क्षेत्रफल में मखाना का उत्पादन होता है। पटना में एक मखाना प्रसंस्करण इकाई सफलतापूर्वक काम कर रही है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की भारी संभावना को देखते हुए उद्योग विभाग ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण अधिसंरचना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु 1,760 करोड़ रु. की एक परियोजना के लिए योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत 100 ग्रामीण प्रसंस्करण केंद्रों पर 500 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे। दो समेकित खाद्य जोन (इंटिग्रेटेड फूड जोन) के निर्माण के लिए 250 करोड़ रु. निर्धारित हैं। मत्स्य उद्योग के लिए 200 करोड़ रु. का

प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाजीपुर में एक फुड पार्क की स्थापना की जा रही है जिसके लिए जमीन के रूप में राज्य ने भी योगदान किया है। ग्यारहवीं योजना की संपूर्ण अवधि के लिए इस मकसद का योजना परिव्यय 4,00 करोड़ रु. है।

कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के एक कदम के बतौर चाय बागान के आदर्श क्षेत्र के लिहाज से किशनगंज की पहचान की गई है। चाय उद्योग के व्यापक विकास के लिए निजी निवेश का राज्य सरकार ने स्वागत किया है। इस क्षेत्र में चाय प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए पूंजीगत उपदान (कैपिटल सब्सिडी) उपलब्ध है। इसके अलावा, राज्य के प्राकृतिक वातावरण के कारण यहां औषधीय पौधों, जड़ी-बूटियों तथा सुगंधित पौधों की खेती और प्रसंस्करण के विकास की काफी संभावना है। निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है और नई औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहन के प्रदान किए जा रहे हैं।

<u>डेयरी (दुग्ध उत्पादन)</u> : बिहार में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत 'सुधा' के ब्रांड नाम से दुग्ध उद्योग बहुत सफल हुआ है। कॉम्फेड दूध और दुग्ध उत्पादों का विपणन करती है और प्रचुर ग्रामीण रोजगार तथा आय के अवसर उपलब्ध कराती है - खास कर महिलाओं को। इस बात पर सहमति बढ़ती जा रही है कि कृषि प्रक्षेत्र के साथ सहजीवी संबंध होने के कारण डेयरी प्रक्षेत्र की यहां काफी संभावना है। हालांकि बिहार दूध की कम उपलब्धता वाला राज्य है जहां 2006-07 में 54.50 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ, लेकिन कॉम्फेड के सफल प्रदर्शन को देखते हुए, सही दिशा में प्रयास करने पर यहां बेहतर परिणाम हासिल हो सकता है। गाय-भैंस की अधिक दुधारू नस्लों के पालन से कृषि प्रक्षेत्र में रोजगार और आय बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

<u>चर्म एवं चर्म उत्पाद</u> : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2004-05 के अनुसार कृषि आधारित उद्योगों के 1,922 हजार करोड़ रु. के कुल उत्पादन में बिहार के चर्म एवं चर्म उत्पादों का हिस्सा बहुत ही छोटा (0.56 प्रतिशत) है। हालांकि पशुसंपदा की संख्या एवं गुणवत्ता को देखते हुए राज्य में चर्म एवं चर्म उत्पादों से संबंधित उद्योगों की अच्छी संभावना दिखती है।

तालिका 3.6 : बिहार में पशुधन की आबादी (2003)

मद	संख्या
गाय	10470230
भैंस	5765670
बकरी	9605722
भेड़	346325
सूअर	626999
घोड़े-घोड़ियां	115049
अन्य पशुधन	26874
चमड़ों एवं खालों की वार्षिक उपलब्धता (हजार में) (2005-06)	17292
हड्डी की वार्षिक उपलब्धता (मै.टन में) (2005-06)	22025

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

चीनी : राज्य में चीनी उद्योग महत्वपूर्ण स्थिति में है। यह कृषि प्रक्षेत्र में प्रत्यक्षत: और सहायक इकाइयों तथा संबंधित गतिविधियों के जरिए काफी रोजगार उपलब्ध कराता है। अनुमानत: 5 लाख किसान ईख की खेती में लगे हैं और 50 हजार कुशल-अकुशल लोग चीनी उद्योगों में नियोजित हैं। वर्ष 2006-07 में राज्य में ईख की खेती के अंगर्तत 117.18 हजार हे. क्षेत्रफल था और 5,338.84 हजार टन ईख का उत्पादन हुआ था (परिशिष्ट 2)।

इसके आधार पर राज्य में ईख की उत्पादकता 46 टन प्रति हे. ठहरती है जो 70 टन प्रति हे. के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। बिहार में चीनी प्राप्ति की दर देश में सबसे कम, मात्र 9 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 10.36 प्रतिशत है। राज्य द्वारा संचालित बिहार चीनी निगम की अनेक चीनी मिलें बंद हो गईं क्योंकि वे न तो अपने संयंत्रों एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण कर पाईं, न आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण के जरिए अपने कर्मियों का पुन:-उन्मुखीकरण (रिऑरिएंटेशन)। जो मिलें चल भी रही हैं, उनकी कम क्षमता उन्हें अक्षम बना दे रही है। एक और समस्या पेराई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ईख की अनुपलब्धता है। फलत: मिलों में पेराई अवधि साल में मात्र 122 दिनों की है।

राज्य में ईख की खेती हेतु अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए, यहां कृषि एवं गैर-कृषि आय में वृद्धि की भारी संभावना मौजूद है। ग्यारहवीं योजना के उद्देश्यों में कृषि क्षेत्र में वृद्धि करके ईख का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना भी रहा है। दीर्घकालिक लक्ष्य इसके क्षेत्रफल को क्रमिक रूप से बढ़ाते हुए 4.6 लाख हे. तक पहुंचाना है। ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय राज्य की विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त किस्मों के विकास तथा इसकी गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु शोध में लगे हैं। राज्य सरकार ने ऊर्जा सह-उत्पादन (को-जेनरेशन) और शीरे से इथेनॉल (स्पिरिट) उत्पादन के लिए छूट तथा आसवन संयंत्रों (डिस्टिलरी) द्वारा शीरा की खपत पर प्रशासनिक शुल्कों की माफी जैसे प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है। चीनी मिलों की मदद के राज्य सरकार ने एक ईख नीति का निर्माण किया है। कुछ प्रतिष्ठित कंपनियों को राज्य में बंद पड़ी 11 चीनी मिलों को चलाने की जवाबदेही दी गई है। नई चीनी उद्योग नीति में निम्नलिखित प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए हैं :

(1) 5 वर्षों तक चीनी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) करना।

(2) 5 वर्षों तक ईख का क्रय कर माफ करना।

(3) भूमि के हस्तांतरण हेतु स्टांप एवं निबंधन शुल्कों को माफ करना।

(4) व्यावसायिक उत्पादन आरंभ होने का एक वर्ष पूरा होने पर मशीनों पर हुए पूंजी निवेश पर 10 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रु., जो भी कम हो, उपदान (सब्सिडी) प्रदान करना।

जूट

जूट का उत्पादन मुख्यत: किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिलों में किया जाता है। बिहार के लगभग सारे जूट मिल बंद हैं और जूट उत्पादकों को अपने जूट उत्पादों के विपणन में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जूट के अधीन क्षेत्र के विकास हेतु जिन उपायों की जरूरत है, वे हैं करघों का आधुनिकीकरण और जूट पार्क,

आधुनिक जूट सेवा केंद्र, प्रसंस्करण एवं रंगाई केंद्र, उत्पाद एवं डिजाइन विकास हेतु नोडल केंद्र तथा जूट के कच्चे माल के बैंक की स्थापना। जूट उत्पादकों को अधिसंरचना तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जूट पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए आइएल एंड एफएस, नई दिल्ली द्वारा नैदानिक सर्वेक्षण एवं प्राक्-शक्यता (डायग्नॉस्टिक सर्वे एंड प्री-फिजिबिलिटी स्टडी) रिपोर्ट तैयार की गई है। अभिकरण द्वारा तैयार कार्ययोजना पर मांत्रिमंडल सिद्धांतत: सहमत हो गया है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जूट उत्पादन के विकास के लिए 100 लाख रु. परिव्यय की योजना बनाई गई है।

3.5 गैर-कृषि आधारित उद्योग

हथकरघा (हैंडलूम) : बिहार में बुनकरों की बड़ी संख्या में मौजूदगी के कारण राज्य के संदर्भ में हथकरघा उद्योग का भारी महत्व है। ये बुनकर मुख्यत: पटना, गया, भागलपुर, बांका, दरभंगा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, भभुआ, खगड़िया, मधुबनी और सीवान जिलों में संकेंद्रित हैं। राज्य में लगभग 1,071 बुनकर सहकारी समितियां हैं जिनके पास 10,817 हथकरघे हैं। इसके अलावा, 23,503 हथकरघे सहकारी प्रक्षेत्र के बाहर हैं। इस प्रक्षेत्र में 1.33 लाख बुनकर कार्यरत थे। इनमें से लगभग 1 लाख लोग सहकारी प्रक्षेत्र के बाहर हैं। राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए विपणन सहायता, प्रशिक्षण केंद्रों का आधुनिकीकरण, तथा कार्यस्थल सह आवास की मरम्मत के रूप में कल्याण योजनाओं की शुरुआत की है। ऋण माफी योजना के तहत राज्य सरकार ने 12.24 करोड़ रु. के ऋणों के लिए माफी का अनुमोदन किया है।

तालिका 3.7 : बुनकरों के लिए ऋण माफी योजना की स्थिति

बैंक का नाम	अनुमोदित		बैंकों को भुगतान हेतु जिलाधिकारियों को प्रेषित राशि (लाख रु.)	खातों की संख्या
	रकम (लाख रु.)	खातों की संख्या		
भारतीय स्टेट बैंक	108.11	4086	139.48	3331
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	93.84	4330	143.03	3279
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2.38	128	18.00	261
कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1.30	31	32.27	779
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	351.88	3093	224.80	3087
केंद्रीय सहकारी बैंक	264.41	528	206.96	7054
पंजाब नेशनल बैंक	181.89	595	17.86	248
यूको बैंक	198.15	2056	175.04	1748
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	22.28	457	24.89	461
इंडियन बैंक	—	—	0.65	07
योग	**1224.24**	**15304**	**982.98**	**20255**

अगर प्रशिक्षण, डिजाइन और विपणन की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो हैंडलूम और पावरलूम प्रक्षेत्र में काफी अधिक परिवारों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने की भारी संभावना मौजूद है।

उत्कृष्ट एवं डिजाइन वाली पोशाकें तैयार करने हेतु बुनकरों को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजेंद्र नगर, पटना स्थित केंद्रीय डिजाइन केंद्र को पुनर्जीवित किया गया है। केंद्र में 6 महीने के दो प्रशिक्षण सत्र चलाए जाते हैं और हर सत्र में 18 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षुओं को 300 रु. का मासिक वजीफा (स्टाइपेंड) भी मिलता है। इसके अलावा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर हथकरघा उत्पादों के विपणन हेतु बुनकरों को साइकिलें देने की योजना है। बीस-सूत्री कार्यक्रम के तहत सहकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र के प्रत्येक बुनकर को उपकरणों की खरीद और करघों की दुरुस्ती के लिए शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में 1,500 रु. दिए जा रहे हैं। आधुनिकीकरण योजना के तहत 2007-08 में दस जिलों - पटना, गया, नालंदा, औरंगाबाद, रोहतास, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और बांका - की 94 समितियों के 470 बुनकरों के लिए 47 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

<u>वस्त्र उद्योग (टेक्सटाइल)</u> :

वस्त्र उद्योग और हथकरघा प्रक्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की योजना बनाई है। इस योजना की पूरी लागत में से 40 प्रतिशत या अधिकतम 40 करोड़ का निवेश हिस्से की रकम के रूप में केंद्र सरकार और सब्सिडी तथा हिस्से की रकम के रूप में 9 प्रतिशत राज्य सरकार करेगी। पुनः, भागलपुर में एक हैंडलूम पार्क की योजना बनाई जा रही है जिसमें बुनकरों को बुनियादी अधिसंरचना और कच्चा माल बैंक, प्रसंस्करण पूर्व तथा पश्चात की सुविधाएं, शिल्पग्राम, शोध एवं विकास केंद्र, जांच प्रयोगशाला, सूचना एवं प्रशिक्षण केंद्र आदि अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आइएल एंड एफएस द्वारा 34.03 करोड़ रु. के व्यय आकलन वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा कर दी गई है और राज्य सरकार अपने अंशदान के रूप में 25 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर चुकी है।

<u>हथकरघा संकुल योजना (हैंडलूम क्लस्टर स्कीम)</u> : सात जिलों - भागलपुर, पटना, गया, दरभंगा, मधुबनी, सीवान और नालंदा में बुनकरों के समेकित विकास के लिए आइएल एंड एफएस, नई दिल्ली द्वारा एक नैदानिक अध्ययन एवं कार्ययोजना (डायग्नॉस्टिक स्टडी एंड बिजिनेस प्लान) तैयार की गई है। उसने 68.65 करोड़ रु. परियोजना लागत की अनुशंसा की है जिसमें 24.00 करोड़ खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है और शेष लाभार्थियों द्वारा। इस योजना के तहत संकुल के अंदर स्थित करघों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और समस्त सुविधाओं से युक्त हैंडलूम पार्क की स्थापना की जाएगी।

<u>पावरलूम (शक्तिचालित करघा)</u> : राज्य में लगभग 11.36 लाख पावरलूम मौजूद हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा राज्य में एक पावरलूम सेवा केंद्र भी स्थापित किया गया है। योजना के अंतर्गत हर साल 120 प्रशिक्षुओं को 300

रु. वजीफा के साथ दो महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। औद्योगिक नीति, 2006 के तहत पावरलूम प्रक्षेत्र में बुनकरों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर जेनरेटर प्रदान करने की भी एक योजना है।

<u>रेशम उत्पादन (सेरीकल्चर)</u> : तसर और रेशम की इकाइयां मुख्यत: भागलपुर में और उसके आसपास स्थित हैं। यहां रेशम की बुनाई-छपाई का काम होता है। ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत एक योजना भौतिक अधिसंरचना विकास की है जिसके अंतर्गत तसर हेतु 5 पायलट (प्रायोगिक) परियोजना केंद्रों और एक विपणन केंद्र का विकास किया जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए इस उद्योग में लगे लोगों को यह तसर के कोए (कॉकून) उपलब्ध कराएगा और उसके विपणन में भी सहायता करेगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड के जरिए तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ सांत्वना पुरस्कारों के अलावा, तीन सर्वोत्तम कॉकून उत्पादकों तथा रेशम उत्पादकों को पुरस्कृत करने की भी योजना है। एक योजना कॉकून और रेशम उत्पादकों को साइकिलें उपलब्ध कराने की भी है। ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए 162.5 टन कच्चे रेशम के उत्पादन का भौतिक लक्ष्य तय किया गया है (तालिका 3.8)।

तालिका 3.8 : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य

रेशम का प्रकार	उत्पादन (मै.टन)
मलबरी	62.50
तसर	80.00
अंडी	20.00
योग	162.50

पूर्व में भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान में चतुर्वर्षीय स्नातक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था। हालांकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) के मानकों के अनुरूप भवन, उपकरण, प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी बुनियादी अधिसंरचना के अभाव में इसे स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 2005-06 से रेशम प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम फिर से शुरू हो गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संस्थान की अधिसंरचना विकसित करने का भी प्रस्ताव है। एक प्रस्ताव संस्थान में फैशन डिजाइनिंग पाठ्यक्रमों के साथ-साथ शोध सह प्रशिक्षण के विकास का भी है।

<u>खनिज आधारित उद्योग</u> : विभाजन के फलस्वरूप बिहार में बहुत कम संख्या में खनिज आधारित उद्योग बचे हैं। अभी देश का मात्र 1 प्रतिशत खनिज निक्षेप (डिपोजिट) ही राज्य में मौजूद है जिसमें चूना पत्थर, पायराइट, मैग्नेसाइट, अभ्रक, चीनी मिट्टी और साल्टपीटर शामिल हैं। बिहार देश में पायराइट का अकेला उत्पादक है। चूना पत्थर के निक्षेप रोहतास में मौजूद हैं। पायराइट का निक्षेप रोहतास जिले के अमझोर में है। बिहार में जमुई जिले के शंकरपुर में सोपस्टोन का उत्पादन किया जाता है। क्वार्ट्ज के निक्षेप गया और जमुई जिलों में मौजूद हैं। गौण खनिजों में बिहार में बालू, ईंट (मिट्टी), पत्थर, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, मोरम, और ग्रेनाइट पाए जाते हैं। वर्ष 2005-06 में बिहार में मौजूद महत्वपूर्ण खनिजों के सुरक्षित भंडारों का विवरण तालिका 3.9 में प्रस्तुत है।

तालिका 3.9 : बिहार में प्रमुख खनिजों के सुरक्षित भंडार (2005-06)

खनिजों के नाम	सुरक्षित भंडार - लाख टन में
चूना पत्थर	2108.5
पायराइट	534.1
क्वाट्र्ज/ सिलिका सैंड	97.38
फेल्सपार	48.4
क्वाट्र्जाइट	2033
बॉक्साइट	21.1
मैग्नेटाइट	26.6
चीनी मिट्टी	12
सजावटी ग्रेनाइट	359 (लाख घनमीटर)
स्लेट फायलाइट	40.7 (लाख घनमीटर)
स्टेटाइट/ टैल्क/ सोपस्टोन	0.8
हीमेटाइट	0.33
अग्निसह मिट्टी (फायर क्ले)	0.3
स्वर्ण अयस्क	1,288.8 (सोने की मात्रा 0.167 ग्राम प्रति टन)

3.6 औद्योगिक रुग्नता

बिहार में औद्योगिक क्षेत्र छोटे आकार के कारण ही अशक्त नहीं है। यह अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों की रुग्नता की अधिक गंभीर समस्या भी झेल रहा है। ऐसी रुग्न इकाइयों में बड़ी, मंझोली और छोटी, सभी तरह की इकाइयां शामिल हैं। रुग्न/ बंद इकाइयों का पुनर्वास संतोषजनक नहीं है। कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) की कमी, कच्चे मालों की अनुपलब्धता या अपर्याप्त उपलब्धता, अपर्याप्त सड़क संपर्क, अनियमित विद्युत आपूर्ति, अपर्याप्त शोध एवं विकास सुविधाएं तथा विलंबित और अपर्याप्त बैंक ऋण इन इकाइयों की रुग्नता के कुछ प्रमुख कारक हैं।

3.7 सहायता संस्थान

केंद्र सरकार के पैटर्न पर राज्य सरकार ने विभिन्न सहायता संस्थाओं की स्थापना के जरिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने की जवाबदेही ली है। बिहार में ऐसी 12 संस्थाएं हैं। इनमें से दो संस्थाओं - बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी) और बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम (बिसिको) का मकसद उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यत: बहुत ही कम ऋण वसूली के कारण दोनों संस्थाओं ने व्यवहारत: ऋण देने का काम बंद कर दिया था। राज्य सरकार ने इन दोनों संस्थाओं के पुनरुद्धार का काम अभी हाथ में लिया है और इनकी अधिकांश देनदारियों को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। आइडीबीआई और सिडबी 2003-04 तक का 271.74 करोड़ रु. ऋण माफ कर चुके हैं। बिहार राज्य वित्त निगम ने सिडबी से लिया ऋण लौटा दिया है और आइडीबीआइ का ऋण चुकाने के लिए कदम उठाए हैं। बिसिको ने 273 इकाइयों का वित्तपोषण किया था जिनमें

से 114 ने ऋण चुका दिए हैं। उसने एक एकमुश्त भुगतान योजना (ओटीएस) भी शुरू की है और 2002 से 2006 के बीच 74 इकाइयों ने इस योजना को चुना है। उसने आइडीबीआइ और सिडबी को अधिकांश ऋण चुका दिए हैं और शेष ऋणों को चुकाने की प्रक्रिया चल रही है। सारी देनदारियों के भुगतान के बाद नई इकाइयों को अपना कामकाज शुरू करने के लिए आरंभिक रकम (सीड मनी) दी जाएगी। पुनः, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) के पुनरुद्धार के लिए मार्च 2007 में एक अध्ययन समाप्त किया गया है और इसके पुनरुद्धार का प्रयास शुरू कर दिया गया है। अध्ययन की अनुशंसाओं के अनुरूप बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन सक्षम इकाइयों को निविदा आमंत्रित करके 'जैसा है, जहां है' आधार पर लीज पर दे देने का फैसला किया है। ये इकाइयां हैं - हाई टेंशन इन्सुलेटर फैक्टरी, नामकुम (रांची), एलक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्टरी, टांटी सिलवे (रांची) और बिहार पेपर मिल्स (सहरसा)।

3.8 उद्योग मित्र

उद्योग मित्र राज्य में स्थापित ऐसी संस्था है जो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करती है, परियोजना प्रोफाइल तैयार करने में मार्गदर्शन करती है, समस्याओं की पहचान करती है तथा वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराती है। वह उद्यमियों के लिए संगोष्ठियों एवं परिचर्चाओं का आयोजन करती है और उनके लिए प्रासंगिक पुस्तकें और बुलेटिन भी प्रकाशित करती है। वह उद्योग विभाग के कर्मचारियों को समय-समय पर कंप्यूटर प्रशिक्षण भी देती है। इसके अलावा, वह दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले तथा अन्य राज्यस्तरीय ब्यापार मेलों में भी भाग लेती है। वर्ष 2004 से 2008 के बीच उद्योग मित्र की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां तालिका 3.10 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.10 : उद्योग मित्र की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां (2004-05 से 2007-08)

वर्ष	आबंटित राशि (लाख रु. में)	खर्च राशि (लाख रु. में)	लाभान्वित उद्यमियों की संख्या
2004-05	11.00	11.00	443
2005-06	25.00	25.00	957
2006-07	50.00	50.00	717
2007-08 (दिसंबर 07)	30.00	27.66	512

संविदा के आधार पर पेशेवर विशेषज्ञों की सहायता के जरिए उद्योग मित्र के पुनर्गठन का काम जारी है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआइपीबी) के अनुमोदन के बाद नई इकाइयों को जिन अवरोधों का सामना करना पड़ता है, उन्हें समाप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति समय-समय पर कार्य के विभिन्न स्तरों का मूल्यांकन करेगी और समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न विभागों के साथ संपर्क करेगी।

3.9 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा)

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा) बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 के तहत गठित वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने अधिकारक्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों व प्रांगणों में उद्योगों के तीव्र विकास को प्रोत्साहन और सहयोग देना है। बिआडा औद्योगिक प्रांगणों में पानी, सड़क, नाली, बिजली आदि विकसित अधिसंरचना उपलब्ध कराने के लिए जवाबदेह है। वह भावी उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु सूचना और सहायता भी उपलब्ध कराती है। गतिविधियों के विवरण इस प्रकार हैं :

औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	46
अर्जित भूमि	4,370.85 एकड़
निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क	हाजीपुर में विकसित अधिसंरचना युक्त 94.43 एकड़ जमीन
सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	बिस्कोमान भवन, पटना
कृषि निर्यात जोन	पटना
संवृद्धि केंद्र (ग्रोथ सेंटर्स)	आधुनिक सुविधाओं/ अधिसंरचना से युक्त कहलगांव, बेगूसराय, औरंगाबाद, गीधा, मरांगा (पूर्णिया) तथा खगड़िया में

वर्तमान में बिआडा की अपनी गतिविधियों को विस्तारित करने की योजना है और परियोजना में शामिल है :

(1) समेकित अधिसंरचना उन्नयन योजना (आइआइयूएस) के तहत फतुहा औद्योगिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।

(2) बेगूसराय और हाजीपुर में 100-100 एकड़ जमीन पर फूड पार्क की स्थापना।

(3) बिहटा और हाजीपुर में 1,000-1,000 एकड़ जमीन पर वृहद (मेगा) औद्योगिक पार्क की स्थापना।

(4) नाबार्ड के जरिए गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भोजपुर, नालंदा और पूर्णिया में जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना लागू करना।

(5) पटना हवाई अड्डे पर एयर कार्गो कांप्लेक्स का विकास करना।

(6) समेकित वस्त्र (टेक्सटाइल) पार्क का निर्माण करना।

(7) शीतलपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण करना।

3.10 जिला उद्योग केंद्र

केंद्र सरकार की 1977 की औद्योगिक नीति की अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप जिला उद्योग केंद्र अस्तित्व में आए। ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों में व्यापक रूप से फैले लघु, अत्यंत लघु तथा कारीगर आधारित उद्योगों की सहायता

के लिए जिला स्तर पर समेकित प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध कराना आवश्यक समझा गया। हर परियोजना को निवेश पूर्व से लेकर निवेश पश्चात के चरणों तक के लिए छोटे उद्यमियों को सारी वांछित सेवाएं एवं सहायता जिला उद्योग केंद्र के एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की आशा की गई है। इनमें स्थानीय संसाधनों की पहचान, मशीनों एवं उपकरणों की आपूर्ति, कच्चे मालों का प्रावधान, ऋण सुविधाओं की व्यवस्था, विपणन, गुणवत्ता संबंधी इनपुट, परामर्श एवं विस्तार सेवाएं शामिल हैं।

अभी राज्य के सभी 38 जिलों में जिला उद्योग केंद्र काम कर रहे हैं। वर्ष 2005-06 तक राज्य में 27 जिला उद्योग केंद्र थे। वर्ष 2006-07 में नवसृजित जिलों में 11 और नए जिला उद्योग केंद्र स्थापित कर दिए गए। ये केंद्र राज्य सरकार के ऐवज में नियामक और विकासमूलक भूमिका निभा रहे हैं। ये केंद्र अनंतिम (प्रोविजनल)/ स्थायी निबंधन, कच्चा माल संबंधी सहायता और बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं को ऋण आवेदन प्रेषित करने के अलावा इच्छुक उद्यमियों को लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु सभी प्रारंभिक सूचनाएं, मार्गदर्शन और सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। संबंधित जिलों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला उद्योग केंद्र नोडल एजेंसी के रूप में भी काम कर रहे हैं।

वर्ष 2007-08 में 7,000 अतिलघु (टिनी) उद्योगों को स्थायी निबंधन प्रदान करने के लक्ष्य के मुकाबले 8,636 लाख रु. के निवेश और 12,793 लोगों को रोजगार देने वाले मात्र 4,176 उद्योग ही जिला उद्योग केंद्रों के जरिए स्थायी रूप से निबंधित किए जा सके। सभी जिला उद्योग केंद्रों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है और उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक अनुमोदन किया जा चुका है।

3.11 प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आरंभ हुई स्वरोजगार योजना है। इसका मकसद 18 से 35 वर्ष की उम्र के शिक्षित बेरोजगार युवा-युवतियों को स्वरोजगार के टिकाऊ अवसर उपलब्ध कराना है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिलाओं को उम्र में 10 वर्ष की छूट दी जाती है। इस योजना के तहत युवा-युवतियों को स्वनियोजित बनाने के लिए सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु बैंकों से ऋण दिए जा रहे हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान 15,000 युवा-युवतियों को स्वनियोजित करने के लक्ष्य के मुकाबले 8,187 बेरोजगारों को 9,522 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किए गए। गत 5 वर्षों के लिए जिलावार प्रगति रिपोर्ट परिशिष्ट 3 में प्रस्तुत है।

3.12 सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राज्य में ई-गवर्नेंस से जुड़ी गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु एक स्वतंत्र विभाग है। विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी अनेक बुनियादी अधिसंरचनाओं एवं परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 के दौरान निम्नलिखित वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार तथा नई परियोजनाओं की शुरुआत का प्रावधान किया गया है :

(1) स्वान (एसडब्ल्यूएएन) : यह केंद्र प्रायोजित परियोजना है। इसके अंतर्गत राज्य मुख्यालयों से सभी प्रखंड मुख्यालयों को उदग्र (वर्टिकल) नेटवर्क के जरिए जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। इस नेटवर्क के लिए बुनियादी अधिसंरचना एक परामर्शदातृ (कंसल्टेंसी) फर्म द्वारा स्थापित की जा रही है और बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) द्वारा 2 एमबीपीएस (मेगाबाइट प्रति सेकेंड) का बैंड-वाइथ उपलब्ध कराया जा रहा है। इस परियोजना का क्रियान्वयन 2007-08 में शुरू हुआ था। स्वान के लिए 2009-10 हेतु 3,710 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है।

स्वान परियोजना के लिए अनुमोदित निधि का उपयोग ऊपर से नीचे तक संपर्क (वर्टिकल कनेक्टिविटी) हेतु किया जाना है; वहीं स्थानीय कार्यालयों के लिए भी सभी उपस्थिति बिंदुओं (पीओपी) का क्षैतिज संपर्क (हॉरिजोंटल कनेक्टिविटी) आवश्यक है। इससे राज्य सरकार के सभी कार्यालयों के बीच संपर्क सुनिश्चित हो जाएगा। क्षैतिज संपर्क योजना 2009-10 में क्रियान्वित करना प्रस्तावित है। केंद्र प्रायोजित स्वान परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए इसकी परिणति बिस्वान (बिहार स्वान) में होगी। संपूर्ण बिस्वान परियोजना के लिए 2009-10 हेतु परिव्यय निर्धारित कर दिए गए हैं (तालिका 3.11)।

तालिका 3.11 : बिस्वान परियोजना के लिए 2009-10 हेतु परिव्यय

(लाख रु. में)

वर्टिकल बैंडवाइथ	1250.00
ऑपरेटर के क्यूजीआर भुगतान में राज्य का हिस्सा	100.00
हॉरिजोंटल बैंडवाइथ	60.00
हॉरिजोंटल ऑपरेटर का क्यूजीआर भुगतान	800.00
क्षैतिज कार्यालयों के लिए कंप्यूटर (पीसी)	1500.00
योग	3710.00

अनुमान है कि बिस्वान के तहत आंचलिक कार्यालयों का संपर्क पूरा हो जाने के बाद 2009-10 तक आंचलिक कार्यालयों में 7,000 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इसके लिए 15 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं।

(2) राज्य सूचना (डाटा) केंद्र : केंद्र प्रायोजित राज्य सूचना केंद्र (एसडीसी) परियोजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना के तहत 2009-10 के लिए 30 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(3) सेक्लैन : वर्तमान वित्त वर्ष 2008-09 में मुख्यमंत्री आवास और आवासीय कार्यालयों समेत सचिवालय भवनों के तमाम कार्यालय फाइबर ऑप्टिक लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) के जरिए जोड़े जा रहे हैं। सेक्लैन परियोजना के सारे घटकों के लिए वित्त वर्ष 2009-10 हेतु 9.55 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है।

सेक्लैन परियोजना के तहत सभी सरकारी विभागों के कंप्यूटरीकरण की भी योजना है। गत वित्तवर्ष 2007-08 में 1,100 कंप्यूटर, 250 प्रिंटर, तथा अनुभाग स्तर के सभी सरकारी विभागों के लिए

ईपीएबीएक्स/ वॉलपी लगाने हेतु अनुमोदन किया गया था। वर्तमान वित्त वर्ष (2008-09) के लिए मूल्यांकन के स्तर (असेसमेंट लेवल) तक कंप्यूटर देने का प्रावधान किया गया है जिसके लिए 4 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है।

(4) <u>अन्य परियोजनाएं :</u> नॉलेज सिटी, आइटी भवन, आइटी पार्क, आइटी एकेडमी, आइटी फेयर्स एंड कन्फरेंसेज तथा अन्य क्षमता निर्माण संबंधी साधनों समेत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अन्य प्रासंगिक परियोजनाओं के लिए वित्तवर्ष 2009-10 हेतु 48.70 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है।

तालिका 3.12 : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हेतु योजना परिव्यय (2009-10)

परियोजनाएं	रकम (लाख रु.)
बिस्वान	3710
एसडीसी	3000
सेक्लैन	955
नॉलेज सिटी	4000
आइटी भवन	300
क्षमता निर्माण	520
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माण	50
योग	12535

अर्थव्यवस्था के विभिन्न अनुभागों में ज्ञानमूलक आधार और रोजगार के विस्तार के लिहाज से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) के क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं के दोहन हेतु राज्य में शुरुआत कर दी गई है। यह विभिन्न क्षेत्रों, खास कर कृषि, उद्योग तथा विपणन में अद्यतन तकनीकी जानकारियों को बहुत तेजी से प्रदर्शित करेगा। सभी 38 जिलों में वीडियो कांफेरेंसिंग शुरू हो गया है। सार्वजनिक निजी सहभागिता के जरिए कोषागार, वित्त, भविष्य निधि, कर संग्रह, बिजली बिल, संपत्तियों का निबंधन, ई-गवर्नेंस आदि के कंप्यूटरीकरण की योजना बनाई गई है जिसमें बेल्ट्रॉन एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

बिहार की 'जानकारी' सबसे सरल और सबसे अच्छी है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच की उपज 'जानकारी' के जरिए ई-गवर्नेंस में बिहार ने अपनी उपस्थिति का अहसास कराया है। इसे 'स्वर्ण पुरस्कार' दिया गया है। लोग सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) के तहत इस केंद्र से सूचना मांग सकते हैं। 'जानकारी' देश में अपने किस्म का पहला प्रयास है जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग सूचना के अधिकार को जनता तक पहुंचाने के लिए किया गया है। इस परियोजना पर न तो अतिरिक्त खर्च किया गया, न नई नियुक्ति की गई।

संबंधित कार्यालय को आवेदन देने के पारंपरिक तरीके के अतिरिक्त 'जानकारी' का विकास सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने के अतिरिक्त माध्यम के रूप में किया गया है। यह राज्य के सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी निजी अथवा सार्वजनिक टेलीफोन से 155311 नंबर डायल करके सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दाखिल करने में सक्षम बनाता है। फोन सुनते ही ऑपरेटर आरटीआइ अधिनियम के तहत आवेदन लिखता है और आवेदक को वांछित सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन संबंधित अधिकारियों के पास भेज देता है। आवेदक को कॉल सेंटर से संदर्भ संख्या (रेफरेंस नंबर) दी जाती है। अगर अधिकारियों द्वारा सूचना नहीं दी जाती है, तो आवेदक अपीलीय अधिकारी के पास पहली अपील और उसके बाद दूसरी अपील तथा बाद में राज्य सूचना आयोग के पास अपील करने का हकदार होता है।

'जानकारी' मॉडल सरल तथा कहीं से भी संपर्क हो सकने वाला है। असाक्षरता, भौगोलिक दूरी और वित्तीय कठिनाई जैसे अवरोध आड़े नहीं आते हैं।**Error!**

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षित बेरोजगार युवतियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हेतु मशीनों और उपकरणों की खरीद पर 20 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान है जिसकी अधिकतम सीमा 20 हजार रु. होगी। सभी केंद्रों के पास कंप्यूटर और प्रिंटर के अलावा फैक्स मशीन, फोटोकॉपियर मशीन, टेलीफोन तथा इंटरनेट की सुविधा होगी। लाभार्थियों को बेल्ट्रॉन के जरिए कंप्यूटर सेट तथा अन्य सहायक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी। वित्त वर्ष 2007-08 के लिए 1 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की अनुसूची 1 में शामिल कर लिया गया है और अनुभाग 7, 8 और 12(क) के तहत उपलब्ध छूटें इसे भी प्रदान की जाएंगी। इस उद्योग को प्रतिष्ठान खोलने और बंद करने के घंटों, काम के घंटों तथा साप्ताहिक बंदी के मामले में छूट दी जाएगी। महिला कर्मियों के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुभाग 66 के अंतर्गत काम के घंटों के संबंध में ढील दी गई है। अब महिलाएं सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बजाय सुबह 5 बजे पूर्वाह्न से 10 बजे रात तक काम कर सकेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुभाग 87 के तहत भी छूट का पात्र होगा।

3.13 निवेश प्रस्ताव

राज्य सरकार द्वारा ली गई अनेक पहलकदमियों तथा कानून-व्यवस्था और अधिसंरचना की स्थिति में सुधार के साथ राज्य सरकार को नए उद्यम (वेंचर) शुरू करने के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। बिहार निवेश प्रोत्साहन बोर्ड अपने पास जमा प्रस्तावों की जांच करता है और आगे की कार्रवाई के लिए अनुमोदित करता है। वर्ष 2006-07 के दौरान (जनवरी 2007 तक) बोर्ड कुल 72 प्रस्तावों का अनुमोदन कर चुका था जिनकी संख्या बढ़कर 2007-08 में (दिसंबर 2007 तक) 115 हो गई थी। पुनः, 2008-09 में (दिसंबर 2008 तक) बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या 164 पहुंच गई है जिनमें कुल 91.75 हजार करोड़ रु. का निवेश और 1.23 लाख लोगों के लिए रोजगार प्रस्तावित है। अनुमोदित प्रस्तावों का प्रक्षेत्रवार विवरण तालिका 3.13 में प्रस्तुत है।

तालिका 3.13 : एसआइपीबी अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण (दिसंबर 2008 तक)

प्रक्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या (अनुमोदित)
चीनी मिलें	23
(क) नई	14
(ख) कार्यरत मिलों का क्षमता विस्तार	07
(ग) कार्यरत मिलों द्वारा ईथेनॉल संयंत्र	02
ईथेनॉल संयंत्र	14
विद्युत संयंत्र	20
खाद्य प्रसंस्करण	24
इस्पात प्रसंस्करण एवं सीमेंट संयंत्र	16
तकनीकी संस्थान (अभियंत्रण एवं प्रबंधन)	15
चिकित्सा संस्थान (चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)	17
अन्य	35
योग	164

164 अनुमोदित प्रस्तावों में से 15 क्रियान्वित हो चुके हैं और काम कर रहे हैं, एक उत्पादन के लिए तैयार है और कुल 22.91 हजार करोड़ रु. निवेश के 49 प्रस्ताव क्रियान्वयन के अग्रिम चरण में हैं। बहरहाल, शेष 99 प्रस्ताव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अनुमोदित प्रस्तावों की स्थिति तालिका 3.14 में प्रस्तुत है।

तालिका 3.14 : राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अनुमादित प्रस्तावों की स्थिति (दिसंबर 2008 तक)

प्रक्षेत्र	संख्या
क्रियान्वित तथा कार्यरत	15
उत्पादन हेतु तैयार	1
क्रियान्वयन के अग्रिम चरण में	49
क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में	99
योग	164

3.14 पर्यटन

बिहार में प्रमुख उद्योग के रूप में उभरने की भारी संभावना के बावजूद पर्यटन क्षेत्र अतीत में उपेक्षित रहा है। कुछ स्थानों के पर्यटन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े होने के अलावा इस क्षेत्र का बिहार पर कोई खास असर नहीं है। बेहतर संपर्क सुविधा और संबंधित विभागों के बीच समन्वय के अभाव में पर्यटन लगातार उपेक्षित रहा है। दूसरा कोई भी राज्य इस मामले में इतना संपन्न नहीं है जहां देशी–विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिहाज से इतिहास, सभ्यता, धर्म और संस्कृति का इतना विविधतापूर्ण खजाना हो। राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन के विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं। पर्यटकों के विभिन्न गंतव्य स्थालों पर कानून–व्यवस्था तथा अधिसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थिति में सुधार से देशी और विदेशी, दोनों तरह के पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2005 में इनकी संख्या 69.44 लाख थी जो 2006 में बढ़कर 107.65 लाख और 2007 में 105.30 लाख हो गई। हालांकि इसके दोहन की काफी संभावना अभी भी शेष है। परिशिष्ठ 4 में देखा जा सकता है कि राजधानी पटना के अलावा गया, बोधगया, राजगिर, सोनपुर मेला तथा सुल्तानगंज का श्रावणी मेला भी पर्यटकों की पसंदीदा जगहें हैं।

राज्य में गया, बोधगया, राजगिर, वैशाली, पावापुरी और पटना साहेब जैसे ऐसे अनेक धार्मिक स्थल हैं जिनका पर्यटकों को आकर्षित करने के लिहाज से विकास किया जा रहा है। बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिए जाने के बाद से 'बिहार पर्यटन द्वारा तय की गई दूरी आश्चर्यजनक रही है'। पर्यटन विभाग महज प्रोत्साहनकर्ता, सुगमकर्ता और अधिसंरचना प्रदाता के रूप में काम नहीं करता, बिहार में पर्यटन उत्पादों एवं सेवाओं का स्तर सुधारने में भी गंभीरतापूर्वक लगा है। पर्यटन विभाग के हाल के पिंडदान और योग के पर्यटन पैकेज आप्रवासी भारतीय दिवस पर जनवरी 2009 में चेन्नई में आयोजित त्रिदिवसीय उत्सव के दौरान अनिवासी भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय हुए हैं। योग अनिवासी भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है। योग का पाठ्यक्रम चाहने वाले पर्यटकों के लिए विभाग ने दो और तीन सप्ताह के पैकेज तैयार किए हैं और उसे मुंगेर योगाश्रम से जोड़ा है। गत वर्ष विभाग ने 'गया के पितृपक्ष मेला' के दौरान विशेष 'पिंडदान' पैकेज शुरू किया। तीसरा उल्लेखनीय पैकेज 'अपनी जड़ों को पहचानें' (ट्रेस योर रूट्स) वेस्ट इंडिज, मॉरिशस, फिजी,

माल्दीव, इंडोनेशिया, सूरीनाम आदि के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु विकसित किया गया है। यह अनिवासी भारतीयों के बीच भी काफी लोकप्रिय हुआ है। इसी प्रकार, बौद्ध और जैन सर्किट के लिए विशेष पैकेज तैयार किए गए हैं।

3.15 बिहार में औद्योगीकरण की समस्याएं और संभावनाएं

बिहार राष्ट्रीय नीतियों का शिकार रहा है जिसने राज्य के लिए ढांचागत और संस्थागत, दोनों स्तरों पर अवरोध पैदा किए। आजादी के तत्काल बाद शुरू की गई भाड़ा समानीकरण की नीति लंबे समय तक जारी रही और राज्य के औद्योगीकरण के लिए उसने विनाश का काम किया। फिर अविभाजित बिहार में जो भी नाम मात्र के उद्योग थे, वे विभाजन के फलस्वरूप झारखंड में चले गए। राज्य में बड़े पैमाने का अनौद्योगीकरण कमजोर अधिसंरचनात्मक विकास का कारण बना जिसके औद्योगिक प्रक्षेत्र के लिए विशेष निहितार्थ थे। राज्य के समग्र आर्थिक विकास पर इसका स्पष्टतः नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

देश में पिछड़े राज्यों तथा राज्यों में पिछड़े जिलों की समस्याओं पर नीति निर्माताओं एवं योजनाकारों का ध्यान गया है जिसके कारण उनके त्वरित विकास हेतु विशेष पैकेज तैयार किए गए। वर्ष 1977 में योजना आयोग ने देश के 100 सर्वाधिक पिछड़े जिलों की पहचान के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने (क) अभिवंचना (डिप्राइवेशन), (ख) सामाजिक अधिसंरचना तथा (ग) आर्थिक अधिसंरचना संबंधी सूचकों के आधार पर विभिन्न राज्यों में फैले 100 जिलों की पहचान की थी जिनमें से अनेक बिहार में स्थित हैं। हालांकि इन प्रयासों का विभिन्न राज्यों के बीच तथा उनके अंदर मौजूद विषमताओं पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।

आर्थिक सुधार के दौर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उच्च प्रदर्शन में भी बिहार को दरकिनार किया गया और दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों के ठीक विपरीत, बिहार की वृद्धि दर मंदित (डिसिलरेट) हुई। फलतः मानव विकास सूचकांक और आर्थिक अधिसंरचना, दोनों लिहाज से बिहार सूची में आखिरी स्थान पर बरकरार है। प्रथमदृष्ट्या, किसी क्षेत्र का विकास प्राकृतिक अवदान (एंडोमेंट), अधिसंरचनात्मक समर्थन, कुशल मानवशक्ति की स्थानीय उपलब्धता, निर्यात बाजार समेत बाजार के आकार, तथा केंद्र और राज्य सरकारों की औद्योगिक नीतियों पर निर्भर करता है। अविभाजित बिहार में प्राकृतिक अवदान से इतर सभी कारक औद्योगिक विकास के लिए कत्तई अनुकूल नहीं थे।
औद्योगिक विकास के लिए मुख्य और नाड़ी-सदृश (ट्रंक एंड आर्टेरियल), दोनों प्रकार की अधिसंरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्युत संयंत्र और संचरण नेटवर्क, प्रमुख उच्चपथ, जलमार्ग, रेलमार्ग, हवाई अड्डे और दूरसंचार मुख्यतः ट्रंक अधिसंरचनाएं हैं। किसी भी अंचल में औद्योगिक विकास के लिए इन ट्रंक अधिसंरचनाओं के पूरक के बतौर पर्याप्त तथा सुविकसित नाड़ी-सदृश संरचनाएं जरूरी होती हैं। बिहार में इनके समुचित नेटवर्क की अनुपस्थिति में राज्य की अर्थव्यवस्था अपरिवर्तित रही, या कहिए कि बदहाल ही हुई। फिर, शीतगृह, शुष्क पत्तन (ड्राइ पोर्ट) आदि उद्योग-विशेष हेतु विशेष अधिसंरचनाएं नितांत अपर्याप्त हैं और राज्य में औद्योगीकरण के मामले में समस्याएं पैदा कर रही हैं। सड़कों एवं परिवहन की खराब स्थिति निजी निवेशों में एक प्रमुख बाधा है। अपर्याप्त

और अनियमित विद्युत आपूर्ति ने अनेक औद्योगिक इकाइयों को राज्य के बाहर भागने के लिए विवश कर दिया। दूसरी ओर, जिन इकाइयों ने यहां टिके रहने का जोखिम लिया, उनमें से अनेक कोष और समुचित विपणन सुविधाओं की कमी के कारण बीमार या बंद हैं। और सबसे बढ़कर, बैंकों के उदासीन रवैया तथा कम फैलाव ने कामचोरी दिखाई और परिणामस्वरूप 2007-08 में राज्य का ऋण-जमा अनुपात (32 प्रतिशत) 2006 के राष्ट्रीय औसत (73 प्रतिशत) से काफी नीचे है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 स्वीकार किए जाने और उत्पादन पूर्व तथा पश्चात सब्सिडी दिए जाने से बिहार में नए निवेश प्रस्ताव आने लगे हैं। 164 प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं और उससे भी अधिक स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था है इसलिए समग्र औद्योगिक परिदृश्य में कृषि आधारित उद्योगों की बहुलता है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के आधार पर भी स्पष्ट है कि बिहार के औद्योगीकरण में कृषि आधारित उद्योगों की मुख्य भूमिका है। बिहार में बागवानी के विस्तार के लिए 19 जिलों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत शामिल किया गया है। शेष 19 जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण, ईख, डेयरी, चर्म एवं चर्म उत्पादों की राज्य में भारी संभावना है। राज्य में गैर-कृषि आधारित उद्योगों का आकार बहुत छोटा है और उनमें से अधिकांश स्थानीय मांगें ही पूरी करते हैं। तथापि गैर-कृषि आधारित उद्योगों की संभावना भी काफी अधिक है। पुनः, राज्य सरकार की पहलकदमियों के कारण हथकरघा समेत कारीगर आधारित उद्योग राज्य में बेहतर संभावनाएं प्रदर्शित करने लगे हैं। बेहतर आय और रोजगार सृजन के लिए इस प्रक्षेत्र को वित्त, विपणन, प्रशिक्षण, डिजाइनिंग आदि की जरूरत है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इनमें से अधिकांश जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है।

परिशिष्ट - 1

बिहार में उद्योगों का ढांचा (वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2004-05)

एनआइ सी कोड	औद्योगिक संकुल	कारखानों की संख्या	चालू कारखाने	कुल उत्पादन (करोड़ रु.)	सकल मूल्यवर्धन (करोड़ रु.)	प्रतिशत हिस्सा		
						चालू कारखाने	कुल उत्पादन	सकल मूल्यवर्धन
15-16	खाद्य/ पेय/ तंबाकू	280	251	1541	346	17.45	12.61	30.87
17	वस्त्र/ वस्त्र उत्पाद	21	17	62	20	1.18	0.51	1.78
19	चर्म/ चर्म उत्पाद	8	8	69	16	0.56	0.56	1.43
20	काष्ठ/ काष्ठ उत्पाद	119	105	20	3	7.30	0.16	0.27
21-22	कागज/ मुद्रण/ प्रकाशन	55	45	230	95	3.13	1.88	8.47
23	कोयला/ पेट्रॉलियम/ आणविक इंधन	46	40	9495	543	2.78	77.68	48.44
24	रसायन	51	46	78	5	3.20	0.64	0.45
25	रबर/ प्लास्टिक उत्पाद	20	20	53	10	1.39	0.43	0.89
26	कांच/ कांच उत्पाद	779	642	275	45	44.65	2.25	4.01
27-28	मौलिक धातु/ धातु उत्पाद	88	72	300	20	5.01	2.45	1.78
29	सामान्य उपयोग की मशीनें	49	49	30	7	3.41	0.25	0.62
31	विद्युत मोटर/ जेनरेटर/ ट्रांसफर्मर	11	11	17	1	0.76	0.14	0.09
35	जहाज, नाव, परिवहन उपकरण का निर्माण एवं मरम्मत	4	3	12	1	0.21	0.10	0.09
36	फर्नीचर, वाद्ययंत्र/ निर्यात हेतु वस्तुएं आदि	5	4	4	0	0.28	0.03	0.00
	अन्य	137	125	37	9	8.69	0.30	0.80
	योग	**1673**	**1438**	**12223**	**1121**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

परिशिष्ट - 2

ईख का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हे.)

जिलों का नाम	2004-2005		2005-2006		2006-2007		औसत		
	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मै. टन)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मै. टन)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मै. टन)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मै. टन)	उत्पादकता
सारण	283	10434	283	11965	0	0	189	7466	39574
सीवान	4989	178224	3775	135391	4190	163135	4318	158917	36803
गोपालगंज	19279	765619	17759	856202	30634	1515989	22557	1045937	46368
मुजफ्फरपुर	730	28014	354	14017	614	27068	566	23033	40694
पूर्वी चंपारण	6152	246419	6238	206380	6596	206209	6329	219669	34710
पश्चिमी चंपारण	55330	2349844	55993	2377461	57227	2678711	56183	2468672	43940
सीतामढ़ी	2222	77119	2232	120358	2451	108086	2302	101854	44252
शिवहर	1174	40092	1923	76145	2019	76621	1705	64286	37697
वैशाली	122	4609	114	4514	113	4981	116	4701	40413
दरभंगा	152	2024	105	3068	670	23328	309	9473	30658
मधुबनी	713	9399	586	18392	205	6510	501	11434	22807
समस्तीपुर	2707	36187	2719	78762	2508	88181	2645	67710	25602
बेगूसराय	2937	79407	2035	77770	1998	79459	2323	78879	33951
योग	**96790**	**3827391**	**94116**	**3980425**	**109225**	**4978278**	**100044**	**4262031**	**42602**
सहरसा	22	1056	29	1291	58	2638	36	1662	45734
सुपौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मधेपुरा	179	6531	273	11353	273	12458	242	10114	41851
पूर्णिया	0	0	2	82	0	0	1	27	41000
अररिया	144	5254	0	0	0	0	48	1751	36486
किशनगंज	0	0	0	0	83	3788	28	1263	45639
कटिहार	39	1423	8	327	168	7621	72	3124	43586
खगड़िया	142	3780	142	5550	0	0	95	3110	32852
योग	**526**	**18044**	**454**	**18603**	**582**	**26505**	521	21051	40430
पटना	452	17156	422	17445	341	15321	405	16641	41088
नालंदा	169	7021	182	7651	193	8370	181	7681	42357
भोजपुर	233	9563	126	5278	184	7860	181	7567	41807
बक्सर	379	15885	370	15580	454	23883	401	18449	46008
रोहतास	118	4948	178	7485	0	0	99	4144	42003
भभुआ	359	15046	285	12001	246	6073	297	11040	37213
गया	922	33154	825	22228	1451	51789	1066	35724	33512
जहानाबाद	206	7407	327	8602	275	9769	269	8593	31903
नवादा	84	3020	118	3192	142	5045	115	3752	32724
औरंगाबाद	231	8306	223	5866	216	7673	223	7282	32604
मुंगेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शेखपुरा	38	1824	18	234	31	1258	29	1105	38115
जमुई	491	23159	287	4747	207	2511	328	10139	30880
भागलपुर	2341	84534	2052	82616	2245	122824	2213	96658	43684
बांका	850	35264	1260	48510	1387	71681	1166	51818	44454
योग	**6873**	**266287**	**6673**	**241435**	**7372**	**334057**	**6973**	**280593**	**40242**
कुल योग	**104189**	**4111722**	**101243**	**4240463**	**117179**	**5338840**	**107537**	**4563675**	**42438**

स्रोत : सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार

परिशिष्ट - 3

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाइ) की प्रगति (2003-04 से 2007-08)

जिला उद्योग केंद्र	2003-04				2004-05				2005-06			
	लक्ष्य	वितरण		वितरण लक्ष्य के % में	लक्ष्य	वितरण		वितरण लक्ष्य के % में	लक्ष्य	वितरण		वितरण लक्ष्य के % में
		सं.	रकम			सं.	रकम			सं.	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अररिया	278	184	184.57	66.19	310	236	203.92	76.13	449	140	102.63	31.18
अरवल					122	53	45.12	43.44	212	57	48.00	26.89
औरंगाबाद	280	129	108.96	46.07	312	170	135.88	54.49	519	232	192.73	44.70
बांका	293	180	140.28	61.43	326	177	166.40	54.29	542	262	215.49	48.34
बेगूसराय	566	337	261.95	59.54	360	480	393.62	133.33	903	610	532.59	67.55
भागलपुर	523	316	258.88	60.42	580	340	279.17	58.62	942	507	365.85	53.82
भोजपुर	413	250	184.84	60.53	458	278	210.94	60.70	734	354	255.70	48.23
बक्सर	281	181	133.06	64.41	312	190	162.78	60.90	498	233	179.45	46.79
दरभंगा	558	413	361.46	74.01	620	380	303.58	61.29	990	465	392.87	46.97
पूर्वी चंपारण	502	370	296.64	73.71	555	430	373.04	77.48	796	446	373.50	56.03
गया	606	419	348.09	69.14	704	443	465.80	62.93	1048	607	527.80	57.92
गोपालगंज	266	199	173.41	74.81	295	194	142.15	65.76	457	165	124.71	36.11
जमुई	221	141	115.21	63.80	246	169	204.40	68.70	375	197	160.46	52.53
जहानाबाद	305	195	140.00	63.93	218	156	134.28	71.56	330	189	166.32	57.27
कैमूर	272	186	191.06	68.38	300	195	166.34	65.00	468	206	180.84	44.02
कटिहार	401	308	263.24	76.81	445	303	267.34	68.09	680	267	233.86	39.26
खगड़िया	206	158	125.26	76.70	230	176	146.97	76.52	332	210	187.40	63.25
किशनगंज	167	107	81.01	64.07	184	105	93.83	57.07	306	124	93.28	40.52
लखीसराय	170	124	106.70	72.94	190	116	115.35	61.05	304	197	168.20	64.80
मधेपुरा	266	217	190.00	81.58	296	238	223.69	80.41	416	293	260.57	70.43
मधुबनी	486	365	310.00	75.10	541	438	428.60	80.96	758	440	489.00	58.05
मुंगेर	243	160	121.04	65.84	270	213	203.10	78.89	384	254	221.64	66.15
मुजफ्फरपुर	764	371	301.81	45.56	858	404	343.78	47.09	1457	476	383.34	32.67
नालंदा	512	229	183.84	44.73	572	327	327.00	57.17	929	440	442.00	47.36
नवादा	324	136	111.71	41.98	298	156	125.62	52.35	642	217	169.34	33.80
पटना	1257	843	756.23	67.06	1475	813	683.23	55.12	2198	1141	1132.90	51.91
पूर्णिया	318	280	243.30	88.05	351	318	284.41	90.60	467	342	285.76	73.23
रोहतास	372	243	232.63	65.32	422	304	318.43	72.04	615	229	211.38	37.24
सहरसा	301	204	169.41	67.77	336	168	83.83	50.00	575	263	245.99	45.74
समस्तीपुर	518	334	303.15	64.48	583	280	226.26	48.03	991	403	244.87	40.67
सारण	581	405	303.54	69.71	647	433	311.28	66.92	997	485	394.80	48.65
शेखपुरा	147	131	88.46	89.12	165	121	69.72	73.33	244	138	116.61	56.56
शिवहर	105	25	16.90	23.81	120	19	19.00	15.83	246	69	66.90	28.05
सीतामढ़ी	450	306	286.25	68.00	500	371	358.00	74.20	734	393	392.00	53.54
सीवान	439	328	302.59	74.12	492	317	277.91	64.43	770	322	264.40	41.82
सुपौल	188	108	90.51	57.45	223	157	140.69	70.40	336	168	143.86	50.00
वैशाली	443	318	269.39	71.78	493	339	277.65	68.76	750	344	262.06	45.87
प. चंपारण	378	320	259.29	84.66	420	322	241.23	76.67	606	491	424.82	81.02
योग	**14400**	**9520**	**8014.67**	**66.11**	**15829**	**10329**	**8954.34**	**65.25**	**25000**	**12376**	**10653.92**	**49.50**

(जारी)

परिशिष्ट 3 : (जारी)

जिला उद्योग केंद्र	2006-07				2007-08			
	लक्ष्य	वितरण		वितरण लक्ष्य के % में	लक्ष्य	वितरण		वितरण लक्ष्य के % में
		सं.	रकम			सं.	रकम	
	15	16	17	18	19	20	21	22
अररिया	206	101	82.54	49.03	270	119	135.90	44.07
अरवल	135	72	83.00	53.33	180	76	135.00	42.22
औरंगाबाद	230	141	109.77	61.30	299	130	93.45	43.48
बांका	231	166	180.42	71.86	300	195	276.00	65.00
बेगूसराय	440	342	312.79	77.73	580	295	367.63	50.88
भागलपुर	405	254	253.30	62.72	530	263	275.84	49.62
भोजपुर	330	185	123.60	56:06	440	200	139.87	45.45
बक्सर	220	142	123.69	64.55	290	161	186.25	55.52
दरभंगा	430	335	269.72	77.91	565	389	445.41	68.85
पूर्वी चंपारण	400	266	188.62	66.50	527	251	256.00	47.63
गया	480	398	352.69	82.92	631	367	452.60	58.16
गोपालगंज	210	178	129.77	84.76	278	162	199.50	58.27
जमुई	180	149	148.40	82.78	239	122	130.68	51.05
जहानाबाद	200	125	105.72	62.50	265	173	192.48	65.28
कैमूर	230	146	120.62	63.48	301	166	278.00	55.15
कटिहार	314	217	190.53	69.11	415	226	272.46	54.46
खगड़िया	164	123	106.00	75.00	215	153	178.14	71.16
किशनगंज	134	96	96.00	71.64	180	111	107.90	61.67
लखीसराय	140	89	79.17	63.57	185	103	87.77	55.68
मधेपुरा	206	171	148.45	83.01	300	195	242.64	65.00
मधुबनी	385	247	176.10	64.16	507	238	312.50	46.94
मुंगेर	194	185	154.30	95.36	257	256	309.40	99.61
मुजफ्फरपुर	584	382	320.59	65.41	724	340	428	46.96
नालंदा	394	250	250.00	63.45	514	162	222.00	31.52
नवादा	254	139	121.01	54.72	329	154	189.64	46.81
पटना	920	638	505.71	69.35	1204	569	469.91	47.26
पूर्णिया	255	214	172.28	83.92	335	253	273.63	75.52
रोहतास	294	226	204.28	76.87	388	265	248.31	68.30
सहरसा	242	230	230.00	95.04	350	180	199.32	51.43
समस्तीपुर	397	271	207.02	68.26	520	237	183.99	45.58
सारण	446	374	325.29	83.86	587	406	616.95	69.17
शेखपुरा	124	130	114.82	104.84	164	117	115.05	71.34
शिवहर	100	76	69.85	76.00	130	79	95.54	60.77
सीतामढ़ी	350	216	200.10	61.71	459	231	307.77	50.33
सीवान	350	253	250.30	72.29	459	226	445.95	49.24
सुपौल	176	113	109.00	64.20	229	150	223.10	65.50
वैशाली	350	238	176.46	68.00	460	231	231.97	50.22
प. चंपारण	300	218	210.86	72.67	394	236	195.07	59.90
योग	**11400**	**8096**	**7002.77**	**71.02**	**15000**	**8187**	**9521.62**	**54.58**

परिशिष्ट - 4

बिहार राज्य में देशी-विदेशी पर्यटकों के आगमन का आंकड़ा, 2005-08 (सितंबर 08 तक)

(आंकड़े हजार में)

स्थान	पर्यटक	2005					2006				
		जनवरी से मार्च	अप्रील से जून	जुलाई से सितंबर	अक्तूबर से दिसंबर	योग	जनवरी से मार्च	अप्रील से जून	जुलाई से सितंबर	अक्तूबर से दिसंबर	योग
पटना	देशी	427.2	314.7	376.1	370.0	1487.9	634.3	385.7	481.9	506.7	2008.6
	विदेशी	0.8	0.1	0.2	0.8	1.9	1.1	0.5	0.6	1.7	4.0
गया	देशी	219.4	188.1	701.7	16.8	1126.0	215.5	196.6	705.0	19.6	1136.7
	विदेशी	2.4	0.3	0.7	0.6	4.0	1.9	0.4	0.5	0.6	3.3
बोधगया	देशी	77.6	49.2	39.4	130.9	297.2	180.1	64.0	81.1	139.6	464.8
	विदेशी	11.5	1.1	6.0	18.5	37.0	40.1	6.2	0.6	6.0	52.9
राजगिर	देशी	71.2	16.9	69.0	165.5	322.6	77.5	28.5	72.2	170.1	348.3
	विदेशी	0.8	0.6	0.6	3.5	5.5	1.7	0.3	1.6	7.3	10.9
रक्सौल	देशी	35.3	28.5	30.0	41.0	134.8	37.8	28.3	30.0	45.5	141.5
	विदेशी	0.5	0.2	0.4	0.7	1.8	0.6	0.4	0.6	0.9	2.5
मुंगेर	देशी	12.4	10.8	12.1	10.8	46.1	14.3	12.0	14.0	11.4	51.6
	विदेशी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
वैशाली	देशी	18.8	100.7	93.5	20.9	234.0	26.3	121.2	89.6	24.2	261.2
	विदेशी	0.5	1.6	2.1	4.7	8.9	2.7	4.1	4.5	0.1	11.5
मुजफ्फरपुर	देशी	18.1	21.5	18.8	9.9	68.2	20.7	19.3	12.6	13.0	65.6
	विदेशी	1.5	1.1	0.9	0.3	3.7	0.2	8.3	0.2	0.0	8.7
सोनपुर मेला	देशी	0.0	0.0	0.0	2008.3	2008.3	0.0	0.0	0.0	4001.0	4001.0
	विदेशी	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
श्रावणी मेला सुल्तानगंज (भागलपुर)	देशी	0.0	0.0	1155.6	0.0	1155.6	0.0	0.0	2125.9	0.0	2125.9
	विदेशी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
भागलपुर	देशी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	30.5	19.6	64.9
	विदेशी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य	देशी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	विदेशी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
योग	देशी	879.9	730.4	2496.3	2774.1	6880.7	1206.5	870.3	3642.9	4950.6	10670.3
	विदेशी	18.0	5.0	10.8	29.6	63.3	48.3	20.3	8.6	17.3	94.4
कुल योग		897.9	735.4	2507.0	2803.7	6944.0	1254.8	890.5	3651.5	4967.9	10764.7

(जारी)

परिशिष्ट - 4 : (जारी)

(आंकड़े हजार में)

स्थान	पर्यटक	2007					2008 (सितंबर तक)			
		जनवरी से मार्च	अप्रील से जून	जुलाई से सितंबर	अक्तूबर से दिसंबर	योग	जनवरी से मार्च	अप्रील से जून	जुलाई से सितंबर	योग
पटना	देशी	167.3	176.9	280.3	94.2	718.7	597.5	530.3	1541.4	2669.2
	विदेशी	1.4	0.3	0.8	1.3	3.8	1.8	0.4	0.4	2.6
गया	देशी	241.4	221.5	791.3	105.1	1359.3	284.2	194.8	1959.5	2438.4
	विदेशी	0.6	0.3	0.7	0.6	2.2	3.8	1.4	52.8	58.1
बोधगया	देशी	170.1	46.5	64.4	198.8	479.9	298.6	33.8	218.9	551.4
	विदेशी	64.4	1.2	3.1	51.8	120.4	66.9	3.0	7.3	77.2
राजगिर	देशी	83.0	482.0	155.2	170.4	890.6	284.4	106.0	169.0	559.4
	विदेशी	5.1	1.5	4.4	21.5	32.6	43.8	8.7	83.0	135.5
रक्सौल	देशी	16.7	24.4	16.3	14.4	71.7	21.3	15.6	13.5	50.3
	विदेशी	4.6	0.9	0.7	0.7	6.9	1.2	0.8	0.8	2.8
मुंगेर	देशी	8.6	11.6	13.6	6.6	40.5	3.6	3.4	0.0	7.1
	विदेशी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
वैशाली	देशी	85.2	90.9	43.3	6.7	226.1	10.7	94.8	9.1	114.6
	विदेशी	3.5	0.7	2.9	2.3	9.5	6.4	6.3	1.6	14.2
मुजफ्फरपुर	देशी	12.1	7.5	217.7	3.3	240.7	4.5	4.2	284.2	292.9
	विदेशी	0.0	0.0	0.5	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
सोनपुर मेला	देशी	0.0	0.0	0.0	4019.5	4019.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	विदेशी	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
श्रावणी मेला सुल्तानगंज (भागलपुर)	देशी	0.0	0.0	2198.4	0.0	2198.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	विदेशी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
भागलपुर	देशी	21.9	22.2	21.6	22.6	88.3	23.9	51.7	720.5	796.2
	विदेशी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य	देशी	3.1	6.7	5.7	3.9	19.3	7.9	17.8	10.5	36.1
	विदेशी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.9
योग	देशी	809.3	1090.2	3807.9	4645.4	10352.9	1536.6	1052.4	4926.6	7515.5
	विदेशी	79.6	5.0	13.2	79.6	177.4	123.9	21.4	146.0	291.3
कुल योग		888.9	1095.2	3821.1	4725.0	10530.2	1660.5	1073.8	5072.6	7806.8

(समाप्त)

अध्याय 4

भौतिक अधिसंरचना

विकसित अधिसंरचना किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास की अनिवार्य शर्त है। औपनिवेशिक काल में बिहार जैसे स्थलरुद्ध राज्य की अधिसंरचना के विकास का लक्ष्य था - औपनिवेशिक नियंत्रण को और भी पुख्ता बनाता तथा ब्रितानी उद्योग-धंधों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से कच्ची सामग्रियों का दोहन। स्वतंत्र्योत्तर काल में भी, बिहार में अधिसंरचनाओं के सुधार तथा विस्तार हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। मौजूदा निम्नस्तरीय अधिसंरचनात्मक सुविधाएं राज्य की विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने की राह में बड़ी बाधा हैं। बिहार में भारत के प्रमुख राज्यों के मुकाबले सबसे कमजोर अधिसंरचनात्मक आधार है। राज्यों को धनराशि सुपुर्दगी के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त अधिसंरचना सूचकांक के अनुसार बिहार उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर के साथ सबसे निचले पायदान पर है (तालिका 4.1) अधिसंरचना के मामले में बिहार की दरिद्रता सभी प्रक्षेत्रों में व्याप्त है। राज्य में धड़ (ट्रंक) के रूप में जो भी अधिसंरचना मौजूद है, पर्याप्त रूप से विकसित धमनियों (आर्टरिज) के अभाव में उसका पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाता है।

तालिका 4.1 : अधिसंरचना सूचकांक के अनुसार राज्यों का क्रम विन्यास

श्रेणी	राज्य
निम्न	उत्तर पूर्वी राज्य, असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान
निम्न मध्यम	हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
मध्य मध्यम	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
उच्च-मध्यम	गुजरात, हरयाणा, केरल, तमिलनाडु
उच्च	गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब

स्रोत : बारहवें वित आयोग की रिपोर्ट, भारत सरकार

लिहाजा इस बात पर सर्वानुमति है कि बिहार में अधिसंरचना विकास के मुद्दे को प्राथमिक्ता के आधार पर लेना होगा। हालांकि निवेश की मात्रा तथा तकनीकी क्षमता को देखते हुए महसूस किया जा रहा है कि इस मामले में केवल सरकार पर निर्भरता से बात नहीं बनने वाली है। अतः किसी उपयुक्त नीतिगत ढांचा का निर्माण किया जा सकता है ताकि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) के जरिए इस काम के लिए निजी प्रक्षेत्र को आकर्षित किया जा सके। वस्तुतः राज्य सरकार बिहार अधिसंरचना विकास समर्थकारी अधिनियम पर अमल करते हुए कुछ प्रक्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी साझेदारी की संभावना तलाशकर इसे लागू करना आरंभ कर चुकी है और इन पहलकदमियों को विस्तारित करने की योजना बना रही है। यह बिजली, सड़क आदि क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निजी निवेश को भी भरपूर प्रोत्साहन देगी। पारदर्शिता बढ़ाने और निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने में देर से बचने के लिए कई महत्वपूर्ण सांस्थानिक सुधार किए गए हैं तथा और भी सुधार प्रस्तावित हैं।

4.1 सड़क एवं पुल

सड़कों का घनत्व : राज्यों में सड़कों के घनत्व से पूरे क्षेत्र में स्थापित संपर्क का पता चलता है। वर्तमान में यहां प्रति वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल पर 0.98 कि.मी. सड़क है जबकि राष्ट्रीय औसत 1.25 कि.मी. है (तालिका 4. 2)। लेकिन यदि आबादी को ध्यान में रखा जाए, तो सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार और भारत में ज्यादा फर्क है। सघन आबादी वाला राज्य होने के बावजूद बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़कों का घनत्व महज 111 कि.मी. है जबकि संपूर्ण देश में यह घनत्व तीनगुना ज्यादा (360 कि.मी.) है। इसी प्रकार, यहां सड़क से संपर्कित गांव सिर्फ 57 प्रतिशत हैं जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह प्रतिशत 62 है और गुजरात में 99 प्रतिशत। सन 2001 में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में सड़कों के घनत्व को परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2 चुनिंदा राज्यों तथा भारत में सड़कों का घनत्व

सड़कों का घनत्व	भारत	उत्तर प्रदेश	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	गुजरात	बिहार
सड़क की लंबाई /वर्ग कि.मी.	1.25	1.02	1.02	0.82	0.75	0.98
सड़क की लंबाई /प्रति लाख आबादी	360	185	297	289	275	111
सड़क संपर्क वाले गांव (%)	62	60	67	59	99	57

लंबाई : संपर्क माध्यम आर्थिक विकास के प्रधान निर्धारक हैं और सड़कें विकास के फल का हिस्सेदार बनने के लिए सभी क्षेत्र के लोगों को समर्थ बनाती हैं। इस दृष्टि से बिहार में सड़क अधिसंरचना वाहन चालन गुणवत्ता समेत अपने तमाम आयामों में सबसे कमजोर मालूम पड़ती है। उत्तरी बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सड़क मार्गों का निर्माण तथा रखरखाव एक बड़ी समस्या है। बिहार में सड़कों की लंबाई राष्ट्रीय औसत के बराबर या उसके करीब नहीं रही है (परिशिष्ट 1)। सड़कों के मामले में राज्य गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा जैसे तेजी से आगे बढ़ रहे राज्यों से हमेशा पीछे रहा है। सन 1990 से राष्ट्रीय स्तर पर सड़क नेटवर्क में 99.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, वही बिहार में यह वृद्धि सिर्फ 27.7 प्रतिशत थी।

सन 2008 में बिहार की सड़कों की कुल लंबाई 82,959 कि.मी. थी। इसमें शामिल थे राष्ट्रीय उच्चपथ (4.50 प्रतिशत), राज्य उच्चपथ (4.81 प्रतिशत), प्रमुख जिला सड़कें (9.83 प्रतिशत), अन्य जिला सड़कें (4.60 प्रतिशत) और ग्रामीण सड़कें (76.26 प्रतिशत) (तालिका 4.3)। हालांकि अंतिम दो श्रेणियों की सड़कों के कुछ अंश पक्के नहीं हैं।

तालिका 4.3 : बिहार में सड़कों की लंबाई (2008)

श्रेणी	सड़क की लंबाई (कि.मी.)			प्रतिशत हिस्सा
	पक्का	कच्चा	कुल	
राष्ट्रीय उच्चपथ (एनएच)	3734.00	0.00	3734.00	4.57
राज्य उच्चपथ (एसएच)	3989.00	0.00	3989.00	4.81
प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर)	8156.00	0.00	8156.00	9.83
अन्य जिला सड़कें	2828.00	990.00	3818.00	4.60
ग्रामीण सड़कें	27400.00	35861.63	63261.63	76.26
कुल	46107.00	36851.63	82958.63	100.00

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

राज्य में सड़कों की लंबाई के मामले में अलग-अलग जिलों में काफी भिन्नताएं हैं। जैसा कि परिशिष्ट 2 में देखा जा सकता है, सड़कों की लंबाई के मामले में मुंगेर (119 कि.मी.), लखीसराय (136 कि.मी.) और शेखपुरा (152 कि.मी.) सबसे नीचे है, वहीं पटना (915 कि.मी.), सुपौल (789 कि.मी.), रोहतास (450 कि.मी.) और मुजफ्फरपुर (704 कि.मी.) सबसे ऊपर हैं। तालिका से यह भी पता चलता है कि बांका, जमुई और किशनगंज राष्ट्रीय उच्चपथ से बंचित है। दूसरी ओर, पटना (395 कि.मी.), मुजफ्फरपुर (229 कि.मी.) और मधुबनी (208 कि.मी.) इस मामले में सबसे आगे हैं।

<u>प्रकार एवं गुणवत्ता</u> : निरपवाद रूप से, सड़कों की गुणवत्ता का निर्धारण उन पर निर्मित सतह के आधार पर किया जाता है। बिहार में सड़कों का घनत्व कम तो है ही, उसकी गुणवत्ता भी निम्न स्तर की है। राज्य की आधा से भी कम सड़कों की सतह निर्मित (सर्फेस्ड) है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर इस श्रेणी की सड़कें लगभग 60 प्रतिशत हैं। धनाढ्य राज्यों में इसका अनुपात और भी ज्यादा है। राष्ट्रीय उच्च मार्गों की गुणवत्ता के मामले में भी, बिहार सबसे नीचे है। बिहार में फोरलेन तथा टूलेन राष्ट्रीय उच्चपथ अखिल भारतीय प्रतिशत (क्रमशः 9 तथा 56 प्रतिशत) के मुकाबले बहुत कम हैं (क्रमशः 5 एवं 38 प्रतिशत)। राज्य में एक लेन वाले राष्ट्रीय उच्चपथ लगभग 57 प्रतिशत हैं जबकि पूरे देश के स्तर पर ये 35 प्रतिशत हैं।
राष्ट्रीय औसत के बरअक्स बिहार के गांव उतने सुगम्य नहीं हैं। यह तथ्य के बावजूद है कि बिहार में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। लिहाजा, यहां शहरी इलाकों को ग्रामीण आबादी से जोड़ना अपेक्षाकृत कम खर्चीला है। फिर भी यहां सिर्फ 57 प्रतिशत बसाहटों के साथ सड़क संपर्क है। छोटी बसाहटें तो बिलकुल अछूती पड़ी हैं।

<u>सड़क नेटवर्क का उत्क्रमण</u> : राज्य के खराब सड़क नेटवर्क यहां के विकास में बड़े अवरोध रहे हैं। तथापि समूचे राज्य में इस अवरोध को क्रमिक तौर पर हटाया जा रहा है। सामान्यतया, राष्ट्रीय एवं राज्य उच्चपथ, जिला तथा अन्य सड़कों की तुलना में अच्छी गुणवत्ता के हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय 27 उच्चपथ राज्य के 35 जिलों से गुजरते हैं और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा निकटवर्ती उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ते हैं। राज्य सरकार राज्य के भीतर स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना पूरी करने के लिए जोर लगा रही है। राज्य में सड़क नेटवर्क के उत्क्रमण में राष्ट्रीय उच्चपथ-2 शामिल होगा जो कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है (205.7 कि.मी.) और यह लगभग पूरा होने को है। इसके अलावा, पूर्वी-पश्चिमी कॉरिडोर (513.3 कि.मी.) का काम प्रगति पर है और राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना-3 (एनएचडीपी 3) के अंतर्गत सड़क निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाएगा (890 कि.मी.)। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्चपथों को फोरलेन बनाने का काम भी शुरू किया जा रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय उच्चपथ के अतिरिक्त, राज्य उच्चपथ तथा प्रमुख जिला सड़कों को भी उत्क्रमित किया जाएगा। ग्यारहवीं योजना के दौरान लक्ष्य हासिल करने हेतु भी रणनीतियां बनाई गई हैं जिनमें अन्य चीजों के साथ-साथ परियोजना विकास, परियोजना प्रबंधन, रखरखाव नीति, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला तथा परियोजना कोषांग के लिए एक लचीले स्वायत्त निकाय का गठन शामिल है।

ग्यारहवीं योजना के लिए निम्नलिखित कार्ययोजना तैयार की गई है :

(1) देश के सर्वश्रेष्ठ सड़क नेटवर्क की तरह सड़क नेटवर्क का विकास।

(2) बिहार के 1,600 कि.मी. राष्ट्रीय उच्चपथ का फोर लेन में, सभी राज्य उच्चपथों का टू लेन में और सभी प्रमुख जिला सड़कों का मध्यवर्त्ती लेन में उत्क्रमण।

(3) पांच वर्षों के अंदर 500 से अधिक जनसंख्या वाले उन सभी गांवों को बारहमासी सड़क से जोड़ना, जिनका अभी तक कोई सड़क संपर्क नहीं है।

(4) सड़कों के रखरखाव संबंधी नई नीति का कार्यान्वयन, जैसे कुछ मार्गों पर चुंगी (टॉल) का आरंभ तथा सड़कों के रखरखाव के लिए राजस्व का इस्तेमाल।

(5) लैप्स न होने वाली सड़क निधि की स्थापना।

(6) विवादों के निपटारे के लिए एक केंद्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना।

(7) सड़क के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की मूल्यांकन एवं स्वीकृति प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु विशेष कोषांग की स्थापना।

(8) मुख्यालय तथा प्रमंडल में स्थित गुणवत्ता प्रयोगशालाओं का उत्क्रमण।

(9) सही समय पर सारी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग।

(10) सड़क उप-कर लगाने पर विचार।

राज्य सरकार ने इन सभी योजनाओं पर होने वाले खर्च का भी आक्लन किया है - राष्ट्रीय उच्चपथ पर 11,400 करोड़ रु., राज्य उच्चपथ पर 400 करोड़ रु. तथा प्रमुख जिला सड़कों पर 2,500 करोड़ रु. - कुल मिलाकर 17,000 करोड़ रु.।

4.2 मोटर वाहन

राज्य में पर्याप्त सड़क संरचना की मौजूदगी मोटर वाहन की उपलब्धता से भी जुड़ी हुई है। सन 1990 के मुकाबले 2007 में अखिल भारतीय स्तर पर मोटर वाहनों की संख्या में 197 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई; बिहार में यह बढ़ोत्तरी 239 प्रतिशत थी। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि राज्य में परिवहन की वृद्धि के अनुरूप सड़क नेटवर्क का विकास नहीं हुआ। जैसा कि तालिका 4.4 से पता चलता है, विगत तीन वर्षों में मोटर वाहनों की संख्या में कईगुना वृद्धि हुई है। पूर्व के वर्षों की तुलना में 2008-09 में पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2005-06 में यह संख्या 80,363 थी 2008-09 (दिसंबर 2008 तक) में बढकर 1,42,991 हो गई। वर्ष 2005-06 के बाद निबंधन शुल्क में कमी तथा अन्य कारगर उपाय इस बढ़ते रुझान के मुख्य कारण हैं।

तालिका 4.4 : निबंधित वाहनों की संख्या

वर्ष	ट्रक	बस	कार	टैक्सी	जीप	ऑटो	दोपहिया	ट्रैक्टर	ट्रेलर	अन्य	कुल
2005-06	579	113	5062	427	2321	3273	61333	3509	2440	1306	80363
2006-07	1989	921	7409	1326	4430	5027	112985	6160	5281	1781	147309
2007-08	2161	1276	7425	2744	3904	5523	110213	7609	5084	2563	148502
2008-09	2053	675	6961	2131	3511	4791	106618	6681	8561	1009	142991

टिप्पणी : वर्ष 2008-09 के आंकड़े दिसंबर 2008 तक के हैं

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

परिवहन विभाग ने 2005-06 में सबसे अधिक राजस्व 308.72 करोड़ रु. का संग्रह किया था जो 2006-07 में गिरकर 211.00 करोड़ रु. हो गया। राजस्व में कमी का मुख्य कारण था वर्ष 2006 में निबंधन शुल्क में कमी। विभाग ने 2007-08 में 245.83 करोड़ रु. और 2008-09 में दिसंबर 2008 तक 217.08 करोड़ रु. का संग्रह किया। (तालिका 4.5)

तालिका 4.5 : परिवहन विभाग द्वारा संग्रहित राजस्व

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ रु. में)	वास्तविक प्राप्ति (करोड़ रु. में)	राजस्व संग्रह का प्रतिशत
2001-02	160.00	133.10	83.19
2002-03	205.00	177.54	86.60
2003-04	275.00	217.91	79.24
2004-05	308.00	257.08	83.47
2005-06	310.00	308.72	99.60
2006-07	350.00	202.14	57.75
2007-08	375.00	245.83	65.55
2008-09 (दिसंबर 2008 तक)	314.19	217.08	69.09

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

राज्य में परिवहन सुविधाओं में सुधार लाने हेतु विभाग द्वारा ली गई नई पहलकदमियों की सूची परिशिष्ट 3 में दी गई है। इसके अलावा, विभाग ने वाहनों के प्रमाणन एवं राजस्व संग्रह को युक्तिसंगत बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- निबंधन हेतु वाहनों के प्रमाणन के लिए प्रदूषण एवं फिटनेस जाँच को अनिवार्य बना दिया गया है। इन बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी उद्यमों को फिटनेस जांच स्टेशन तथा प्रदूषण जांच स्टेशन के लिए 106 लाइसेंस दिए गए हैं। यह सुविधा मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा फिटनेस जांच की मौजूदा व्यवस्था के अलावा है।

- झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के साथ अंतर्राज्यीय समझौता करके अंतर्राज्यीय मार्गों पर परमिट जारी करने तथा नवीकरण की प्रक्रिया खास तौर से तेज कर दी गई है। अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ भी ऐसे समझौतों के लिए वार्ता जारी है।

- कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर/ ट्रेलर का इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए एकमुश्त कर भुगतान की योजना बनाई गई है।

मोटर वाहनों की संख्या में अपूर्व वृद्धि को देखते हुए प्रशासनिक, आर्थिक एवं पर्यटन जरूरतों के मुताबिक राज्य के सभी महत्वपूर्ण पथों को राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना (एनएचडीपी) के अंतर्गत फोर लेन में उत्क्रमित करना होगा। ऐसी सड़कों की सूची तालिका 4.6 में दी जा रही है।

तालिका 4.6 : उत्क्रमित किए जाने वाले महत्वपूर्ण पथ (कॉरिडोर)

पथ	लंबाई (कि.मी.)
मोहनिया-सासाराम-औरंगाबाद-डोभी-बरही पथ स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत दिल्ली-कलकता सड़क के अंग के बतौर	205.7 (एनएच-2-जीटी रोड)
पूर्वी-पश्चिमी कोरिडोर के अंग के रूप में गोपालगंज-मुजफ्फरपुर-दरभंगा-अररिया-किशनगंज पथ	513.3 (एनएच-28, 57)
हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवर्षा	138.20 (एनएच-77)
पिपरा कोठी-मोतिहारी-रक्सौल	67.00 (एनएच-28 ए)
पटना-हाजीपुर-छपरा	80.00 (एनएच-19)
आरा-बक्सर	74.00 (एनएच-84)
पटना-गया-डोभी	125.00 (एनएच-83)
बख्तियारपुर-मोकामा	255.00 (एनएच-31)
मोकामा-मुंगेर	70.00 (एनएच-80)
बख्तियारपुर-फतुहा-पटना-आरा	100.80 (एनएच-30)
छपरा-गोपालगंज	92.00 (एनएच-85)
फारबिसगंज-जोगबनी	13.00 (एनएच-57 ए)
कुल	1,734

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित सड़कों को फोर लेन में बदलने के लिए चिन्हित किया गया है :

- बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-नवादा-रजौली
- गया-बोधगया-राजगिर-नालंदा-बिहारशरीफ (बौद्ध परिपथ विकास कार्यक्रम के अंतर्गत)
- मुंगेर-भागलपुर
- बिहटा-महाबलीपुर-औरंगाबाद

पुल : बरसात के मौसम में बिहार में अधिकांश सड़क नेटवर्क पानी में डूब जाते हैं और ध्वस्त हो जाते हैं। इस प्रकार नियमित आवागमन बाधित हो जाता है। यह राज्य के मंथर गति से विकास का एक मुख्य कारण है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम राज्य में पुलों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। सन 1975 में यह निगम राज्य सरकार की कंपनी के रूप में गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है : (1) पुल तथा सड़कों का निर्माण, (2) पुलों का रखरखाव तथा (3) चुंगी संग्रह।

शुरुआत में निगम ठीक से काम कर रहा था लेकिन नवें दशक के अंत में यह लगभग मृतप्राय हो गया। सन 2002-03 में इसका मूलधन घटकर (-) 13.17 करोड़ रु. हो गया था और 2005-06 तक यह नकारात्मक बना रहा। हालांकि 2006-07 से इसमें सकारात्मक रुझान आने लगे जब इसका मूलधन 3.25 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2004-05 में कर चुकता करने के बाद इसका मुनाफा लगभग नकारात्मक था, वहीं 2005-06 में यह 5.34 करोड़ रु. और 2006-07 में दोगुना बढ़कर 11.19 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2007-08 में यह अपने सभी संचित घाटों से उबर गया और 410.00 करोड़ टर्नओवर के साथ इसका मुनाफा 23.00 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका विस्तृत विवरण तालिका 4.7 में दिया जा रहा है।

तालिका 4.7 : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की अचल परिसंपत्ति, टर्नओवर और मुनाफा

(करोड़ रु.)

वर्ष	अचल परिसंपत्ति	मूलधन	टर्नओवर (कार्य निष्पादन)	कर भुगतान के बाद मुनाफा
2002-03	2.83	-13.17	17.99	-2.62
2003-04	2.62	-12.73	42.75	0.53
2004-05	2.43	-12.82	42.62	0.02
2005-06	2.44	-7.67	57.38	5.34
2006-07	3.80	3.25	95.88	11.19
2007-08 (अनुमानित)	7.20	23.25	410.00	23.00

वर्तमान में राज्य उच्चपथ पर 1,055 तथा प्रमुख जिला सड़कों पर 3,049 छोटे-बड़े पुल हैं। राज्य में गंगा करीब 400 कि.मी. का रास्ता तय करती है लेकिन इस पर केवल 4 पुल हैं। बेहतर संपर्क सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की प्रमुख नदियों पर प्रत्येक 50 कि.मी. की दूरी पर पुल हों। ग्यारहवीं योजना के

दौरान 2,810 करोड़ रु. की लागत से राज्य की प्रमुख नदियों पर 18 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा, छोटी नदियों पर भी पुल निर्माण का प्रस्ताव है।

योजना, गैर-योजना और राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत निगम ने नवंबर 2007 से अब तक 78 बड़े पुलों का निर्माण किया है। वर्तमान में निगम मुख्यमंत्री सेतु निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत 1,132 करोड़ रु. की लागत से 517 योजनाओं को लागू कर रहा है। इनमें 113.17 करोड़ रु. की लागत पर 169 पुलों का काम पूरा हो चुका है। 307 करोड़ रु. की लागत से 8 रेल ऊपरिपुलों का भी निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा, 352 करोड़ रु. की लागत से 39 प्रमुख सड़क पुलों का भी निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस प्रकार, वर्तमान में निगम 2,700 करोड़ रु. की योजनाएं लागू कर रहा है।

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान 1,844 योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य है। इनमें 25 लाख रु. तक की लागत से बनने वाले 1,319 पुलों का निर्माण जिला प्रशासन करेगा और शेष 525 पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगा। बिगत दो वर्षों की उपलब्धियों को देखते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को सफलता की कहानियों में शुमार किया जा सकता है। यह आशा की जाती है कि अपनी पेशेवर क्षमता में बढ़ोत्तरी से लैस निगम मजबूत अधिसंरचना के विकास में महती भूमिका निभाएगा।

4.3 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

राज्य सरकार ने पुलिस महकमे की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए सन 1974 में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम स्थगित की थी। निगम ने कुछ अत्यंत प्रतिष्ठित भवनों समेत कई पुलिस भवनों का निर्माण किया। अनेक वर्षों तक सुषुप्तावस्था में पड़े रहने के बाद निगम को 4 अप्रैल 2007 को पुनर्जीवित किया गया। संगठन में जीवनी शक्ति का संचार करने के लिए राज्य सरकार ने कई मुकम्मल योजनाएं स्वीकृत कीं और इनके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि मुहय्या कराई। इसके अलावा, पुलिस भवनों के रखरखाव की जिम्मेवारी भी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सौंप दी गई।

राज्य सरकार ने नये थानों, आवासीय समेत अन्य भवनों तथा पुराने भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु, 89. 67 करोड़ रु मुहैय्या कराए हैं। इसके अलावा, निगम को प्रत्येक जिला में 1.28 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से मॉडल थाना बनाने का काम सौंपा गया है।

निगम प्रबंधन ने अपनी जिम्मेवारियों को कारगार ढंग से पूरा करने के लिए एक ओर अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाने हेतु कई कदम उठाएं हैं और दूसरी ओर सामान्य प्रशासन एवं वित्तीय प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त किया है। अब तक 40 कनीय अभियंताओं की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा चुकी है और उन्हें निर्माण कार्यों की देखभाल हेतु हर जिला पदस्थापित कर दिया गया है। साथ ही, जिला पुलिस प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय और आरक्षी भवनों की त्रुटिरहित गुणवत्ता के लिए कनीय अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं के कार्यालय अपने-अपने जिला आरक्षी कार्यालयों में अवस्थित हैं। इस प्रकार निगम का ग्रासरूट तकनीकी प्रभाग

जिला पुलिस प्रशासन के सीधे कमांड एवं नियंत्रण में आ जाता है। कार्यक्षम वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप, निगमकर्मियों कई पुरानी वित्तीय मांगें पूरी की गई हैं।

वर्ष 2008-09 के दौरान 36 ग्रामीण थानों (वर्ग-3), शहरी थानों (वर्ग-4) तथा 34 मॉडल थानों के लिए नए भवनों के निर्माण, प्रशिक्षण केंद्रों की अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के विस्तार, विभिन्न कर्मियों हेतु 600 आवासीय इकाईयों के निर्माण, वरीय पुलीस अधिक्षक कार्यालय, पटना तथा राजगीर में नए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के भवन निर्माण, तथा निकट भविष्य में राज्य पुलिस के लिए भवन अधिसंरचना के निर्माण से भविष्य में पुलिस हेतु भवन संरचना में बहुत मदद मिलेगी। परिशिष्ट 3 में इन योजनाओं के विस्तृत विवरण दिए गए हैं। वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान निगम के आय-व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका 4.8 में दिया जा रहा है।

तालिका 4.8 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का आय-व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (अनुमानित)	2009-10 (प्रत्याशित)
निगम का कुल व्यय	3,98.86	7,58.00	15,25.00
निगम की कुल आय	3,90.85	8,55.92	19,75.00
परिचालन आय	55.65	3,05.92	11,25.00
गैर-परिचालन आय	3,35.20	5,50.00	8,50.00

4.4 ऊर्जा प्रक्षेत्र

सन 1951 से भारत के ऊर्जा क्षेत्र का प्रभावशाली विस्तार एवं विकास हुआ है। हालांकि बिहार में यह प्रक्षेत्र प्रति व्यक्ति बिजली खपत समेत तमाम सूचकों के मामले में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे रहा है।

<u>अधिष्ठापित क्षमता</u> : पूरे भारत में 1.46 लाख मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है जिसमें ताप विद्युत लगभग 64 प्रतिशत और जलविद्युत करीब 25 प्रतिशत है। इसके अलावा, यहां वायु/ नवीकरणीय ऊर्जा तथा परमाणु बिजली संयंत्र भी हैं। लेकिन उनकी अधिष्ठापित क्षमता बहुत कम है। अखिल भारतीय परिदृश्य को देखते हुए बिहार की तस्वीर बहुत निराशाजनक है (तालिका 4.9)। राज्य में कुल अधिष्ठापित क्षमता 592 मेगावाट है जिसमें ताप बिजली संयंत्रों का अंश सबसे ज्यादा है (91 प्रतिशत)। जलविद्युत एवं नवीकरणीय उर्जा का अनुपात नगण्य है। (क्रमशः 8 एवं 1 प्रतिशत)।

तालिका 4.9 भारत तथा बिहार की अधिष्ठापित विद्युत क्षमता (2008)

	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)				
	जल विद्युत	ताप विद्युत	परमाणु विद्युत	नवीकरणीय ऊर्जा	कुल
भारत	36347.7	92892.6	4120	12194.5	145555
बिहार	47.1	540	–	5.0	592.1

जल विद्युत एवं ताप विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा नीचे तालिका 4.10 में दिया जा रहा है।

तालिका 4.10 बिहार में बिजलीघरों की अधिष्ठापित क्षमता

बिजली घरों के नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अभिकरण
जलविद्युत		बीएसएसपीसी*
कोसी (4 X 4.8)	19.2	बीएसएसपीसी
पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर (2 × 1.65 + 4 × 1.65)	9.9	बीएसएसपीसी
पूर्वी गंडक नहर (3 × 5)	15	बीएसएसपीसी
अगनूर	1.0	बीएसएसपीसी
ढेलाबाग	1.0	बीएसएसपीसी
नासरीगंज	1.0	बीएसएसपीसी
कुल जलविद्युत	**47.1**	
तापीयविघुत		
बरोनी (2 × 50 +2 ×110)	320	बीएसईबी
मुजफ्फरपुर (2 × 110)	220	बीएसईबी**
कुल ताप विद्युत	**540**	

* बीएसइबी ने 16 नवंबर, 2003 को परियोजना बीएसएचपीसी को हस्तांतरित कर दी।

** अब नए संयुक्त उपक्रम कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड को हस्तांतरित।

स्रोत : बिहार के विद्युत प्रक्षेत्र पर विशेष कार्यदल की रिपोर्ट, भारत सरकार, 2007

<u>केंद्रीय विद्युत संयंत्रों में बिहार का हिस्सा</u> : बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत 70 प्रतिशत उत्पादन क्षमता झारखंड में चली गई। लिहाजा वर्तमान बिहार पर 70 प्रतिशत अतिरिक्त भार आ गया। राज्य में फिलहाल बरौनी और मुजफ्फरपुर स्थित दो ताप विद्युत केंद्र है जिनकी हालत खराब है और लगभग न के बराबर बिजली उत्पादन होता है। अत: बिहार विद्युत के लिए पूरी तरह केंद्र पर आश्रित है। जैसा कि तालिका 4.11 में दर्शाया गया है, 8 केंद्रीय विद्युत केंद्रों की लगभग 25 प्रतिशत बिजली बिहार को दी जाती है।

तालिका 4.11: केंद्रीय विद्युत केंद्रों से बिहार को प्राप्त बिजली

केंद्रों के नाम	क्षमता (मेगावाट)	बिहार का हिस्सा	
		मेगावाट	प्रतिशत
फरक्का एसटीपीएस	1600	393.92	24.62
तलचर एसटीपीएस	1000	370.00	37.00
कहलगांव एसटीपीएस-1	840	190.76	22.71
कहलगांव एसटीपीएस-2	500	33.35	6.67
टाला एचपीएस	1020	260.10	25.50
चूखा एचपीएस	270	80.00	29.63
रंगित एचपीएस	60	21.00	35.00
तिस्ता एचपीएस	510	108.38	21.25
कुल	5800	1457.51	25.13

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसइबी)

राज्य में बिजली की घोर किल्लत है और सिर्फ 41 प्रतिशत गांवों और 10 प्रतिशत घरों का ही विद्युतीकरण हो पाया है। राज्य में बिजली की अधिकतम उपलब्धता करीब 950 मेगावाट है। इस प्रकार 550 मेगावाट की कमी रह जाती है, जिसके कारण सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बिहार में सिर्फ 592 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता है जिसमें 540 मेगावाट ताप विद्युत, 47 मेगावाट जलविद्युत और 5 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा है। मगर इसके अपने ताप विद्युत केंद्रों का उत्पादन नगण्य है, अत: अधिकांश विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति केंद्रीय उत्पादन से खरीदकर की जाती है।

वर्ष 2005 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत सिर्फ 76 यूनिट थी जबकि राष्ट्रीय औसत था 612 यूनिट (तालिका-4.12)। राष्ट्रीय विद्युत नीति का लक्ष्य 2012 तक इसे बढ़ाकर 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति करना है। बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्पादन बढ़ाकर तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को लागू कर यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत केंद्र सरकार के अनुदान से 2009 तक सभी गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है।

तालिका 4.12 : बिहार तथा भारत में बिजली की खपत (2005)

	भारत	बिहार
विद्युतीकृत गांव (%)	84	41
घरों का विद्युतीकरण (%)	55.8	10.3
प्रति व्ययक्ति (यूनिट)	612	76

<u>ऊर्जा आपूर्ति</u> : राज्य में विगत वर्षों विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति में सुधार हुआ है, हालांकि अभी भी ऊर्जा की व्यापक कमी है। वर्ष 2006-07 में 104.9 करोड़ यूनिट (11.49 प्रतिशत) की कमी थी जो अगले साल बढ़कर 147.1 करोड़ यूनिट हो गई (15.31 प्रतिशत)। 2008-09 में ययावत स्थिति रहने की उम्मीद है।

तालिका 4.13 बिहार में ऊर्जा आपूर्ति - खपत पैटर्न

ऊर्जा (10 लाख यूनिट)

आहरण /खपत	2006-07	2007-08	2008-09 (अक्तूबर 08 तक)
केंद्रीय प्रक्षेत्र से आहरण	8051.511	8004.186	4812.94
बोर्ड का उत्पादन	26.593	114.353	28.563
बोर्ड को केबीयूएनएल द्वारा उत्पादित	00.00	20.711	66.851
बोर्ड को चीनी मिल द्वारा उपलब्ध	00.00	2.315	2.895
पूरित मांग	8078.104	8141.565	4911.248
ऊर्जा आवश्यकताएं	9126.900	9613.000	अनुपलब्ध
ऊर्जा की कमी	1048.796	1471.435	अनुपलब्ध
ऊर्जा की कमी (%)	11.49	15.31	अनुपलब्ध

स्रोत: बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसइबी)

वर्ष 2004-05 में विभिन्न श्रेणियों के 22.5 लाख से भी अधिक उपभोक्ता थे। इनमें सबसे बड़ी श्रेणी घरेलू उपभोक्ताओं (17.3 लाख) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (2.7 लाख) की थी। शेष श्रेणियों के उपभोक्ताओं के विवरण नीचे तालिका 4.14 में प्रदर्शित हैं।

तालिका 4.14 श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या

उपभोक्ताओं की श्रेणी	31 मार्च तक उपभोक्ताओं की संख्या					
	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
घरेलू या आवासीय	1600631	1735982	1319096	1465290	1519806	1733195
वाणिज्यिक	326423	336942	245241	243430	255705	266672
औद्योगिक						
(क) निम्न एवं मध्यम वोल्टेज	88434	91216	70207	62879	62440	68098
(ख) उच्च वोल्टेज	1710	1778	810	855	870	861
ट्रैक्शन	16	16	7	12	12	12
सिंचाई	274671	276953	251180	172086	172141	17498
सार्वजनिक जलापूर्ति एवं जलमल निकासी	1391	1449	1187	1199	1208	1203
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	6108	6108	4069	1478	1480	1500
लाइसेंसशुदा वितरकों को थोक आपूर्ति	1	1	1	1	1	1
योग	**2299385**	**2450445**	**1891798**	**1947230**	**2013663**	**2246522**

<u>ग्रामीण विद्युतीकरण</u> : राज्य में कुल 39,015 गांव है, जिनमें 2006 तक 20,503 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था। इससे यह पता चलता है कि 2005 के 41 प्रतिशत के मुकाबले 2006 में थोड़ा अधिक, 50 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ। राज्य के 38 में से 9 जिलों में एक भी गांव ऐसा नहीं है, जहां विद्युतीकरण हुआ हो। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकार (ब्रेडा) बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली के लिए जवाबदेह है। ब्रेडा को ही राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नोडिल एजेंसी बनाया गया है। यह दूर अगम्य गांवों में विद्युतीकरण का काम करेगा। ऐसे गांवों का प्रारंभिक सर्वेक्षण आरंभ हो चुका है। चयनित गांवों एवं घरों में

केंद्र सरकार के कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत बिजली पहुंचाई जाएगी।

ऊर्जा आवश्यकता पूर्वानुमान : बिहार के विद्युत प्रक्षेत्र पर केंद्र सरकार के विशेष कार्यदल की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 तक ऊर्जा आवश्यक्तओं का पूर्वानुमान किया गया है (तालिका 4.15)। इसमें स्पष्ट रूप से उच्चतम भार तथा ऊर्जा आवश्यकता के बीच अंतराल को निर्दिष्ट किया गया है। इस पूर्वानुमान में वर्ष 2021-22 तक उच्चतम भार को छ:गुना बढ़ाने पर बल दिया गया है ताकि ऊर्जा आवश्यकता की बराबरी की जा सके।

तालिका 4.15: ऊर्जा आवश्यकता : पूर्वानुमान

वर्ष	उच्चतम भार (मेगावाट)	ऊर्जा आवश्यकता (10 लाख यूनिट)
2006-07	1570	9629
2007-08	1842	11194
2008-09	2177	12874
2009-10	2575	14886
2010-11	3046	17213
2011-12	3607	19905
2016-17	5598	32857
2021-22	9567	58248

स्रोत : बिहार के विद्युत प्रक्षेत्र पर विशेष कार्य दल की रिपोर्ट, भारत सरकार, 2007

संचरण (ट्रांसमिशन) :- बीएसइवी अपने 7 क्षेत्रीय बोर्डों के माध्यम से बिहार में विद्युत आपूर्ति करता है। उप-संचरण एवं वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई चरणों में लागू की जाने बाली एक व्यापक योजना बनाई गई है। इसके बारे में तालिका 4.16 और 4.17 में ब्यौरे दिए जा रहे है।

तालिका 4.16 : बिहार उप-संचरण योजना का चरणबद्ध कार्यान्वयन

चरण	स्वीकृत अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	कार्य की स्थिति	अभिकरण द्वारा कार्यान्वयन	अभ्युक्तियां
चरण-1	552.00	संबद्ध ट्रांसमिशन लाइनों के साथ 18 उप केंद्रों का निर्माण	पीजीसीआइएल	संपन्न
चरण-2				
चरण-1	629.22 (मूल) 1005.72 (पुनरीक्षित)	**पीजीसीआइएल का अंश** संबद्ध ट्रांसमिशन लाइनों के साथ 9 नं. जीएसएस का निर्माण, पुरानी लाइनों का पुनर्निर्माण, 22 नं. जीएसएस का विस्तार तथा पीजीसीआइएल द्वारा बनाए जाने वाले सर्किट आदि के तार तानना (स्ट्रिंगिंग)	पीजीसीआइएल	कार्यान्वय के स्तर पर
		बीएसईबी का अंश बेगूसराय जीएसएस का स्पिल-ओवर कार्य बेगूसराय-पूणिया लाइन तथा 8 नं. जीएसएस का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण **बीएसइवी द्वारा** - बेगूसराय जीएसएस तथा 4 नं. जीएसएस का मरम्मत एवं रखरखाव कार्य जारी - बेगूसराय-पूर्णिया लाइन तथा जीएसएस के लिए निविदा अंतिम चरण में - 4 नं. जीएसएस के मरम्मत व रखरखाव के लिए निविदा पुन: आमंत्रित	बीएसइबी	कार्यान्वय के स्तर पर
चरण-2	1240.86	**चरण-2 के भाग-2 के अंतर्गत स्वीकृत**		कार्यान्वयन के स्तर पर
		पीजीसीआइएल का अंश संबद्ध लाइनों के साथ 16 नं. जीएसएस का निर्माण, 12 नं. जीएसएस आदि का विस्तार	पीजीसीआइएल	कार्य सुपुर्द आरंभिक गतिविधि शुरू
		बीएसइबी का अंश हाजीपुर जीएसएस का स्पिल-ओवर कार्य, ओवर हेड गंगा क्रासिंग आदि का पुन:स्थापन	बीएसइबी	निविदा आमंत्रित। निविदा प्रक्रियाधीन

तालिका 4.17 : 31 दिसंबर, 2007 को उप-संचरण योजनाओं की वित्तीय स्थिति

विवरण	राशि (करोड़ रु.)		
	चरण-1	चरण-2 भाग-1	चरण-2 भाग-2
कुल स्वीकृत परियोजना लागत	552.40	1005.72	1240.86
प्राप्त निधि	552.40	409.66	
अभिकरण को भुगतान	442.00	393.00	
उपलब्ध निधि	110.40	16.66	

<u>भावी विद्युत उत्पादन</u> : राज्य सरकार राज्य की विद्यमान दयनीय विद्युत स्थिति के प्रति चिंतित है और स्थिति को दुरुस्त करने के लिए नए प्रयास कर रही है। बीएसइबी और बीएसएचपीसी ने कुल 4,146 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाले 2 तापविद्युत संयंत्र और 6 जलविद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इन प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के विवरण तालिका 4.18 में दिए जा रहे है।

तलिका 4.18: नए प्रस्तावित विद्युत संयंत्र

परियोजना के नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अभिकरण
जलविद्युत		
इंद्रपुरी जलाशय	450	बीएसएचपीसी
तेलहर कुंड पीएसएस	400	बीएसएचपीसी
सिनाफदर पीएसएस	345	बीएसएचपीसी
पंचगोटिया पीएसएस	225	बीएसएचपीसी
हाथीदह-दुर्गावती पीएसएस	1600	बीएसएचपीसी
डगमारा बराज	126	बीएसएचपीसी
उप-योग	**3146**	
तापविद्युत		
बरौनी विस्तार	500	बीएसइबी
मुजफ्फरपुर विस्तार	500	बीएसइबी
उप-योग	**1000**	
योग	**4146**	

बीएसईबी तथा एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत औरंगाबाद जिला के नबीनगर में एक नया विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। इसके अलावा, बक्सर के चौसा, लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सार्वजनिक-निजी साझेदारी से तीन तापविद्युत संयंत्रों की स्थापना प्रस्तावित है। रजौली में 2,800 मेगावाट क्षमता वाले एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है जिसके लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जा चुका है। (परिशिष्ट 5)

ग्यारहवीं योजना के दौरान बिहार में बिजली की मांग काफी जोर पकड़ने वाली है। इसलिए कि बिहार आरजीजीवीवाई योजना का प्रमुख लाभार्थी है जिसके अंतर्गत नए गांवों एवं घरों तक बिजली पहुंचाई जानी है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति, 2006 के मद्देनजर भी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बिजली की मांग में भारी बढ़ोत्तरी के आसार हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति में राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत प्रक्षेत्र को एक समर्थकारी ढांचा प्रदान किया गया है। ग्यारहवीं योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी विशिष्ट जरूरतों को देखते हुए राज्य स्तर पर भी विद्युत नीति बनाई है। राज्य सरकार ने बीएसईबी के क्रियाकलापों में सुधार हेतु बिहार विद्युत सेवा को विस्तार देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत : बिहार में खास कर बायोमास तथा लघु जलविद्युत क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का काफी महत्व है। अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रमुखता के लिहाज से बिहार में ऐसी ऊर्जा टिकाऊ और आर्थिक रूप से जीवनक्षम दोनों है। फिर, चूंकि बिहार के पठारी एवं नदीतटीय क्षेत्रों में हवा पर्याप्त गति से बहती है, अत: राज्य वायु ऊर्जा उत्पादन के लिए भी उपयुक्त है। शीघ्र ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की स्वीकृति से बिहार में वायु ऊर्जा की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं में स्थानीय निजी भागीदारी को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं तथा विकेंद्रित वितरण उत्पादन (डीडीजी) भी शामिल किए जा सकते हैं।

विद्युत सुधार

राज्य सरकार विद्युत प्रक्षेत्र में कतिपय सुधारों के निमित्त सोच रही है। इनमें कुछ निम्नलिखित हैं :

(1) निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के जरिए उत्पादन एवं वितरण का विस्तार।

(2) अगले पांच वर्षों में औसत संचरण एवं वाणिज्यिक क्षति में 5 प्रतिशत की वार्षिक कमी।

(3) क्रास सबसिडी की समाप्ति तथा लागत की वसूली।

(4) बोर्ड 8 कंपनियों में पुनगर्ठित किया जा रहा है। विद्युत वित्त निगम ने प्रस्तावित पुनर्गठन हेतु सलाहकारों की नियुक्ति की है।

(5) राज्य नियामक आयोग मौजूद है और विद्युत दर (टैरिफ) के पुनरीक्षण हेतु आवेदन दिया जा चुका है।

(6) उपभोक्ता सेवाओं में सुधार तथा राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सभी 11 केबी वितरण लाइनों के लिए फ्रेंचाइजी नियुक्त किया जाना है। रखरखाव छोटी-मोटी मरम्मत, फ्यूज कॉल, बिल बनाने तथा राजस्व संग्रह के लिए ऐसी 31 लाइनें निजी समूहों को सौंप दी गई हैं। इनमें अधिकांश जगहों पर राजस्व संग्रह में अच्छी खासी वृद्धि हुई है और कुछ जगहों पर तो यह लगभग शत-प्रतिशत हो गया है।

4.5 सिंचाई

बिहार की अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप से कृषि पर आधारित है, अतः इसके समग्र विकास के लिए सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि राज्य आर्द्र क्षेत्र में अवस्थित है और यहां सालाना करीब 1,200 मिलीमीटर वर्षा होती है जो खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त है। लेकिन वर्षापात और उसका फैलाव अत्यंत अनियत एवं मौसमी चरित्र का है। लिहाजा मौनसून की अनिश्चितता से कृषि को उबारने तथा बहुफसली खेती के लिए सुनिश्चित सिंचाई जरूरी है। यह बिहार में कृषि विकास की अनिवार्य शर्त है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सिंचाई की समस्त संभावनाओं का आकलन किया जाना चाहिए। भूतल एंव भूगर्भ, दोनों जलस्रोतों की दृष्टि से राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता 103 लाख हेक्टेयर है जो भारत के 1,400 लाख हे. सिंचाई संभाव्यता का 7.34 प्रतिशत है। इस प्रकार राज्य में पर्याप्त सिंचाई क्षमता है जिसके जरिए फसल सघनता को 143 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 200 प्रतिशत किया जा सकता है।

बिहार में कुल सिंचाई क्षमता 98.38 लाख हेक्टेयर भूमि की है जिसमें 53.53 लाख हेक्टेयर बड़ी एवं मंझोली सिंचाई तथा 49.56 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। विभिन्न स्रोतों के अंतर्गत स्रोतवार सिंचाई क्षेत्रफल का विवरण तालिका 4.19 में दिया जा रहा है।

तालिका 4.19 : स्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल

(हजार हेक्टेयर)

वर्ष	बड़ी/ मंझोली सिंचाई	लघु सिंचाई					
		नहरी भूतल मंझोली सिंचाई	तालाब (आहर-पइन प्रणाली समेत)	नलकूप (निजी एवं राजकीय)	अन्य कूप (सिंचाई कुंआ)	अन्य स्रोत (लघु सिंचाई एवं डेंगी लघु सिंचाई)	कुल
2000-01	1211.55	29.22	332.56	2310.06	145.84	3.26	2820.93
2001-02	1082.03	23.25	332.56	2308.71	145.79	3.56	2813.87
2002-03	1150.12	28.69	332.56	2474.77	145.79	3.20	2985.00
2003-04	1170.36	34.88	332.56	2650.38	145.79	1.95	3165.56
2004-05	1043.47	17.56	431.21	2664.00	121.01	6.23	3240.01
2005-06	998.30	19.86	332.56	2643.21	145.79	28.23	3169.65
2006.07	1086.79	29.34	332.56	2710.60	145.79	23.33	3241.52
2007-08	1155.79	29.80	332.56	2701.19	145.79	15.12	3224.45
2008-09	1263.43	अनुपलब्ध					

स्पष्टीकरण :

नहरी भूतल मंझोली सिंचाई : मंझोली सिंचाई के क्षेत्र में बांध, स्लुइस गेट, डैम आदि योजनाएं

आहर-पईन समेत तालाब : सिंचाई तालाब तथा आहर-पईन (मंझोली सिंचाई प्रक्षेत्र में परंपरागत सिंचाई प्रणाली)

नलकूप : इसमें 70 मी. से अधिक गहरे (150 मि.मी. से 200मि.मी.) व्यास वाले राजकीय नलकूप तथा 70 मीटर से अधिक गहरे 100 मि.मी. व्यास वाले निजी नलकूप, दोनों शामिल हैं।

अन्य स्रोत : अधिकांशत : भूतल उद्वह सिंचाई योजनाएं शामिल हैं जैसे डेंगी के जरिए पानी उलीचने की व्यवस्था, स्थायी पंप हाउस या स्थायी नदी पंप सेट

ऊपर की तालिका में यह देखा जा सकता है कि आधे से अधिक क्षेत्र लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित होते हैं और 98 प्रतिशत लघु सिंचाई स्रोत नलकूप हैं। चूंकि राजकीय नलकूपों की संख्या बहुत कम है इसलिए बिहार में सिंचाई स्रोत के रूप में निजी नलकूपों का बहुत महत्व है। वर्ष 2006-07 में 5,556 राजकीय नलकूपों में से 5,130 काम कर रहे थे। इसी तरह, 10.97 लाख निजी नलकूपों में से 9.55 लाख क्रियाशील थे। ऊपर की तालिका से यह भी पता चलता है कि विगत वर्षों बड़े/ मंझोले सिंचाई स्रोतों के अंतर्गत क्षेत्रफल में उतार-चढ़ाव होता रहा है। लघु सिंचाई के विभिन्न संघटकों में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हुई है।

<u>नदी जोड़ योजना</u> : राज्य बाढ़ तथा सुखाड़, दोनों की स्थायी समस्या से पीड़ित है। पूरा उत्तरी बिहार बार-बार आने वाली बाढ़ों की आशंका से त्रस्त है, तो दक्षिण भाग विकट अकाल से । इन खतरों के मद्देनजर, राज्य में समुचित जल प्रबंधन के लिए नदी जोड़ योजना को सार्थक पहल के तौर पर चिन्हित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि राज्य को अंतर्राज्यीय नदी जोड़ योजना के बजाय राज्य के भीतर नदियों को जोड़ने की योजना पर अमल करना चाहिए।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आलोक में राज्य सरकार ने बाढ़ प्रक्षेत्र के लिए 4 योजनाएं और सिंचाई प्रक्षेत्र हेतु 9 योजनाएं चिन्हित की है तथा कुछ और योजनाएं तैयार की जा रही हैं। राज्य सरकार ग्यारहवीं योजना अवधि के पूवार्द्ध के दौरान राज्य के भीतर चिन्हित नदी जोड़ योजनाओं का व्यवहार्यता अध्ययन करने की योजना बना रही है। योजनाओं के प्राथमिकता निर्धारण के उपरांत, इन्हें ग्यारहवीं योजना के महत्वपूर्ण संघटक के तौर पर कार्यान्वित किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार से मदद मांगी जाएगी।

<u>त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआइवीपी)</u> : केंद्र सरकार ने 1996-97 में आरंभ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त ऋण 2007-08 से अनुदान माने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई योजनाओं की सूची एवं उनकी स्थिति के बारे में विवरण तालिका 4.20 में दिए जा रहे हैं।

तलिका 4.20 : बिहार में एआइवीपी योजनाओं की स्थिति

परियोजना का नाम	समावेश का वर्ष	स्थिति
पश्चिमी कोशी नहर परियोजना	1996-97	कार्य प्रगति पर
ऊपरी किऊल जलाशय, परियोजना	1996-97	संपन्न
दुर्गावती जलाशय परियोजना	1996-97	वन विभाग से अनुमति के अभाव में लंबित
ओरनी जलाशय परियोजना	1997-98	संपन्न
बिलासी जलाशय परियोजना	1997-98	संपन्न
बानसागर जलाशय परियोजना	1997-98	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित
सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना	1998-99	कार्य प्रगति पर
बटाने जलाशय परियोजना	2000-01	कार्य प्रगति पर
पुनपुन बराज परियोजना	2007-08	कार्य प्रगति पर

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, 9 परियोजनाओं में से 3 – बिलासी जलाशय परियोजना, ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना तथा ओरनी जलाशय परियोजना पूरी हो चुकी है और बाकी 6 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एआइवीपी के अंतर्गत बिहार में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के व्यय विवरण तालिका 4. 21 में प्रस्तुत हैं। ऊपर की तालिका से जाहिर होता है कि इन 6 परियोजनाओं के तहत 2007–08 तक लगभग 1,973 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है।

तालिका 4.21 : एआवीपी के अंतर्गत जारी परियोजनाओं के व्यय

(करोड़ रु.)

परियोजना के नाम	कुल आकलित लागत/ वर्ष	मार्च 2008 तक प्राप्त सीएलए	मार्च 2008 तक कार्यों पर व्यय	कार्य समाप्ति की लक्षित तिथि	अधिकतम सिंचाई क्षमता	मार्च 2008 तक सृजित क्षमता (हजार हे. में)
पश्चिमी कोशी नहर परियोजना	1383.02/06	212.968	627.78	जून, 09	234.80	150.000
दुर्गावती जलाशय परियोजना	529.38/02	65.09	268.115	मार्च, 09	36.317	16.020
सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना	745.54/05	163.749	498.209	दिसंबर, 08	906.412	890.000
बटाने जलाशय परियोजना	63.00/04	3.335	66.501	मार्च, 09	9.870	7.380
पुनपुन बराज परियोजना	199.41/05	11.25	38.97	मार्च, 09	13.680	0
बानसागर जलाशय परियोजना (राज्य का हिस्सा)	263.74/98	83.500	219.562	–	सोन नहर की 909.41 हजार हे. भूमि का स्थिरीकरण	

<u>लघु सिंचाई</u> **:** सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु सिंचाई के माध्यम से करीब 1.65 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी और 4 लाख हेक्टेयर समाप्त सिंचाई क्षमता पुन:स्थापित की जाएगी। इन योजनाओं में सिंचाई की परंपरागत पद्धतियों – आहर तथा पईन का भी नवीकरण एवं पुन: स्थापन किया जाएगा। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में मरम्मत, नवीकरण एवं पुन:स्थापन के जरिए आरआइडीफ (चरण 12) की भूजल परियोजनाएं पूरी की जाएगी और इस प्रकार 80 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित की जाएगी। आरएसवीवाइ के तहत लगभग 8,000 आहर व पईन की मरम्मत एवं नवीकरण करके 4 लाख हेक्टेयर समाप्त सिंचाई क्षमता पुन:स्थापित की जाएगी।

सिंचाई हेतु भूगर्भ जल संसाधनों की अधिकतम सिंचाई क्षमता 48.57 लाख हेक्टेयर है जिसमें 29 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता 2006–07 तक सृजित की जा चुकी है। इसी तरह, आहर–पाईन समेत भूजल योजना के अंतर्गत 15.44 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में से 7.27 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पहले ही अर्जित की जा चुकी है। जैसा कि तालिका 4.22 में द्रष्टव्य है, लघु सिंचाई के अंतर्गत कुल 64.01 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में से 36.26 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा चुकी है और 31.70 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जा चुका है।

तालिका 4.22 : बिहार में लघु सिंचाई क्षमता और उसका उपयोग (क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर)

बिहार में लघु सिंचाई क्षमता	
आहर-पइन समेत पारंपरिक भूजल परियोजना	15.44
खुले कुंओं, उथले नलकूपों तथा गहरे कुंओं हेतु भूगर्भ जल योजनाएं	48.57
कुल	**64.01**
प्राप्त लघु सिंचाई क्षमता	
भूगर्भ जल योजनाएं	28.99
भूजल योजनाएं	7.27
कुल	**36.26**
उपयोग में लाई जा चुकी सिंचाई क्षमता	
उद्वह (लिफ्ट) एवं डेंगी (बार्ज) समेत भूजल योजनाएं	0.49
भूजल, आहर, पइन एवं परंपरागत प्रणाली	3.32
राजकीय नलकूप	0.25
निजी नलकूप एवं सिंचाई कूप	27.64
कुल	**31.70**

<u>सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआइएम)</u> **:** इस तथ्य को अधिकाधिक स्वीकृत मिल रही है कि सिंचाई प्रणाली का रखरखाव और प्रबंधन लाभार्थियों को सुपुर्द कर देना चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति में भी इसी दृष्टि का समर्थन किया गया है। राज्य सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उसने 1,10,549 हेक्टेयर कमान क्षेत्र वाले 32 वितरणियों के परिचालन, रखरखाव एवं देखरेख की जिम्मेवारी जल उपयोक्ता संघ (डब्ल्यूयूए) को सौंप दी है (तालिका 4.23)। समग्र रूप से रणनीति यह है कि ग्यारहवीं योजना अवधि की समाप्ति तक सभी सिंचाई प्रणालियों की प्रदाता प्रणाली जल उपयोक्ता संघ को देकर विकेंद्रित कर दी जाए।

तालिका 4.23 : जल उपयोक्ता संघ को रखरखाव की जिम्मेवारी सौंपने के मामले में प्रगति

ज.उ. संघ को हस्तांतरित प्रणालियों की संख्या	32
पंजीकृत किसान संघों की संख्या	07
निबंधन हेतु आवेदन देने वाले संघों की संख्या	38
ऐसे संघों की संख्या जिनके आवेदन को विधिसंगत रूप दिया जा रहा है	15
गठन की प्रक्रिया से गुजर रहे संघों की संख्या	518

4.6 वायुसेवा

व्यवहारिक तौर पर बिहार में वायुसेवा का अभी तक विकास नहीं हुआ है। बिहार की राजधानी पटना दिल्ली-कोलकाता वायुमार्ग पर स्थित है। इसका मुंबई से भी वायु संपर्क है। पटना से रांची और लखनऊ के लिए भी नियमित वायु सेवा उपलब्ध है। जहां तक जिलों का सवाल है, तो गया में एक अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा

है। यह बोधगया में विदेशी पर्यटकों को लाने-ले जाने के लिए बैंकाक से जुड़ा है। नवसृजित जिलों को छोड़कर अन्य जिला मुख्यालयों में भी छोटे वायुयान के उतरने हेतु हवाई पट्टियां मौजूद हैं।

इंडियन एयरलाइन्स के अलावा, जेटलाइट, किंगफिशर और जेट एयरवेज का भी पटना हवाईअड्डा से परिचालन होता है। वर्ष 2008 के दौरान इंडियन एयरलाइन से पटना आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या 1.23 लाख थी। इससे एयरलाइन को 21.88 करोड़ रु. राजस्व की प्राप्ति हुई। सिर्फ पटना-दिल्ली और पटना-कोलकाता सेक्टर पर चलने वाले किंगफिशर से इस अवधि में 40 हजार लोगों ने यात्रा की जबकि चार सेक्टरों पर परिचालन करने वाले जेटलाइट की सवारी करने वाले यात्रियों की संख्या 27 हजार से थोड़ी ज्यादा थी। जेट एयरवेज ने सिर्फ पटना-दिल्ली सेक्टर पर उड़ाने भरीं और उससे सिर्फ 17.4 हजार यात्रियों ने सफर तय किया। तालिका 4.24 में विस्तृत विवरण दिए गए हैं। बिहार में पर्यटकों एवं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हवाईअड्डों का विकास जरूरी है ताकि विभिन्न एयरवेज अपनी उड़ानें बेहतर संपर्क के साथ अलग-अगल सेक्टर में आरंभ कर सकें।

तालिका 4.24 : पटना से वायुयान यात्रियों की आवाजाही (जनवरी-दिसंबर 2008)

आवाजाही	इंडियन एयर लाइन्स	जेट लाइट	किंगफिशर	जेट
यात्रियों की आवाजाही (संख्या)				
पटना-दिल्ली सेक्टर	51967	14222	28273	17352
दिल्ली-पटना सेक्टर	65098	-	-	-
पटना-मुम्बई सेक्टर	2637	9682	-	-
पटना-कोलकाता सेक्टर	-	-	11757	-
पटना-लखनऊ सेक्टर	-	599	-	-
पटना-रांची सेक्टर	3390	2519	-	-
राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.)				
पटना-दिल्ली सेक्टर	21.85	-	-	-

4.7 दूर संचार

दूरसंचार के क्षेत्र में बीएसएनएल, रिलायंस, भारती एयरटेल, एबीटीएल (आइडिया), वोडाफोन इस्सार और डिशनेट वायरलेस जैसी विभिन्न कंपनियां सक्रिय हैं। नवंबर 2008 में जीएसएम ग्राहकों की संख्या में जबर्दस्त वृद्धि दर्ज की गई - 2004-05 में इसकी संख्या महज 9.70 लाख थी, जो बढ़कर 1.24 करोड़ हो गई। इन कंपनियों में एयरटेल के पास सबसे ज्यादा ग्राहक हैं (64.19 लाख)। प्रमुख कंपनियों में सबके पास 2 लाख से अधिक ग्राहक है। भारतीय एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में सबसे अधिक बढ़ोत्तरी हुई और सबसे पीछे बीएसएनएल रहा है (तालिका 4.25)।

तालिका 4.25 बिहार में जीएसएम ग्राहक

परिचालक	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2007-2008 (आधार वर्ष) के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि दर
रिलायंस टेलिकॉम	360755	510396	1120530	1719183	2471519	73
बीएसएनएल	405447	927557	1267858	1629977	2136482	57
भारती एयरटेल	203782	907913	2302105	4335371	6419357	175
डिशनेट वायरलेस	-	-	27080	664991	1162312	2356
एबीटीएल (आइडिया)	-	-	-	-	149037	-
वोडाफोन इस्सार	-	-	-	-	76349	-
कुल	**969984**	**2345866**	**4717573**	**8349522**	**12415056**	**105**

जहां तक राजस्व संग्रह का मामला है, तो उपरोक्त परिचालकों में भारती एयरटेल ने 2007-08 में सबसे अधिक राजस्व संग्रह किया जिसका कारण था उसके ग्राहकों की अधिक संख्या। भारती एयरटेल ने 2006-07 और 2007-08 के बीच 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर भी हासिल की।

तालिका 4.26 : बिहार में अलग-अलग कंपनियों का राजस्व संग्रह

परिचालक	2006.07	2007.08	2008.09 (सितंबर तक)	2004-05 से 2007-08 तक वार्षिक चक्रवृद्धि दर
रिलायंस टेलिकॉम	201.81	306.53	186.73	51.89
भारती एयरटेल	509.33	1022.27	706.66	100.71
डिशनेट वायरलेस	-	41.40	40.32	-
कुल	**711.14**	**1370.20**	**933.71**	**92.68**

4.8 डाक सुविधाएं

डाकघर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे हैं। मार्च 2008 तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 9,057 डाकघर थे, जिनमें से 95 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित थे। (तालिका 4. 27)। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विभागेतर डाकघर थे (92 प्रतिशत)। तकरीबन तमाम डाकघरों को, चाहे वे विभागीय हो या विभागेतर, स्थायी दर्जा मिला हुआ था। रात्रि डाकघरों की संख्या मात्र 6 है और ये शहरी क्षेत्रों में अवस्थित हैं। 2008 में पूरे राज्य में पत्र-पेटिकाओं की संख्या 25 हजार थी। सभी 911 पोस्ट बॉक्सों का परिचालन सिर्फ शहरी क्षेत्रों मे हो रहा था।

तलिका 4.27 बिहार में डाक सुविधाएं

डाक सुविधाएं (संख्या) (31.03.2008 तक)	शहरी	ग्रामीण	कुल
डाकघर	432	8625	9057
विभागीय डाकघर	397	646	1043
विभागेतर डाकघर	35	7979	8014
स्थायी डाकघर	411	8528	8939
अस्थायी/ प्रायोगिक डाकघर	23	92	115
रात्रि डाकघर	6	0	6
पत्र पेटिकाएं	2831	22129	24960
पोस्ट बॉक्स	911	0	911

स्रोत : मुख्य महाडाकपाल, बिहार सर्किल

वर्ष 2007-08 में राज्य के डाकघरों के जरिए कुल 9.24 करोड़ अपंजीकृत पत्र आदि गंतव्य स्थान तक पहुंचाए गए, वहीं पंजीकृत पत्र आदि की संख्या सिर्फ 23 लाख थी (तालिका 4.28)।

तालिका 4.28 बिहार में डाकघरों के माध्यम से पत्रों की आवाजाही

	2006-07	2007-08
कुल अपंजीकृत पत्र आदि	96725915	95877483
कुल पंजीकृत पत्र आदि	1939606	2308012

स्रोत : मुख्य महाडाकपाल, बिहार सर्किल

वर्ष 2007-08 में राज्य के डाकघरों में विभिन्न श्रेणियों के 13.26 लाख खाते थे जिनमें कुल 2,600 करोड़ रु. जमा थे। सावधिक एवं आवर्ती खातों में सबसे अधिक राशि जमा थी - प्रत्येक में 733 करोड़ रु.। उसके बाद मासिक आय योजना में सबसे अधिक 522 करोड़ रु. जमा थे (तालिका 4.29)।

तालिका 4.29 : बिहार में डाकघरों के खाते

खातों की श्रेणी	2007-08
बचत	165.31
आवर्ती जमा	722.86
सावधिक जमा	733.76
मासिक आय योजना	522.73
लोक भविष्य निधि	32.84
वरिष्ठ नागरिक खाते	423.35
कुल	2600.84

स्रोत : मुख्य महाडाकपाल, बिहार सर्किल

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र	कुल सड़कों की लंबाई (कि.मी.)	आबादी	सड़क घनत्व (कि.मी. प्रति लाख आबादी)
1	आंध्र प्रदेश	192057	75727541	253.6
2	अरुणाचल प्रदेश	18362	1091117	1682.9
3	असम	87173	26638407	327.2
4	बिहार	77478	82878796	93.5
5	छत्तीसगढ़	33858	20795956	162.8
6	गोवा	9563	1343998	711.5
7	गुजरात	137384	50596992	271.5
8	हरियाणा	28158	21082989	133.6
9	हिमाचल प्रदेश	29510	6077248	485.6
10	जम्मू एवं कश्मीर	23301	10069917	231.4
11	झारखंड	10069	26909428	37.4
12	कर्नाटक	152453	52733958	289.1
13	केरल	150495	31838619	472.7
14	मध्य प्रदेश	162370	60385118	268.9
15	महाराष्ट्र	261783	96752247	270.6
16	मणिपुर	11434	2388634	478.7
17	मेघालय	9497	2306069	411.8
18	मिजोरम	4970	891058	557.8
19	नगालैंड	21021	1988636	1057.1
20	उड़ीसा	236993	36706920	645.6
21	पंजाब	61525	24289296	253.3
22	राजस्थान	142010	56473122	251.5
23	सिक्किम	1992	540493	368.6
24	तमिलनाडु	163111	62110839	262.6
25	त्रिपुरा	14031	3191168	439.7
26	उत्तर प्रदेश	247248	166052859	148.9
27	उतरांचल	31881	8479562	376.0
28	पश्चिम बंगाल	90245	80221171	112.5
29	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	1183	356265	332.1
30	चंडीगढ़	2025	900914	224.8
31	दादर एवं नागर हवेली	564	220451	255.8
32	दमन एवं दियू	414	150859	261.9
33	दिल्ली	25785	13782976	187.1
34	लक्षद्वीप	141	60595	232.7
35	पांडिचेरी	2587	973829	265.7
	भारत	2442671	1027015247	237.8

परिशिष्ट-2

सड़क संबंधी जिलावार आंकड़े

क्र. सं.	जिला	लंबाई (कि.मी.)			कुल
		राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	प्रमुख जिला सड़क	
1	बांका	0.00	175.35	128.10	303.45
2	भागलपुर	146.00	82.00	123.75	351.75
3	जमुई	0.00	220.10	142.55	362.55
4	लखीसराय	45.21	58.84	31.79	135.83
5	मुंगेर	38.57	35.00	45.20	118.77
6	शेखपुरा	12.00	52.90	87.25	152.15
7	भोजपुर	85.00	93.57	282.83	461.40
8	कैमूर	52.24	99.40	208.30	359.94
9	बक्सर	55.00	80.15	99.67	234.82
10	रोहतास	145.24	234.80	369.70	749.74
11	नालंदा	177.07	157.00	167.95	502.02
12	पटना	394.90	151.36	368.56	914.82
13	औरंगाबाद	137.23	90.10	150.05	377.38
14	गया	119.50	226.80	256.72	603.02
15	जहानाबाद एवं अरवल	134.23	42.40	177.70	354.33
16	नवादा	84.30	137.63	106.40	328.33
17	बेगूसराय	95.89	42.00	199.47	337.36
18	मधुबनी	207.75	107.00	221.90	536.65
19	दरभंगा	49.00	202.06	276.10	527.16
20	समस्तीपुर	65.51	132.00	316.80	514.31
21	सारण	180.50	117.70	203.94	502.14
22	गोपालगंज	96.43	52.15	310.89	459.47
23	वैशाली	127.61	84.00	168.74	380.35
24	सीवान	54.00	125.40	208.51	387.91
25	पश्चिमी चम्पारण	112.00	47.20	305.95	465.15
26	पूर्वी चम्पारण	94.00	95.60	285.68	475.28
27	मुजफ्फरपुर	229.20	70.33	404.07	703.60
28	शिवहर	22.00	13.64	33.00	68.64
29	सीतामढ़ी	102.00	50.42	199.20	351.62
30	अररिया	85.00	112.00	267.16	464.16
31	कटिहार	90.00	54.00	379.46	523.46
32	किशनगंज	0.00	78.60	412.30	490.90
33	पूर्णिया	103.00	120.80	249.15	472.95
34	खगड़िया	92.30	0.00	184.55	276.85
35	मधेपुरा	109.00	100.48	94.60	304.08
36	सुपौल	133.00	181.54	474.87	789.41
37	सरहरसा	59.70	43.00	213.69	316.39

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट-3

परिवहन विभाग की नई पहलकदमियां

1. सभी 38 जिला परिवहन कार्यालयों तथा 9 आरटीए कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। कंप्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण स्मार्ट कार्ड में जारी किए जाने हैं। यह एनआइसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर 'वाहन एवं सारथी' पर किया जा रहा है। वर्तमान में प्रायोगिक आधार पर मई 2008 से पटना जिला परिवहन कार्यालय द्वारा स्मार्ट कार्ड पर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। अब अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय ने जिला परिवहन कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण हेतु करीब 6.00 करोड़ रु. के कंप्यूटर हार्डवेयर देने की सहमति प्रकट की है। राज्य सरकार ने कंप्यूटरीकरण हेतु 3.70 करोड़ रु. प्रदान किए हैं।
2 अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रोत्साहन हेतु आरआइटीईएस को सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह कोशी, गंडक और सोन को नौपरिवहन योग्य बनाने के लिए नदियों का सर्वेक्षण करेगा।
3 परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों में जिला परिवहन कार्यालय हेतु भवन बनाने की योजना है। परिवहन विभाग की मंशा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल के तहत जिला परिवहन कार्यालयों को परिवहन लोक सेवा परिसर के रूप में विकसित करने की है। अधिसंरचना विकास प्राधिकार से नए जिला परिवहन कार्यालयों तथा सेवा परिसर के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन का आग्रह किया गया है।
4 राज्य में 6 प्रवेश पर बिंदुओं पर समेकित चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक चेकपोस्ट पर 4 से 6 तौल सेतु (धर्म कांटा) होंगे। इससे परिवहन विभाग को मोटर वाहन नियमों को लागू करने तथा ओवरलोडिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। इसके अलावा, परिवहन विभाग प्रमुख चौराहों के अलग-अलग बिंदुओं पर भी 3 से 4 तौल सेतु स्थापित कर रहा है।
5 परिवहन विभाग ने कर ढांचों को युक्तिसंगत बनाने तथा प्रवर्तन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आरटीए/ एसटीए को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया है। विभाग इसके लिए निम्नलिखित मुद्दों पर प्रशासनिक सुधार मिशन से सहयोग ले रहा है :

(i) बिहार में परिवहन प्रक्षेत्र में कर सुधार/ करों को युक्तिसंगत बनाना - नीतिगत दास्तावेज।
(ii) आरटीए/ एसटीए के सुदृढ़ीकरण/ पुनर्गठन हेतु नियामक ढांचा तथा मार्ग आबंटन एवं प्रौद्योगिकी हेतु ढांचे का निर्माण - प्रथम चरण रिपोर्ट : पटना तथा गया आरटीए
(iii) परिवहन निगम के प्रवर्तन ढांचे का पुनर्गठन एवं सुदृढीकरण

परिशिष्ट-4 : योजनाओं का विवरण - निगम द्वारा कार्यान्वयन के अधीन

	प्राप्त निधि के बरअक्स योजनाएं			प्राप्त की जाने वाली निधि के बरअक्स आरंभ की जाने वाली योजनाओं की संख्या	
क्र.सं.	योजनाओं का नाम	लक्ष्य	प्रारंभ की गई	संख्या	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	मॉडल थाना	34	34		
2.	वर्ग 4 थाना	09	08		
3.	वर्ग 4 थाना	36	35		
4.	जिला संचार केंद्र	31	30		
5.	जिला नियंत्रण कक्ष	40	39		
6.	राज्य योजना 07-08	69	65		
7.	प्रशिक्षण कार्य	27	27		
8.	निम्न अधीनस्थ क्वार्टर	1452	1190	98	
9.	उच्च अधीनस्थ क्वार्टर	622	450	28	
10.	महिला आरक्षी बैरेक	24	23	.	
11.	सामुदायिक शौचालय	.	.	21	
12.					
13.	नए भवन			4	
14.	मरम्मत			7	
15.	कॉलम के साथ आरसीसी छत			16	
16.	शौचालय सुविधा के साथ बैरेक			37	
17.	जलापूर्ति प्रणाली			24	
18.	सौर ऊर्जा चालित प्रकाश			24	
19.	अहाते की दीवार			2	
20	सौर ऊर्जा चालित प्रकाश प्रणाली द्वारा सुरक्षा			1	

परिशिष्ट-5

बिहार की भावी विद्युत परियोजनाएं

स्थान	क्षमता	अभिकरण
(क) सार्वजनिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत		
वीएसइबी (1) बरौनी तापविद्युत केंद्र, जिला-बेगूसराय का विस्तााार	2 गुणा 250 मेगावाट	बीएसईबी
(2) मुजफ्फरपुर तापविद्युत केंद्र, कांटी, जिला-मुजफ्फरपुर का विस्तार	2 गुणा 250 मेगावाट	बीएसईबी
(ख) संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत		
(1) नबीनगर, जिला-औरंगाबाद में बिहार सरकार के बीएसईबी तथा एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम के तहत	3 गुणा 660 मेगावाट	बीएसईबी
(ग) टैरिफ आधारित नीलामी द्वारा निजी/ सार्वजनिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत		
(1) बक्सर तापविद्युत संयंत्र, चौसा, जिला-बक्सर	2 गुणा 660 मेगावाट	बीएसईबी
(2) लखीसराय तापविद्युत संयंत्र, कजरा, जिला-लखीसराय	3 गुणा 660 मेगावाट	बीएसईबी
(3) पीरपैंती तापविद्युत संयंत्र, पीरपैती, जिला-भागलपुर	2 गुणा 660 मेगावाट	बीएसईबी
(घ) समझौता हस्ताक्षरित करके पीपीपी के अंतर्गत		
(1) मेसर्स जस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, पटना - बांका, भागलपुर में	3 गुणा 660 मेगावाट	बीएसईबी
(2) मेसर्स विकास मेटल एंड पावर लिमिटेड, कोलकाता - बेगूसराय में	500 मेगावाट	बीएसईबी
(3) मेसर्स नालंदा पावर कंपनी लिमिटेड, कोलकाता - भागलपुर के पीरपैंती में	2000 मेगावाट	बीएसईबी
(4) मेसर्स आधुनिक पॉवर एंड नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड, कोलकाता - पीरपैंती में	1000 मेगावाट	बीएसईबी
(च) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआइपीबी) द्वारा स्वीकृत		
(1) मेसर्स सुभाष प्रोजेक्ट एंड मार्केटिंग लिमिटेड, कोलकाता - लखीसराय में	1200 मेगावाट	बीएसईबी
(2) मेसर्स आइएल एंड एफएस, नई दिल्ली - मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड में	500 मेगावाट	बीएसईबी
(3) मेसर्स इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता, (स्थान चिह्नित नहीं)	1650 मेगावाट	बीएसईबी
(4) मेसर्स ट्राइटन एनर्जी लिमिटेड, गुड़गांव - औरंगाबाद के नवीनगर में	1320 मेगावाट	बीएसईबी
(5) मेसर्स कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली, (स्थान चिन्हित नहीं)	1320 मेगावाट	बीएसईबी
(6) मेसर्स सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, कोलकाता (स्थान चिह्नित नहीं)	500 मेगावाट	बीएसईबी
(छ) परमाणु विद्युत परियोजना		
(1) एनपीसीआइएल से रजौली में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का आग्रह किया गया है।	4 गुणा 700 मेगावाट	बीएसईबी

* बीएसईबी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों (देखें दिनांक 19.01.2005 का संकल्प) के अनुरूप केस 1 के अंतर्गत प्रतियोगिता आधारित नीलामी प्रक्रिया के जरिए 1200 मेगावाट बिजली खरीदने की भी पहल की है।

अध्याय 5

सामाजिक प्रक्षेत्र

जैसा कि योजना आयोग ने अपने मानव विकास रिपोर्ट, 2001 में आकलन किया है, मानव विकास के मामले में बिहार 1981, 1991 और 2001 में भारत के बड़े राज्यों के बीच सबसे निचले पायदान पर था। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी इसका वही दर्जा दुहराया गया है। इस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1999 से, जबसे भारत का सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़ा है, इसके मानव विकास सूचकांक संबंधी दर्जे में गिरावट आई है और 1999 के 115वें स्थान (मानव विकास रिपोर्ट, 1999) से यह 2005 में 128वें स्थान (मानव विकास रिपोर्ट, 2007/2008) पर फिसल गया है। इस प्रकार, त्वरित आर्थिक विकास के दौर में भी शेष दुनिया की तुलना में देश की मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। विगत 10 वर्षों से बिहार की प्रति व्यक्ति आय 3.77 प्रतिशत रही है। बिहार में आर्थिक विकास और मानव विकास की जुड़वां चुनौतियों को उच्च गरीबी अनुपात और निम्न प्रति व्यक्ति आय से भी खाद-पानी मिलता है। तथापि, बिहार में गरीबी में कमी की दर राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ऊंची रही है। परवर्ती खंडों में बिहार के सामाजिक प्रक्षेत्र में विकास का विस्तारपूर्वक विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें साक्षरता एवं शिक्षा, जनसांख्यिकी एवं स्वास्थ्य, श्रम, रोजगार एवं गरीबी, ग्रामीण विकास तथा दलित एवं सीमांतकृत (मार्जिनलाइज्ड) समूहों को प्रोत्साहन जैसे विविध पक्षों पर जोर दिया गया है।

5.1 साक्षरता एवं शिक्षा

<u>साक्षरता</u>

वर्ष 2001 में भारत की साक्षरता दर समग्रत: 65.4 प्रतिशत थी जबकि बिहार की 47.0 प्रतिशत। तब बिहार की महिला साक्षरता दर तो और भी कम, 33 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय औसत 54.2 प्रतिशत था। महिला साक्षरता दर किसी अंचल के सामाजिक विकास का अकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचक है। मसलन, भोजपुर और रोहतास जिले साक्षरता संबंधी सूचक के मामले में क्रमश: 59.0 और 61.3 प्रतिशत के साथ राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं। (तालिका 5.1)। तथापि, दोनों जिलों की महिला साक्षरता दरें क्रमश: 41.8 और 45.7 प्रतिशत हैं जो राष्ट्रीय औसत 54.2 प्रतिशत के मुकाबले कम हैं। इस प्रकार दोनों जिलों के लैंगिक अंतराल क्रमश: 32.5 और 29.6 प्रतिशत हैं। बिहार की महिला साक्षरता दर और महिला साक्षरता के राष्ट्रीय औसत के बीच 23 प्रतिशत का अंतर है। पटना बिहार का अकेला जिला है जहां की 50 प्रतिशत से अधिक महिला आबादी साक्षर है। किशनगंज में तो 20 प्रतिशत से भी कम महिलााएं साक्षर हैं। वहां पुरुष साक्षरता दर भी राज्य में सबसे कम है। किशनगंज में पुरुष और महिला साक्षरता दरों के बीच 24 प्रतिशत का अंतर है। राज्य में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर शिवहर और मधेपुरा जिलों में सबसे कम (क्रमश: 16.9 और 17.1 प्रतिशत) और मुंगेर में सर्वाधिक है (42.6 प्रतिशत)।

तालिका 5.1 : बिहार में जिलावार साक्षरता दरें (2001)

जिला	समग्र			अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां	सामान्य	लैंगिक अंतराल
	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला			
अररिया	35.00	46.40	22.40	18.90	21.2	7.1	21.90	24.00	18.20
औरंगाबाद	57.00	71.10	41.90	35.70	39.10	15.80	49.70	29.20	23.30
बांका	42.70	55.30	28.70	27.60	31.20	10.90	22.20	26.60	20.30
बेगूसराय	48.00	59.10	35.60	31.40	33.40	14.50	78.60	23.50	18.90
भागलपुर	49.50	59.20	38.10	33.70	35.30	15.90	37.20	21.10	19.40
भोजपुर	59.00	74.30	41.80	39.10	43.80	16.20	46.70	32.50	27.60
बक्सर	56.80	71.90	39.90	37.90	43.70	13.60	44.60	32.00	30.10
दरभंगा	44.30	56.70	30.80	24.70	27.60	9.90	49.50	25.90	17.70
गया	50.40	63.30	36.70	26.30	28.80	11.60	49.10	26.60	17.20
गोपालगंज	47.50	63.00	32.20	32.10	36.60	13.60	37.80	30.80	23.00
जमुई	42.40	57.10	26.30	24.50	28.30	10.00	26.70	30.80	18.30
जहानाबाद	55.30	70.10	39.40	32.60	36.50	13.60	32.40	30.70	22.90
कैमूर	55.10	69.70	38.80	40.50	43.90	16.90	38.60	30.90	27.00
कटिहार	35.10	45.30	23.80	26.30	28.30	11.70	24.20	21.50	16.60
खगड़िया	41.30	51.80	29.40	24.20	25.70	10.20	46.70	22.40	15.50
किशनगंज	31.10	42.70	18.60	28.20	31.00	11.90	15.30	24.10	19.10
लखीसराय	48.00	60.70	34.00	26.30	29.50	11.40	12.90	26.70	18.10
मधेपुरा	36.10	48.80	22.10	17.10	19.40	5.80	33.60	26.70	13.60
मधुबनी	42.00	56.80	26.30	22.20	26.10	7.50	35.80	30.50	18.60
मुंगेर	59.50	69.90	47.40	42.60	43.60	23.30	37.30	22.50	20.30
मुजफ्फरपुर	48.00	59.10	35.80	28.90	30.50	14.00	50.40	23.30	16.50
नालंदा	53.20	66.40	38.60	29.40	32.80	11.80	29.80	27.80	21.00
नवादा	46.80	60.60	32.20	22.40	25.90	8.60	20.50	28.40	17.30
पश्चिम चंपारण	38.90	51.10	25.20	22.30	25.80	7.90	24.10	25.90	17.90
पटना	62.90	73.30	50.80	38.60	40.30	19.40	68.70	22.50	20.90
पूर्व चंपारण	37.50	49.30	24.30	20.60	23.60	7.40	34.30	25.00	16.20
पूर्णिया	35.10	45.60	23.40	18.50	20.40	7.40	24.50	22.20	13.00
रोहतास	61.30	75.30	45.70	41.30	44.50	18.10	30.00	29.60	26.40
सहरसा	39.10	51.70	25.30	18.50	20.90	6.70	24.50	26.40	14.20
समस्तीपुर	45.10	57.60	31.70	25.10	27.60	10.40	22.00	25.90	17.20
सारण	51.80	67.30	35.80	33.60	38.00	13.50	48.50	31.50	24.50
शेखपुरा	48.60	61.90	33.90	25.20	28.20	9.60	45.60	28.00	18.60
शिवहर	35.30	45.30	23.90	16.90	19.00	6.40	38.80	21.40	12.60
सीतामढ़ी	38.50	49.40	26.10	22.20	24.60	8.50	31.40	23.30	16.10
सीवान	51.60	67.30	36.90	35.60	39.30	15.90	44.00	30.40	23.40
सुपौल	37.30	52.50	20.80	19.60	23.60	5.70	26.90	31.70	17.90
वैशाली	50.50	63.30	36.60	29.40	31.90	13.00	29.90	26.70	18.90

तालिका 5.1 से यह भी पता चलता है कि बिहार के सभी जिलों में समग्र जनसंख्या के मुकाबले अनुसूचित जातियों में लैंगिक अंतराल कम है। ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति की जनसंख्या दक्षिण बिहार में अधिक संकेंद्रित रही है। दक्षिण बिहार के चार जिलों में अनुसूचित जाति की संख्या कुल जनसंख्या के 20 प्रतिशत से अधिक है लेकिन लैंगिक अंतराल जिले में उसके औसत की तुलना में कम है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या में लैंगिक अंतराल नवादा में 11 प्रतिशत, गया में 9 प्रतिशत तथा औरंगाबाद में 6 प्रतिशत है। उत्तर बिहार के दरभंगा जिले में भी लैंगिक अंतराल 8 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है। समग्र लैंगिक अंतराल भोजपुर में सर्वाधिक है (जो साक्षर पुरुषों के मामले में राज्य में सबसे ऊपर है) – 32.5 प्रतिशत – और भागलपुर में सबसे कम – 21.2 प्रतिशत। अतएव महिला साक्षरता के मामले में जिला स्तर पर लैंगिक अंतराल के हिसाब से ही जोर देना जरूरी है।

<u>प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा</u>

तालिका 5.2 में बिहार में 2003–04 से 2006–07 के बीच प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। इस अवधि में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर समग्र नामांकन 34.5 प्रतिशत बढ़ा है। अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चों का नामांकन 41.5 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों का नामांकन 80.7 प्रतिशत बढ़ा है। 72.8 प्रतिशत की समग्र वृद्धि के साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अनुसूचित जातियों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन 97.4 प्रतिशत बढ़ा है जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए यह वृद्धि 126.0 प्रतिशत है। नामांकन का जिलावार पैटर्न परिशिष्ट–1 में प्रस्तुत है। अररिया, समस्तीपुर, पूर्णिया, भोजपुर और बेगूसराय जिलों में समग्र नामांकन में 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि देखी गई है। इस अवधि के दौरान बेगूसराय के अलावा सभी जिलों में 100 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि देखी गई है।

तालिका 5.2 : बिहार में शैक्षिक स्तरों के अनुसार कुल नामांकन

		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	चार वर्षों में प्रतिशत वृद्धि
सभी	प्राथमिक (1 से 5)	9732357	10917135	11233590	12527117	28.72
	उच्च प्राथमिक (6 से 8)	1482460	1936213	2163453	2562318	72.84
	योग (1 से 8)	11214817	12853348	13397043	15089435	34.55
अजा	प्राथमिक (1 से 5)	1630643	1803005	1819098	2212091	35.66
	उच्च प्राथमिक (6 से 8)	170731	236506	250377	336970	97.37
	योग (1 से 8)	1801374	2039511	2069475	2549061	41.51
अजजा	प्राथमिक (1 से 5)	129334	122421	149785	228181	76.43
	उच्च प्राथमिक (6 से 8)	12240	17037	22101	27666	126.03
	योग (1 से 8)	141574	139458	171886	255847	80.72

तालिका 5.3 में 2004–05 और 2005–06 में बिहार में स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छीजन दरें (ड्रॉपआउट रेट्स) दर्शाई गई हैं। बिहार में 2004–05 और 2005–06 के बीच प्राथमिक शिक्षा में छीजन दरों में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के मामले में अधिक है। हालांकि उच्च प्राथमिक स्तर पर ठीक 1 प्रतिशत की कमी आई। छीजन दर में 0.01 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ माध्यमिक स्तर पर स्थिति और खराब ही हुई है। निस्संदेह तालिका 5.2 में प्रदर्शित 2006–07 के नामांकन संबंधी आंकड़े उस वर्ष छीजन दरों में अधिक गिरावट की संभावना दर्शाते हैं।

तालिका 5.3 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, तथा माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
	योग	लड़कियां	लड़के		
2004-05	51.59	48.62	53.37	74.69	83.06
2005-06	46.55	45.25	47.37	73.37	83.07

राज्य सरकार ने शिक्षा में अपने योजना और गैर–योजना, दोनों प्रकार के व्यय बढ़ाए हैं जिसे तालिका 5.4 में देखा जा सकता है। वर्ष 2005–06 से शिक्षा व्यय में वृद्धि बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप हो रही है। बजट और लक्ष्य, दोनों लिहाज से व्यय 100 प्रतिशत के आसपास या उससे अधिक है।

तालिका 5.4 : शिक्षा पर व्यय

(करोड़ रु.)

वर्ष	गैर–योजना			योजना		
	12वें वित्त आयोग का लक्ष्य	व्यय	प्रतिशत	बजट	व्यय	प्रतिशत
2005-06	3822.65	3776.57	99	438.77	435.48	99
2006-07	4183.58	4189.71	100	594.00	587.74	99
2007-08	4581.02	-	100	300.44	300.44	100

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में हस्तक्षेप

- 6 से 14 वर्ष उम्र के महादलित बच्चों का नामांकन और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके टोलों पर उत्थान केंद्र योजना कार्यान्वित की गई है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के सुविधावंचित तबकों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से उनके टोलों/ गांवों में लक्षित शिक्षण सुविधाओं के साथ तालीमी मरकज योजना शुरू की गई है।
- प्रत्येक प्रखंड में बालश्रम से मुक्त कराए गए 50 बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए आवासीय केंद्र के आरंभ हेतु उन्नयन योजना लागू की गई है।
- अति पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के बीच पाठ्यपुस्तकें मुफ्त वितरित की गई हैं।
- अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि की 10 से 16 साल की लड़कियों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए हुनर के अंतर्गत मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का विस्तार अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित समस्त सहायता-प्राप्त विद्यालयों तक कर दिया गया है। वर्ष 2007-08 में 1.63 लाख लड़कियां इस योजना के अंतर्गत आई हैं।

Error!

<u>मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस)</u>

पोषण वृद्धि, शैक्षिक सुधार, सामाजिक समता तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु बाल अधिकार पर आधारित मध्याह्न भोजन योजना नामांकन में वृद्धि और प्राथमिक स्तर तक बच्चों को टिकाए रखने, दोनों मामलों में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। वर्ष 2005 में बिहार में मध्याह्न भोजन योजना का सर्वव्यापीकरण (यूनिवर्सलाइजेशन) कर दिया गया था जिसके अंतर्गत अधिगम केंद्र (लर्निंग सेंटर्स) सहित सभी प्राथमिक विद्यालय आ गए थे।

तालिका 5.5 में प्राथमिक स्तर पर (कक्षा 1 से 5) मध्याह्न भोजन योजना के तहत शामिल बच्चों की कुल संख्या दर्शाई गई है। इसके जरिए आच्छादित बच्चों की कुल संख्या 99.83 लाख है। कुल आच्छादन 72 प्रतिशत है जो 2006-07 के 60 प्रतिशत आच्छादन से अधिक है, लेकिन इस मामले में जिलों के बीच भारी अंतर है। सीतामढ़ी व सुपौल (25 प्रतिशत), कैमूर (26 प्रतिशत), पूर्णिया (29 प्रतिशत) तथा दरभंगा (35 प्रतिशत) निम्न आच्छादन वाले जिले हैं। शत-प्रतिशत आच्छादन वाले जिले गोपालगंज, जमुई, मुंगेर, नवादा, सहरसा और शेखपुरा हैं।

तालिका 5.5 : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5) (2008-09)

जिला	कुल नामांकन	मध्याह्न भोजन योजना के तहत आच्छादित बच्चे	आच्छादन (प्रतिशत)
अररिया	386949	309559	80
औरंगाबाद	357841	258349	72
बांका	221394	218959	99
बेगूसराय	472643	254729	54
भागलपुर	434422	416937	96
भोजपुर	389878	262363	67
बक्सर	225681	187202	83
दरभंगा	750788	261397	35
पूर्व चंपारण	789410	681442	86
गया	550745	381951	69
गोपालगंज	93034	93569	101
जमुई	282770	282770	100
जहानाबाद	170063	133054	78
जहानाबाद (अरवल)	104381	76593	73
कैमूर	223257	57900	26
कटिहार	465566	283103	61
खगड़िया	252450	289073	115
किशनगंज	236495	183596	78
लखीसराय	118077	118077	100
मधेपुरा	281277	192132	68
मधुबनी	588133	430470	73
मुंगेर	146616	146616	100
मुजफ्फरपुर	635214	600086	94
नालंदा	303178	242526	80
नवादा	270183	280916	104
पटना	559075	436563	78
पूर्णिया	502555	147525	29
रोहतास	329926	290637	88
सहरसा	215914	215914	100
समस्तीपुर	641639	483305	75
सारण	435439	347771	80
शेखपुरा	87925	87925	100
शिवहर	102547	43762	43
सीतामढ़ी	378276	92775	25
सीवान	463359	385842	83
सुपौल	371860	94583	25
वैशाली	529560	351482	66
पश्चिम चंपारण	501570	361625	72
योग	**13870190**	**9983078**	**72**

इस योजना का विस्तार बिहार के सभी जिलों में उच्च प्राथमिक स्तर तक कर दिया गया है। विभिन्न जिलों में इस स्तर पर क्रियान्वयन में काफी अधिक समरूपता है (तालिका 5.6)। मध्याह्न भोजन योजना के तहत विद्यार्थियों का समग्र आच्छादन 81 प्रतिशत है। जमुई, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर जिलों में शत-प्रतिशत आच्छादन है। अन्य जिलों का आच्छादन 80 प्रतिशत है। एकमात्र अपवाद गया जिला है जहां आच्छादन 76 प्रतिशत है।

तालिका 5.6 : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8) (2008-09)

जिला	कुल नामांकन	मध्याह्न भोजन योजना के तहत आच्छादित बच्चे	आच्छादन (प्रतिशत)
अररिया	72161	57729	80
औरंगाबाद	115965	92772	80
बांका	60107	48086	80
बेगूसराय	108568	86854	80
भागलपुर	93269	74615	80
भोजपुर	82873	66298	80
बक्सर	69498	55598	80
दरभंगा	126252	101010	80
पूर्व चंपारण	214927	171942	80
गया	189827	143390	76
गोपालगंज	136648	109318	80
जमुई	54255	54255	100
जहानाबाद	41200	41200	100
जहानाबाद (अरवल)	42968	42968	100
कैमूर	79951	63961	80
कटिहार	96403	77122	80
खगड़िया	63364	50691	80
किशनगंज	55989	44791	80
लखीसराय	39459	31567	80
मधेपुरा	66709	53367	80
मधुबनी	168580	134864	80
मुंगेर	43561	34849	80
मुजफ्फरपुर	130276	132764	102
नालंदा	124368	99494	80
नवादा	125158	100126	80
पटना	126942	101554	80
पूर्णिया	100540	80432	80
रोहतास	104400	83520	80
सहरसा	113796	91037	80
समस्तीपुर	169997	135998	80
सारण	231547	185238	80
शेखपुरा	26049	20839	80
शिवहर	22413	17930	80
सीतामढ़ी	154867	123894	80
सीवान	181425	145140	80
सुपौल	57826	46261	80
वैशाली	102233	81786	80
पश्चिम चंपारण	85808	68646	80
योग	**3880189**	**3151907**	**81**

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत तीन मुख्य घटकों - विद्यालय स्तरीय व्यय, प्रबंधन और पर्यवेक्षण (सुपरविजन), आंतरिक अनुश्रवण (मौनिटरिंग) एवं मूल्यांकन, तथा वाह्य अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के तहत स्वीकृत कोष 2006-07 में 7.20 करोड़ रु. था जो 2007-08 में बढ़कर 8.30 करोड़ रु. हो गया है। मध्याह्न भोजन योजना के लिए2006-07 में स्वीकृत पूरे कोष का उपयोग हो गया था। वर्ष 2007-08 में भी विद्यालय स्तरीय व्यय, प्रबंधन और पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, तथा आंतरिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के विविध घटकों के संपूर्ण कोष का पूरा उपयोग कर लिया गया था। तथापि, वाह्य अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए आबंटित 1.24 करोड़ रु. का पूरा उपयोग न हो पाने से समग्र उपयोग 85 प्रतिशत ही पहुंच सका था (तालिका 5.7)।

तालिका 5.7 : मध्याह्न भोजन योजना में कोष का उपयोग

विद्यालय स्तरीय व्यय	2006-07			2007-08		
	स्वीकृत (लाख रु.)	प्रयुक्त (लाख रु.)	उपयोगिता का प्रतिशत	स्वीकृत (लाख रु.)	प्रयुक्त (लाख रु.)	उपयोगिता का प्रतिशत
वजन एवं ऊंचाई मापक उपकरण	—	—	—	412.86	412.86	100
खाना पकाने के सामान, बरतन, तराजू आदि को बदलना/ मरम्मत/ रखरखाव	383.10	383.10	100	0	0	-
प्रबंधन, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण तथा आंतरिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन						-
कर्मियों का वेतन एमआइएस समन्वयकों और डाटा इंट्री ऑपरेटरों के वेतन सहित	220.54	220.54	100	241.88	241.88	100
परिवहन एवं आकस्मिक निधि	10.00	10.00	100	23.46	23.46	100
अन्य आकस्मिक व्यय (राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तरीय एसएमसी संबंधी कार्य सहित)	3.25	3.25	100	0	0	-
फर्नीचर, कंप्यूटर हार्डवेयर और उपभोक्ता सामग्रियां तथा अन्य आकस्मिक व्यय	2.50	2.50	100	2.00	2.00	100
मध्याह्न भोजन में लगे कर्मियों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	12.16	12.16	100	21.66	21.66	100
प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु प्रासंगिक पुस्तिकाओं की तैयारी	3.53	3.53	100	0	0	-
वाह्य अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	82.91	82.91	100	123.86	0	0
योग	**717.99**	**717.99**	**100**	**825.72**	**701.86**	**85**

उच्च शिक्षा

बिहार में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 6.71 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 9.21 प्रतिशत से नीचे है। पुरुष सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत के करीब है, लेकिन बिहार के महिला सकल नामांकन अनुपात (3.50 प्रतिशत) और राष्ट्रीय औसत (7.65 प्रतिशत) के बीच पुनः काफी अंतराल है। राष्ट्रीय औसत के साथ बिहार के अंतराल के लिए महिला विद्यार्थियों के मामले में निम्न उपलब्धि जवाबदेह है।

तालिका 5.8 : उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18 से 24 वर्ष)

	लड़के	**लड़कियां**	**योग**
बिहार	9.50	3.50	6.70
भारत	10.60	7.70	9.20

टिप्पणी : आंकड़ों में पॉलिटेकनिक में नामांकन भी शामिल है।

समाज के सीमांतकृत (मार्जिनलाइज्ड) और दलित तबकों के लिए सकारात्मक कार्रवाई (अफर्मेटिव ऐक्शन) की राज्य सरकार की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न सामाजिक समूहों के आरक्षण की गारंटी की गई है (तालिका 5.9)। जाति, समुदाय और लिंग आधारित आरक्षण के अलावा हर श्रेणी में विकलांगों के लिए भी 3-3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं।

तालिका 5.9 : बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत

श्रेणी	आरक्षित स्थानों का प्रतिशत
अनुसूचित जाति	10
अनुसूचित जनजाति	1
आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	16
पिछड़ा वर्ग	12
अल्पसंख्यक (अगर हों तो)	0
पिछड़े वर्गों की महिलाएं	3

बिहार में उच्च शिक्षा के लिए 12 विश्वविद्यालय, एक मुक्त विश्वविद्यालय तथा 504 महाविद्यालय एवं 11 शोध संस्थान हैं। लेकिन चिकित्सा महाविद्यालयों (23) और अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालयों की संख्या (7) के मामले में राज्य अभी भी पिछड़ा है (तालिका 5.10)। यह चिकित्सा एवं अभियंत्रण/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकन के निम्न अनुपात से भी प्रतिबिंबित होता है (तालिका 5.11 से 5.13)।

तालिका 5.10 : बिहार में उच्च शिक्षा संस्थान

संस्थानों का प्रकार	सरकारी
विश्वविद्यालय	12
मुक्त विश्वविद्यालय	1
शोध संस्थान	11
महाविद्यालयों/ संस्थानों की संख्या	255
सरकारी	255
निजी (सहायता रहित)	4
निजी (सहायता-प्राप्त)	245
योग	504
शिक्षा/ शिक्षक प्रशिक्षण	15
चिकित्सा महाविद्यालय	23
अभियंत्रण/ तकनीकी महाविद्यालय	7
अन्य	63

तलिका 5.11 : बिहार में उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम-वार नामांकन

पाठ्यक्रम	नामांकन (हजार में)			
	पीएच.डी/ एम.फिल	स्नातकोत्तर डिग्री कार्यकम	स्नातक डिग्री कार्यक्रम	योग
कला				
लड़के	896	14186	179151	194233
लड़कियां	610	1272	31614	33496
योग	1506	15458	210765	227729
वाणिज्य				
लड़के		5748	81575	87323
लड़कियां		778	19686	20464
योग		6526	101261	107787
विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग				
लड़के		10923	77076	87999
लड़कियां		948	25510	26458
योग		11871	102586	114457
अभियंत्रण/ तकनीकी				
लड़के			5495	5495
लड़कियां			881	881
योग			6376	6376
चिकित्सा				
लड़के			5895	5895
लड़कियां			3858	3858
योग			9753	9753
शिक्षा/ शिक्षक प्रशिक्षण				
लड़के			7805	7805
लड़कियां			1088	1088
योग			8893	8893
अन्य				
लड़के			28891	28891
लड़कियां			7151	7151
योग			36042	36042

तलिका 5.12 : बिहार में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम-वार नामांकन

पाठ्यक्रम	नामांकन (हजार में)			
	पीएच.डी/ एम.फिल	स्नातकोत्तर डिग्री कार्यकम	स्नातक डिग्री कार्यक्रम	योग
कला				
लड़के	100	1998	18551	20649
लड़कियां	5	114	1527	1646
योग	105	2112	20076	22293
वाणिज्य				
लड़के		465	13180	13645
लड़कियां		75	995	1070
योग		540	14175	14715
विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग				
लड़के		1023	12073	13096
लड़कियां		196	1458	1654
योग		1219	13531	14750
अभियंत्रण/ तकनीकी				
लड़के			697	697
लड़कियां			112	112
योग			809	809
चिकित्सा				
लड़के			748	748
लड़कियां			491	491
योग			1239	1239
शिक्षा/ शिक्षक प्रशिक्षण				
लड़के			1303	1303
लड़कियां			22	22
योग			1325	1325
अन्य				
लड़के			3572	3572
लड़कियां			935	935
योग			4507	4507

तलिका 5.13 : बिहार में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम-वार नामांकन

पाठ्यक्रम	नामांकन (हजार में)			
	पीएच.डी/ एम.फिल	स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम	स्नातक डिग्री कार्यक्रम	योग
कला				
लड़के	14	10	1319	1343
लड़कियां	5	1	692	698
योग	19	11	2011	2041
वाणिज्य				
लड़के		53	12	65
लड़कियां		17	3	20
योग		70	15	85
विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग				
लड़के		23	866	889
लड़कियां		6	104	110
योग		29	970	999
अभियंत्रण/ तकनीकी				
लड़के			50	50
लड़कियां			8	8
योग			58	58
चिकित्सा				
लड़के			54	54
लड़कियां			35	35
योग			89	89
शिक्षा/ शिक्षक प्रशिक्षण				
लड़के			53	53
लड़कियां			31	31
योग			84	84
अन्य				
लड़के			279	279
लड़कियां			89	89
योग			368	368

बिहार में उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम-वार नामांकन की स्थिति तालिका 5.11 से 5.13 तक दर्शाई गई है। कला, विज्ञान एवं वाणिज्य जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों में सभी छात्रओं के बीच अनुसूचित जाति की छात्राओं का नामांकन महज 5-6 प्रतिशत है जो छात्रों के लिए काफी अधिक (11-15 प्रतिशत) है। अतएव लैंगिक अंतराल बहुत अधिक है। हालांकि चिकित्सा और अभियंत्रण में छात्रों और छात्राओं का नामांकन समान ही है।

समान जनसंख्या कोहॉर्ट के आधार पर मापने पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के बीच छात्रों और छात्राओं के नामांकन प्रतिशत लगभग समान हैं। कला और वाणिज्य में सभी छात्रों के बीच अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रतिशत सभी छात्राओं के बीच अनुसूचिज जनजाति की छात्राओं के प्रतिशत से कम है। समग्रत: उच्च शिक्षा में महिलाओं का सर्वाधिक हिस्सा चिकित्सा में है (39.6 प्रतिशत) जो अभियंत्रण (13.8 प्रतिशत) तथा सामान्य पाठ्यक्रमों (15 से 20 प्रतिशत के बीच) में बहुत कम है। शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण को प्राय: 'महिलाओं का पेशा' कहा जाता है, लेकिन इस धारा में महिलाओं का नामांकन सबसे कम, मात्र 12 प्रतिशत है।

उच्च शिक्षा में हस्तक्षेप

- चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के पहले बैच के 60 विद्यार्थियों की कक्षाएं शुरू हो गई हैं।
- राज्य में सभी तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों की अधिस्वीकृति (एक्रेडिटेशन)/ संबद्धता (एफिलिएशन) और विकास के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक तैयार किया गया है।
- सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और शिक्षण अस्पतालों के उन्नयन का काम हाथ में लिया गया है।

Error!

5.2 जनसांख्यिकी एवं स्वास्थ्य

वर्ष 2001 में बिहार की जनसंख्या 8.3 करोड़ थी जिसके कारण यहां का जनसंख्या घनत्व 880 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। पटना, दरभंगा और वैशाली सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले जिले हैं जहां का जनसंख्या घनत्व 1,300 से अधिक है। वहीं, कैमूर और जमुई का जनसंख्या घनत्व 500 से कम है। बिहार की कुल जनसंख्या का 89.5 प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है। इस कारण बिहार देश के बड़े राज्यों के बीच सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य है। पटना यहां का सर्वाधिक शहरीकृत जिला है जहां ग्रामीण आबादी 58.4 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर मुंगेर है, जहां ग्रामीण आबादी 72.1 प्रतिशत है। शेष सभी जिलों में ग्रामीण आबादी का अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक है। सात जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात तो 95 प्रतिशत से भी अधिक है। बिहार में लिंग अनुपात 919 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है जो राष्ट्रीय औसत (933) से थोड़ा नीचे है। लेकिन बिहार का बाल लिंग अनुपात (चाइल्ड सेक्स रेशियो) 942 है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। सबसे कम लिंग अनुपात मुंगेर (872), पटना (873) और भागलपुर (876) जिलों में है और सबसे अधिक गोपालगंज (1001) तथा सीवान (1031) में, जिसका मुख्य कारण पुरुषों के प्रवास (माइग्रेशन) का ऊंचा अनुपात है। बाल लिंग अनुपात पांच जिलों – सहरसा, मुंगेर, दरभंगा, शिवहर और जहानाबाद – में 920 से कम है लेकिन नौ जिलों (अररिया, जमुई, गोपालगंज, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, गया और नवादा) में 960 से अधिक है। इनमें से कुछ जिले धार्मिक अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति की जनसंख्या के ऊंचे अनुपात वाले हैं। राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जाति का हिस्सा 15. 7 प्रतिशत है। इनका हिस्सा नालंदा, वैशाली, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, और गया में 20 प्रतिशत से अधिक, लेकिन किशनगंज और कटिहार में 10 प्रतिशत से भी कम है। धार्मिक अल्पसंख्यकों का अनुपात पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में 35 प्रतिशत से अधिक है जबकि लखीसराय में मात्र 4.4 प्रतिशत (तालिका 5.14)। धार्मिक आधार पर जिलावार जनसंख्या का विवरण तालिका 5.34 में उपलब्ध है।

तालिका 5.14 : बिहार का जिलावार जनसांख्यिक विवरण

	जनसंख्या	घनत्व	ग्रामीण आबादी (%)	लिंग अनुपात	बाल लिंग अनुपात	जनसंख्या में अनुसूचित जाति का %	जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का %	जनसंख्या में अल्पसंख्यक का %
बिहार	**82998509**	**880**	**89.54**	**919**	**942**	**15.7**	**0.9**	**16.7**
अररिया	2158608	751	93.9	913	963	13.6	1.4	41.1
औरंगाबाद	2013055	607	91.6	934	943	23.5	0.1	9.7
बांका	1608773	533	96.5	908	965	12.4	4.7	11.8
बेगूसराय	2349366	1222	95.4	912	946	14.5	0.1	13.4
भागलपुर	2423172	946	81.3	876	966	10.5	2.3	17.5
भोजपुर	2243144	903	86.1	902	940	15.3	0.4	7.3
बक्सर	1402396	864	90.8	899	925	14.1	0.6	6.2
दरभंगा	3295789	1442	91.9	914	915	15.5	0	22.7
पूर्व चंपारण	3939773	991	93.6	897	937	13	0.1	19.2
गया	3473428	699	86.3	938	968	29.6	0.1	11.6
गोपालगंज	2152638	1057	93.9	1001	964	12.4	0.3	17.1
जमुई	1398796	451	92.6	918	963	17.4	4.8	12.2
जहानाबाद	1514315	963	92.6	929	917	18.9	0.1	8.2
कैमूर (भभुआ)	1289074	382	96.8	902	940	22.2	2.8	9.5
कटिहार	2392638	782	90.9	919	966	8.7	5.9	42.5
खगड़िया	1280354	859	94	885	932	14.5	0	10.3
किशनगंज	1296348	687	90	936	947	6.6	3.6	67.6
लखीसराय	802225	652	85.3	921	951	15.8	0.7	4.4
मधेपुरा	1526646	853	95.5	915	927	17.1	0.6	11.4
मधुबनी	3575281	1020	96.5	942	939	13.5	0	17.9
मुंगेर	1137797	800	72.1	872	914	13.3	1.6	7.9
मुजफ्फरपुर	3746714	1180	90.7	920	928	15.9	0.1	15.3
नालंदा	2370528	1006	85.1	914	942	20	0	7.5
नवादा	1809696	726	92.6	946	978	24.1	0.1	11.3
पटना	4718592	1471	58.4	873	923	15.5	0.2	10.1
पूर्णिया	2543942	787	91.3	915	967	12.3	4.4	36.8
रोहतास	2450748	636	86.7	909	951	18.1	1.0	10.1
सहरसा	1508182	885	91.7	910	912	16.1	0.3	14.5
समस्तीपुर	3394793	1175	96.4	928	938	18.5	0.1	10.5
सारण	3248701	1231	90.8	966	949	12	0.2	10.4
शेखपुरा	525502	762	84.5	918	955	19.7	0.0	7.2
शिवहर	515961	1161	95.9	885	916	14.4	0.0	15.5
सीतामढ़ी	2682720	1214	94.3	892	924	11.8	0.1	21.2
सीवान	2714349	1221	94.5	1031	934	11.4	0.5	18.2
सुपौल	1732578	724	94.9	920	925	14.8	0.3	17.4
वैशाली	2718421	1332	93.1	920	937	20.7	0.1	9.5
पश्चिम चंपारण	3043466	582	89.8	901	953	14.3	1.5	21.3

तालिका 5.15 : बिहार में कार्य सहभागिता दरें

जिला	सभी			अजा			अजजा		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
संपूर्ण बिहार	32.9	46.3	18.4	38.2	47.5	28.2	45.2	52.9	36.9
अररिया	39.5	52.1	25.8	48.2	53.9	42.0	51.1	55.7	46.2
औरंगाबाद	0.0	0.0	0.0	39.1	48.0	29.6	41.0	51.8	29.0
बांका	39.6	49.9	28.2	42.5	50.7	33.7	48.6	54.7	42.1
बेगूसराय	31.8	46.2	15.9	35.5	47.0	23.0	27.6	41.9	10.4
भागलपुर	35.3	47.4	21.4	38.4	47.5	28.0	40.8	48.5	32.1
भोजपुर	29.1	44.1	12.6	35.8	47.1	23.1	30.2	44.8	13.4
बक्सर	29.1	44.6	11.9	35.1	46.6	22.3	31.3	46.6	13.2
दरभंगा	31.2	46.1	14.9	36.1	47.9	23.2	44.2	56.7	28.6
पूर्व चंपारण	32.7	48.8	14.7	38.3	50.9	24.3	37.5	52.1	21.5
गया	36.8	47.4	25.5	43.7	50.1	36.9	41.2	51.2	30.4
गोपालगंज	29.8	44.6	15.1	36.5	46.6	26.1	36.0	47.5	25.2
जमुई	42.7	49.9	34.8	47.7	52.7	42.5	47.4	52.1	42.4
जहानाबाद	38.4	48.1	27.9	44.8	50.3	38.9	61.0	67.6	53.3
कैमूर	34.4	46.6	20.7	39.3	47.0	30.8	42.6	51.8	32.6
कटिहार	37.5	50.9	23.1	42.3	50.9	33.1	45.8	53.7	37.4
खगड़िया	36.5	48.5	22.9	42.2	50.1	33.5	53.0	64.3	39.3
किशनगंज	32.2	52.7	10.2	36.6	53.0	19.1	50.0	60.0	39.6
लखीसराय	36.5	48.6	23.3	44.9	51.5	37.8	49.6	53.9	44.9
मधेपुरा	44.8	51.7	37.3	49.6	52.6	46.5	51.6	53.4	49.7
मधुबनी	34.3	47.8	20.1	39.6	49.8	28.7	30.6	47.4	12.7
मुंगेर	29.1	42.9	13.4	34.0	44.7	21.9	39.1	48.7	29.0
मुजफ्फरपुर	30.4	46.7	12.7	35.2	48.5	20.9	31.9	45.1	17.8
नालंदा	38.1	48.3	27.0	44.7	50.3	38.5	54.3	63.9	43.0
नवादा	37.3	48.1	25.8	0.0	0.0	0.0	48.0	54.4	41.0
पटना	30.2	44.9	13.3	37.6	47.4	26.5	46.1	58.1	29.5
पूर्णिया	37.8	51.0	23.3	46.9	52.8	40.5	47.1	53.1	40.7
रोहतास	30.4	45.7	13.5	36.1	47.5	23.4	39.4	50.9	26.8
सहरसा	39.1	48.9	28.4	46.3	51.3	40.9	47.2	51.8	42.2
समस्तीपुर	31.6	46.8	15.1	35.7	48.1	22.3	62.9	71.0	28.2
सारण	26.5	42.1	10.4	32.3	43.5	20.6	30.2	42.6	17.4
शेखपुरा	37.0	48.1	25.0	46.1	50.7	41.0	48.3	60.9	33.3
शिवहर	31.2	50.3	9.8	35.0	51.7	16.2	23.4	40.0	3.4
सीतामढ़ी	31.9	50.3	11.2	35.9	52.1	17.8	31.6	50.1	10.6
सीवान	26.9	41.5	12.8	32.8	42.6	23.0	30.2	42.2	18.3
सुपौल	42.0	50.4	33.0	46.6	51.7	41.1	45.8	49.9	41.5
वैशाली	28.8	45.3	10.9	33.4	47.3	18.4	45.9	55.7	35.3
पश्चिम चंपारण	37.9	50.8	23.6	44.8	53.5	35.3	46.3	53.7	38.5

बिहार में कार्य सहभागिता की औसत दर 32.9 प्रतिशत है। सारण, सीवान, वैशाली, बक्सर, मुंगेर, भोजपुर और गोपालगंज का कार्य सहभागिता अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 30 प्रतिशत से कम है। सुपौल, जमुई और मधेपुरा का कार्य सहभागिता अनुपात 40 प्रतिशत से ऊपर और अन्य 14 जिलों का 35 प्रतिशत से ऊपर है। अनुसूचित जाति की आबादी में कार्य सहभागिता अनुपात काफी अधिक – 38.2 प्रतिशत – है जो 17 जिलों में 45 प्रतिशत से भी

अधिक है। 35 प्रतिशत से कम सहभागिता अनुपात सिर्फ 3 जिलों में है। अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या में कार्य सहभागिता अनुपात और भी अधिक है – 45.2 प्रतिशत। यह दो जिलों में 60 प्रतिशत से अधिक और सिर्फ 2 जिलों में 30 प्रतिशत से कम है। 17 जिले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जनजातीय लोगों का कार्य सहभागिता अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक और अन्य 5 जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक है।

कार्य सहभागिता अनुपात के मामले में लैंगिक अंतराल काफी अधिक है। राज्य में महिला कार्य सहभागिता अनुपात 18.4 प्रतिशत है और पुरुष कार्य सहभागिता अनुपात 46.3 प्रतिशत। लैंगिक अंतराल अनुसूचित जाति के मामले में कम है – महिला कार्य सहभागिता अनुपात 28.2 प्रतिशत है और पुरुष कार्य सहभागिता अनुपात 47.5 प्रतिशत। वहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए लैंगिक अंतराल और भी कम है जिनमें ये अनुपात क्रमशः 36.9 तथा 52.9 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी तथा शेष आबादी के बीच पुरुष कार्य सहभागिता अनुपातों के बीच अंतराल काफी कम है लेकिन महिला कार्य सहभागिता अनुपात के बीच अंतराल काफी अधिक। 20 जिलों में महिला कार्य सहभागिता अनुपात पूरी जनसंख्या के लिए 20 प्रतिशत से अधिक है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का कार्य सहभागिता अनुपात सिर्फ 4 जिलों में 20 प्रतिशत से कम है। यह 16 जिलों में 30 प्रतिशत से अधिक है। अनुसूचित जाति की महिलाओं का कार्य सहभागिता अनुपात 20 जिलों में 30 प्रतिशत से अधिक है।

इस प्रकार, साक्षरता की तरह कार्य सहभागिता के मामले में भी अनुसूचित जाति और जनजाति आबादी की अपेक्षा सामान्य आवादी में काफी अधिक लैंगिक पूर्वाग्रह मौजूद है। इसकी व्याख्या के लिए गरीबी प्रासंगिक तो है, लेकिन ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभिन्न तबकों के पुरुष कार्य सहभागिता अनुपातों के बीच उतना अंतर नहीं है। इससे कार्य सहभागिता अनुपातों में अंतर के मामले में लैंगिक पूर्वाग्रह अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा हो जाता है।

<u>स्वास्थ्य</u>

बिहार में 1998-99 और 2004-05 के बीच टीकाकरण का आच्छादन 12 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया है जबकि इस दौरान राष्ट्रीय औसत में महज 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में शिशु मृत्यु दर भी 72 (प्रति हजार जीवित प्रसव) से घटकर 68 रह गई। इसका श्रेय मुख्यतः संस्थागत सेवा-प्रदान में वृद्धि को दिया जा सकता है जो इस अवधि में 15 प्रतिशत से 22 प्रतिशत हो गया (परिशिष्ट-6 एवं 9)।

<u>स्वास्थ्य अधिसंरचना</u>

राज्य मे स्वास्थ्य अधिसंरचना की स्थिति का सारांश तालिका 5.16 में प्रस्तुत किया गया है। बिहार में कुल मिलाकर 11,107 स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें से 415 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 69 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 9,588 स्वास्थ्य उप-केंद्र और 1,035 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एपीएचसी) हैं। प्रति लाख आबादी पर राज्य में 13 स्वास्थ्य केंद्र हैं। जिला स्तर पर उनके आच्छादन में काफी अंतर है। प्रति लाख आबादी पर जहां खगड़िया 153 और गोपालगंज में 89 स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहीं नवादा में यह आंकड़ा मात्र 8 है। गोपालगंज और खगड़िया के अलावा किसी भी जिले में प्रति लाख आबादी पर 19 से अधिक केंद्र नहीं हैं। 28 जिलों में न्यूनतम 1 रेफरल अस्पताल है, लेकिन शेष 10 जिलों में तो एक भी नहीं है। राज्य में रेफरल अस्पतालों की कुल संख्या 70 है।

तालिका 5.16 : स्वास्थ्य अधिसंरचना की स्थिति (दिसंबर 2008 तक)

जिला	जनसंख्या	सीएचसी की सं.		रेफरल अस्पतालों की संख्या		अनु. अस्पतालों की सं.	पीएचसी की संख्या		उप केंद्रों की संख्या	एपीएचसी की सं.	कुल पीएचसी, एपीएचसी और उपकेंद्रों की सं.	प्रति लाख आबादी पर स्वास्थ्य केंद्रों का आच्छादन
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी		ग्रामीण	शहरी				
अररिया	2400000	0	0	1	2	1	7	2	425	23	457	19
अरवल	666942	0	0	0	0	0	5	0	64	21	90	13
औरंगाबाद	2351819	0	0	3	0	0	10	1	212	57	280	12
बांका	2000000	0	0	2	1	1	1	9	265	15	290	15
बेगूसराय	2254573	0	0	2	0	0	18	0	288	27	333	15
भागलपुर	2700000	0	0	0	2	1	11	2	280	41	334	12
भोजपुर	2233415	0	0	3	0	0	13	0	284	10	307	14
बक्सर	1400000	0	0	0	1	1	7	1	162	15	185	13
दरभंगा	3600000	0	0	2	0	0	18	0	261	36	315	9
पूर्व चंपारण	4300000	0	0	3	0	0	19	1	315	46	381	9
गया	3800000	0	0	1	1	0	18	4	643	37	702	18
गोपालगंज	250000	0	0	3	0	1	11	3	186	22	222	89
जमुई	1600000	0	0	2	1	1	5	1	166	22	194	12
जहानाबाद	924000	0	0	1	1	0	5	2	81	27	115	12
कैमूर	1453379	0	0	3	0	1	9	1	197	19	226	16
कटिहार	2690738	0	0	3	0	0	12	1	257	25	295	11
खगड़िया	140000	0	0	1	0	0	6	1	193	14	214	153
किशनगंज	1584006	0	0	1	0	1	7	0	136	8	151	10
लखीसराय	939776	0	0	1	0	1	3	1	102	12	118	13
मधेपुरा	1749637	0	0	0	0	0	6	1	196	17	220	13
मधुबनी	4178606	0	0	2	0	1	18	0	429	57	504	12
मुंगेर	1281149	0	0	1	0	0	7	2	123	8	140	11
मुजफ्फरपुर	4148855	0	0	1	0	0	14	0	473	43	530	13
नालंदा	2368327	0	0	3	0	1	16	4	301	17	338	14
नवादा	2000000	0	0	2	0	0	13	1	125	21	160	8
पटना	5600000	0	0	4	0	3	19	4	418	60	501	9
पूर्णिया	3000000	0	0	3	0	0	10	1	278	34	323	11
रोहतास	2700000	0	0	2	0	1	17	2	186	32	237	9
सहरसा	1427403	0	0	0	0	0	10	2	163	15	190	13
समस्तीपुर	3700000	0	0	1	0	3	20	3	354	31	408	11
सारण	3700000	0	0	0	4	0	1	14	503	43	561	15
शेखपुरा	594144	0	0	0	1	1	6	0	73	16	95	16
शिवहर	600000	0	0	0	0	1	3	0	34	17	54	9
सीतामढ़ी	2669887	0	0	1	0	0	13	1	213	38	265	10
सीवान	2552994	2	0	0	0	0	14	1	316	24	355	14
सुपौल	1900000	0	0	1	1	1	11	0	178	19	208	11
वैशाली	2531766	0	0	0	0	1	16	1	339	36	392	15
प. चंपारण	3300000	0	0	2	0	1	16	2	369	30	417	13
योग	**87291416**	**2**	**0**	**55**	**15**	**23**	**415**	**69**	**9588**	**1035**	**11107**	**13**

मानव संसाधन

राज्य में चिकित्सकों के 4,643 नियमित और 2,369 संविदा आधारित पद स्वीकृत हैं। अभी 58.4 प्रतिशत नियमित और 58.8 प्रतिशत संविदा आधारित पद भरे हुए हैं। चिकित्सकों के स्थानांतरण का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर 5 चिकित्सक पदस्थापित और कार्यरत हैं। चिकित्सकों की उपलब्धता के मामले में जिलों के बीच अंतर मौजूद है। जहां प्रति लाख जनसंख्या पर खगड़िया में 49 और गोपालगंज में 38 चिकित्सक उपलब्ध हैं, वहीं अरवल में केवल एक। खगड़िया और गोपालगंज को छोड़ किसी भी जिले में प्रति लाख जनसंख्या पर 18 से अधिक चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं (परिशिष्ट-2)।

कर्मी (स्टाफ) नर्सों के मामले में स्थिति और भी बुरी है। प्रति लाख जनसंख्या पर ए श्रेणी की कुल 2 नर्सें पदस्थापित और कार्यरत हैं। ऐसी नर्सों से 57.1 प्रतिशत नियमित और 26.4 प्रतिशत संविदा आधारित पद भरे गए हैं। जहां प्रति लाख आबादी पर खगड़िया में ए श्रेणी की 41 नर्सें कार्यरत हैं, वहीं बक्सर के लिए यह आंकड़ा 1 से भी कम है। खगड़िया, पश्चिम चंपारण और शिवहर को छोड़ किसी भी जिले में प्रति लाख जनसंख्या पर ए श्रेणी के नर्सों की संख्या 8 से अधिक नहीं है (परिशिष्ट-3)।

ए.एन.एम. की उपलब्धता के मामले में भी यही पैटर्न दुहराया गया है। राज्य में ए.एन.एम. के 11,251 नियमित और 10,946 संविदा आधारित पद स्वीकृत हैं। इनमें से 86.4 प्रतिशत नियमित और 41.7 प्रतिशत संविदा आधारित पदों को भरा गया है। राज्य में प्रति लाख आबादी पर 16 ए.एन.एम. कार्यरत हैं। खगड़िया और गोपालगंज को छोड़ किसी भी जिले में प्रति लाख आबादी पर ए.एन.एम. की संख्या 29 से अधिक नहीं है (परिशिष्ट-4)।

आशा कर्मियों की नियुक्ति लक्ष्य के काफी करीब है। 74,350 स्थानों में से लगभग 92 प्रतिशत भरे हैं और 87 प्रतिशत कर्मियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। गोपालगंज में प्रति लाख जनसंख्या पर 806 आशा कार्यरत हैं जिनमें से 747 प्रशिक्षित हैं। खगड़िया के लिए यह आंकड़ा क्रमशः 715 और 691 है। अन्य जिलों में प्रति लाख आबादी पर 137 से कम आशा पदस्थापित हैं (परिशिष्ट-5)।

स्वास्थ्य सेवा-प्रदान में हस्तक्षेप

- सफाई, पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी संबंधी सेवाओं के लिए सहयोगी सेवाओं में निजी क्षेत्रों की संलग्नता।
- मुफ्त दवा वितरण और भर्ती करके (इनडोर) चिकित्सा।
- स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सा व अन्य कर्मियों की नियुक्ति की गति में तेजी।
- आशा कर्मियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण।**Error!**

नवंबर 2005 से बिहार में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में सुधार परिणाम के आंकड़ों में प्रतिबिंबित होने लगा है। पहले ग्रामीण बिहार में बहिरंग विभागों (ओपीडी) में कम रोगी पहुंचते थे। 95 प्रतिशत रोगी चिकित्सा हेतु निजी चिकित्सकों के पास जाते थे। जनवरी 2006 में प्रतिदिन सरकारी अस्पतालों में मात्र 39 रोगी पहुंचते थे। जनवरी 2007 में यह संख्या बढ़कर 2,243 तथा जनवरी 2008 में और भी बढ़कर 2,522 हो गई। अक्तूबर 2008 में यह आंकड़ा 4,380 था।

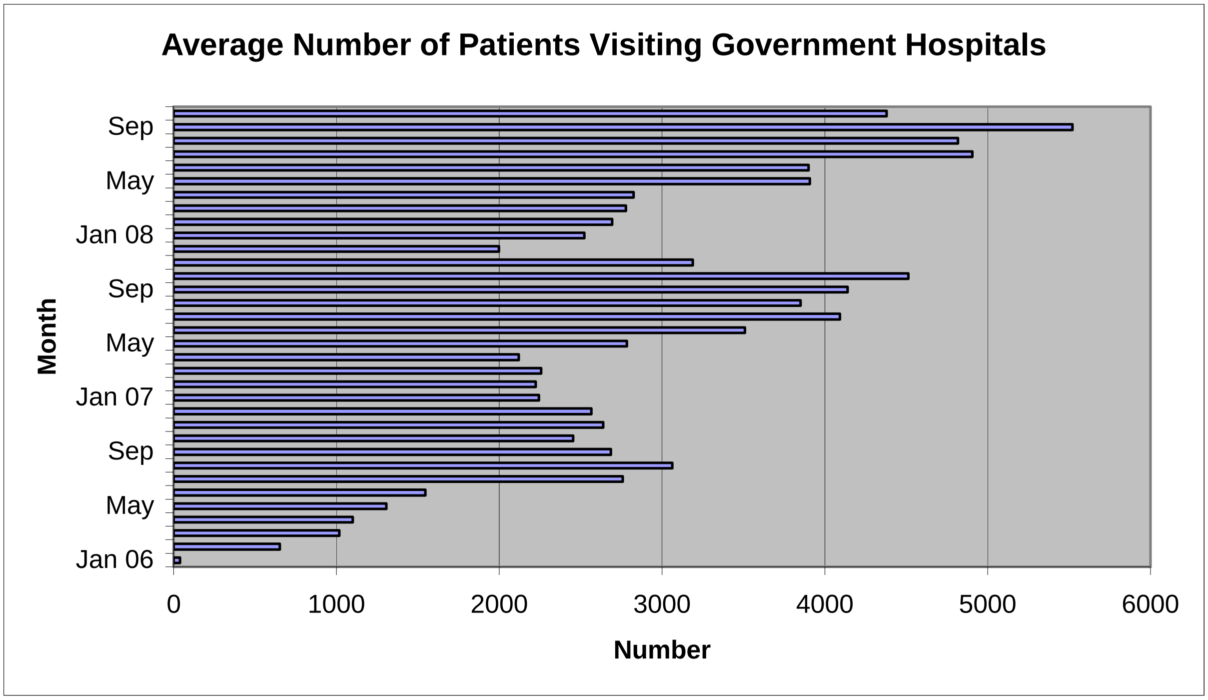

<u>जननी एवं बाल सुरक्षा योजना (जेबीएसवाइ)</u>

जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का शुभारंभ 1 जुलाई, 2006 को किया गया था। तब से संस्थागत प्रसवों की संख्या तेजी से बढ़ी और 2007-08 में यह आंकड़ा लगभग 8,38,481 होना अनुमानित है। संस्थागत प्रसव के मामले में 2006 से मासिक प्रगति दृष्टिगोचर है (चार्ट 4.2)। संस्थागत प्रसव के जिलावार मासिक आंकड़े परिशिष्ट-6 में उपलब्ध हैं। नवजात शिशुओं की माताओं को संस्थागत प्रसव पर ग्रामीण क्षेत्रों में 1,400 रु. और शहरी क्षेत्रों में 1,000 रु. भुगतान ने सशक्त प्रोत्साहन का काम किया है।

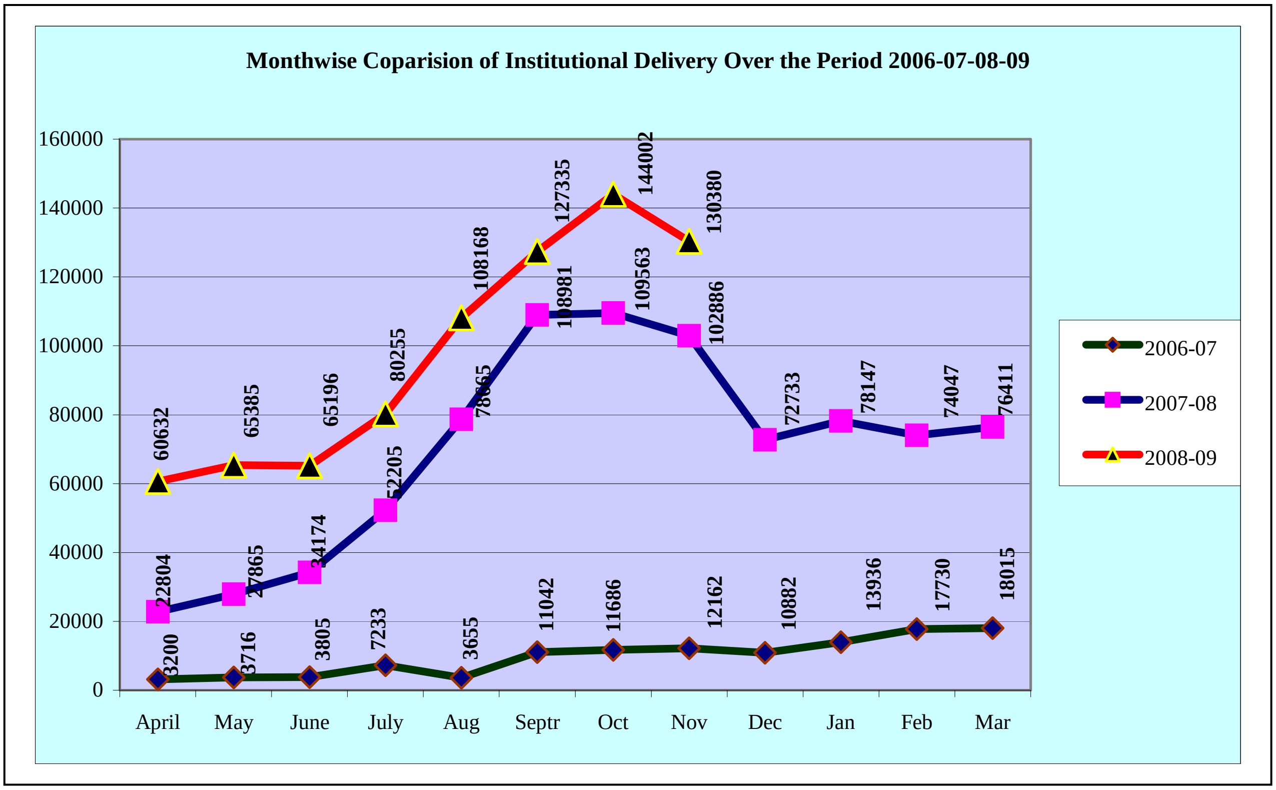

<u>मुफ्त दवा वितरण</u>

वर्ष 2005-06 से मुफ्त दवा वितरण में तेजी आई है। मुफ्त वितरण हेतु दवाओं की अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) पर व्यय 2005-06 के 3.5 करोड़ रु. से बढ़कर 2008-09 में 68 करोड़ रु. हो गया है।

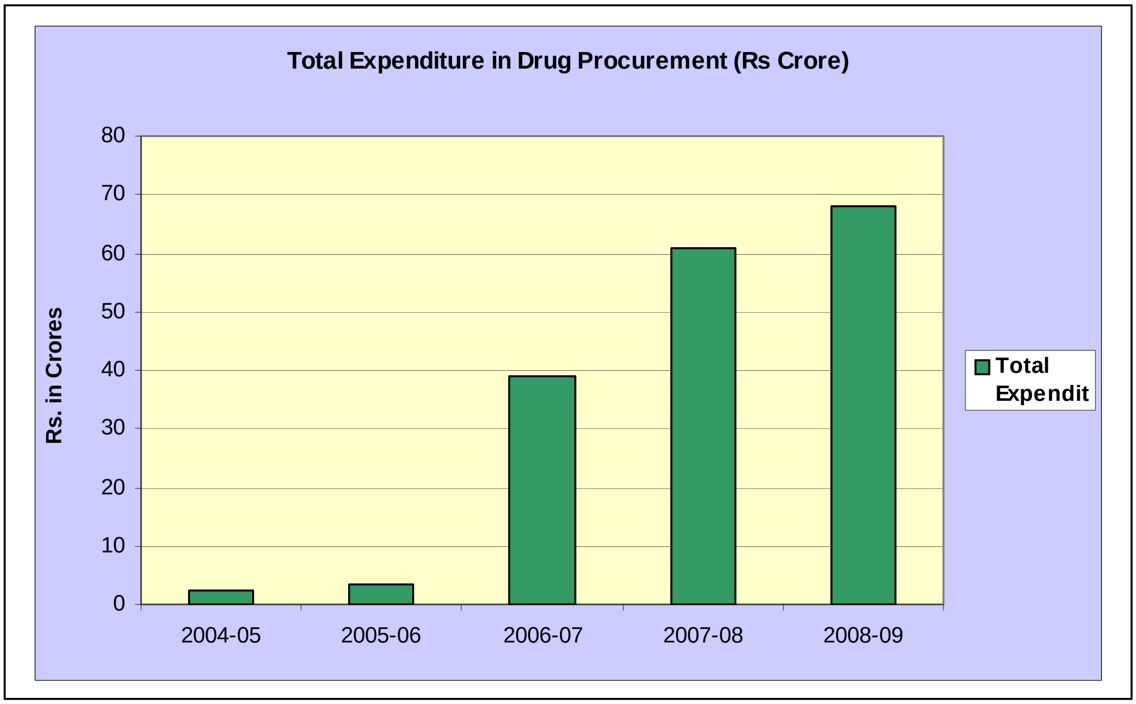

कोष का उपयोग

स्वास्थ्य हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति को कुल कोष आबंटन 2005-06 में 398.22 करोड़ रु. था जो 2008-09 में 889.21 करोड़ रु. हो गया। इसमें से वास्तविक विमुक्ति 2005-06 के 124.33 करोड़ रु. से बढ़कर 351.17 करोड़ रु. हो गई। प्राप्तियों के बरअक्स उपयोग 2005-06 में 31 प्रतिशत था जो 2007-08 में 57 प्रतिशत हो गया था। ध्यान देने की बात है कि 2008-09 की पहली तीन तिमाहियों में कोष का उपयोग 62.9 प्रतिशत पहुंच गया है। यद्यपि अनुमोदित बजट के बरअक्स उपयोगिता निम्न है, लेकिन लेकिन इससें सुधार हुआ है और 2005-06 के 9.7 प्रतिशत से यह 2007-08 में 34.9 प्रतिशत हो गया।

तालिका 5.17 : स्वास्थ्य व्यय का वित्तीय सारांश

(करोड़ रु.)

वर्ष	अनुमोदित बजट	प्राप्त धन		कुल प्राप्तियां	कुल व्यय	प्राप्तियों के बरअक्स % उपयोग	अनुमोदित बजट के बरअक्स % उपयोग
		भारत सरकार (एनआरएचएम)	बिहार सरकार				
2005-06	398.22	124.33	-	124.33	38.62	31.1	9.7
2006-07	571.42	328.75	51.84	380.59	92.14	24.2	16.1
2007-08	680.7	240.2	175.37	415.57	237.8	57.2	34.9
2008-09	889.21	350.48	0.69	351.17	220.92	62.9	24.8
योग	2539.55	1043.76	227.9	1271.66	589.48	46.4	23.2

समेकित बाल विकास योजना (आइसीडीएस)

आरंभिक बचपन के विकास के प्रति अपने समेकित दृष्टिकोण के कारण यह अनन्य कार्यक्रम है। इसमें बच्चों की उन्नत देखरेख, कम उम्र में ही प्रेरणा एवं सीख, स्वास्थ्य एवं पोषण, जल एवं पर्यावरण की स्वच्छता प्रदान की जाती है। यह छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं के लिए लक्षित कार्यक्रम है जिसका क्रियान्वयन प्रशिक्षित आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं तथा समर्थनदाता सामुदायिक ढांचों द्वारा किया जाता है। समेकित बाल विकास योजना में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य (टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं तथा छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज), पोषण (पूरक आहार, विकास अनुश्रवण एवं प्रोत्साहन, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा) तथा शिक्षा (शिशु देखरेख एवं विद्यालय-पूर्व शिक्षा) हेतु हस्तक्षेप किया जाता है। ऐसा पांचसूत्री कार्यक्रम के जरिए किया जाता है :

- छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
- बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, भौतिक एवं सामाजिक विकास का आधार तैयार करना।
- मृत्यु, विकृति, कुपोषण तथा विद्यालय परित्याग की घटना में कमी लाना।
- बाल विकास के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी नीति व क्रियान्वयन का प्रभावी समन्वय करना।
- समुचित स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के जरिए बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान देने के लिए मां की क्षमतावृद्धि करना।

तालिका 5.18 : जिलावार परियोजनाएं

जिला	समेकित बाल विकास परियोजनाओं की सं.		जिला	समेकित बाल विकास परियोजनाओं की सं.	
	स्वीकृत	कार्यरत		स्वीकृत	कार्यरत
पटना	23	23	दरभंगा	19	19
नालंदा	20	20	मधुबनी	21	21
रोहतास	20	20	समस्तीपुर	21	21
कैमूर	11	11	सहरसा	10	10
बक्सर	10	10	सुपौल	11	11
भोजपुर	15	15	मधेपुरा	13	13
गया	25	25	पूर्णिया	15	15
जहानाबाद	7	7	अररिया	9	9
अरवल	5	5	किशनगंज	7	7
नवादा	14	14	कटिहार	15	15
औरंगाबाद	11	11	भागलपुर	17	17
सारण	21	21	बांका	11	11
सीवान	19	19	मुंगेर	10	10
गोपालगंज	14	14	शेखपुरा	6	6
मुजफ्फरपुर	17	17	लखीसराय	6	6
सीतामढ़ी	18	18	जमुई	10	10
शिवहर	5	5	बेगूसराय	18	18
पश्चिम चंपारण	17	17	खगड़िया	7	7
पूर्व चंपारण	29	29	योग	544	544
वैशाली	17	17			

वर्ष 2007-08 तक बिहार में राज्य के सभी 38 जिलों के सभी प्रखंडों को आच्छादित करती समेकित बाल विकास योजना की 544 परियोजनाएं कार्यरत थीं। वर्ष 2008-09 में 5,440 आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) और उतने ही लघु आंगनवाड़ी केंद्र जोड़े गए थे। इस प्रकार 2008-09 में बिहार में कुल 86,237 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत थे।

तालिका 5.19 : समेकित बाल विकास योजना - परियोजनाओं की संख्या

वर्ष	परियोजनाओं की स.	आंगनवाड़ी केंद्रों की सं.	लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की सं.
2005-06	532	60153	—
2006-07	5	19516	—
2007-08	7	1128	—
2008-09	0	5440	5440
योग	544	86237	5440

तालिका 5.20 : समेकित बाल विकास योजना - कार्मिक स्थिति

पद	स्वीकृत क्षमता	वास्तविक क्षमता	रिक्त
बाल विकास परियोजना अधिकारी	544	485	59
महिला पर्यवेक्षक	3288	274	3014
आंगनवाड़ी सेविका	80797	80211	586
आंगनवाड़ी सहायिका	80797	80211	586

आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की वास्तविक संख्या कुल स्वीकृत पदों का 99.3 प्रतिशत है (तालिका 5. 19)। इस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्रों के स्तर पर कर्मियों की पर्याप्त संख्या है। गत वर्ष के सर्वेक्षण में दर्ज पर्यवेक्षण कर्मियों की कमी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (प्रखंड में परियोजना स्तर पर कार्यकारी अधिकारियों) की नियुक्त के जरिए दूर कर दी गई है। स्वीकृत पदों के प्रतिशत के रूप में वास्तविक संख्या 2006-07 के 33.8 प्रतिशत से बढ़कर 89.2 प्रतिशत हो गई है। तथापि, महिला पर्यवेक्षकों के 3,288 स्वीकृत पदों में से मात्र 8.3 प्रतिशत ही भरे गए हैं और पयर्वेक्षण कर्मियों की कमी अभी भी बरकरार है।

तालिका 5.21 : समेकित बाल विकास परियोजना - संसाधनों का उपयोग

मद	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
बिहार आइसीडीएस के लिए कुल बजट (लाख रु.)	23874.2	43268.3	60130.1	78785.6
बिहार के लिए विमुक्त कुल राशि (लाख रु.)	15524.4	18393.3	36931	72619.4
बिहार द्वारा सूचित कुल व्यय (लाख रु.)	14234.4	36238.6	40729.5	60688.9
विमुक्त राशि बजट के % में	65	42.5	61.4	92.17
व्यय विमुक्त राशि के % में	91.7	197	110.3	82.57
व्यय बजट के प्रतिशत में	59.6	83.8	67.7	77.03

बिहार में समेकित बाल विकास परियोजना में संसाधनों का आबंटन और उपयोग, दोनों बढ़ा है (तालिका 5.21)। कुल बजट 2004-05 के 238.74 करोड़ रु. से बढ़कर 2007-08 में 787.58 करोड़ रु. हो गया है। निम्न वास्तविक कोष विमुक्ति के पैटर्न से हटकर 2007-08 में बजट में निर्धारित कोष की 92 प्रतिशत राशि विमुक्त की गई जबकि पिछले साल इसका हिस्सा आधे से थोड़ा ही अधिक था। बजट के प्रतिशत के रूप में व्यय भी 2006-07 के 68 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 77 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार, गत वर्ष के मुकाबले समग्र आबंटन और उपयोग में वृद्धि हुई है। समेकित बाल विकास परियोजना को दिए गए महत्व के अनुरूप राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास परियोजना के लिए अलग निदेशालय गठित किया है।

लोक स्वास्थ्य

जलापूर्ति और स्वच्छता लोक स्वास्थ्य के अभिन्न अंग हैं। राज्य सरकार द्वारा 2003-04 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की 1,05,303 बसाहटों (हैबिटेशंस) में पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के लिहाज से 32,911 बसाहटें

पूर्णतः आच्छादित, 44,930 अंशतः आच्छादित (पीसी) और पूर्णतः 27,462 अनाच्छादित (एनसी) हैं। वर्ष 2006-07 से नवंबर 2008 तक आच्छादन की वार्षिक प्रगति का जिलावार ब्योरा तालिका 5.22 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.22 : अनाच्छादिन और अंशतः आच्छादित बसाहटों के लिए जिलावार आच्छादन

जिला	2006-07			2007-08			2008-09 (नवंबर 08 तक)			कुल आच्छादन		
	एनसी	पीसी	योग	एनसी	पीसी	योग	एनसी	पीसी	योग	एनसी	पीसी	योग
पटना	160	134	294	0	0	0	102	300	402	262	434	696
नालंदा	184	184	368	3	29	32	170	240	410	357	453	810
गया	790	419	1209	19	0	19	420	205	625	1229	624	1853
जहानाबाद/ अरवल	48	194	242	0	13	13	33	167	200	81	374	455
नवादा	52	134	186	5	24	29	63	153	216	120	311	431
औरंगाबाद	173	157	330	25	25	50	130	126	256	328	308	636
रोहतास	150	132	282	0	0	0	108	202	310	258	334	592
कैमूर	181	60	241	23	54	77	20	150	170	224	264	488
भोजपुर	70	53	123	0	0	0	22	268	290	92	321	413
बक्सर	198	30	228	121	30	151	250	54	304	569	114	683
मुजफ्फरपुर	362	198	560	34	317	351	124	131	255	520	646	1166
वैशाली	60	103	163	10	7	17	305	348	653	375	458	833
सीतामढ़ी	109	305	414	14	47	61	71	304	375	194	656	850
शिवहर	0	*73*	73	0	0	0	0	50	50	0	123	123
सारण	276	261	537	5	21	26	78	560	6388	359	842	1201
सीवान	216	94	310	395	176	571	377	82	459	988	352	1340
गोपालगंज	674	654	1328	342	610	952	6	465	471	1022	1729	2751
पश्चिम चंपारण	333	384	717	130	123	253	190	544	734	653	1051	1704
पूर्व चंपारण	0	43	43	0	0	0	0	248	248	0	291	291
दरभंगा	167	342	509	0	215	215	95	584	679	262	1141	1403
समस्तीपुर	0	405	405	0	370	370	0	558	558	0	1333	1333
बेगूसराय	945	0	945	200	276	476	127	97	224	1272	373	1645
मधुबनी	107	218	325	15	41	56	167	487	654	289	746	1035
भागलपुर	372	161	533	139	84	223	212	164	376	723	409	1132
बांका	236	172	408	0	0	0	125	138	263	361	310	671
मुंगेर	0	22	22	0	0	0	0	73	73	0	95	95
शेखपुरा	0	35	35	0	0	0	0	46	46	0	81	81
लखीसराय	125	65	190	29	22	51	160	34	194	314	121	435
जमुई	570	125	695	75	10	85	162	108	270	807	243	1050
सहरसा	0	599	599	0	147	147	0	310	310	0	1056	1056
सुपौल	0	954	954	0	34	34	0	406	406	0	1394	1394
खगड़िया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मधेपुरा	0	301	301	0	37	37	0	392	392	0	730	730
पूर्णिया	853	208	1061	134	66	200	259	197	456	1246	471	1717
किशनगंज	200	90	290	804	459	1263	124	55	179	1128	604	1732
अररिया	95	186	281	77	83	160	40	298	338	212	567	779
कटिहार	55	174	229	4	25	29	28	203	231	87	402	489
योग	7761	7669	15430	2603	3345	5948	3968	8747	12715	14332	19761	34093

नवंबर 2008 तक तक 34,093 बसाहटों के आच्छादन के साथ गत तीन वर्षों में आच्छादित बसाहटों का प्रतिशत 31.3 से बढ़कर 63.3 प्रतिशत हो गया है।

Error!

लोक स्वास्थ्य में हस्तक्षेप

- शत-प्रतिशत आच्छादन के लिए लोहिया स्वच्छता योजना आरंभ की गई है।
- मुक्तिधाम योजना के तहत 50 श्मशान घाटों को उन्नत किया जा रहा है।
- जन्म एवं मृत्यु निबंधन लक्ष्यों की उपलब्धता में वृद्धि। (परिशिष्ट-8)

5.3 श्रम, रोजगार एवं गरीबी

राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार में गरीबी का अस्तित्व दशकों से काफी अधिक है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के आकलनों ने भी इस तथ्य को स्थापित किया गया है। बिहार में ग्रामीण गरीबी का स्तर 1983-84 में 64.4 प्रतिशत था जो 2004-05 में घटकर 45.7 प्रतिशत रह गया (तालिका 5.23)। तथापि, 2004-05 का गरीबी अनुपात भी राष्ट्रीय औसत के समकक्ष आंकड़ों - ग्रामीण (28.3 प्रतिशत) और शहरी (25. 7 प्रतिशत) - के मुकाबले काफी अधिक है।

तालिका 5.23 : बिहार और भारत में गरीबी अनुपात

प्रक्षेत्र	वर्ष	बिहार	भारत
ग्रामीण	1983-84	64.4	45.7
	1987-88	52.6	39.1
	1993-94	58.2	37.3
	1999-00	44.3	27.1
	2004-05	42.1	28.3
शहरी	1983-84	47.3	40.8
	1987-88	48.7	38.2
	1993-94	34.5	32.4
	1999-00	32.9	23.6
	2004-05	34.6	25.7
संयुक्त	1983-84	62.2	44.5
	1987-88	52.1	38.9
	1993-94	55.0	36.0
	1999-00	42.6	26.1
	2004-05	41.4	27.5

मानवीय जरूरतों की मूलभूत वंचना के बतौर गरीबी जीवन और जीविका संबंधी मुद्दों के साथ कई तरह से जुड़ी है। विभिन्न सामाजिक समूहों का रोजगार पैटर्न जीविका के मुद्दों और गरीबी के बीच संबंध का एक सूचक है। कार्य सहभागिता अनुपात अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक (45.2 प्रतिशत) है और उसके बाद अनुसूचित जातियों में (39.7 प्रतिशत) जबकि राज्य का समग्र कार्य सहभागिता अनुपात 33.7 प्रतिशत ही है (परिशिष्ट–10)।

मुख्य श्रमिकों का तबकावार विभाजन भी स्थापित करता है कि कृषि श्रमिकों का हिस्सा, जिनका जीवन अनिश्चितता और मौसमी रोजगार एवं भूमिहीनता के बोझ से दबा है, राज्य औसत (48 प्रतिशत) की अपेक्षा अनुसूचित जाति (77.6 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति (62.5 प्रतिशत) में सर्वाधिक है। पूरी जनसंख्या में कृषि श्रमिकों के अनुपात में जिलों के बीच भारी अंतर है, जो जमुई में 32.5 प्रतिशत है और पूर्णिया में 63.3 प्रतिशत। लेकिन अनुसूचित जाति के कृषि श्रमिकों के मामले में लगभग सारे जिलों में समरूपता है (मुंगेर में 61 प्रतिशत से शिवहर में 90.4 प्रतिशत)। महज तीन जिलों का अनुपात 70 प्रतिशत के नीचे है। अधिकांश जिलों में विरल मौजूदगी के कारण अनुसूचित जनजाति के कृषि श्रमिकों के बीच अनुपात में काफी अंतर है लेकिन सहरसा, पश्चिम चंपारण, अररिया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार और किशनगंज जिलों में यह 70 प्रतिशत के ऊपर है (परिशिष्ट–11)।

विभिन्न सामाजिक समूहों में कृषकों का अनुपात भी आर्थिक स्थिति का सूचक है। यह अच्छी तरह मालूम है कि राज्य में 10 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों का प्रतिशत 5 से भी कम है। अधिकांश कृषक लघु अथवा सीमांत किसान हैं। लेकिन इसमें भी राज्य के औसत (29.3 प्रतिशत) की अपेक्षा अनुसूचित जातियों में कृषकों का प्रतिशत बहुत कम (7.9 प्रतिशत) है। अनुसूचित जनजाति के लिए यह आंकड़ा 21.3 प्रतिशत है। इस प्रकार भूमिहीनता अनुसूचित जाति की स्थिति से प्रत्यक्षतः जुड़ी है (परिशिष्ट–11)। 'अन्य श्रमिक' की व्यापक श्रेणी में भी यही पैटर्न देखा जा सकता है। एकमात्र अपवाद कुटीर उद्योग का क्षेत्र है जहां के पैटर्न बहुत कम विषम हैं, लेकिन मुख्य श्रमिकों में इसका हिस्सा मात्र 4 प्रतिशत है (परिशिष्ट–11)। आयवृद्धि और रोजगार, खाद्य सुरक्षा और आवासन तात्कालिक बुनियादी जरूरतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इन वंचनाओं से निपटने के लिए गत वर्षों अनेक कार्यक्रम बनाए और चलाए गए हैं। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के प्रदर्शन पर नीचे विचार किया गया है।

<u>स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ)</u>

स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना समुदायों में स्वयं सहायता समूहों तथा व्यक्तिगत स्वरोजगार कार्यक्रमों के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की एक योजना है। इसके तहत 2007–08 में 14,036 स्वयं सहायता समूह बनाए गए जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 8,324 था। नए स्वयं सहायता समूहों में से 8,120 (57.9 प्रतिशत) महिला स्वयं सहायता समूह हैं। दिसंबर 2008 तक राज्य स्तर पर कर इस योजना के लिए उपलब्ध राशि के 47 प्रतिशत का उपयोग का लिया गया था जबकि पिछले साल की इस अवधि तक यह आंकड़ा 52 प्रतिशत था।

तालिका 5.24 : स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना – भौतिक एवं वित्तीय सारांश (2007-08)

जिला	आर्थिक गतिविधियों हेतु सहायता-प्राप्त एसएचजी सदस्यों की संख्या			आर्थिक गतिविधियों हेतु सहायता-प्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की संख्या			प्रशिक्षित एसएचजी सदस्यों की संख्या			प्रशिक्षित व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की संख्या		
	कुल	अजा	महिला	कुल	अजा	महिला	कुल	अजा	महिला	कुल	अजा	महिला
अररिया	2185	253	2161	392	50	51	3627	297	3320	438	21	114
अरवल	250	108	93	74	50	6	17	8	9	2	1	1
औरंगाबाद	1665	1015	1601	189	122	13	2261	1079	2174	0	0	0
बांका	920	215	872	218	43	19	2612	506	1357	0	0	0
बेगूसराय	2242	334	1608	519	221	184	2775	896	2389	17	5	10
भागलपुर	2558	639	2065	395	117	0	2558	639	2065	0	0	0
भोजपुर	1852	584	800	166	72	23	550	332	370	87	34	6
बक्सर	976	493	441	139	71	57	944	485	286	531	263	165
दरभंगा	479	196	479	17	5	3	290	110	290	0	0	0
पूर्व चंपारण	6453	1796	4551	1650	777	293	4788	1402	3064	80	26	29
गया	1656	838	601	3629	1725	1228	1656	838	601	3629	1725	1228
गोपालगंज	1428	529	898	574	276	147	3059	800	1821	355	197	147
जमुई	236	85	236	442	162	17	236	85	236	442	162	17
जहानाबाद	1284	650	448	205	123	47	1248	650	448	205	123	47
कैमूर	390	170	100	111	45	10	300	150	50	0	0	0
कटिहार	1980	170	198	244	51	61	602	59	61	0	0	0
खगड़िया	2292	1146	917	145	72	58	2292	1146	917	0	0	0
किशनगंज	424	44	310	0	0	0	424	44	310	0	0	0
लखीसराय	789	244	162	161	51	28	789	244	162	0	0	0
मधेपुरा	1938	715	702	167	62	35	1938	715	702	167	62	35
मधुबनी	5250	700	4140	856	330	125	5250	700	4140	856	330	125
मुंगेर	1519	392	1086	252	133	155	6895	2886	5421	0	0	0
मुजफ्फरपुर	4303	2124	3678	335	77	76	6131	1763	5439	20	0	0
नालंदा	2302	604	1182	122	89	42	2485	790	809	651	0	0
नवादा	1994	917	1946	497	228	43	2649	1081	2428	226	68	7
पटना	4889	1911	2983	8	1	0	7697	3453	3809	3	3	3
पूर्णिया	1993	698	640	671	130	141	2000	700	650	670	150	220
रोहतास	1130	360	410	334	110	82	150	48	65	49	22	16
सहरसा	2748	974	1369	553	298	74	7847	2221	4146	276	101	53
समस्तीपुर	11510	6837	347	334	185	11	4060	2250	122	0	0	0
सारण	1260	810	806	598	386	127	3537	2261	2546	0	0	0
शेखपुरा	498	170	297	5	5	4	2336	896	1389	0	0	0
शिवहर	1140	326	512	15	4	3	540	135	205	5	2	3
सीतामढ़ी	2690	231	855	1148	26	20	5675	478	2715	0	0	0
सीवान	1937	974	1126	1544	930	475	886	435	464	369	161	172
सुपौल	1760	880	704	715	358	42	2000	1005	830	784	668	315
वैशाली	1804	913	944	0	0	0	5727	3031	3471	0	0	0
पश्चिम चंपारण	4631	2038	1604	781	302	307	1172	510	380	174	68	62
योग	85355	32083	43872	18205	7687	4007	100003	35128	59661	10036	4192	2775
प्रतिशत हिस्से		37.6	51.4		42.2	22.0		35.1	59.7		41.8	27.7

तालिका 5.25 : स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना - प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता (2007-08)

जिला	उपलब्ध/ प्रयुक्त राशि का विवरण			भौतिक उपलब्धियां		
	रकम (लाख रु.)					
	उपलब्ध	प्रयुक्त	उपयोगिता दर	वर्तमान वर्ष में दिसंबर 08 तक बने एसएचजी की सं.	वर्तमान वर्ष में दिसंबर 08 तक बने महिला एसएचजी की सं.	महिला एसएचजी (%)
मुजफ्फरपुर	1841.889	885.552	48.1	2149	841	39.1
अररिया	1518.993	321.65	21.2	830	1218	146.7
पूर्व चंपारण	1102.23	466.434	42.3	784	313	39.9
सहरसा	772.899	500.51	64.8	782	361	46.2
गोपालगंज	381.186	260.435	68.3	710	475	66.9
वैशाली	879.446	333.85	38.0	595	335	56.3
दरीभंगा	1578.963	1013.75	64.2	580	515	88.8
मधुबनी	1677.035	844.268	50.3	564	451	80.0
पटना	804.9	767.795	95.4	456	186	40.8
बांका	358.007	187.94	52.5	448	0	0.0
समस्तीपुर	2699.092	739.885	27.4	406	17	4.2
सुपौल	664.093	432.83	65.2	378	190	50.3
बेगूसराय	1210.33	597.39	49.4	369	198	53.7
मुंगेर	408.612	302.893	74.1	356	251	70.5
रोहतास	657.257	242.2	36.9	323	96	29.7
भोजपुर	692.283	366.02	52.9	310	109	35.2
शिवहर	189.523	166.84	88.0	305	195	63.9
जमुई	834.98	461.83	55.3	305	305	100.0
कटिहार	1012.606	473.1	46.7	301	70	23.3
कैमूर	374.91	98.793	26.4	300	175	58.3
पश्चिम चंपारण	1158.528	638.04	55.1	280	325	116.1
नवादा	812.39	377.235	46.4	266	310	116.5
जहानाबाद	457.803	364.7	79.7	260	27	10.4
खगड़िया	1155.672	523.87	45.3	250	230	92.0
नालंदा	521.988	273.3	52.4	236	86	36.4
मधेपुरा	447.5	247.73	55.4	229	187	81.7
औरंगाबाद	609.12	289.41	47.5	222	159	71.6
बक्सर	316.988	164.06	51.8	200	96	48.0
पूर्णिया	1168.436	386.672	33.1	194	68	35.1
सीवान	470.437	284.25	60.4	141	112	79.4
सारण	806.137	306.64	38.0	130	30	23.1
शेखपुरा	221.42	91.557	41.3	117	54	46.2
गया	1401.527	535.79	38.2	111	71	64.0
किशनगंज	485.477	260.097	53.6	75	10	13.3
सीतामढ़ी	1092.892	362.494	33.2	49	37	75.5
अरवल	160.57	20.726	12.9	25	11	44.0
भागलपुर	920.167	442.38	48.1	0	0	
लखीसराय	462.847	140.66	30.4	0	6	
योग	32329.131	15173.86	46.9	14036	8120	57.9

वित्तीय उपयोगिता और भौतिक उपलब्धियां, दोनों लिहाज से स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के प्रदर्शन में जिलों के बीच काफी अंतर दिखता है। जहां नवसृजित अरवल जिले ने गत वर्ष के 7.5 प्रतिशत की अपेक्षा 2007-08 में उपलब्ध कोष का 12.9 प्रतिशत उपयोग किया, वहीं पटना में कोष का उपयोग 95.4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर दिखा। सर्वाधिक संख्या में स्वयं सहायता समूह मुजफ्फरपुर में बनाए गए (2,149), जिसके बाद अररिया (830), पूर्व चंपारण (784), और सहरसा (782) का स्थान था। दूसरी ओर पिछले साल का पैटर्न दुहराते हुए भागलपुर और लखीसराय जिलों में कोई स्वयं सहायता समूह नहीं बना और कोष का उपयोग क्रमशः 48 और 30 प्रतिशत हुआ।

वर्ष 2007-08 में स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत आर्थिक गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूहों के कुल 85,355 स्वरोजगारी सदस्यों को और 18,205 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को सहायता दी गई। इसी प्रकार स्वयं सहायता समूहों के कुल 1,00,003 स्वरोजगारी सदस्यों को और 10,036 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया। स्वयं सहायता समूहों के स्वरोजगारी सदस्यों में महिला स्वरोजगारी सदस्यों का हिस्सा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के मामले में 51 प्रतिशत था और प्रशिक्षण प्राप्त करने के मामले में 60 प्रतिशत। व्यक्तिगत महिला स्वरोजगारियों के लिए यह आंकड़ा क्रमशः 22 और 27 प्रतिशत था। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह स्वरोजगार के मामले में स्वरोजगार के व्यक्तिगत प्रयासों की अपेक्षा महिलाओं को बेहतर उपलब्धि दिलाते दिखते हैं। स्वयं सहायता समूहों की स्वरोजगारियों में अनुसूचित जाति की स्वरोजगारी सदस्यों का हिस्सा आर्थिक सदस्यता प्राप्त करने वाली सदस्यों के बीच 38 प्रतिशत था और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सदस्यों के बीच 35 प्रतिशत। अनुसूचित जाति के व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए ये आंकड़े क्रमशः 42 और 41 प्रतिशत थे। इस प्रकार महिला स्वरोजगार के लिए भी अनुसूचित जाति को स्वयं सहायता समूहों के जरिए पहुंच बेहतर विकल्प के रूप में नहीं दिखी।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम (नरेगा)

नरेगा एक मांग आधारित गारंटीशुदा रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत किसी आवेदक को 100 दिनों के रोजगार का हक दिया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 2007-08 में 81,24,997 परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए थे। इनमें अनुसूचित जाति के परिवार 45.1 प्रतिशत थे। इन कार्डधारी परिवारों में से 48.3 प्रतिशत ने 2007-08 में रोजगार की मांग की और 39,25,748 परिवारों (48.3 प्रतिशत) को रोजगार उपलब्ध कराया गया। नरेगा अधिनियम में किए गए उल्लेख के अनुरूप 2007-08 में कुल 1.3 प्रतिशत (49,945) परिवारों को ही 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

तालिका 5.26 : नरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन - 2007-08

जिला	दिसंबर तक जॉब कार्डधारी परिवारों की सं. (अजा)	दिसंबर तक जॉब कार्डधारी परिवारों की सं. (कुल)	रोजगार मांगने वाले परिवारों की सं.	रोजगार प्राप्त परिवारों की सं.	100 दिन रोजगार प्राप्त परिवारों की संचित सं.	जॉब कार्ड प्राप्त अजा परिवारों की % सं.	कार्डधारी परिवारों में काम मांगने वाले परिवारों की % सं.	रोजगार प्राप्त परिवारों में 100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की % सं.
खगड़िया	34849	87093	74596	74596		40.0	85.7	
बांका	33650	124375	106350	105376	32	27.1	85.5	0.0
जहानाबाद	54714	91188	76480	76480	1289	60.0	83.9	1.7
बेगूसराय	110300	249500	201000	201000		44.2	80.6	0.0
सारण	141160	271231	215134	215134		52.0	79.3	
जमुई	65940	146446	102777	102777	9980	45.0	70.2	9.7
मुंगेर	33297	136614	92451	92451	4345	24.4	67.7	4.7
भोजपुर	74327	169454	109577	109577	2	43.9	64.7	0.0
पूर्व चंपारण	164762	417656	263878	263878	361	39.4	63.2	0.1
पश्चिम चंपारण	131117	331612	207379	207379		39.5	62.5	
औरंगाबाद	100599	160735	109887	100230	4572	62.6	62.4	4.6
अरवल	23428	40423	25024	25024	108	58.0	61.9	0.4
लखीसराय	36205	118664	66176	66176	1835	30.5	**55.8**	2.8
कटिहार	39453	232076	127459	127459	0	17.0	54.9	0.0
गया	186118	261104	142046	142046	0	71.3	54.4	0.0
नवादा	100512	153882	81917	81917	7675	65.3	53.2	9.4
शिवहर	28294	74640	39206	39165	445	37.9	52.5	1.1
दरभंगा	195210	325177	170120	170120		60.0	52.3	0.0
पटना	126439	292660	152948	152948	2351	43.2	52.3	1.5
मधेपुरा	110983	187685	93341	93341		59.1	49.7	
रोहतास	96594	198124	97356	97356	6	48.8	49.1	0.0
नालंदा	141581	291969	133040	133040	12546	48.5	45.6	9.4
अररिया	59692	242540	109902	109887	1262	24.6	45.3	1.1
मुजफ्फरपुर	205298	342162	136864	136864		60.0	40.0	
सीतामढ़ी	112639	270535	104600	104600		41.6	38.7	
सहरसा	137297	246789	94379	94379		55.6	38.2	
समस्तीपुर	209311	318208	101501	101501	320	65.8	31.9	0.3
सुपौल	33396	220159	69729	69729		15.2	31.7	
सीवान	49927	172989	53764	53764		28.9	31.1	
किशनगंज	29795	199106	59880	59880		15.0	30.1	
गोपालगंज	64815	176725	53018	53018	1007	36.7	30.0	1.9
वैशाली	215943	408723	122317	122317		52.8	29.9	
भागलपुर	47178	195889	56874	56874	270	24.1	29.0	0.5
पूर्णिया	137891	352917	82091	82091	412	39.1	23.3	0.5
बक्सर	66872	119232	23120	23120	1127	56.1	**19.4**	4.9
शेखपुरा	27773	61561	11171	11171		45.1	**18.1**	
कैमूर	57636	120755	18452	18452		47.7	**15.3**	
मधुबनी	179215	314399	150631	150631		57.0	4.8	
बिहार	3664210	8124997	3926912	3925748	49945	45.1	48.3	1.3

तालिका 5.27 : नरेगा -भौतिक एवं वित्तीय सारांश - 2007-08

जिला	कुल लाभार्थी परिवार	श्रमदिवस (लाख में)	महिलाओं द्वारा काम किए दिनों की सं.	भूमि सुधार/ आइएवाइ की सं.	कुल उपलब्ध कोष (लाख रु.)	कुल प्रयुक्त कोष (लाख रु.)	कोष उपयोग (%)	महिलाओं द्वारा % कार्यदिवस
सुपौल	69729	53.30	29.50	2150	5100.71	4641.7	91.0	55.3
गया	142046	47.62	16.66	82000	8074.83	6298.5	78.0	35.0
मुजफ्फरपुर	136864	45.67	17.35	359	6440.43	5884.4	91.4	38.0
पूर्व चंपारण	263878	35.619	4.63	7120	4774.31	3595.5	75.3	13.0
मुंगेर	92451	35.26	11.66	30245	5391.86	5036.6	93.4	33.1
जमुई	102777	35.162	12.64	108000	4956.04	4461.5	90.0	35.9
कटिहार	127459	31.98	10.55	19690	4879.18	4465.4	91.5	33.0
दरभंगा	170120	31.486	9.44	12	5610.6	4374.6	78.0	30.0
सहरसा	94379	31.37	10.48	832	4709.57	4287.5	91.0	33.4
पश्चिम चंपारण	207379	26.55	6.35	3817	4278.99	3530.2	82.5	23.9
मधेपुरा	93341	26.45	8.72	332	4223.25	3615.1	85.6	33.0
नवादा	81917	25.76	8.499	15	4739.48	2932.5	61.9	33.0
लखीसराय	66176	25.71	6.01	30820	3944.35	3005.9	76.2	23.4
सीवान	53764	25.66	0.44	4927	3941.46	2938.5	74.6	1.7
पटना	152948	24.59	7.09	90	5064.82	3413.5	67.4	28.8
अररिया	109887	24.50	7.39	13041	5313.13	3274.4	61.6	30.1
नालंदा	133040	24.01	7.81	1318	3210.27	2345.1	73.1	32.5
वैशाली	122317	23.49	1.03	21185	4483.92	2935	65.5	4.4
जहानाबाद	76480	21.71	5.47	20303	3918.47	2932.1	74.8	25.2
औरंगाबाद	100230	20.37	4.27	14967	3539.98	2410.4	68.1	21.0
सीतामढ़ी	104600	20.28	4.09	1750	4312.68	2201.5	51.0	20.2
बक्सर	23120	17.94	5.56	613	1725.57	1517.7	88.0	31.0
मधुबनी	150631	17.68	3.56		5945.95	3044	51.2	20.1
सारण	215134	17.20	0.86	24729	3680.47	1841.9	50.0	5.0
बेगूसराय	201000	14.61	2.60	7240	6166.55	1930.1	31.3	17.8
समस्तीपुर	101501	13.95	3.07	530	5365	3820.4	71.2	22.0
रोहतास	97356	13.86	4.50	138589	2627.31	1973.8	75.1	32.5
शिवहर	39206	13.82	4.83	4538	2781.85	1939.9	69.7	34.9
भोजपुर	109577	12.83	0.41	2018	1923.04	1362.4	70.8	3.2
भागलपुर	56874	12.58	1.39	2992	2151.63	1303.8	60.6	11.1
गोपालगंज	53018	12.25	1.35	4286	2225.45	1605.3	72.1	11.1
बांका	105376	11.36	1.72	864	1773	1315	74.2	15.2
अरवल	25024	10.51	1.61	253	2043.59	1010.3	49.4	15.3
कैमूर	18452	10.08	2.21	1292	1391.10	1159.2	83.3	21.9
किशनगंज	59880	9.04	1.77	185300	1672.54	1190.2	71.2	19.6
पूर्णिया	82091	8.31	2.80	14720	1210.14	820.24	67.8	33.7
शेखपुरा	11171	4.17	0.60	5068	1474.66	455.87	30.9	14.3
खगड़िया	74596	3.86	0.86	-	2221.94	464.6	20.9	22.2
योग	3863370	840.58	229.80	756005	147288	105335	71.5	27.3

रोजगार मांगने वाले परिवारों के अनुपात के मामले में जिला स्तर पर काफी अंतर है। मधुबनी में कुल कार्डधारी परिवारों में से मात्र 4.8 प्रतिशत द्वारा रोजगार मांगना दर्ज किया गया। वहीं, बांका, बेगूसराय, खगड़िया और जहानाबाद में 80 प्रतिशत से भी अधिक कार्डधारी परिवारों ने रोजगार की मांग की। मधुबनी के अलावा बक्सर, कैमूर, लखीसराय और शेखपुरा ही ऐसे जिले हैं जहां 20 प्रतिशत से भी कम कार्डधारी परिवारों ने रोजगार की मांग की (तालिका 5.26)।

इस कार्यक्रम के तहत 2007-08 में 38,63,370 परिवारों के लिए कुल 841 लाख श्रमदिवस का रोजगार सृजित किया गया है। इनमें से 27.3 प्रतिशत कार्यदिवस महिलाओं के लिए थे। लगभग 20 प्रतिशत परिवार इंदिरा आवास योजना अथवा भूमि सुधारों के तहत भी लाभान्वित थे। इस कार्यक्रम में जिलों के बीच काफी अंतर है और अनेक जिलों में कोष के उपयोग तथा रोजगार सृजन के बीच कोई संगति नहीं है। सुपौल, गया और मुजफ्फरपुर जिलों ने उच्च कोष उपयोग दर (लगभग 80 प्रतिशत या ऊपर) के साथ 40 लाख श्रमदिवस से अधिक कार्य सृजित किया। सुपौल में 55.3 प्रतिशत से अधिक कार्यदिवस महिलाओं के लिए थे। दूसरी ओर किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया और शेखपुरा में 10 लाख श्रमदिवस से कम रोजगार सृजित किए गए। किशनगंज और पूर्णिया में कोष का उपयोग लगभग 70 प्रतिशत था जबकि खगड़िया में 21 और शेखपुरा में 31 प्रतिशत। कोष के उपयोग की सर्वोच्च दर 93.4 प्रतिशत मुंगेर में थी। सीवान में महिलाओं के कार्यदिवस का हिस्सा 2 प्रतिशत से भी कम था। रोजगार में महिलाओं के हिस्से के मामले में भोजपुर और वैशाली का आंकड़ा भी लगभग वैसा ही था - क्रमशः 3.2 और 4.4 प्रतिशत। पूरे राज्य के लिए 2007-08 में कोष का उपयोग 71.5 प्रतिशत था (तालिका 5.27)।

<u>इंदिरा आवास योजना</u>

गरीबी रेखा से नीचे स्थित लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना शक्य आवासन (अफोर्डेबल हाउसिंग) के लिहाज से एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। इस योजना के तहत कुल आवास में न्यूनतम 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति को, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को तथा 3 प्रतिशत विकलांगों को देना अनिवार्य है।

वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार ने कोष का 72 प्रतिशत उपयोग करते हुए 73 प्रतिशत भौतिक लक्ष्य पूरा किया। कुल बने मकानों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का हिस्सा 55 प्रतिशत था जो न्यूनतम 60 प्रतिशत की विहित सीमा से कम है। इसी प्रकार अल्पसंख्यकों का हिस्सा भी 15 प्रतिशत की विहित सीमा के बजाय 8.5 प्रतिशत थी (तालिका 5.28)।

तालिका 5.28 : 2007-08 तक इंदिरा आवास योजना का सारांश

इंदिरा आवास योजना के घटक	आइएवाइ नया	आइएवाइ उत्क्रमण	आइएवाइ ऋण सह अनुदान	योग	विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों का % हिस्सा
कुल भौतिक लक्ष्य	-	-	-	567171	
पूर्णनिर्मित मकान	377453	24740	2414	404607	
पूर्णनिर्मित मकान (अजा)	198417	12642	1129	212188	51.5
पूर्णनिर्मित मकान (अजजा)	12640	917	186	13743	3.3
पूर्णनिर्मित मकान (अल्पसंख्यक)	34251	928	19	35198	8.5
पूर्णनिर्मित मकान (अन्य)	132145	10253	1080	143478	34.8
कुल उपलब्ध कोष (लाख रु.)	196448.107	7303.708	771.594	204523.409	
कुल प्रयुक्त कोष (लाख रु.)	141790.12	3598.70	326.28	145715.09	
उपयोग का प्रतिशत	72.2	49.3	42.3	71.2	

तालिका 5.29 : इंदिरा आवास योजना (नई) : भौतिक एवं वित्तीय सारांश - 2007-08

जिला	कुल लक्ष्य	पूर्णनिर्मित मकान	भौतिक उपलब्धि वार्षिक लक्ष्य के % में	उपलब्ध कोष का % उपयोग
मुजफ्फरपुर	33812	20235	59.8	74.1
सहरसा	1701	2344	137.8	68.6
अरवल	6422	3865	60.2	78.1
लखीसराय	4715	2505	53.1	51.7
जमुई	11766	9990	84.9	68.1
मधेपुरा	9637	7146	74.2	72.4
मुंगेर	7174	2640	36.8	56.5
कटिहार	4368	3089	70.7	59.0
जहानाबाद	22106	10095	45.7	86.3
पटना	34142	19281	56.5	57.0
शेखपुरा	13384	11986	89.6	84.3
सुपौल	15872	11460	72.2	56.2
बेगूसराय	4646	4813	103.6	87.0
नवादा	2419	2202	91.0	90.2
सीतामढ़ी	4188	2169	51.8	92.2
गया	23813	24271	101.9	65.4
भागलपुर	9992	515	5.2	70.0
बक्सर	13783	7818	56.7	52.8
गोपालगंज	2331	2402	103.0	92.6
सीवान	21645	21249	98.2	86.6
पश्चिम चंपारण	37122	16651	44.9	43.0
शिवहर	3725	3751	100.7	92.4
अररिया	34884	45507	130.5	92.2
औरंगाबाद	6180	3065	49.6	77.2
पूर्व चंपारण	5533	4538	82.0	58.3
सारण	9414	8184	86.9	87.5
किशनगंज	38196	17497	45.8	83.5
कैमूर	6567	2677	40.8	64.3
बांका	18126	23462	129.4	84.9
समस्तीपुर	23081	12095	52.4	67.4
दरभंगा	14077	8424	59.8	64.5
नालंदा	1256	1076	85.7	94.2
वैशाली	7773	4512	58.0	69.8
मधुबनी	23617	16983	71.9	59.5
रोहतास	12701	15381	121.1	99.4
पूर्णिया	26349	22531	85.5	70.9
भोजपुर	18980	9108	48.0	67.7
खगड़िया	31674	19090	60.3	68.1
योग	567171	404607	71.3	71.3

इंदिरा आवास योजना के जिलावार क्रियान्वयन में भी भारी अंतर दिखता है। मुजफ्फरपुर, सहरसा, अरवल, लखीसराय और जमुई में भौतिक लक्ष्य ही नहीं पूरे कर लिए गए, 85 से 93 प्रतिशत कोष के उपयोग के साथ उससे आगे भी बढ़ लिया गया। मधेपुरा, मुंगेर, कटिहार, अरवल और जहानाबाद में भी 90 प्रतिशत से अधिक भौतिक लक्ष्य हासिल किया गया और कोष का उपयोग 65 से 91 प्रतिशत के बीच रहा। दूसरी ओर, खगड़िया में 75 प्रतिशत कोष का उपयोग हुआ था लेकिन मात्र 5.2 प्रतिशत मकान पूरे किए जा सके थे।

<u>खाद्य सुरक्षा और जन वितरण प्रणाली</u>

आवश्यक वस्तुओं के लिए जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) राज्य में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के उपयों का महत्वपूर्ण भाग है। जन वितरण प्रणाली की दूकानों के जरिए चार आवश्यक वस्तुओं (गेहूं, चावल, चीनी और किरासन तेल) का वितरण होता है। राज्य सरकार द्वारा 2006 में कराए गए वास्तविक सर्वेक्षण द्वारा किए गए संशोधन के आधार पर उपभोक्ता गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल) और गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल), दो श्रेणियों में विभाजित हैं। जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा के नीचे स्थित 39,93,973 परिवारों को प्रति माह 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (25 कि.ग्रा. चावल और 10 कि.ग्रा. गेहूं) दिया जा रहा था। अंत्योदय योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे स्थित 24,28,523 परिवारों को भी प्रति माह 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था – 2 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से 21 कि.ग्रा. चावल और 3 रु. कि.ग्रा. की दर से 14 कि.ग्रा. गेहूं। अन्नपूर्णा योजना के तहत 1,66,600 गृहविहीन वरिष्ठ नागरिकों को 6 कि.ग्रा. गेहूं और 4 कि.ग्रा. चावल मुफ्त दिया जाता है।

लाभान्वितों का जिलावार हिस्सा कमोबेश जिले की आबादी में उनके हिस्से के अनुपात में ही है। प्रति लाख आबादी पर दूकानों की संख्या में जिलों के हिसाब से अंतर है। इस मामले में सारण शीर्ष पर है (67 दूकानें प्रति लाख आबादी), जिसके बाद पूर्वी चंपारण (64) और औरंगाबाद (53) का स्थान है। प्रति लाख आबादी पर 50 से अधिक दूकानों वाले अन्य जिले भोजपुर, मुंगेर, बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और अरवल हैं। दूसरे छोर पर लखीसराय है जहां प्रति लाख आबादी पर मात्र 32 दूकानें हैं। अन्य 10 जिलों में भी प्रति लाख आबादी पर 40 से कम दूकानें हैं (तालिका 5.30)।

प्रति हजार जनसंख्या पर लाभान्वितों की सर्वाधिक संख्या मधुबनी में है (681), जिसके बाद मुजफ्फरपुर (621), पश्चिम चंपारण (610) तथा पूर्व चंपारण (504) का स्थान है। प्रति हजार आबादी पर 100 से कम लाभान्वितों की संख्या वाले जिले लखीसराय (87), शिवहर (83), अरवल (82) तथा शेखपुरा (65) हैं (तालिका 5.30)।

तालिका 5.30 : जन वितरण प्रणाली का सारांश

जिला	पीडीएस की दूकानें		लाभान्वितों की संख्या					
	संख्या	प्रति लाख आबादी पर	बीपीएल	अंत्योदय	अन्नपूर्णा	योग	कुल में % हिस्सा	जनसंख्या का हिस्सा
पटना	2646	49.6	301.0	160.8	13.8	475.6	4.0	5.7
नालंदा	1081	40.3	245.3	108.0	5.2	358.5	3.0	2.9
भोजपुर	1335	52.6	177.9	84.0	3.7	265.6	2.2	2.7
बक्सर	756	47.7	133.2	43.8	3.6	180.6	1.5	1.7
रोहतास	1013	36.6	222.1	76.2	4.1	302.4	2.5	3.0
कैमूर	636	43.6	129.8	58.6	2.5	190.9	1.6	1.6
गया	1973	50.2	255.5	120.0	5.5	381.1	3.2	4.2
जहानाबाद	517	46.0	69.5	31.6	2.8	103.8	0.9	1.2
अरवल	294	50.1	55.4	24.8	2.0	82.2	0.7	0.6
औरंगाबाद	1202	52.8	161.9	72.6	2.6	237.1	2.0	2.4
नवादा	857	41.9	137.2	61.4	3.7	202.3	1.7	2.2
सारण	2460	67.0	283.8	128.6	5.7	418.1	3.5	3.9
सीवान	1824	59.4	241.6	79.7	4.8	326.0	2.7	3.3
गोपालगंज	1104	45.4	185.6	83.8	4.4	273.8	2.3	2.6
मुजफ्फरपुर	2155	50.9	424.1	190.7	6.7	621.4	5.2	4.5
वैशाली	1371	44.6	358.9	118.7	4.1	481.7	4.0	3.3
सीतामढ़ी	1072	35.3	344.1	111.9	4.7	460.7	3.9	3.2
शिवहर	234	40.1	61.5	20.3	0.8	82.5	0.7	0.6
पूर्व चंपारण	2194	63.8	345.7	153.0	5.1	503.8	4.2	3.7
पश्चिम चंपारण	1694	38.0	414.4	186.8	8.7	609.9	5.1	4.7
दरभंगा	1344	36.1	268.2	117.6	6.6	392.5	3.3	4.0
मधुबनी	1579	39.1	465.1	207.3	8.3	680.7	5.7	4.3
समस्तीपुर	1438	37.5	321.7	143.5	5.9	471.1	4.0	4.1
सहरसा	682	40.0	167.2	54.0	3.9	225.1	1.9	1.8
सुपौल	717	36.6	235.7	76.6	3.9	316.2	2.7	2.1
मधेपुरा	619	35.9	180.8	58.9	2.9	242.7	2.0	1.8
पूर्णिया	1250	43.5	371.4	122.1	4.5	497.9	4.2	3.1
अररिया	998	40.9	220.8	96.8	4.2	321.8	2.7	2.6
किशनगंज	669	45.7	184.7	83.8	2.2	270.8	2.3	1.6
कटिहार	1056	39.0	232.8	76.0	3.1	311.9	2.6	2.9
मुंगेर	664	51.6	109.5	48.4	3.3	161.3	1.4	1.4
जमुई	724	45.8	146.1	62.1	2.2	210.4	1.8	1.7
लखीसराय	293	32.3	63.7	20.6	2.6	86.9	0.7	1.0
शेखपुरा	266	44.8	48.5	15.6	0.9	65.1	0.5	0.6
बेगूसराय	1005	37.8	223.1	99.8	6.0	328.9	2.8	2.8
खगड़िया	714	49.3	165.1	73.7	3.2	241.9	2.0	1.5
भागलपुर	1407	51.4	226.1	76.5	4.3	306.9	2.6	2.9
बांका	937	51.5	158.8	51.3	4.1	214.2	1.8	1.9
योग	42780	1714.8	8337.9	3400.0	166.6	11904.5	100.0	100.0

तालिका 5.31 : जन वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं का आबंटन एवं उठाव (2007-08)

(क्विंटल में)

जिला	गेहूं			चावल		
	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
पटना	250255	178535	71.34	371926	242538	65.21
नालंदा	182022	49506	27.20	271731	74602	27.45
भोजपुर	139755	67591	48.36	208699	96489	46.23
बक्सर	90710	33294	36.70	135171	44611	33.00
रोहतास	149819	78549	52.43	223706	118275	52.87
कैमूर	93342	50122	53.70	139401	86151	61.80
गया	207561	63511	30.60	309967	76659	24.73
जहानाबाद	54273	22121	40.76	80717	33162	41.08
अरवल	41149	16170	39.30	61231	23572	38.50
औरंगाबाद	122625	77942	63.56	183288	120535	65.76
नवादा	108051	67389	62.37	161155	110888	68.81
सारण	209328	37474	17.90	312557	59207	18.94
सीवान	163384	76175	46.62	243887	115167	47.22
गोपालगंज	135201	83138	61.49	201696	99955	49.56
मुजफ्फरपुर	299488	176398	58.90	447569	224987	50.27
वैशाली	222116	57279	25.79	332144	91466	27.54
सीतामढ़ी	223468	28477	12.74	334032	45431	13.60
शिवहर	39232	16166	41.21	58647	36151	61.64
पूर्व चंपारण	255170	150430	58.95	381475	239591	62.81
पश्चिम चंपारण	290999	106419	36.57	434328	185749	42.77
दरभंगा	207630	92457	44.53	309783	122343	39.49
मधुबनी	319147	51537	16.15	476657	29635	6.22
समस्तीपुर	246726	128047	51.90	368611	172555	46.81
सहरसा	109713	28368	25.86	163588	49754	30.41
सुपौल	149220	24547	16.45	223081	41719	18.70
मधेपुरा	115714	22618	19.55	172848	25338	14.66
पूर्णिया	227816	46101	20.24	340598	48238	14.16
अररिया	168499	24062	14.28	251817	45256	17.97
किशनगंज	117423	45534	38.78	175577	71815	40.90
कटिहार	155317	83397	53.69	232200	107533	46.31
मुंगेर	79020	35152	44.48	117885	60059	50.95
जमुई	116585	27189	23.32	174343	36241	20.79
लखीसराय	47453	7732	16.29	70526	4113	5.83
शेखपुरा	33052	15190	45.96	49358	23370	47.35
बेगूसराय	169597	61758	36.41	253428	87772	34.63
खगड़िया	113400	70164	61.87	169304	121932	72.02
भागलपुर	153740	20775	13.51	229850	18993	8.26
बांका	109217	19285	17.66	162790	4903	3.01
योग	**5917214**	**2240599**	**37.87**	**8835569**	**3196755**	**36.18**

आबंटित खाद्यान्नों में उठाव का प्रतिशत जन वितरण प्रणाली के कामकाज का एक महत्वपूर्ण सूचक है। चावल का सर्वाधिक 72 प्रतिशत उठाव खगड़िया में है। नवादा, औरंगाबाद, पटना, पूर्व चंपारण, कैमूर और शिवहर के लिए यह आंकड़ा 60 से 70 प्रतिशत के बीच है। लेकिन भागलपुर, मधुबनी, लखीसराय और बांका में उठाव 10 प्रतिशत से भी कम दिखता है। इसी प्रकार गेहूं के लिए पटना, औरंगाबाद, नवादा, खगड़िया और गोपालगंज में उठाव 60 प्रतिशत से अधिक था। वहीं 9 जिलों में 20 प्रतिशत से भी कम उठाव है।

इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि प्रति हजार आबादी पर लाभान्वितों की संख्या के मामले में मधुबनी जिला सबसे आगे है लेकिन चावल के उठाव में वह सबसे निचले स्तर पर और गेहूं के उठाव में लगभग सबसे निचले स्तर पर मौजूद है। लखीसराय प्रति हजार आबादी पर लाभान्वितों की संख्या में सबसे पीछे और खाद्यान्नों के उठाव के मामले में लगभग सबसे पीछे है। गरीबों की खाद्य सुरक्षा का प्रमुख स्रोत – जन वितरण प्रणाली बेहतर काम करे इसके लिए उठाव, वितरण व आच्छादन के अधिक प्रभावी एवं समरूप पैटर्न हेतु उपाय करने की जरूरत है।

5.4 सीमांतकृत (मार्जिनलाइज्ड) तबकों के लिए हस्तक्षेप

महादलित

अनुसूचित जातियों में भी सर्वाधित सुविधावंचित हिस्से के विकास के लिए राज्य सरकार ने राज्य महादलित आयोग का गठन किया। आयोग का अवलोकन था कि बिहार की 22 अनुसूचित जातियों में से 20 शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा राजनीतिक हैसियत के लिहाज से काफी अधिक सुविधावंचित हैं। आयोग ने इन 20 जातियों की पहचान मुख्यत: साक्षरता दर के आधार पर की। जहां पूरे बिहार की साक्षरता दर 47 प्रतिशत है, वहीं अनुसूचित जातियों की 28.5 प्रतिशत और महादलितों के मामले में मात्र 16.7 प्रतिशत है। उसने पाया कि पूरी तरह अनुसूचित जातियों के लिए चली सकारात्मक कार्रवाई से ये जातियां लाभान्वित नहीं हुईं।

तालिका 5.32 : दलितों का जनसांख्यिक प्रोफाइल

दलित जातियां	व्यक्ति	पुरुष	महिला	सभी दलितों में प्रतिशत
बांतर	101223	52403	48820	0.78
बाउरी	2097	1074	1023	0.02
भोगता	12659	6713	5946	0.10
भुइयां	568403	293027	275376	4.37
भूमिज	2333	1197	1136	0.02
चमार	4090070	2122732	1967338	31.41
चौपाल	100111	52021	48090	0.77
दबगर	3590	1813	1777	0.03
धोबी	647491	336880	310611	4.97
डोम	155383	80855	74528	1.19
दुसाध	4029411	2107535	1921876	30.94
घासी	674	365	309	0.01
हलालखोर	3960	2069	1891	0.03
हारी	181748	94035	87713	1.40
कंजर	1620	860	760	0.01
कुररियार	6566	3366	3200	0.05
लालबेगी	809	445	364	0.01
मुसहर	2112136	1093077	1019059	16.22
नट	38615	19976	18639	0.30
पान	3653	1959	1694	0.03
पासी	711389	370599	340790	5.46
रजवार	213795	109831	103964	1.64
तूरी	33638	17344	16294	0.26
अनाम (जेनरिक) जाति	**27234**	**14500**	**12734**	**0.21**
योग	**13021374**	**6770176**	**6251198**	**100.00**

टिप्पणी : महादलितों में चमार और दुसाध के अलावा सारी अनुसूचित जातियां शामिल हैं।

तालिका 5.33 : दलित आबादी का जिलावार जनसांख्यिक सारांश

जिला	कुल जनसंख्या	कुल अजा जनसंख्या	दलित जनसंख्या
अररिया	2158608	293488	293279
औरंगाबाद	2013055	472766	472227
बांका	1608773	200059	198589
बेगूसराय	2349366	341173	340872
भागलपुर	2423172	254686	252386
भोजपुर	2243144	343598	343428
बक्सर	1402396	198014	196854
दरभंगा	3295789	511125	510392
पूर्व चंपारण	3939773	514119	513437
गया	3473428	1029675	1028978
गोपालगंज	2152638	267250	266241
जमुई	1398796	242710	241902
जहानाबाद	1514315	286217	286126
कैमूर	1289074	286291	285345
कटिहार	2392638	208384	207541
खगड़िया	1280354	185122	184959
किशनगंज	1296348	85833	84477
लखीसराय	802225	126575	126299
मधेपुरा	1526646	260461	260211
मधुबनी	3575281	481922	481603
मुंगेर	1137797	150947	150620
मुजफ्फरपुर	3746714	594577	593865
नालंदा	2370528	473786	473758
नवादा	1809696	435975	435138
पटना	4718592	729988	728896
पूर्णिया	2543942	312088	310459
रोहतास	2450748	444333	442965
सहरसा	1508182	242612	242309
समस्तीपुर	3394793	628838	628397
सारण	3248701	389933	388926
शेखपुरा	525502	103732	103712
शिवहर	515961	74391	74352
सीतामढ़ी	2682720	315646	315087
सीवान	2714349	309013	306701
सुपौल	1732578	256444	256165
वैशाली	2718421	562123	561947
पश्चिम चंपारण	3043466	434714	432931
योग	**82998509**	**13048608**	**13021374**

आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने सभी 20 महादलित जातियों के विकास के लिए अनेक पहलकदमियों की शुरुआत की है।

महादलित कल्याण

- **बिहार महादलित विकास मिशन** – मिशन की स्थापना विशेष योजनाओं के क्रियान्वयन और केंद्रित दृष्टिकोण के लिहाज से की गई है।
- महादलित आवास भूमि योजना, महादलित आवास योजना, महादलित पेयजल योजना, महादलित शौचालय निर्माण योजना, महादलित बस्ती संपर्कपथ योजना, महादलित आंगनवाड़ी, महादलित शिशु सदन, महादलितों के लिए विशेष विद्यालय अथवा छात्रावास, मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना, दशरथ मांझी श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यमंत्री नारी ज्योति योजना, धन्वंतरी चलंत आयुर्वेदिक चिकित्सा, चलंत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, सार्वजनिक कक्ष सह कार्यकक्ष, मुख्यमंत्री जीवनदृष्टि कार्यक्रम आदि महादलितों के विकास हेतु आरंभ की गई प्रमुख योजनाएं हैं।
- सर्वेक्षण, शोध अध्ययन, विज्ञापन, नवाचार योजना – महादलित समुदायों की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं को समझने के लिए महादलित परिवारों के विस्तृत सर्वेक्षण की जरूरत है। उनकी समस्याओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण होना चाहिए और सूचना, शिक्षा एवं संचार (आइईसी) का उपयोग करते हुए अनुकूल माहौल बनाया जा सकता है।
- **प्रशिक्षण एवं शोध हेतु जिला एवं प्रखंड संसाधन केंद्र** – महादलित समुदायों को योजनाओं से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए मिशन जिला एवं प्रखंड संसाधन केंद्रों की स्थापना करेगा। इन केंद्रों का उपयोग महादलित विकास मिशन में शामिल कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु भी किया जा सकता है। सूचनाओं के आवागमन और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए ये सांख्यिकी केंद्र (डाटा सेंटर) के रूप में भी काम करेंगे।
- **विकास मित्र** – विकास मित्र मिशन की बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है। विकास मित्र प्रखंड संसाधन केंद्र और महादलित टोलों के बीच संपर्कसूत्र का काम करेगा।
- **कम्युनिटी रेडियो** – जागरूकता कार्यक्रम के तहत महादलित टोलों के पास सामुदायिक रेडियो होगा। **Error!**

<u>महिला सशक्तीकरण</u>

बिहार में लिंग अनुपात तो 919 है ही, महिलाएं साक्षरता, शिक्षा एवं कार्य सहभागिता के लिहाज से भी सामाजिक रूप से सुविधावंचित हैं जिस पर पूर्ववर्ती खंडों में चर्चा की भी गई है।

महिला विकास निगम राज्य में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसका लक्ष्य सामूहिक प्रयत्न द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण के जरिए स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए महिलाओं का संवेदनीकरण, सशक्तीकरण एवं सहायता करना है। कार्यक्रम में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तीकरण हेतु अनेक योजनाएं हैं। इसके अलावा, इसके तहत सूचना एवं अभिलेखन केंद्रों के साथ-साथ नवाचारों के लिए भी सहायता दी जाएगी। योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है :

Error!

महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण

1. **हेल्पलाइन :** यह संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक संकटकालीन हस्तक्षेप केंद्र है जिसे राज्य के सभी 38 जिलों में स्थापित किया जाएगा।
2. **अल्पावास गृह :** अनैतिक कार्य निवारण अधिनियम, 1986 और घरेलू हिंसा विरोधी महिला संरक्षा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत अनैतिक कार्य (ट्रैफिकिंग) अथवा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए अल्पावास गृहों की स्थापना की जाएगी।
3. **संरक्षा गृह :** यह ट्रैफिकिंग पीड़ितों के लिए आश्रय तथा पुनर्वास सहायता प्रदान करने का केंद्र होगा।
4. **कामकाजी महिला आवास :** सेवा प्रक्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता साधन के रूप में अपने घरों से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं को आवास एवं भोजन सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित है।
5. **शिशुसदन :** शिशुसदन में कामकाजी माओं के पांच वर्ष तक के बच्चों की देखरेख एवं सहयोग किया जाएगा और छोटे बच्चों के समग्र विकास हेतु पौष्टिक आहार, खेल सुविधाएं आदि प्रदान की जाएंगी।
6. **सामाजिक जागरूकता :** इस कार्यक्रम में सामाजिक विद्यालयों को प्रोत्साहित करने तथा नुक्कड़ नाटक, कठपुतली आदि विविध पारंपरिक माध्यमों के जरिए महिला संबंधी विभिन्न मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रस्ताव है।
7. **सामाजिक पुनर्वास कोष :** यह ऐसा कोष है जो संकटग्रस्त महिलाओं को चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य आर्थिक प्रकार की सहायता प्रदान करेगा।

महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तीकरण

1. **महिला स्वयं सहायता समूहों का संचालन, पोषण एवं क्षमता निर्माण :** यह कार्यक्रम महिलाओं को उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने, उनकी जागरूकता का स्तर बढ़ाने तथा विभिन्न आय सृजन योजनाएं हाथ में लेने के लिए सभी जिलों में संचालित किया जाएगा। इसका मकसद सामूहिक शक्ति और नेतृत्व संबंधी गुणों के विकास में महिलाओं को मदद देना है जिससे वे स्वयं सहायता समूह, महासंघ आदि अपनी संस्थाओं का प्रबंधन कर सकें और उन्हें अपने हाथ में ले सकें।

2. **सेवा प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण :** इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं और किशोरियों को प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वे सेवा प्रक्षेत्र में गृह व्यवस्था, कंप्यूटर चालन आदि के जरिए जीविकोपार्जन कर सकें।

3. **आरंभिक पूंजीकरण कोष :** महिला महासंघों को 20,000 रु. प्रति स्वयं सहायता समूह की दर से अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो उनके लिए बैंक ऋण मिलना शुरू होने के पहले समूहों को ऋण देने में मददगार साबित होगी।

4. **अधिसंरचना विकास और जीविका प्रोत्साहन :** प्रशिक्षण तथा उत्पादन केंद्रों की स्थापना के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए तैयारशुदा (टर्न की) परियोजनाओं को सहायता दी जाएगी।

5. **परियोजना प्रस्ताव निर्माण, कार्यशाला तथा सेमिनार/ अनुश्रवण :** महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के मकसद से विविध क्रियानिष्ठ शोध कराए जाएंगे और अनुकरण एवं संवर्धन के लिए उन्हें कार्यशालाओं व संगोष्ठियों में प्रस्तुत किया जाएगा। इस उप-घटक के अंतर्गत अनुश्रवण संबंधी गतिविधियां भी चलाई जाएंगी।

सांस्कृतिक सशक्तीकरण एवं नवाचार

सांस्कृतिक मेलों का आयोजन : पारंपरिक लोककला एवं नाटकों के साथ-साथ हस्तशिल्प सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर मेलों का आयोजन किया जाएगा। महिलाओं में इन कलारूपों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

सूचना एवं अभिलेखन केंद्र : ये केंद्र राज्य में महिलाओं से संबंधित समस्त आंकड़ों का संकलन-समूहन करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति को दिशा देने के लिए आंकड़ा केंद्र के रूप में काम करेंगे।

नवाचारी योजनाएं

महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण की ओर लक्षित प्रक्रियाओं, रणनीतियों एवं संकल्पनाओं से संबंधित नवीन तथा नवाचारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता निधि प्रदान की जाएगी।

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण

बिहार की आबादी में पिछड़े वर्गों का हिस्सा 60 प्रतिशत तक है। अतः पिछड़े एवं अति पिछड़े तबकों का समग्र विकास बिहार के मानव विकास की बुनियाद है। उनके शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु योजना आधारित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य सरकार ने अप्रैल 2007 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण हेतु एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की थी।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु कल्याण के उपाय

- बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से ऋण दिलाने में अतिरिक्त धन (मार्जिन मनी) और बैंक गारंटी प्रदान करके स्वरोजगारियों की सहायता की है।
- 59 से अधिक कार्यों (ट्रेड्स) को निगम के समर्थन वाली विभिन्न सामान्य योजनाओं के अंतर्गत लाया गया है।
- स्वर्णिमा योजना निम्न ब्याज (4 प्रतिशत वार्षिक) पर ऋण के प्रावधान के जरिए पिछड़े वर्गों की महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु समर्पित है।
- शैक्षिक ऋण, प्रोफेशनल लोगों के लिए 5 लाख रु. तक स्वयंसक्षम ऋण तथा सूक्ष्मवित्त योजनाएं अन्य महत्वपूर्ण साधन हैं।
- वर्ष 2007-08 में 81,311 विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक शिक्षा और 6,27,921 विद्यार्थियों को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए वजीफा दिया गया।
- माध्यमिक परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अति पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 2008-09 में 10,000 रु. का वजीफा शुरू किया गया है।
- पिछड़े वर्गों एवं अति पिछड़े वर्गों के लिए 12 में से 6 आवासीय विद्यालयों के लिए भवन बनाए जा रहे हैं और इन विद्यालयों को नवोदय के पैटर्न पर विकसित करने के लिए संस्था बनाई गई है।**Error!**

अल्पसंख्यक

बिहार की जनसंख्या का 16.71 प्रतिशत हिस्सा धार्मिक अल्पसंख्यकों का है, जिनमें से 16.53 प्रतिशत मुसलमान, 0.03 प्रतिशत ईसाई तथा 0.21 प्रतिशत अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं।

तालिका 5.34 : धार्मिक आधार पर जनसंख्या की जिलावार संरचना

जिला	प्रतिशत हिस्सा			
	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	अन्य
अररिया	58.55	41.14	0.00	0.32
औरंगाबाद	90.14	9.74	0.00	0.12
बांका	87.60	11.81	0.00	0.58
बेगूसराय	86.54	13.35	0.00	0.11
भागलपुर	82.16	17.47	0.08	0.29
भोजपुर	92.57	7.28	0.00	0.15
बक्सर	93.35	6.16	0.00	0.49
दरभंगा	77.17	22.73	0.00	0.11
पूर्व चंपारण	77.98	21.25	0.00	0.77
गया	88.21	11.62	0.00	0.18
गोपालगंज	82.89	17.06	0.00	0.05
जमुई	86.71	12.18	0.00	1.11
जहानाबाद	91.73	8.20	0.00	0.07
कैमूर	90.13	9.55	0.00	0.33
कटिहार	56.99	42.53	0.21	0.28
खगड़िया	89.61	10.27	0.00	0.12
किशनगंज	31.86	67.58	0.22	0.34
लखीसराय	95.51	4.41	0.00	0.08
मधेपुरा	88.56	11.37	0.00	0.07
मधुबनी	81.97	17.94	0.00	0.09
मुंगेर	91.86	7.89	0.10	0.14
मुजफ्फरपुर	84.56	15.32	0.00	0.12
नालंदा	92.45	7.46	0.00	0.09
नवादा	88.65	11.30	0.00	0.06
पटना	91.84	7.76	0.19	0.21
पूर्णिया	62.30	36.76	0.00	0.94
रोहतास	89.73	10.07	0.00	0.20
सहरसा	85.49	14.45	0.03	0.03
समस्तीपुर	89.42	10.48	0.00	0.09
सारण	89.55	10.40	0.00	0.05
शेखपुरा	92.68	7.18	0.07	0.07
शिवहर	84.33	15.52	0.00	0.15
सीतामढ़ी	78.71	21.21	0.00	0.08
सीवान	81.74	18.21	0.00	0.06
सुपौल	82.31	17.44	0.11	0.14
वैशाली	90.41	9.53	0.00	0.06
पश्चिम चंपारण	80.75	19.16	0.00	0.09
योग	**83.23**	**16.53**	**0.03**	**0.21**

मुसलमानों की सर्वाधिक संख्या अररिया (41.14 प्रतिशत), पूर्णिया (36.76 प्रतिशत), कटिहार (42.53 प्रतिशत) तथा किशनगंज (67.58 प्रतिशत) है और सबसे कम लखीसराय में (4.4 प्रतिशत)। ईसाइयों का भी सर्वाधिक हिस्सा किशनगंज और कटिहार में ही है।

राज्य सरकार बिहार में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए समर्पित है। अल्पसंख्यक जिन सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए राज्य सरकार ने उनकी उन्नति के लिए लक्षित कार्यक्रमों के रूप में अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है।

Error!

अल्पसंख्यक कल्याण के उपाय

- अल्पसंख्यक छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग–अलग छात्रावासों का निर्माण।
- अल्पसंख्यक समुदाय भवन सह हज मंजिल।
- अल्पसंख्यक समुदाय की महान हस्तियों की स्मृति में स्मारकों का निर्माण।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम तथा राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के लिए राज्य के हिस्सा पूंजी का प्रावधान।
- वक्फ की संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण।
- वक्फ की संपत्तियों के विकास एवं संरक्षा के लिए अनुदान।
- महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मेधाविता सह साधन वजीफे।
- अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना।
- अल्पसंख्यक कारीगरों एवं युवा–युवतियों के प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना।
- मुसलमान परित्यक्ता महिलाओं को वित्तीय सहायता।
- विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करने वाले मुसलमान विद्यार्थियों के लिए कोचिंग।

परिशिष्ट-1

जिलावार नामांकन 2003-04

क्रम सं.	जिला का नाम	2003-04								
		समस्त			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	योग (1-8)	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	योग (1-8)	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	योग (1-8)
1	अररिया	184908	19635	204543	21424	1577	23001	3068	275	3343
2	औरंगाबाद	274660	46038	320698	61394	7813	69207	513	271	784
3	बांका	175924	16630	192554	20172	1445	21617	6613	446	7059
4	बेगूसराय	263717	31940	295657	43913	3583	47496	2487	313	2800
5	भागलपुर	262798	31734	294532	31065	2810	33875	7732	960	8692
6	भोजपुर	295868	43287	339155	43567	5288	48855	919	164	1083
7	बक्सर	179991	33324	213315	23251	3796	27047	647	209	856
8	दरभंगा	358063	51469	409532	56133	5603	61736	720	36	756
9	गया	467060	67152	534212	141368	11584	152952	203	101	304
10	गोपालगंज	269874	34833	304707	39138	3687	42825	12	0	12
11	जमुई	159867	19207	179074	24592	1861	26453	7415	381	7796
12	जहानाबाद	179983	34025	214008	38690	5166	43856	319	23	342
13	कैमूर	186814	33098	219912	45947	6783	52730	6455	164	6619
14	कटिहार	242474	38494	280968	24063	3123	27186	12809	1997	14806
15	खगड़िया	160460	17077	177537	19302	1344	20646	13	0	13
16	किशनगंज	132612	11654	144266	12288	1031	13319	4688	278	4966
17	लखीसराय	84013	18212	102225	10953	1998	12951	1093	245	1338
18	मधेपुरा	228403	22828	251231	34971	2202	37173	1889	248	2137
19	मधुबनी	476601	74376	550977	68928	5782	74710	471	62	533
20	मुंगेर	134595	30212	164807	18514	2962	21476	2175	145	2320
21	मुजफ्फरपुर	516310	63695	580005	95070	7958	103028	0	0	0
22	नालंदा	286527	51792	338319	60966	7152	68118	607	31	638
23	नवादा	167675	21476	189151	41190	3129	44319	756	215	971
24	पश्चिम चंपारण	349140	39622	388762	54902	3897	58799	15165	1384	16549
25	पटना	471349	74082	545431	106928	10424	117352	2448	243	2691
26	पूर्व चंपारण	473206	52149	525355	66865	4572	71437	1573	283	1856
27	पूर्णिया	261473	29865	291338	28476	2223	30699	10337	1070	11407
28	रोहतास	281861	89738	371599	56717	11862	68579	3560	834	4394
29	सहरसा	180366	22895	203261	26678	2157	28835	763	77	840
30	समस्तीपुर	352598	57973	410571	64581	7087	71668	2076	480	2556
31	सारण	396081	78429	474510	48017	7991	56008	450	51	501
32	शेखपुरा	59891	9626	69517	10531	1141	11672	241	6	247
33	शिवहर	62471	6329	68800	9262	516	9778	36	0	36
34	सीतामढ़ी	286694	41348	328042	37258	2797	40055	489	106	595
35	सीवान	342838	71530	414368	48102	7347	55449	1292	590	1882
36	सुपौल	194493	29493	223986	29009	2810	31819	1773	202	1975
37	वैशाली	330699	67193	397892	66418	8230	74648	27527	350	27877
	योग	**9732357**	**1482460**	**11214817**	**1630643**	**170731**	**1801374**	**129334**	**12240**	**141574**

परिशिष्ट-1 (जारी)

जिलावार नामांकन 2004-05

क्रम सं.	जिला का नाम	2004-05								
		समस्त			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	योग (1-8)	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	योग (1-8)	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	योग (1-8)
1	अररिया	252204	35591	287795	25578	2363	27941	3161	338	3499
2	औरंगाबाद	290795	62972	353767	63289	9681	72970	461	159	620
3	बांका	213535	19285	232820	22452	1751	24203	9266	781	4119
4	बेगूसराय	321703	39040	360743	46258	4274	50532	1714	265	1979
5	भागलपुर	307649	38522	346171	39983	3832	43815	13008	2706	15714
6	भोजपुर	314264	56326	370590	48507	7416	55923	820	170	17693
7	बक्सर	192408	40373	232781	25441	4385	29826	675	483	1158
8	दरभंगा	382041	67188	449229	61715	6806	68521	569	114	683
9	गया	503491	90602	594093	156797	17953	174750	2207	189	1841
10	गोपालगंज	294681	54471	349152	42664	5732	48396	1	0	1
11	जमुई	160627	23375	184002	25486	2529	28015	7807	313	8120
12	जहानाबाद	201741	44788	246529	41891	6290	48181	0	0	8121
13	कैमूर	222779	49147	271926	54540	10611	65151	8791	631	9422
14	कटिहार	258432	44691	303123	24516	4309	28825	14305	2366	16671
15	खगड़िया	167800	23539	191339	23427	2312	25739	214	0	26093
16	किशनगंज	144344	13052	157396	12793	1303	14096	5696	372	6068
17	लखीसराय	105939	29873	135812	15233	2793	18026	958	236	1194
18	मधेपुरा	219268	24821	244089	34534	2323	36857	1932	175	7262
19	मधुबनी	512501	91351	603852	73664	7446	81110	1011	255	1266
20	मुंगेर	135079	40057	175136	17761	4207	21968	2720	456	3176
21	मुजफ्फरपुर	580411	92465	672876	109220	11556	120776	0	0	4442
22	नालंदा	321857	75007	396864	67567	9519	77086	181	22	203
23	नवादा	216783	64823	281606	50586	18591	69177	837	15	852
24	पश्चिम चंपारण	385218	48673	433891	57590	5290	62880	19870	1881	1055
25	पटना	498777	92624	591401	96609	8976	105585	2159	139	2298
26	पूर्व चंपारण	542057	74944	617001	74000	6751	80751	381	5	386
27	पूर्णिया	341291	35435	376726	40433	2621	43054	6498	1179	2684
28	रोहतास	314091	102031	416122	63871	15599	79470	3485	976	4461
29	सहरसा	182364	25567	207931	26679	2178	28857	579	78	657
30	समस्तीपुर	434508	72556	507064	75945	8490	84435	2231	403	5118
31	सारण	472381	97065	569446	60505	10646	71151	4232	833	5065
32	शेखपुरा	65195	9511	74706	10710	1115	11825	734	188	922
33	शिवहर	68013	7764	75777	9807	576	10383	0	0	5987
34	सीतामढ़ी	295015	49139	344154	38858	3799	42657	291	37	328
35	सीवान	386699	86842	473541	52121	8578	60699	1003	512	1515
36	सुपौल	243498	36932	280430	35648	3218	38866	3274	516	1843
37	वैशाली	367696	75771	443467	76327	10687	87014	1350	244	1594
	योग	**10917135**	**1936213**	**12853348**	**1803005**	**236506**	**2039511**	**122421**	**17037**	**139458**

परिशिष्ट-1 (जारी)

जिलावार नामांकन 2005-06

क्रम सं.	जिला का नाम	2005-06								
		समस्त			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	योग (1-8)	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	योग (1-8)	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	योग (1-8)
1	अररिया	262710	47001	309711	30905	3805	34710	4278	1400	5678
2	औरंगाबाद	285849	66636	352485	73311	11871	85182	1062	145	1207
3	बांका	196532	26069	222601	25669	2537	28206	9685	856	6885
4	बेगूसराय	380444	49939	430383	4345	44	4389	101	0	101
5	भागलपुर	315697	49551	365248	37414	4888	42302	10545	1542	12087
6	भोजपुर	325939	72562	398501	47250	8534	55784	433	80	12188
7	बक्सर	189899	56167	246066	28957	6409	35366	605	262	867
8	दरभंगा	399964	77446	477410	59940	6239	66179	3158	402	3560
9	गया	518692	105990	624682	164187	20662	184849	259	38	4427
10	गोपालगंज	311862	67392	379254	44309	6578	50887	2591	304	2895
11	जमुई	178747	28804	207551	29451	3412	32863	12154	1174	13328
12	जहानाबाद	218612	52309	270921	45040	7259	52299	0	0	16223
13	कैमूर	224116	61412	285528	54300	12977	67277	7293	1015	8308
14	कटिहार	294107	51896	346003	26044	4571	30615	16984	2402	19386
15	खगड़िया	150119	25120	175239	21274	2599	23873	79	24	27694
16	किशनगंज	152852	17542	170394	13001	1499	14500	6634	521	7155
17	लखीसराय	110789	28806	139595	16184	2555	18739	744	34	778
18	मधेपुरा	226199	31565	257764	35946	3489	39435	2390	508	7933
19	मधुबनी	567691	103530	671221	82373	8488	90861	824	122	946
20	मुंगेर	137224	41733	178957	16967	3923	20890	3192	1034	4226
21	मुजफ्फरपुर	598527	105100	703627	107864	12898	120762	750	151	5172
22	नालंदा	314811	72386	387197	66896	9537	76433	1015	185	1200
23	नवादा	194908	34539	229447	47803	5190	52993	2384	573	2957
24	पश्चिम चंपारण	408947	57739	466686	61585	6847	68432	22266	2485	4157
25	पटना	510653	115646	626299	108379	14510	122889	3736	708	4444
26	पूर्व चंपारण	501873	77490	579363	67211	7307	74518	3380	469	3849
27	पूर्णिया	359375	41214	400589	38204	3692	41896	12813	1876	8293
28	रोहतास	327699	107549	435248	66409	15891	82300	4851	746	5597
29	सहरसा	186929	28886	215815	26419	2194	28613	1342	221	1563
30	समस्तीपुर	463475	82771	546246	81267	9481	90748	4693	557	7160
31	सारण	459201	107733	566934	57791	9556	67347	3095	911	4006
32	शेखपुरा	68273	11960	80233	12242	1458	13700	1168	290	1458
33	शिवहर	68613	9254	77867	10083	848	10931	51	2	5464
34	सीतामढ़ी	316415	55356	371771	42212	4495	46707	884	147	1031
35	सीवान	367271	71019	438290	48882	7624	56506	1902	579	2481
36	सुपौल	233466	34896	268362	35528	3055	38583	1733	267	3512
37	वैशाली	405110	88445	493555	83456	13455	96911	711	71	782
	योग	**11233590**	**2163453**	**13397043**	**1819098**	**250377**	**2069475**	**149785**	**22101**	**171886**

परिशिष्ट-1 (जारी)

जिलावार नामांकन 2006-07

क्रम सं.	जिला का नाम	2006-07								
		समस्त			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	योग (1-8)	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	योग (1-8)	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	योग (1-8)
1	अररिया	408060	36586	444646	65796	5892	71688	59130	5805	64935
2	औरंगाबाद	308789	81808	390597	78338	13959	92297	2200	709	2909
3	बांका	223117	37597	260714	21739	3180	24919	9155	874	10029
4	बेगूसराय	405328	65635	470963	52251	5703	57954	1278	198	1476
5	भागलपुर	352016	45115	397131	31073	3801	34874	9280	1181	10461
6	भोजपुर	462756	110813	573569	112967	23272	136239	501	16	517
7	बक्सर	219882	66050	285932	41426	10814	52240	0	0	0
8	दरभंगा	424538	87489	512027	66113	8367	74480	3016	575	3591
9	गया	533684	100177	633861	182897	22362	205259	1824	144	1968
10	गोपालगंज	320466	72303	392769	46850	8996	55846	772	827	1599
11	जमुई	194143	33773	227916	29723	4120	33843	8677	433	9110
12	जहानाबाद	215808	55172	270980	44024	7651	51675	357	0	357
13	कैमूर	235704	67504	303208	53644	13266	66910	6635	806	7441
14	कटिहार	352796	57535	410331	56297	9312	65609	28880	3464	32344
15	खगड़िया	176828	33318	210146	24425	3075	27500	1953	546	2499
16	किशनगंज	157648	24231	181879	14172	1884	16056	6608	583	7191
17	लखीसराय	109686	27283	136969	16340	2452	18792	710	15	725
18	मधेपुरा	253369	45129	298498	64771	8524	73295	1441	260	1701
19	मधुबनी	554057	123964	678021	77555	10889	88444	1526	81	1607
20	मुंगेर	164189	39723	203912	21580	4609	26189	3608	508	4116
21	मुजफ्फरपुर	640827	130348	771175	97825	14962	112787	429	57	486
22	नालंदा	368569	98536	467105	78855	16330	95185	1612	436	2048
23	नवादा	241003	39419	280422	60983	5783	66766	1041	133	1174
24	पश्चिम चंपारण	426473	75961	502434	59641	7802	67443	26411	3628	30039
25	पटना	555109	137617	692726	115050	17374	132424	1209	309	1518
26	पूर्व चंपारण	563602	104218	667820	73541	9719	83260	1198	135	1333
27	पूर्णिया	456595	57038	513633	59778	6029	65807	31851	3442	35293
28	रोहतास	318133	103915	422048	70881	16020	86901	4162	707	4869
29	सहरसा	220160	42487	262647	27130	3215	30345	641	108	749
30	समस्तीपुर	648690	115609	764299	148023	20512	168535	7591	480	8071
31	सारण	457116	115964	573080	62372	11949	74321	1202	466	1668
32	शेखपुरा	66173	12533	78706	13040	1539	14579	448	30	478
33	शिवहर	72744	10001	82745	11875	884	12759	293	3	296
34	सीतामढ़ी	360064	61963	422027	48205	5164	53369	328	155	483
35	सीवान	381068	109171	490239	48669	10742	59411	348	192	540
36	सुपौल	249616	43982	293598	39396	4165	43561	1377	302	1679
37	वैशाली	428311	92351	520662	94846	12653	107499	489	58	547
	योग	**12527117**	**2562318**	**15089435**	**2212091**	**336970**	**2549061**	**228181**	**27666**	**255847**

परिशिष्ट-2

नियमित और संविदा आधारित चिकित्सकों की जिलावार स्थिति

जिला का नाम	चिकित्सक						प्रति लाख आबादी पर चिकित्सकों की संख्या
	नियमित (सरकारी)			संविदा आधारित			
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	
खगड़िया	56	39	17	34	29	5	49
गोपालगंज	101	52	49	69	42	27	38
औरंगाबाद	176	83	93	49	34	15	18
जहानाबाद	98	65	33	40	34	6	11
शेखपुरा	64	34	30	33	14	19	8
लखीसराय	46	42	4	30	30	0	8
मुंगेर	63	61	2	44	26	18	7
नालंदा	153	98	55	95	58	37	7
भोजपुर	119	97	22	60	41	19	6
भागलपुर	149	93	56	75	68	7	6
समस्तीपुर	192	141	51	95	70	25	6
शिवहर	59	22	37	19	12	7	6
बेगूसराय	107	74	33	94	53	41	6
वैशाली	139	80	59	71	49	22	5
बक्सर	74	47	27	54	23	31	5
पटना	294	211	83	92	69	23	5
सहरसा	92	47	45	45	23	22	5
सीवान	134	76	58	89	47	42	5
नवादा	111	71	40	45	24	21	5
रोहतास	158	82	76	89	44	45	5
बांका	95	55	40	47	35	12	5
सीतामढ़ी	121	84	37	52	35	17	4
सुपौल	90	54	36	49	28	21	4
दरभंगा	132	88	44	72	65	7	4
जमुई	91	41	50	38	27	11	4
पूर्व चंपारण	179	104	75	128	74	54	4
गया	191	92	99	106	62	44	4
पश्चिम चंपारण	208	81	127	83	46	37	4
सारण	145	105	40	94	36	58	4
कटिहार	113	67	46	78	34	44	4
मुजफ्फरपुर	165	86	79	70	59	11	3
पूर्णिया	116	65	51	64	35	29	3
मधेपुरा	96	50	46	67	8	59	3
कैमूर	89	29	60	48	19	29	3
अररिया	111	52	59	36	14	22	3
मधुबनी	213	97	116	67	8	59	3
किशनगंज	52	30	22	28	4	24	2
अरवल	51	17	34	20	13	7	1
योग	**4643**	**2712**	**1931**	**2369**	**1392**	**977**	**5**
कुल स्वीकृत का %		58.4	41.6		58.8	41.2	

परिशिष्ट-3

ए श्रेणी की नर्सो का जिलावार विवरण

जिला का नाम	स्टाफ नर्से						प्रति लाख आबादी पर ए श्रेणी की स्टाफ नर्सो की स.
	नियमित			संविदा आधारित			
	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	
खगड़िया		11		56	47	9	41
गोपालगंज	18	7	11	84	13	71	8
जमुई	13	10	3	60	45	15	6
शेखपुरा	10	4	6	36	27	9	5
भागलपुर	18	18	0	122	82	40	4
नालंदा	36	33	3	110	52	58	4
बांका	18	11	7	72	56	16	3
बेगूसराय	23	23	0	102	50	52	3
मुंगेर	20	20	0	48	21	27	3
सहरसा	30	21	9	82	24	58	3
जहानाबाद	13	5	8	64	34	30	2
गया	26	17	9	152	71	81	2
पूर्णिया	36	20	16	110	46	64	2
दरभंगा	8	4	4	154	64	90	2
कटिहार	24	17	7	104	31	73	2
मुजफ्फरपुर	21	17	4	160	55	105	2
औरंगाबाद	21	10	11	62	30	32	2
मधेपुरा	38	18	20	70	10	60	2
किशनगंज	6	6	0	44	19	25	2
सीतामढ़ी	17	13	4	120	28	92	2
अरवल	0	0	0	128	10	118	1
नवादा				82	24	58	1
मधुबनी	42	16	26	190	32	158	1
सारण	33	28	5	142	14	128	1
सुपौल	11	1	10	82	18	64	1
पूर्व चंपारण	24	17	7	164	25	139	1
कैमूर	28	10	18	82	4	78	1
लखीसराय	10	9	1	38	0	38	1
समस्तीपुर	22	20	2	164	10	154	1
रोहतास	20	10	10	88	11	77	1
भोजपुर	20	11	9	88	6	82	1
अररिया	17	8	9	96	10	86	1
सीवान	8	6	2	114	12	102	1
वैशाली	118	9	109	118	8	110	1
पटना	43	28	15	212	0	212	1
बक्सर	2	2	0	68	4	64	0
पश्चिम चंपारण	12	3	9	120	11	109	0
शिवहर	6	1	5	22	1	21	0
योग	**812**	**464**	**359**	**3810**	**1005**	**2805**	**2**
कुल स्वीकृत का %		57.1	44.2		26.4	73.6	

परिशिष्ट-4

ए.एन.एम. का जिलावार विवरण

जिला का नाम	ए.एन.एम.						प्रति लाख आबादी पर ए.एन.एम. की सं.
	नियमित			संविदा आधारित			
	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	
खगड़िया	209	180	29	193	143	50	231
गोपालगंज	266	250	16	186	40	146	116
शेखपुरा	122	110	12	85	64	21	29
नालंदा	405	405	0	370	272	98	29
बेगूसराय	370	370	0	360	195	165	25
मुंगेर	167	167	0	165	144	21	24
भागलपुर	394	384	10	362	269	93	24
जहानाबाद	156	149	7	151	65	86	23
वैशाली	419	381	38	418	195	223	23
लखीसराय	131	131	0	102	74	28	22
बक्सर	212	212	0	162	92	70	22
गया	583	531	52	541	260	281	21
मुजफ्फरपुर	583	583	0	583	278	305	21
भोजपुर	366	345	21	284	111	173	20
बांका	242	236	6	265	156	109	20
समस्तीपुर	456	436	20	486	274	212	19
कैमूर	147	141	6	167	136	31	19
जमुई	230	213	17	212	82	130	18
रोहतास	286	280	6	308	195	113	18
औरंगाबाद	338	306	32	285	80	205	16
सारण	512	487	25	507	111	396	16
अरवल	87	69	18	78	38	40	16
पटना	545	545	0	418	329	89	16
सीतामढ़ी	300	289	11	213	95	118	14
कटिहार	362	295	67	345	67	278	13
पूर्णिया	356	310	46	370	85	285	13
सीवान	370	193	177	140	140	0	13
सहरसा	180	155	25	152	28	124	13
दरभंगा	351	265	86	419	180	239	12
पश्चिम चंपारण	457	344	113	571	46	399	12
मधुबनी	561	365	196	429	49	380	10
पूर्व चंपारण	419	291	128	503	104	399	9
अररिया	274	170	104	290	34	256	9
सुपौल	347	108	239	247	19	228	7
नवादा				223	102	121	5
शिवहर	48	23	25	34	5	29	5
किशनगंज	0	0	0	186	10	176	1
मधेपुरा			0	136	0	136	0
योग	**11251**	**9719**	**1532**	**10946**	**4567**	**6253**	16
कुल स्वीकृत का %		86.4	13.6		41.7	57.1	

परिशिष्ट-5

आशा कर्मियों का जिलावार विवरण

जिला का नाम	आशा चयन की लक्षित सं.	अब तक चयन	प्रशिक्षित आशा की सं.	प्रशिक्षित जिलास्तरीय प्रशिक्षकों की सं.	प्रशिक्षित प्रखंडस्तरीय प्रशिक्षकों की सं	चयन का प्रतिशत	प्रशिक्षित प्रत्याशियों का प्रतिशत	प्रति लाख आबादी पर आशा की सं.	प्रति लाख आबादी पर प्रशिक्षित आशा की सं.
गोपालगंज	2022	2015	1868	4	33	100	92	806	747
खगड़िया	1204	1001	967	4	24	83	80	715	691
जमुई	1296	1270	1270	5	53	98	98	137	137
वैशाली	2532	2532	2532	5	64	100	100	100	100
सीवान	2565	2538	2538	5	75	99	99	99	99
अरवल	669	644	644	3	5	96	96	97	97
बेगूसराय	2242	2107	2018	4	61	94	90	93	90
समस्तीपुर	3271	3214	3214	5	92	98	98	87	87
कैमूर	1247	1247	1247	4	18	100	100	86	86
नालंदा	2017	2017	2017	4	57	100	100	85	85
अररिया	2026	2026	2026	3	36	100	100	84	84
सीतामढ़ी	2529	2223	1665	4	65	88	66	83	62
दरभंगा	3028	2890	2890	4	56	95	95	80	80
मधेपुरा	1460	1403	1403	5	65	96	96	80	80
पश्चिम चंपारण	2734	2594	2550	5	53	95	93	79	77
सुपौल	1644	1492	1477	8	19	91	90	79	78
शिवहर	495	464	464	5	35	94	94	77	77
बांका	1552	1535	1455	4	40	99	94	77	73
बक्सर	1273	1074	1074	4	50	84	84	77	77
नवादा	1671	1531	1284	4	42	92	77	77	64
पूर्णिया	2322	2263	2002	4	34	97	86	75	67
मुजफ्फरपुर	3398	3078	2544	4	70	91	75	74	61
शेखपुरा	444	439	426	4	30	99	96	74	72
रोहतास	2124	1972	1972	3	52	93	93	73	73
भोजपुर	1931	1621	1621	5	31	84	84	73	73
मधुबनी	3451	3024	2751	5	70	88	80	72	66
सारण	2950	2658	2289	5	59	90	78	72	62
भागलपुर	1971	1936	1877	4	46	98	95	72	70
कटिहार	2174	1866	1486	4	48	86	68	69	55
गया	2997	2613	2440	5	90	87	81	69	64
पूर्व चंपारण	3689	2910	2686	5	135	79	73	68	62
किशनगंज	1167	1064	648	4	17	91	56	67	41
औरंगाबाद	1842	1552	1552	3	33	84	84	66	66
मुंगेर	820	820	820	2	26	100	100	64	64
लखीसराय	684	568	568	4	6	83	83	60	60
सहरसा	1383	777	777	4	46	56	56	54	54
जहानाबाद	769	769	769	3	6	100	100	48	48
पटना	2757	2549	2549	4	70	92	92	46	46
योग	**74350**	**68296**	**64380**	**161**	**1812**	92	87	78	74

परिशिष्ट-6

अप्रैल-07 से मार्च-08 तक जिलावार संस्थागत प्रसव

क्रम सं.	जिला	अप्रैल 07	मई 07	जून 07	जुलाई 07	अगस्त 07	सितंबर 07	अक्तूबर 07	नवंबर 07	दिसंबर 07	जनवरी 07	फरवरी 07	मार्च 07
1	अररिया	680	650	762	1283	2196	2849	3274	3039	2198	1874	1803	1891
2	अरवल	155	221	298	438	760	933	1030	1462	1483	846	718	626
3	औरंगाबाद	926	1159	1265	1588	2244	3054	3662	3895	2384	1694	2315	2538
4	बांका	1023	1253	1375	1440	1952	2830	3807	2934	1379	1828	1763	1907
5	बेगूसराय	1069	1272	1762	2642	3535	3707	4004	3730	2732	3218	2786	3412
6	भागलपुर	1161	1150	1483	2258	3489	4461	5625	4457	3225	3632	3084	3375
7	भोजपुर	350	473	993	1404	2608	2811	2967	2967	2535	2287	1992	2391
8	बक्सर	188	254	478	889	1569	1721	1840	1567	109	899	1006	1051
9	पूर्व चंपारण	563	742	958	1325	1801	2927	3351	2476	1891	2213	2205	2308
10	पश्चिम चंपारण	1012	905	1093	1746	916	4546	4474	4431	3891	3231	3062	3505
11	दरभंगा	258	372	558	1143	1657	2330	2928	3291	2759	3148	2442	2601
12	गया	253	546	711	1078	1546	2306	2510	2326	1519	1537	1224	1267
13	गोपालगंज	932	782	892	1195	2062	2610	2749	2642	2065	2677	2520	2588
14	जहानाबाद	89	179	385	715	1171	1551	1967	1932	1711	1399	1202	1065
15	जमुई	239	236	629	663	1286	2072	2177	2016	1705	1564	1482	1149
16	कैमूर	552	592	506	1000	1919	2317	2324	2157	1545	1365	1239	1280
17	कटिहार	300	378	502	1764	2064	1626	1276	1579	118	516	631	742
18	खगड़िया	541	815	1086	1502	1734	2269	2361	1353	1268	1786	1573	1747
19	किशनगंज	347	179	410	291	3817	690	987	1025	1045	1245	1102	1019
20	लखीसराय	282	505	534	859	1131	1373	1479	1379	821	926	772	811
21	मधेपुरा	242	434	590	1005	1565	2922	2345	2235	1816	1313	1251	1221
22	मधुबनी	494	742	750	490	1181	2092	1993	2023	511	1236	1884	2030
23	मुंगेर	337	432	533	1273	1874	2284	2835	1852	1458	1448	1523	1480
24	मुजफ्फरपुर	370	348	701	970	701	2699	2095	2284	1558	1309	952	1155
25	नालंदा	800	1119	994	1679	2972	3616	3494	2938	2472	2252	1994	2439
26	नवादा	436	783	789	975	1389	1628	1612	1775	1423	1474	1258	1257
27	पटना	880	1233	1673	2299	3843	8457	4212	5899	5284	4646	3941	2916
28	पूर्णिया	1118	1409	1400	1854	3181	6968	4592	3762	2652	2693	2892	2980
29	रोहतास	255	371	582	1075	1756	2589	3758	3413	2807	2609	2745	2362
30	सहरसा	425	650	749	1302	1757	2105	2261	1966	760	1046	1368	890
31	समस्तीपुर	3193	3714	3987	6007	6468	8019	8067	7491	5002	7030	6293	6091
32	सारण	428	753	772	1110	2117	2810	2739	3147	2343	2768	3160	4085
33	शेखपुरा	412	562	637	995	1399	1844	1890	1537	313	838	718	722
34	शिवहर	43	58	67	144	212	268	306	261	171	161	161	193
35	सीतामढ़ी	279	304	566	1068	1735	2687	3113	2511	935	1294	1222	1452
36	सीवान	799	757	816	1571	2459	2815	2851	2319	1745	2243	2216	2048
37	सुपौल	821	832	1013	1185	1740	2684	3026	2539	1703	1574	1455	1475
38	वैशाली	552	701	875	1980	2859	3511	3582	4276	3397	4328	4093	4342
	योग	**22804**	**27865**	**34174**	**52205**	**78665**	**108981**	**109563**	**102886**	**72733**	**78147**	**74047**	**76411**
	कुल योग	**838481**											

परिशिष्ट-7

जिला स्वास्थ्य समितियों को कोष वितरण - 24.12.2008 तक

क्रम सं.	जिला	एनआरएचएम-ए	एनआरएचएम-बी	एनआरएचएम-सी	अन्य	योग (24.12.2008 तक)
1	अररिया	10939250	7167020	2408430	272354	20787054
2	अरवल	28749880	15283300	9941264	7175124	61149568
3	औरंगाबाद	15464000	14283560	8409410	903027	39059997
4	बांका	25999350	20221880	7604491	718109	54543830
5	बेगूसराय	29504600	24102855	14523345	928632	69059432
6	भागलपुर	846000	27633345	13990224	1157174	43626743
7	भोजपुर	39079200	17502730	11065609	910337	68557876
8	बक्सर	12879300	13485940	5101133	619814	32086187
9	पूर्व चंपारण	56990000	15852132	17871021	1338634	92051787
10	पश्चिम चंपारण	44475300	11311032	14369145	1324507	71479984
11	दरभंगा	22812700	22885245	20445598	773321	66916864
12	गया	28115900	25338323	20193640	1177714	74825577
13	गोपालगंज	41755300	10732480	9300694	1225376	63013850
14	जहानाबाद	13046000	13067080	5735312	692729	32541121
15	जमुई	8520800	14782420	5463659	12069932	40836811
16	कैमूर	17813100	16873828	6420447	499140	41606515
17	कटिहार	31739750	12094320	13597756	839322	58271148
18	खगड़िया	26444400	16275840	7942381	624351	51286972
19	किशनगंज	15040900	7739660	6362247	560490	29703297
20	लखीसराय	10709600	10217720	3741618	522958	25191896
21	मधेपुरा	23669600	14306120	9542770	3959544	51478034
22	मधुबनी	25366000	21717780	23082044	1186664	71352488
23	मुंगेर	13149550	19191720	7266677	659501	40267448
24	मुजफ्फरपुर	21368000	29960172	21326159	974684	73629015
25	नालंदा	38876700	33865100	10140343	20306923	103189066
26	नवादा	16119600	20119492	8731432	810149	45780673
27	पटना	29638400	36832443	30458879	1937987	98867709
28	पूर्णिया	64334600	18802644	12231190	4400243	99768677
29	रोहतास	38152700	21265160	10316881	1082698	70817439
30	सहरसा	25846100	20165840	10275367	2988282	59275589
31	समस्तीपुर	79335000	27005980	20789442	2318386	129448808
32	सारण	10346100	17113045	12008992	908771	40376908
33	शेखपुरा	12952100	9338232	3225762	6201986	31718080
34	शिवहर	3824000	6589100	2579660	357872	13350632
35	सीतामढ़ी	13374000	17746140	12457976	762958	44341074
36	सीवान	38551900	17064812	14807799	770228	71194739
37	सुपौल	30714400	18720140	10927711	6820804	67183055
38	वैशाली	59340900	20088822	12202215	948565	92580502
39	पीएमसीएच, पटना	6200000	7610085	0	0	13810085
40	एनएमसीएच, पटना	1620000	3117775	0	0	4737775
41	जएलएनएमसीएच, भागलपुर	576000	4297000	0	0	4873000
42	ए.एन.एम.सीएच, गया	6056000	2639000	0	0	8695000
43	एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर	5500000	2639000	0	0	8139000
44	डीएमसीएच, दरभंगा	5900000	2639000	0	0	8539000
45	राजवंशीनगर	0	2000000	0	0	2000000
	सीडीपीओ वाहन	0	5120000	0	0	5120000
	योग	**1051736980**	**716805312**	**436858723**	**91729290**	**2297130305**

परिशिष्ट-8

जन्म एवं मृन्यु निबंधन में हासिल प्रतिशत लक्ष्य

जिला का नाम	जन्म			मृत्यु		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
पटना	20.79	23.39	35.23	45.05	54.46	63.37
नालंदा	16.67	16.55	12.49	24.44	24.09	17.80
भोजपुर	19.90	24.74	24.43	25.21	29.34	28.25
बक्सर	8.35	7.80	11.91	15.32	15.25	16.21
रोहतास	8.94	18.70	17.46	16.46	29.39	24.90
कैमूर	14.24	12.84	13.52	21.24	27.46	26.10
गया	8.56	14.24	17.02	14.51	17.19	23.64
जहानाबाद	21.35	28.93	23.99	23.58	31.66	26.34
अरवल	6.36	4.73	10.03	8.08	9.52	15.30
नवादा	15.23	10.87	19.46	17.89	12.09	19.72
औरंगाबाद	18.31	15.19	11.55	15.11	15.98	10.66
सारण	7.09	17.98	12.02	20.17	13.71	13.30
सीवान	14.06	15.98	14.94	24.21	24.15	24.54
गोपालगंज	5.66	14.38	13.82	13.06	22.24	27.37
मुजफ्फरपुर	17.54	25.12	33.03	19.19	20.88	24.92
पूर्व चंपारण	2.05	4.34	6.90	5.87	10.51	14.97
पश्चिम चंपारण	14.10	16.96	20.63	20.21	19.70	20.19
सीतामढ़ी	2.38	3.83	7.58	5.17	6.53	9.98
शिवहर	1.69	3.69	9.04	3.50	9.30	9.72
वैशाली	9.04	16.76	30.35	19.97	22.73	27.39
दरभंगा	7.47	10.41	14.52	15.39	18.03	19.62
मधुबनी	5.25	9.94	14.55	13.46	16.38	18.10
समस्तीपुर	8.69	15.61	20.78	18.02	19.50	24.07
मुंगेर	20.48	41.26	45.75	26.54	40.30	45.65
लखीसराय	3.11	2.40	9.91	6.77	10.77	15.77
शेखपुरा	2.83	5.12	19.26	9.00	9.20	25.68
जमुई	26.63	28.37	18.46	29.15	51.93	26.63
बेगूसराय	8.86	15.06	15.94	14.98	21.71	19.33
खगड़िया	15.35	30.82	33.56	18.39	29.94	29.74
भागलपुर	8.68	19.38	22.38	18.85	25.93	32.96
बांका	10.97	20.04	14.91	17.59	21.16	17.35
सहरसा	7.51	8.51	14.96	8.18	8.54	16.56
सुपौल	3.97	3.97	5.72	5.84	4.67	7.04
मधेपुरा	8.89	12.69	16.79	12.64	16.38	20.18
पूर्णिया	13.43	25.87	24.55	14.75	25.67	22.54
किशनगंज	12.15	18.75	18.77	14.93	25.73	25.38
अररिया	4.79	8.25	9.97	1.92	9.64	7.43
कटिहार	11.73	29.39	33.23	19.67	23.80	19.16
योग	**10.97**	**16.23**	**18.97**	**17.62**	**21.73**	**23.17**

परिशिष्ट-9

बिहार के लिए स्वास्थ्य संबंधी चुनिंदा सूचक

सूचक	शहरी				ग्रामीण				योग			
	बिहार		भारत		बिहार		भारत		बिहार		भारत	
	एनएफएचएस 2	एनएफएचएस 3	एनएफएचएस 2	एनएफएचएस 3	एनएफएचएस 2	एनएफएचएस 3	एनएफएचएस 2	एनएफएचएस 3	एनएफएचएस 2	एनएफएचएस 3	एनएफएचएस 2	एनएफएचएस 3
टीकाकरण आच्छादन के रुझान (%)	22	46	61	58	11	31	37	39	12	33	42	44
शिशु मृत्यु के रुझान (प्रति 1,000 जीवित प्रसव)	53	54	47	42	80	63	73	62	78	62	68	57
किसी भी प्रसव-पूर्व देखरेख के रुझान (%)	67	53	86	91	32	32	60	72	34	34	66	77
संस्थागत प्रसव के रुझान (%)	39	48	65	69	13	19	25	31	15	22	34	41

परिशिष्ट-10

जिलावार कार्य सहभागिता अनुपात

	कार्य सहभागिता दर			जनसंख्या का हिस्सा	
	अजा	अजजा	सभी	अजा	अजजा
संपूर्ण बिहार	39.7	45.2	33.7	15.7	0.9
गया	43.7	41.2	36.8	29.6	0.1
नवादा	45.3	48	37.3	24.1	0.1
औरंगाबाद	39.1	41	33.3	23.5	0.1
कैमूर (भभुआ)	39.3	42.6	34.4	22.2	2.8
वैशाली	35.7	45.9	28.8	20.7	0.1
नालंदा	44.7	54.3	38.1	20	0
शेखपुरा	46.1	48.3	37	19.7	0
जहानाबाद	44.8	61	38.4	18.9	0.1
समस्तीपुर	35.7	62.9	31.6	18.5	0.1
रोहतास	36.1	39.4	30.4	18.1	1
जमुई	47.7	47.4	42.7	17.4	4.8
मधेपुरा	46.3	51.6	44.8	17.1	0.6
सहरसा	46.3	47.2	39.1	16.1	0.3
मुजफ्फरपुर	35.2	31.9	30.4	15.9	0.1
लखीसराय	44.9	49.6	36.5	15.8	0.7
दरभंगा	36.1	44.2	31.2	15.5	0
पटना	37.6	46.1	30.2	15.5	0.2
भोजपुर	35.8	30.2	29.1	15.3	0.4
सुपौल	46.6	45.8	42	14.8	0.3
बेगूसराय	35.5	27.6	31.8	14.5	0.1
खगड़िया	42.2	53	36.5	14.5	0
शिवहर	35	23.4	31.2	14.4	0
पश्चिम चंपारण	44.8	46.3	37.9	14.3	1.5
बक्सर	35.1	31.3	29.1	14.1	0.6
अररिया	48.2	51.1	39.5	13.6	1.4
मधुबनी	39.6	30.6	34.3	13.5	0
मुंगेर	34	39.1	29.1	13.3	1.6
पूर्व चंपारण	38.3	37.5	32.7	13	0.1
बांका	42.5	48.6	39.6	12.4	4.7
गोपालगंज	36.5	36	29.8	12.4	0.3
पूर्णिया	46.9	47.1	37.8	12.3	4.4
सारण	32.3	30.2	26.5	12	0.2
सीतामढ़ी	35.9	31.6	31.9	11.8	0.1
सीवान	26.1	30.2	26.9	11.4	0.5
भागलपुर	38.4	40.8	35.3	10.5	2.3
कटिहार	42.3	45.8	37.5	8.7	5.9
किशनगंज	36.6	50	32.2	6.6	3.6
अरवल					

परिशिष्ट-11

श्रमिकों का जिलावार तबकागत वितरण

	अजा - मुख्य श्रमिकों का तबकावार वितरण				अजजा - मुख्य श्रमिकों का तबकावार वितरण				समस्त - मुख्य श्रमिकों का तबकावार वितरण			
	कृषक (%)	कृषि श्रमिक (%)	कुटीर उद्योग श्रमिक (%)	अन्य श्रमिक (%)	कृषक (%)	कृषि श्रमिक (%)	कुटीर उद्योग श्रमिक (%)	अन्य श्रमिक (%)	कृषक (%)	कृषि श्रमिक (%)	कुटीर उद्योग श्रमिक (%)	अन्य श्रमिक (%)
संपूर्ण बिहार	7.9	77.6	3.3	11.2	21.3	62.5	4	12	29	48	3.9	19
गया	11.8	78.1	2.2	8	18.2	36.2	7.8	38	34	43.8	4.1	18
नवादा	11.5	77.6	2.9	8	16.7	50.8	7.4	25	40	40.3	3.7	16
औरंगाबाद	13.5	73.9	2.6	10	3.7	23.6	7	66	37	42.2	4.2	17
कैमूर (भभुआ)	11	78.3	2.2	8.5	33.5	40.3	3	23	34	48.6	3.5	14
वैशाली	5.7	75.9	3.9	14.5	7.3	16.3	7.2	69	31	41.6	4.2	23
नालंदा	8.7	78.2	3.3	9.7	4.7	25.6	8.2	62	36	42.1	4.6	18
शेखपुरा	9.4	76.6	2.5	11.5	0	2	16.7	81	38	42.2	3.2	17
जहानाबाद	7.7	81.2	2.9	8.2	4	20	3.9	72	36	44.7	3.7	16
समस्तीपुर	4.6	78.9	3.2	13.3	4.2	44.7	0.7	50	27	47.4	4.4	21
रोहतास	11.1	71.8	2.9	14.2	15.4	56.7	5.4	23	35	38.9	3.9	23
जमुई	11.4	58.8	17.1	12.7	31.8	34.6	18.4	15	30	32.5	20.8	16
मधेपुरा	6.4	88.1	1.4	4.1	35.2	53.4	5.7	5.6	33	56.3	1.8	8.7
सहरसा	7.8	83.1	2.1	6.9	18.9	72.2	0.6	8.4	32	52.5	2.1	14
मुजफ्फरपुर	6.3	74.8	3.2	15.7	11.5	35	3.3	50	26	45.5	3.5	25
लखीसराय	8.2	76.6	3	12.2	14.2	62.8	2.6	20	32	43.6	2.9	21
दरभंगा	5.2	77.9	3.6	13.2	6.2	38.2	0.3	55	23	51.1	4	22
पटना	5.2	70.4	2.7	21.7	0.7	4	3.6	92	22	32.9	3.9	41
भोजपुर	7.1	77.5	2.7	12.7	9.6	54	6.2	30	35	39.5	3.9	22
सुपौल	9.9	83.7	2.3	4.2	27.8	68.4	0.9	3	34	54.8	1.9	9
बेगूसराय	4	72.1	5.8	18.2	1.9	12	0.5	86	19	47.9	6.9	26
खगड़िया	6.4	81.4	2.3	9.9	13.1	17	0.6	69	26	54.4	2.5	17
शिवहर	2.9	90.4	2.5	4.3	6.7	33.3	0	60	26	61.3	2.3	11
पश्चिम चंपारण	4.7	85.7	2.5	7.1	13.2	79.4	1.2	6.2	21	62.3	2.6	14
बक्सर	10	74.9	2.5	12.6	5.3	51.3	5.6	38	36	40.1	3.9	20
अररिया	6.3	87.2	2.2	4.4	24	71.5	1.7	2.9	25	62.3	2	10
मधुबनी	5.5	84.7	2.9	6.9	34.3	38.2	5.7	22	31	52.8	3.4	13
मुंगेर	5.3	61	4.5	29.2	10.5	54.8	4.7	30	16	41.6	4.5	38
पूर्व चंपारण	6.1	83	2.4	8.4	17.2	60.4	2.6	20	27	54.8	2.8	15
बांका	13.8	74.3	4.7	7.2	31.3	58.8	5.7	4.3	34	51.7	4.6	9.9
गोपालगंज	13	74	2.7	10.3	20.5	34.7	1.8	43	41	40.1	2.6	16
पूर्णिया	4.7	87.3	2.1	6	21.2	72.1	1.5	5.2	23	63.3	1.7	12
सारण	8.8	72.2	3.3	15.6	19.2	37	2.4	41	36	37.5	4	23
सीतामढ़ी	4.2	82.1	3.5	10.1	5	70.1	3.5	21	24	55.3	3.4	17
सीवान	14.2	67.5	3.8	14.4	22.9	43.5	4.8	29	41	33.7	3.6	22
भागलपुर	6.6	68.2	5.3	20	19.6	68.9	1	11	20	48.2	7.4	25
कटिहार	5	79.9	3.4	11.8	19.4	72.7	1.7	6.1	22	61	2.5	14
किशनगंज	5.8	70	5.6	18.7	12.5	83.6	0.5	3.4	26	57.6	2	14
अरवल												

अध्याय 6

बैंक तथा संबंधित क्षेत्र

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी बैंकिंग के रुझानों एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2007-08 में लिखा है कि एक खास अवधि तक लगातार विस्तार के बाद वैश्विक वित्तीय संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उतार के चरण में प्रवेश किया है। विभिन्न परिमाणों में इसका प्रभाव भारत और तमाम राज्यों के संपूर्ण वित्तीय परिदृश्य पर भी पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लिखा है कि ''निगमों के उपार्जन और ऋण की गुणवत्ता में क्षरण हुआ क्योंकि अपेक्षाकृत उच्च मुद्रास्फीति और निम्न विकास के वातावरण में लागत व्यय बढ़ गया और मांग घट गई''। भारत में स्थावर संपदा (रियल एस्टेट), बैंक और मोटर वाहन (ऑटोमोबाइल) सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के विश्लेषण के अनुसार 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय परिदृश्य में ब्याज एवं जमा दरों में वृद्धि के कारण अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों (एससीबी) की निवल (नेट) व्याजजनित आय में उनकी कुल परिसंपत्तियों के मुकाबले गिरावट दिखती है; तथापि, अपने प्रचालन व्ययों (ऑपरेटिंग एक्सपैंसेज) की निरंतर गिरावट के कारण बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों के मुकाबले मौजूदा प्रचालन लाभ कायम रख पाने में सक्षम रहे। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के परिसंपत्ति प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन एसेट्स) में थोड़ा सुधार हुआ, वहीं इक्विटी प्रतिलाभ में गिरावट आई। 'अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जोखिम भारित परिसंपत्ति (रिस्क-वेटेड ऐसेट) के पूंजी के साथ अनुपात में, जो हानि को पचा लेने की बैंकिंग प्रणाली की क्षमता की एक माप है', में सुधार हुआ। जहां शहरी सहकारी बैंकों के कामकाज में 2007-08 के दौरान प्रभावशाली वृद्धि देखी गई, वहीं राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरबीडी) को छोड़कर शेष ग्रामीण सहकारी बैंकिंग प्रक्षेत्र का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। लेकिन प्राथमिक कृषि ऋण संघों (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और वे पूरे देश में कुल मिलाकर घाटे में रहे। वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सहायता में 2007-08 के दौरान पिछले साल की गिरावट के मुकाबले भारी वृद्धि हुई हालांकि इस वर्ष संवितरण (डिसबर्समेंट) में गिरावट आई। वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत के वांछित स्तर से ऊंचा था।

चूंकि आर्थिक विकास और बैंक के क्रियाकलाप घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, इसलिए वे एक-दूसरे के विकास के लिए इनपुट का काम करते हैं। बिहार खुद को वैश्विक गिरावट के समग्र प्रभाव और ऊपर वर्णित राष्ट्रीय रुझानों से पूरी तरह बचा नहीं पाया। जैसा कि बाद में चर्चा की गई है कि उन्होंने बिहार में बैंकों के ऋणप्रवाह में अधिक विस्तार के मामले में गंभीर रुकावट का काम किया। बिहार के वित्तीय प्रक्षेत्र के परवर्ती विश्लेषण में राज्य में कार्यरत तीन प्रकार की संस्थाओं पर विचार किया गया है : (1) अनुसूचित व्यावसायिक बैंक (एससीबी), (2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा (3) सहकारी बैंक। तथा अन्य सहकारी संस्थाएं शामिल हैं, (2) राजकीय वित्तीय संस्थाएं तथा (3)

राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। जहां अनुसूचित व्यावसायिक बैंक उद्योग और कृषि, दोनों को वित्त उपलब्ध कराते हैं, वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी संस्थाएं मोटे तौर पर कृषि क्षेत्र की जरूरतों का खयाल रखती हैं। यद्यपि अनुसूचित व्यावयायिक बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ निजी व्यावसायिक बैंक और विदेशी बैंक भी शामिल हैं, लेकिन प्रस्तुत विश्लेषण सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों पर आधारित है जिसका सांख्यिक आधार (डाटाबेस) संतोषजनक है और किसी भी मामले में अन्य व्यावसायिक बैंकों की उपस्थिति बिहार में बहुत कम है। इसके अलावा, विश्लेषण में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के कामकाज को भी शामिल किया गया है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

6.1 बैंकिंग अधिसंरचना

अनुसूचित व्यावसायिक बैंक : तालिका 6.1 में बिहार में 2003-04 से 2007-08 के दौरान अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण और उनकी वृद्धि दर्शाई गई है। वर्ष 2007-08 के अंत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल 3,769 शाखाओं में से 61.9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में, 20.8 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और शेष 17.3 प्रतिशत शहरों एवं महानगरीय क्षेत्रों में अवस्थित थीं। शाखाओं की कुल संख्या में वृद्धि दर की बात करें, तो 2006-07 में लगभग 1 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि दर हासिल करने के बाद 2007-08 में तेज गिरावट आई और जो भी थोड़ा-बहुत विस्तार हुआ, शहरी क्षेत्रों में ही हुआ। शाखाओं की कुल संख्या में शहरी शाखाओं का हिस्सा निस्संदेह लगातार बढ़ रहा है जो 2003-04 के 12.4 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 17.3 प्रतिशत हो गया है। तालिका 6.2 में देखा जा सकता है कि पूरे देश में मौजूद अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या का मात्र 4.58 प्रतिशत ही बिहार में है जो इसके जनसंख्या के हिस्से - लगभग 8 प्रतिशत - से काफी कम है। इस प्रकार बिहार में हर शाखा द्वारा सेवित औसत जनसंख्या 31 हजार से भी अधिक है जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 15 हजार का ही है। तालिका 6.3 में देखा जा सकता है कि मार्च 2007 में बिहार में कुल 30,698 बैंककर्मी थे जो संपूर्ण भारत के अनुसूचित व्यावसायिक बैंक कर्मियों की कुल संख्या के मात्र 3.41 प्रतिशत थे और इनमें एक-तिहाई अधिकारी श्रेणी के थे। इस प्रकार अपेक्षाकृत कम आच्छादन के अलावा बिहार के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में कर्मियों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : बिहार में 2006-07 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 1,465 शाखाएं थीं। गत वर्षों के दौरान बिहार और भारत, दोनों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या थोड़ी घटी है (तालिका 6.4)।

सहकारी बैंक : सहकारी बैंकों की संख्या के आंकड़े तालिका 6.5 में दर्शाए गए हैं। तालिका में देखा जा सकता है कि 2006-07 के दौरान इस प्रक्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है।

तालिका 6.1 : बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का वितरण

वर्ष (अंतिम मार्च)	योग	वृद्धि दर (प्रतिशत)	योग में प्रतिशत हिस्सा		
			ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी
2004	3618	0.25	68.7	18.9	12.4
2005	3646	0.77	68.0	18.9	13.1
2006	3678	0.80	63.6	20.6	15.8
2007	3712	0.92	63.0	20.7	16.3
2008	3769	0.32	61.9	20.8	17.3

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2007-08, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 6.2 : विभिन्न राज्यों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का वितरण (2007-08)

राज्य	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	योग	प्रतिशत हिस्सा	जनसंख्या प्रति शाखा
आंध्र प्रदेश	37.00	23.27	39.73	6210	7.98	13752
बिहार	**61.90**	**20.83**	**17.27**	**3769**	**4.85**	**31301**
गुजरात	34.01	21.76	44.23	4269	5.49	13353
हरियाणा	32.71	20.12	47.17	2048	2.63	11387
कर्नाटक	37.38	19.84	42.78	5690	7.32	10691
केरल	8.21	65.29	26.50	4030	5.18	9077
मध्य प्रदेश	44.88	23.16	31.96	3855	4.96	24924
महाराष्ट्र	28.43	17.58	53.99	7355	9.46	14403
उड़ीसा	62.05	17.35	20.59	2593	3.33	15413
पंजाब	34.09	28.01	37.90	3174	4.08	8505
राजस्थान	45.13	24.00	30.86	3833	4.93	16768
तमिलनाडु	28.88	29.04	42.08	5727	7.36	12146
उत्तर प्रदेश	50.40	17.33	32.27	9353	12.03	22565
पश्चिम बंगाल	45.57	11.52	42.91	5017	6.45	18087
सभी राज्य	**39.83**	**22.70**	**37.47**	**77773**	**100.00**	**15184**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2007-08, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 6.3 : 31 मार्च, 2007 को अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण

अंचल/ राज्य/ संघशासित प्रदेश	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ कर्मी		योग	
	संख्या	हिस्सा (%)	संख्या	हिस्सा (%)	संख्या	हिस्सा (%)	संख्या	हिस्सा (%)
दिल्ली	22485	6.47	17830	4.86	7887	4.26	48202	5.36
हरियाणा	8693	2.50	8396	2.29	4668	2.52	21757	2.42
पंजाब	14678	4.22	14131	3.85	7468	4.04	36277	4.03
राजस्थान	13619	3.92	11904	3.25	7790	4.21	33313	3.70
बिहार	**11412**	**3.28**	**11775**	**3.21**	**7511**	**4.06**	**30698**	**3.41**
उड़ीसा	8462	2.43	8576	2.34	5145	2.78	22183	2.47
पश्चिम बंगाल	22283	6.41	32852	8.96	16200	8.75	71335	7.93
झारखंड	5720	1.65	6099	1.66	3484	1.88	15303	1.70
छत्तीसगढ़	4015	1.15	3417	0.93	2066	1.12	9498	1.06
मध्य प्रदेश	14264	4.10	14028	3.83	8156	4.41	36448	4.05
उत्तर प्रदेश	32708	9.41	33602	9.16	19834	10.72	86144	9.58
उत्तरांचल	3436	0.99	3406	0.93	2357	1.27	9199	1.02
गुजरात	18259	5.25	22012	6.00	11565	6.25	51836	5.76
महाराष्ट्र	55376	15.93	58498	15.95	23171	12.52	137045	15.24
आंध्र प्रदेश	25812	7.42	22894	6.24	12368	6.68	61074	6.79
कर्नाटक	23297	6.70	26108	7.12	11794	6.37	61199	6.80
केरल	15211	4.38	19671	5.36	8572	4.63	43454	4.83
तमिलनाडु	28212	8.11	31504	8.59	13335	7.21	73051	8.12
संपूर्ण भारत	**347662**	**100.00**	**366700**	**100.00**	**185045**	**100.00**	**899407**	**100.00**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2007-08, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 6.4 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
संपूर्ण भारत	14663	14645	14607	14652
बिहार	**1489**	**1487**	**1476**	**1465**
मध्य प्रदेश	1069	1064	1050	1050
महाराष्ट्र	593	588	580	580
राजस्थान	1032	1027	1026	1033
उत्तर प्रदेश	2878	2869	2871	2884
पश्चिम बंगाल	894	897	898	899

स्रोत : मनी एंड बैंकिंग, सितंबर 2008, सीएमआइई

तालिका 6.5 : राज्य एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या (31 मार्च को)

अंचल/ राज्य	राज्य सहकारी बैंक		जिला केंद्रीय सहकारी बैंक		योग	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
हरियाणा	13	13	359	359	372	372
पंजाब	19	19	745	742	764	761
राजस्थान	13	13	390	392	403	405
बिहार	**14**	**14**	**279**	**279**	**293**	**293**
उड़ीसा	14	14	311	311	325	325
पश्चिम बंगाल	45	46	261	260	306	306
छत्तीसगढ़	1	5	198	198	199	203
मध्य प्रदेश	22	22	834	834	856	856
उत्तर प्रदेश	29	30	1277	1300	1306	1330
उत्तराखंड	2	2	198	200	200	202
गुजरात	1	1	1150	1144	1151	1145
महाराष्ट्र	53	53	2704	3675	2757	3728
आंध्र प्रदेश	26	26	570	569	596	595
कर्नाटक	31	31	583	589	614	620
केरल	20	20	612	628	632	648
तमिलनाडु	44	45	724	725	768	770
संपूर्ण भारत	**910**	**923**	**11613**	**12802**	**12523**	**13725**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2007-08, भारतीय रिजर्व बैंक

6.2 जमा, ऋण और ऋण-जमा अनुपात

तालिका 6 में बिहार और अन्य राज्यों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि और ऋणों तथा देश के कुल जमा एवं ऋणों में उनका हिस्सा दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि जहां बिहार में 2007-08 में गत वर्ष की अपेक्षा कुल जमा में 11,681 करोड़ रु. की अच्छी-खासी वृद्धि हुई है, वहीं ऋण में मात्र 3,712 करोड़ रु. का ही विस्तार हुआ है। लेकिन अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ऋणों में बिहार का हिस्सा पिछले वर्षों के 0.9 प्रतिशत पर बरकरार है। इन राज्यों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा और ऋणों को तालिका 6.7 में दर्शाया गया है। हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति जमा और ऋण, दोनों मामलों में बिहार का स्थान देश के प्रमुख राज्यों के बीच सबसे नीचे है। जहां बिहार के प्रति व्यक्ति जमा में 2007-08 के दौरान काफी वृद्धि हुई है, वहीं प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि सराहनीय नहीं रही है। बैंक विहीन क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलने के जरिए

ऋणप्रवाह बढ़ाने हेतु बैंकों को अधिक अग्रलक्षी (प्रो-एक्टिव) उपाय करने चाहिए। पहले भी ध्यान दिया गया है कि बिहार में बैंकों की शाखाओं का बहुत ही कम विस्तार हुआ है।

तालिका 6.6 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा एवं ऋण

राज्य	जमा				ऋण			
	रकम (करोड़ रु.)	प्रतिशत हिस्सा	रकम (करोड़ रु.)	प्रतिशत हिस्सा	रकम (करोड़ रु.)	प्रतिशत हिस्सा	रकम (करोड़ रु.)	प्रतिशत हिस्सा
	2007		2008		2007		2008	
हरियाणा	60669	2.3	74367	2.3	34951	1.8	45048	1.9
पंजाब	84621	3.3	101046	3.1	52812	2.7	66998	2.8
राजस्थान	58973	2.3	73020	2.3	48656	2.5	59904	2.5
बिहार	**56916**	**2.2**	**68597**	**2.1**	**17156**	**0.9**	**20373**	**0.9**
झारखंड	37196	1.4	43565	1.3	12629	0.6	15313	0.6
उड़ीसा	41638	1.6	53732	1.7	26649	1.4	30396	1.3
पश्चिम बंगाल	150412	5.8	187610	5.8	94142	4.8	115255	4.8
छत्तीसगढ़	24427	0.9	30967	1.0	12948	0.7	16190	0.7
मध्य प्रदेश	65498	2.5	81502	2.5	40737	2.1	49177	2.1
उत्तर प्रदेश	181006	7.0	213594	6.6	81699	4.2	95942	4.0
उत्तराखंड	29318	1.1	36337	1.1	7911	0.4	9680	0.4
गुजरात	119224	4.6	152691	4.7	76916	3.9	99515	4.2
महाराष्ट्र	655402	25.2	832063	25.8	642170	32.9	787840	32.9
आंध्र प्रदेश	141966	5.5	177567	5.5	124314	6.4	162595	6.8
कर्नाटक	171898	6.6	210349	6.5	133177	6.8	164110	6.9
केरल	95282	3.7	109103	3.4	60615	3.1	71226	3.0
तमिलनाडु	163166	6.3	199949	6.2	183161	9.4	226830	9.5
संपूर्ण भारत	**2598822**	**100.0**	**3228819**	**100.0**	**1949568**	**100.0**	**2394566**	**100.0**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2007-08, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 6.7 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के राज्यवार प्रति व्यक्ति जमा एवं ऋण

	प्रति व्यक्ति जमा (रु.)		प्रति कार्यालय जमा (लाख रु.)		प्रति व्यक्ति ऋण (रु.)		प्रति कार्यालय ऋण (लाख रु.)	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
हरियाणा	27432	33101	3339	3769	15803	20051	1924	2283
पंजाब	33082	39044	2971	3321	20647	25888	1854	2202
राजस्थान	9699	11789	1667	1977	8002	9671	1376	1622
बिहार	**5035**	**5962**	**1578**	**1866**	**1518**	**1771**	**476**	**554**
झारखंड	10901	13939	1752	2148	6977	7885	1122	1215
उड़ीसा	17381	21400	3235	3871	10879	13147	2025	2378
मध्य प्रदेश	7265	8884	1853	2214	4519	5360	1152	1336
उत्तर प्रदेश	9128	10537	2113	2378	4120	4733	954	1068
गुजरात	22399	28312	3116	3780	14451	18452	2010	2464
महाराष्ट्र	66563	83577	9845	12038	65219	79135	9647	11398
आंध्र प्रदेश	17416	21556	2528	2964	15251	19739	2214	2714
कर्नाटक	30203	36505	3328	3903	23400	28480	2578	3045
केरल	27616	31333	2594	2844	17568	20455	1650	1857
तमिलनाडु	24893	30255	3218	3675	27943	34322	3613	4169
संपूर्ण भारत	**23382**	**28610**	**3675**	**4344**	**17541**	**21218**	**2757**	**3222**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2007-08, भारतीय रिजर्व बैंक

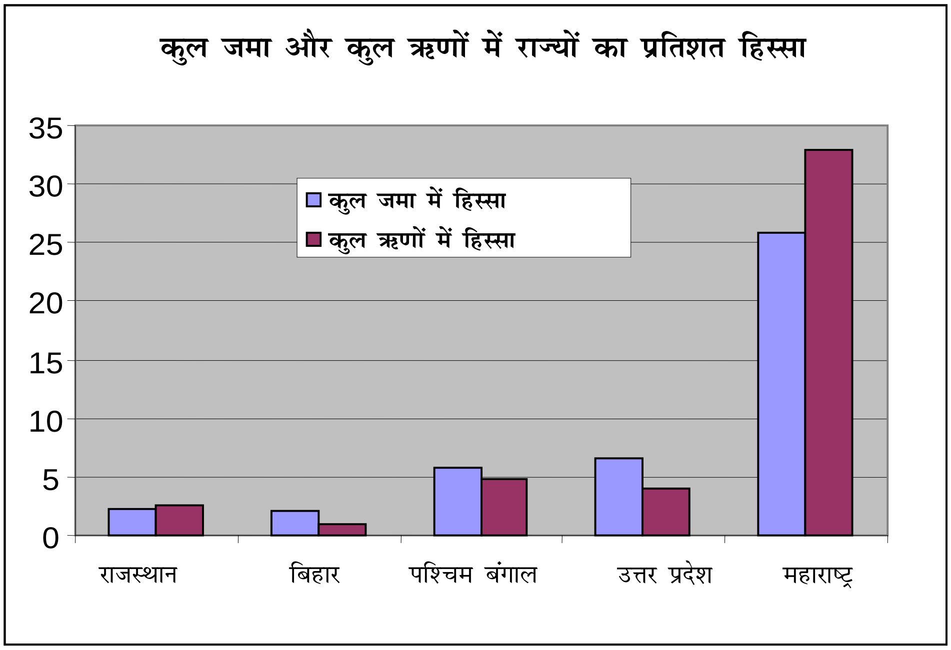

राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गत 5 वर्षों के दौरान बिहार में समस्त बैंकों का ऋण–जमा अनुपात इस प्रकार है :

मार्च 2004	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008
26.81	29.86	32.10	34.38	32.35

बैंकों का ऋण–जमा अनुपात अधिकांशत : किसी राज्य की आर्थिक गतिविधि के स्तर और उसकी ऋण अवशोषण क्षमता (क्रेडिट ऍब्सॉर्प्शन कैपेसिटी) पर निर्भर करते हैं। यह राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों की संलग्नता का भी सूचक है। 1990 के दशक तक बिहार में ऋण–जमा अनुपात देश में लगभग सबसे कम था और तब से राज्य में इस अनुपात में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। हालांकि 2000–01 के बाद ऋण–जमा अनुपात में थोड़ा सुधार हुआ लेकिन 2007–08 में भी यह देश में लगभग निम्नतम है। अभी बिहार का ऋण–जमा अनुपात 32.35 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 72.4 प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है। महाराष्ट्र (102.2 प्रतिशत), राजस्थान (82 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (62.4 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (61.4 प्रतिशत) जैसे राज्यों से भी यह काफी कम है।

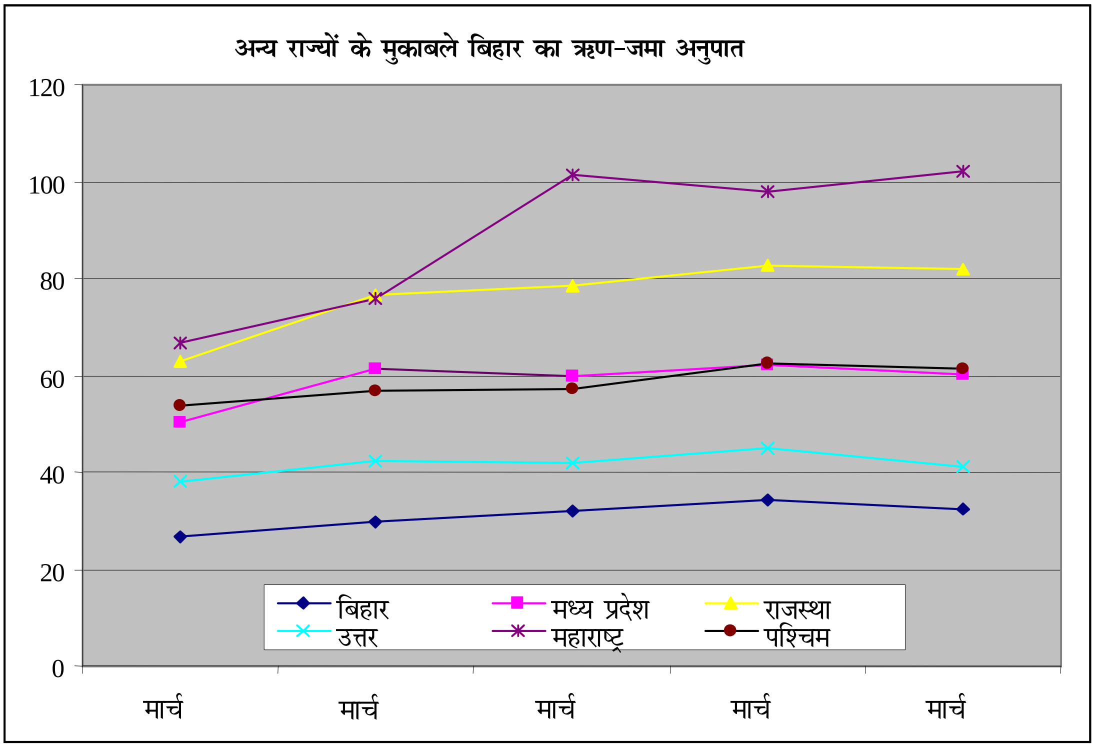

निरपेक्ष रूप में इसका अर्थ यह हुआ कि अगर राज्य का ऋण–जमा अनुपात लगभग 32 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़कर लगभग 72 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत तक पहुंच जाय, तो राज्य में लगभग 27,000 करोड़ रु. निवेश बढ़ जाएगा जो राज्य के वर्तमान योजना परिव्यय से भी अधिक है। यह आर्थिक गतिविधियों को बहुप्रतीक्षित आवेग प्रदान करेगा। ऋण–जमा अनुपात के 50 प्रतिशत तक पहुंचने पर भी निवेश में 12,000 करोड़ रु. की भारी वृद्धि होगी। ऋण का निम्न संवितरण यह भी इंगित करता है कि राज्य की ऋण संबंधी जरूरतें निजी ऋणप्रदान

अभिकरणों द्वारा ऊंचे ब्याज दर पर पूरी की जा रही हैं जो राज्य में निजी उद्यमों के मुनाफे को हजम कर जा रहे हैं। राज्य के औद्योगिक विकास में यह एक गंभीर बाधा है।

राज्य में निम्न ऋण–जमा अनुपात के लिए अनेक कारक जवाबदेह हैं, जैसे कमजोर ऋण अवशोषण क्षमता और कमजोर बुनियादी अधिसंरचना के अलावा अनिष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) वाले खातों की बड़ी संख्या। अगर निकट भविष्य में ऋण–जमा अनुपात को बढ़ाकर 40 प्रतिशत के तर्कसंगत स्तर तक पहुंचाना है, तो इसके लिए भारी परिमाण में निवेश जरूरी होगा। ऐसा सार्वजनिक–निजी भागीदारी से ही संभव हो सकता है क्योंकि अपने बूते राज्य सरकार इतना निवेश नहीं जुटा सकती है। शहरी विकास, परिवहन, नागर विमानन और उद्योग जैसे अधिसंरचना विकास के लिए विशाल परिमाण में निवेश लाने हेतु प्रयास त्वरित किए जाने चाहिए। बैंकों को भी इस कार्यभार के प्रति खुद को समर्पित करना चाहिए।

बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का ऋण–जमा अनुपात तालिका 6.8 और 6.9 में अलग–अलग दर्शाया गया है। बिहार में सहकारी बैंकों का ऋण–जमा अनुपात सर्वाधिक (82 प्रतिशत) है, जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बारी आती है (42 प्रतिशत)। अनुसूचित व्यावसायिक बैंक काफी पीछे (मात्र 29 प्रतिशत) हैं। ऐसा लगता है कि राज्य में निवेश का उत्साहप्रद वातावरण बनना अभी भी दूर की कौड़ी है।

तालिका 6.8 : बिहार में शाखाओं की अवस्थिति के अनुसार विभिन्न बैंक समूहों के जमा और ऋण (2007-08)

(करोड़ रु.)

बैंक समूह	शाखाओं की अवस्थिति						योग	
	ग्रामीण		अर्ध–शहरी		शहरी/ महानगरीय		जमा	ऋण
	जमा	ऋण	जमा	ऋण	जमा	ऋण	जमा	ऋण
अनुसूचित व्यावसायिक बैंक	13103	4755	15798	4511	29673	7936	58574	17202
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6329	2845	1730	574	761	258	8819	3678
सहकारी बैंक	—	—	—	—	851	698	851	698
योग	19432	7600	17528	5085	31284	8892	68244	21577

तालिका 6.9 : बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (2007-08)

बैंक	जमा (करोड़ रु.)	ऋण (करोड रु.)	ऋण-जमा अनुपात
अनुसूचित व्यावसायिक बैंक	58574	17202	29.37
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8,819	3,678	41.70
सहकारी बैंक	851	698	82.02
योग	68,244	21,577	31.62
आरआइडीएफ	—	500.00	—
कुल योग	68,244	22,077	32.35

मार्च 2008 में बिहार में सभी बैंकों का कुल जमा 68,244 करोड़ रु. था और कुल ऋण 22,077 करोड़ रु. जिसके कारण ऋण-जमा अनुपात 32.35 प्रतिशत था। हालांकि 2003-04 के दयनीय 26.8 प्रतिशत के मुकाबले यह बेहतर है। 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध में उदारीकरण की शुरुआत के पहले बिहार का ऋण-जमा अनुपात लगभग 40 प्रतिशत था।

ऋण-जमा अनुपात की पारंपरिक गणना स्वीकृत ऋण के आधार पर होती है। यह राज्य में बैंकों द्वारा एकत्र किए गए जमा में से ऋण की मांग पूरी करने हेतु दी गई राशि के परिमाण को अभिव्यक्त करता है। तथापि जहां ऋण स्वीकृति पर आधारित निम्न ऋण-जमा अनुपात उस राज्य से दूसरे राज्य में जमा के पलायन को इंगित करता है, वहीं ऋण उपयोग आधारित अपेक्षाकृत निम्न ऋण-जमा अनुपात ऋण के पलायन को। अतएव इन दो प्रकार के अनुपातों के बीच तुलना महत्व ग्रहण कर लेती है, खास कर राज्यों के बीच ऋण-जमा अनुपातों की तुलना में जहां उपयोग आधारित ऋण-जमा अनुपात अधिक उपयुक्त होगा। पूरे देश के लिए ये दोनों अनुपात हमेशा एक रहेंगे लेकिन राज्यों के बीच इस मामले में अंतर होगा। शाखाओं में, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में भारी विस्तार और वास्तविक उपयोग वाली जगहों पर अवस्थित बैंकों से ऋण चाहने के रूप में ऋणार्थियों की मानसिकता में बदलाव के कारण दोनों प्रकार के अनुपातों के बीच अंतर हाल के वर्षों में काफी कम हुआ है। हमने ध्यान दिया है कि अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के लिए बिहार के उपयोग अनुपात में गत दो वर्षों के दौरान काफी सुधार हुआ है जो गत वर्षों के मुकाबले ऋण के कम पलायन को इंगित करता है (तालिका 6.10)।

तालिका 6.10 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08
	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार
हरियाणा	51.4	63.2	57.4	69.6	56.9	68.4	60.6
पंजाब	50.1	49.7	56.8	56.3	65.6	65.3	66.3
राजस्थान	68.7	76.5	77.3	86.0	82.9	90.9	82.0
बिहार	**27.7**	**31.4**	**30.3**	**40.0**	**32.4**	**49.0**	**29.7**
झारखंड	29.6	30.6	31.2	31.6	32.8	33.3	35.1
उड़ीसा	61.8	74.7	66.0	78.7	64.6	72.6	56.6
पश्चिम बंगाल	52.3	56.8	56.3	61.4	64.7	68.4	61.4
छत्तीसगढ़	43.6	49.9	45.5	52.5	50.0	58.3	52.3
मध्य प्रदेश	54.7	61.2	60.5	67.2	61.8	64.6	60.3
उत्तर प्रदेश	37.9	42.2	41.0	46.3	45.1	50.4	44.9
उत्तराखंड	24.3	29.1	25.8	30.9	26.7	32.1	26.6
गुजरात	46.5	60.9	55.6	75.3	63.7	88.4	65.2
महाराष्ट्र	94.9	75.9	102.2	81.3	96.8	76.5	94.7
आंध्र प्रदेश	74.8	83.3	81.3	86.2	87.3	91.2	91.6
कर्नाटक	73.8	80.5	75.9	93.4	76.3	99.8	78.0
केरल	54.6	57.5	61.4	64.3	60.9	63.8	65.3
तमिलनाडु	101.2	105.4	110.5	109.3	114.5	118.6	113.4
संपूर्ण भारत	**66.0**	**66.0**	**72.4**	**72.4**	**75.0**	**75.0**	**74.2**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2007-08, भारतीय रिजर्व बैंक

6.3 विभिन्न अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

तालिका 6.11 में बिहार में विभिन्न अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात दर्शाए गए हैं। अगुआ (लीड) बैंकों में यूको बैंक का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक - लगभग 38.78 प्रतिशत - है जो पिछले साल के 41.21 प्रतिशत से कम है। अन्य बैंकों में सिंडिकेट बैंक का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक - 53.80 प्रतिशत है। कुछ बैंकों के लिए ऋण-जमा अनुपात बहुत ही कम थे, जैसे कि कॉर्पोरेशन बैंक (6.95 प्रतिशत) या इंडियन ओवरसीज बैंक (12.5 प्रतिशत)।

तालिका 6.11 : बिहार में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात

बैंक	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
क. लीड बैंक				
भारतीय स्टेट बैंक	27.58	29.19	27.1	30.07
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	27.66	30.87	32.58	31.62
पंजाब नेशनल बैंक	28.36	28.74	26.63	25.02
कनारा बैंक	31.21	32.86	34.88	29.93
यूको बैंक	31.37	40.42	41.21	38.78
बैंक ऑफ बड़ौदा	21.93	52.94	52.04	30.37
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	45.39	47.78	42.17	37.41
ख. अन्य बैंक				
बैंक ऑफ इंडिया	22.27	30.88	33.19	33.53
इलाहाबाद बैंक	38.66	40.61	38.76	32.52
आंध्र बैंक	10.50	11.28	20.47	18.07
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	72.12	49.92	40.29	20.45
कॉर्पोरेशन बैंक	10.27	16.21	08.99	06.95
देना बैंक	21.36	25.17	24.73	19.61
इंडियन बैंक	17.93	22.25	23.74	23.52
इंडियन ओवरसीज बैंक	23.76	16.50	13.11	12.05
ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	55.53	33.20	50.07	33.18
पंजाब एंड सिंध बैंक	0	39.24	46.82	33.24
सिंडिकेट बैंक	39.47	49.06	57.37	53.80
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	26.56	32.97	32.39	28.89
विजया बैंक	19.41	20.89	23.19	24.61
बीकानेर एवं जयपुर स्टेट बैंक	30.67	43.09	52.41	28.31
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	25.67	33.87	46.29	33.33
राज्य का औसत	**29.86**	**33.50**	**33.75**	**32.02**

टिप्पणी : 2007-08 के लिए आंकड़े 31 दिसंबर 2007 के हैं

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

6.4 : विभिन्न जिलों के ऋण-जमा अनुपात

तालिका 6.12 में 2005-06 से 2007-08 के बीच बिहार के विभिन्न जिलों में सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण-जमा अनुपात दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि 2007-08 में जिलों के ऋण-जमा अनुपात में काफी अंतर है जो सीवान में 20.66 प्रतिशत है तो उसके पड़ोसी जिले पश्चिम चंपारण में 48.99 प्रतिशत और कटिहार में 55.59 प्रतिशत। भोजपुर, लखीसराय, मुंगेर, सारण और सीवान में यह 25 प्रतिशत के नीचे है और अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया तथा पश्चिम चंपारण में 50 प्रतिशत के ऊपर। हालांकि अनेक जिलों में ऋण-जमा अनुपातों का ऊंचा होना पूर्व में दिए गए ऋणों पर संचित ब्याज से संबंधित है। उससे निचले स्तर पर ऋणप्रवाह बढ़ाने की बैंकों की इच्छा अनिवार्यतः प्रतिबिंबित नहीं होती।

तालिका 6.12 : बिहार में जिलावार ऋण-जमा अनुपात

जिला	2005-06	2006-07	2007-08	जिला	2005-06	2006-07	2007-08
पटना	29.64	32.18	27.64	पूर्वी चंपारण	40.63	43.68	42.34
नालंदा	26.99	27.44	25.77	दरभंगा	28.82	29.31	26.45
भोजपुर	23.61	24.95	24.51	समस्तीपुर	37.65	38.50	36.05
बक्सर	28.39	31.08	30.99	मधुबनी	33.25	32.68	30.32
रोहतास	35.24	39.79	40.05	सहरसा	37.10	33.90	36.31
कैमूर	44.65	46.06	43.04	सुपौल	34.84	32.38	35.66
गया	25.89	28.37	28.46	मधेपुरा	44.59	42.63	42.29
जहानाबाद	21.71	23.62	25.28	पूर्णिया	41.62	51.33	51.53
नवादा	24.38	27.16	26.06	अररिया	54.26	51.69	50.72
औरंगाबाद	28.31	26.65	27.77	किशनगंज	51.66	53.17	55.77
अरवल	23.51	26.66	25.65	कटिहार	59.85	58.19	55.59
सारण	23.73	26.18	23.12	भागलपुर	32.98	37.77	35.79
सीवान	20.10	22.07	20.66	बांका	39.97	44.62	40.55
गोपालगंज	27.45	29.12	30.19	मुंगेर	21.34	23.35	23.17
मुजफ्फरपुर	33.84	36.21	34.29	लखीसराय	25.88	24.40	24.23
वैशाली	29.70	31.90	32.17	शेखपुरा	27.04	27.61	26.72
सीतामढ़ी	40.39	40.24	35.16	जमुई	28.63	29.18	28.30
शिवहर	28.05	30.06	29.44	खगड़िया	38.57	38.34	32.70
पश्चिमी चंपारण	56.85	51.69	48.99	बेगूसराय	43.72	44.95	40.32

टिप्पणी : 2007-08 के लिए आंकड़े 31 जून, 2007 के हैं

स्रोत: राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार सरकार

6.5 निवेश सह ऋण-जमा (आइसीडी) अनुपात

बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण देकर ही नहीं, अपने निवेश योग्य कोष का बडा हिस्सा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार के निगमों एवं उपक्रमों, अर्ध-सरकारी निकायों तथा संयुक्त पूंजी कंपनियों के शेयर, बांड आदि में निवेश करके भी सहायता करते हैं। अतएव आर्थिक गतिविधियों में बैंकों की वास्तविक संलग्नता अकेले ऋण-जमा अनुपात से नहीं, निवेश सह ऋण-जमा अनुपात से प्रतिबिंबित होती है।

तालिका 6.13 में 31 मार्च, 2006 और 2007 को राज्य सरकार और सहयोगी निकायों की प्रतिभूतियों शेयर/ ऋणपत्र (डिबेंचर)/ बांड में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का निवेश दर्शाया गया है। 4 प्रतिशत हिस्से के साथ बिहार सुविधावंचित राज्य नजर आता है क्योंकि यहां देश की 8 प्रतिशत आबादी रहती है।

तालिका 6.14 में हम देखते हैं कि निवेश सह ऋण-जमा अनुपात को ध्यान में रखने पर राज्यों के बीच ऋण उपलब्धता संबंधी विषमताएं कम होती जाती हैं। अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों के मामले में निवेश सह ऋण-जमा अनुपात उनके ऋण-जमा अनुपात के मुकाबले काफी ऊपर थे, वहीं विकसित राज्यों में इनके बीच बहुत कम अंतर था।

तालिका 6.13 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार निवेश वितरण

राज्य	कुल निवेश (करोड़ रु.)		प्रतिशत हिस्सा	
	2006	2007	2006	2007
आंध्र प्रदेश	10726	11465	8.65	9.24
बिहार	**5513**	**4996**	4.49	4.02
गुजरात	7724	7150	6.23	5.76
हरियाणा	3147	2922	2.54	2.35
कर्नाटक	6573	6143	5.30	4.95
केरल	6230	6553	5.03	5.28
मध्य प्रदेश	6304	6383	5.09	5.14
महाराष्ट्र	10323	10892	8.33	8.77
उड़ीसा	4653	4074	3.75	3.28
पंजाब	4857	5221	3.92	4.21
राजस्थान	8242	8020	6.65	6.46
तमिलनाडु	8059	8318	6.50	6.70
उत्तर प्रदेश	15755	16479	12.71	13.27
पश्चिम बंगाल	11823	11468	9.54	9.24
योग	**123930**	**124141**	100.00	100.00

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर 2008

तालिका 6.14 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के निवेश सह ऋण-जमा अनुपात

	2005-06		2006-07	
	स्वीकृति के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार
हरियाणा	63.8	75.9	61.7	73.2
पंजाब	63.4	63.0	71.8	71.5
राजस्थान	94.1	102.9	96.4	104.5
बिहार	**42.4**	**52.1**	**41.3**	**57.9**
झारखंड	35.7	36.1	36.8	37.3
उड़ीसा	80.3	92.9	74.4	82.4
पश्चिम बंगाल	65.7	70.8	72.3	76.0
छत्तीसगढ़	50.7	57.7	54.2	62.6
मध्य प्रदेश	71.9	78.6	71.5	74.4
उत्तर प्रदेश	51.3	56.7	54.2	59.4
उत्तराखंड	34.3	39.4	33.8	39.2
गुजरात	63.0	82.7	69.6	94.3
महाराष्ट्र	104.4	83.5	98.5	78.2
आंध्र प्रदेश	90.5	95.3	95.5	99.3
कर्नाटक	80.8	98.3	79.9	103.4
केरल	69.1	72.1	67.7	70.7
तमिलनाडु	116.6	115.4	119.6	123.7
संपूर्ण भारत	**78.3**	**78.3**	**79.8**	**79.8**

स्रोत: रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2007-08, भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च 2007 में बिहार का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात 57.9 प्रतिशत था जबकि ऋण-जमा अनुपात 32.35 प्रतिशत। तथापि, बिहार का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात भी राज्स्थान (104.5 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (74.4 प्रतिशत) और उड़ीसा (82.4 प्रतिशत) के साथ-साथ राष्ट्रीय औसत 79.8 प्रतिशत से भी काफी कम है।

6.6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बिहार में पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और प्रत्येक बैंक एक खास क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है। ये हैं मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित), समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित), उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (दोनों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) तथा बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक द्वारा प्रायोजित)। वर्ष 2006-07 में इनकी 1487 शाखाओं में, जिनमें से लगभग 86 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं, कुल 6,141 लोग कार्यरत थे। मार्च 2007

में उनकी कुल संचित हानि लगभग 583 करोड़ रु. थी। तालिका 6.15 में इन पांचों बैंकों का ऋण-जमा अनुपात तथा निवेश-जमा अनुपात और तालिका 6.16 में इनके द्वारा 2005-06 से 2007-08 के बीच दिया गया ऋण दर्शाया गया है। उनके बीच कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात सबसे अधिक - 52 प्रतिशत - है। पांचों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच निवेश सह ऋण-जमा अनुपात के मामले में मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सबसे आगे है जिसका कृषि और गैर-कृषि, दोनों तरह के ऋणों भी सर्वाधिक हिस्सा है।

तालिका 6.15 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण जमा अनुपात

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ऋण-जमा अनुपात			निवेश सह ऋण-जमा अनुपात		
	2005-06	2006-07	30/09/07	2005-06	2006-07	30/09/07
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	32.51	39.42	39.83	62	63	62
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	42.80	44.68	47.04	51	57	54
कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	48.36	52.20	52.70	53	54	49
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	34.84	37.51	36.56	59	57	59
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	34.94	38.24	39.57	57	58	53
योग	35.99	40.26	40.26	56	58	55

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

तालिका 6.16 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल ऋण (करोड़ रु.)				कृषि ऋण (करोड़ रु.)			
	2005 - 06	2006-07	2007-08	प्रतिशत हिस्सा	2005-06	2006-07	2007-08	प्रतिशत हिस्सा
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	247	560	574	66.82	172	359	394	41.34
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	49	62	62	9.20	25	38	54	5.67
कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	102	173	173	10.24	67	99	141	14.80
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	264	484	484	9.43	155	256	327	34.31
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	77	91	91	4.31	31	38	37	3.88
योग	739	1370	1370	100.00	450	790	953	100.00

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

6.7 कुल बैंक ऋण में उद्योग का हिस्सा

तालिका 6.17 में 2003-04 से 2006-07 के बीच बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ऋण में अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रक्षेत्रों का हिस्सा दर्शाया गया है। मार्च 2007 में कुल ऋण में कृषि (22.7 प्रतिशत), उद्योग एवं विनिर्माण (22.2 प्रतिशत), व्यक्तिगत ऋण (31.8 प्रतिशत) तथा व्यापार (14.8 प्रतिशत) का ही संयुक्त रूप से 92.3 प्रतिशत हिस्सा था। शेष ऋण पेशाकर्मियों (प्रोफेशनल्स) तथा अन्य सेवाओं, वित्त एवं अन्य गतिविधियों के लिए दिया गया था। विभिन्न प्रक्षेत्रों के बीच वितरण में इन वर्षों के दौरान बहुत मामूली अंतर दिखता है जो इंगित करता है कि राज्य में ऋणप्रवाह के पैटर्न में कोई ढांचागत परिवर्तन नहीं हुआ है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत ऋणों का था जिससे राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों में कोई खास प्रत्यक्ष फल नही मिलना है।

तालिका 6.17 : बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के ऋणों में प्रक्षेत्रवार हिस्सा

प्रक्षेत्र	ऋण का प्रतिशत हिस्सा				
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कृषि	20.9	19.9	23.1	22.7	24.2
उद्योग एवं विनिर्माण	14.2	12.8	16.5	22.2	22.0
परिवहन संचालक	2.4	1.7	1.5	1.1	0.93
व्यक्तिगत ऋण	27.5	33.0	33.5	31.8	31.7
पेशाकर्मी एवं अन्य सेवाएं	2.8	2.7	2.7	2.9	3.5
व्यापार	21.4	18.1	16.6	14.8	14.4
वित्त	0.8	0.5	0.6	0.3	0.3
विविध	9.9	11.3	5.5	4.2	3.6
कुल बैंक ऋण	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : मनी एंड बैंकिंग, सितंबर 2008, सीएमआइई

केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार 2004-05 से 2007-08 की त्रिवर्षीय अवधि में कृषि हेतु ऋणप्रवाह दूना कर देना है। इस मामले में बैंकों द्वारा हासिल प्रगति को तालिका 6.18 में दर्शाया गया है। यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है जिसे तालिका में स्पष्टत: देखा जा सकता है।

तालिका 6.18 : बकाया कृषि अग्रिम

वर्ष	अग्रिम (करोड़ रु.)				वृद्धि (प्रतिशत)
	व्यावसायिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	योग	
2004-05	2580	854	422	3856	38.20
2005-06	3506	1195	379	5080	31.74
2006-07	4257	1694	272	6223	22.50
2007-08	5085	2249	384	7718	24.02
2008-09 (सितंबर तक)	5153	2495	349	7997	—

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

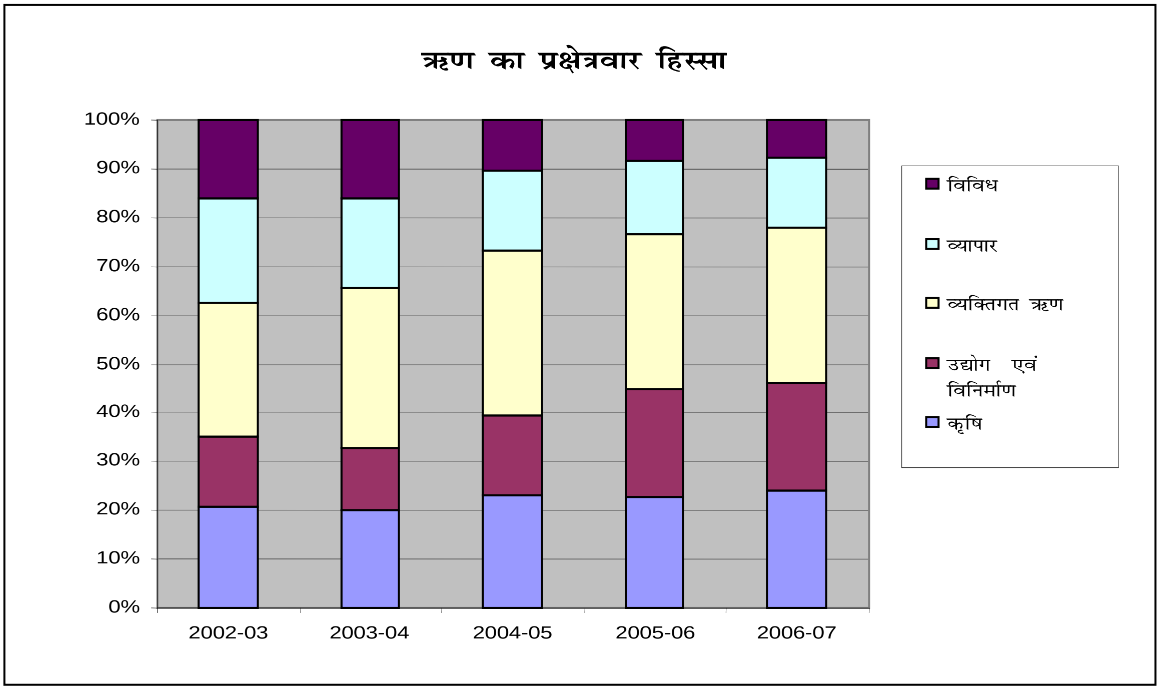

6.8 वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत अग्रिम (एसीपी)

बिहार में बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के तहत राज्य में कुल ऋणप्रवाह 23 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 2006-07 के 8,738 करोड़ रु. से बढ़कर 2007-08 में 10,763 करोड़ रु. हो गया। विगत चार वर्षों के दौरान बिहार में हुए कुल ऋणप्रवाह को तालिका 6.19 और 6.20 में दर्शाया गया है। जहां उपलब्धियों में 2007-08 के दौरान थोड़ी गिरावट आई है, वहीं यह भी देखा जा सकता है कि विभिन्नि बैंक समूहों की उपलब्धियों के प्रतिशत में काफी अंतर है। यह सहकारी बैंकों के मामले में सबसे कम (51.52 प्रतिशत) है और व्यावसायिक बैंकों के मामले में सबसे अधिक (86.2 प्रतिशत)।

तालिका 6.19 : वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत अग्रिम में उपलब्धि - सभी बैंक

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2003-04	4842	4287	88.53
2004-05	6022	5041	83.71
2005-06	7334	6055	82.57
2006-07	10001	8738	87.37
2007-08	13100	10763	82.16

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

तालिका 6.20 : वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत अग्रिम का संस्थावार विश्लेषण (मार्च 2008)

संस्थाएं	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
अनुसूचित व्यावसायिक बैंक	10240	8827	86.20
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2173	1580	72.71
सहकारी बैंक	687	356	51.82
योग	13100	10763	82.16

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति से संग्रहित आंकड़े

तालिका 6.21 में 2006-07 में हुए ऋणप्रदान का प्रक्षेत्रवार खाका प्रस्तुत है। कुल अग्रिमों में प्राथमिकता-प्राप्त प्रक्षेत्रों (प्रायरिटी सेक्टर) के अग्रिम का हिस्सा 62 प्रतिशत था। राज्य में अकेले कृषि प्रक्षेत्र का प्राथमिकता-प्राप्त प्रक्षेत्र के कुल ऋण में लगभग आधा और कुल ऋण में एक-तिहाई से अधिक हिस्सा था। यह देखा जा सकता है कि लघु उद्योगों को बहुत कम अग्रिम उपलब्ध कराया गया था। इस प्रक्षेत्र में ऋणप्रवाह बढ़ाने के लिए औद्योगिक परिसरों के पुनरुद्धार के साथ-साथ ऊर्जा और सड़क अधिसंरचना का विकास करना होगा। वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत अग्रिम की कुल उपलब्धि 82 प्रतिशत से अधिक थी लेकन इसमें काफी भिन्नता देखी गई।

तालिका 6.21 अग्रिमों का प्रक्षेत्रवार हिस्सा (2006-07)

प्रक्षेत्र	एसीपी लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)	कुल अग्रिमों में हिस्सा (प्रतिशत)
कृषि	4881	3755	76.93	34.89
लघु उद्योग	913	573	62.76	5.32
अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	2688	2384	88.69	22.15
कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	8481	6712	79.14	62.36
गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	4619	4056	87.81	37.68
योग	13100	10763	82.16	100.00

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

6.9 प्राथमिक कृषि ऋण संघ

तालिका 6.22 में विभिन्न राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण संघों (पैक्स) के कामकाज के कुछ चुनिंदा सूचकों को दर्शाया गया है। यद्यपि बिहार में पैक्स के साथ गांवों का अनुपात राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी बेहतर है, लेकिन जमा और उधार के मामले में बिहार अन्य राज्यों से काफी पीछे है जिसके कारण स्पष्ट ही हैं।

तालिका 6.22 : प्राथमिक कृषि ऋण संघों के चुनिंदा सूचक (31 मार्च, 2007)

राज्य	पैक्स की संख्या	शामिल गांवों की संख्या	पैक्स के साथ गांवों का अनुपात	कुल कर्मी	जमा (लाख रु.)	ऋण (लाख रु.)
हरियाणा	571	7,053	12	5,954	29,848	423,022
पंजाब	3,981	12,329	3	10,418	76,310	317,601
राजस्थान	5,129	37,359	9	7,264	22,031	234,644
बिहार	**5,969**	**45,098**	**8**	**2,538**	**6,115**	**50,115**
उड़ीसा	3,860	43,303	12	10,154	228793	171,601
पश्चिम बंगाल	12,077	103,059	9	29,379	100,811	149,108
छत्तीसगढ़	1,257	19,899	15	4,382	20,854	45,220
मध्य प्रदेश	4,633	53,951	12	16,404	43,328	225,037
उत्तराखंड	446	5,900	13	938	2,925	6,187
उत्तर प्रदेश	8,929	112,804	13	8,045	6,820	97,076
गुजरात	7,956	16,289	3	16,662	18,816	351,908
महाराष्ट्र	21,045	37,462	2	29,173	13,643	783,436
आंध्र प्रदेश	4,064	29,207	7	13,919	32,011	638,450
कर्नाटक	4,205	27,242	7	12,073	112170	200,404
केरल	1,624	1,464	1	15,739	1246529	197,180
तमिलनाडु	4,508	18,529	4	32,051	249629	398,127
भारत	**97,224**	**637,102**	**7**	**464,168**	**2,624,340**	**9,558,750**

6.10 राज्य सहकारी बैंक

तालिका 6.23 में प्रमुख भारतीय राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों के कार्यकारी परिणाम दर्शाए गए हैं। बिहार में ऋण वापसी का प्रतिशत बहुत कम है और गत वित्त वर्ष के दौरान बिहार में अनिष्पादित परिसंपत्तियों (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) के परिमाण में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। अनिष्पादित परिसंपत्तियां 2006 से 2007 के बीच 164 करोड़ रु. से बढ़कर 267 करोड़ रु. हो गई है और इस दौरान ऋण वसूली का प्रतिशत 51.35 से गिरकर 36.05 प्रतिशत रह गया है। इन सबके कारण बिहार में सहकारी बैंकों का प्रदर्शन काफी खराब हुआ है।

तालिका 6.23 : राज्य सहकारी बैंकों के कार्यकारी परिणाम

राज्य	लाभ/ हानि (करोड़ रु.)		कुल अनिष्पादित परिसंपत्तियां (करोड़ रु.)		अनिष्पादित परिसंपत्तियां बकाया देनदारियों के % में		जून के अंत तक ऋण वापसी (प्रतिशत)	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
हरियाणा	37.00	25.63	5.22	5.26	0.22	0.18	99.84	99.86
पंजाब	26.24	23.79	58.47	55.28	2.18	1.62	99.05	98.33
राजस्थान	21.15	21.36	21.85	56.82	1.31	2.77	98.03	98.12
बिहार	**50.78**	**6.37**	**164.02**	**267.11**	**30.33**	**42.51**	**51.31**	**36.05**
उड़ीसा	19.69	9.16	116.71	129.27	6.94	6.67	87.71	77.86
पश्चिम बंगाल	14.05	14.23	98.08	99.13	4.99	5.01	85.47	78.29
मध्य प्रदेश	57.56	31.41	177.21	185.38	10.55	8.85	92.31	93.49
उत्तर प्रदेश	2.88	2.68	12.13	30.45	14.07	16.39	94.86	94.69
गुजरात	5.29	5.51	123.43	133.18	6.08	6.09	83.11	97.33
महाराष्ट्र	1.50	48.36	2847.93	2367.20	37.30	23.65	66.79	73.15
आंध्र प्रदेश	5.70	1.58	868.01	1134.74	15.39	18.71	78.06	71.76
कर्नाटक	27.28	13.35	315.60	242.09	17.67	10.82	92.05	92.05
केरल	-2.59	-28.96	430.77	504.48	26.08	22.94	96.23	87.23
तमिलनाडु	28.02	21.78	287.71	262.80	9.46	8.10	95.15	97.66
भारत	**371.02**	**275.25**	**6734.93**	**6704.00**	**16.84**	**14.16**	**86.57**	**85.65**

6.11 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

तालिका 6.24 में भारत के प्रमुख राज्यों के राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्यकारी परिणाम दर्शाए गए हैं। यहां भी बिहार में ऋण वसूली का प्रतिशत बहुत कम, मात्र 16 प्रतिशत है जबकि संपूर्ण भारत का औसत 43.9 प्रतिशत है। फिर भी इसमें 2006-07 के मुकाबले काफी सुधार हुआ है जब ऋण वसूली मात्र 1.87 प्रतिशत थी। अनिष्पादित परिसंपत्तियों के परिमाण में भी इसी प्रकार की वृद्धि हुई है।

तालिका 6.24 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्यकारी परिणाम (अंतिम मार्च)

बिहार	शाखाओं की संख्या	लाभ/ हानि (करोड़ रु.)		कुल अनिष्पादित परिसंपत्तियां (करोड़ रु.)		अनिष्पादित परिसंपत्तियां बकाया देनदारियों के % में		जून के अंत तक ऋण वापसी (प्रतिशत)	
	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
हरियाणा	0	-48.15	-33.35	504	866.24	24.54	45.06	69.69	96.76
पंजाब	0	33.01	25.32	0	0.72	0	0.03	94.12	90.97
राजस्थान	7	10.39	13.14	378.62	430.95	25.41	27.95	56.35	56.21
बिहार	**151**	**0.00**	**0.00**	**69.71**	**83.45**	**68.6**	**89.69**	**1.87**	**16.00**
उड़ीसा	5	-0.58	-3.25	27.29	178.16	15.24	99.77	16.33	3.5
पश्चिम बंगाल	2	0.52	1.64	169.29	112.95	27.23	17.41	52.44	65.95
मध्य प्रदेश	7	0.12	0.19	211.49	213.46	13.67	13.87	38.25	40.46
उत्तर प्रदेश	342	1.64	-119.73	1366.13	2067.57	40.03	50.49	41.6	31.79
गुजरात	181	18.67	22.96	327.29	328.29	53.99	53.08	36.26	42.88
महाराष्ट्र	-	15.14	195.45	1144.38	485.64	99.93	37.28	15.9	30.12
आंध्र प्रदेश	23	206.61	1.15	330.69	304.25	27.45	23.65	49.14	36.89
तमिलनाडु	18	15.53	-28.13	892.75	252.21	88.53	26.43	52.01	12.93
भारत	868	249.5	89.68	5778.8	5643.1	32.7	30.3	46.4	43.9

6.12 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

वर्ष 1998-99 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य किसानों को लचीले और किफायती तरीके से फसल ऋण उपलब्ध कराना है। सभी राज्यों में इस योजना का क्रियान्वयन सारे व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में शामिल किसानों को एक क्रेडिट कार्ड और एक पासबुक अथवा क्रेडिट कार्ड सह पासबुक उपलब्ध कराया जाता है जिसमें उनके नाम, पता और भूमि संबंधी विवरण, ऋणप्राप्ति सीमा तथा वैधता अवधि का उल्लेख रहता है। उत्पादन ऋण सीमाओं का निर्धारण पूरे वर्ष के लिए उत्पादन संबंधी ऋण आवश्यकताओं और फसल उत्पादन संबंधी सहायक गतिविधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऋणदाता बैंकों के विवेक पर उप-सीमाएं भी निर्धारित की जाती हैं। फसल ऋण और अल्पावधि ऋण परिक्रामी नगद ऋण सुविधा (रिवॉल्विंग

कैश क्रेडिट फैसिलिटी) के रूप में होते हैं जिसमें कार्यकारी जोत, फसल पैटर्न और वित्तपोषण के परिमाण के आधार पर निर्धारित सीमा के भीतर किसी भी संख्या में निकासी और भुगतान की सुविधा रहती है। अब किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण के साथ-साथ फसल उत्पादन हेतु कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतें भी पूरी होती हैं।

बिहार में 1999-2000 से 2008-09 तक बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्डों की संख्या तालिका 6.25 में दर्शाई गई है। जहां व्यावसायिक बैंकों के लिए उपलब्धि के आंकड़े संपूर्ण अवधि में निरंतर उच्च स्तर पर थे, वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने बाद के दौर में अच्छा प्रदर्शन किया। तथापि, सहकारी बैंकों के लिए इस काम में तेजी लाना अभी भी बाकी है। कुल मिलाकर, राज्य में संपूर्ण अवधि में उपलब्धि लक्ष्य के महज 45.07 प्रतिशत के आसपास रही है।

तालिका 6.25 : बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या

वर्ष	व्यावसायिक बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1999-00	99667	42756	42.90	46900	4591	9.79
2000-01	101501	65750	64.78	28617	13576	47.44
2001-02	110207	123465	112.03	52738	14256	27.03
2002-03	98180	77543	78.98	60918	24441	40.12
2003-04	105530	95587	90.58	64535	30864	47.83
2004-05	174850	140793	80.52	150500	76891	51.09
2005-06	143866	131618	91.49	129719	66332	51.14
2006-07	250000	203935	81.57	190000	140071	73.72
2007-08	300000	222478	74.16	228000	168529	73.92
2008-09 (सितंबर 08)	861429	119050	13.82	478571	107045	22.37
योग	2245230	1222975	54.47	1430498	646596	45.20

वर्ष	सहकारी बैंक			योग		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1999-00	00	00	0.00	146567	47347	32.30
2000-01	180000	107094	59.50	310118	186420	60.11
2001-02	277204	42086	15.18	440149	186692	42.42
2002-03	600000	112580	18.76	759098	214564	28.27
2003-04	425839	229051	53.79	595904	355502	59.66
2004-05	470350	245907	52.28	795700	465744	58.53
2005-06	293166	120653	41.16	566751	318603	56.22
2006-07	160000	55374	34.61	600000	399380	66.56
2007-08	160000	75533	47.21	688000	466540	67.81
2008-09 (सितंबर 08)	160000	27422	17.14	1500000	253517	16.90
योग	2726559	1015700	37.25	6402287	2885271	45.07

स्रोत : निदेशक, संस्थागत वित्त, बिहार सरकार

6.13 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड को कृषि, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण शिल्पों के विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्तीयन (रिफाइनांस) के जरिए ऋणप्रवाह की सुविधा देने का अधिदेश (मैंडेट) है। वह ग्रामीण ऋणदाता संस्थाओं को प्रशिक्षण एवं शोध सुविधाएं प्रदान करने के जरिए उनके कामकाज का समन्वय भी करता है। इसके अलावा, वह ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ) का प्रबंधन भी करता है। आरआइडीएफ की स्थापना व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्रामीण अधिसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋणप्रदान में कमी की पूर्ति करने और सिंचाई, मृदा संरक्षण, जलछाजन (वाटरशेड) प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, शीतगृह श्रृंखला से संबंधित परियोजनाओं तथा अन्य ग्रामीण अधिसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु की गई है।

सरकार द्वारा 1995-06 में आरआइडीएफ की स्थापना जारी ग्रामीण अधिसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु की गई थी। इसके कोष का अनुरक्षण नाबार्ड द्वारा होता है। घरेलू व्यावसायिक बैंकों की कृषि हेतु अनुबंधित प्राथमिकता-प्राप्त प्रक्षेत्र ऋणप्रदान (स्टिपुलेटेड प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग) में जितनी कमी रहती है, वे उस हद तक इस कोष में अंशदान करते हैं। इस कोष का मुख्य उद्देश्य जारी ग्रामीण अधिसंरचना परियोजनाएं पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारों तथा राजकीय स्वामित्व वाले निगमों को ऋण उपलब्ध कराना है। वर्ष 2007-08 के अंत तक आरआइडीएफ की तेरह शाखाएं चालू की गई हैं जिनके जरिए 74,043 करोड़ रु. की संचित स्वीकृति

(क्यूमुलेटिव सैंक्शन) प्रदान की गई है। इसमें से 45,595 करोड़ रु. (61.55 प्रतिशत) का संवितरण किया गया है जिसका विवरण तालिका 6.26 में देखा जा सकता है।

तालिका 6.26 : आरआइडीएफ के तहत मार्च 2008 तक संचित वितरण

	स्वीकृति		वितरण	
	रकम (करोड़ रु.)	प्रतिशत	रकम (करोड़ रु.)	प्रतिशत
दक्षिणी क्षेत्र	21223.87	28.65	13463.89	29.53
पश्चिमी क्षेत्र	11007.88	14.86	7423.20	16.28
उत्तरी क्षेत्र	20271.66	27.37	12908.29	28.31
मध्य क्षेत्र	6885.36	9.30	4349.39	9.54
पूर्वी क्षेत्र	11480.71	15.50	5733.57	12.58
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	3203.63	4.32	1716.52	3.76
संपूर्ण भारत	74073.11	100.0	45594.86	100.0

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2007-08, भारतीय रिजर्व बैंक

दिसंबर 2007 तक नाबार्ड ने आरआइडीएफ के अंतर्गत राज्य में 9,372 परियोजनाएं स्वकृत की थीं जिनमें से 7,951 लघु सिंचाई से संबंधित हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान बैंकों के पुनर्वित्तीयन के जरिए नाबार्ड द्वारा कुल 184 करोड़ रु. का ऋण वितरित किया गया है। इसका विवरण तालिका 6.27 में दिया गया है।

तालिका 6.27 : बिहार में नाबार्ड द्वारा प्रक्षेत्रवार पुनर्वित्तीयन

(करोड़ रु.)

प्रयोजन	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
लघु सिंचाई	96.84	55.55	11.52	11.23
कृषि यंत्रीकरण	1.19	0.06	30.48	23.99
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	69.37	51.49	24.62	33.91
दुग्धशाला	0	0.08	2.21	10.48
अजा/ अजजा कार्ययोजना	0	1.27	4.8	0
स्वयं सहायता समूह	2.99	5.9	8.64	19.86
प्रधानमंत्री रोजगार योजना	0	0.9	3.22	3.62
ग्रामीण गैर-कृषि प्रक्षेत्र	5.09	1.88	15.22	10.21
अन्य	0.97	0.08	55.76	70.75
योग	176.45	117.21	156.47	184.05

स्रोत : नाबार्ड से प्राप्त आंकड़े

सिंचाई परियोजनाओं सहित कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र, ग्रामीण संपर्क (सड़क एवं पुल), सामाजिक प्रक्षेत्र के निवेश (ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल), मृदा एवं जल संरक्षण, वर्षाजल संग्रह आदि में गतिविधियों को शामिल करने के लिए आरआइडीएफ का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है। अन्य गतिविधियों में शामिल हैं – ग्रामीण बाजार प्रांगण, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक विद्यालय, लघु जलविद्युत संयंत्र, शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी; तथा ऊर्जा प्रक्षेत्र में व्यवस्थागत सुधार, बाढ़ संरक्षा, जलछाजन विकास, जलजमाव से मुक्ति, जलमल निकासी, वनविकास, बाजार/ गोदाम, अपना मंडी, ग्रामीण हाट, तथा अन्य बाजार अधिसंरचना, शीतगृह, बीज/ कृषि फार्म/ फलोद्यान, जांच एवं प्रमाणन प्रयोगशाला जैसे श्रेणीकरण एवं प्रमाणन तंत्र (ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन मेकैनिज्म्स), पूरे गांव की सिंचाई के मकसद से सामुदायिक सिंचाई कूप, मत्स्याखेट बंदरगाह/ घाट, नदी मत्स्याखेट, पशुपालन और आधुनिक वधशाला के क्षेत्र में प्रणाली उन्नयन।

बिहार में नाबार्ड द्वारा आरआइडीएफ के विभिन्न चरणों के अंतर्गत किया गया कुल वितरण तालिका 6.28 में दर्शाया गया है। मार्च 2008 तक 2,309 करोड़ रु. की कुल स्वीकृत राशि में से मात्र 747 करोड़ रु. ही वितरित किए गए हैं जो स्वीकृत राशि का मात्र 31.19 प्रतिशत है। इस प्रकार स्वीकृत राशि और संवितरण के बीच काफी अंतर रह जाता है। स्वीकृत राशि के मुकाबले आरआइडीएफ की राशि के संवितरण में ऐसे अंतर के कारण आरआइडीएफ का क्रियान्वयन चिंता का विषय बना हुआ है।

तालिका 6.28 : मार्च 2008 तक बिहार में आरआइडीएफ के अंतर्गत स्वीकृति एवं संवितरण

आरआइडीएफ के चरण	स्वीकृति	संवितरण
	राशि (करोड़ रु.)	राशि (करोड़ रु.)
आरआइडीएफ I	22.17	12.63
आरआइडीएफ III	57.93	26.93
आरआइडीएफ VII	58.02	37.69
आरआइडीएफ VIII	198.69	154.50
आरआइडीएफ IX	97.24	51.28
आरआइडीएफ X	290.91	41.54
आरआइडीएफ XI	459.41	181.22
आरआइडीएफ XII	589.90	123.06
आरआइडीएफ XIII	621.68	118.46
योग	**2396.06**	**747.30**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2007-08, भारतीय रिजर्व बैंक

6.14 सूक्ष्मवित्त

तीसरी दुनिया के अनेक देश उत्तरोत्तर महसूस कर रहे हैं कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे पारंपरिक गरीबी विरोधी कार्यक्रमों से गरीबी पर कोई गंभीर असर नहीं हो सकता है, खास कर उस तरह की गरीबी पर जो कमजोर ग्रामीण अधिसंरचना के कारण पैदा हुई है। यह बिहार के मामले में खास तौर पर सही है जहां इन कार्यक्रमों से गरीबी की मारी आबादी के बहुत छोटे हिस्से को ही मदद मिलती है। इस परिदृश्य में सूक्ष्मवित्त (माइक्रोफाइनांस) गरीबी निवारण का एक सक्षम विकल्प है। सफलता के लिए सूक्ष्मवित्त को एक नवाचारी ऋणप्रदान प्रक्रिया से युक्त होना होगा जो राज्य में सूक्ष्मउद्यम (माइक्रो-इंटरप्राइज) विषयक अवसरों के यथार्थ आकलन के साथ जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए सक्षम वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करे। हालांकि, संभावित लाभार्थियों में इसके लिए पर्याप्त जागरूकता पैदा करना ऐसे कार्यक्रमों की सफलता की पहली पूर्वशर्त होती है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित एसएचजी-बैंक सहलग्नता (लिंकेज) कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्मवित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है। बिहार एसएचजी-बैंक सहलग्नता के मामले में क्रमिक रूप से अन्य राज्यों के समकक्ष पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 31 मार्च 2008 तक कुल मिलाकर 1,41,377 स्वयं सहायता समूहों की बैंकों के साथ ऋण-सहलग्नता कायम हो चुकी थी और इन स्वयं सहायता समूहों तक 296.12 करोड़ रु. का ऋणप्रवाह हो चुका था। स्वयं सहायता समूहों के ऋण-सहलग्नता में वर्षवार प्रगति तालिका 6.29 में दर्शाई गई है।

तालिका 6.29 : बिहार में सूक्ष्मवित्तीयन

वर्ष	बैंक के साथ सहलग्न स्वयं सहायता समूहों की संख्या	ऋणराशि (करोड़ रु.)
2004 तक	16246	51.82
2004-05	11769	37.42
2005-06	18206	31.20
2006-07	26417	82.54
2007-08	68739	93.14
योग	**1,41,377**	**296.12**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

एसएचजी-बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के विस्तार विषयक प्रमुख व्यवधानों में प्रतिष्ठित स्वयं सहायता समूहों अभाव तथा हितग्राहियों के बीच स्वयं सहायता समूह के ऋणप्रदान के मामले में कम जागरूकता शामिल है। आशा है कि

संवेदनीकरण (सेसिटाइजेशन) कार्यक्रम हेतु नाबार्ड और अन्य क्रियान्वयनकारी बैंकों द्वारा की गई पहल का परिणाम राज्य में स्वयं सहायता समूह आंदोलन हेतु अनुकूल वातावरण के निर्माण के रूप में निकलेगा। इस क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 2007-08 के दौरान किए गए प्रदर्शन को तालिका 6.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.30 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सूक्ष्मवित्तीयन (2007-08)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक के साथ सहलग्न स्वयं सहायता समूहों की संख्या	ऋणराशि (करोड़ रु.)
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	15725	950
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1502	49
कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8465	488
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1610	0
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4084	1677
योग	**31,386**	**3,164**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

6.15 चुनिंदा सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन

<u>प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरआइ)</u> : आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा-युवतियों को टिकाऊ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना पहली बार 2 अक्तूबर, 1993 को शुरू की गई थी। इसके तहत बैंकों द्वारा कृषि एवं संबंधित गतिविधियों समेत किंतु फसल उगाने, उर्वरक खरीदने जैसी प्रत्यक्ष कृषि गतिविधियों को छोड़कर समस्त जीवक्षम (वायवल) गतिविधियों के लिए व्यापार क्षेत्र हेतु 1 लाख रु. तक और अन्य गतिविधियों हेतु 2 लाख रु. तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। बिहार में गत 6 वर्षों के दौरान इस योजना के तहत हुई उपलब्धियों को तालिका 6.31 में दर्शाया गया है जिससे हम परिणाम निकाल सकते हैं कि राज्य में उपलब्धियां सामान्य रही हैं।

तालिका 6.31 : प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2001-02	18,000	8,204	45.57
2002-03	18,100	9,366	51.74
2003-04	14,400	9,812	68.13
2004-05	16,000	10,119	63.24
2005-06	25,000	14,191	56.76
2006-07	11,400	8,671	76.06
2007-08	15,000	7,618	58.63
योग	117,900	67,981	57.66

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति से संग्रहित आंकड़े

स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ) :

देश के गरीब लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने के जरिए प्रभावी गरीबी निवारण हेतु सरकार ने देश में लागू स्वरोजगार कार्यक्रमों के पुनर्गठन का फैसला किया। परिणामस्वरूप 1999 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें स्वयं सहायता समूह निर्माण के लिए गरीबों को संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी अधिसंरचना, विपणन आदि स्वरोजगार के सारे पक्षों को शामिल किया गया है। योजना का प्रमुख उद्देश्य आय में दीर्घकालिक निरंतर वृद्धि के जरिए लाभार्थियों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाना है। बिहार में ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय करके बैंक इस योजना में ठोस तरीके से सहभागिता करते रहे हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मापन एवं अनुश्रवण योग्य परिणामों (मेजरेबल एंड मॉनिटरेबल आउटकम्स) में वित्तीय परिव्ययों (फाइनांसियल आउटलेज) के रूपांतरण के जरिए सभी प्रमुख कार्यक्रमों के विकास परिणामों के मूल्यांकन हेतु एक प्रणाली शुरू की है। स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना के मामले में जो चीज मापन योग्य और अत्यंत महत्व की है, वह है सहायताप्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या (स्वयं सहायता समूह के तहत और व्यक्तिगत, दोनों)। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों को व्यक्तिगत एवं स्वयं सहायता समूहों, दोनों के लिए वित्तीय लक्ष्यों के अलावा भौतिक लक्ष्य भी आबंटित किए जाते हैं। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन तालिका 6.32 और 6.33 में दर्शाया गया है। स्वयं सहायता समूहों के मामले में तो भौतिक लक्ष्य की अधिक उपलब्धि रही लेकिन व्यक्तिगत लक्ष्यों के मामले भारी कमी दिखती है।

तालिका 6.32 : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन : व्यक्तिगत

	2006-07		2007-08	
	संख्या	रकम (करोड़ रु.)	संख्या	रकम (करोड़ रु.)
लक्ष्य	1,37,805	354.41	1,88,000	469.99
प्राप्त प्रस्ताव	1,19,927	—	85,460	—
स्वीकृत प्रस्ताव	1,04,893	281.95	79,951	212.10
संवितरित प्रस्ताव	1,01,965	231.98	76,720	187.87
उपलब्धि प्रतिशत में (स्वीकृति/ लक्ष्य)	79.55	79.55	42.53	45.13
उपलब्धि प्रतिशत में (संवितरण/ लक्ष्य)	74.00	65.46	40.81	39.97
वापस/ अस्वीकृत प्रस्ताव	13,897	—	5509	—
संवितरण हेतु लंबित प्रस्ताव	1,137	—	3231	—

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

तालिका 6.33 : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन (स्वयं सहायता समूह)

प्रदर्शन	2006-07	2007-08
लक्ष्य (संख्या)	9.726	15,040
उपलब्धि (संख्या)	12230	18,499
उपलब्धि (प्रतिशत)	126.0	123.0

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति से संग्रहित आंकड़े

हाल की एक बैठक में भारत सरकार ने 2015 तक पूर्ण गरीबी निवारण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत स्वीकृति, ऋण जुटाने एवं संवितरण संबंधी अपनी जवाबदेहियों के मामले में बैंकों की भूमिका के महत्व पर फिर से जोर दिया है। अपनी शाखाओं के, खास कर बिना बैंक वाले प्रखंडों में, विस्तार के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बैंकों को कदम उठाने हैं। प्रशिक्षण और ग्रामीण उत्पादों को विपणन सहायता – दो ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं, जिन पर राज्य में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। जरूरी नहीं है कि इनके अभाव में भौतिक/ वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि गरीब परिवारों की उन्नति में रूपांतरित हो ही जाय। प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को हाथ में लेने के लिए कर्नाटक ने आयसृजन गतिविधियों में गरीबों के प्रशिक्षण हेतु हर जिले में ग्रामीण विकास एवं स्व-प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के जरिए एक नवाचारी प्रयोग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र (प्रायरिटी सेक्टर) के अग्रिमों के संबंध में फैल रही एक समस्या इन अग्रिमों की वसूली की निम्न दर की है। इससे बैंकों की वित्तीय क्षमता भी प्रभावित होती है। वर्ष 2006-07 में बिहार में बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की वसूली दर 47 प्रतिशत के आसपास होना बड़ी संख्या में अनिष्पादित परिसंपत्तियों की मौजूदगी को इंगित करता है जो बैंकों की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। सरकार प्रायोजित योजनाओं में ऋण-वसूली की स्थिति प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों से भी बुरी है, जो बैंकों की चिंता का एक बड़ा स्रोत है। वर्ष 2006-07 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए ऋण-वसूली दर 31 प्रतिशत और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए 25 प्रतिशत ही थी।

6.16 सारांश

वर्ष 2007-08 के दौरान बिहार में बैंकिंग अधिसंरचना में महज मामूली विस्तार हुआ। देश में बिहार का हिस्सा कुल बैंक शाखाओं के मामले में 5 प्रतिशत से भी कम, अनुसूचित बैंककर्मियों की कुल संख्या में 3 प्रतिशत, कुल जमा में महज 2 प्रतिशत और कुल बैंक ऋणों में तो 1 प्रतिशत से भी कम है। इस प्रकार बैंकिंग के मामले में बिहार देश का एक सर्वाधिक सुविधावंचित राज्य बना हुआ है। प्रति व्यक्ति जमा और ऋण भी देश में लगभग सबसे कम है। वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य में बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों में प्राथमिकता-प्राप्त अग्रिमों का हिस्सा 62 प्रतिशत था जिसमें अकेले कृषि क्षेत्र का हिस्सा 35 प्रतिशत था। लेकिन प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के

अग्रिमों की वसूली बहुत कम है और आधे से अधिक अग्रिमों की वसूली नहीं हो पा रही है। 32 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात भी देश में लगभग सबसे कम है और राष्ट्रीय औसत (72 प्रतिशत) से बहुत नीचे है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अन्य सुविधावंचित राज्यों में भी ऋण-जमा अनुपात काफी ऊंचा है। हालांकि ऋण-जमा अनुपात के मुकाबले निवेश सह ऋण-जमा अनुपात का स्तर ऊंचा है लेकिन 80 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से यह भी काफी पीछे है। जिलों के ऋण-जमा अनुपात में भी काफी अंतर है जो सबसे कम 21 प्रतिशत है और सबसे अधिक 56 प्रतिशत। पांच जिले ऐसे हैं जिनका ऋण-जमा अनुपात 25 प्रतिशत से कम है। इस क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धि अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के मुकाबले बेहतर है। लगातार कम ऋण-जमा अनुपात चिंता का विषय है और इसे तत्काल दुरुस्त करने की जरूरत है।

वार्षिक ऋण योजना के तहत बैंकों की उपलब्धि उल्लेखनीय है। लेकिन हासिल लक्ष्यों से राज्य में आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन प्रतिबिंबित नहीं होता कि राज्य में निवेश के माहौल में सुधार हुआ अथवा अच्छी संख्या में गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सका या नहीं। संभवत: पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण बैंकों की अनिष्पादित संपत्तियों में काफी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं में नाबार्ड का आरआइडीएफ के अंतर्गत ऋण संवितरण स्वीकृत राशि का एक-तिहाई भी नहीं था। राज्य में सूक्ष्मवित्तीयन की अच्छी प्रगति हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण जगह बनाने के लिहाज से सूक्ष्मवित्त की काफी गुंजाइश है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी गरीबी विरोधी योजनाओं के अंतर्गत हासिल उपलधियों का प्रभाव ऋणवसूली की निम्न दर के कारण बेअसर हो गया है। वार्षिक ऋण योजनाओं और गरीबी निवारण योजनाओं के मामले में हासिल किए गए वित्तीय लक्ष्यों का लाभार्थियों की आर्थिक बेहतरी में मापने-गिनने लायक सुधार में वास्तविक रूपांतरण हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित अनुश्रवण प्रणाली की स्थापना की तत्काल जरूरत है। अभी ऐसी कोई प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। कुल मिलाकर यह लगता है कि बिहार में लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा निवेश योग्य वातावरण निर्माण पर वास्तविक प्रभाव डालना बैंकिंग प्रक्षेत्र को अभी आरंभ ही करना है जो निजी क्षेत्र के साथ-साथ दूसरे राज्यों से भी निवेश आकर्षित करने का काम अकेले कर सकता है। विपणन एवं वितरण हेतु ग्रामीण अधिसंरचना के निर्माण में बैंक भारी सहायता कर सकते हैं और कोई सार्थक सार्वजनिक-निजी साझेदारी भी तभी उभर सकती है।

परिशिष्ट 1

वार्षिक ऋण योजना के तहत जिलावार प्रदर्शन (मार्च 2008)

जिला का नाम	कृषि			लघु उद्योग			अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र			योग		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पटना	21,820	25,780	118	13,388	16,628	124	71,246	49,335	69	106,454	91,743	86
अवलन	3,659	2,796	76	375	528	141	841	1,272	151	4,875	4,596	94
औरंगाबाद	10,196	8,632	85	533	792	149	5,431	4,584	84	16,160	14,008	87
भोजपुर	20,960	12,534	60	1,735	990	57	7,688	6,669	87	30,383	20,193	66
बक्सर	27,055	10,821	40	2,282	1,498	66	4,502	4,674	104	33,839	16,993	50
गया	17,494	10,654	61	4,802	3,301	69	8,724	12,080	138	31,020	26,035	84
जहानाबाद	6,893	7,253	105	740	768	104	1,990	3,098	156	9,623	11,119	116
कैमूर (भभुआ)	17,747	14,688	83	1,242	1,749	141	2,784	2,946	106	21,773	19,383	89
लखीसराय	4,738	4,042	85	346	791	229	1,975	2,401	122	7,059	7,234	102
नालंदा	16,570	14,505	88	2,206	1,580	72	4,184	5,037	120	22,960	21,122	92
नवादा	7,549	7,538	100	229	672	293	4,657	3,554	76	12,435	11,764	95
रोहतास	23,529	17,260	73	3,574	2,840	79	8,053	6,197	77	35,156	26,297	75
अररिया	8,002	7,673	96	683	358	52	1,993	2,895	145	10,678	10,926	102
जमुई	7,971	4,028	51	537	325	61	2,213	2,350	106	10,721	6,703	63
किशनगंज	7,005	5,289	76	353	1,066	302	3,027	3,664	121	10,385	10,019	96
मधेपुरा	5,697	4,099	72	488	636	130	1,260	4,720	375	7,445	9,455	127
पूर्णिया	18,089	11,878	66	2,909	1,212	42	6,952	7,472	107	27,950	20,562	74
सहरसा	6,941	4,147	60	751	620	83	4,260	2,422	57	11,952	7,189	60
सुपौल	8,146	4,979	61	120	354	295	3,076	3,658	119	11,342	8,991	79
दरभंगा	8,038	7,493	93	1,146	1,003	88	8,466	8,705	103	17,650	17,201	97
पू. चंपारण	18,688	16,592	89	3,987	667	17	12,085	10,427	86	34,760	27,686	80
गोपालगंज	20,432	11,236	55	1,161	2,194	189	6,192	4,332	70	27,785	17,762	64
मधुबनी	14,738	10,635	72	1,794	1,120	62	6,250	4,455	71	22,782	16,210	71
मुजफ्फरपुर	16,208	15,557	96	13,380	2,892	22	15,276	12,825	84	44,864	31,274	70
सारण	18,931	10,738	57	5,830	1,082	19	7,699	11,336	147	32,460	23,156	71
सीवान	18,348	13,643	74	1,919	831	43	6,608	6,425	97	26,875	20,899	78
वैशाली	13,573	12,718	94	2,116	1,144	54	5,527	5,760	104	21,216	19,622	92
प. चंपारण	17,771	15,595	88	1,408	587	42	6,298	5,738	91	25,477	21,920	86
कटिहार	12,412	11,977	97	1,431	1,205	84	4,157	6,667	160	18,000	19,849	110
शेखपुरा	3,796	1,697	45	181	197	109	798	1,149	144	4,775	3,043	64
बांका	9,303	5,518	59	1,916	816	43	4,067	2,686	66	15,286	9,020	59
बेगूसराय	19,032	11,890	62	7,568	973	13	11,714	5,273	45	38,314	18,136	47
भागलपुर	13,437	7,595	57	3,757	1,199	32	8,057	5,966	74	25,251	14,760	58
मुंगेर	7,670	4,284	56	2,924	1,139	39	4,909	3,277	66	15,503	8,650	56
शिवहर	1,372	1,985	145	132	118	89	546	438	80	2,050	2,541	124
सीतामढ़ी	10,151	9,977	98	1,422	840	59	2,941	2,908	99	14,514	13,725	95
खगड़िया	8,857	6,012	68	688	443	64	3,417	1,000	29	12,962	7,455	58
समस्तीपुर	15,149	16,333	108	1,253	1,187	95	8,901	6,275	71	25,303	23,795	94
संपूर्ण बिहार	**487,967**	**370,071**	**2,966**	**91,306**	**56,345**	**3,649**	**268,764**	**234,670**	**4,009**	**848,037**	**661,036**	**3,112**

परिशिष्ट 1 (जारी......)

जिला का नाम	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र				कुल योग	प्रतिशत
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	
2	15	16	17	18	19	20
पटना	188,236	96,029	51	294,690	187,277	64
अरवल	1,087	1,228	113	5,962	5,824	98
औरंगाबाद	8,386	8,560	102	24,546	22,568	92
भोजपुर	8,549	7,047	82	38,932	27,240	70
बक्सर	4,148	6,345	153	37,987	23,338	61
गया	12,154	15,409	127	43,174	41,444	96
जहानाबाद	3,190	3,995	125	12,813	15,114	118
कैमूर (भभुआ)	2,916	4,410	151	24,689	23,793	96
लखीसराय	3,775	2,045	54	10,834	9,279	86
नालंदा	10,752	7,926	74	33,712	29,048	86
नवादा	2,635	4,037	153	15,070	15,801	105
रोहतास	5,832	9,030	155	40,988	35,327	86
अररिया	6,427	6,846	107	17,105	17,772	104
जमुई	3,786	4,145	109	14,507	10,848	75
किशनगंज	4,041	5,282	131	14,426	15,301	106
मधेपुरा	3,605	5,421	150	11,050	14,876	135
पूर्णिया	10,558	10,167	96	38,508	30,732	80
सहरसा	4,730	5,512	117	16,682	12,701	76
सुपौल	2,423	5,581	230	13,765	14,572	106
दरभंगा	11,676	11,887	102	29,326	29,088	99
पू. चंपारण	9,525	10,877	114	44,285	38,563	87
गोपालगंज	6,222	7,589	122	34,007	25,351	75
मधुबनी	10,879	11,022	101	33,661	27,232	81
मुजफ्फरपुर	22,683	20,368	90	67,547	51,642	76
सारण	12,112	12,513	103	44,572	35,669	80
सीवान	8,515	9,647	113	35,390	30,546	86
वैशाली	11,101	10,648	96	32,317	30,271	94
प. चंपारण	7,518	10,743	143	32,995	32,663	99
कटिहार	17,315	15,586	90	35,315	35,435	100
शेखपुरा	1,866	989	53	6,641	4,032	61
बांका	1,139	3,329	292	16,425	12,349	75
बेगूसराय	3,170	7,042	222	41,484	25,178	61
भागलपुर	15,454	14,289	92	40,705	29,049	71
मुंगेर	15,131	8,319	55	30,634	16,969	55
शिवहर	570	744	131	2,620	3,285	125
सीतामढ़ी	5,094	10,155	199	19,608	23,880	122
खगड़िया	5,183	4,717	91	18,145	12,172	67
समस्तीपुर	9,580	11,067	116	34,883	34,862	100
संपूर्ण बिहार	**461,963**	**390,546**	**4,607**	**1,310,000**	**1,051,091**	**3,354**

अध्याय 7

लोक वित्त

7.1 भूमिका

लोक वित्त का संबंध बुद्धिमत्तापूर्ण राजकोषीय प्रबंधन से ही नहीं है। यह प्रासंगिक पैरामीटरों की सैद्धांतिक रूप से संगतिपूर्ण माप भी है जो राजकीय वित्त व्यवस्था से संबंधित क्षेत्रों में समुचित मूल्यांकन, विश्लेषण, परीक्षण और नीतिगत हस्तक्षेप हेतु अत्यावश्यक होती है। वित्त एक सर्वव्यापी क्षेत्र है। यह भविष्य की आशावादिता निर्मित करने के तरीकों में से एक है जिसमें नीतिगत विकास हेतु सरकार की क्षमता के सुदृढ़ीकरण और वादा की गई समाजार्थिक वितरणीय चीजों (प्रोमिस्ड सोशियो-इकोनोमिक डेलिवरेबल्स) के वितरण हेतु प्रशासन के पुनर्गठन समेत ढेर सारे क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही, इसमें प्रशासनतंत्र में जवाबदेही बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार करना और भौतिक एवं सामाजिक अधिसंरचना का विकास करना शामिल है जिसके जरिए राज्य सरकार प्रभावी ढंग से जनता का हितसाधन कर सके। आवश्यक तथा अनुत्पादक गतिविधियों की पहचान, आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकता के बिल्कुल अनुरूप संसाधनों का आबंटन, सेवा संबंधी व्यय में कमी और सभी सार्वजनिक व्ययों के परिणामों का अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) किसी भी सरकार के अनिवार्य क्रियाकलाप हैं। इन सबके लिए प्रासंगिक पैरामीटरों और कुलयोगों की सतर्क और प्रामाणिक माप जरूरी है।

प्रारंभ में ही इसे ध्यान में रखना चाहिए कि एफआरबीएम अधिनियम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने ऋण लेने की जरूरत में कमी के जरिए राजकोषीय समंजन (एडजस्टमेंट) और सतत राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की जरूरत मानी ही नहीं है, एफआरबीएम अधिनियम लागू करने और अधिनियम में सूचित राजकोषीय लक्ष्य हासिल करने से शुरू करके अनेक अग्रलक्षी कदम भी उठाए हैं। फलतः 2007-08 के दौरान सुधारों की जारी प्रक्रिया को दिए गए आवेग के कारण राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण राजकोषीय सुधार हासिल किया है। पूरी दुनिया में महसूस की जा रही आर्थिक कार्यमंदी (स्लोडाउन) के कारण गत वित्त वर्ष के उत्तरार्द्ध में प्रक्रिया थोड़ी धीमी हुई है लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति और सरकार की नीतियों पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। राजकोषीय घाटा अब राज्य सरकार की मुख्य चिंता नहीं रहा। इसके बजाय अब ज्यादा जरूरत सार्वजनिक सेवा-प्रदान की, खास कर स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक प्रक्षेत्र में, तथा सड़कों एवं विद्युत आपूर्ति की अधिसंरचना में सुधार करने की है।

बीता वर्ष याददाश्त की सबसे भयानक बाढ़ द्वारा हुए विनाश का साक्षी रहा है – ऐसा विनाश जिससे राज्य अभी भी धीरे–धीरे उबर ही रहा है। इस महाविनाश ने साबित कर दिया कि अधिसंरचनात्मक आवश्यकताओं की विपन्न स्थिति में तत्काल सुधार की जरूरत है और सड़क, बिजली, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रों के लिए बजट आबंटन में चाहे कितनी भी वृद्धि क्यों न की जाय, वह भविष्य में ऐसी आपदा की पुनरावृत्ति के मामले में प्रभावी ढंग से आश्वस्त नहीं कर सकती। विकास की गति तेज करने के लिए राज्य में जो अधिसंरचना मौजूद होनी चाहिए, उसके सृजन के लिए अकेले सरकारी संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। अधिसंरचना के क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी के जरिए ही विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अभियानमूलक ढंग से आगे बढ़ाई जा सकती है।

बारहवें वित्त आयोग के गठन और उसके विमर्शों ने राज्यों को प्रभावित करने वाले उदग्र एवं क्षैतिज असंतुलनों पर ध्यान दिया है और पिछड़ापन के क्षैतिज कारक के कारण बिहार ऐसे असंतुलनों से खास तौर पर प्रभावित है। राज्य के करों की निम्न उत्फुल्लता (बायोएंसी) के कारण काफी हद तक समानता हासिल करने के लिए अंतरणों को राज्यों के बीच ही नहीं, राज्य के विभिन्न अंचलों के बीच मौजूद विषमताओं के साथ जोड़ना भी अनिवार्य हो जाता है। आबंटित कोषों के समुचित क्रियान्वयन और प्रभावी उपयोग के जरिए ही विकास सुनिश्चित किया जा सकता है, और उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु होने के नाते आर्थिक विकास को मानवों की बेहतरी में रूपांतरित होना चाहिए।

राजकोषीय उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध होने तथा अर्थव्यवस्था में आय बढ़ाने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु पूंजीगत परिव्यय में काफी वृद्धि करने के कारण आज बिहार अपने परिव्ययों को मापने–गिनने योग्य परिणामों में परिवर्तित करने की चुनौती का सामना कर रहा है। इसने व्यय के मामले में काफी अधिक राजकोषीय अनुशासन लागू किया है और सामाजिक प्रक्षेत्र का व्यय बढ़ाने की जरूरतें पूरी करने के लिए अपने राजस्व में वृद्धि की है। राज्य सरकार को उपलब्ध संसाधनों में कर और गैर–कर राजस्व, पूंजीगत प्राप्तियां, राज्य को मिलने वाला केंद्रीय करों का हिस्सा, केंद्र सरकार के ऋण एवं अनुदान, खुले बाजार की उधारियां और सरकार के लेखे में रखी जाने वाली भविष्य निधि की संग्रहित राशि तथा अन्य जमा शामिल होते हैं। इन संसाधनों का उपयोग या तो विकास के मकसद से योजना व्यय के लिए या प्रशासन, ब्याज भुगतान और बकाया देनदारियों का भुगतान के साथ–साथ स्थानीय निकायों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों को अनुदान एवं ऋण देने हेतु गैर–योजना व्यय के लिए किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार राज्य द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, कोषपत्र (ट्रेजरी बिल) जारी करके उगाहे गए ऋणों, ऋणों अथवा अर्थोपाय अग्रिमों (वेज एंड मीन्स एडवांसेज) तथा ऋणों की अदायगी के बतौर प्राप्त कुल राशि को राज्य की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) में जमा किया जाता है। विधानमंडल के अनुमोदन के बिना संचित निधि की कोई भी राशि खर्च नहीं की जा सकती। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित दो अन्य कोष भी हैं। पहला, पेशगी (इंप्रेस्ट) की प्रकृति की स्थिर कॉर्पस वाली आकस्मिक निधि, जिसका निर्माण विधानमंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत अदृष्ट (अनफोरसीन) व्यय हेतु किया जाता है। व्ययों का विधानमंडल द्वारा बाद में अनुमोदन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा या उसके ऐवज में प्राप्त की गई अन्य सारी रकमों को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत निर्मित लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा से किसी रकम निकासी के लिए विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। उसका शेष अलग नहीं रखा जाता, राज्य सरकार के नगद शेष के साथ मिला रहता है। संचित निधि में उधार लेने के बाद हुए राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे को लोक लेखा के शेषों से पूरा किया जाता है।

इस अध्याय में राज्य सरकार के वित्तीय एवं राजकोषीय प्रदर्शन का विश्लेषण सबसे पहले तो राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का सार प्रस्तुत करके किया गया है जिसे तालिका 7.1 में दिखाया गया है। उसके बाद विश्लेषण में लोक वित्त से संबंधित 10 प्रमुख सूचकों पर विचार किया गया है और बिहार के इन सूचकों की भारत के अन्य चुनिंदा राज्यों के सूचकों के साथ तुलना की गई है। इसे तालिका 7.2 में दर्शाया गया है।

तदुपरांत राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था का विश्लेषण निम्नलिखित के संबंध में किया जाएगा। - (1) राज्य की वित्त व्यवस्था का सुस्थिरता (सस्टेनेबिलिटी), लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) और सुभेद्यता (वल्नरेबिलिटी), (2) घाटा प्रबंधन, (3) राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय (4) संसाधन एकत्रीकरण, (5) व्यय प्रबंधन, (6) वेतन एवं पेंशन व्यय, (7) व्यय की गुणवत्ता, (8) प्रक्षेत्रगत (सेक्टोरियल) व्यय, (9) सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय तथा (10) ऋण प्रबंधन। अंत में कुछ प्रक्षेत्रों के मामले में व्यय के सूक्ष्मस्तरीय विश्लेषण पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है।

7.2 समग्र वित्तीय स्थिति

तालिका 7.1 और सहवर्ती चार्ट में बिहार की वित्तीय स्थिति के क्रमिक रूप से पलटने (टर्नएराउंड) की बात स्पष्ट की गई है। वर्ष 2003-04 तक राज्य सरकार के राजस्व लेखे में घाटा था लेकिन 2004-05 में पहली बार बिहार में राजस्व अधिशेष सृजित हुआ जिसका परिमाण 1,000 करोड़ रु. से भी अधिक था। यह अधिशेष लगातार बढ़ रहा है और 2005-06 के 82 करोड़ रु. से बढ़कर 2007-08 में 4,647 करोड़ रु. हो गया है। वर्ष 2008-09 के

बजट अनुमानों में भी राज्य सरकार ने इसे लगभग उसी स्तर पर रखना अनुमानित किया है। यह विकास की गति बरकरार रखने के लिए आवश्यक व्यय में कटौती करके संभव नहीं बनाया गया है, राजस्व बढ़ाकर (खास कर 2005-06 से), कुशल ऋण प्रबंधन करके और ब्याज भुगतानों को बढ़ने न देने के जरिए हासिल किया गया है। गत 6 वर्षों के दौरान बकाया देनदारियों पर, जो मार्च 2009 में 47,649 करोड़ रु. के आसपास होगा, ब्याज भुगतान हमेशा 4,000 करोड़ रु. के नीचे रहा है। इसके कारण राज्य सरकार 2005-06 के 2,084 करोड़ रु. पूंजीगत परिव्यय में तीनगुनी वृद्धि करके 2007-08 में 6,104 करोड़ रु. पहुंचा सकी है। बजट अनुमानों के अनुसार 2008-09 के लिए परिव्यय का 7,635 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है। लोक वित्त में सुधारों की उत्साहपूर्ण शुरुआत का द्योतक रहा वर्ष 2005-06 राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था के लिए वस्तुत: विभाजक बिंदु के रूप में चिन्हित हुआ है। यह 2005-06 का ही वर्ष था जिसमें राज्य सरकार ने सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर काफी अधिक और पूंजीगत परिव्यय में दुगुनी से भी अधिक वृद्धि की थी जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय लगभग वर्तमान स्तर पर बनाए रखा गया था। पेंशन और ब्याज भुगतानों के अलावा जिला प्रशासन, पुलिस और सार्वजनिक कार्यों पर ही व्यय थोड़ा बढ़ाया गया था।

वर्ष 2005-06 से योजना और गैर-योजना व्ययों के बीच अंतराल में भी कमी हो रही है। मार्च 2008 में गैर-योजना व्यय योजना व्यय के दूने से कम था जो चार वर्ष पूर्व तीनगुना था। वर्ष 2005-06 सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) में कमी की शुरुआत का वर्ष भी था, जो 2005-06 के 3,700 करोड़ रु. से घटकर 2007-08 में 1,703 करोड़ रु. रह गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में यह 4.64 से घटकर 1.62 प्रतिशत रह गया है जो एफआरबीएम अधिनियम के लक्ष्य 3 प्रतिशत की बिल्कुल जद में है। राज्य ने राजस्व घाटा समाप्त करने का एफआरबीएमए लक्ष्य इसके लक्ष्य वर्ष 2008-09 के काफी पहले ही हासिल कर लिया है। यहां तक कि 2008-09 के बजट अनुमानों में भी सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.96 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा गया है जो एफआरबीएमए लक्ष्य की जद के बिल्कुल भीतर है। वर्ष 2008-09 में सकल राजकोषीय घाटे में वृद्धि मुख्यत: पूंजीगत परिव्यय में 1,500 करोड़ रु. से अधिक की वृद्धि किए जाने के कारण है जो राज्य के सुधार संबंधी एजेंडा के साथ संगतिपूर्ण है।

राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में अपने ऋण प्रबंधन पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित किया है। जहां अर्थव्यवस्था में कुल ऋण स्टॉक बढ़ने नहीं दिया गया है, वहीं उधारियों में कमी करके ब्याज भुगतानों को भी लगभग पूर्व के स्तर पर ही कायम रखा गया है। यह 2003-04 में 5,653 करोड़ रु. था और 2007-08 में 1,612 करोड़ रु. है। इसके अलावा, उच्च ब्याज दर वाले ऋणों के कारण 2004-05 में औसत ब्याज दर 9.59 प्रतिशत हो जाता था, लेकिन 2007-08 में यह 7.15 प्रतिशत है।

तालिका 7.1 : बिहार सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय

क्रम सं.	करोड़ रु.	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	**कुल प्राप्तियां : राजस्व लेखा**	**12456**	**15714**	**17838**	**23083**	**28210**	**33551**
क	कर राजस्व	10518	12465	13983	17325	21852	24353
ख	गैर-कर राजस्व	320	418	522	511	526	422
ग	सहायता अनुदान एवं अंशदान	1618	2832	3333	5247	5832	8776
2	**कुल व्यय : राजस्व लेखा**	**12711**	**14638**	**17756**	**20585**	**23563**	**28938**
क	सामान्य सेवाएं, जिसमें	7175	7803	8523	8643	9252	10901
	ब्याज भुगतान	3343	3474	3649	3416	3707	3796
ख	सामाजिक सेवाएं	4033	4795	6862	7917	9868	12689
क	आर्थिक सेवाएं	1498	2036	2367	4021	4438	5343
3	**राजस्व घाटा**	**255**	**-1076**	**-82**	**-2498**	**-4647**	**-4613**
4	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**7930**	**7641**	**3821**	**2365**	**1638**	**4522**
क	लोक ऋण आदि	7920	7626	3770	2358	1612	4500
ख	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	10	15	51	7	26	22
5	**पूंजीगत व्यय, जिसमें**	**9771**	**5420**	**4812**	**6551**	**8008**	**9636**
	पूंजीगत परिव्यय	1549	1205	2084	5211	6104	7635
6	**कुल व्यय**	**22482**	**20058**	**22568**	**27136**	**31571**	**38574**
क	योजना व्यय	5202	3476	4899	9397	10908	15746
ख	गैर-योजना व्यय	17280	16581	17670	17740	20664	22828
7	**सकल राजकोषीय घाटा**	**4363**	**1242**	**3700**	**3021**	**1703**	**3325**
8	**प्राथमिक घाटा**	**1020**	**-2232**	**51**	**-395**	**-2004**	**-471**
9	**कुल उधारियां**	**7920**	**7626**	**3770**	**2358**	**1612**	**4500**
क	आंतरिक ऋण प्राप्ति	7100	5972	3769	2355	1144	4493
ख	केंद्र सरकार से ऋण	820	1654	2	3	468	8
10	**लोक ऋण का भुगतान**	**5653**	**3087**	**981**	**1025**	**1632**	**1676**
11	**बकाया ऋण**	**34401**	**39344**	**42498**	**44226**	**44475**	**47649**
12	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**66254**	**73221**	**80157**	**98957**	**105148**	**112424**
13	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर %)**	1.93	10.52	9.47	23.45	6.26	6.92
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में							
1	**कुल प्राप्तियां : राजस्व लेखा**	**18.80**	**21.46**	**22.25**	**23.33**	**26.83**	**29.84**
क	कर राजस्व	15.87	17.02	17.44	17.51	20.78	21.66
ख	गैर-कर राजस्व	0.48	0.57	0.65	0.52	0.50	0.38
ग	सहायता अनुदान एवं अंशदान	2.44	3.87	4.16	5.30	5.55	7.81
2	**कुल व्यय : राजस्व लेखा**	**19.18**	**19.99**	**22.15**	**20.80**	**22.41**	**25.74**
क	सामान्य सेवाएं, जिसमें	10.83	10.66	10.63	8.73	8.80	9.70
	ब्याज भुगतान	5.05	4.74	4.55	3.45	3.53	3.38
ख	सामाजिक सेवाएं	6.09	6.55	8.56	8.00	9.38	11.29
ग	आर्थिक सेवाएं	2.26	2.78	2.95	4.06	4.22	4.75
3	**राजस्व घाटा**	**0.39**	**-1.47**	**-0.10**	**-2.52**	**-4.42**	**-4.10**
4	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**11.97**	**10.44**	**4.77**	**2.39**	**1.56**	**4.02**
क	लोक ऋण आदि	11.95	10.42	4.70	2.38	1.53	4.00
ख	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	0.02	0.02	0.06	0.01	0.02	0.02
5	**पूंजीगत व्यय, जिसमें**	**14.75**	**7.40**	**6.00**	**6.62**	**7.62**	**8.57**
	पूंजीगत परिव्यय	2.34	1.65	2.60	5.27	5.80	6.79
6	**कुल व्यय**	**33.93**	**27.39**	**28.16**	**27.42**	**30.03**	**34.31**
क	योजना व्यय	7.85	4.75	6.11	9.50	10.37	14.01
ख	गैर-योजना व्यय	26.08	22.65	22.04	17.93	19.65	20.31
7	**सकल राजकोषीय घाटा**	**6.59**	**1.70**	**4.62**	**3.05**	**1.62**	**2.96**
8	**प्राथमिक घाटा**	**1.54**	**-3.05**	**0.06**	**-0.40**	**-1.91**	**-0.42**
9	**कुल उधारियां**	**11.95**	**10.42**	**4.70**	**2.38**	**1.53**	**4.00**
क	आंतरिक ऋण प्राप्ति	10.72	8.16	4.70	2.38	1.09	4.00
ख	केंद्र सरकार से ऋण	1.24	2.26	0.00	0.00	0.45	0.01
10	**लोक ऋण का भुगतान**	**8.53**	**4.22**	**1.22**	**1.04**	**1.55**	**1.49**
11	**बकाया ऋण**	**51.92**	**53.73**	**53.02**	**44.69**	**42.30**	**42.38**

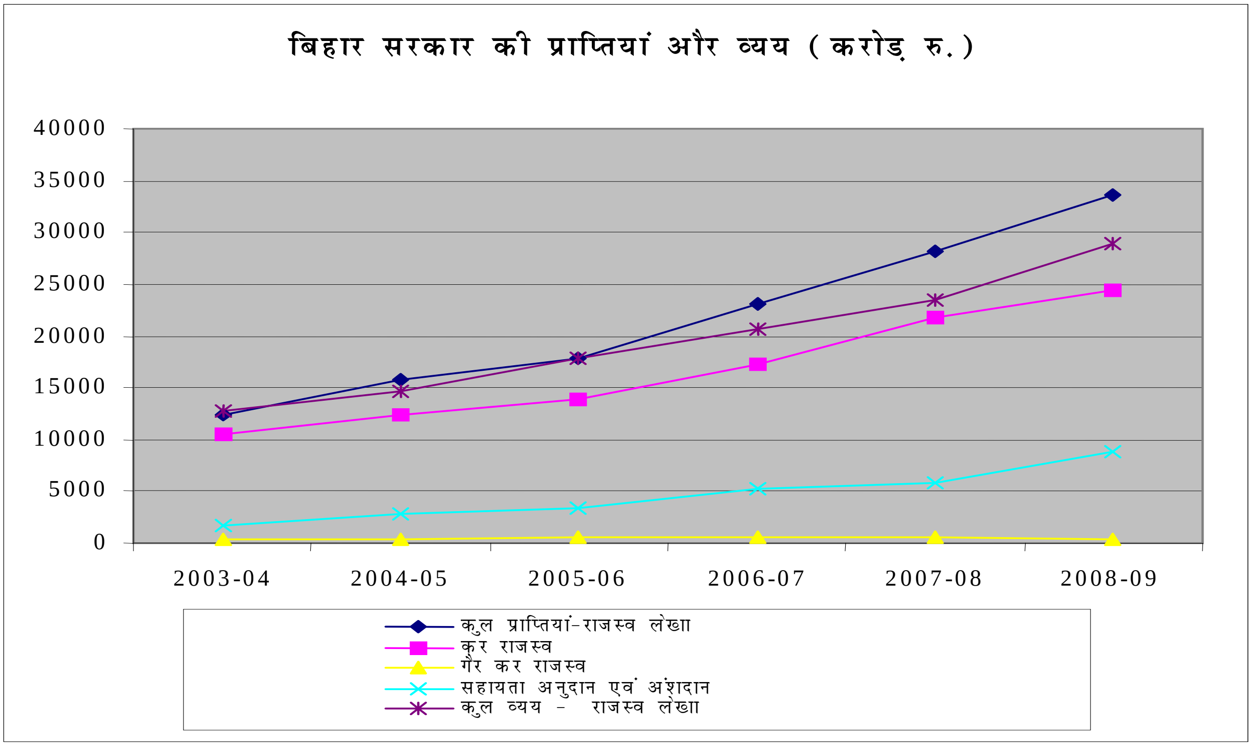

7.3 राजकोषीय प्रदर्शन

राजस्व घाटा राजस्व लेखे में प्राप्तियों से अधिक व्यय को अभिव्यक्त करता है और पूंजीगत घाटा पूंजी लेखे में प्राप्यिों से अधिक व्यय को। पारंपरिक बजट घाटा राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटे का बीजगणितीय योग होता है। लेकिन यह अर्थव्यवस्था के कुल संसाधन अंतराल को यह वास्तविक रूप में नहीं दर्शाता है क्योंकि इसमें पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत उधारियां भी शामिल होती हैं। समग्र संसाधन अंतराल सकल राजकोषीय घाटे से अभिव्यक्त होता है जिसे किसी न किसी प्रकार की उधारियों से पाटना होता है। राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए वर्तमान विश्लेषण में निम्नलिखित आठ सूचकों का उपयोग किया गया है :

(i) राजस्व घाटे का सकल राजकोषीय घाटे के साथ अनुपात।

(ii) पूंजीगत परिव्यय का सकल राजकोषीय घाटे के साथ अनुपात।

(iii) गैर-विकास व्यय का समग्र (एग्रीगेट) व्यय के साथ अनुपात।

(iv) ब्याज भुगतान का राजस्व व्यय के साथ अनुपात।

(v) राज्य के अपने कर राजस्व का राजस्व व्यय के साथ अनुपात।

(vi) राज्य के अपने गैर-कर राजस्व का राजस्व व्यय के साथ अनुपात।

(vii) केंद्र सरकार के सकल अंतरण (ग्रॉस ट्रांसफर) का समग्र व्यय के साथ अनुपात।

(viii) ऋण सेवा व्यय (डेब्ट सर्विसिंग एक्सपेंडिचर) का केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ अनुपात।

परवर्ती अनुच्छेदों में इन अनुपातों का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

(i) <u>राजस्व घाटे का सकल राजकोषीय घाटे के साथ अनुपात</u> : यह अनुपात सूचित करता है कि सकल राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का किस हद तक योगदान है। आदर्श स्थिति में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राजस्व लेखे में अधिशेष होना चाहिए। पहले भी ध्यान दिया गया है कि 2004-05 से राजस्व लेखे में अधिशेष मौजूद था जिसने पूंजीगत व्यय निरंतर बढ़ाने की क्षमता प्रदान की, खास कर राज्य उच्चपथों, ग्रामीण सड़कों, जलापूर्ति और स्वच्छता, शहरी विकास तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के मामले में। इन वर्षों में बहुत कम राज्य प्रचुर अधिशेष कायम रख पाने में सफल हुए हैं। राजस्थान का थोड़ा सा कार्यगत (वर्किंग) अधिशेष है जबकि पश्चिम बंगाल और केरल के राजस्व लेखों में इन वर्षों के दौरान घाटे की स्थिति रही है। वर्ष 2007-08 में महाराष्ट्र का राजस्व घाटा काफी अधिक था।

(ii) <u>पूंजीगत परिव्यय का सकल राजकोषीय घाटे के साथ अनुपात</u> : राजस्व लेखे में सुधार के स्वाभाविक परिणाम के बतौर गत तीन वर्षों के दौरान बिहार ने यह अनुपात 100 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ाया है। राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे दूसरे कुछ राज्य ही इसे दुहरा सके हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान उच्च नकारात्मक अनुपात के कारण महाराष्ट्र के मामले में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

(iii) <u>गैर-विकास व्यय का समग्र (एग्रीगेट) व्यय के साथ अनुपात</u> : गैर-विकास व्यय मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं के लिए किया जाता है जबकि विकास व्यय सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए। कुल संवितरणों (डिसबर्समेंट्स) में गैर-विकास व्यय का अनुपात कम रहना ही बेहतर है। बिहार में 2006-07 से 2008-09 के बीच कुल व्यय में गैर-विकास व्यय का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत था जो मुख्यतः गैर-योजना व्यय के रूप में था। अन्य सभी राज्यों के आंकड़े भी ऐसे ही हैं।

(iv) <u>ब्याज भुगतान का राजस्व व्यय के साथ अनुपात</u> : भारी ऋणभार के कारण ब्याज भुगतान राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था पर ऐतिहासिक रूप से स्थायी बोझ बने हुए हैं। हालांकि बिहार के लिए 2003-04 से राजस्व व्यय में ब्याज भुगतानों का अनुपात लगातार गिर रहा है। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में इसे मात्र 13 प्रतिशत बताया गया है। अनुपात में बोधगम्य गिरावट 2005-06 के बाद आई है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर, जिसका अनुपात 30 प्रतिशत के काफी उच्च स्तर पर है, अन्य राज्यों के अनुपात भी ऐसे ही हैं।

(v) और (vi) <u>राज्य के अपने कर तथा गैर-कर राजस्वों के राजस्व व्यय के साथ अनुपात</u> : ये अनुपात स्वभावतः राज्य सरकार के राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों के बरअक्स उसकी आत्मनिर्भरता को सूचित करते हैं। वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार की अपनी कर और गैर-कर प्राप्तियां मिलकर भी राजस्व व्यय के एक-चौथाई तक ही पहुंच पाती थीं और इस अनुपात का रुख वस्तुतः गिरावट की ओर रहा है। इस मामले में लगभग हर अन्य राज्य सरकार की स्थिति बेहतर है। वे अपने राजस्व व्यय संबंधी कुल आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अपनी कर एवं गैर-कर प्राप्तियों से पूरा करते हैं। सर्वाधिक उल्लेखनीय मामला

महाराष्ट्र का है जो अपने कुल राजस्व व्यय का लगभग 75 प्रतिशत भाग अपने कर एवं गैर-कर स्रोतों से पूरा करता है।

(vii) केंद्र सरकार के सकल अंतरण का समग्र व्यय के साथ अनुपात : इस अनुपात से बाहरी संसाधनों पर राज्य सरकार की निर्भरता का पता चलता है, जैसे कि केंद्र सरकार पर। अपनी व्यय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केंद्र पर बिहार की निर्भरता काफी अधिक है। यह अनुपात 2003-04 में लगभग 40 प्रतिशत था जो निरंतर बढ़ते हुए गत दो वर्षों के दौरान 72 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह केंद्र सरकार पर राज्य की अत्यधिक निर्भरता को सूचित करता है। अन्य किसी विचारित राज्य का अनुपात इतना ऊंचा नहीं है।

(viii) ऋण सेवा व्यय का केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ अनुपात : वर्ष 2003-04 तक केंद्र सरकार से होने वाले सकल अंतरण का अच्छा-खासा हिस्सा ऋण सेवा में चला जाता था। तथापि, बेहतर ऋण प्रबंधन के कारण यह अनुपात 2003-04 के 100 प्रतिशत से घटाकर 2008-09 में 22 प्रतिशत किया गया है। इस मामले में अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल के अनुपात 100 प्रतिशत के आसपास या उससे भी अधिक हैं जो सूचित करते हैं कि पुराने ऋणों के भुगतान हेतु नए ऋणों का ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा अंतरित राज्य के हिस्से का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कारण ये राज्य विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु अत्यंत आवश्यक रकम की काफी कमी महसूस कर रहे हैं। इस राजकोषीय सूचक के लिहाज से आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के अनुपात भी काफी ऊंचे हैं।

तालिका 7.2 : प्रमुख राजकोषीय सूचक

(सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं)

राज्य	क. राजस्व घाटा : जीएफडी			ख. पूंजीगत परिव्यय : जीएफडी		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
बिहार	**-82.70**	**-272.78**	**-138.74**	**172.50**	**358.31**	**229.63**
पश्चिम बंगाल	72.89	74.22	61.96	17.67	17.84	30.51
उड़ीसा	274.94	-150.99	-22.24	-176.64	246.05	119.05
मध्य प्रदेश	-405.35	-203.78	662.00	392.82	238.43	-216.78
राजस्थान	-33.97	-6.67	-41.45	155.48	147.30	141.03
आंध्र प्रदेश	-165.64	-7.53	76.38	250.77	96.96	-1.51
केरल	68.97	67.29	59.85	23.63	21.74	27.75
तमिलनाडु	116.29	-63.13	-1.46	43.50	165.72	94.66
महाराष्ट्र	-7.01	2478.36	-7.33	87.35	-2156.91	102.54
गुजरात	-31.29	-37.62	1.55	138.79	133.35	97.54

राज्य	ग. गैर-विकास व्यय : समग्र संवितरण			घ. ब्याज भुगतान : राजस्व व्यय		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
बिहार	**31.85**	**29.31**	**28.26**	**16.32**	**15.73**	**13.12**
पश्चिम बंगाल	39.48	39.10	39.32	31.84	28.98	28.52
उड़ीसा	38.78	34.36	36.13	20.21	20.55	18.99
मध्य प्रदेश	31.24	28.80	30.07	18.01	15.85	14.23
राजस्थान	34.77	29.83	32.20	26.95	19.82	20.25
आंध्र प्रदेश	33.00	30.61	25.98	18.08	16.18	13.39
केरल	38.98	37.34	36.44	20.12	18.20	18.17
तमिलनाडु	33.91	32.74	31.65	11.90	12.00	10.74
महाराष्ट्र	16.46	14.00	22.76	19.84	19.00	16.45
गुजरात	30.90	31.36	31.71	23.71	22.72	21.34

राज्य	च. राज्य का अपना कर राजस्व : राजस्व व्यय			छ. राज्य का अपना गैर-कर राजस्व : राजस्व व्यय		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
बिहार	**20.74**	**21.58**	**18.16**	**1.65**	**2.23**	**1.46**
पश्चिम बंगाल	36.62	34.14	36.58	3.66	3.98	4.08
उड़ीसा	37.99	34.08	31.64	16.41	9.72	9.40
मध्य प्रदेश	46.10	44.18	44.32	11.89	9.66	9.56
राजस्थान	46.52	42.97	45.78	13.75	12.88	11.29
आंध्र प्रदेश	57.74	56.40	53.93	15.65	12.34	12.63
केरल	57.34	53.54	55.75	4.50	4.14	4.57
तमिलनाडु	72.58	64.14	64.48	8.94	6.59	6.37
महाराष्ट्र	65.32	70.38	65.73	12.25	25.00	8.50
गुजरात	62.73	65.36	61.49	16.93	12.86	11.21

राज्य	ल. सकल अंतरण : समग्र संवितरण			झ. ऋण सेवा : सकल अंतरण		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
बिहार	**66.38**	**71.58**	**72.26**	**33.42**	**27.23**	**22.41**
पश्चिम बंगाल	29.15	33.22	34.48	122.55	104.44	99.49
उड़ीसा	48.86	51.00	50.13	53.31	48.79	44.29
मध्य प्रदेश	46.23	46.81	46.19	39.41	38.21	45.30
राजस्थान	35.46	36.27	38.96	64.88	54.82	57.83
आंध्र प्रदेश	29.80	28.62	31.07	84.93	78.41	69.87
केरल	17.92	16.70	19.11	137.16	151.14	125.59
तमिलनाडु	21.98	26.71	24.80	95.13	63.24	51.17
महाराष्ट्र	18.57	19.81	21.39	32.29	27.55	28.85
गुजरात	19.67	21.69	20.86	112.78	101.50	109.73

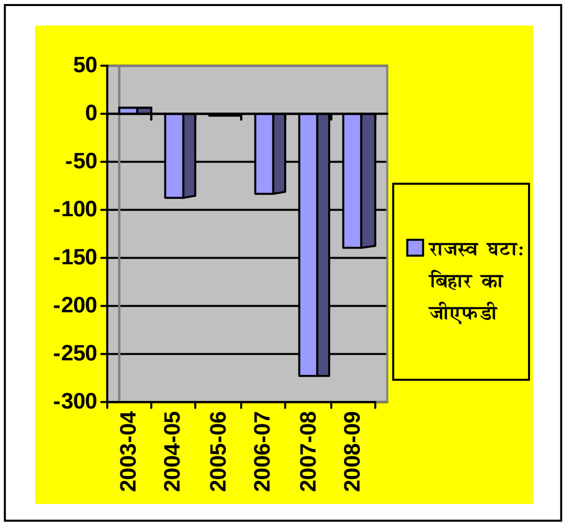

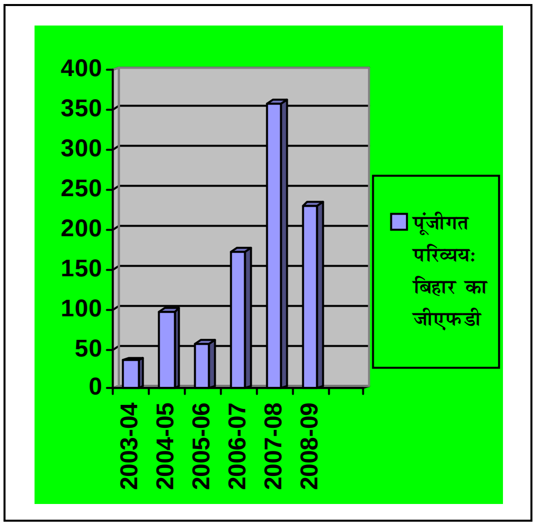

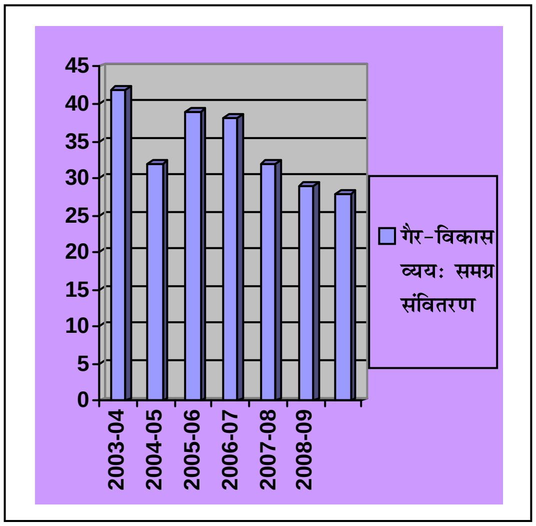

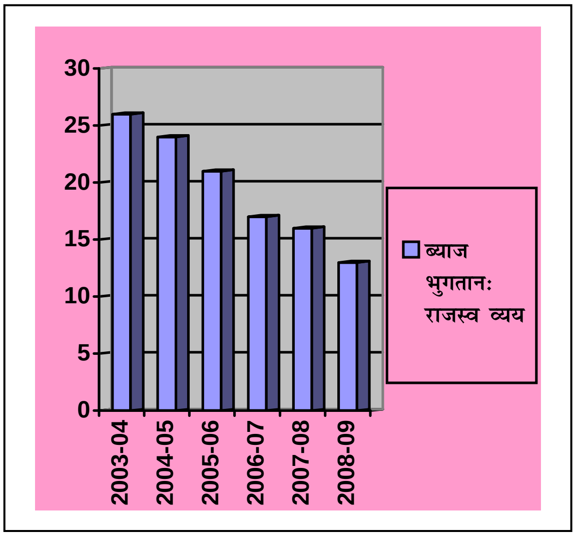
30
25
20
15
10
5
0
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
ब्याज भुगतानः राजस्व व्यय

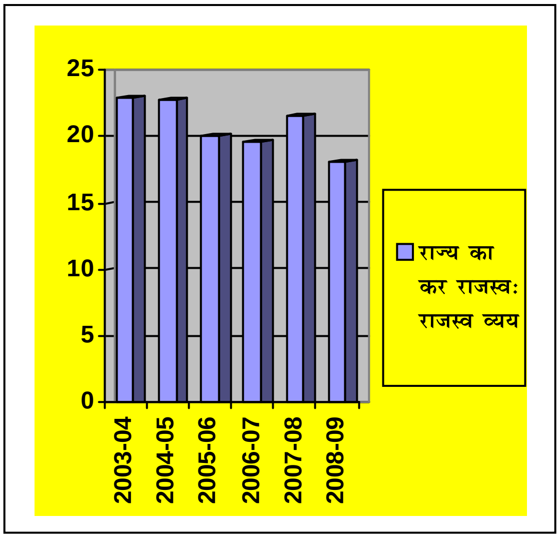
25
20
15
10
5
0
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
राज्य का कर राजस्वः राजस्व व्यय

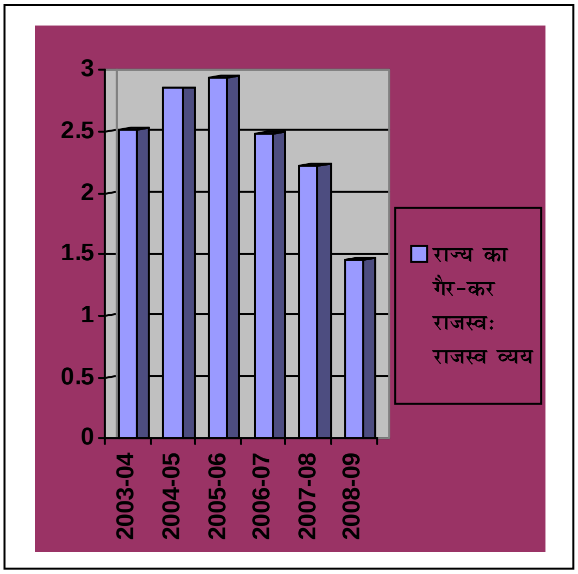
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
राज्य का गैर-कर राजस्वः राजस्व व्यय

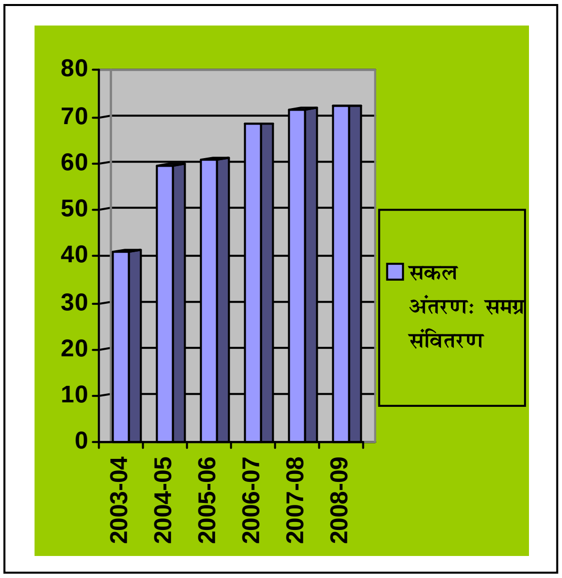
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
सकल अंतरणः समग्र संवितरण

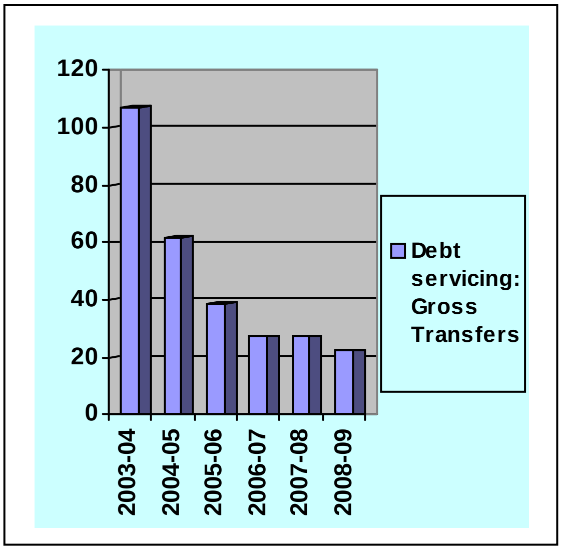
120
100
80
60
40
20
0
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
Debt servicing: Gross Transfers

7.4 राज्य की वित्त व्यवस्था का सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता

पूर्ववर्ती खंड के विश्लेषण को उन कारकों की पहचान हेतु आगे बढ़ाया जा सकता है जो किसी राज्य सरकार को वित्तीय आधार पर स्वस्थ बनाते हें और उसका सतत विकास सुनिश्चित करते हैं। विकास के लिए आवश्यक है कि राज्य अपनी गतिविधियों का स्तर बढ़ाने का प्रयास करे। तब यह जानना जरूरी हो जाएगा कि इन गतिविधियों के वित्तपोषण के साधन सुस्थिर हैं या नहीं, अर्थात वे राज्य के ऋणभार में प्रचुर वृद्धि किए बिना बढ़ी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं। अगर सरकार अपनी गतिविधि का स्तर बढ़ाना चाहती है, तो यह जांचना प्रासंगिक होगा कि वित्तपोषण के साधनों (राजस्व बढ़ाकर या उधार लेकर) में लचीलापन है या नहीं और गतिविधि के बढ़े स्तर से सरकार का जोखिम बढ़ेगा तो नहीं और वह वित्तपोषण के स्रोतों द्वारा प्रभावित होने के लिहाज से असुरक्षित तो नहीं बना देगा। राज्य सरकारें अपनी गतिविधि के स्तर मुख्यत: पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए बढ़ाती हैं जो वार्षिक विकास योजनाओं में रूपांतरित होती हैं और राज्यों के बजट में उनका प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गैर-योजना व्यय गतिविधियों का वर्तमान स्तर कायम रखने को अभिव्यक्त करता है जबकि योजना व्यय गतिविधि के स्तर में विस्तार हेतु आवश्यक होता है। बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति की सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता को मापने वाले कुछ कारकों को तालिका 7.3 में दर्शाया गया है और परवर्ती अनुच्छेदों में उन पर चर्चा की गई है।

(i) <u>वतर्मान राजस्व शेष (बीसीआर)</u> : इसकी गणना राज्य सरकार की अपनी राजस्व प्राप्तियों, केंद्रीय करों में हिस्सा और गैर-योजना अनुदानों के योगफल में गैर-योजना राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है। वर्तमान राजस्व शेष का धनात्मक होना दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास अपने राजस्व से अपने योजना व्यय को पूरा करने के लिए अधिशेष निधि मौजूद है। बिहार के पास 2007-08 के अंत में 5,124 करोड़ रु. का प्रचुर धनात्मक वर्तमान राजस्व शेष था जिसका 2008-09 के अंत तक बढ़कर 5,738 करोड़ हो जाना प्रक्षेपित है।

(ii) <u>ब्याज अनुपात</u> : इसकी गणना ब्याज भुगतान में से ब्याज प्राप्तियों को घटाने से प्राप्त राशि में कुल राजस्व में ब्याज प्राप्ति घटाने से प्राप्त राशि से भाग देकर की जाती है। इसका उच्च अनुपात सूचित करता है कि अपनी राजस्व प्राप्तियों से नए ऋण हेतु सेवा और अपने राजस्व व्यय की पूर्ति की राज्य की क्षमता कमजोर है। बिहार के लिए इस अनुपात में आधा से अधिक की गिरावट आई है और 2003-04 के 30 प्रतिशत से 2008-09 में यह लगभग 15 प्रतिशत हो गया है।

(iii) <u>पूजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्तियां</u> : यह अनुपात सूचित करता है कि पूंजी निर्माण के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का किस हद तक उपयोग किया जा रहा है। 100 प्रतिशत से कम अनुपात अंतत: सुस्थिर नहीं होगा क्योंकि वह सूचित करेगा कि पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग राजस्व व्यय हेतु किया जा रहा है। बिहार में पहली बार 2006-07 में यह अनुपात 220 प्रतिशत के स्वस्थ आंकड़े तक पहुंचा। सकारात्मक रुझान जारी रहा और 2007-08 में उससे

भी बढ़कर 373 प्रतिशत हो गया। तथापि उच्च परिव्यय हेतु भुगतान के लिहाज से उधारी के काफी उच्च स्तर के कारण 2008-09 में इसका 169 प्रतिशत तक गिर जाना प्रक्षिप्त है। इसका उल्लेख आवश्यक है कि 2005-06 के पूर्व यह अनुपात 20 प्रतिशत के नीचे ही रहता था। ऐसा अधिकांशतः उच्च ऋण सेवा भुगतान के कारण होता था जो अधिकांश पूंजीगत प्राप्तियों को हजम कर जाता था।

(iv) राज्य की कर प्राप्तियां/ जीएसडीपी : यह अनुपात राज्य सरकार के कर प्रयासों और उसकी कर संभावना के बीच अंतराल का महत्वपूर्ण सूचक है। निम्न अनुपात निम्न कर अनुपालन और घाटे को पूरा करने के लिए कराधान के बजाय उधारियों पर निर्भरता को भी सूचित करता है। इसके अलावा इस अनुपात और कुल प्राप्तियों तथा जीएडीपी के बीच अनुपात का अंतराल यह सूचित करता है कि राज्य सरकार केंद्रीय करों में अपने हिस्से पर किस हद तक निर्भर है। बिहार के लिए जीएसडीपी के साथ कुल कर प्राप्तियों का अनुपात 2003-04 के 19 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 30 प्रतिशत हो गया है। तथापि जीएसडीपी के साथ राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियों का अनुपात 2003-04 से 2008-09 के बीच 5 प्रतिशत के स्तर पर ही टिका हुआ है। स्पष्ट है कि बिहार की कर संभावना मोटे तौर पर अदोहित (अनटैप्ड) है क्योंकि यह अनुपात बहुत ही कम है। इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसका एक-तिहाई राजस्व हमेशा बकाया रहता है जिसका परिमाण लगभग 1,500 करोड़ रु. है।

(v) लोक ऋण/ जीएसडीपी : यह अनुपात सूचित करता है कि राज्य कहीं ऋण फांस में तो नहीं फंस गया है जिससे उसका अपने बूते निकलना संभव नहीं है। उच्च अनुपात होने पर राज्य के लिए वित्तीय दाव-पेंच की कोई गुंजाइश नहीं बचती। यह उसकी वित्त व्यवस्था में लचीलापन के अभाव को सूचित करता है। यहां देखा जा सकता है कि 2003-04 में राज्य के कुल ऋण का परिमाण जीएसडीपी का लगभग 40 प्रतिशत था जिसे सफलतापूर्वक घटाकर 2007-08 में 34 प्रतिशत पर ले लाया गया है। इस स्तर को 2008-09 में भी कायम रखना अनुमानित है। अपनी वित्त व्यवस्था के मामले में राज्य सरकार का जो भी लचीलापन होता है, उच्च ऋण-जीएसडीपी अनुपात उसे खत्म कर देता है और अगर यह सुस्थिर स्तर से ऊपर चला जाता है तो राज्य सरकार ऋण फांस में फंस जाती है। पहले भी उल्लेख किया गया है कि बिहार इस मामले में सुरक्षित स्थिति में है।

(vi) प्राथमिक घाटा : यह सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होता है। इससे अतीत की देनदारियों के बरअक्स, जिसके लिए अभी ब्याज चुकाया जाना है, राज्य सरकार की वर्तमान वित्त नीतियों के प्रभाव को मापा जाता है। वर्ष 2006-07 से बिहार प्राथमिक अधिशेष की स्थिति में है जो एक और सकारात्मक सूचक है।

(vii) वित्तीय परिसंपत्ति/ देनदारी अनुपात : यह राज्य की शोधन-क्षमता, जोखिम प्रवणता तथा असुरक्षा (सॉल्वेंसी, रिस्क एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी) सूचित होती है। इस अनुपात में काफी सुधार हुआ है और 2003-04 के 72 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में यह 96 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

(viii) <u>राज्य के अपने कर एवं गैर-कर राजस्वों की उत्फुल्लता (बायोएंसी)</u> : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य सरकार की कर प्राप्तियां 2007-08 में काफी उत्फुल्ल थीं लेकिन गैर-कर प्राप्तियों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कोई संबंध नहीं दिखा। वस्तुत: 2007-08 में राज्य के अपने कर राजस्वों की उत्फुल्लता में हुई अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए लगता है कि ऐसा राज्य में आय के स्तरों में हुई बढ़त के बजाय कर प्रयास जैसे कारकों के चलते हुआ है। तथापि इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि इसकी राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (केंद्रीय करों और अनुदानों के हिस्से समेत) 2003-04 से बकाया देनदारियों में हुई वृद्धि दर से बढ़ गई है। इससे राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था को भावी ऋण फांस के खिलाफ सुरक्षा का एक तत्व हासिल हुआ है। लेकिन वित्तीय सुरक्षा में और सुधार के लिए राज्य सरकार को अपने कर और गैर-कर, दोनों प्रकार के राजस्वों के वृद्धि के दीर्घकालिक उपाय करने की जरूरत है।

(ix) <u>पूंजीगत अदायगी (कैपिटल रिपेमेंट)/ पूंजीगत उधारियां</u> : यह अनुपात सूचित करता है कि पूंजीगत प्रयोजनों की ऋण प्राप्तियों का परिसंपत्ति सृजन हेतु किस हद तक इस्तेमाल नहीं हो सका। इसका उच्च अनुपात सूचित करता है कि पूंजीगत प्राप्तियों के उच्च प्रतिशत का उपयोग पूंजीगत अदायगी हेतु किया गया है और राज्य सरकार उस हद तक पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन की गुंजाइश से वंचित रही है। बिहार के लिए यह अनुपात 2003-04 के 70 प्रतिशत से भी अधिक से घटकर 2008-09 में 37 प्रतिशत रह गया है। यह सूचित करता है कि राज्य में पूंजीगत प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से भी अधिक भाग का उपयोग वास्तव में आय सृजन करने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में जा रहा है।

सारत:, राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति 2005-06 से काफी सुधार दर्शाने लगी है जो ऊपर वर्णित पैरामीटरों द्वारा अभिव्यक्त होती है। बाद के वर्षों में इन सूचकों में निरंतर सुधार होता गया और 2007-08 में राजकोषीय स्थिति पूरी तरह बदल गई। योगदान करने वाले कारकों में केंद्रीय अनुदानों तथा करों के हिस्से में काफी वृद्धि, उच्च संसाधन संग्रह, बेहतर व्यय प्रबंधन और सबसे बढ़कर विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन शामिल हैं। वर्ष 2007-08 के अंत में राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था पिछले किसी भी समय से अधिक मजबूत स्थिति में थी। तमाम प्रमुख सूचक राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार की ओर संकेत करते हैं। सुस्थिरता के पैरामीटर में काफी सुधार हुआ है, हालांकि कर संभावना काफी अदोहित है और कर प्रयासों में काफी सुधार की गुंजाइश है। कर राजस्व उत्फुल्ल थे, हालांकि गैर-कर राजस्वों ने राज्य की बढ़ती आय के प्रति कोई अनुक्रियाशीलता (रिस्पांसिवनेस) नहीं दर्शाई। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ने गत वर्षों में वर्धित लचीलापन दर्शाया था और वह सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं तथा अधिसंरचना के स्तर सुधारने की दिशा में अपने संसाधनों को मोड़ने के मामले में काफी बेहतर स्थिति में थी। हालांकि सुभेद्यता के मामले में बात करें, तो अपनी व्यय संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार अभी भी बाहरी संसाधनों, खास कर केंद्रीय कोषों पर अत्यधिक निर्भर है।

तालिका 7.3 : राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन संबंधी सूचक

क. सुस्थिरता	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
वर्तमान राजस्व से शेष (करोड़ रु.)	-638	924	685	2999	5124	5738
ब्याज अनुपात	30.70	26.54	24.02	18.35	15.92	15.13
पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्तियां	19.53	15.76	54.51	220.32	372.62	168.84
राज्य का अपना कर राजस्व/ जीएसडीपी	4.41	4.56	4.44	4.07	4.84	4.68
राज्य का अपना गैर-कर राजस्व/ जीएसडीपी	0.48	0.57	0.65	0.52	0.50	0.38
जीएसडीपी के मुकाबले राज्य की अपनी कर प्राप्तियों की उत्फुल्लता	2.77	1.38	0.69	0.56	4.17	0.49
जीएसडीपी के मुकाबले राज्य की अपनी गैर-कर प्राप्तियों की उत्फुल्लता	13.08	2.89	2.64	-0.09	0.45	-2.85
निवेश पर प्रतिफल (करोड़ रु.)	0.04	0.04	0.04	0.04	3.19	-----
बकाया देनदारियों की वृद्धि दर	7.45	14.37	8.02	4.07	0.56	7.14
कुल राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर	13.56	26.16	13.51	29.41	22.21	18.93

ख. लचीलापन	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
पूंजीगत अदायगी/ पूंजीगत उधारियां	71.38	40.48	26.01	43.47	101.24	37.25
कुल कर प्राप्तियां/ जीएसडीपी	15.87	17.02	17.44	17.51	20.78	21.66
सरकार की उधारियों पर औसत ब्याज दर	9.00	9.59	8.20	7.15	7.15	------
बकाया ऋण/ जीएसडीपी	51.92	53.73	53.02	44.69	42.30	42.38

ग. सुभेद्यता (वल्नरेबिलिटी)	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजस्व घाटा (करोड़ रु.)	255	-1076	-82	-2498	-4647	-4613
राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)	4363	1242	3700	3021	1703	3325
प्राथमिक घाटा (करोड़ रु.)	1020	-2232	51	-395	-2004	-471
प्राथमिक घाटा/ राजकोषीय घाटा	23.38	-179.75	1.39	-13.08	-117.61	-14.17
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	5.85	-86.63	-2.21	-82.70	-272.78	-138.74
वित्तीय परिसंपत्तियां/ देनदारियां	72.00	78.00	80.00	86.00	96.00	------
राजस्व बकाया (करोड़ रु.)	1357	1101	1345	1477	------	------
राजस्व बकाया/ कुल अपना कर राजस्व (%)	41.89	29.28	32.94	32.51	------	------

7.5 घाटा प्रबंधन

तालिका 7.4 में कुछ प्रमुख राज्यों की 2006–07 से 2008–09 तक राजस्व लेखा की स्थिति और राजस्व तथा पूंजी लेखों की संयुक्त स्थिति दर्शाई गई है। पहले भी देखा गया है कि बिहार का राजस्व घाटा प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था जिसकी परिणति 2006–07 से राजस्व लेखे में उत्तरोत्तर अधिक अधिशेष सृजन में हुई। राजस्व लेखे में इस विशाल अधिशेष के कारण बिहार के राजस्व और पूंजी के संयुक्त लेखे में बजट घाटे में भी कमी की जा सकी जो 2007–08 के 1,724 करोड़ रु. के मुकाबले 2008–09 में मात्र 501 करोड़ रु. रह गया। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अनेक अन्य राज्य भी अपने–अपने राजस्व लेखे तथा बजट में अधिशेष लगातार बरकरार रखा है।

तालिका 7.4 : राज्यों की घाटा/ अधिशेष की स्थिति

(करोड़ रु.)

राजस्थान	राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (–)			पारंपरिक घाटा (+)/ अधिशेष (–)		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
बिहार	**-2498**	**-4647**	**-4613**	**1688**	**1724**	**501**
पश्चिम बंगाल	8333	8138	7370	4105	174.37	126
उड़ीसा	-2260	-1682	-564	-1019	297	329
मध्य प्रदेश	-3332	-3346	-2840	-2803	-3435	-5550
राजस्थान	-638	-247	-1183	-565	-75	-1516
आंध्र प्रदेश	-2806	-451	-708	-9899	-17476	-22719
केरल	2638	4644	3367	7387	10833	10296
तमिलनाडु	-2649	-976	-85	-4735	-3098	-2022
महाराष्ट्र	-810	-13631	-964	12	-2986	-1638
गुजरात	-1769	-2034	123	472	-1413	646

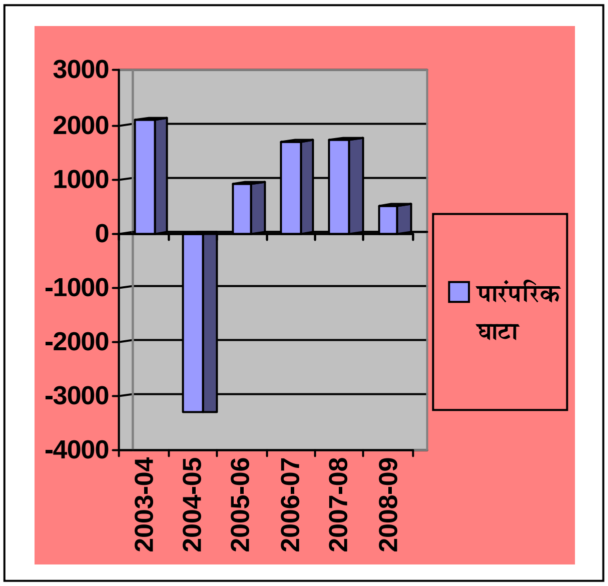

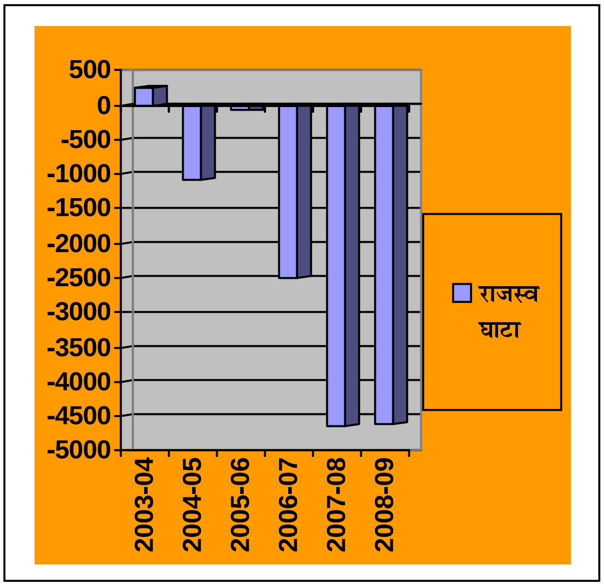

पहले भी देखा गया है कि किसी सरकार का सकल राजकोषीय घाटा उसके वित्तीय प्रदर्शन का बहुत ही संवेदनशील सूचक है क्योंकि यह उसकी अर्थव्यवस्था के कुल संसाधन अंतराल को अभिव्यक्त करता है। तालिका 7.5 में कुछ बड़े राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा प्रदर्शित किया गया है। बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2006-07 में लगभग 3,000 करोड़ रु. था जो अगले साल मात्र 1,700 करोड़ रु. रह गया लेकिन 2008-09 में फिर तेजी से बढ़कर उसका 3,300 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है। तथापि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर यह 2003-04 के 6.59 प्रतिशत के शीर्ष स्तर से गिरकर 2007-08 में मात्र 1.62 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2008-09 में भी इसके एफआरबीएमए लक्ष्य (3 प्रतिशत) के नीचे रह जाना अनुमानित है।

तालिका 7.5 : सकल राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)

राज्य	2006-07	2007-08	2008-09
बिहार	**3021**	**1703**	**3325**
पश्चिम बंगाल	11432	10965	11894
उड़ीसा	-822	1114	2536
मध्य प्रदेश	822	1642	-429
राजस्थान	1878	3704	2854
आंध्र प्रदेश	1694	5987	-927
केरल	3825	6901	5626
तमिलनाडु	-2278	1546	5838
महाराष्ट्र	11553	-550	13159
गुजरात	5653	5407	7935

तालिका 7.6 में बिहार के सकल राजकोषीय घाटे की संरचना दर्शाई गई है। इसमें कोई भी देख सकता है कि 2003-04 से लेकर 2008-09 तक, खास कर हाल के वर्षों में, राज्य के सकल राजकोषीय घाटे में पूंजीगत परिव्यय का सर्वाधिक योगदान है। सकल राजकोषीय घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2003-04 में 6.59 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया था जिसे सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया गया।

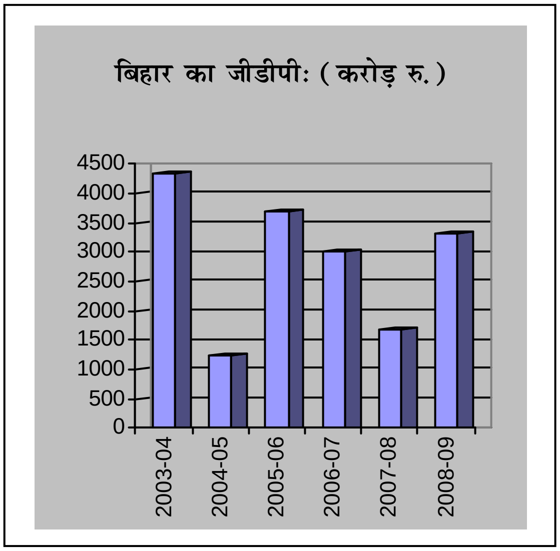

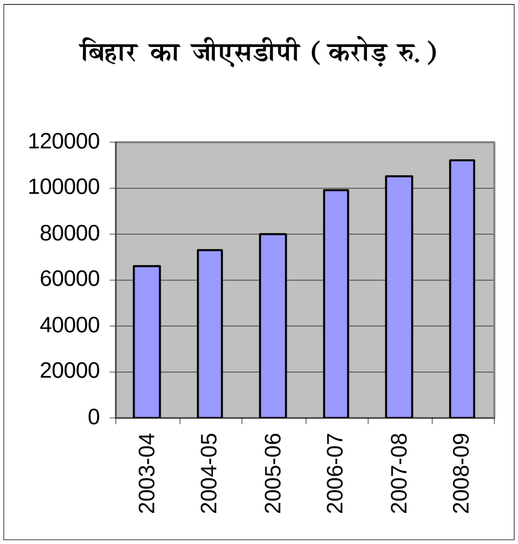

तालिका 7.6 : बिहार के सकल राजकोषीय घाटे की संरचना

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजस्व घाटा	255	-1076	-82	-2498	-4647	-4613
पूंजीगत परिव्यय	1549	1205	2083	5211	6104	7635
निवल ऋणप्रदान	2558	1113	1697	308	247	303
जीएफडी	**4363**	**1242**	**3698**	**3021**	**1703**	**3325**
जीएसडीपी	66254	73221	80157	98957	105148	112424
जीएफडी : जीएसडीपी अनुपात (%)	**6.59**	**1.70**	**4.62**	**3.05**	**1.62**	**2.96**

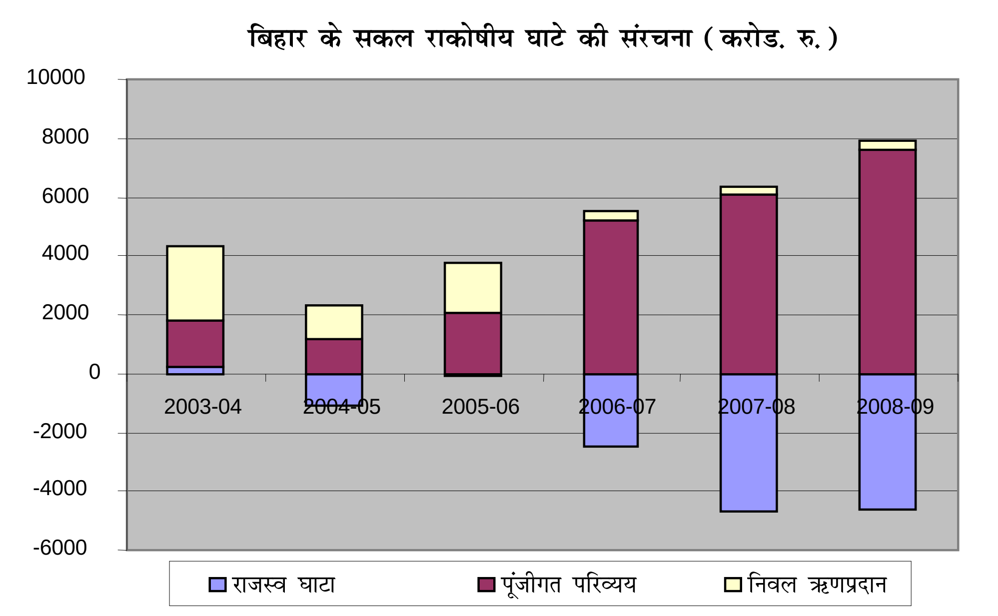

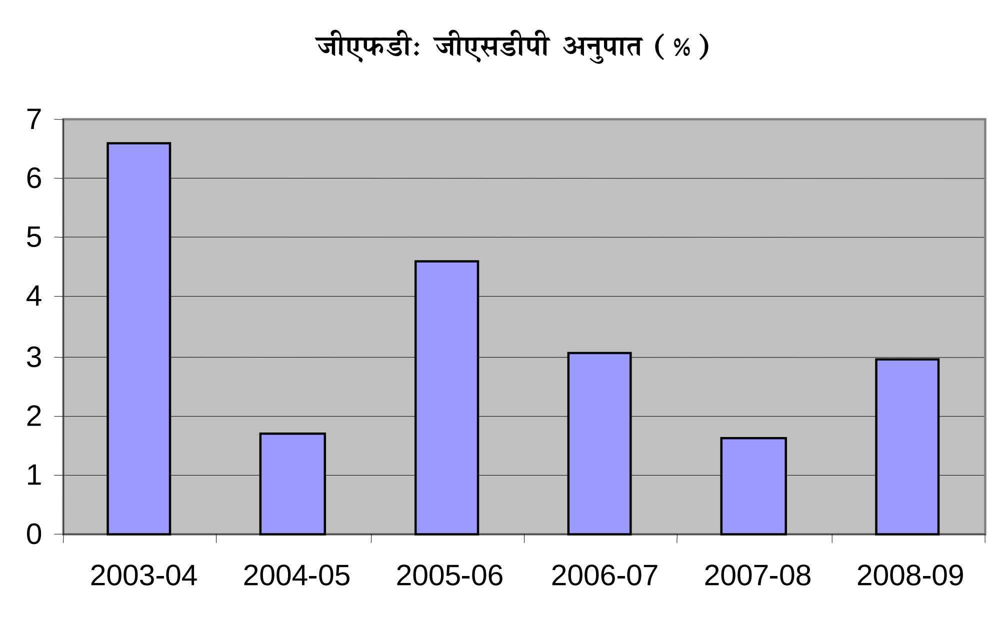

इन वर्षों के दौरान सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण किस तरह किया गया, इसे तालिका 7.7 में दर्शाया गया है। राज्य सरकार द्वारा आंतरिक बाजार से ली गई उधारियों और केंद्रीय ऋण में से राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की राशि घटाने पर निवल उधारी का परिमाण ज्ञात होता है। राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण लघु बचतों, और भविष्य निधि आदि से होने वाली लोक लेखा प्राप्तियों के अलावा उसके द्वारा आंतरिक बाजार से ली गई उधारियों के जरिए किया गया। वर्ष 2005-06 से सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में केंद्र सरकार के ऋणों की कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली हमेशा नगण्य रही है।

तालिका 7.7 : बिहार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
निवल लोक लेखा प्राप्तियां	2278	-3974	1209	1785	352	445
नगद शेष में वृद्धि	-182	676	-299	-97	1372	56
निवल उधारियां	2267	4539	2790	1333	-20	2824
सकल राजकोषीय घाटा	**4363**	**1242**	**3700**	**3021**	**1703**	**3325**

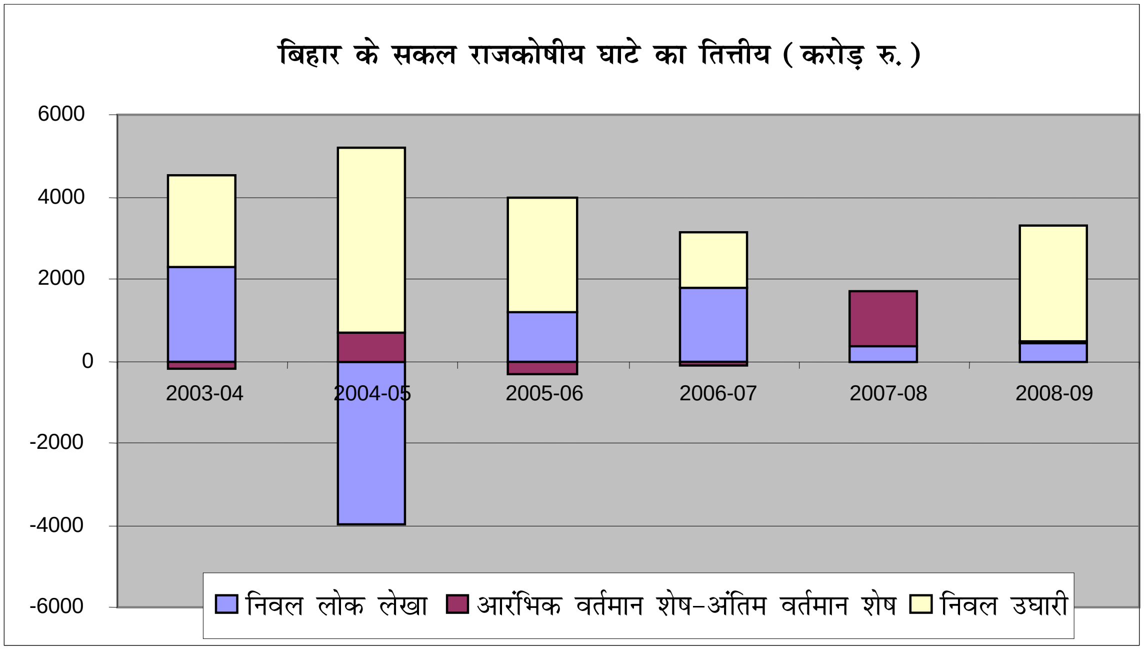

7.6 बिहार सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय : राजस्व लेखा

बिहार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय का सारांश तालिका 7.8 में दर्शाया गया है। वर्ष 2003–04 से 2008–09 तक राजस्व प्राप्तियों और व्यय में लगभग समान दर पर वृद्धि हुई। गत 4 वर्षों के दौरान प्राप्तियां व्यय से अधिक बढ़ गईं जिसकी परिणति राजस्व अधिशेष में हुई है। राज्य सरकार के अपने कर और गैर–कर राजस्व, दोनों मिलकर इसकी व्यय संबंधी आवश्यकताओं का मात्र 20 प्रतिशत पूरा कर पाते हैं और शेष को केंद्र सरकार के करों में अपने हिस्से तथा उसके अनुदान से पूरा करना होता है। वर्ष 2003 से 2009 के दौरान राज्य सरकार का कर राजस्व लगभग तीनगुना बढ़कर 12,456 करोड़ रु. से 33,551 करोड़ रु. हो गया। लेकिन राज्य सरकार का अपना कर और गैर–कर राजस्व वहुत धीमी गति से बढ़ा है और इस दौरान 3,239 करोड़ रु. से लगभग 75 प्रतिशत बढ़कर महज 5,678 करोड़ रु. तक पहुंचा है।

तालिका 7.8 में राज्य सरकार के अपने कर एवं गैर–कर राजस्वों की तुलना इसके कुल कर एवं गैर–कर राजस्वों के साथ करते हुए, राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था के कुछ और पैरामीटरों पर विचार किया गया है। राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में उसके अपने कर राजस्व के साथ–साथ केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का उसका हिस्सा भी शामिल होता है। विभाज्य पूल में मुख्यत: आय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल होता है। राज्य के कुल राजस्व में इसके अपने राजस्व का हिस्सा इस अवधि में 26 प्रतिशत से गिरकर 17 प्रतिशत रह गया, वहीं उसका अपना गैर–कर राजस्व हल्के–फुल्के अंतर के साथ लगभग एक ही स्तर पर बरकरार रहा। इस प्रकार राज्य सरकार केंद्र सरकार पर अत्यधिक निर्भर है और इसीलिए केंद्र की नीतियों व रवैयों में परिवर्तन के लिहाज से असुरक्षित स्थिति में है।

तालिका 7.8 : बिहार का राजस्व लेखा

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजस्व प्राप्ति	12456	15714	17838	23083	**28210**	**33551**
राजस्व व्यय	12711	14638	17756	20585	23563	28938
राजस्व घाटा	255	-1076	-82	-2498	-4647	-4613
राज्य का अपना कर + गैर–कर राजस्व	3239	3760	4083	4543	5611	5678
राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व के % में	**26**	**24**	**23**	**20**	**20**	**17**
राज्य का अपना राजस्व राजस्व व्यय के % में	**25**	**26**	**23**	**22**	**24**	**20**

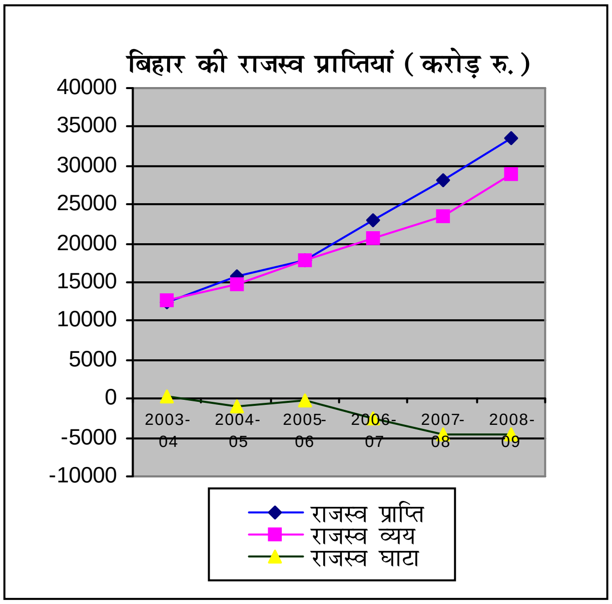

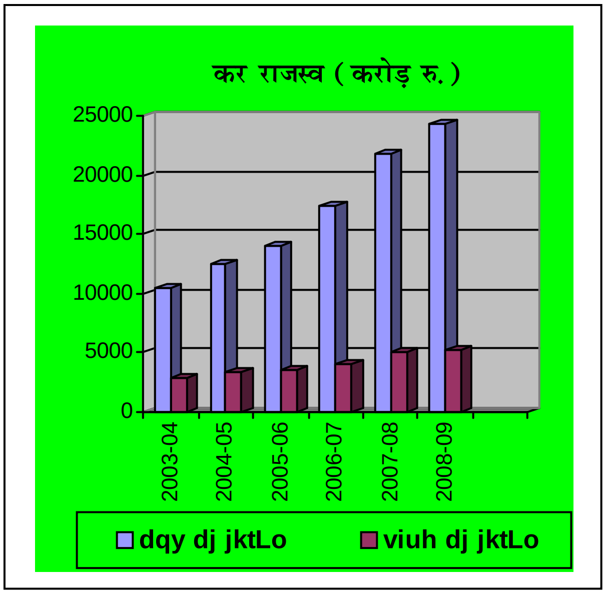

तालिका 7.9 : बिहार सरकार का व्यय

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
विकास व्यय	15303	12250	14041	18489	22314	27669
गैर-विकास व्यय	7175	7803	8523	8643	9252	10901
कुल व्यय	22482	20058	22568	27136	31571	38574
विकास व्यय कुल व्यय के % में	68	61	62	68	71	72
योजना व्यय	5202	3476	4899	9397	10908	15746
गैर-योजना व्यय	17280	16581	17670	17740	20664	22828
ब्याज भुगतान	3343	3474	3649	3416	3707	3796

तालिका 7.9 में राज्य सरकार का कुल व्यय दर्शाया गया है जिसमें इसका विकास और गैर-विकास व्यय तथा योजना और गैर-योजना व्यय भी शामिल है। योजना व्यय अधिकांशतः विकासमूलक होता है जबकि गैर-योजना व्यय अधिकांशतः गैर-विकासमूलक। योजना व्यय और गैर-योजना व्यय के वर्गीकरण हेतु तर्कसंगत आधार पर स्पष्ट दिशानिर्देश के अभाव में अंतर अभी भी संदिग्ध बना हुआ है और कभी-कभी तो यह अतार्किक भी हो जाता है। गैर-विकास शीर्ष के अंतर्गत आने वाले सभी व्यय गैर-योजना व्यय हैं लेकिन गैर-योजना व्यय में विकासमूलक घटक भी शामिल हो सकता है। हालांकि व्यय के इस विश्लेषण में इन पदों के पारंपरिक निर्धारण तक सीमित रहा गया है।

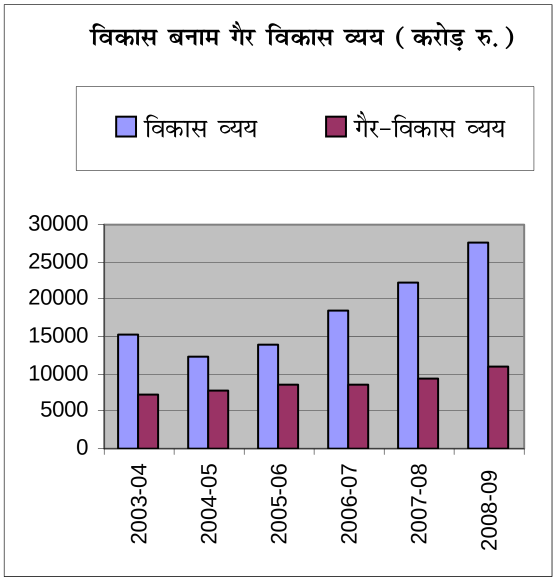

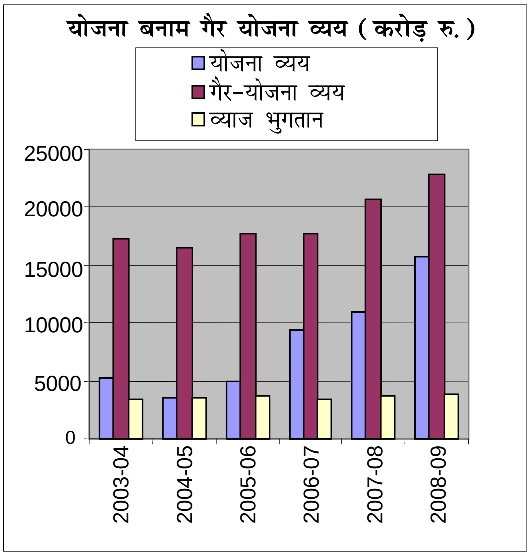

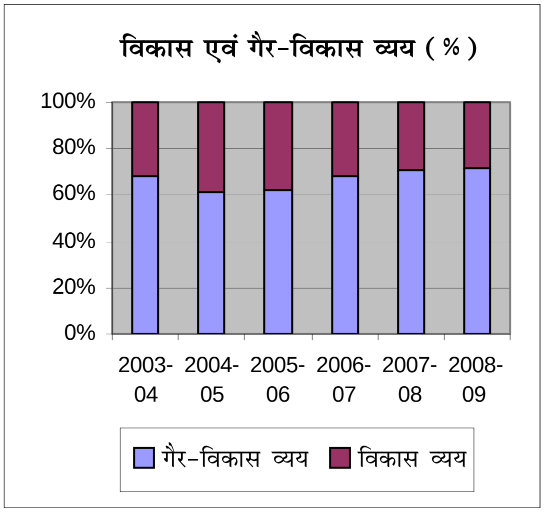

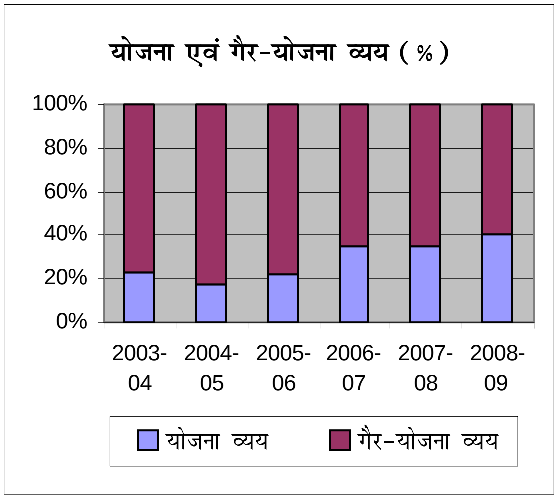

तालिका 7.9 और संबंधित चार्टों को देखकर कोई भी समझ सकता है कि विवेच्य वर्षों के दौरान कुल व्यय में विकास व्यय का हिस्सा 60 से 70 प्रतिशत के बीच रहा है। निरपेक्ष रूप में, इन वर्षों के दौरान यह लगभग दूना हो गया और 2004-05 में आई थोड़ी गिरावट को छोड़ दें, तो वृद्धि दर बहुत ऊंची रही है। दूसरी ओर, गैर-विकास व्यय धीमी गति से बढ़ा है। पहले भी देखा गया है कि योजना व्यय का उपयोग राज्य में नई परियोजनाएं हाथ में लेने के लिए किया जाता है। बिहार में 2005-06 तक योजना व्यय कुल व्यय का लगभग 20 प्रतिशत हुआ करता था जिसके बाद से बढ़ते हुए 2008-09 में यह लगभग 40 प्रतिशत हो गया है। लगभग आधा गैर-योजना व्यय गैर-विकास प्रकृति का है और लगभग एक-चौथाई तो बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान और पेंशन तथा ग्रेच्यूटी के लेखे के भुगतान का है। पहले भी देखा गया है कि ब्याज भुगतान 2008-09 में लगभग 3,700

करोड़ रु. पर रोक रखा गया है जबकि 2003–04 में यह 3,300 करोड़ रु. था। इस दौरान कुल योजना व्यय लगभग 10,500 करोड़ रु. बढ़ा जबकि कुल गैर–योजना व्यय में 5,500 करोड़ रु. की वृद्धि हुई।

ब्याज भुगतान के अति महत्वपूर्ण घटक की बात करें, तो तालिका 7.10 में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा अपने सार्वजनिक उद्यमों को, जिनमें से अधिकांशतः घाटा उठाने वाले तथा स्वायत्त निकाय हैं, दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज की बहुत कम वसूली के कारण सकल ब्याज भुगतान और निवल ब्याज भुगतान में महज नगण्य अंतर है। इनमें से अनेक सार्वजनिक उद्यमों की संचित हानि उनके इक्विटी आधार और सुरक्षित राशि से भी कईगुनी बढ़ गई है। हालांकि मुख्यतः अपने नगद शेषों के निवेश के कारण ब्याज प्राप्तियों में नाम मात्र से अधिक वृद्धि देखी गई (तालिका 7.11)। तथापि, यह वृद्धि ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्तियों के निरंतर बढ़ते अंतराल को पाटने के लिहाज से बहुत कम है। इस प्रकार राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय का लगभग 20 प्रतिशत भाग ब्याज भुगतान में चला जाता है। लेकिन यह अवश्य देखना चाहिए कि इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय जहां तीनगुना बढ़ा है, वहीं ब्याज भुगतान में मात्र 13.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। तालिका 7.12 में हम देख सकते हैं कि पूंजीगत परिव्यय में इस दौरान भारी वृद्धि हुई है जो 2003–04 में बहुत कम (7 प्रतिशत था) लेकिन राजस्व लेखा का प्रचुर अधिशेष पाकर 2008–09 में कुल व्यय का लगभग एक–चौथाई हो गया है।

तालिका 7.10 : ब्याज भुगतान और प्राप्ति

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
सकल ब्याज भुगतान	3343.04	3473.9	3648.89	3416.08	3706.99	3796.03
निवल ब्याज भुगतान	3319.96	3398.85	3432.82	3240.09	3536.28	3738.59

तालिका 7.11 : बिहार का नगद शेष

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
नगद निवेश लेखे में शेष	-930.28	-747.99	-1424.47	-1125.59	-1028.58	-2400.21
अंतिम नगद शेष में वृद्धि	457.35	182.29	-676.48	298.88	97.01	-1371.63

तालिका 7.12 : व्यय के अन्य पैरामीटर

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
कुल कर राजस्व	10518	12465	13983	17325	21852	24353
अपना कर राजस्व	2919	3342	3561	4032	5085	5256
कुल गैर–कर राजस्व	320	418	522	511	526	422
वास्तविक पूंजीगत परिव्यय	1549	1205	2083	5211	6104	7635
पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के % में	6.89	6.01	9.23	19.2	19.33	24.68

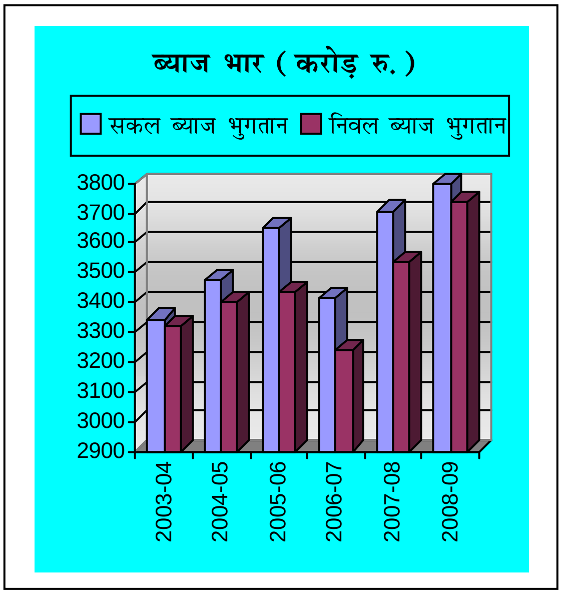

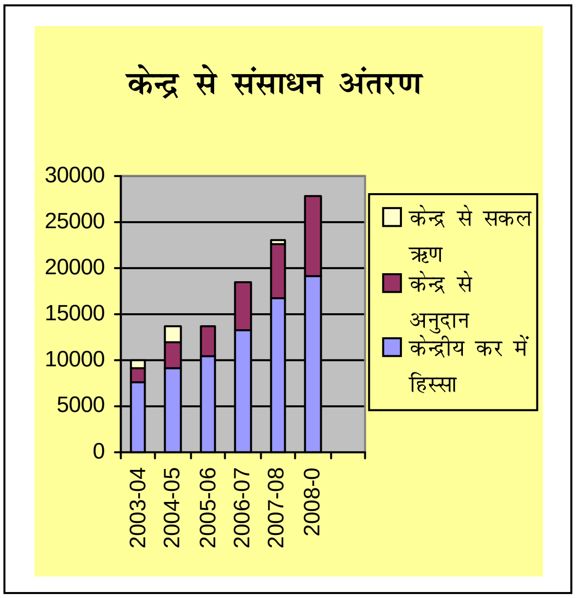

केंद्रीय संसाधनों पर राज्य सरकार की निर्भरता की वास्तविक प्रकृति तालिका 7.13 में देखी जा सकती है जिसमें 2003-04 से 2008-09 तक बिहार को संसाधनों का सकल अंतरण दर्शाया गया है। संसाधनों के सकल अंतरण में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, केंद्र से सहायता अनुदान तथा ऋण शामिल होता है। इस दौरान राज्य सरकार को हुआ संसाधनों का सकल अंतरण निरंतर बढ़कर समग्र संवितरण (एग्रीग्रेट डिसबर्समेंट) के (जिसमें केंद्रीय ऋण शामिल नहीं हैं) 41 प्रतिशत से बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया। ऐसे ऋणों का योगदान 2007-08 से इतर वर्षों में लगभग शून्य था। राज्य सरकार को हुए सकल अंतरण का लगभग 70 प्रतिशत भाग केंद्रीय करों में इसके हिस्से से आया था और शेष अनुदानों एवं ऋणों से। संसाधन अंतरण के सकल व निवल मामले में कोई वास्तविक अंतर नहीं है क्योंकि 2007-08 को छोड़ गत चार वर्षों में राज्य सरकार ने कोई केंद्रीय ऋण नहीं लिया है।

तालिका 7.13 : केंद्र से बिहार को संसाधनों का अंतरण

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
केंद्रीय कर में हिस्सा	**7599**	**9122**	**10421**	**13293**	16767	**19097**
केंद्र से सहायता अनुदान	1618	2832	3333	5247	5832	8776
केंद्र से सकल ऋण	820	1654	2	3	468	8
सकल संसाधन अंतरण	**9216**	**11954**	**13754**	**18543**	**23067**	**27880**
केंद्र से निवल ऋण	-1560	-1069	-486	-314	40	-421
निवल संसाधन अंतरण	7656	10885	13268	18229	23107	27460

7.7 ऋण प्रबंधन

तालिका 7.14 में राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देनदारियां दर्शाई गई हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी 2003-04 से 2008-09 के बीच 51 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत रह गई

है और यह ऋण की ऋणभार धारण क्षमता अभिव्यक्त करती है। तालिका 7.14 में प्रस्तुत आंकड़ों का पूरा महत्व समझने के लिए तालिका 7.15 और 7.16 पर भी नजर डालना जरूरी है जो क्रमशः ली गई और चुकाई गई निवल ऋणराशियों का विवरण दर्शाती हैं। तालिका 7.14 में देखा जा सकता है कि कुल लोक ऋण 2007-08 के अंत तक 35,045 करोड़ रु. था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 33 प्रतिशत है। यह बड़ा आंकड़ा विगत उधारियों का संचित प्रभाव (एक्युमुलेटेड अफेक्ट) है जो 2003-04 से लगभग 5.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रही हैं। इस विशाल ऋण का बड़ा हिस्सा (लगभग 60 प्रतिशत) राज्य सरकार द्वारा बाजार से उठाए गए आंतरिक ऋणों का है और 16 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार के ऋणों का। बकाया ऋण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि केंद्र के ऋणों को इस अवधि में बिना नया ऋण लिए लगातार चुकाया जाता रहा है। इसकी परिणति केंद्र सरकार के ऋणों में क्रमशः कमी में हुई है। यह 2003-04 के 10,106 करोड़ रु. से घटकर 2008-09 में 7,856 करोड़ रु. रह गया है।

तालिका 7.14 : बकाया देनदारियां

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आंतरिक ऋण	16298	21906	25182	26829	26769	30014
केंद्रीय ऋण	10106	9037	8551	8237	8277	7856
कुल लोक ऋण	26404	30943	33733	35065	35045	37870
लोक लेखा	7997	8401	8766	9161	9429	9779
कुल देनदारी	**34401**	**39344**	**42498**	**44226**	**44475**	**47649**
बकाया देनदारी जीएसडीपी के % में	**51.38**	**53.32**	**53.33**	**51.6**	**42.30**	**42.38**

तालिका 7.15 : प्राप्त निवल ऋण

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
प्राप्त सकल केंद्रीय ऋण	820	1654	2	3	468	8
प्राप्त आंतरिक ऋण	7100	5972	3769	2355	1144	4493
भविष्य निधि, लघु ऋण	987	1198	1088	1012	1084	2696
कुल प्राप्त ऋण	**8907**	**8824**	**4858**	**3370**	**2696**	**7197**
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	10	15	51	7	26	22
ब्याज भुगतान	3343	3474	3649	3416	3707	3796
प्राप्त ब्याज	23	75	216	176	171	57
ऋण अदायगी	6522	3882	1703	1642	2447	2450
प्राप्त निवल ऋण	-925	1558	-227	-1505	-3262	1030
प्राप्त निवल ऋण कुल उधारियों के % में	-10.38	17.66	-4.68	-44.65	-120.99	14.31

तालिका 7.16 : अदायगी संबंधी दायित्व

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आंतरिक ऋण की अदायगी	3273	365	493	708	1203	1248
केंद्र के ऋण की अदायगी	2380	2723	488	317	429	429
अन्य देनदारियों की अदायगी	869	795	723	617	815	774
कुल अदायगी	6522	3882	1703	1642	2447	2450
कुल ब्याज भुगतान	3343	3474	3649	3416	3707	3796

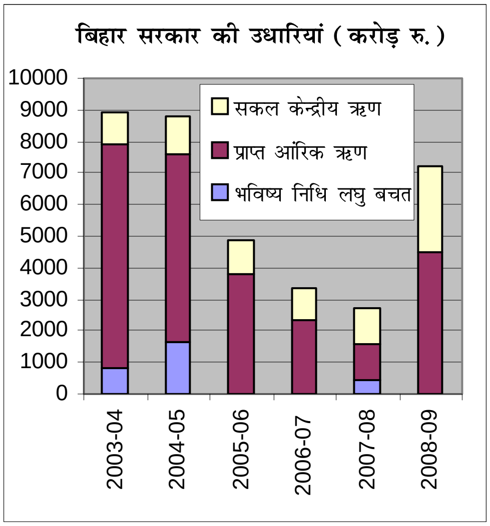

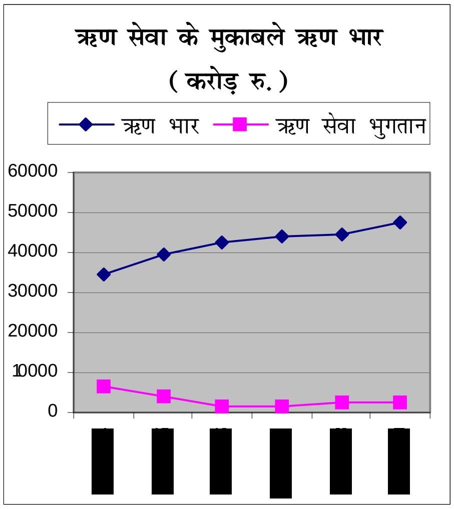

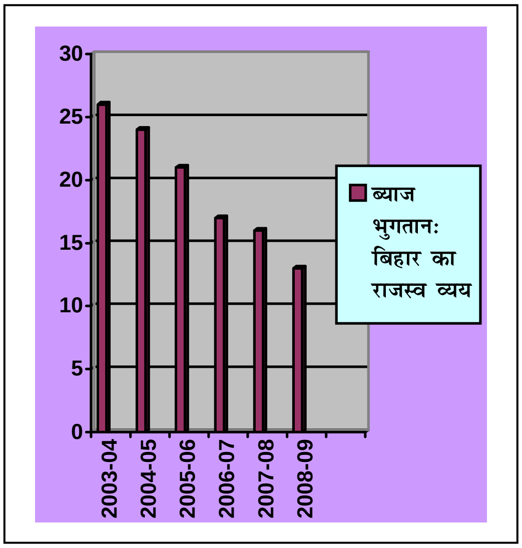

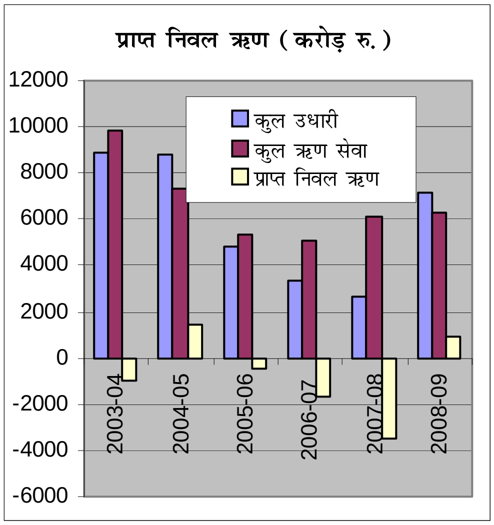

7.8 : एफआरबीएम अधिनियम और राजकोषीय सुधार पथ

राज्य सरकार ने विवेकपूर्ण वित्त प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता के प्रति खुद को जवाबदेह बनाते हुए 2006 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम लागू किया है। अधिनियम में प्रभावी ऋण प्रबंधन और राजकोषीय क्रियाकलापों में अधिक पारदर्शिता के जरिए राजस्व घाटा समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को सीमित रखने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। इस अधिनियम में वर्णित लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(i) वर्ष 2006-07 से शुरू करके राजस्व घाटा/ जीएफडी अनुपात हर साल 0.1 प्रतिशत घटाना;

(ii) वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करना;

(iii) अगर जीएफडी/ जीएसडीपी अनुपात 3 प्रतिशत से अधिक है तो 2006-07 से शुरू करके इसमें हर साल 0.3 प्रतिशत की कमी लाना; अन्यथा 2008-09 तक इसे 3 प्रतिशत के नीचे सीमित करना।

पहले भी चिन्हित किया गया है कि राज्य सरकार ने ये लक्ष्य पूरी तरह हासिल कर लिए हैं। राज्य सरकार ने अपना राजकोषीय सुधार पथ (एफसीपी) विकसित किया है जिसमें 2004-2010 की अवधि के लिए परिणाम सूचकों की मंजिल तय की गई है। पूर्व में, बारहवें वित्त आयोग ने कुल राजकोषीय संकुलों के लिए मानकों और सीमाओं की अनुशंसा की थी और अन्य चीजों के लिए मानकीय प्रक्षेपण (नॉर्मेटिव प्रोजेक्शन) भी प्रस्तुत किए थे। तालिका 7.17 में बारहवें वित्त आयोग और राजकोषीय सुधार पथ के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के बरअक्स वास्तविक उपलब्धियों का तुलनात्मक ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। तालिका में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार पथ द्वारा निर्धारित लगभग तमाम लक्ष्य हासिल कर लिए हैं।

तालिका 7.17 : राजकोषीय सुधार पथ के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियां, 2007-08

(करोड़ रु.)

वित्तीय पूर्वघोषणाएं	12वें वित्त आयोग के प्रक्षेपण	राजकोषीय सुधार पथ के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक उपलब्धि
अपना कर राजस्व	6,430.39	5,020	5,086
अपना गैर-कर राजस्व	1,162.47	353	526
राजस्व व्यय	-	23,128	23,563
गैर-योजना राजस्व व्यय	17,005.61	18,665	18,759
पूंजीगत व्यय	-	5,158	6,376
राजस्व अधिशेष (+)	2008-09 तक समाप्त होना है	(+)1310	4647
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	कम करके 2008-09 तक 3% तक लाना है		(-)1703
समेकित ऋण (गारंटी सहित)	2008-09 तक जीएसडीपी का 31%	52,122	51,080 (जीएसडीपी का 51.13 %)

7.9 संसाधन एकत्रीकरण

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति कर राजस्व और गैर-कर राजस्व, दोनों से होती है। राज्य सरकार के कर राजस्वों में उसके अपने कर राजस्व तथा केंद्र सरकार के करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल से मिलने वाला उसका हिस्सा शामिल होता है। इसी प्रकार, उसके गैर-कर राजस्वों में उसका अपना गैर-कर राजस्व तथा योजना एवं गैर-योजना प्रयोजनों वाले केंद्रीय अनुदान शामिल होते हैं। राज्य सरकार के अपने कर राजस्वों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है :

(i) आय पर कर, जिसमें कृषि आय कर, कारोबार कर आदि शामिल हैं;

(ii) संपत्ति और पूंजीगत सौदों (कैपिटल ट्रांजैक्शन्स) पर कर, जिसमें भूमि राजस्व, स्टांप एवं निबंधन शुल्क तथा शहरी स्थावर संपदा (अर्बन इमूवेबल प्रोपर्टी) पर कर शामिल होता है; और

(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, जो निस्संदेह राज्य सरकार के अपने कर राजस्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इनमें बिक्री कर, पण्यावर्त कर (टर्नओवर टैक्स), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर आदि शामिल होते हैं।

जिन केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होता है उनमें मुख्यत: आय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा कुछ खास वस्तुओं पर बिक्री कर के ऐवज में लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है।

राज्य सरकार के गैर-कर राजस्वों को विभिन्न सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य निकायों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियों, उनसे मिलने वाले लाभांश और लाभ, तथा विभिन्न सेवाओं (सामान्य, सामाजिक तथा राजकोषीय) व आर्थिक सेवाओं से होने वाली प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सेवाओं की अपेक्षा आर्थिक सेवाओं से राज्य के खजाने में काफी अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। केंद्र सरकार के अनुदान योजना और गैर-योजना, दोनों प्रयोजनों के लिए होते हैं। योजनागत अनुदानों में राज्य की अपनी योजनागत योजनाओं (प्लान स्कीम्स), केंद्रीय योजनागत योजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सेंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम्स) के लिए अलग-अलग अनुदान होते हैं। गैर-योजना अनुदानों में वैधानिक अनुदानों (स्टेट्यूटरी ग्रांट्स) के साथ प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत और सार्वजनिक प्रयोजन के अन्य अनुदान शामिल होते हैं।

तालिका 7.18 में 2003-04 से 2008-09 तक राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों को दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि इन तमाम वर्षों में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों का लगभग 80 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार से सहायता अनुदानों और विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से के जरिए आया है। जहां अपना कर राजस्व 2003-04 के 2,919 करोड़ रु. से 80 प्रतिशत बढ़कर 2008-09 में 5,256 करोड रु. हो गया है, वहीं गैर-कर राजस्व इस अवधि में 32 प्रतिशत ही बढ़ा है और 320 करोड़ रु. से 422 करोड़ रु. तक पहुंचा है। अगले वर्ष में गिरावट के पूर्व गैर-कर राजस्व 2007-08 में 526 करोड़ रु. तक पहुंचा था। राज्य सरकार के अपने कुल राजस्व (कर और गैर-कर, दोनों) में इस दौरान 75 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। केंद्र सरकार के समस्त अंतरणों समेत राज्य सरकार का कुल राजस्व लगभग 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाते हुए 6 वर्षों के दौरान 2003-04 के 12,456 करोड़ रु. से 168 प्रतिशत बढ़कर 2008-09 में 33,351 करोड़ रु. हो गया। तथापि, कुल राजस्व प्राप्तियों

में राज्य सरकार का अपना हिस्सा लगातार गिरता गया है। वर्ष 2003-04 के 26 प्रतिशत के मुकाबले 2008-09 में यह 17 प्रतिशत ही रह गया।

तालिका 7.18 : राज्य की राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1. राज्य का अपना राजस्व	3239	3760	4083	4543	5611	5678
क) कर राजस्व	2919	3342	3561	4032	5085	5256
ख) गैर-कर राजस्व	320	418	522	511	526	422
2. केंद्र से प्राप्तियां	9216	11954	13754	18540	22599	27873
क) विभाज्य करों का हिस्सा	7599	9122	10421	13293	16767	19097
ख) सहायता अनुदान	1618	2832	3333	5247	5832	8776
3. कुल राजस्व प्राप्तियां	12456	15714	17838	23083	28210	33551
राज्य का अपना राजस्व कुल प्राप्तियों के % में	26	24	23	20	20	17

राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर, विद्युत कर एवं शुल्क, भूमि राजस्व तथा कृषि आय कर शामिल है। इनमें से अंतिम अपेक्षाकृत महत्वहीन है। अप्रत्यक्ष करों में, जो प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा काफी अधिक महत्वपूर्ण हैं, बिक्री/ व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं यात्री कर तथा मालों एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क शामिल हैं। वर्ष 2003-04 से 2008-09 के बजट अनुमान तक इन करों से प्राप्तियों का विवरण तालिका 7.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.19 : बिहार सरकार का कर राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1637	1891	1734	2081	2535	2938
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	418	429	505	455	654	581
वस्तु एवं यात्री कर	306	473	613	783	938	825
राज्य उत्पाद शुल्क	240	272	319	382	525	538
वाहन कर	210	213	302	181	273	257
भूमि राजस्व	34	33	55	75	82	75
विद्युत कर एवं शुल्क	18	10	18	63	64	30
मालों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	57	22	15	12	14	13
कृषि आय कर	0	0	0	0	0	0
योग	2919	3342	3561	4032	5085	5256

राज्य सरकार की कर प्राप्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि बिक्री कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क, राज्य उत्पाद कर, विद्युत कर एवं शुल्क तथा वाहन कर इसके प्रमुख कर स्रोत हैं। ये पांचों कर मिलकर राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियों (2008-09 में) का 98 प्रतिशत हो गया। इनमें भी कुल कर प्राप्तियों का 56 प्रतिशत योगदान अकेले बिक्री कर का है। इसके बाद स्टांप एवं निबंधन शुल्क (16 प्रतिशत) का स्थान है। ये कर काफी उत्फुल्ल (बायोएंट) हैं और आय के स्तर में सामान्य वृद्धि से, जिसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, इनकी प्राप्ति में स्वतः वृद्धि हो जाती है। राज्य सरकार के कर राजस्व की संरचना तालिका 7.20 में दर्शाई गई है और उनकी वृद्धि दरें तालिका 7.21 में। वाहन कर के मामले में 2005-06 और 2006-07 के बीच काफी गिरावट आई थी। तथापि अगले साल इसमें वृद्धि हुई और 2008-09 में भी यह उसी स्तर पर बरकरार है। विद्युत करों एवं शुल्कों में 2006-07 में लगभग 250 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज होने के बाद 2008-09 में 50 प्रतिशत से भी अधिक गिरावट देखी गई। हालांकि विकास दर में 2008-09 के दौरान गिरावट आई है लेकिन 2005-06 से इतर वर्षों में बिक्री कर में लगातार वृद्धि होती रही है। तालिका 7.22 में देखा जा सकता है कि 2008-09 में राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग 18 प्रतिशत है। शेष 82 प्रतिशत योगदान अप्रत्यक्ष करों का है जिसके कारण विभाजन गत वर्ष से भी अधिक विषम हो गया है। इससे यह भी सूचित होता है कि राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधारों की जो प्रक्रिया शुरू की है, उसे कर संरचना में प्रतिबिंबित होना अभी भी शेष है।

तालिका 7.20 : बिहार सरकार के कर राजस्व की संरचना

(आंकड़े प्रतिशत में)

राजस्व के स्रोत	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	56	57	49	52	50	56
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	14	13	14	11	18	16
राज्य उत्पाद कर	8	8	9	9	13	11
वाहन कर	7	6	8	5	10	10
विद्युत कर एवं शुल्क	1	0	1	2	5	5
भूमि राजस्व	1	1	2	2	2	1
वस्तु एवं यात्री कर	10	14	17	19	1	1
मालों एवं सेवाओं पर कर	2	1	0	0	0	0
कृषि आय कर	0	0	0	0	0	0
योग	100	100	100	100	100	100

तालिका 7.21 : बिहार सरकार के कर राजस्व की वृद्धि

(आंकड़े प्रतिशत में)

राजस्व के स्रोत	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	समग्र वृद्धि 2003-09
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	-1	15	-8	20	22	16	79
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	-1	14	17	-10	44	-11	39
राज्य उत्पाद कर	20	3	18	28	20	-12	170
वाहन कर	18	2	42	20	38	2	124
विद्युत कर एवं शुल्क	23	-46	89	-40	51	-6	22
भूमि राजस्व	-7	-1	65	36	10	-9	121
वस्तु एवं यात्री कर	16	55	30	248	2	-53	72
मालों एवं सेवाओं पर कर	4	-62	-32	-19	17	-4	-77
कृषि आय कर	0	0	0	0	0	0	0
योग	5	15	7	13	26	3	80

तालिका 7.22 : बिहार में कराधान का ढांचा

(आंकड़े प्रतिशत में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राज्य के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा	23	20	25	19	21	18
राज्य के अपने कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा	77	80	75	81	79	82

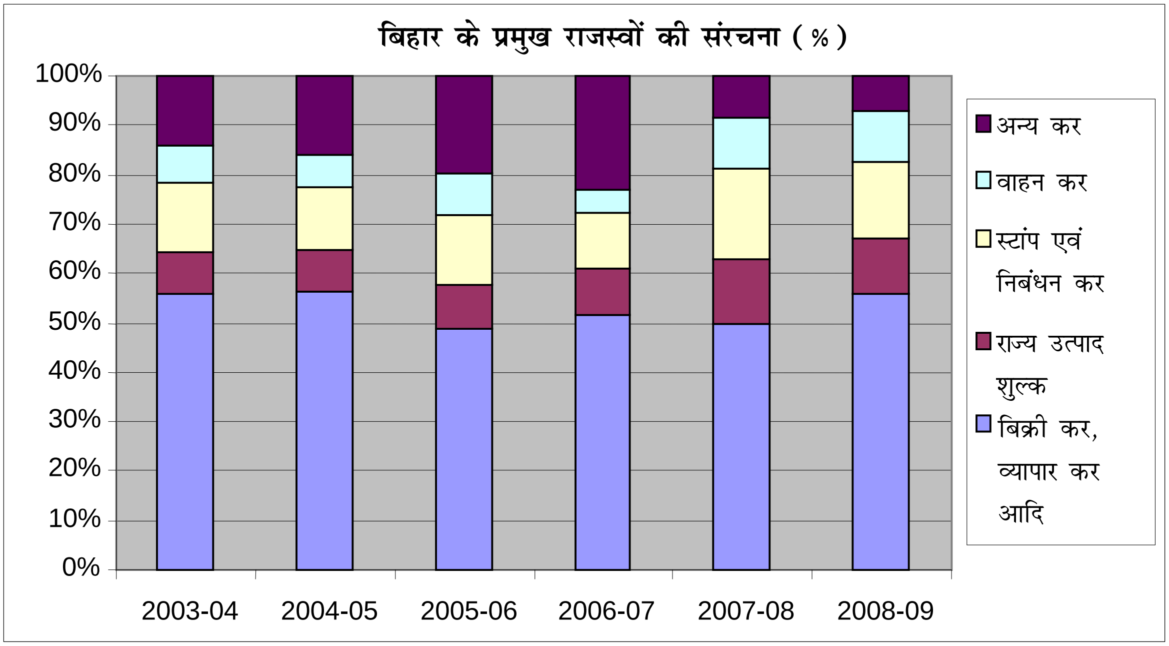

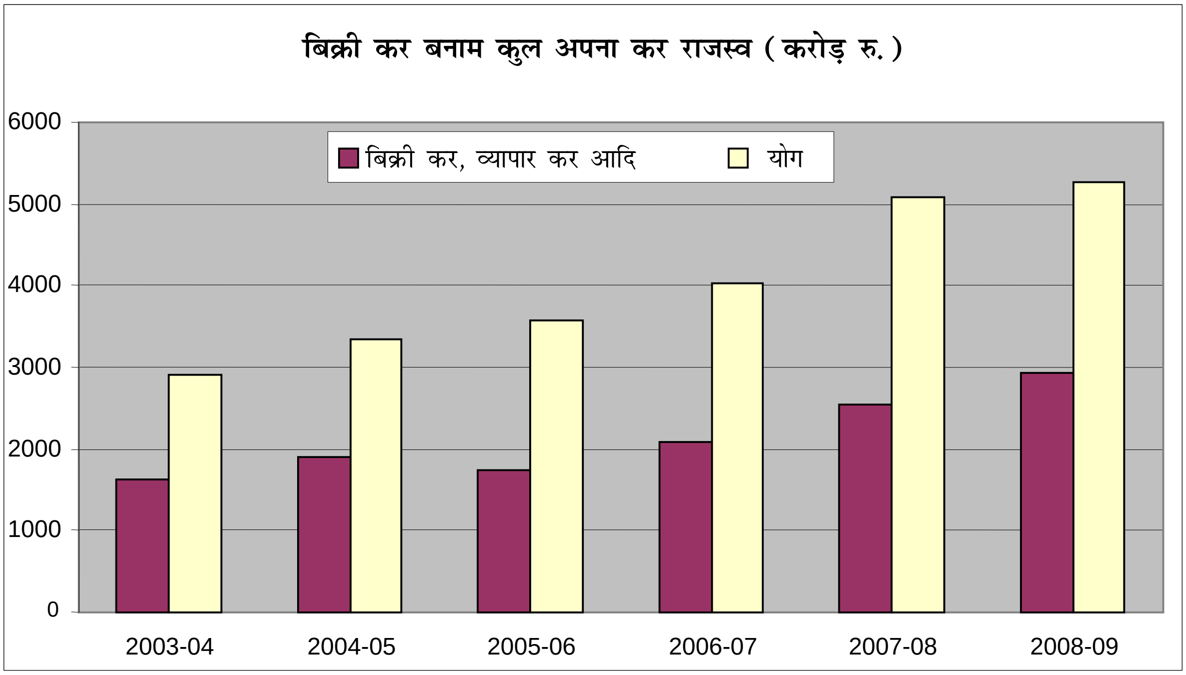

तालिका 7.23 में राज्य सरकार के प्रमुख गैर-कर राजस्वों को दर्शाया गया है और तालिका 7.24 में उनकी संरचना तथा वृद्धि को। राज्य सरकार के गैर-कर राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व खानों एवं खनिजों की रॉयल्टी है। दूसरा मजत्वपूर्ण स्रोत ब्याज प्राप्तियां है। कुल गैर-कर प्राप्तियों में इन दोनों का संयुक्त योगदान ब्याज प्राप्तियों में काफी गिरावट के कारण 2008-09 में 46 प्रतिशत था जबकि उसके पिछले साल 66 प्रतिशत से भी अधिक था। वर्ष 2005-06 में ब्याज प्राप्तियों में तेज वृद्धि नगद शेष के निवेश लेखा में पड़े भारी-भरकम अप्रयुक्त नगद शेष के निवेश के कारण थी। उसके बाद से इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्ति में लगातार गिरावट आई। अतीत में खानों एवं खनिजों की रॉयल्टी निरंतर बढ़ी है लेकिन 2008-09 में इसकी प्राप्ति थोड़ी घटी। कुल मिलाकर गैर-कर राजस्वों की वृद्धि काफी अनिश्चित रही है। इस विश्लेषण से राज्य सरकार के कर राजस्व में बिक्री कर का और गैर-कर राजस्व में खानों एवं खनिजों की रॉयल्टी का महत्व स्पष्ट हो जाता है जिसे संबंधित चार्टों में दर्शाया गया है।

तालिका 7.23 : बिहार के प्रमुख गैर-कर राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	73.34	80.09	100.9	127.65	178.65	140.00
ब्याज प्राप्तियां	23.08	75.05	216.07	175.99	170.74	58.25
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	21.26	24.67	10.16	13.8	7.31	13.81
वृहद सिंचाई	26.22	0	1.62	1.95	2.41	8.28
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	80.72	107.98	34.21	20.28	12	16.85
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	11.97	12.66	15.1	17.51	21.07	17.78
पुलिस	16.85	13.72	6	10.53	23.47	35.91
सड़क एवं पुल	10.62	8.42	12.05	16.75	17.95	28.17
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	10.59	8.3	14.75	18.79	2.75	13.22
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	4.11	7.34	32.99	27.57	20.88	26.47
अन्य	41.57	79.49	78.41	80.36	68.33	63.05
योग	**320.33**	**417.72**	**522.26**	**511.18**	**525.56**	**421.79**

तालिका 7.24 : बिहार के गैर-कर राजस्वों की संरचना

(आंकड़े प्रतिशत में)

राजस्व के स्रोत	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	22.9	19.17	19.32	24.97	33.99	33.19
ब्याज प्राप्तियां	7.21	17.97	41.37	34.43	32.49	13.81
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6.64	5.91	1.95	2.7	1.39	3.27
वृहद सिंचाई	8.19	0	0.31	0.38	0.46	1.96
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	25.2	25.85	6.55	3.97	2.28	3.99
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	3.74	3.03	2.89	3.43	4.01	4.22
पुलिस	5.26	3.28	1.15	2.06	4.47	8.51
सड़क एवं पुल	3.32	2.02	2.31	3.28	3.42	6.68
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.31	1.99	2.82	3.68	0.52	3.13
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	1.28	1.76	6.32	5.39	3.97	6.28
अन्य	12.98	19.03	15.01	15.72	13.00	14.95
योग	**100**	**100**	**100**	**100**	**100.00**	**100.00**
वृद्धि दरें						
कुल गैर-कर राजस्व की वृद्धि दर	22.84	30.4	25.03	-2.12	2.81	-19.74
अलौह खनन एवं धातु उद्योग की वृद्धि दर	-2.45	-16.26	0.77	26.51	39.95	-21.63
ब्याज प्राप्तियों की वृद्धि दर	-64.56	149.36	130.27	-18.55	-2.98	-65.88
वृहद सिंचाई की प्राप्तियों की वृद्धि दर	-	-	-	20.37	46.00	587.00

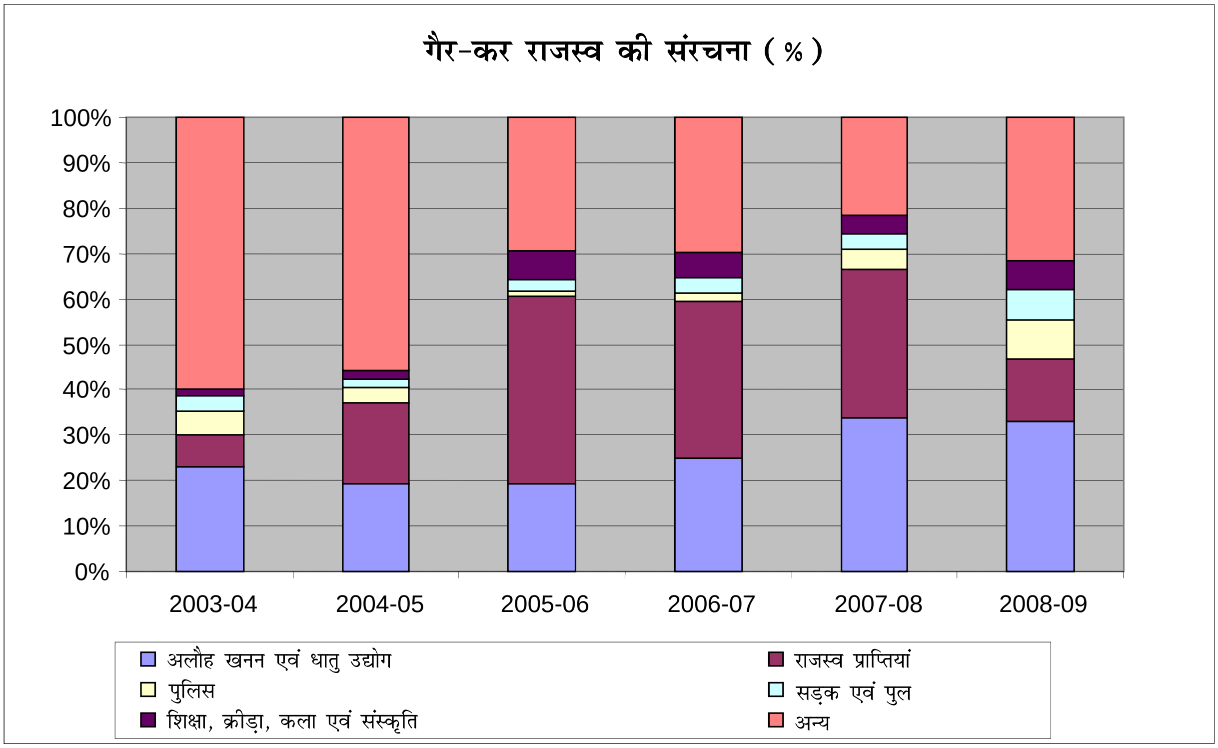

अप्रील 2005 से राज्य सरकार बिक्री करों को हटाकर मूल्यवर्धित कर (वैट) व्यवस्था अपना चुकी है। मूल्यवर्धित कर बिक्री कर से अधिक फलोत्पादक है लेकिन दूकानदारों (डीलर्स)/ वितरकों/ आपूर्तिकर्ताओं/ खुदरा दूकानदारों आदि का फलोत्पादक आंकड़ा आधार (डाटाबेस) बनाने से संबंधित ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन्हें वर्गीकृत किया जाना बाकी है। वर्ष 2004-05 में राज्य सरकार ने कर प्रणाली के सुधार के संबंध में अनेक उपाय किए। सभी खाद्यान्नों समेत अनेक चीजों की वैट दर में काफी कमी की गई जिसके कारण उस साल इसकी प्राप्तियों में कमी आई। लेकिन इन युक्तिकरण उपायों का अंततः लाभ हुआ और परवर्ती वर्षों में राजस्व अधिक तेज गति से बढ़ रहा है।

बिक्री कर के बाद महत्वपूर्ण करों में संपत्ति एवं पूंजीगत सौदे पर कर का स्थान है जिसमें स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, वाहन कर तथा राज्य उत्पाद कर शामिल हैं। अनुपालन बढ़ाने के लिए बिहार में 2006-07 में ऊंची निबंधन दरों को काफी घटाते हुए शहरी क्षेत्रों में 15.4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 8.4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत कर दिया गया था।

राजस्व के मूल्यांकन की ओर मुड़ने पर 2007-08 में व्यक्तिगत करों के मामले में बजट अनुमानों और वास्तविक राजस्व वसूली में थोड़ा अंतर देखा जा सकता है, हालांकि समग्र वसूली लक्ष्य से 9 प्रतिशत अधिक थी (तालिका 7.25)। व्यक्तिगत करों के मामले में विचलन (डेविएशन) सबसे अधिक 225 प्रतिशत था और सबसे कम (-) 27 प्रतिशत। गैर-कर प्राप्तियों के मामले में वसूली बजट अनुमानों से भी 33 प्रतिशत बढ़ गई।

तालिका 7.25 : कर एवं गैर-कर राजस्व में अनुमानित और वास्तविक वसूली के बीच अंतर (2007-08)

(करोड़ रु.)

कर राजस्व	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	% अंतर - वृद्धि (+), कमी (-)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2880	2535	-11.98
राज्य उत्पाद कर	500	525	5.08
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	720	654	-9.15
वाहन कर	375	273	-27.15
विद्युत शुल्क एवं कर	20	64	225.29
भूमि राजस्व	75	82	9.99
मालों एवं सेवाओं पर कर एवं शुल्क	18	14	-24.25
वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	381	938	145.94
कुल कर राजस्व	20001	21852	9.26
गैर-कर राजस्व			
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	103	179	73.56
वानिकी एवं वन्य-वानिकी	5	7	42.80
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	10	3	-72.55
कुल गैर-कर राजस्व	396	526	32.63

विभिन्न करों का वसूली खर्च तालिका 7.26 में दर्शाया गया है। तमाम प्रमुख करों के लिए वसूली खर्च कुल वसूली के मुकाबले बहुत कम था। अपवाद सिर्फ स्टांप एवं निबंधन शुल्क था जिसका वसूली खर्च कुल वसूली के 5 प्रतिशत से भी अधिक था। इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि संपूर्ण भारत के औसत में मुकाबले बिहार में वसूली खर्च लगभग सभी शीर्षों काफी अधिक था।

तालिका 7.26 : करों का वसूली व्यय

राजस्व प्राप्तियों का शीष	वर्ष	वसूली (करोड़ रु.)	राजस्व वसूली पर व्यय (करोड़ रु.)	खर्च वसूली के प्रतिशत में	2005-06 हेतु वसूली खर्च का अखिल भारतीय औसत (प्रतिशत)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2004-05	1890.54	21.46	1.14	0.91
	2005-06	1733.60	25.47	1.47	
	2006-07	2081.49	27.30	1.31	
	2007-08	2534.79	42.73	1.69	
राज्य उत्पाद शुल्क	2004-05	272.47	16.19	5.94	3.4
	2005-06	318.59	14.78	4.64	
	2006-07	381.93	18.31	4.79	
	2007-08	525.41	22.14	4.21	
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	2004-05	429.14	22.02	5.13	2.87
	2005-06	505.29	22.48	4.45	
	2006-07	455.02	36.86	8.10	
	2007-08	654.14	34.02	5.20	
वाहन कर	2004-05	212.78	3.85	1.81	2.67
	2005-06	302.44	5.09	1.68	
	2006-07	181.38	6.03	3.32	
	2007-08	273.20	5.95	2.18	

तालिका 7.27 में राज्य के अपने कर एवं गैर-कर राजस्वों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर दर्शाया गया है जो पहले से अधिक राजस्व वसूली की राज्य की क्षमता की माप भी है। बिहार के कर एवं गैर-कर राजस्व मिलकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लगभग 5 प्रतिशत ही होते हैं। यह गरीबी के मौजूदा स्तर के बावजूद बहुत कम है क्योंकि 2008-09 के बजट अनुमानों के अनुसार केंद्रीय अंतरण एवं अनुदान सहित कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत हो जाता है। तालिका 7.28 में 2007-08 के संबंध में विभिन्न राज्यों के कर : जीएसडीपी अनुपात की तुलना दर्शाई गई है। इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जीएसडीपी के साथ बिहार के अपने कर का अनुपात राज्यों के बीच लगभग सबसे कम था, विवेच्य राज्यों के औसत से भी बहुत कम। लेकिन जीएसडीपी के साथ इसके कुल राजस्व का अनुपात किसी भी अन्य राज्य से काफी अधिक था।

तालिका 7.27 : कर एवं गैर-कर राजस्व जीएसडीपी के प्रतिशत में

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (ब.अ.)
अपना कर राजस्व जीएसडीपी के % में	4.41	4.56	4.44	4.07	4.84	4.68
अपना गैर-कर राजस्व जीएसडीपी के % में	0.48	0.57	0.65	0.52	0.50	0.38
कुल राजस्व जीएसडीपी के % में	18.80	21.46	22.25	23.33	26.83	29.84
जीएसडीपी के मामले में कुल राजस्व की उत्फुल्लता (अनुपात)	**2.49**	**1.43**	**1.25**	**3.55**	**2.74**	**2.49**
जीएसडीपी के मामले में राज्य के अपने करों की उत्फुल्लता (अनुपात)	1.38	0.69	0.56	4.17	0.49	1.38
जीएसडीपी वृद्धि (%)	1.75	10.52	9.47	23.45	6.26	6.92

तालिका 7.28 : राज्यों का कर : जीएसडीपी अनुपात (2007-08)

राज्य	राजस्व प्राप्तियां	राज्य का अपना कर	जीएसडीपी	राज्य का अपना कर : राजस्व प्राप्तियां	राज्य का अपना कर : जीएसडीपी	कुल राजस्व : जीएसडीपी
बिहार	**28210**	**5085**	**105148**	**0.18**	**4.84**	**26.83**
महाराष्ट्र	79860	46611	578839	0.58	8.05	13.80
केरल	21497	13997	148367	0.65	9.43	14.49
उड़ीसा	21381	6713	103376	0.31	6.49	20.68
राजस्थान	30128	12840	166520	0.43	7.71	18.09
मध्य प्रदेश	29840	11704	142481	0.39	8.21	20.94
आंध्र प्रदेश	56127	31402	312221	0.56	10.06	17.98
गुजरात	34673	21334	292640	0.62	7.29	11.85
पश्चिम बंगाल	31360	13485	309528	0.43	4.36	10.13
तमिलनाडु	46577	29248	297864	0.63	9.82	15.64
औसत				**0.48**	**7.63**	**17.04**

तालिका 7.29 में राज्य सरकार के प्रमुख कर एवं गैर-कर राजस्वों तथा राजस्व व्यय के मामले में उत्फुल्लता अनुपात (बायोएंसी रेशियो) दिए गए हैं। तालिका 7.29 में देखा जा सकता है कि 2007-08 में राज्य सरकार के कुल कर राजस्व के मुकाबले बिक्री कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, वाहन कर, तथा राज्य उत्पाद कर काफी अधिक उत्फुल्ल थे। इस प्रकार राज्य के सकल राज्य घरेलू अनुपात की लगभग 6 प्रतिशत वृद्धि दर को देखते हुए इन करों से प्राप्तियों में वृद्धि की काफी संभावना है। गैर-कर राजस्वों के मुख्य स्रोतों में इस तरह की उत्फुल्लता नहीं दिखी।

तालिका 7.29 : महत्वपूर्ण कर एवं गैर-कर स्रोतों की उत्फुल्लता

कर और गैर-कर राजस्व के मुख्य स्रोत	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1.47	-0.88	0.86	3.48	2.30
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	0.26	1.87	-0.42	6.99	-1.62
वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	5.19	3.14	1.18	3.16	-1.74
राज्य उत्पाद शुल्क	1.29	1.79	0.85	6.00	0.34
वाहन कर	0.15	4.45	-1.71	8.09	-0.88
विद्युत कर एवं शुल्क	-4.36	9.43	10.57	0.31	-7.62
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	0.88	2.74	1.13	6.39	-3.13
ब्याज प्राप्तियां	21.41	19.84	-0.79	-0.48	-9.59
राजस्व व्यय	1.44	2.25	0.68	2.31	3.30
कुल कर राजस्व	**1.43**	**1.25**	**3.55**	**2.74**	**2.49**

तालिका 7.30 में केंद्र सरकार के अनुदानों एवं अंशदानों को दर्शाया गया है। तालिका में देखा जा सकता है कि 2008-09 के बजट अनुमानों में कुल अनुदान अभी 9,000 करोड़ रु. के आसपास है। इसमें से लगभग 50 प्रतिशत अनुदान राज्य योजनागत योजनाओं के लिए है। उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं और गैर-योजना अनुदानों का स्थान है। वर्ष 2003-04 से 2008-09 के बीच कुल अनुदान पांचगुना बढ़ा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान में 2008-09 के दौरान 800 करोड़ रु. की वृद्धि हुई, वहीं राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान इस दौरान दूने से भी अधिक बढ़ा।

तालिका 7.30 : केंद्र सरकार से अनुदान और अंशदान

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
कुल अनुदान	1618	2832	3333	5247	5832	8776
राज्य योजनागत योजना हेतु अनुदान	1169	1643	1556	2445	2914	4565
केंद्रीय योजनागत योजना हेतु अनुदान	46	10	90	144	53	198
केंद्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	251	495	486	974	1360	2223
गैर-योजना अनुदान	152	684	1201	1683	1505	1790

तालिका क : बिक्री कर की तुलनात्मक वस्तुवार वसूली

क्रम सं.	वस्तु	विक्रेताओं की संख्या			वसूली (करोड़ रु. में)			प्रतिशत वृद्धि	
		2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
1	दुपहिया एवं तिपहिया वाहन	397	354	344	102.59	166.55	199.9	62.35	20.02
2	सभी प्रकार के फर्नीचर	380	360	379	0.95	1.05	6.23	10.04	494.19
3	वाहनों के कल-पुर्जे	1140	1050	992	12.2	17.58	19.77	44.11	12.43
4	बैटरी	224	221	228	22.96	24.42	29.91	6.35	22.47
5	पेय	138	102	86	13.09	15.38	19.53	17.51	26.97
6	बिस्कुट	337	337	308	18.32	29.79	36.08	62.63	21.12
7	ईंटें एवं खनिज	1474	1639	1718	3.76	6.4	6.13	70.36	-4.22
8	सीमेंट	1455	1537	1541	122.48	174.25	209.64	42.27	20.31
9	कोयला	65	81	80	1.66	2.06	4.99	23.75	142.71
10	कंप्यूटर एवं संबंधित चीजें	311	295	288	5.02	7.24	11.24	44.41	55.2
11	टिकाऊ उपभोक्ता सामग्रियां	381	377	408	57.17	87.13	160.38	52.41	84.07
12	क्रॉकरी, कटलरी और कांच के सामान	163	153	147	2.06	2.22	2.6	7.62	17.03
13	कच्चा तेल (क्रूड आयल)	13	14	11	109.84	131.56	154.31	19.77	17.29
14	साइकल	350	329	306	2.7	4.46	5.64	64.78	26.56
15	डीजल इंजन	408	416	407	3.14	4.01	4.77	27.83	19.02
16	बिजली के सामान	1320	1247	1270	77.03	164.69	175	113.81	6.26
17	मनोरंजन	120	122	102	3.87	4.07	4.13	5.15	1.49
18	आवश्यक वस्तुएं (एसेंशियल्स)	90	76	58	0.49	0.66	0.64	33.44	-2.69
19	एफएमसीजी	958	953	996	96.23	127.69	146.42	32.7	14.67
20	फास्ट फूड	317	265	227	13.67	14.85	19.75	8.58	33.03
21	उर्वरक	1670	1429	629	40.23	50.98	58.56	26.72	14.87
22	पटाखे आदि (फायरवर्क)	76	69	68	0.41	0.37	0.47	-8.92	27.24
23	खाद्यान्न	2045	2134	2462	55.99	30.46	36.07	-45.6	18.43
24	जूता-चप्पल	597	549	535	4.72	4.47	5.72	-5.36	28.04
25	विदेशी शराब (आइएमएफएल)	531	314	194	87.19	126.75	147.77	45.38	16.58
26	हार्डवेयर	1291	1242	1227	3.92	3.54	4.36	-9.57	23
27	चमड़ा एवं खालें	32	28	33	0.69	0.79	0.66	14.07	-16.12

28	होटल	324	362	306	5.29	8.98	12.85	69.64	43.09
29	कीटनाशक एवं बीज	309	256	175	18.7	9.51	10.92	-49.15	14.83
30	लोहा एवं इस्पात	542	508	511	30.25	42.6	54.17	40.81	27.15
31	आभूषण	1181	1241	1240	0.89	1.29	1.58	45.22	22.14
32	जूट	139	78	45	3.12	2.14	2.27	-31.55	6.3
33	किरासन तेल	259	270	269	2.74	3.15	3.37	14.77	7.02
34	किराना सामान और अगरबत्ती	2027	2146	2225	6.06	7.14	9.22	17.8	29.07
35	एलपीजी	298	281	282	7.3	3.22	2.87	-55.85	-10.98
36	संगमरमर, मोजाइक और पत्थर	399	428	572	1.73	1.9	2.8	9.57	47.4
37	दवा	10587	8311	5019	71.46	113.61	130.21	58.99	14.61
38	विविध	13946	12415	10920	191	174.9	259.09	-8.43	48.14
39	मोल्डेड लगेज	80	70	64	2.22	2.72	3.29	22.63	20.83
40	सरसों तेल	218	216	228	4.51	6.55	8	45.25	22.05
41	पीवीसी	157	169	171	1.74	2.03	2.72	16.46	33.85
42	पेंट	231	213	201	13.18	13.77	16.95	4.48	23.06
43	पान मसाला	131	126	176	1.18	14.04	41.01	1089.81	192.01
44	कागज	425	406	430	5.62	5.72	9.19	1.83	60.59
45	पेट्रोलियम उत्पाद	928	610	516	986.37	1091.6	1247.14	10.67	14.25
46	प्लास्टिक की वस्तुएं	282	266	280	3.47	4.45	3.75	28.21	-15.25
47	प्लाईवूड और बोर्ड	288	279	313	2.29	2.74	3.49	19.5	27.3
48	रेडीमेड और होजियरी	2038	1948	1981	8.43	10.85	13.91	28.79	28.16
49	सेनिटरी और फिटिंग सामग्री	228	230	260	3.13	4.51	5.7	44.2	26.27
50	चाय और कॉफी	183	177	170	2.24	1.84	2.23	-17.72	21.07
51	इमारती लकड़ी (टिंबर)	798	766	748	2.55	2.66	2.76	4.05	3.82
52	टायर-ट्यूब	255	186	196	23.34	29.26	37.88	25.36	29.45
53	ट्रैक्टर	308	312	328	7.37	17.46	19.81	136.74	13.48
54	बर्तन	311	311	288	0.87	0.48	0.52	-44.15	7.26
55	वनस्पति	87	110	108	3.82	7.3	13.92	91.02	90.78
56	कार्य संविदा (वर्क्स कांटैक्ट)		31	56	73.58	137.,13	244.15	86.37	78.04
योग		**53242**	**48416**	**43127**	**2346.87**	**2927.01**	**3636.44**	**24.72**	**24.24**
अन्य संसाधनों से वसूली					**43.12**	**23.13**	**-3.17**	**-46.36**	**-113.71**
पूर्णयोग					**2389.98**	**2950.14**	**3633.27**	**23.44**	**23.16**

7.10 राज्य कर विभागों के प्रदर्शन का विश्लेषण

वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य कर विभाग सात अधिनियमों के तहत राजस्व वसूली करता है। ये हैं :

(1) बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (वैट);
(2) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सीएसटी);
(3) प्रवेश कर अधिनियम, 1993 (ईएनटी);
(4) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (ईडी);
(5) बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 (एडीवी);
(6) होटल विलासिता कर अधिनियम, 1988 (एचएलटी); और
(7) बिहार मनारंजन कर अधिनियम, 1948 (ईटी)।

तालिका 7.31 और 7.32 में इन अधिनियमों के तहत 2003-04 से 2008-09 (नवंबर 2008 तक) तक संग्रहित करों को दर्शाया गया है। इन तालिकाओं में देखा जा सकता है कि वाणिज्य कर राज्य सरकार के कुल कर राजस्वों में 70 प्रतिशत से भी अधिक योगदान करते हैं और उनकी विकास दरें प्रभावशाली रही हैं। इनमें से प्रत्येक अधिनियमों के तहत करों से होने वाली प्राप्तियों में प्रभावशाली वृद्धि हो रही है और उनका वसूली खर्च, जो पहले से ही कम है, और भी घट रहा है।

तालिका 7.31 : अधिनियम-वार तुलनात्मक वसूली (2003-04 से 2008-09)

(करोड़ रु.)

वर्ष	बीएसटी/ वैट	सीएसटी	ईएनटी	ईडी	एडीवी	एचएलटी	ईटी	योग	गैर-योजना व्यय	वसूली खर्च (%)
2003-04	1560.29	74.41	14.19	15.88	0.00	1.59	310.79	1977.15	20.06	1.01
2004-05	1814.79	71.56	14.09	9.45	0.00	1.79	481.56	2393.24	20.20	0.84
2005-06	1649.95	84.11	10.97	17.84	0.00	1.91	625.20	2389.98	24.52	1.03
2006-07	2003.72	80.15	9.32	62.48	0.00	2.50	791.97	2950.14	27.27	0.92
2007-08	2522.94	54.03	9.88	63.80	0.01	3.36	979.28	3633.30	28.53	0.79
2008-09 (नवंबर 08 तक)	1626.79	25.22	6.37	2.05	0.07	1.17	683.93	2346.20	NA	NA

तालिका 7.32 : कुल राजस्व में वाणिज्य करों का वर्षवार प्रतिशत हिस्सा

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (नवंबर 08 तक)
राज्य का कुल राजस्व	2919.02	3342.48	3561.09	4032.24	5086.17	
वाणिज्य करों से राजस्व	1977.15	2393.24	2390.4	2950.14	3633.30	2346.20
कुल राजस्व में वाणिज्य करों का प्रतिशत हिस्सा	67.73	71.60	67.13	73.16	71.43	

औद्योगिक प्रोत्साहन योजना, 2006 के अनुरूप, अभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा देय वैट के कुछ खास भाग की प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) की योजना बजटीय सहायता के जरिए लागू की जा रही है। वाणिज्य कर विभाग अभी तक नई और पहले से मौजूद औद्योगिक इकाइयों को लगभग 2 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति कर चुका है। वर्तमान वित्त वर्ष में विभाग ने कर-वंचना रोकने के लिए भी अनेक पहल किए हैं। ट्रांसपोर्टरों के लिए अनिवार्य निबंधन प्रावधान उनमें से एक है। उनके द्वारा त्रैमासिक आधार पर रिटर्न भरना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए बिहार वैट अधिनियम और बिहार वैट नियम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

बिहार के कुछ जिलों में कोशी की अप्रत्याशित बाढ़ का देखते हुए विभाग ने बाढ़ प्रभावित जिलों के विक्रेताओं के लिए रिटर्न भरने और कर भुगतान करने की तिथियां बढ़ाने के प्रावधान किए। चावल और गेहूं जैसी बाढ़ राहत सामग्रियों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रवेश शुल्क, वैट और अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी गई है।

बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत वैट अंकेक्षण (ऑडिट) का प्रावधान किया गया है जिसके द्वारा चयन प्रतिरूप (सलेक्शन मॉडल) के आधार पर एक वित्त वर्ष के लिए विस्तृत अंकेक्षण हेतु कुल निबंधित विक्रेताओं के 10 प्रतिशत का चुनाव किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2005-06 के लिए 2,519 विक्रेताओं का चुनाव किया गया है और अब तक 763 विक्रेताओं का अंकेक्षण किया गया है। वित्त वर्ष 2006-07 के लिए विस्तृत अंकेक्षण हेतु 2,546 विक्रेता चुने गए हैं।

एक बार चालू होने पर इस कर विभिन्न राज्यों के बीच तेज और त्वरित सूचना विनिमय सुविधा हेतु इस अनुप्रयोग का सूचना विनिमय प्रणाली (टिंक्सिस) के साथ ऑन-लाइन संबंध जुड़ जाएगा।

<u>उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग</u>

उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग राज्य सरकार के सबसे पुराने विभागों में से एक है और राजस्व सृजन का भी एक प्रमुख स्रोत है। इस विभाग पर राज्य के अंदर स्पिरिट, अल्कोहल-युक्त पेय एवं शीरा की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण तथा इन स्रोतों से राजस्व वसूली की जवाबदेही है। 1 जुलाई, 2007 से एक नई उत्पाद नीति शुरू की गई

थी जिसके तहत राज्य में पहली बार लॉटरी के जरिए सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती शुरू की गई थी। बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के अनुभाग (सेक्शन) 42 और 68 में संशोधन के पश्चात लाइसेंस के विभिन्न प्रावधानों एवं शर्तों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना बढ़ा दिया गया था।

पूर्व में 10 जिले ऐसे थे जिनमें उत्पाद कार्यालय नहीं था। वर्ष 2007-08 में इन दसो जिलों में उत्पाद कार्यालयों की स्थापना की गई और अब वे पूरी तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा, पटना में आधुनिक बहुद्देशीय उत्पाद परिसर की स्थापना हेतु निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही, उत्पाद सतर्कता ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण हेतु नए उत्पाद निरीक्षकों की नियुक्ति, अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति, नए वाहनों की खरीद तथा अन्य उपाय किए गए। राजस्व बढ़ाने के लिए उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग ने अनेक नए पहल किए हैं। तालिका 7.33 में दो वर्षों, 2006-07 और 2007-08 के लिए उत्पाद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व को दर्शाया गया है। देशी शराब और भारत निर्मित विदेशी शराब (आइएमएफएल) इस शीर्ष के तहत राजस्व के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

तालिका 7.33 : उत्पाद से प्राप्त राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2006-07	2007-08
देशी शराब (मसालेदार देशी शराब सहित)	206.50	170.02
भारत निर्मित विदेशी शराब (आइएमएफएल)	159.26	198.65
वाणिज्यिक विकृत (डिनेचर्ड) स्पिरिट	0.15	2.97
औषधीय एवं प्रसाधन सामग्रियां	0.56	0.05
शीरा (मोलासेस)	4.29	4.36
कंपाउंडिंग	1.93	6.47
मिश्रित दूकान (कंपोजिट शॉप)		105.8
बिहार राज्य पेय निगम	10.00	36.69
अन्य	1.18	10.55
योग	**383.87**	**535.56**

निबंधन विभाग

निबंधन विभाग भी राज्य सरकार के सबसे पुराने विभागों में से एक है। राजस्व वसूली के मामले में वाणिज्य कर विभाग के बाद इसी का स्थान है। स्टांप और निबंधन शुल्क का प्रशासन राजस्व बोर्ड से विभाग को स्थानांतरित किए जाने के बाद से विभाग राजस्व वृद्धि हेतु निरंतर प्रयास करता रहा है। वर्ष 1990 में स्टांप अधिनियम में संशोधन के जरिए बाजार मूल्य की संकल्पना का समावेश और तदुपरांत 1995 में बिहार स्टांप (दस्तावेज के अल्पमूल्यांकन से बचाव) नियम का निर्माण एवं क्रियान्वित होना स्टांप शुल्क से राजस्व वृद्धि का प्रभावी तरीका साबित हुआ है। वर्ष 2006 में उसमें पुन: संशोधन किया गया और नियम में शहरी संपत्ति बाजार मूल्य के वार्षिक

पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया। उसी साल हस्तांतरण के दस्तावेजों के लिए स्टांप शुल्क की दर 8.4 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रयास किया गया जिसकी परिणति बढ़ी राजस्व वसूली में हुई है।

बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 के प्रभावी होने के बाद निबंधन विभाग ने लोगों को अपने फ्लैटों के निबंधन हेतु प्रेरित करने के लिए अनेक पहल किए हैं। फलतः पटना में 11,349 फ्लैटों का निबंधन हुआ जिससे राज्य के खजाने में 95.04 करोड़ रु. जुड़े। मकानों/ फ्लैटों के किराया समझौतों के निबंधन को बढ़ावा देने के लिए हाल में मकानों/ फ्लैटों की लीज पर पूरी लीज अवधि के दौरान भुगतेय राशि के 0.5 प्रतिशत के हिसाब से स्टांप शुल्क की उदार दर तय की गई है। राजस्व संसाधनों में वृद्धि के अन्य विविध उपायों के अलावा, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिहाज से गत वर्ष उनकी बड़ी संख्या को पदोन्नति दी गई। तालिका 7.34 में 2006-07 से 2008-09 (नवंबर 2008 तक) तक के तीन वर्षों के दौरान स्टांप एवं निबंधन राजस्वों की प्राप्ति दर्शाई गई है।

तालिका 7.34 : स्टांप एवं निबंधन शुल्कों से राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रु.)

राजस्व स्रोत	2006-07	2007-08	2008-09 नवंबर 08 तक
स्टांप शुल्क			
1. मुद्रित नॉन-जूडिशियल (न्यायिकेतर) स्टांपों से	184.79	176.66	111.34
2. बैंक चालान द्वारा जमा नॉन-जूडिशियल स्टांप शुल्क	195.83	308.72	223.22
3. एडहेसिव (चिपकने वाले) नॉन-जूडिशियल स्टांप	11.23	10.67	14.04
4. एडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप - फ्रैंकिंग मशीन द्वारा	0.19	0.58	
5. रेवेन्यू स्टांप	0	2.05	
6. जूडिशियल स्टांप	18.79	22.24	13.00
उप-योग	**410.83**	**520.92**	**334.56**
निबंधन शुल्क एवं अन्य शुल्क			
1. दस्तावेजों के निबंधन पर शुल्क	112.04	150.01	101.86
2. भूस्वामियों का निबंधन शुल्क	9.5	12.94	8.77
3. भूस्वामियों का प्रक्रिया शुल्क (लैंडलॉर्ड्स प्रोसेस फी)	5.38	7.23	4.95
4. अभिलेखों ऋणभार-मुक्ति की खोज हेतु शुल्क	1.23	1.64	1.24
5. अभिप्रमाणित प्रतियों (सर्टिफाइड कॉपीज) हेतु शुल्क	1.58	2.07	1.47
उप-योग	**129.73**	**173.89**	**118.29**
योग	**540.56**	**694.81**	**479.89**

तालिका 7.35 में 2006-07 में स्टांप एवं निबंध शुल्कों से प्राप्त राजस्व का जिलावार ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। देखा जा सकता है कि इस स्रोत से प्राप्त समस्त राजस्व में अकेले पटना जिले का 15 प्रतिशत योगदान है जो बिहार के किसी भी अन्य जिले के तीनगुने से अधिक है।

तालिका 7.35 : स्टांप एवं निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व

(करोड़ रु.)

जिला का नाम	निबंधन शुल्क	स्टांप शुल्क	कुल प्राप्ति
पटना	17.85	62.02	79.86
मुजफ्फरपुर	6.57	17.87	24.44
वैशाली	5.53	15.12	20.64
समस्तीपुर	5.37	14.78	20.16
बेगूसराय	5.15	14.98	20.13
सीवान	5.18	13.66	18.84
पूर्वी चंपारण	5.14	13.54	18.68
दरभंगा	4.67	13.56	18.23
मधुबनी	4.57	12.24	16.81
सीतामढ़ी	4.14	12.29	16.43
रोहतास	4.12	12.06	16.17
गोपालगंज	3.96	11.61	15.57
भागलपुर	3.84	11.68	15.52
गया	3.83	11.2	15.03
सारण	4.18	10.85	15.03
भोजपुर	5.24	9.15	14.39
पूर्णिया	3.80	10.29	14.09
पश्चिम चंपारण	3.51	9.72	13.23
कटिहार	3.35	9.83	13.18
नालंदा	3.17	9.18	12.35
औरंगाबाद	2.77	8.34	11.11
बक्सर	3.14	7.42	10.56
मधेपुरा	2.13	6.02	8.15
सुपौल	1.99	5.88	7.87
सहरसा	1.82	5.79	7.61
अररिया	2.04	5.05	7.09
खगड़िया	1.84	5.09	6.93
बांका	1.94	4.9	6.84
कैमूर	1.79	4.68	6.46
किशनगंज	1.72	4.59	6.31
जमुई	1.54	4.72	6.26
नवादा	1.52	4.03	5.55
जहानाबाद	1.16	3.81	4.96
लखीसराय	1.21	3.57	4.78
मुंगेर	1.28	3.48	4.76
शेखपुरा	0.69	2.08	2.76
शिवहर	0.72	1.98	2.70
अरवल	0.63	1.58	2.22
योग	**133.11**	**378.59**	**511.70**

7.11 व्यय प्रबंधन

पहले भी उल्लेख किया गया है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय राज्य सरकार के कुल व्यय के दो घटक हैं। राज्य सरकारों के व्ययों को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है - सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं तथा आर्थिक सेवाएं। इनके अलावा, व्यय के अन्य क्षेत्र हैं पूंजीगत परिव्यय, पूंजी खाते के ऋणों एवं अग्रिमों की अदायगी तथा स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थाओं, राज्य सरकार के व्यावयायिक उद्यमों तथा सरकारी कंपनियों को अनुदान। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऋणों के मूलधनों का भुगतान पूंजी खाते से होता है, लेकिन ब्याज भुगतान राजस्व व्यय से सामान्य सेवाओं के अंतर्गत होता है। राज्य सरकार की संचित निधि से व्यय तालिका 7.36 में प्रस्तुत है और प्रतिशत में व्यय संरचना तालिका 7.37 में। इसके अलावा, तालिका 7.38 में विभिन्न शीर्षों के तहत वृद्धि भी दर्शाई गई है। इन तीनों तालिकाओं से राज्य के व्यय पैटर्न की गहरी समझ हासिल होती है।

तालिका 7.36 : संचित निधि से व्यय

(करोड़ रु.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
सामान्य सेवाएं	7175	7803	8523	8643	9252	10901
सामाजिक सेवाएं	4033	4795	6862	7917	9868	12689
आर्थिक सेवाएं	1498	2036	2367	4021	4438	5343
सहायता अनुदान	4	4	4	4	5	4
पूंजीगत ऋण, लोक ऋण	9771	5420	4812	6551	8008	9636
पूंजीगत परिव्यय	1549	1205	2083	5211	6104	7635
कुल संचित निधि	22482	20058	22568	27136	31571	38574

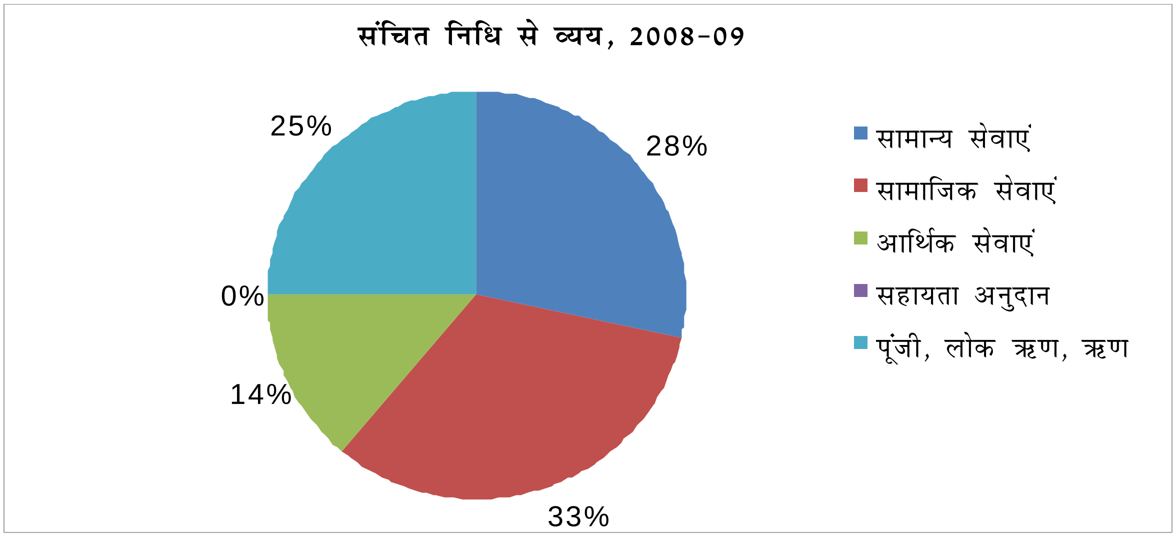

संचित निधि से ऋण (करोड़ रु.)

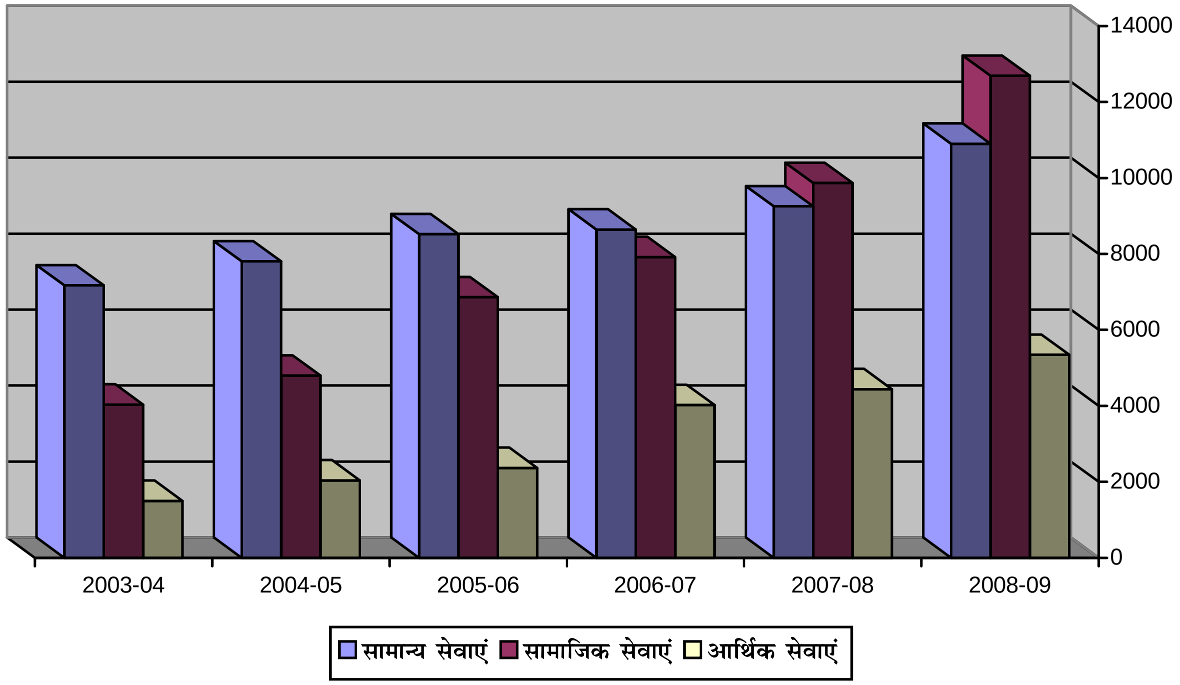

राज्य सरकार की व्यय संरचना तालिका 7.37 में दर्शाई गई है। इससे पता चलता है कि 2007-08 से राज्य सरकार की व्यय संरचना में बदलाव आया है। वर्ष 2007-08 के पूर्व राज्य के दैनिक प्रशासन पर अधिकांशतः खर्च होने वाले सार्वजनिक सेवा के व्यय का संचित निधि के व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा होता था। उसके बाद ही सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं का स्थान आता था। लेकिन 2007-08 से सामान्य सेवाओं की प्रधानता बरकरार नहीं रही। अब सामाजिक सेवाओं का हिस्सा सबसे अधिक है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास को दिए गए महत्व के लिहाज से राज्य सरकार की प्राथमिकता में बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। आय और रोजगार सृजन की क्षमता वाले पूंजीगत परिव्यय को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है और राज्य सरकार के कुल व्यय में इसका एक-चौथाई हिस्सा है।

तालिका 7.37 : संचित निधि से व्यय की संरचना

	व्यय का प्रतिशत					
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
सामान्य सेवाएं	31.92	38.9	37.76	31.85	29.31	28.26
सामाजिक सेवाएं	17.94	23.91	30.4	29.18	31.26	32.90
आर्थिक सेवाएं	6.66	10.15	10.49	14.82	14.06	13.85
सहायता अनुदान	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01
पूंजी, लोक ऋण, ऋण	43.46	27.02	21.32	24.14	25.37	24.98
कुल संचित निधि	100	100	100	100	100	100

तालिका 7.38 : संचित निधि से व्यय की वृद्धि

	व्यय की वृद्धि दरें (प्रतिशत)						
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	समग्र 2003-09
सामान्य सेवाएं	9.15	8.75	9.22	1.41	7.05	17.83	51.94
सामाजिक सेवाएं	3.01	18.88	43.11	15.37	24.64	28.59	214.64
आर्थिक सेवाएं	-15.04	35.88	16.28	69.88	10.37	20.40	256.68
सहायता अनुदान	106.59	13.56	-1.64	0.00	25.00	-20.00	0.00
पूंजी, लोक ऋण, ऋण	200.61	-44.53	-11.2	36.14	22.25	20.33	-1.38
कुल संचित निधि	44.99	-10.78	12.52	20.24	16.34	22.18	392.92

Error!

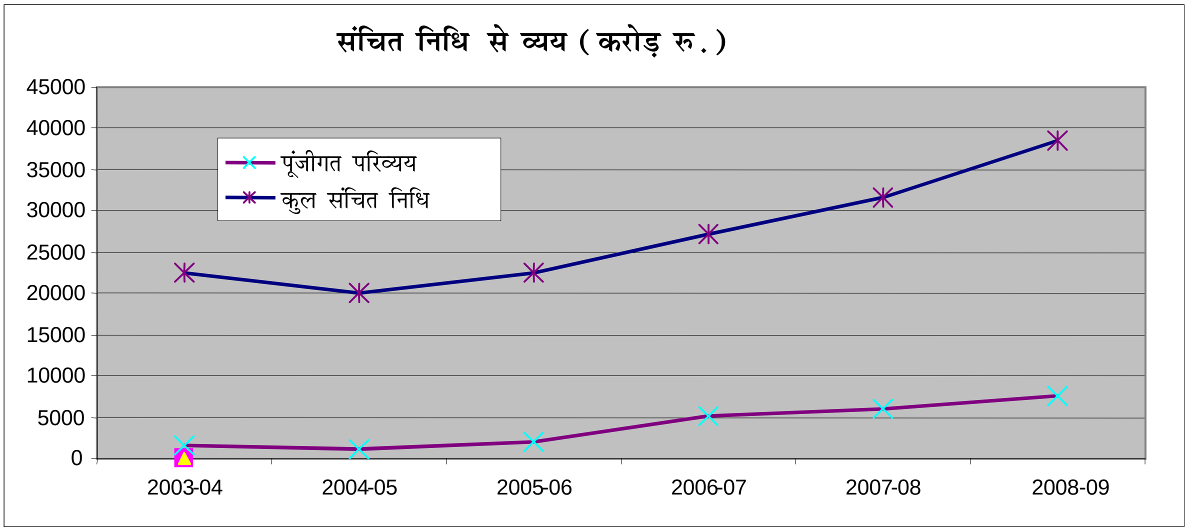

सामान्य सेवाओं के कुछ मद ऐसे हैं जिनमें हेरफेर की बहुत कम गुंजाइश रहती है। इनमें अधिकांशतः पेंशन, ब्याज भुगतान आदि प्रभारित व्यय (चार्ज्ड एक्सपेंडिचर) वाले मद हैं और उन शीर्षों पर व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2003-04 से प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय भी लगातार बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण पुलिस और जिला प्रशासन, न्यायपालिका और विधानमंडल, राज्य सरकार के कर वाले विभाग तथा सार्वजनिक कार्य का बढ़ा व्यय है। तथापि तालिका 7.38 में देखा जा सकता है कि गत 6 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय में सामान्य सेवाओं के मुकाबले अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से वृद्धि हुई है और राज्य की संचित निधि से हुए व्यय में लगभग चारगुनी वृद्धि मुख्यतः इसी खाते में गई है। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा समाज कल्याण एवं पोषण पर राजस्व व्यय में इन वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि

हुई है। वर्ष 2005-06 के पूर्व गतिरुद्ध पूंजीगत परिव्यय को अब प्राथमिकता दी गई है जिसका वह वास्तव में हकदार था। यह 2003-04 के 1,500 करोड़ रु. के स्तर से बढ़कर 2008-09 में 7,600 करोड़ रु. हो गया है। इसके अलावा, अधिसंरचना के अत्यावश्यक प्रक्षेत्र को, जो राज्य के विकास के लिए जितना महत्वपूर्ण है, अतीत में उतना ही उपेक्षित रहा है, अब उचित महत्व दिया जा रहा है। आगामी कुछ वर्षों में लोग पूंजीगत व्ययों के सकारात्मक परिणाम की आशा कर सकते हैं।

आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र, ग्रामीण विकास, बिजली, सड़क एवं पुल तथा उद्योग में गत वर्षों के दौरान काफी वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2006-07 में बिजली पर राजस्व व्यय 1 करोड़ रु. से भी कम के दयनीय स्तर से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रु. से भी अधिक कर दिया गया था जो अभी भी 700 करोड़ रु. से अधिक है। तथापि बाढ़ नियंत्रण पर व्यय लगभग पुराने स्तर पर मौजूद है जो 2003-04 के 48 करोड़ रु. से धीरे-धीरे बढ़ते हुए 2008-09 में 81 करोड़ रु. हुआ है। खास कर 2008 की विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए, इसे अधिक तरजीह देने की जरूरत है। राज्य सरकार का एक और कमजोर क्षेत्र भवनों, सड़कों एवं पुलों तथा सिंचाई सुविधाओं की मरम्मत एवं रखरखाव है। इन परिसंपत्तियों को ठीकठाक रखने के लिए मरम्मत एवं रखरखाव हेतु उपयुक्त राशि की जरूरत है। लेकिन इस क्षेत्र में व्यय लगभग नगण्य है जिसे तालिका 7.39 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.39 : भवनों, सड़कों एवं पुलों तथा सिंचाई सुविधाओं की मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय

(करोड़ रु.)

वर्ष	भवन	सड़क एवं पुल	सिंचाई
2003-04	50.35	0.00	0.00
2004-05	2.02	23.64	13.21
2005-06	10.12	0.00	0.00
2006-07	100.85	13.00	14.14
2007-08	7.64	0.00	8.23

7.12 राजस्व व्यय

तालिका 7.40 में 2003-04 से 2008-09 के दौरान राज्य सरकार के राजस्व व्ययों का ब्योरा दिया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 75 प्रतिशत हिस्से के साथ राजस्व व्यय कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है। राजस्व व्यय गतिविधियों का वर्तमान स्तर कायम रखने तथा भुगतानों के लिए किया जाता है इसलिए मौजूदा अधिसंरचना और सेवाओं में यह नया कुछ नहीं जोड़ता है। राजस्व व्यय के घटकों में भी बड़ा हिस्सा गैर-योजना घटक का है (54 प्रतिशत)। तथापि, योजना राजस्व व्यय की वृद्धि दर गैर-योजना राजस्व व्यय के मुकाबले काफी अधिक है। बिहार का कुल व्यय उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 34 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय

उसके 19 प्रतिशत के बराबर है। उत्फुल्लता अनुपातों से दिखता है कि राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले तो काफी तेजी से बढ़ रहा है लेकिन राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले नहीं।

तालिका 7.40 : राजस्व व्यय

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजस्व व्यय (आरई) (करोड़ रु.)	12711	14638	17756	20585	23563	28938
पूंजीगत व्यय (सीई) (करोड़ रु.)	9771	5420	4812	6551	8008	9636
कुल व्यय (टीई) (करोड़ रु.)	**22482**	**20058**	**22568**	**27136**	**31571**	**38574**
गैर-योजना व्यय (करोड़ रु.)	**17280**	**16581**	**17670**	**17740**	**18872**	**20827**
राजस्व लेखा (एनपीआरई) (करोड़ रु.)	11627	12642	15020	16520	18759	20718
पूंजी लेखा (करोड़ रु.)	5653	3939	2650	1220	113	109
योजना व्यय (करोड़ रु.)	**5202**	**3476**	**4899**	**9397**	**10794**	**15745**
राजस्व लेखा (पीआरई) (करोड़ रु.)	1084	1996	2736	4065	4804	8219
पूंजी लेखा (करोड़ रु.)	4118	1480	2163	5332	5990	7526
एनपीआरई की वृद्धि दर (%)	6.66	8.73	18.81	9.99	6.38	10.36
पीआरई की वृद्धि दर (%)	-19.94	84.13	37.07	48.57	14.87	45.87
आरई/ टीई (%)	56.54	72.98	78.68	75.86	74.63	75.02
एनपीआरई/ टीई (%)	51.72	63.03	66.55	60.88	59.78	53.99
टीई/ जीएसडीपी (%)	33.57	27.18	28.32	31.66	30.03	34.31
एनपीआरई/ जीएसडीपी (%)	17.36	17.13	18.85	19.28	17.95	18.53
राजस्व प्राप्तियां (आरआर)/ टीई (%)	55.4	78.34	79.04	85.06	89.35	108.44
एनपीआरई/ आरआर (%)	93.35	80.45	84.20	71.57	66.50	61.75
जीएसडीपी के मुकाबले आरई की उत्फुल्लता (%)	0.33	1.44	2.25	0.68	2.31	3.30
आरआर के मुकाबले आरई की उत्फुल्लता (%)	1.03	0.58	1.58	0.54	0.65	1.20

7.13 वेतन एवं पेंशन पर व्यय

सभी राज्यों के लिए वेतन और पेंशन, व्यय के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद होते हैं। योजना और गैर-योजना, दोनों शीर्षों के अंतर्गत वेतन और पेंशन पर व्ययों के रुझानों को तालिका 7.41 में प्रस्तुत किया गया है। अकेले राज्य

सरकार के कर्मचारियों का वेतन ही राज्य सरकार के राजस्व व्यय के एक-चौथाई से अधिक (28 प्रतिशत) हो जाता है। तथापि 2003-04 के 39 प्रतिशत से 6 वर्षों में यह अनुपात काफी घटा है। ऐसा वेतन खाते में किसी कमी के कारण नहीं, राजस्व व्यय में प्रचुर वृद्धि के कारण हुआ है। वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक के 6 वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले वेतन व्यय का अनुपात लगभग 7 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। इस अवधि में गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत वेतन व्यय 4,468 करोड़ रु. से बढ़कर 7,379 करोड़ रु. हो गया है और योजना शीर्ष के अंतर्गत 552 करोड़ रु. से 588 करोड़ रु.। इस अवधि में वेतन व्यय में वृद्धि मुख्यतः राज्य सरकार के कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि के कारण हुई है।

तालिका 7.41 : वेतन और पेंशन पर व्यय

शीर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
वेतन पर व्यय (करोड़ रु.) जिसमें	**5020**	**5005**	**5783**	**6016**	**6469**	**7967**
गैर-योजना शीर्ष (करोड़ रु.)	4468	4564	5153	5539	5915	7379
योजना शीर्ष (करोड़ रु.)	552	441	631	478	555	588
वेतन जीएसडीपी के प्रतिशत में	7	7	7	7	6	7
वेतन राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में	40	32	32	26	23	24
वेतन राजस्व व्यय के प्रतिशत में	39	34	33	29	27	28
पेंशन पर व्यय (करोड़ रु.)	**2269**	**2325**	**2456**	**2497**	**2789**	**3438**
वृद्धि दर (प्रतिशत)	11	2	6	2	12	23
पेंशन जीएसडीपी के प्रतिशत में	3	3	3	3	3	3
पेंशन राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में	18	15	14	11	10	10
पेंशन राजस्व व्यय के प्रतिशत में	18	16	14	12	12	12
वेतन और पेंशन पर कुल व्यय (करोड़ रु.)	**7289**	**7330**	**8239**	**8513**	**9258**	**11405**
कुल व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत में	10	10	10	10	9	10
कुल व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में	59	47	46	37	33	34
कुल व्यय राजस्व व्यय के प्रतिशत में	57	50	46	41	39	40

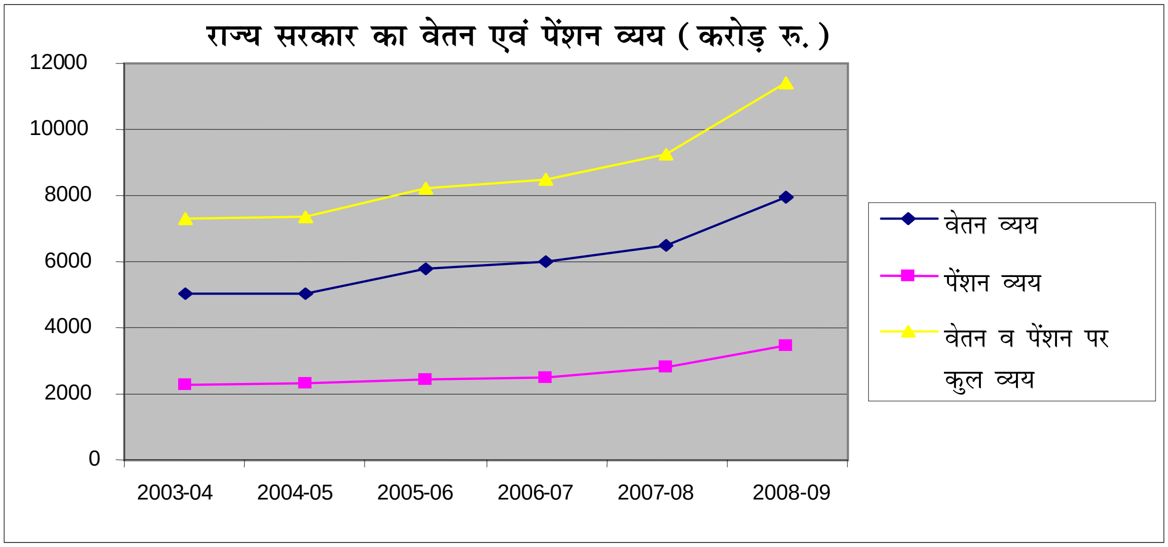

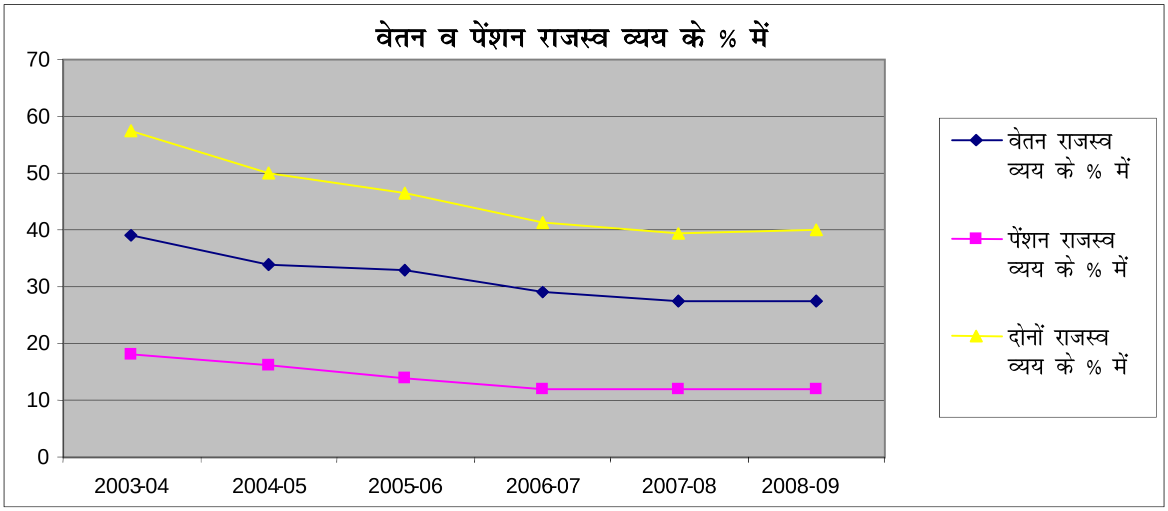

पेंशन के मामले में देखें तो यह 2003-04 के 2,269 करोड़ रु. से बढ़कर 2008-09 में 3,438 करोड़ रु. हो गया है। मार्च 2007 में सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंचे कर्मचारियों का कार्यकाल दो साल बढ़ाए जाने के कारण मार्च 2007 से वेतन और पेंशन, दोनों व्ययों में पहले के मुकाबले तेज दर से वृद्धि हुई है। पेंशन खाते में दीर्घकालिक दायित्व में कमी के लिहाज से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजना के पैटर्न पर नई अंशदायी पेंशन योजना (कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम) शुरू की है। इसे 1 सितंबर, 2005 और उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होना है। पेंशन और वेतन मिलकर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत और राज्य सरकार के राजस्व व्यय का 40 प्रतिशत हो जाते हैं।

7.14 व्यय की गुणवत्ता

व्यय की गुणवत्ता का निर्णय आय बढ़ाने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर किए गए व्यय के अनुपात से, सामान्य सेवाओं के गैर-विकास व्यय के बजाय सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर तथा गैर-योजना व्यय के बजाय योजना व्यय पर विकास व्यय के परिमाण से किया जाता है। इस लिहाज से व्यय की गुणवत्ता के पैरामीटर के बतौर निम्नलिखित अनुपातों पर विचार किया गया है : (1) कुल व्यय के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (2) जीएसडीपी के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (3) सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का अनुपात तथा (4) योजना व्यय एवं गैर-योजना व्यय का अनुपात। कुल व्यय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। तालिका 7.42 में 2003 से 2008 तक के पांच वर्षों के लिए इन अनुपातों को दर्शाया गया है। इन सभी अनुपातों को देखने से स्पष्ट होता है कि बिहार में व्यय की गुणवत्ता में इस दौरान काफी सुधार हुआ है। मसलन पूंजीगत परिव्यय महज 7 प्रतिशत से बढ़कर कुल व्यय का लगभग पांचवा भाग हो गया है, वहीं राजस्व व्यय व्यवहारत: कुल व्यय के 75 प्रतिशत के स्तर पर ही स्थिर रहा है। व्यय के शेष घटकों का उपयोग लोक ऋण की अदायगी तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों के लिए किया गया है। विकासमूलक राजस्व व्यय का वेतन घटक इस अवधि में 54 प्रतिशत से गिरकर मात्र 23 प्रतिशत रह गया है जबकि गैर-वेतन घटक 46 प्रतिशत से बढ़कर कुल विकासमूलक राजस्व व्यय के 77 प्रतिशत पर पहुंच गया है। कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा भी 23 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है। निरपेक्ष रूप से देखें, तो इस अवधि में पूंजीगत परिव्यय लगभग चारगुना हो गया है। पहले यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मात्र 2 प्रतिशत था जो अब 6 प्रतिशत हो गया है। ये तमाम अनुपात बताते हैं कि बिहार की वित्त व्यवस्था सही दिशा में बढ़ रही है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि निवेशों के वास्तविक विकासमूलक परिणाम में बदलने में समय लगता है, ये परिणाम अगले कुछ वर्षों में दृष्टिगोचर होंगे।

तालिका 7.42 : व्यय के गुणवत्ता संबंधी पैरामीटर

पैरामीटर	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	1549	1205	4912	5211	6104
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	12711	14638	17756	20585	23563
जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं, जिसका	7058	7968	11241	16994	20187
(1) वेतन घटक (करोड़ रु.)	3824	3699	4304	4110	4577
वेतन घटक का प्रतिशत	54	46	38	24	23
(2) गैर-वेतन घटक (करोड़ रु.)	3234	4269	6937	12884	15610
गैर-वेतन घटक का प्रतिशत	46	54	62	76	77
पूंजीगत परिव्यय/ कुल व्यय (%)	7	6	9	19	19
राजस्व व्यय/ कुल व्यय (%)	57	73	79	76	75
राजस्व व्यय/ जीएसडीपी (%)	19	20	22	24	22
पूंजीगत परिव्यय/ जीएडीपी (%)	2	2	3	6	6
योजना व्यय/ गैर-योजना व्यय (%)	30	21	28	53	57
योजना व्यय/ कुल व्यय	23	17	22	35	34

7.15 प्रक्षेत्रवार व्यय

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

आय विषयक गरीबी (इनकम पोवर्टी) को खाद्यान्नों पर खर्च की गई रकम के रूप में मापा जाता है लेकिन मानवीय गरीबी (ह्यूमन पोवर्टी) इससे आगे जाती है। गरीबी को जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांकों (पीक्यूएलआइ) के रूप में मापा जाता है जिसमें साक्षरता दर और जीवन संभाव्यता (लाइफ एक्सपेक्टेंसी) के सूचकों पर गौर किया जाता है। मानव विकास सूचकांक (एचडीआइ) बेहतरी को मापने का अधिक व्यापक रूप में उपयोग किया जाने वाला पैमाना है जिसमें किसी समाज की जीवन संभाव्यता और साक्षरता दर के साथ प्रति व्यक्ति आय जैसे मानकों पर भी गौर किया जाता है। अतएव सामाजिक सेवाओं पर व्यय मानव विकास सूचकांकों में सुधार के लिहाज से उपयोगी है। इस लिहाज से बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि की बेहतर उपलब्धता अब लोक कल्याण के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने और मानवीय गरीबी के उन्मूलन हेतु अधिक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं। तालिका 7.43 में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में 2003-04 से लेकर 2007-08 तक पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय की प्रभाविता (इफिकेसी) की जांच की गई है।

सामाजिक प्रक्षेत्र का आबंटन 2003-04 के 4,197 करोड़ रु. से बढ़कर 2007-08 में 10,866 करोड़ रु. हो जाना राज्य में सामाजिक सेवाओं के स्तर में सुधार के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष 2007-08 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय कुल व्यय का एक-तिहाई से अधिक और कुल विकास व्यय का 48 प्रतिशत था। कुल मिलाकर राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक सामाजिक सेवाओं में 65 प्रतिशत हो जाता है, हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में यह 47 प्रतिशत और शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति में 55 प्रतिशत था। यद्यपि समग्र पूंजीगत व्यय 2003 से 2008 तक के पांच वर्षों में 4 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गया, लेकिन शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति में यह मात्र 1 प्रतिशत था। जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 32 प्रतिशत था और गैर-वेतन घटक भी राजस्व व्यय के 84 प्रतिशत की ऊंचाई पर था। अभी राज्य सरकार के सामने शिक्षा में पूंजीगत ब्यय बढ़ाने का कार्यभार है।

तालिका 7.43 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति					
कुल व्यय (करोड़ रु.)	2876	3160	4423	5359	5553
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	2822	3142	4394	5253	5496
(क) वेतन घटक (%)	75	68	53	45	45
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	25	32	47	55	55
पूंजीगत व्यय (करोड़ रु.)	54	18	29	106	57
पूंजीगत व्यय (%)	2	1	1	2	1
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
कुल व्यय (करोड़ रु.)	539	629	1015	1153	1387
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	534	607	877	985	1141
(क) वेतन घटक (%)	89	76	71	60	53
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	11	24	29	40	47
पूंजीगत व्यय (करोड़ रु.)	5	22	138	168	245
पूंजीगत व्यय (%)	1	3	14	15	18
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास					
कुल व्यय (करोड़ रु.)	276	321	532	766	1052
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	200	251	407	514	713
(क) वेतन घटक (%)	36	29	20	18	16
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	64	71	80	82	84
पूंजीगत व्यय (करोड़ रु.)	76	70	124	253	339
पूंजीगत व्यय (%)	28	22	23	33	32
अन्य सामाजिक सेवाएं					
कुल व्यय (करोड़ रु.)	506	822	1221	1235	2674
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	477	794	1184	1166	2517
(क) वेतन घटक (%)	40	27	28	14	8
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	60	73	72	86	92
पूंजीगत व्यय (करोड़ रु.)	29	28	37	69	157
पूंजीगत व्यय (%)	6	3	3	6	6
सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय					
कुल व्यय (करोड़ रु.)	4197	4932	7190	8513	10666
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	4033	4795	6862	7917	9867
(क) वेतन घटक (%)	71	60	49	40	35
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	29	40	51	60	65
पूंजीगत व्यय (करोड़ रु.)	163	137	328	596	799
पूंजीगत व्यय (%)	4	3	5	7	7

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में व्यय की गुणवत्ता में सुधार हेतु बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में गैर-योजना वेतन घटक मात्र 5-6 प्रतिशत बढ़ना चाहिए जबकि गैर-योजना शीर्षों में गैर-वेतन व्यय साल में न्यूनतम 30 प्रतिशत। इन लक्ष्यों के बरअक्स उपलब्धियों को तालिका 7.44 में दर्शाया गया है और यही दिखता है कि राज्य सरकार ने लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं।

तालिका 7.44 : गैर-योजना राजस्व व्यय के मामले में 12वें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों के बरअक्स उपलब्धियां

(करोड़ रु.)

		2005-06	2006-07	2007-08
शिक्षा	12वां वित्त आयोग	3820.62	4183.58	4581.02
	वास्तविक	3777.07	4189.48	4741.76
स्वास्थ्य	12वां वित्त आयोग	790.12	880.98	982.29
	वास्तविक	758.34	849.87	1011.52
भवन	12वां वित्त आयोग	120.97	216.91	223.26
	वास्तविक	111.12	180.36	202.76
सड़क एवं पुल	12वां वित्त आयोग	258.90	349.18	362.78
	वास्तविक	281.86	410.85	403.14

<u>आर्थिक सेवाओं पर व्यय</u>

तालिका 7.45 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय का विश्लेषण दर्शाया गया है। आर्थिक सेवाओं पर व्यय का मकसद अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को सृजित एवं प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2007-08 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय राज्य सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय का 14 प्रतिशत और कुल विकास व्यय के एक-तिहाई से अधिक था। कृषि एवं सहयोगी गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, तथा ऊर्जा एवं परिवहन का आर्थिक सेवाओं पर व्यय में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था। आर्थिक सेवाओं पर व्यय में आधा से अधिक हिस्सा पूंजीगत लेखा का था, खास कर परिवहन (85 प्रतिशत) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (61 प्रतिशत) में। और यह भी कि कुल राजस्व व्यय में 78 प्रतिशत भाग गैर-वेतन घटकों का था।

तालिका 7.45 : आर्थिक सेवाओं पर व्यय

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
कृषि एवं सहयोगी सेवाएं					
कुल व्यय (करोड़ रु.)	254	407	504	596	759
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	249	397	410	585	737
(क) वेतन घटक (%)	70	44	47	39	31
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	30	56	53	61	69
पूंजीगत व्यय (%)	6	10	93	11	22
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
कुल व्यय (करोड़ रु.)	840	916	1074	1067	1450
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	319	473	483	435	562
(क) वेतन घटक (%)	78	51	55	68	63
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	22	49	45	32	37
पूंजीगत व्यय (करोड़ रु.)	521	443	591	632	888
पूंजीगत व्यय (%)	62.02	48.36	55.03	59.23	61.24
ऊर्जा एवं विद्युत					
कुल व्यय (करोड़ रु.)	302	28	303	1514	841
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	1	2	1	1081	726
(क) वेतन घटक (%)	0	0	0	0	0
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	100	100	100	100	100
पूंजीगत व्यय (करोड़ रु.)	300	27	302	434	115
पूंजीगत व्यय (%)	99.34	96.43	99.67	28.67	13.67
परिवहन					
कुल व्यय (करोड़ रु.)	266	369	560	2076	2707
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	205	225	285	414	407
(क) वेतन घटक (%)	42	37	38	25	29
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	58	63	62	75	71
पूंजीगत व्यय (करोड़ रु.)	62	144	275	1662	2300
पूंजीगत व्यय (%)	23.31	39.02	49.11	80.06	84.96
अन्य आर्थिक सेवाएं					
कुल व्यय (करोड़ रु.)	1199	1316	1609	3227	3763
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	1199	1316	1609	3227	2005
(क) वेतन घटक (%)	39	21	21	19	14
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	61	79	79	81	86
पूंजीगत व्यय (करोड़ रु.)	475	376	422	1722	1758
पूंजीगत व्यय (%)					
योग (आर्थिक सेवाएं)					
कुल व्यय (करोड़ रु.)	2862	3035	4051	8481	9520
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	1498	2036	2367	4021	4438
(क) वेतन घटक (%)	53	34	34	23	22
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	47	66	66	77	78
पूंजीगत व्यय (करोड़ रु.)	48	33	42	53	5082
पूंजीगत व्यय (%)	1.68	1.09	1.04	0.62	53.38

7.16 सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

तालिका 7.46 में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय दर्शाया गया है जिसकी गणना 2003-04 से 2008-09 तक बिहार की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर की गई है। प्रति व्यक्ति पूंजीगत परिव्यय 2005-06 से लगातार बढ़ता गया है और अभी 770 रु. है जबकि प्रति व्यक्ति व्यय सामाजिक सेवाओं पर 1,374 रु. और आर्थिक सेवाओं पर 1,193 रु. है। तथापि, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य तथा पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर प्रति व्यक्ति व्यय के निम्न स्तर चिंता के विषय हैं। प्रति व्यक्ति व्यय सामान्य शिक्षा (अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा) पर 2004-05 से बढ़ा है और 2008-09 के अंत में 726 रु. है। यह चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के मामले में महज 143 रु. और जलापूर्ति एवं स्वच्छता के मामले में तो मात्र 97 रु. ही है। ये क्षेत्र अभी राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले हैं। हालांकि ध्यान देने की बात है कि इन तमाम प्रक्षेत्रों के प्रति व्यक्ति व्यय के आंकड़ों में विभिन्न सेवाओं पर सरकारी व्यय के लिहाज से जिलों के बीच भारी विषमता है। इसका विश्लेषण बाद में किया जाएगा।

तालिका 7.46 : सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
जनसंख्या (करोड़)	8.68	8.88	9.29	9.5	9.72	9.92
कुल व्यय (करोड़ रु.)						
सामान्य शिक्षा	2778	3092	4337	5204	5493	7206
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	388	504	760	848	1242	1415
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	125	142	292	230	622	966
सामाजिक सेवाएं	4197	4932	7541	8513	10667	13626
आर्थिक सेवाएं	2862	3035	6369	8481	9520	11834
पूंजीगत परिव्यय	1549	1205	2084	5211	6104	7635
सामान्य सेवाएं	7198	7871	8753	8798	9474	11109
प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)						
सामान्य शिक्षा	320	348	467	548	565	726
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	45	57	82	89	128	143
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	14	16	31	24	64	97
सामाजिक सेवाएं	484	555	812	896	1097	1374
आर्थिक सेवाएं	330	342	686	893	979	1193
पूंजीगत परिव्यय	178	136	224	549	628	770
सामान्य सेवाएं	829	886	942	926	975	1120

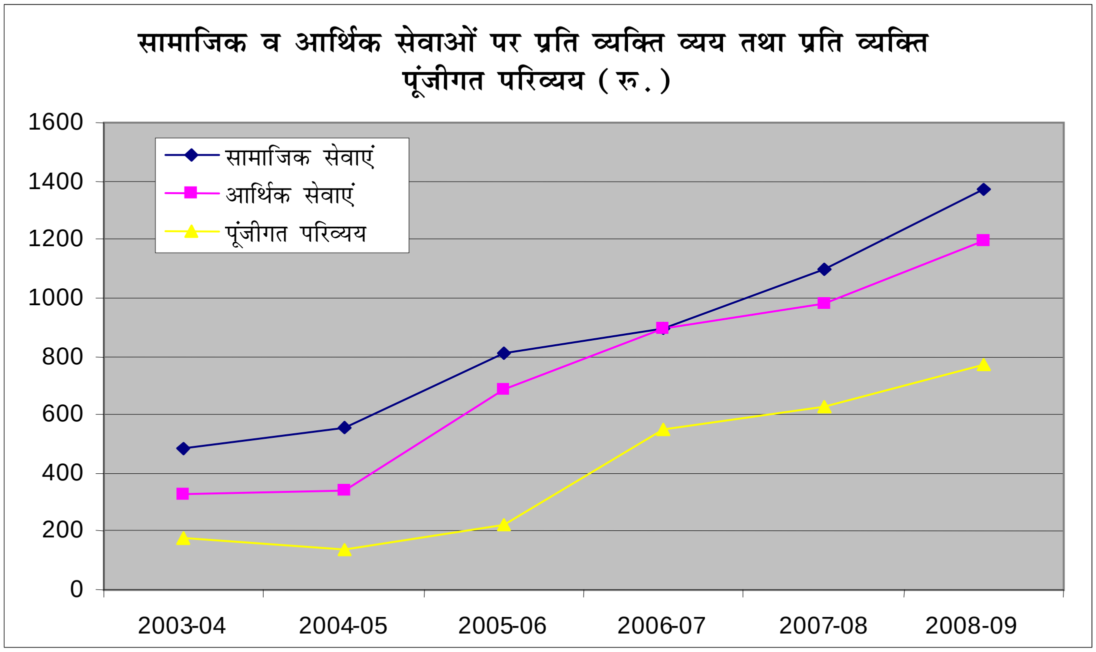

सामाजिक व आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय तथा प्रति व्यक्ति पूंजीगत परिव्यय (रु.)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
सामाजिक सेवाएं
आर्थिक सेवाएं
पूंजीगत परिव्यय
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

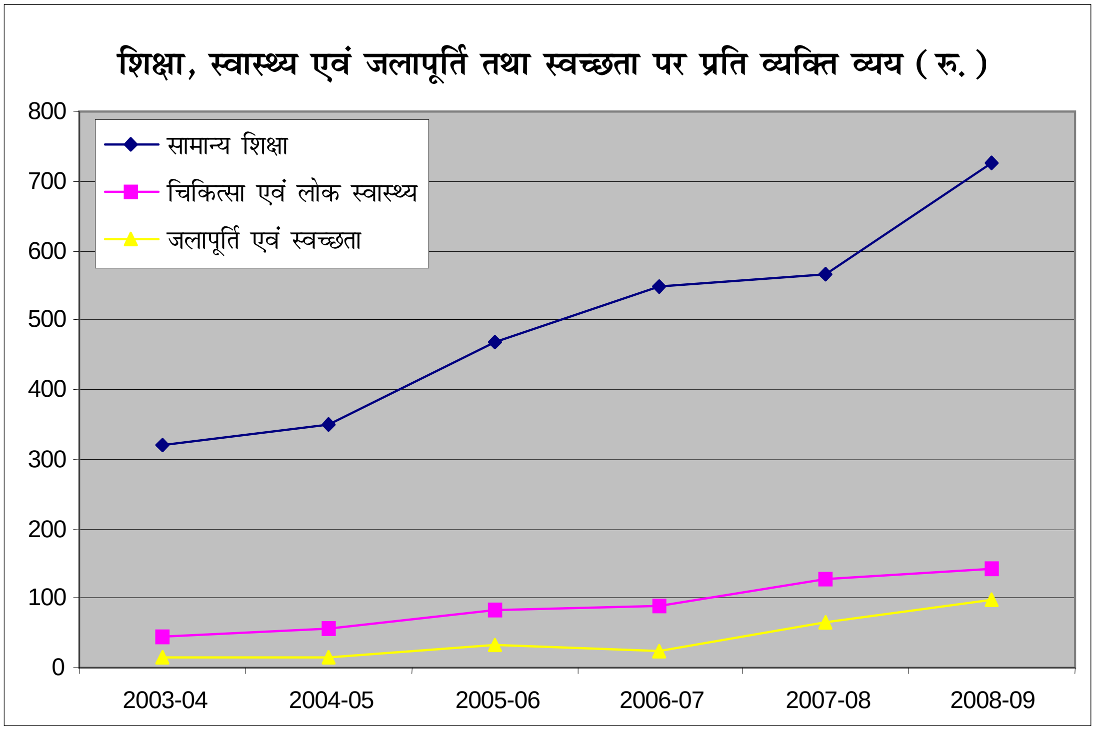

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
सामान्य शिक्षा
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य
जलापूर्ति एवं स्वच्छता
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

7.17 2008-09 का राज्य बजट

वर्ष 2005-06 से राज्य सरकार ने विकास तथा सुधार की जो प्रक्रिया शुरू की थी, 2008-09 के बजट में उसे और भी आवेग प्रदान किया गया है। इस खंड में 2008-09 के बजट का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 7.47 में प्रस्तुत 2008-09 के बजट सारांश में देखा जा सकता है कि संचित निधि में गत वर्ष के 1,723 करोड़ रु. वास्तविक घाटे की जगह मात्र 501 करोड़ रु. का घाटा है। तथापि, लोक लेखा में 2007-08 में 445 करोड़ रु. का वास्तविक अधिशेष था जिसका शुद्ध प्रभाव राज्य सरकार के नगद शेष में 1,372 करोड़ रु. की वृद्धि था। हालांकि वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में संचित निधि में 501 करोड़ रु. का घाटा लोक लेखा के 445 करोड़ रु. अधिशेष से पाटा गया है जिसकी परिणति राज्य सरकार के नगद शेष में 56 करोड़ रु. की गिरावट में हुई है। वर्ष 2008-09 के बजट में राजस्व अधिशेष में थोड़ी गिरावट प्रक्षिप्त है - 2007-08 के 4,613 करोड़ रु. से 2008-09 में 4,613 करोड रु.। पूंजी लेखा में घाटा घटकर 2007-08 के 6,370 करोड़ रु. से 2008-09 के बजट में 5,114 करोड़ रु. हो जाना प्रक्षिप्त है।

प्राप्तियों एवं व्यय के ढांचों को तालिका 7.48 में प्रस्तुत किया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि 2008-09 के दौरान संचित निधि की प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में 9 प्रतिशत गिरावट प्रक्षिप्त है। हालांकि इस कमी को लोक लेखा की प्राप्तियों में होने वाली 7 प्रतिशत तथा केंद्र सरकार के अनुदानों एवं अंशदानों में 3 प्रतिशत वृद्धि से पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इनके अलावा प्राप्तियों में कोई ढांचागत बदलाव नहीं हुआ है।

व्यय के मामले में राजस्व व्यय में वृद्धि का पूर्ववती रुझान जारी है। राजस्व व्यय में 2008-09 के दौरान 5,375 करोड़ रु. वृद्धि प्रक्षिप्त है। आर्थिक सेवाओं की अपेक्षा सामाजिक सेवाओं में अधिक व्यय का रुझान, जो पूर्ववर्ती वर्षों में राज्य की वित्त व्यवस्था की विशेषता रहा है, इस वर्ष भी कायम है और आर्थिक सेवाओं पर 900 करोड़ रु. के मुकाबले सामाजिक सेवाओं पर 2,800 करोड़ रु. वृद्धि प्रक्षिप्त है। जहां व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा सामान्य सेवाओं की कीमत पर थोड़ा बढ़ा है, वहीं आर्थिक सेवाओं का हिस्सा पूर्ववत है। ऐसा लोक ऋण देनदारियों की अदायगी में 1 प्रतिशत की मामूली कमी करके संभव बनाया गया है। पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि का रुझान इस साल भी जारी रखा गया है और कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 19 से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है। निरपेक्ष रूप से कहें, तो पूंजीगत परिव्यय पिछले साल के स्तर से 1,500 करोड़ रु. बढ़ा दिया गया है।

तालिका 7.47 : 2008-09 के बजट का सारांश

(करोड़ रु.)

राजस्व लेखा	2007-08	2008-09	पूंजी लेखा	2007-08	2008-09
प्राप्तियां			**प्राप्तियां**		
कर राजस्व	21,852	24353	लोक ऋण	1612	4500
गैर-कर राजस्व	525.57	422	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	26	22
अनुदान एवं अंशदान	5,832	8776			
कुल राजस्व प्राप्तियां	**28,210**	**33551**	**कुल पूंजीगत प्राप्तियां**	**1,638**	**4522**
व्यय			**व्यय**		
सामान्य सेवाएं	9,252	10901	पूंजीगत परिव्यय	6104	7635
सामाजिक सेवाएं	9,868	12689	लोक ऋण	1632	1676
आर्थिक सेवाएं	4,438	5343	ऋण एवं अग्रिम	273	325
अनुदान एवं अंशदान	5	4			
कुल राजस्व व्यय	**23,563**	**28938**	**कुल पूंजीगत व्यय**	**8,008**	**9636**
घाटा - राजस्व लेखा	**-4,647**	**-4,613**	**घाटा - पूंजी लेखा**	**6,370**	**5,114**
संचित निधि की प्राप्तियां	**29,848**	**38,073**	**संचित निधि का व्यय**	**31,571**	**38,574**
निवल संचित निधि	**1,723**	**501**			
आकस्मिकता निधि					
आय	0	0	व्यय	0	0
योग - आकस्मिकता निधि	**0**	**0**	**योग - आकस्मिकता निधि**	**0**	**0**
लोक लेखा			**लोक लेखा**		
प्राप्तियां			**संवितरण**		
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	1,084	1124	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	815	774
आरक्षित निधि	391.7	167	आरक्षित निधि	436	167
जमा एवं अग्रिम	4,485	2793	जमा एवं अग्रिम	2785	2698
लंबित (सस्पेंडेट) एवं विविध	73,256		लंबित (सस्पेंडेट) एवं विविध	75446	
प्रेषित धन (रेमिटेंसेज)	6,687		प्रेषित धन (रेमिटेंसेज)	6069	
कुल प्राप्तियां	**85,903**	**4084**	**कुल संवितरण**	**85552**	**3640**
निवल परिणाम - लोक लेखा	**-352**	**-445**			
निवल परिणाम (सभी लेखे)	**1,372**	**56**			

तालिका 7.48 : संचित निधि की प्राप्तियों एवं व्यय का ढांचा (प्रतिशत)

प्राप्यिां	**2007-08**	**2008-09**	**व्यय**	**2007-08**	**2008-09**
राजस्व लेखा					
कर राजस्व	73	64	सामान्य सेवाएं	29	28
गैर-कर राजस्व	2	1	सामाजिक सेवाएं	31	33
सहायता अनुदान एवं अंशदान	20	23	आर्थिक सेवाएं	14	14
पूंजी लेखा			लोक ऋण की अदायगी	5	4
लोक ऋण	5	12	ऋण एवं अग्रिम	1	1
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	0	0	**पूंजीगत परिव्यय**	19	20
योग	**100**	**100**	**योग**	**100**	**100**

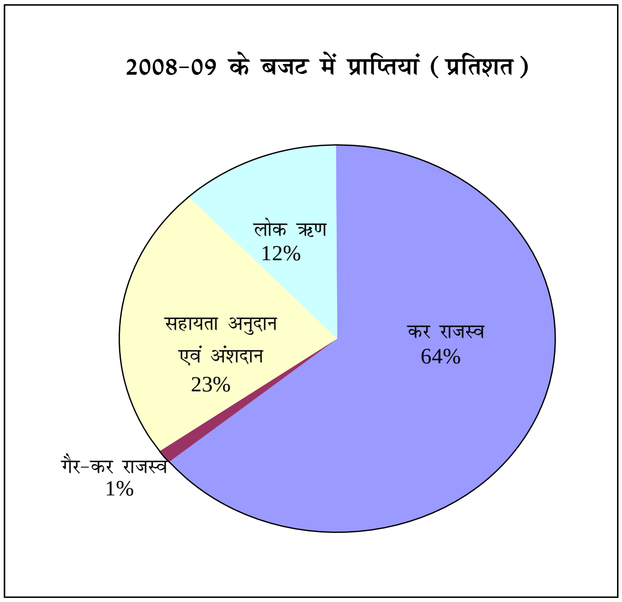

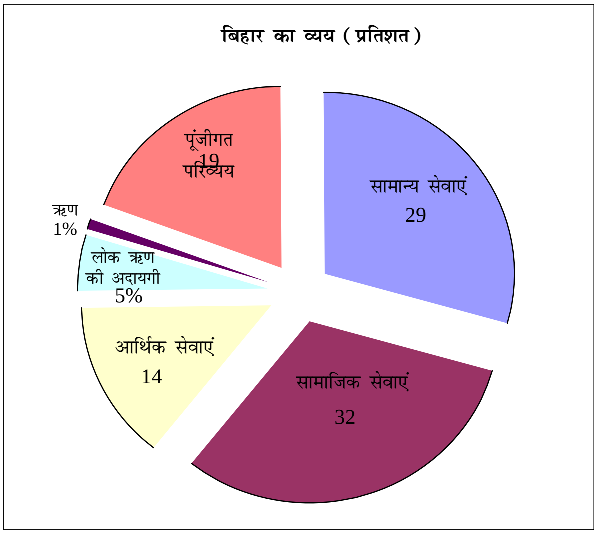

7.18 राज्य बजट को दरकिनार करते केंद्रीय कोष

हाल के वर्षों में सामाजिक प्रक्षेत्र के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार से बढ़ते परिमाण में कोष का अंतरण भी स्वायत्त राज्य समितियों तथा जिला ग्रामीण विकास प्राधिकारों (डीआरडीए) को हो रहा है जो, इन कार्यक्रमों के कार्यकारी अभिकरण हैं। तालिका 7.49 में हमने 2007-08 में केंद्र सरकार से स्वायत्त निकायों को अंतरित कोषों का अनुमान लगाया है। प्रासंगिक आंकड़े निम्नलिखित तीन प्रमुख समितियों से प्राप्त किए गए हैं जिन्हें केंद्र सरकार के कोष सीधे अंतरित किए गए हैं :

(क) बिहार शिक्षा परियोजना (बीईपी) - सर्व शिक्षा अभियान (एसएएसए) के लिए

(ख) राज्य स्वास्थ्य समिति - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के सभी घटकों के लिए

(ग) जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार (डीआरडीए) - राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी/ नरेगा), स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाइ), इंदिरा आवास योजना (आइएवाइ), सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीईपी), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमपीएलएडीएस/ एमपी-लैड्स), ग्रामीण क्षेत्र हेतु शहरी सुविधा प्रावधान (पीयूआरए/ पूरा), समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (आइडब्ल्यूडीपी) के लिए तथा डीआरडीए प्रशासन हेतु कोष।

तालिका 7.49 : राज्य बजट को दरकिनार करते केंद्रीय कोषों का विवरण (2006-06 एवं 2007-08)

(करोड़ रु.)

केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम का नाम	राज्य बजट को दरकिनार करता केंद्र सरकार का हिस्सा	
	2006-07 (वास्तविक विमुक्ति)	2007-08 (अनुमानित विमुक्ति)
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	1026.29	1326.1
एनपीईजीईएल	55.44	0
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)	16.84	51.38
योग (एसएसए+ एनपीईजीईएल+केजीबीवी)	**1098.57**	**1377.48**
कुल एनआरएचएम-ए	207.55	105.17
कुल एनआरएचएम-बी	27.94	71.17
कुल एनआरएचएम-सी	56.27	43.69
एनआरएचएम-डी	14.23	9.17
योग (एनआरएचएम)	**305.98**	**229.2**
नरेगा (एनआरईजीपी)	485.81	544.79
स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ)	124.46	105.21
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाइ)	127.8	-------
इंदिरा आवास योजना (नया)	585.69	1054.12
इंदिरा आवास योजना (उन्नयन)	146.42	
इंदिरा आवास योजना (ऋण सह सब्सिडी)	0	0
इंदिरा आवास योजना (बाढ़ प्रभावित)	0	0
इंदिरा आवास योजना (5 प्रतिशत)	0.56	0
इंदिरा आवास योजना (कालाजार प्रभावित)	12.04	1.63
हरियाली (डीपीएपी)	9.5141	0
समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (आइडब्ल्यूडीपी)	9.5141	1.18
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमपी-लैड्स)	36.6268	
ग्रामीण क्षेत्र हेतु शहरी सुविधा प्रावधान (पूरा)	3.03451	3.89
डीआरडीए (प्रशासन)	11.39974	10.41
योग (डीआरडीए)	**1552.87**	**1721.23**
राज्य बजट को दरकिनार करता केंद्र सरकार का कुल कोष	2957.42	3327.91
बिहार सरकार की प्राप्तियां	25448	29848
बिहार सरकार का व्यय	27136	31571
कुल योजना अनुदान (राज्य योजना + केंद्र प्रायोजित योजना + केंद्रीय योजना)	3563.70	4326.67
कुल केंद्रीय अनुदान (योजना + गैर-योजना)	5247.11	5831.67
राज्य सरकार (प्राप्तियां) को दरकिनार करते केंद्रीय कोषों का प्रतिशत	11.62	11.15
राज्य सरकार (व्यय) को दरकिनार करते केंद्रीय कोषों का प्रतिशत	10.90	10.54
राज्य सरकार को दरकिनार करते केंद्रीय कोषों का कुल केंद्रीय योजना अनुदान (राज्य योजना + केंद्र प्रायोजित योजना + केंद्रीय योजना) के मुकाबले %	82.99	76.92
राज्य सरकार को दरकिनार करते केंद्रीय कोषों का कुल केंद्रीय अनुदान के मुकाबले %	56.36	57.07

तालिका 7.49 में यह देखा जा सकता है कि 2007–08 में 3,327.91 करोड़ रु. स्वायत्त समितियों को सीधे सौंप दिए गए। यह राज्य सरकार की प्राप्तियों के 11.15 प्रतिशत और उसके व्यय के 10.54 प्रतिशत के बराबर है। इसके अलावा, 2007–08 में राज्य योजनागत योजनाओं, केंद्रीय योजनागत योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकार को योजना अनुदान 4,326.67 करोड़ रु. था। यह राशि केंद्र सरकार के कुल अनुदान 5,831. 67 करोड़ रु. की 57 प्रतिशत और कुल केंद्रीय योजना निधि की 77 प्रतिशत है जिसे राज्य बजट के जरिए नहीं प्रदान किया गया। इस प्रकार राज्य बजट को दरकिनार करने वाला केंद्र सरकार द्वारा अंतरण किसी भी तरह कोई छोटी राशि नहीं है। इसका केंद्र और राज्य के बीच विशेषत: वित्तीय संबंधों पर और सामान्यत: वित्तीय जवाबदेही बुरा असर पड़ता है जिसके निम्नलिखित कारण हैं :

(1) राशि के उपयोग की प्रक्रिया पर राज्य सरकार का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता क्योंकि अधिकांश राशि उसके लेखे से होकर नहीं गुजरती है। इस लिहाज से इन योजनाओं पर राज्य के निरंतर बढ़ते हिस्से के बावजूद, अनुश्रवण प्राधिकार के बतौर उसकी स्थिति को कोई वित्तीय समर्थन नहीं प्राप्त रहता है।

(2) इस तथ्य के बावजूद कि कोष राज्य बजट के बाहर अंतरित किए जा रहे हैं, योजनाओं की प्रकृति कोषों को विशेष घटकों के साथ जोड़ने की है। यह केंद्रीकृत ढांचा राज्य-विशेष के लक्ष्यों के अनुरूप व्यय को अनुकूलित करने की संभावनाओं को सीमित कर देता है। इसके अलावा, यह राज्य योजना के घटकों और केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्यों के बीच सहक्रिया (साइनर्जी) नहीं बना पाता।

विकेंद्रीकरण के समग्र ढांचे में राजकोषीय सुपुर्दगी केंद्र सरकार से राज्य सरकार को और राज्य सरकार से जिला एवं पंचायत स्तरों पर होनी चाहिए। राज्य सरकार को दरकिनार करना सुपुर्दगी की भावना के खिलाफ जाता है और वस्तुत: वित्तीय प्रबंधन के संपूर्ण भारत के स्तर पर केंद्रीकरण और इस प्रकार संसाधनों के अकुशल उपयोग का कारण बनता है। निस्संदेह, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कोषों का कम उपयोग बिहार के लिए बड़ी समस्या बन गया है, हालांकि तर्क यह दिया जाता है कि राज्य बजट को दरकिनार करके स्वायत्त समितियों को कोष अंतरित करने से अधिक और बेहतर उपयोग हो सकेगा।

7.19 जिलों में योजना और गैर-योजना व्यय

तालिका 7.50 में 2007–08 के दौरान जिलों में गैर-योजना (एनपी), राज्य योजना (एसपी), केंद्रीय योजनागत योजना (सीपीएस) और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत किए गए व्ययों को दर्शाया गया है। ये आंकड़े संपूर्ण राज्य के लिए रिपोर्ट किए गए वित्तीय लेखों से भिन्न हैं क्योंकि समाधान (रिकॉनसिलिएशन) प्रक्रिया का पूरा होना अभी बाकी है। वित्तीय लेखों में किए गए रिपोर्ट के मुताबिक 2007–08 में योजना व्यय 10,808 करोड़ रु. और गैर-योजना व्यय 20,664 करोड़ रु. है। यह कुल मिलाकर 29,72 करोड़ रु. के बजाय 31,571 करोड़ रु. होता है जैसा कि तालिका 7.50 में दर्शाया गया है। पहले भी चिन्हित किया गया है कि चूंकि योजना व्यय का अच्छा-खासा हिस्सा बजट को दरकिनार कर देता है, खास कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में, इसलिए वह संचित निधि से होने वाले प्रत्येक व्यय की तरह वित्तीय लेखे में शामिल नहीं हो पाता है। यही कारण है कि अंतर उभर रहा है। निर्माण (वर्क्स)/ वन के तहत दर्शाए गए व्यय अधिकांशत: योजना व्यय हैं और ये वित्तीय लेखे में प्रतिबिंबित भी होते हैं। तालिका 7.51 में 2007–08 के दौरान विभिन्न जिलों में किए गए योजना एवं गैर-योजना व्ययों को दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि कुल व्यय में पटना का लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा है। यहां

प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय 2007-08 में 3,055 रु. पहुंच गया जबकि प्रति व्यक्ति गैर-योजना व्यय 1,959 रु. था। प्रति व्यक्ति केंद्र प्रायोजित योजना राशि 95 रु. के मुकाबले प्रति व्यक्ति केंद्रीय योजनागत सहायता महज 1 रु. थी।

तालिका 7.50 : जिलावार व्यय (2007-08)

(करोड़ रु.)

	एनपी	सीपीएस	सीएसएस	एसपी	उप-योग	निर्माण/ वन	योग
अररिया	164.75	0.00	10.21	72.48	**247.44**	53.92	301.36
अरवल	49.93	0.00	1.36	25.13	**76.43**	0.06	76.49
औरंगाबाद	259.02	0.04	12.22	62.67	**333.95**	93.64	427.59
बांका	137.43	0.02	7.61	67.04	**212.10**	47.02	259.12
बेगूसराय	514.90	1.24	14.26	70.20	**600.59**	52.50	653.09
भागलपुर	131.00	0.03	8.71	45.04	**184.77**	62.92	247.69
भोजपुर	554.28	0.02	19.75	119.57	**693.63**	77.17	770.79
बक्सर	382.90	0.01	14.37	39.26	**436.54**	93.42	529.96
दरभंगा	213.37	0.04	9.76	47.68	**270.85**	27.06	297.91
पूर्वी चंपारण	575.57	0.03	19.14	227.99	**822.73**	142.88	965.61
गया	485.18	0.04	21.48	111.82	**618.52**	72.63	691.15
गोपालगंज	467.25	0.03	26.72	90.98	**584.98**	122.19	707.16
जमुई	245.50	0.02	12.98	85.06	**343.56**	47.93	391.50
जहानाबाद	117.55	0.63	10.12	49.26	**177.56**	37.29	214.85
कैमूर	162.40	0.03	6.12	38.69	**207.24**	73.79	281.03
कटिहार	282.51	0.02	17.84	73.01	**373.38**	71.61	444.99
खगड़िया	195.35	0.03	5.93	85.24	**286.55**	55.48	342.04
किशनगंज	104.65	0.01	9.13	48.30	**162.10**	39.41	201.52
लखीसराय	73.36	0.02	4.06	30.45	**107.89**	9.53	117.42
मधेपुरा	164.18	0.04	9.15	62.18	**235.55**	58.81	294.37
मधुबनी	408.55	0.02	20.60	107.07	**536.24**	251.48	787.72
मुंगेर	286.25	0.03	7.26	57.83	**351.37**	23.26	374.63
मुजफ्फरपुर	736.24	0.06	33.49	182.77	**952.55**	112.34	1064.89
नालंदा	432.20	0.27	16.30	71.50	**520.27**	105.52	625.79
नवादा	211.49	0.03	10.81	44.41	**266.74**	23.78	290.51
पटना	**8172.69**	**6.75**	**451.16**	**2759.29**	**11389.88**	**1453.03**	**12842.91**
पूर्णिया	284.76	0.09	10.82	96.39	**392.06**	85.65	477.71
रोहतास	432.70	0.03	14.62	49.87	**497.22**	72.84	570.07
सहरसा	222.01	0.01	11.22	67.34	**300.58**	27.15	327.73
समस्तीपुर	467.75	0.03	18.67	198.54	**684.99**	67.71	752.70
सारण	389.05	0.03	18.05	95.75	**502.88**	69.74	572.62
शेखपुरा	60.42	0.01	2.99	32.00	**95.42**	23.63	119.05
शिवहर	70.22	0.02	3.26	53.25	**126.76**	9.34	136.10
सीतामढ़ी	367.49	0.05	13.51	159.11	**540.15**	119.20	659.35
सीवान	317.67	0.00	16.13	49.39	**383.19**	49.33	432.52
सुपौल	186.99	0.04	6.88	81.32	**275.23**	87.56	362.79
वैशाली	364.02	0.02	13.19	71.20	**448.43**	43.34	491.77
पश्चिमी चंपारण	366.56	0.04	15.30	144.56	**526.45**	89.56	616.01
योग	**19058.15**	**9.80**	**925.19**	**5773.65**	**25766.79**	**3953.69**	**29720.48**

तालिका 7.51 : जिलावार प्रति व्यक्ति व्यय (2007-08)

(रुपए)

	जनसंख्या	एनपी	सीपीएस	सीएसएस	एसपी	योग	कार्य/ वन	कुल योग
अररिया	0.25	651.25	0.00	40.36	286.49	978.10	213.14	1191.23
अरवल	0.07	713.35	0.00	19.46	359.02	1091.83	0.87	1092.71
औरंगाबाद	0.24	1097.88	0.16	51.80	265.64	1415.49	396.90	1812.38
बांका	0.19	728.92	0.09	40.37	355.56	1124.94	249.39	1374.33
बेगूसराय	0.28	1870.05	4.49	51.78	254.97	2181.29	190.66	2371.94
भागलपुर	0.15	867.09	0.17	57.65	298.11	1223.03	416.45	1639.48
भोजपुर	0.28	1951.77	0.07	69.56	421.05	2442.44	271.72	2714.17
बक्सर	0.26	1456.51	0.05	54.64	149.35	1660.56	355.34	2015.90
दरभंगा	0.16	1298.19	0.25	59.40	290.10	1647.95	164.63	1812.58
पूर्वी चंपारण	0.39	1490.13	0.06	49.56	590.26	2130.00	369.90	2499.90
गया	0.36	1360.26	0.10	60.22	313.50	1734.08	203.61	1937.69
गोपालगंज	0.41	1147.83	0.06	65.63	223.50	1437.02	300.15	1737.18
जमुई	0.25	973.12	0.07	51.46	337.17	1361.82	189.99	1551.81
जहानाबाद	0.16	717.03	3.87	61.76	300.47	1083.14	227.45	1310.59
कैमूर	0.11	1511.02	0.28	56.95	360.03	1928.28	686.56	2614.84
कटिहार	0.28	1007.49	0.08	63.61	260.36	1331.55	255.37	1586.92
खगड़िया	0.15	1301.86	0.22	39.55	568.06	1909.68	369.74	2279.42
किशनगंज	0.15	688.83	0.09	60.10	317.94	1066.97	259.43	1326.40
लखीसराय	0.09	780.28	0.23	43.21	323.84	1147.56	101.32	1248.89
मधेपुरा	0.18	917.61	0.23	51.16	347.54	1316.54	328.71	1645.25
मधुबनी	0.42	975.02	0.06	49.15	255.53	1279.76	600.17	1879.93
मुंगेर	0.13	2146.69	0.20	54.46	433.66	2635.01	174.43	2809.43
मुजफ्फरपुर	0.44	1676.68	0.13	76.26	416.23	2169.30	255.84	2425.13
नालंदा	0.28	1555.69	0.99	58.66	257.37	1872.70	379.81	2252.51
नवादा	0.21	997.16	0.12	50.96	209.41	1257.65	112.10	1369.75
पटना	**0.55**	**14778.65**	**12.20**	**815.83**	**4989.61**	**20596.30**	**2627.51**	**23223.80**
पूर्णिया	0.30	955.12	0.31	36.29	323.30	1315.02	287.27	1602.29
रोहतास	0.29	1506.52	0.10	50.91	173.63	1731.15	253.61	1984.77
सहरसा	0.18	1256.03	0.06	63.49	380.98	1700.56	153.59	1854.15
समस्तीपुर	0.40	1175.67	0.06	46.93	499.02	1721.67	170.18	1891.86
सारण	0.38	1021.82	0.08	47.41	251.50	1320.79	183.17	1503.96
शेखपुरा	0.06	981.07	0.16	48.47	519.63	1549.33	383.72	1933.05
शिवहर	0.06	1161.29	0.41	53.95	880.63	2096.28	154.48	2250.76
सीतामढ़ी	0.31	1168.83	0.15	42.96	506.06	1718.00	379.13	2097.12
सीवान	0.32	998.59	0.00	50.71	155.26	1204.56	155.08	1359.64
सुपौल	0.20	920.91	0.18	33.89	400.48	1355.46	431.24	1786.70
वैशाली	0.32	1142.61	0.05	41.39	223.48	1407.53	136.05	1543.57
प. चंपारण	0.46	793.88	0.08	33.13	313.08	1140.17	193.97	1334.14
योग	**9.73**	**1959.26**	**1.01**	**95.11**	**593.56**	**2648.94**	**406.46**	**3055.40**

7.20 केंद्र प्रायोजित योजनाएं

सर्व शिक्षा अभियान

तालिका 7.52 में बिहार में 2001-02 से 2007-08 के बीच सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान अभियान के तहत 2007-08 में बिहार में कोष के उपयोग का स्तर पिछले साल की ही तरह काफी ऊंचा था। इसका एक कारण यह है कि कार्यान्वयनकारी प्राधिकार (बिहार शिक्षा परियोजना) कई वर्षों से कामकाजी संस्था के रूप में अस्तित्वमान है और इस कार्यक्रम को तैयारशुदा संस्थागत ढांचा उपलब्ध करा रहा है। घटकवार विवरण से पता चलता है कि सर्व शिक्षा अभियान के सामान्य घटक के लिए कोष का उपयोग 88 प्रतिशत था। हालांकि, लिंग-विशेष आधारित घटकों के लिए कोष का उपयोग 264 प्रतिशत था - अर्थात राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) के लिए विमुक्त कोष के दुगुने से भी अधिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए 71 प्रतिशत। तथापि, कुल योजना आबंटन में लिंग-विशेष आधारित घटक का प्रतिशत बहुत कम होता है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि विमुक्त कोषों के काफी बड़े हिस्से (88 प्रतिशत) का उपयोग कर लिया गया, लेकिन खुद कोष विमुक्त करने की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। वर्ष 2007-08 में अनुमोदित कोष का मात्र 58 प्रतिशत ही विमुक्त किया गया।

तालिका 7.52 : सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन

(करोड़ रु.)

वर्ष	अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	कोष विमुक्तियां			कुल व्यय	उपयोग (प्रतिशत)	
		भारत सरकार	बिहार सरकार	योग		विमुक्त कोष का	अनुमोदित कोष का
सर्व शिक्षा अभियान							
2001-2002	67.05	28.50	5.00	33.50	8.97	26.77	13.37
2002-2003	351.35	79.15	28.50	107.65	12.92	12.00	3.68
2003-2004	764.77	194.49	64.83	259.32	246.89	95.21	32.28
20C4-2005	835.83	302.00	80.00	382.00	376.50	98.56	45.05
2005-2006	842.74	302.00	121.33	423.33	444.30	104.96	52.72
2006-2007*	2340.15	1026.29	538.50	1564.79	1549.59	99.03	66.22
2007-2008*	3161.49	1326.10	816.00	2142.10	1886.17	88.05	59.66
राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)							
2004-2005	49.00	18.38	0.00	18.38	12.76	69.42	26.03
2005-2006	57.33	17.71	11.80	29.51	25.78	87.37	44.97
2006-2007*	73.93	55.44	9.23	64.68	33.93	52.47	45.90
2007-2008*	48.06	0.00	9.23	9.23	24.44	264.70	50.85
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय							
2005-2006	17.70	11.15	4.46	15.62	2.13	13.66	12.05
2006-2007*	138.38	16.84	5.61	22.45	15.49	69.02	11.20
2007-2008*	129.74	51.38	6.62	58.00	41.01	70.71	31.61

जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार (डीआरडीए)

राज्य में जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार गरीबी उन्मूलन हेतु अधिकांश प्रमुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जवाबदेह हैं। तालिका 7.53 में देखा जा सकता है कि 2007–08 में प्राधिकारों द्वारा 69.1 प्रतिशत कोषों का उपयोग किया गया था। कोष के उपयोग का स्तर इंदिरा आवास योजना के कुछ घटकों और नरेगा में ऊंचा था लेकिन स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना के शेष घटकों में निम्न। इस प्रकार कोष के उपयोग में कार्यक्रमों के बीच अंतर था जबकि सबका प्रबंधन एक ही प्राधिकार कर रहा था। योजना निर्माण और क्रियान्वयन, कार्यक्रम के दोनों मामलों में इसके प्रासंगिक कारण थे। फिर, इनमें से अधिकांश कार्यक्रम लाभार्थियों की लक्षित पहचान पर आधारित हैं। यह प्रक्रिया अड़चन भरी और कलह की आशंका वाली साबित हुई है। इसके कारण कार्यक्रमों की फलोत्पादकता और भी धीमी हुई है।

तालिका 7.53 : वित्तीय प्रदर्शन : डीआरडीए के अंतर्गत योजनाएं (2007–08)

(करोड़ रु.)

डीआरडीए के अंतर्गत योजनाएं	वित्तीय लक्ष्य	2007–08 से बची राशि	भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त	बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	योग (बिहार सरकार + भारत सरकार)	अन्य निधियां	कुल उपलब्ध कोष	कुल व्यय	उपयोग (%)
एनआरईजीपी (नरेगा)	-	795.35	544.79	74.18	618.97	58.57	1472.89	1053.35	71.52
एसजीएसवाइ	284.84	171.22	105.21	44.75	149.96	2.11	323.29	151.74	46.94
आइएवाइ (नई)	1417.93	540.92	1054.12	369.43	1423.55	0	1964.47	1417.9	72.18
आइएवाइ (उन्नयन)	-	73.04	0	0	0	0	73.04	35.98	49.26
आइएवाइ (ऋण सह सब्सिडी)	-	7.72	0	0	0	-	7.72	3.26	42.23
आइएवाइ (बाढ़ प्रभावित)	-	82.17	0	0	0	0	82.17	52.53	63.93
आइएवाइ (5%)	-	2.63	0	0	0	0	2.63	2.63	100.00
आइएवाइ (कालाजार प्रभावित)	-	16.05	1.63	0.54	2.17	0	18.22	18.22	100.00
हरियाली (डीपीएपी)	-	19.29	1.18	0.57	1.75	0.06	21.1	7.8	36.97
योग	**1702.77**	**1708.39**	**1706.93**	**489.47**	**2196.4**	**60.74**	**3965.53**	**2743.41**	**69.18**

7.21 राजकीय सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम

<u>सार्वजनिक प्रक्षेत्र में सरकारी निवेश</u>

मार्च 2008 तक बिहार में सार्वजनिक प्रक्षेत्र के तहत 51 सरकारी कंपनियां और 4 वैधानिक निगम थे। 51 सरकारी कंपनियों में से 17 क्रियाशील हैं और 34 अक्रियाशील। मार्च 2006 तक सार्वजनिक प्रक्षेत्र में कुल निवेश 8,631. 32 करोड़ रु. था जिसमें इक्विटी 622.70 करोड़ रु. (7.21 प्रतिशत) थी और दीर्घावधि ऋण 8,008.62 करोड़ रु. (92.79 प्रतिशत)। मार्च 2006 तक 17 कार्यशील कंपनियों में दीर्घावधि ऋणों सहित राज्य सरकार का कुल निवेश 7,638.65 रु. था। सार्वजनिक प्रक्षेत्र का प्रक्षेत्रवार विवरण तालिका 7.54 में प्रस्तुत है।

तालिका 7.54 : प्रक्षेत्रवार राज्य सरकार की कंपनियां और निगम

प्रक्षेत्र	निगमों की संख्या	कंपनियों की संख्या
कृषि		8
उद्योग		14
विद्युत	1	
इलक्ट्रॉनिक्स		4
परिवहन	1	
निर्माण		3
औषधि एवं रसायन		3
खनन		1
वन		1
वित्तीयन	1	1
चीनी		1
अभियंत्रण		1
वस्त्र		1
सार्वजनिक वितरण		1
हथकरघा एवं हस्तशिल्प		1
अन्य	1	11
योग	**4**	**51**

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के वित्तीय परिणामों का सारांश तालिका 7.55 में प्रदर्शित है। वर्ष 2007-08 के परिणाम उपलब्ध नहीं हैं। यह देखा जा सकता है कि प्रतिफल (रिटर्न) की दर नगण्य है और सभी कंपनियों की संचित हानियां उनके इक्विटी आधार से भी कईगुना बढ़ गई हैं। उनका संयुक्त टर्नओवर इन दो वर्षों के दौरान थोड़ा बढ़ा है। फिर भी न तो वे राज्य सरकार को काई लाभांश देती हैं, न राज्य सरकार से कोई अनुदान या उपदान (सब्सिडी) पाती हैं।

तालिका 7.55 : बिहार में सार्वजनिक प्रक्षेत्र के समेकित वित्तीय परिणाम (2005-06 और 2006-07)

(करोड़ रु.)

	2005-06	2006-07
हिस्सा पूंजी में सरकार द्वारा निवेश	514.82	514.70
सभी सार्वजनिक उपक्रमों का टर्नओवर	1253.42	1388.23
लाभ (हानि)	(233.51)	(145.14)
लगी पूंजी	1848.84	2641.48
लगी पूंजी पर प्रतिफल (रिटर्न)	74.03	28.38
लगी पूजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)	4.00	1.07
उपक्रमों के कुल ऋण, जिसमें से	7721.86	8008.61
सरकारी ऋण	6968.31	7228.51
संचित लाभ (हानि)	(1582.18)	(1682.99)
वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान	शून्य	शून्य

<u>अकार्यशील कंपनियां</u>

मार्च 2007 तक राज्य सरकार ने 34 अकार्यशील कंपनियों में कुल 720 करोड़ रु. का निवेश किया है जिसमें चुकता पूंजी (पेड अप कैपिटल) 159 करोड़ रु. है और बकाया ऋण 561 करोड़ रु.। इन कंपनियों के वित्तीय सूचकों का सार्थक विश्लेषण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये परिसमाप्ति (लिक्विडेशन) के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, इनमें से कुछ कंपनियों ने 20 या उससे भी अधिक वर्षों के दौरान कोई लेखा नहीं तैयार किया है। इनमें से 5 कंपनियों ने तो अपने आरंभ के बाद से लेखा कभी तैयार ही नहीं किया है।

<u>वैधानिक निगम</u>

राज्य सरकार की चार वैधानिक (स्टेट्यूटररी) कंपनियां बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी), बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी), बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी) तथा बिहार राज्य भंडारण निगम (बीएसडब्ल्यूसी) हैं। सभी चारो कंपनियां क्रियाशील हैं। संचालन के लिहाज से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तालिका 7.56 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 2004-05 से 2006-07 तक के तीन वर्षों का वित्तीय परिणाम प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जा सकता है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचित हानि

तेजी से बढ़ती गई है और 2006–07 के अंत तक 1,500 करोड़ रु. से भी अधिक हो गई है। निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा है और राज्य सरकार ने इन तीन वर्षों में उसे 2,300 करोड़ रु. सब्सिडी दी है। मार्च 2007 तक बोर्ड पर राज्य का कुल बकाया 6,200 करोड़ रु. से भी अधिक हो गया था। बोर्ड को 2004–05 में 54.30 करोड़ रु. घाटा हुआ था जो 2006–07 में बढ़कर 854.61 करोड़ रु. हो गया।

तालिका 7.56 : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय परिणाम

(करोड़ रु.)

	2004-05	2005-06	2006-07
टर्नओवर	1000.48	1132.43	1275.93
लाभ (हानि)	(54.30)	(429.42)	(854.61)
लगी पूंजी	1666.53	2225.53	3087.81
लगी पूंजी पर प्रतिफल	Negative	Negative	Negative
कुल ऋण, जिसमें से	5500.14	6433.06	6204.39
सरकार का ऋण	3943.49	4731.18	4976.79
संचित लाभ (हानि)	(240.67)	(670.10)	(1524.71)
वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान/ उपदान	803.60	844.00	720.00

बोर्ड के विद्युत उत्पादन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही समस्याएं निम्नलिखित हैं :

- बार–बार बंद होने/ विभिन्न उपकरणों एवं सहायक सामग्रियों में व्यवधान के कारण निम्न संयंत्र उपलब्धता;
- 40 प्रतिशत से भी अधिक संचरण एवं वितरण हानियां;
- संगीन अनुरक्षण कार्यों (कैपिटल मेंटेनेंस) के लिए उत्पादक इकाइयों की असामान्य रूप से लंबी बंदी;
- डिजाइन की कमजोरी, कोयले की निम्न गुणवत्ता आदि के कारण उत्पादक इकाइयों की निम्न गुणवत्ता;
- व्यवस्था और उपकेंद्रों/ लाइनों का बहुत समय से बकाया जीर्णोद्धार/ आधुनिकीकरण;
- इकाइयों के रखरखाव की बुरी स्थिति।

कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार बोर्ड के पुनर्गठन के सारे विकल्पों पर विचार कर रही है।

सार्वजनिक प्रक्षेत्र के परिणाम सारांश

तालिका 7.57 में सार्वजनिक निगमों और राज्य सरकार की कंपनियों के उस साल के सारभूत परिणाम दिए गए हैं जिसमें उनके अंतिम लेखे तैयार किए गए थे। यह देखा जा सकता है कि उनमें से किसी ने भी अद्यतन लेखे नहीं तैयार किए हैं और उनमें से अधिकांश वर्षों से चूक कर रहे हैं। वास्तव में राज्य का सार्वजनिक प्रक्षेत्र जवाबदेही के अभाव, कुप्रबंधन और विशाल हानियों की तस्वीर पेश करता है। चूंकि लेखे अद्यतन नहीं हैं इसलिए निवेश पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकती। अधिकांश कंपनियों के बोर्ड की नियमित बैठकें नहीं होतीं। इन 51 कंपनियों में से एक ने भी वर्तमान वर्ष का अपना लेखा नहीं तैयार किया है। पहले भी कहा गया है कि 5 कंपनियों ने तो अपने आरंभ के बाद से अब तक लेखा ही नहीं तैयार किया है और अन्य 33 ने पिछले 15 से भी अधिक वर्षों से लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष के समापन के 6 महीने के अंदर ही अपने लेखे को अंतिम रूप देना सभी कंपनियों के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य होता है। अंकेक्षित लेखा को वित्त वर्ष के समापन के 9 महीने के अंदर विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करना होता है। लेखा को समय पर अंतिम रूप देने से संबंधित इन वैधानिक प्रावधानों के मामले में चूक करने पर कंपनी अधिनियम के तहत सामान्यत: दंडित किए जाने के प्रावधान हैं।

वार्षिक लेखे किसी भी संगठन के जवाबदेही और नियंत्रण के प्राथमिक दस्तावेज हैं। सरकारी कंपनियों की जवाबदेही विधानमंडल के समक्ष लेखों की प्रस्तुति के जरिए सुनिश्चित की जाती है। इसके अभाव में, ये कंपनियां सार्वजनिक खजाने की कीमत पर साल दर साल घाटा संचित करती रहेंगी।

इनमें से अधिकांश कंपनियां बोर्ड की बैठक भी नियमित रूप से नहीं करती हैं। अंतिम रूप दिए गए लेखों के अभाव में इन कंपनियों के मामले में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न अन्य प्रदर्शन पैरामीटर अज्ञात ही रह जाते हैं। टर्नओवर की बुरी स्थिति और लगातार घाटा की स्थिति में राज्य सरकार या तो इन कंपनियों का प्रदर्शन सुधार सकती है या इनके विनिवेश पर विचार कर सकती है। राज्य सरकार 5 कार्यशील और 12 अकार्यशील कंपनियों के परिसमापन का निर्णय कर भी चुकी है। सार्वजनिक-निजी सहयोग के तहत चीनी मिलों की पुन:स्थापना (रेस्टोरेशन) पर राज्य सरकार सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है।

तालिका 7.57 : नवीनतम लेखों के अनुसार बिहार में सार्वजनिक प्रक्षेत्र के सारकृत परिणाम (करोड़ रु.)

सार्वजनिक प्रक्षेत्र की इकाइयां	निवेश (मार्च 2007 तक)	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा का वर्ष
वैधानिक निगम			
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	5969.48	(-) 1524.71	2004-05
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	182.30	(-)624.43	2001-02
विहार राज्य वित्त निगम	377.03	(-)437.53	2005-06
बिहार राज्य भंडारण निगम	7.85	3.83	2003-04
सरकारी कंपनियां			
बिहार राज्य बीज निगम लि.	30.94	(-)38.73	1995-96
बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि.	4.40	(-)1.92	1992-93
बिहार राज्य इलक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि.	10.01	(-) 10.38	1998-99
बिहार राज्य वन विकास निगम लि.	2.29	0.32	2000-01
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	9.97	7.04	2000-01
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि.	0.53	(-)1.53	1989-90
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	3.50	(-)10.18	1995-96
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	34.93	(-)1.90	2001-02
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	32.15	0.53	1997-98
बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	125.85	(-)25.45	1987-88
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	5.00	1.85	1995-96
बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लि.	287.41	(-)5.48	1995-96
तेनूघाट विद्युत निगम लि.	750.34	--	1993-94
बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम लि.	73.59	(-)126.49	2001-02
बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक पकाशन निगम लि.	6.33	1.62	1996-97
बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	1.15	(-)0.12	1991-92
बिहार राज्य पेय निगम लि.	5	---	---
बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	59.68	(-)11.20	1978-79
बिहार राज्य दुग्ध-उत्पादन निगम लि.	8.48	(-)9.00	1991-92
बिहार पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लि.	18.55	(-)0.86	1982-83
बिहार राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लि.	20.17	(-)14.16	1986-87
बिहार फल-सब्जी विकास निगम लि.	3.22	(-)5.13	1991-92
बिहार इनसेक्टिसाइड्स लि.	2.11	(-)1.03	1986-87

तालिका 7.57 : (जारी....)

बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	19.41	(-)16.56	1990-91
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	83.24	(-)22.91	1986-87
बिहार स्कूटर्स लि.	7.72	…	…
बिहार पेपर मिल्स लि.	18.49	(-)0.31	1985-86
बिहार राज्य शोधित चर्म निगम लि.	10.65	(-)2.13	1983-84
बिहार राज्य ग्लेज्ड टाइल्स एवं सिरामिक उद्योग लि.	4.81	(-)0.51	1985-86
विश्वमित्र पेपर इंडस्ट्रीज लि.	1.96	(-)0.01	1984-85
झंझारपुर पेपर इंडस्ट्रीज लि.	1.54	(-)0.02	1985-86
बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट्स लि.	3.71	(-)0.67	1988-89
बिहार सॉल्वेंट एंड केमिकल लि.	1.97	(-)0.32	1986-87
सिंथेटिक रेजिन्स (ईस्टर्न) लि.	1.36	(-) 0.73	1983-84
मगध मिनरल्स लि.	0.47	…	…
भवानी एक्टिव कार्बन लि.	0.09	(-)0.01	1985-86
बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि.	24.13	(-)2.92	1982-83
बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	80.05	(-)2.79	1986-87
कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एंड इंजिनीयरिंग लि.	8.8	(-)8.16	1994-95
बेल्ट्रॉन वीडियो सिस्टम लि.	9.56	(-)0.22	1987-88
बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लि.	2.48	(-)0.49	1989-90
बेल्ट्रॉन इनफॉर्मेटिक्स लि.	0.28	….	…..
बिहार राज्य वस्त्र निगम लि.	7.62	(-)0.32	1987-88
बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि.	11.16	(-)0.44	1983-84
बिहार राज्य चीनी निगम लि.	342.95	(-)72.31	1984-85
बिहार राज्य सीमेंट निगम लि.	0.03	….	
बिहार राज्य औषधि-द्रव्य एवं रसायन विकास निगम लि.	19.28	(-)0.74	1985-86
बिहार मेज प्रोडक्ट्स लि.	0.02	(-)0.06	1983-84
बिहार ड्रग्स एंड केमिकल्स लि.	5.28	(-)0.16	1985-86
बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि.	1.07	(-)0.03	1984-85
बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	3.22	(-) 0.95	1991-92
योग	**8703.61**	**-2968.81**	

7.22 जिलों के बीच सामाजिक प्रक्षेत्र पर सरकारी व्यय में विषमता

पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में स्वास्थ्य और शिक्षा प्रक्षेत्र में राज्य सरकार के व्ययों के मामले में राज्य के विभिन्न जिलों के बीच मौजूद भारी असमानता की ओर इशारा किया गया था। इस वर्ष विश्लेषण का विस्तार और भी क्षेत्रों तक किया गया है। जिलों में सामाजिक प्रक्षेत्र शीर्षों के तहत राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों का कोषागार-वार विश्लेषण किया गया।

तालिका 5.58 में देखा जा सकता है कि 2007-08 में शिक्षा पर हुए राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय का 67 प्रतिशत भाग प्राथमिक शिक्षा पर, 17 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा पर और 14 प्रतिशत विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा पर किया गया था। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में पिछले साल के 46 प्रतिशत के मुकाबले कुल व्यय का 50 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया गया। उसके बाद 30 प्रतिशत खर्च शहरी क्षेत्रों में और 10 प्रतिशत चिकित्सीय प्रशिक्षण पर किया गया। शेष 6 प्रतिशत खर्च ही लोक स्वास्थ्य पर किया गया। यह भी स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के मामले में राज्य सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों के पक्ष में दर्शाता है जहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

तालिका 7.58 : शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का राजस्व व्यय

	2005-06	2006-07	2007-08
सामान्य शिक्षा	**100**	**100**	**100**
प्राथमिक	64	63	67
माध्यमिक	16	20	17
उच्च शिक्षा एवं अन्य	18	16	14
अन्य (वयस्क शिक्षा आदि)	1	1	2
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	**100**	**100**	**100**
शहरी	37	38	40
ग्रामीण	49	46	50
लोक स्वास्थ्य	4	6	2
चिकित्सा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	10	10	8

तालिका 7.59 और संबंधित चार्ट बिहार के सभी जिलों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पेयजल आपूर्ति के उप-मुख्य शीर्षों के तहत 2007-08 में हुए जिलावार प्रति व्यक्ति व्यय व्यय दर्शाते हैं। ये सभी स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में व्यय के मुख्य घटक हैं। पटना और बिहार के शेष जिलों के बीच प्रति व्यक्ति व्यय के मामले में इन तमाम क्षेत्रों में काफी अधिक असमानता मौजूद है और इसे पिछले साल के मुकाबले कम नहीं किया जा सका है। तालिका 7.59 में आंकड़ों को अवरोही क्रम (डिसेंडिंग ऑर्डर्स) में सजाया गया है और अधिकतम एवं न्यूनतम व्ययों की सभी उप-मुख्य शीर्षों के लिए निकाले गए औसत व्यय के साथ आसानी से तुलना की जा सकती है।

तालिका 7.60 में कुछ अन्य शीर्षों के मामले में जिलावार व्यय दर्शाया गया है और तालिका 7.61 में उनकी प्रति व्यक्ति रकम को जिसकी गणना 2007-08 के वर्ष-मध्य हेतु अनुमानित जनसंख्या (एस्टिमेटेड मिड-ईयर पॉपुलेशन) के आधार पर की गई है। ये तालिकाएं और संबंधित चार्ट दर्शाते हैं कि इन शीर्षों के मामले में भी स्थिति उतनी ही स्पष्ट और कष्टकर है।

तालिका 7.59 : सामाजिक प्रक्षेत्र पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.) - 2007-08

प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	उच्च शिक्षा	चिकित्सा	पेयजल आपूर्ति	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	उच्च शिक्षा	चिकित्सा	पेयजल आपूर्ति
जिला	प्रति व्यक्ति व्यय	जिला	प्रति व्यक्ति व्यय	जिला	प्रति व्यक्ति व्यय	जिला	प्रति व्यक्ति व्यय	जिला	प्रति व्यक्ति व्यय
पटना	3867.18	पटना	625.94	पटना	1532.61	पटना	927.23	पटना	170.86
मुंगेर	288.88	मुंगेर	111.34	मुंगेर	6.31	दरभंगा	145.08	भागलपुर	124.28
नालंदा	265.81	बक्सर	106.47	भागलपुर	3.54	भागलपुर	127.15	मुंगेर	93.28
जहानाबाद	229.82	जहानाबाद	98.69	मुजफ्फरपुर	3.08	जहानाबाद	99.44	दरभंगा	55.91
मधेपुरा	221.89	भोजपुर	95.94	सहरसा	2.91	गया	92.48	मुजफ्फरपुर	54.28
वैशाली	221.10	भागलपुर	87.93	औरंगाबाद	2.76	मुंगेर	86.09	शेखपुरा	37.90
औरंगाबाद	217.63	नालंदा	87.73	सारण	2.41	मुजफ्फरपुर	85.39	रोहतास	34.16
खगड़िया	213.14	अरवल	85.01	समस्तीपुर	2.13	शेखपुरा	62.80	पूर्णिया	33.52
भोजपुर	212.17	सारण	80.16	भोजपुर	2.01	नालंदा	61.47	गया	33.30
भागलपुर	211.88	रोहतास	79.79	नालंदा	1.85	गोपालगंज	60.73	सारण	31.76
रोहतास	211.00	लखीसराय	77.62	रोहतास	1.60	औरंगाबाद	59.78	भोजपुर	25.74
सहरसा	210.43	शेखपुरा	76.04	जहानाबाद	1.53	भोजपुर	56.77	जहानाबाद	25.64
मुजफ्फरपुर	209.31	सीवान	73.70	किशनगंज	1.28	बेगूसराय	56.10	नालंदा	23.48
बेगूसराय	204.79	गोपालगंज	69.10	मधेपुरा	1.20	लखीसराय	55.46	सहरसा	17.87
सारण	200.63	मुजफ्फरपुर	68.25	पूर्णिया	1.19	नवादा	55.31	औरंगाबाद	13.51
लखीसराय	199.79	औरंगाबाद	67.80	वैशाली	0.93	समस्तीपुर	51.95	बांका	13.51
प. चंपारण	194.54	बेगूसराय	61.47	सुपौल	0.93	सहरसा	51.39	बक्सर	13.49
बक्सर	194.52	समस्तीपुर	60.58	कटिहार	0.88	खगड़िया	51.06	कैमूर(भभुआ)	12.92
बांका	194.22	वैशाली	58.55	गोपालगंज	0.85	बांका	50.59	नवादा	12.31
समस्तीपुर	191.34	गया	57.67	खगड़िया	0.65	रोहतास	48.82	जमुई	10.89
मधुबनी	188.37	नवादा	57.04	नवादा	0.65	पूर्णिया	48.67	सीतामढ़ी	10.83
दरभंगा	182.57	मधुबनी	56.39	बक्सर	0.52	वैशाली	48.45	वैशाली	9.41
पूर्णिया	181.37	दरभंगा	51.78	जमुई	0.52	प. चंपारण	47.78	पू. चंपारण	8.86
कटिहार	180.24	सहरसा	51.14	प. चंपारण	0.49	मधुबनी	45.08	खगड़िया	8.58
नवादा	179.36	बांका	46.93	मधुबनी	0.47	जमुई	44.57	समस्तीपुर	8.50
सीवान	178.72	खगड़िया	46.45	पू. चंपारण	0.45	कटिहार	44.33	गोपालगंज	8.23
शिवहर	173.09	मधेपुरा	46.36	सीवन	0.41	पू. चंपारण	43.03	बेगूसराय	7.95
शेखपुरा	170.98	सीतामढ़ी	40.37	सीतामढ़ी	0.34	सीतामढ़ी	43.02	कटिहार	7.85
गोपालगंज	170.35	कटिहार	40.04	बांका	0.26	सारण	42.93	प. चंपारण	7.45
पू. चंपारण	169.33	प. चंपारण	39.24	दरभंगा	0.23	बक्सर	42.61	मधेपुरा	7.27
सुपौल	165.00	सुपौल	38.44	बेगूसराय	0.18	सीवान	42.57	मधुबनी	7.16
सीतामढ़ी	164.66	जमुई	38.15	अरवल	0.00	अरवल	42.32	अररिया	6.18
अरवल	164.15	कैमूर(भभुआ)	36.77	शिवहर	0.00	किशनगंज	34.95	सीवान	5.76
अररिया	160.65	शिवहर	36.75	अररिया	0.00	मधेपुरा	34.20	लखीसराय	4.98
गया	153.36	पू. चंपारण	36.28	लखीसराय	0.00	शिवहर	30.57	किशनगंज	2.82
किशनगंज	151.49	पूर्णिया	33.59	शेखपुरा	0.00	अररिया	29.26	शिवहर	1.66
जमुई	145.76	किशनगंज	31.84	कैमूर(भभुआ)	0.00	कैमूर(भभुआ)	20.18	सुपौल	1.35
कैमूर(भभुआ)	66.68	अररिया	30.34	गया	0.00	सुपौल	14.16	अरवल	0.00
राज्य का औसत	**399.72**	**राज्य का औसत**	**91.79**	**राज्य का औसत**	**88.25**	**राज्य का औसत**	**107.54**	**राज्य का औसत**	**31.06**

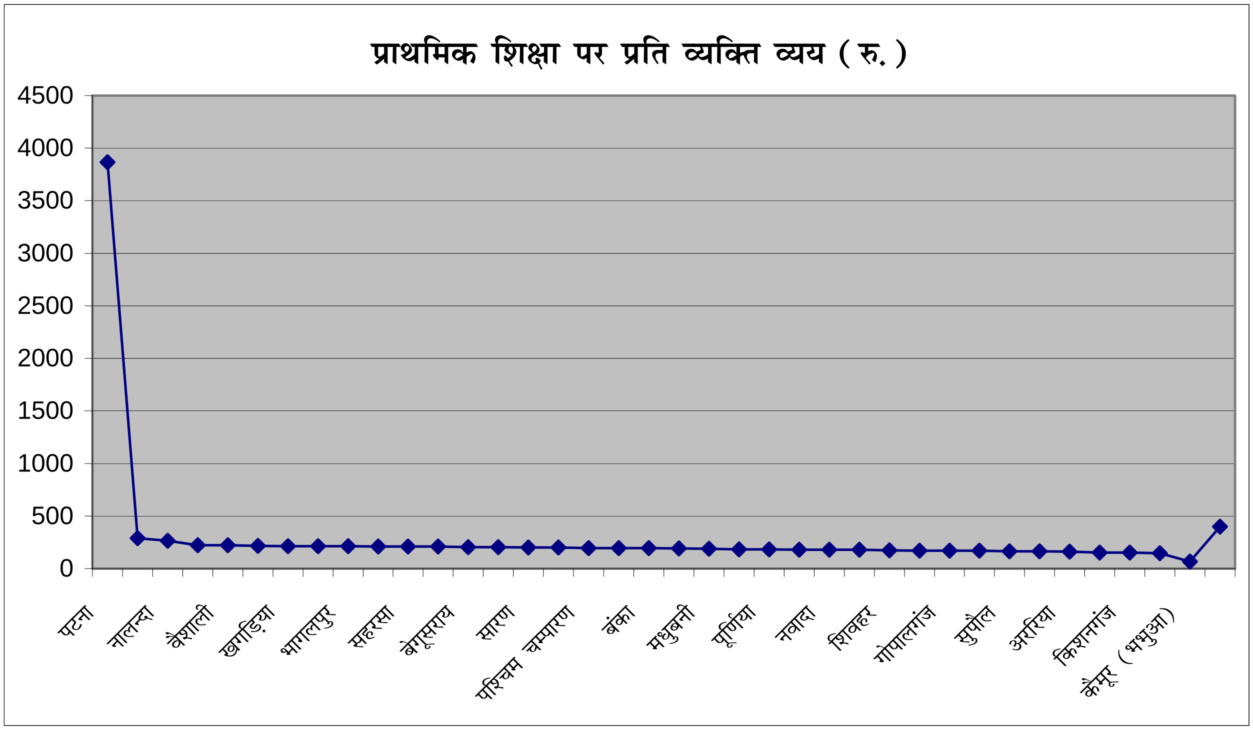
प्राथमिक शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
पटना
नालन्दा
वैशाली
खगड़िया
भागलपुर
सहरसा
बेगूसराय
सारण
पश्चिम चम्पारण
बंका
मधुबनी
पूर्णिया
नवादा
शिवहर
गोपालगंज
सुपौल
अररिया
किशनगंज
कैमूर (भभुआ)

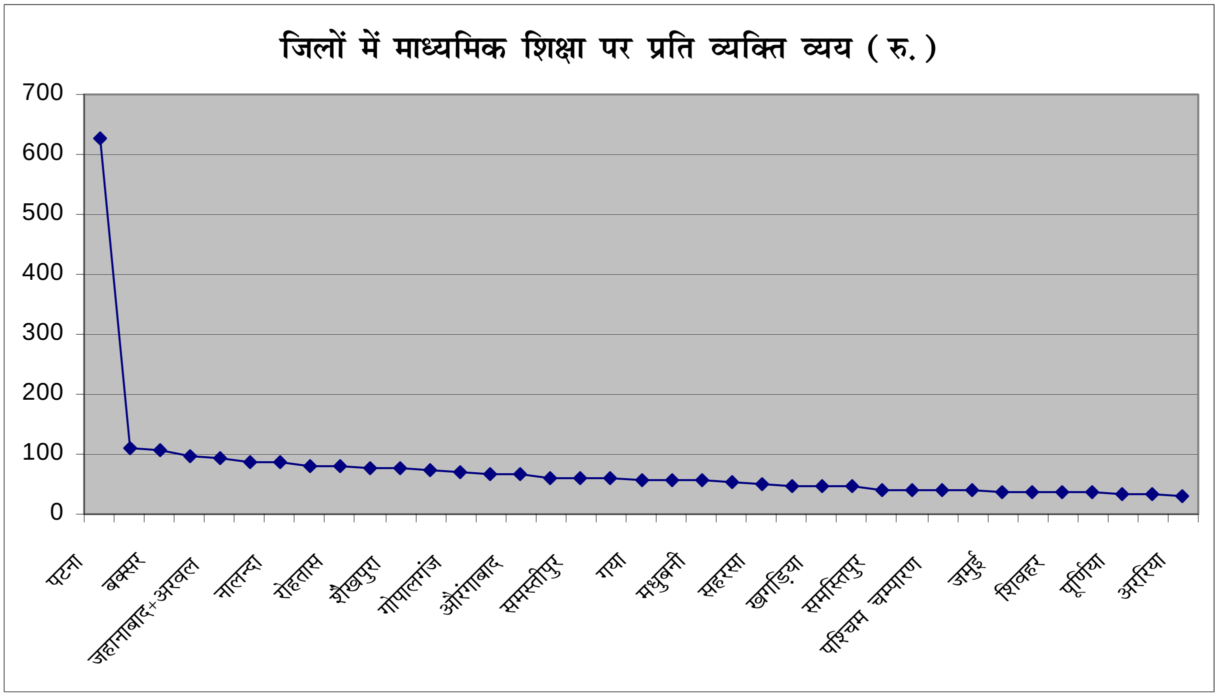
जिलों में माध्यमिक शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)
700
600
500
400
300
200
100
0
पटना
बक्सर
जहानाबाद+अरवल
नालन्दा
रोहतास
शेखपुरा
गोपालगंज
औरंगाबाद
समस्तीपुर
गया
मधुबनी
सहरसा
खगड़िया
समस्तिपुर
पश्चिम चम्पारण
जमुई
शिवहर
पूर्णिया
अररिया

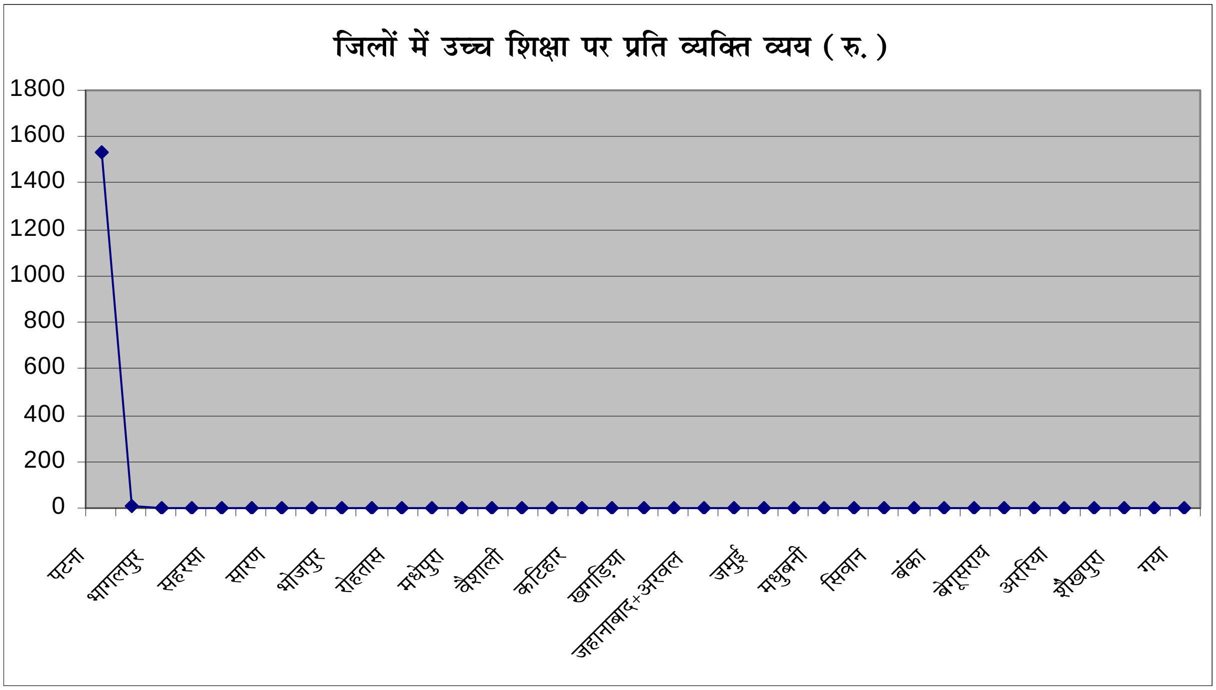
जिलों में उच्च शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
पटना
भागलपुर
सहरसा
सारण
भोजपुर
रोहतास
मधेपुरा
वैशाली
कटिहार
खगड़िया
जहानाबाद+अरवल
जमुई
मधुबनी
सिवान
बंका
बेगूसराय
अररिया
शेखपुरा
गया

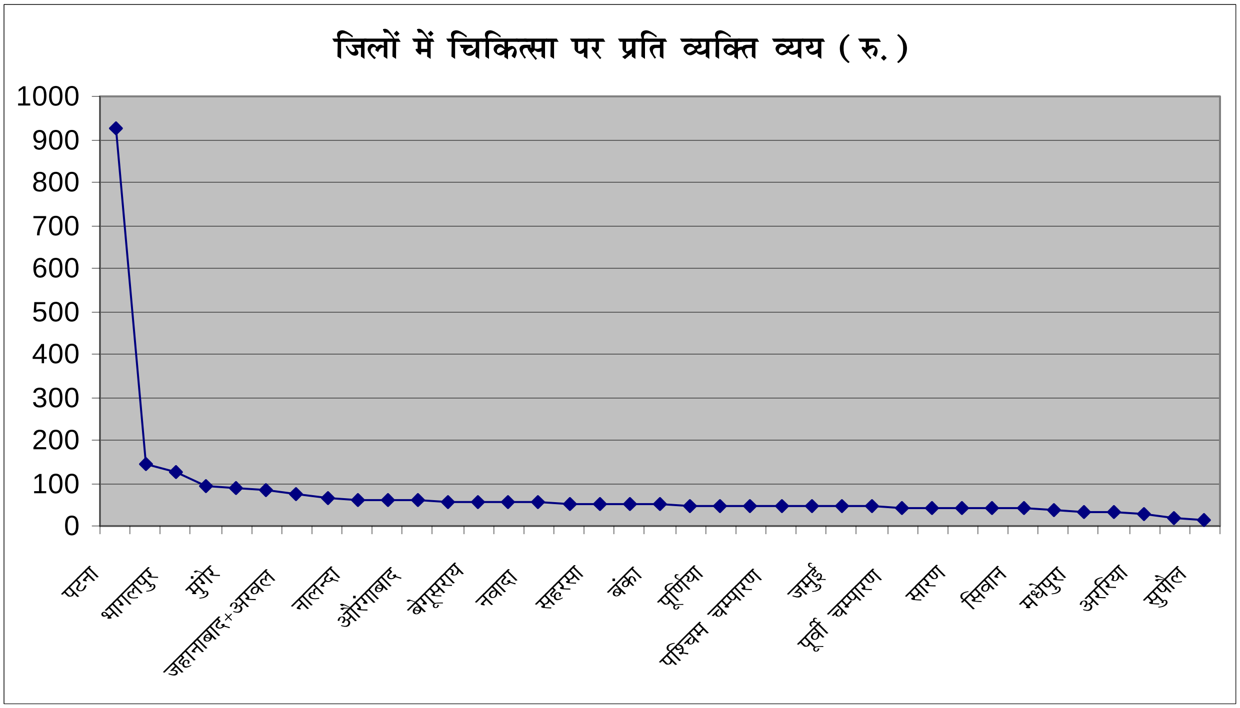
जिलों में चिकित्सा पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
पटना
भागलपुर
मुंगेर
जहानाबाद+अरवल
नालन्दा
औरंगाबाद
बेगूसराय
नवादा
सहरसा
बंका
पूर्णिया
पश्चिम चम्पारण
जमुई
पूर्वी चम्पारण
सारण
सिवान
मधेपुरा
अररिया
सुपौल

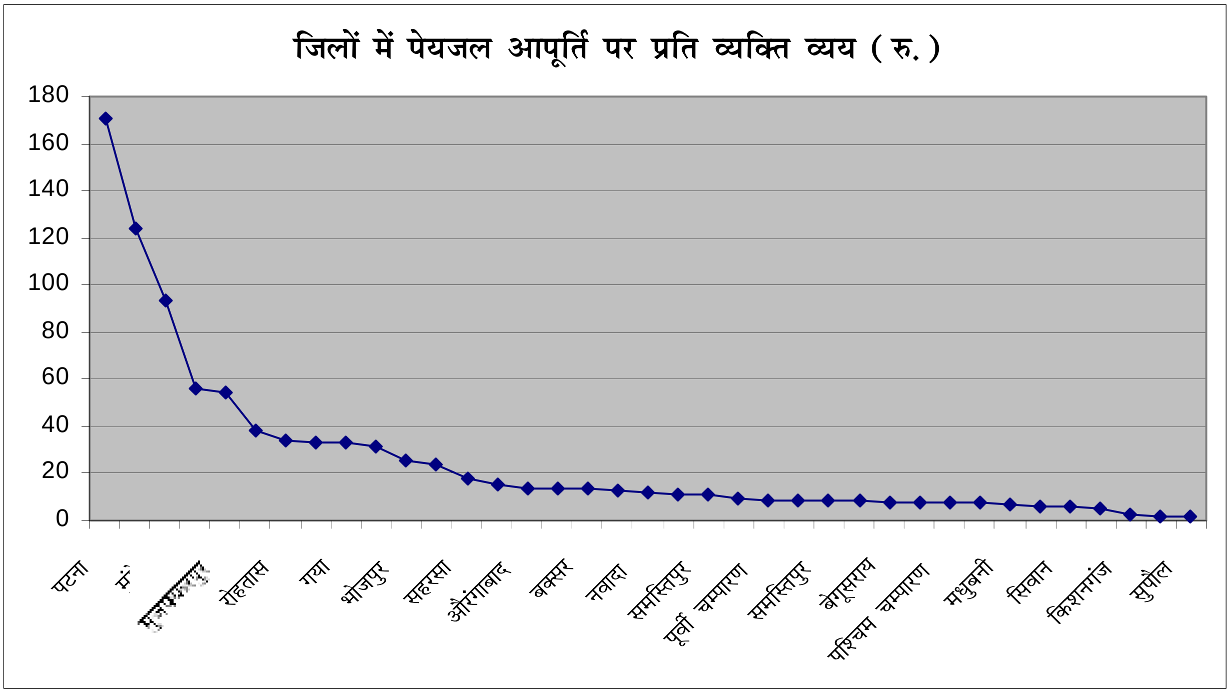
जिलों में पेयजल आपूर्ति पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
पटना
रोहतास
गया
भोजपुर
सहरसा
औरंगाबाद
बक्सर
नवादा
समस्तिपुर
पूर्वी चम्पारण
समस्तिपुर
बेगूसराय
पश्चिम चम्पारण
मधुबनी
सिवान
किशनगंज
सुपौल

तालिका 7.60 : 2007-08 में कुछ अन्य सामाजिक प्रक्षेत्रों पर जिलावार व्यय (करोड़ रु.)

	जनसंख्या (करोड़)	अजा, अजजा एवं अपिजा कल्याण	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	पोषण	सड़क एवं पुल	सार्वजनिक कार्य
पटना	0.55	54.06	144.11	14.96	82.03	117.72
दरभंगा	0.39	7.78	10.22	14.16	13.22	2.52
समस्तीपुर	0.40	5.90	9.68	12.78	8.71	3.36
मुजफ्फरपुर	0.44	9.95	10.31	14.28	20.89	9.13
सीतामढ़ी	0.31	4.05	6.85	10.32	8.89	2.58
पूर्व चंपारण	0.36	6.21	10.97	18.78	14.08	3.15
खगड़िया	0.15	2.41	4.99	7.12	5.28	2.00
मधुबनी	0.42	7.22	12.85	14.29	12.69	2.34
पश्चिम चंपारण	0.46	7.49	8.78	13.39	8.21	4.36
बेगूसराय	0.28	3.18	6.22	9.00	4.81	1.75
वैशाली	0.32	5.50	7.74	11.64	8.02	2.83
नालंदा	0.28	6.34	7.80	9.83	16.01	1.66
गया	0.41	18.49	10.20	18.30	10.61	3.16
भागलपुर	0.28	9.15	10.53	10.10	8.55	7.97
कटिहार	0.28	5.48	12.70	6.24	16.43	1.27
सीवान	0.32	4.97	7.83	12.90	21.63	1.43
सुपौल	0.20	2.70	4.48	7.69	6.88	0.85
शिवहर	0.06	0.82	1.90	2.12	2.25	0.62
सारण	0.38	9.11	9.46	10.36	9.50	3.44
गोपालगंज	0.25	4.21	5.70	10.12	13.20	1.79
पूर्णिया	0.30	6.67	7.09	12.47	10.93	1.64
रोहतास	0.29	8.66	5.97	9.73	10.86	1.64
भोजपुर	0.26	4.45	8.09	8.85	10.07	2.81
मधेपुरा	0.18	3.54	3.45	7.91	6.15	0.67
सहरसा	0.18	3.36	4.40	7.17	6.81	1.40
अररिया	0.25	2.78	7.03	8.80	9.13	0.42
औरंगाबाद	0.24	4.69	5.24	11.14	3.86	2.27
कैमूर	0.15	10.59	3.87	6.55	5.09	0.49
नवादा	0.21	4.57	5.07	7.69	6.91	0.97
बक्सर	0.16	5.57	4.02	6.55	6.30	2.21
बांका	0.19	2.89	5.21	6.91	5.12	1.74
जहानाबाद	0.11	2.48	3.38	4.01	11.47	0.55
जमुई	0.16	4.61	3.97	7.40	5.44	0.19
किशनगंज	0.15	1.89	3.58	6.93	6.11	0.60
मुंगेर	0.13	3.31	4.11	3.90	3.64	3.05
लखीसराय	0.09	1.54	2.32	4.01	1.30	0.32
शेखपुरा	0.06	0.74	1.58	2.46	2.58	0.60
अरवल	0.07	0.66	2.27	1.20	0.00	0.00
योग	9.73	248.02	383.98	352.07	403.66	195.51

तालिका 7.61 : 2007-08 में जिलावार प्रति व्यक्ति व्यय (रुपए)

जिला	अजा, अजजा एवं अपिजा कल्याण	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	पोषण	सड़क एवं पुल	सार्वजनिक कार्य
पटना	97.75	260.59	27.04	148.34	212.88
शिवहर	13.53	31.44	34.98	37.20	10.27
दरभंगा	20.15	26.45	36.66	34.24	6.53
खगड़िया	16.06	33.25	47.42	35.21	13.31
सीतामढ़ी	12.90	21.79	32.84	28.26	8.19
समस्तीपुर	14.83	24.33	32.11	21.88	8.44
मुजफ्फरपुर	22.66	23.47	32.52	47.58	20.80
पूर्व चंपारण	17.41	30.76	52.66	39.48	8.83
बेगूसराय	11.56	22.59	32.68	17.47	6.37
मधुबनी	17.23	30.67	34.11	30.29	5.60
सुपौल	13.30	22.09	37.86	33.89	4.17
नालंदा	22.82	28.08	35.39	57.63	5.99
वैशाली	17.27	24.29	36.55	25.16	8.89
जहानाबाद	23.11	31.45	37.34	106.77	5.09
भागलपुर	32.21	37.07	35.57	30.09	28.06
कटिहार	19.54	45.30	22.26	58.61	4.52
मधेपुरा	19.80	19.31	44.20	34.39	3.72
कैमूर	70.10	25.59	43.37	33.70	3.27
सहरसा	18.98	24.90	40.59	38.55	7.94
सीवान	15.64	24.62	40.54	67.98	4.49
गोपालगंज	16.71	22.58	40.11	52.31	7.09
पश्चिम चंपारण	16.21	19.02	28.99	17.79	9.44
बक्सर	33.87	24.49	39.82	38.33	13.43
गया	45.42	25.07	44.96	26.07	7.76
मुंगेर	24.81	30.81	29.22	27.27	22.91
पूर्णिया	22.36	23.77	41.84	36.67	5.51
शेखपुरा	12.07	25.63	40.02	41.83	9.79
जमुई	28.13	24.22	45.16	33.19	1.18
भोजपुर	16.92	30.76	33.65	38.29	10.67
किशनगंज	12.44	23.55	45.64	40.20	3.93
रोहतास	30.14	20.80	33.88	37.81	5.72
नवादा	21.55	23.91	36.26	32.60	4.56
बांका	15.34	27.65	36.64	27.15	9.23
औरंगाबाद	19.87	22.20	47.24	16.35	9.63
अररिया	10.99	27.80	34.80	36.08	1.65
सारण	23.92	24.85	27.22	24.94	9.03
लखीसराय	16.39	24.69	42.66	13.83	3.44
अरवल	9.38	32.42	17.11	0.00	0.00
बिहार	**25.50**	**39.47**	**36.19**	**41.50**	**20.10**

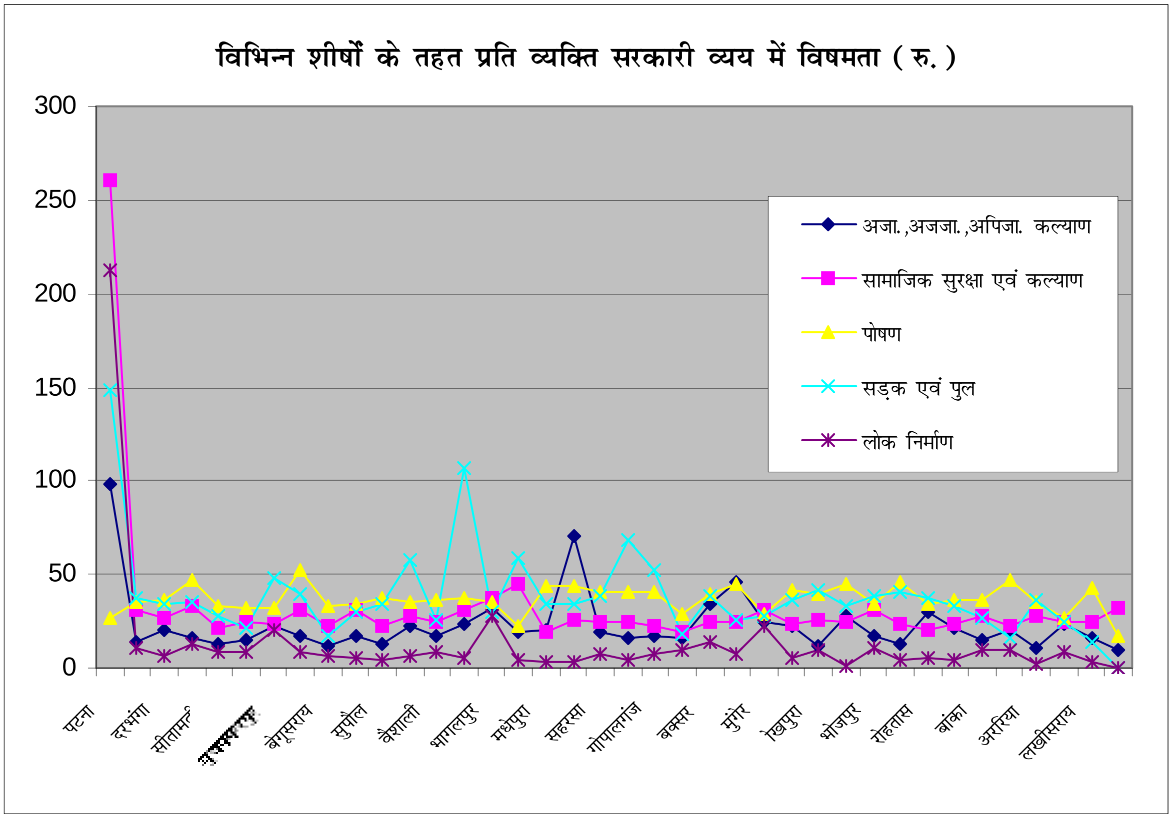

निस्संदेह, इन तमाम शीर्षों में सर्वाधिक व्यय के मामले में पटना जिला सबसे आगे था। लेकिन सबसे अधिक और सबसे कम व्यय के बीच में अंतर, जो तालिका 7.62 में भी दर्शाया गया है, भारी अंतर चिंता का विषय बना हुआ है। उक्त विश्लेषण में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, स्वर्णजंयती ग्रामीण स्वरोजगार योजना आदि सामाजिक प्रक्षेत्र के विभिन्न केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों पर हुए व्यय पर विचार नहीं किया गया है। लेकिन उनसे भी उक्त विश्लेषण में दर्शाए गए विषमता के पैटर्न पर बहुत कम ही असर पड़ेगा। और यह भी कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि राज्य सरकार के विभागों के मुख्यालयों का व्यय, जिनमें से अधिकांश पटना में स्थित हैं, जिलों में शामिल नहीं है जो असमानता के स्तर को संभवत: कुछ कम करेगा।

तालिका 7.62 : जिलों का प्रति व्यक्ति अधिकतम और न्यूनतम व्यय (2007-08)

लेखा शीर्ष	अधिकतम व्यय (पटना जिला) (रु.)	न्यूनतम व्यय (रु.)	न्यूनतम प्रति व्यक्ति व्यय वाला जिला (रु.)	राज्य स्तर पर औसत व्यय (रु.)
प्राथमिक शिक्षा	3867.18	66-68	कैमूर (भभुआ)	399.72
माध्यमिक शिक्षा	625.94	30.34	अररिया	91.79
उच्च शिक्षा	1532.61	0.00	अरवल, शिवहर, अररिया, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, गया	88.25
चिकित्सा	927.23	14.16	सुपौल	107.54
पेयजल आपूर्ति	170.86	0.00	अरवल	31.06
अजा, अजजा, अपिजा कल्याण	97.75	9.38	अरवल	25.50
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	260.59	19.02	पश्चिम चंपारण	39.47
पोषण	27.04	17.11	अरवल	36.19
सड़क एवं पुल	148.34	0.00	अरवल	41.50
सार्वजनिक कार्य	212.88	0.00	अरवल	20.10

7.23 पंचायती राज संस्थाएं

बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू किया गया था। बाद में उसका स्थान बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 ने ले लिया। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत) ने 2001-02 से काम करना शुरू कर दिया।

बिहार में 38 जिला परिषद, 531 पंचायत समितियां और 8,471 ग्राम पंचायतें हैं। इनके अंतर्गत लगभग 7.43 करोड़ की जनसंख्या आच्छादित है। बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग इनकी गतिविधियों का समन्वय करता है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243जी द्वारा वांछित है, 2005 तक राज्य सरकार ने 20 विभागों के अनेक काम पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कर दिए हैं। तथापि, इन विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों, कर्मियों तथा कोष के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। इन विभागों की सूची परिशिष्ट 1 में प्रस्तुत है।

पंचायती राज संस्थाओं का वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा होता है। इसके अलावा, आवर्ती और अनावर्ती अनुदान राज्य सरकार अपने स्रोत से विमुक्त करती है। अभी तक पंचायत समितियां और पंचायत अपने संसाधनों से राजस्व नहीं जुटा पाते। द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य सरकार ने भी अभी तक करों, महसूलों (टॉल), शुल्कों आदि की दरों की अधिसूचना के जरिए आवश्यक कार्यवाही नहीं की है। गत 6 वर्षों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता तालिका 7.63 में दर्शाई गई है।

तालिका 7.63 : पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता

(करोड़ रु.)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
शहरी स्थानीय निकाय : नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	67.22	42.90	38.95	139.45	122.87	278.37
पंचायती राज संस्थाएं : जिला परिषद व अन्य पंचायती राज संस्थाएं	69.28	34.49	153.72	379.22	522.25	834.28

जिला परिषद दूकानों के किराया, डाकबंगला/ निरीक्षण बंगला का किराया, तालाबों/ घाटों/ नौका घाटों, सड़क के किनारे की जमीन और पेड़ों की बंदोबस्ती, बैलगाड़ी निबंधन शुल्क और अन्य विविध शुल्कों के जरिए थोड़ा राजस्व उगाहने के लिए अधिकृत हैं। स्वाभाविक है कि जिला परिषद अपने संसाधनों से अपना स्थापना व्यय और आवर्ती व्यय पूरा कर पाने में असमर्थ थे और उनका वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा अनुदानों और ऋणों के जरिए किया जाता था। वर्ष 2007-08 के लिए यह राशि 834 करोड़ रु. है। इसके मुकाबले शहरी स्थानीय निकायों को 2007-08 में दी गई रकम 278 करोड़ रु. है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त कोषों का लेखा अभी भी दुरुस्त नहीं रखा जाता है। उनके पास इस हेतु आवश्यक लेखाकरण विशेषज्ञता का स्पष्ट रूप से अभाव है। इसके अभाव में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली (फाइनांसियल रिपोर्टिंग सिस्टम) सामान्यतः कमजोर है। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के लिए जिला परिषद, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायत पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अनुभाग 22, 47 और 73 के तहत केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा विमुक्त कोषों का उपयोग करते हैं।

<u>पंचायती राज संस्थाओं की वित्त व्यवस्था</u>

परिशिष्ट 2, 3 और 4 में 12 जिला परिषदों (1996-97 से 2005-06), 65 पंचायत समितियों (2001-02 से 2005-06) तथा 195 ग्राम पंचायतों (2001-02 से 2005-06) की स्थिति दर्शाई गई है। बिहार के स्थानीय लेखाओं के परीक्षक द्वारा 1996-97 से 2005-06 के लिए उनका अंकेक्षण किया गया था। इन संस्थाओं की प्राप्तियों एवं व्ययों का सारांश तालिका 7.64 में प्रस्तुत है। यह देखा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाएं कुल प्राप्त निधि में से 14 प्रतिशत का उपयोग नहीं कर पाईं।

तालिका 7.64 : 2005-06 तक पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियां एवं व्यय

(करोड़ रु.)

पंचायती राज संस्थाएं	कुल अपनी प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	कुल व्यय	कुल स्थापना व्यय	बचत = प्राप्तियां - व्यय
12 जिला परिषद (38 में से)	33.96	419.17	361.72	27.39	57.45
65 पंचायत समितियां (531 में से)	00	110.14	90.01	अनुपलब्ध	20.13
195 ग्राम पंचायत (8,471 में से)	00	46.76	42.60	अनाुपलब्ध	4.16

तालिका 7.65 में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 2006-07 तक किए गए कुल कार्यों का सारांश दर्शाया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि मार्च 2007 तक लगभग 33 प्रतिशत काम अपूर्ण थे जिसके लिए उन्हें 74. 05 करोड़ रु. का अग्रिम प्राप्त था।

तालिका 7.65 : पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 2005-06 तक किए गए कुल कार्यों का सारांश

	हाथ में लिए गए कार्यों की कुल संख्या	पूरा किए गए कार्यों की कुल संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	अपूर्ण योजनाओं के लिए प्रदत्त अग्रिम (करोड़ रु.)
12 जिला परिषद (38 में से)	7047	3837	3210	28.86	39.38
65 पंचायत समितियां (531 में से)	8703	5154	3549	44.32	26.71
195 ग्राम पंचायत (8,471 में से)	12113	9756	2357	11.93	7.96

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के अनुभाग 134 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार योजनाओं के सुदृढ़ीकरण तथा संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु राज्य सरकार को हर जिले में जिला योजना समिति का गठन करना है। समिति के गठन, उसकी शक्तियों, कार्यों, तथा अधिकार-क्षेत्रों के नियमों को राज्य सरकार ने जनवरी 2007 में ही अधिसूचित कर दिया था। सभी जिलों में जिला योजना समिति का गठन किया जा रहा है।

केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोगों के अनुदान

पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय अनुदान क्रमागत (सक्सेसिव) केंद्रीय वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत दिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा अनुदान क्रमागत राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत। दसवें, ग्यारहवें और बारहवें केंद्रीय वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत उक्त पंचायती राज संस्थाओं को मिले अनुदानों का विवरण

परिशिष्ट 2, 3 और 4 में दिया गया है। राज्य वित्त आयोगों के अंतरणों के बारे में बात करें, तो 1994 में गठित पहले वित्त आयोग ने कोई अनुशंसा नहीं की। जून 1999 में गठित दूसरे वित्त आयोग ने पांच अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत कीं जिनमें मुख्यत: दसवें और ग्यारहवें केंद्रीय वित्त आयोगों की सुपुर्दगियों के ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बीच क्रमश: 93:6:1 के अनुपात में वितरण हेतु अनुशंसा की गई थी। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बीच बंटवारा हेतु 'जनसंख्या अनुपात' को मानदंड के बतौर मानने की भी अनुशंसा की गई थी। राज्य सरकार ने इन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया। तीसरा राज्य वित्त आयोग जून 2004 में गठित किया गया और उसने पूर्ववर्ती आयोगों की अंतरिम रिपोर्टों को समाविष्ट करते हुए उसी साल अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

उसकी मुख्य अनुशंसाएं इस प्रकार थीं :

(1) राज्य सरकार के अपने करों से कुल कर राजस्व की अधिकतम 3 प्रतिशत राशि को वार्षिक बजट में प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों में जिला परिषद को अनुरूपवर्ती हिस्सा (मैचिंग शेयर) प्रदान करने के लिए अलग रखा जाएगा।

(2) राज्य सरकार अपने संसाधनों से यह राशि पूर्वकथित शहरी स्थानीय निकायों और जिला परिषदों द्वारा ठीक पहले के वित्त वर्ष में वसूले गए कुल राजस्वों के अनुरूपवर्ती अंशदान के रूप में स्थानीय निकायों के बीच वितरित करेगी और यह वास्तविक वसूली पर आधारित होगा।

(3) ऊपर उल्लिखित अनुरूपवर्ती अंशदान शहरी स्थानीय निकायों और जिला परिषदों द्वारा उक्त तरीके से वसूले गए संसाधनों के बराबर होगा। अगर स्थानीय निकायों द्वारा वसूला गया संसाधन ऊपर वर्णित 3 प्रतिशत से बढ़ जाता है, तो स्थानीय निकायों को 3 प्रतिशत की सीमा में उनके द्वारा उगाहे गए संसाधनों के अनुपात में भारित आनुपातिक हिस्सा ही मिलेगा।

(4) जिला परिषद प्राप्त अनुरूपवर्ती अंशदान से अपने अधिकार क्षेत्र के ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच उसकी प्रकार बंटवारा करेगा जिस तरह से उस खास वित्त वर्ष में उगाहे गए संसाधनों का बंटवारा किया गया होगा।

(5) भावी जरूरतों के लिए स्थानीय निकायों को कुछ राजस्ववर्धक परिसंपत्तियों के सृजन की जरूरत है। आयोग की अनुशंसा है कि पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय बिना किसी सरकारी गारंटी के बाजार परिसर, दूकानें, उच्चस्तरीय पुल, वधशाला, चर्म प्रसंस्करण इकाइयां, बस पड़ाव आदि राजस्ववर्धक परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहयोग मांग सकते हैं।

(6) स्वीकृत पदों पर काम कर रहे नियमित कर्मियों की वेतन संबंधी वास्तविक जरूरतों को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। इस मकसद से लिए आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के ठीक पहले के वित्त वर्ष को आधार वर्ष तथा स्थानीय निकाय के उस वर्ष के वार्षिक वेतन दायित्व को आधार राशि के रूप में लिया जाना चाहिए। अगर वेतन बकाया हो, तो उसे वर्तमान दायित्व में शामिल नहीं किया जाएगा। उसमें हर वर्ष 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

(7) आयोग इन निकायों के सांख्यिकी आधार (डाटाबेस) के विकास के लिए एकमुश्त अनुदान की भी अनुशंसा करता है।

<u>केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान</u>

पंचायती राज संस्थाएं केंद्रीय व राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के जरिए ही अनुदान प्राप्त नहीं करतीं। वे विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से भी अनुदान प्राप्त करती हैं जो उन्हें राज्य सरकार के बजट के जरिए प्राप्त नहीं होती। चूंकि बिहार में अभी तक पंचायती राज संस्थाओं के लिए व्यापक सांख्यिक आधार (डाटाबेस) नहीं तैयार हुआ है, इसलिए हमारे पास यह सूचना प्राप्ति का कोई स्रोत नहीं है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए उनके पास कुल कितनी अनुदान राशि जा रही है। बिहार के स्थानीय लेखों के परीक्षक कुछ पंचायतों के हर साल किए गए अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर क्रमिक रूप से सांख्यिक आधार (डाटाबेस) तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस डाटाबेस से 12 जिला परिषदों, 65 पंचायत समितियों और 195 ग्राम पंचायतों के मामले में सूचना उपलब्ध है। उनकी 2006-07 की नवीनतम रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रकाशित सूचना के आधार पर विभिन्न वित्त आयोगों की अनुशंसाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 1996-97 से लेकर 2005-06 तक प्राप्त अनुदानों के विवरण तालिका 7.66, 8.67 और 8.68 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 7.66 : 12 जिला परिषदों के लिए अनुदान (1996-97 से 2005-06)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	कोष के विवरण	बकाया शेष सहित प्राप्तियां	व्यय	शेष
1	10वां वित्त आयोग	19.84	19.73	0.11
2	11वां वित्त आयोग	115.35	113.52	1.83
3	12वां वित्त आयोग	93.60	59.38	34.22
4	ईएएस/ एसजीएसवाइ	107.68	100.39	7.29
5	एनआरईजीपी/एसआरईजीपी	5.65	3.60	2.05
6	सांसद/ विधायक/ विधान पार्षद	13.33	11.62	1.71
7	अन्य अनावर्ती अनुदान	29.76	26.09	3.67
8	सरकारी अनुदान एवं ऋण तथा स्थापना व्यय हेतु अपनी प्राप्तियां	33.96	27.39	6.57
	योग	419.17	361.72	57.45

ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण हेतु मिली अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अलावा अन्य अनावर्ती अनुदान राज्य सरकार से मिले थे। राज्य सरकार के अनुदानों में पंचायती राज विभाग से निरीक्षण बंगला/ डाकबंगला की मरम्मत/

जीर्णोद्धार, सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु, राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण तथा प्राथमिक/ मध्य विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय सुविधा प्रदान करने हेतु, कृषि विभाग द्वारा मैक्रोमोड योजना के लिए और राजस्व विभाग द्वारा सड़क उपकर (रोड सेस) के रूप में मिली राशि शामिल थी।

तालिका 7.67 : 65 पंचायत समितियों के लिए अनुदान (2001-02 से 2005-06)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	अनुदान की प्रकृति	बकाया शेष सहित प्राप्तियां	उपयोग	शेष
1	10वां वित्त आयोग	0.89	0.78	0.11
2	11वां वित्त आयोग	5.74	4.20	1.54
3	12वां वित्त आयोग	1.23	0.34	0.89
4	ईएएस/ एसजीएसवाइ	101.59	84.53	17.06
5	एनआरईजीपी	0.58	0.06	0.52
6	अन्य	0.11	0.10	0.01
	योग	110.14	90.01	20.13

तालिका 7.68 : 195 ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान (2001-02 से 2005-06)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	अनुदान की प्रकृति	बकाया शेष सहित प्राप्तियां	उपयोग	शेष
1	10वां वित्त आयोग	2.26	2.05	0.21
2	11वां वित्त आयोग	11.95	11.05	0.90
3	12वां वित्त आयोग	3.27	2.53	0.74
4	ईएएस/ एसजीएसवाइ	26.69	24.77	1.93
5	एनआरईजीपी	0.05	00	0.05
6	पीएचईडी/ शिक्षामित्र/ लोक शिक्षा/ विधायक आदि	2.53	2.19	0.34
	योग	46.76	42.59	4.16

पंचायती राज संस्थाओं के संबध में मुख्य अवरोध इन संस्थाओं की भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में विश्वसनीय और व्यापक डाटाबेस का अभाव है। इसका प्रमुख कारण प्रशिक्षण और लेखाकरण अधिसंरचना का अभाव तथा जागरूकता की कमी है। राज्य सरकार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ये अंतर्निहित बाधाएं ऐसे डाटाबेस का निर्माण अत्यंत कठिन बना दे रही हैं।

परिशिष्ट 1 : 20 विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कार्यों का विवरण

क्रम सं.	गतिविधि	हस्तांतरित कार्यों की संख्या		
		ग्राम पंचायतों को	पंचायत समितियों को	जिला परिषदों को
1	कृषि	4	6	6
2	राजस्व एवं भूमि सुधार	10	1	0
3	जल संसाधन (लघु सिंचाई)	8	3	2
4	पशुपालन एवं मत्स्यपालन	10	3	8
5	वन एवं पर्यावरण	5	5	5
6	उद्योग	6	6	6
7	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	3	3	4
8	ग्रामीण विकास	3	2	1
9	ग्रामीण अभियंत्रण (सड़क, पुल, पुलिया आदि)	1	1	2
10	ऊर्जा	3	3	3
11	प्राथमिक शिक्षा	9	8	7
12	वयस्क शिक्षा	1	1	1
13	साक्षरता	1	1	1
14	सांस्कृतिक गतिविधियां	3	2	3
15	चिकित्सा	1	1	0
16	परिवार कल्याण	1	1	0
17	सामाजिक कल्याण	5	5	5
18	विकलांग कल्याण	2	4	4
19	जन वितरण प्रणाली	2	3	3
20	राहत एवं पुनर्वास	1	1	0
	योग	**79**	**60**	**61**

परिशिष्ट 2 : जिला परिषदों की प्राप्तियां एवं व्यय

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	जिला परिषद का नाम	प्राप्तियां								
		10वां वित्त आयोग	11वां वित्त आयोग	12वां वित्त आयोग	ईएएस/ जरोयो/ एसजीआर वाइ	नरेगा	सांसद/ विधायक/ विधान पार्षद	अन्य योजनाएं	अपनी प्राप्ति	कुल प्राप्तियां
1	जहानाबाद	0.98	4.48	3.4	6.5	00	0.47	1.35	1.69	18.87
2	अरवल	0.01	1.78	1.39	4.82	3.05	0.75	0.57	0.23	12.6
3	नालंदा	2.77	12.76	9.52	14.86	1	5.95	2.88	9.52	59.26
4	सारण	3.7	17.25	12.72	14.17	00	00	1.97	5.21	55.02
5	सुपौल	2.02	11.48	6.95	14.27	00	0.32	3.21	1.54	39.79
6	सीवान	3.25	18.44	11.27	8.65	00	1.83	2.44	3.57	49.45
7	दरभंगा	3.69	16.85	12.66	0.05	00	00	3.64	3.5	40.39
8	रोहतास	2.75	12.85	9.45	9.05	1	1.4	6.15	3.09	45.74
9	कैमूर	0.02	1.31	5.78	9.57	00	0.67	2.95	3.59	23.89
10	शेखपुरा	0.6	4.26	2.06	9.09	0.6	0.26	0.59	0.18	17.64
11	लखीसराय	0.01	2.33	3.07	9.09	00	1.68	1.81	0.25	18.24
12	मधुबनी	0.04	11.56	15.33	7.56	00	00	2.2	1.59	38.28
	योग	**19.84**	**115.35**	**93.6**	**107.68**	**5.65**	**13.33**	**29.76**	**33.96**	**419.17**

परिशिष्ट-2 (जारी)

क्रम सं.	जिला परिषद का नाम	व्यय							स्थापना व्यय	कुल व्यय	बचत = प्राप्तियां - व्यय
		10वां वित्त आयोग	11वां वित्त आयोग	12वां वित्त आयोग	ईएएस/ जरोयो/ एसजीआ रवाइ	नरेगा	सांसद/ विधायक/ विधान पार्षद	अन्य योजनाएं			
1	जहानाबाद	0.98	4.48	3.33	5.52	00	0.39	1.09	1.47	17.26	1.61
2	अरवल	00	1.79	1.39	4.77	3	0.73	0.14	0.24	12.06	0.54
3	नालंदा	2.76	12.67	9.34	12.76	00	5.25	2.26	8.6	5.64	5.62
4	सारण	3.69	17.18	12.48	13.59	00	00	2.56	3.7	53.2	1.82
5	सुपौल	2.02	11.44	3.39	13.33	00	0.32	2.67	0.69	33.86	5.93
6	सीवान	3.25	17.51	5.62	8.65	00	1.82	2.2	3.19	42.24	7.21
7	दरभंगा	3.65	16.77	6.2	0.05	00	00	4.56	1.74	32.97	7.42
8	रोहतास	2.72	12.75	4.62	6.76	00	0.82	4.3	2.95	34.92	10.82
9	कैमूर	0.02	1.29	2.83	9.38	00	0.66	3.09	2.8	20.07	3.82
10	शेखपुरा	0.6	4	1.01	8.93	0.6	0.26	0.3	NA	15.7	1.94
11	लखीसराय	0	2.31	1.53	9.21	00	1.37	1.32	0.27	16.01	2.23
12	मधुबनी	0.04	11.33	7.64	7.44	00	00	1.6	1.74	29.79	8.49
	योग	**19.73**	**113.52**	**59.38**	**100.39**	**3.6**	**11.62**	**26.09**	**27.39**	**361.72**	**57.45**

परिशिष्ट 3 : 2001-02 से 2005-06 तक पंचायत समितियों की प्राप्तियां एवं व्यय

(लाख रु.)

क्रम सं.	पंचायत समिति का नाम	जिला	प्राप्तियां							बचत = प्राप्तियां - व्यय
			10वां वित्त आयोग	11वां वित्त आयोग	12वां वित्त आयोग	एसजीआर वाइ	नरेगा	अन्य	योग	
1	सीवान	सीवान	1.24	7.02	2.45	115.71	5.66	00	132.08	18.71
2	मैरवां	सीवान	0.57	3.25	1.13	118.52	00	00	123.47	30.92
3	महाराजगंज	सीवान	1.05	6.19	2.07	99.88	4.74	00	113.93	19.24
4	हुसैनगंज	सीवान	1.13	6.41	2.24	141.11	00	00	150.89	7.44
5	सिसवन	सीवान	0.92	4.55	1.82	91.65	00	00	98.94	9.26
6	पचरुखी	सीवान	1.61	31.97	2.46	128.86	6.65	00	171.55	25.33
7	दरौंदा	सीवान	1.08	6.12	2.14	119.48	5.94	00	134.76	35.70
8	दरौली	सीवान	1.09	25.80	2.16	105.99	00	00	135.04	20.41
9	बसंतपुर	सीवान	0.63	14.90	1.25	56.94	00	00	73.72	9.24
10	लकरी नबीगंज	सीवान	0.81	4.60	1.60	72.37	00	00	79.38	14.38
11	बडहरिया	सीवान	1.96	11.24	3.86	187.68	00	00	204.74	36.43
12	गुठनी	सीवान	0.82	4.76	1.62	59.05	00	00	66.25	15.73
13	आंदर	सीवान	0.72	4.08	1.43	110.70	00	00	116.93	23.23
14	गोरियाकोठी	सीवान	0.80	7.50	2.75	133.04	00	00	144.09	18.21
15	रघुनाथपुर	सीवान	1.03	26.75	2.04	107.60	00	00	137.42	15.19
16	भगवानपुर हाट	सीवान	1.33	8.50	2.61	129.10	00	00	141.54	25.32
17	मोहनिया	कैमूर	1.34	11.14	2.31	237.17	00	00	251.96	13.01
18	चांद	कैमूर	0.78	4.64	1.33	139.50	00	00	146.25	11.44
19	दुर्गावती	कैमूर	2.53	5.24	1.54	143.69	00	00	153.00	6.40
20	नुआवं	कैमूर	0.73	3.82	1.25	104.11	00	00	109.91	2.85
21	चैनपुर	कैमूर	2.07	9.68	1.90	176.28	00	00	189.93	9.96
22	भभुआ	कैमूर	3.22	15.54	2.58	234.45	00	00	255.79	26.68
23	रामगढ़	कैमूर	0.80	8.45	1.37	134.11	00	00	144.73	13.85
24	अधौरा	कैमूर	0.37	1.04	0.59	121.05	00	00	123.05	3.65
25	रामपुर	कैमूर	0.94	6.42	NA	107.20	00	00	114.56	8.19
26	कुदरा	कैमूर	0.98	11.86	1.69	156.61	00	00	171.14	12.45
27	भगवानपुर	कैमूर	1.16	2.85	0.86	146.33	00	00	151.20	80.26
28	जहानाबाद	जहानाबाद	0.97	4.38	1.66	178.53	19.14	00	204.68	25.02
29	हुलासगंज	जहानाबाद	0.93	3.01	Nil	96.43	00	00	100.37	5.92
30	रतनी फरीदपुर	जहानाबाद	0.94	5.66	1.63	113.16	16.35	00	137.74	34.40
31	मोदनगंज	जहानाबाद	0.85	2.73	0.92	89.53	00	00	94.03	1.70

32	घोसी	जहानाबाद	1.07	3.46	1.17	121.06	00	00	126.76	4.13
33	मखदूमपुर	जहानाबाद	1.42	8.31	2.48	273.07	00	00	285.28	50.26
34	काको	जहानाबाद	1.73	5.25	1.88	132.96	00	00	141.82	7.91
35	प्रतापगंज	सुपौल	0.62	4.34	1.05	120.79	00	00	126.80	48.19
36	निर्मली	सुपौल	0.46	2.59	0.78	142.24	00	00	146.07	80.07
37	राघोपुर	सुपौल	2.51	10.48	2.11	250.93	00	00	266.03	62.56
38	सरायगढ़	सुपौल	2.10	4.44	1.35	230.71	00	00	238.60	116.22
39	किशनपुर	सुपौल	1.04	14.43	Nil	233.94	00	00	249.41	54.74
40	पिपरा	सुपौल	3.85	5.99	2.07	286.28	00	00	298.19	36.25
41	त्रिवेणीगंज	सुपौल	1.90	10.74	3.26	431.53	00	00	447.43	68.37
42	सुपौल	सुपौल	4.05	18.31	3.12	454.36	00	00	479.84	8.45
43	मरौना	सुपौल	0.87	4.91	1.48	270.53	00	00	277.79	188.50
44	छत्तापुर	सुपौल	2.14	12.73	2.83	547.50	00	00	565.20	84.91
45	बसंतपुर	सुपौल	NA	9.26	1.73	144.62	00	00	155.61	124.69
46	पंडौल	मधुबनी	2.05	15.07	2.87	173.41	00	00	193.40	39.69
47	रहिका	मधुबनी	1.48	6.25	2.53	156.16	00	00	166.42	6.71
48	खजौली	मधुबनी	0.85	7.07	2.72	169.78	00	00	180.42	20.06
49	जयनगर	मधुबनी	1.04	9.57	NA	119.38	00	00	129.99	2.05
50	बासोपट्टी	मधुबनी	1.04	3.80	1.77	86.33	00	00	92.94	43.32
51	मधवापुर	मधुबनी	2.64	14.40	1.49	90.04	00	00	108.57	8.84
52	हरलाखी	मधुबनी	NA	5.34	1.99	44.19	00	00	51.52	37.82
53	बिस्फी	मधुबनी	2.01	12.80	3.43	126.20	00	11.29	155.73	32.09
54	फुलपरास	मधुबनी	1.16	8.41	1.70	119.48	00	00	130.75	42.90
55	लौकही	मधुबनी	1.61	12.74	2.13	91.29	00	00	107.77	42.00
56	झंझारपुर	मधुबनी	1.06	6.24	1.82	72.53	00	00	81.65	3.11
57	लखनौर	मधुबनी	1.03	4.74	1.76	114.93	00	00	122.46	21.86
58	बाबूबरही	मधुबनी	1.33	7.98	2.28	150.53	00	00	162.12	4.49
59	राजनगर	मधुबनी	1.53	9.21	2.61	184.19	00	00	197.54	18.50
60	मधेपुर	मधुबनी	1.67	19.13	2.85	155.53	00	00	179.18	35.85
61	लदनिया	मधुबनी	1.13	6.37	1.80	112.19	00	00	121.49	23.10
62	अंधराठाढ़ी	मधुबनी	2.63	10.01	4.92	193.87	00	00	211.43	28.77
63	घोघरडीहा	मधुबनी	1.85	6.66	1.87	113.21	00	00	123.59	25.60
64	खुटौना	मधुबनी	1.28	9.95	NA	88.16	00	00	99.39	34.39
65	बेनीपट्टी	मधुबनी	2.19	12.98	3.75	201.15	00	00	220.07	27.18
योग			**88.74**	**574.06**	**122.86**	**10158.90**	**58.48**	**11.29**	**11014.33**	**2013.30**

परिशिष्ट 3 (जारी)

क्रम सं.	पंचायत समिति का नाम	व्यय						
		10वां वित्त आयोग	11वां वित्त आयोग	12वां वित्त आयोग	एसजीआरवाइ	नरेगा	अन्य	योग
1	सीवान	1.23	6.93	1.15	104.06	00	00	113.37
2	मैरवां	0.49	2.30	00	89.76	00	00	92.55
3	महाराजगंज	1.04	5.50	00	86.52	1.63	00	94.69
4	हुसैनगंज	1.10	5.27	1.98	135.10	00	00	143.45
5	सिसवन	0.92	3.04	1.15	84.57	00	00	89.68
6	पचरुखी	1.43	28.07	1.28	115.44	00	00	146.22
7	दरौंदा	0.93	4.79	0.33	91.86	1.15	00	99.06
8	दरौली	0.99	25.55	00	88.09	00	00	114.63
9	बसंतपुर	0.63	14.86	00	48.99	00	00	64.48
10	लकरी नबीगंज	0.81	3.83	00	61.16	00	00	65.00
11	बडहरिया	1.94	10.74	0.15	155.48	00	00	168.31
12	गुठनी	0.82	4.26	00	45.44	00	00	50.52
13	आंदर	0.72	3.00	00	89.98	00	00	93.70
14	गोरियाकोठी	0.80	6.06	00	119.02	00	00	125.88
15	रघुनाथपुर	1.00	26.46	1.14	93.63	00	00	122.23
16	भगवानपुर हाट	1.33	7.02	2.61	105.26	00	00	116.22
17	मोहनिया	1.34	10.92	1.95	224.74	00	00	238.95
18	चांद	0.78	1.46	00	132.57	00	00	134.81
19	दुर्गावती	2.53	5.14	1.27	137.66	00	00	146.60
20	नुआवं	0.73	3.71	0.20	102.42	00	00	107.06
21	चैनपुर	2.05	9.48	1.81	166.63	00	00	179.97
22	भभुआ	3.19	14.49	0.52	210.91	00	00	229.11
23	रामगढ़	0.80	8.42	00	121.66	00	00	130.88
24	अधौरा	0.32	0.96	00	118.12	00	00	119.40
25	रामपुर	0.87	5.60	अनुपलब्ध	99.90	00	00	106.37
26	कुदरा	0.96	10.71	00	147.02	00	00	158.69
27	भगवानपुर	1.13	2.18	00	67.63	00	00	70.94
28	जहानाबाद	0.97	2.09	00	176.60	00	00	179.66
29	हुलासगंज	0.81	1.44	00	92.20	00	00	94.45
30	रतनी फरीदपुर	0.90	2.46	00	96.91	3.07	00	103.34
31	मोदनगंज	0.80	2.62	00	88.91	00	00	92.33
32	घोसी	1.02	2.67	00	118.94	00	00	122.63

33	मखदूमपुर	1.42	6.30	00	227.30	00	00	235.02
34	काको	1.70	2.94	00	129.27	00	00	133.91
35	प्रतापगंज	00	1.01	00	77.60	00	00	78.61
36	निर्मली	0.46	0.61	00	64.93	00	00	66.00
37	राघोपुर	1.26	1.41	00	200.80	00	00	203.47
38	सरायगढ़	1.76	1.54	1.00	118.08	00	00	122.38
39	किशनपुर	1.03	6.30	00	187.34	00	00	194.67
40	पिपरा	3.51	3.73	00	254.70	00	00	261.94
41	त्रिवेणीगंज	00	3.77	00	375.29	00	00	379.06
42	सुपौल	3.90	11.44	3.35	452.70	00	00	471.39
43	मरौना	0.85	0.97	0	87.47	00	00	89.29
44	छत्तापुर	1.66	5.23	00	473.40	00	00	480.29
45	बसंतपुर	अनुपलब्ध	1.43	00	29.49	00	00	30.92
46	पंडौल	1.99	14.32	00	137.40	00	00	153.71
47	रहिका	1.20	5.13	0.93	152.45	00	00	159.71
48	खजौली	0.66	6.29	2.72	150.69	00	00	160.36
49	जयनगर	0.92	7.81	अनुपलब्ध	119.21	00	00	127.94
50	बासोपट्टी	0.81	अनुपलब्ध	00	48.81	00	00	49.62
51	मधवापुर	2.55	13.79	00	83.39	00	00	99.73
52	हरलाखी	अनुपलब्ध	0.85	00	12.85	00	00	13.70
53	विस्फी	0.75	5.27	00	107.31	00	10.31	123.64
54	फुलपरास	0.57	2.28	00	85.00	00	00	87.85
55	लौकही	0.61	6.73	00	58.43	00	00	65.77
56	झंझारपुर	0.91	5.03	0.92	71.68	00	00	78.54
57	लखनौर	0.92	5.17	00	94.51	00	00	100.60
58	बाबूबरही	1.29	5.77	0.85	149.72	00	00	157.63
59	राजनगर	1.53	.91	1.18	168.42	00	00	179.04
60	मधेपुर	1.25	12.24	00	129.84	00	00	143.33
61	लदनिया	1.28	3.59	1.18	92.34	00	00	98.39
62	अंधराठाढ़ी	2.39	6.97	3.80	169.50	00	00	182.66
63	घोघरडीहा	1.82	4.85	00	91.32	00	00	97.99
64	खुटौना	1.23	5.69	अनुपलब्ध	58.08	00	00	65.00
65	बेनीपट्टी	1.93	11.46	2.55	176.95	00	00	192.89
	योग	**77.54**	**419.86**	**34.02**	**8453.45**	**5.85**	**10.31**	**9001.03**

परिशिष्ट 4 : 2001-02 से 2005-06 तक ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति (लाख रु.)

क्रम सं.	ग्राम पंचायतों का नाम	पंचायत समितियों का नाम	प्राप्तियां						
			10वां वित्त आयोग	11वां वित्त आयोग	12वां वित्त आयोग	एसजीअ रवाइ	नरेगा	अन्य	योग
1	माधोपुर	महाराजगंज	1.04	6.20	-	10.20	0.72	-	18.16
2	पटेढ़ा	महाराजगंज	1.04	5.68	1.76	7.01	0.26	0.77	16.52
3	जिगरावां	महाराजगंज	1.04	5.68	1.76	8.10	0.46	0.88	17.92
4	दिपहा	मैरवां	1.04	6.18	1.76	9.65	-	-	18.63
5	मुड़ियारी	मैरवां	1.04	6.02	1.76	10.49	-	0.90	20.21
6	छोटका मांझा	मैरवां	1.04	5.99	1.76	10.23	-	0.94	19.96
7	रामपाली	सीवान	1.04	5.96	1.76	8.40	0.38	0.87	18.41
8	मकरियार	सीवान	1.04	5.99	1.76	10.02	0.56	0.87	20.24
9	नाथूछाप	सीवान	1.04	6.04	1.76	9.88	0.53	1.02	20.27
10	चैनपुर मुबारकपुर	सिसवन	1.04	5.91	1.76	11.30	-	0.98	20.99
11	भीखपुर	सिसवन	1.04	5.67	1.76	10.18	-	0.95	19.60
12	नयागांव	सिसवन	1.04	5.59	1.76	9.30	-	0.83	18.52
13	चांप	हुसैनगंज	1.04	5.96	1.76	9.41	-	-	18.17
14	हरिहस (पश्चिमी)	हुसैनगंज	1.04	5.91	1.76	8.96	-	0.62	18.29
15	मचकाना	हुसैनगंज	1.04	5.73	1.76	6.91	-	-	15.44
16	माखनपुर	पचरुखी	1.04	5.33	1.76	10.19	0.46	-	18.78
17	शंभोपुर	पचरुखी	1.04	5.96	1.76	10.05	0.56	-	19.37
18	फलपुरा	पचरुखी	1.04	6.04	1.76	9.53	0.39	-	18.76
19	राजनपुरा	दरौंदा	1.04	5.86	1.76	9.34	-	-	18.00
20	करसंत	दरौंदा	1.05	5.91	1.76	8.79	0.45	-	17.96
21	मदसारा	दरौंदा	1.04	5.87	1.76	6.36	-	-	15.03
22	हरनाहर	दरौली	1.04	5.99	1.76	10.78	-	1.14	20.71
23	सरना	दरौली	1.04	5.81	1.76	8.16	-	-	16.77
24	अमरपुर	दरौली	1.06	6.04	1.76	9.47	-	0.81	19.14
25	बहादुरपुर	बड़हरिया	1.04	6.01	1.76	11.01	-	0.77	20.59
26	हरिहरपुर लालगढ़	बड़हरिया	1.05	5.77	1.76	8.17	-	0.71	17.46
27	पकरी	बड़हरिया	1.04	5.63	1.76	7.99	-	-	16.42
28	सोन्हुआ	गुठनी	1.04	5.97	1.76	10.80	-	0.98	20.55
29	पूर्वी गुठनी	गुठनी	1.04	5.91	1.76	8.86	-	0.83	18.40

30	बलुआ	गुठनी	1.04	5.86	1.76	9.30	-	1.00	18.96
31	भोपटपुर	लकरी नबीगंज	1.04	5.89	1.76	12.53	-	0.99	22.21
32	खवासपुर	लकरी नबीगंज	1.04	6.89	1.76	10.18	-	0.86	20.73
33	डुमरा	लकरी नबीगंज	1.04	6.07	1.76	9.77	--	0.95	19.59
34	असावन	आंदर	1.04	5.81	1.76	7.91	-	0.96	17.48
35	नरेंद्रपुर	आंदर	1.04	5.86	1.76	9.35	-	2.23	20.24
36	खेनदाई	आंदर	1.04	5.71	-	9.56	-	0.98	17.29
37	मझवलिया	गोरियाकोठी	1.04	6.11	1.76	11.74	-	0.96	21.61
38	बढ़ोगा पुरुसोत्तिम	गोरियाकोठी	1.04	5.83	1.76	9.14	-	1.05	18.82
39	हरिहरपुर	गोरियाकोठी	1.04	5.84	1.76	8.46	-	0.96	18.06
40	ब्रह्मस्थान	भगवानपुर हाट	1.04	5.94	1.77	4.83	-	0.79	14.37
41	गोपालपुर	भगवानपुर हाट	-	6.15	1.77	10.58	-	0.69	19.19
42	भीखमपुर	भगवानपुर हाट	1.04	5.90	1.77	10.01	-	-	18.72
43	वसौन	बसंतपुर	1.05	6.61	1.77	11.94	-	0.95	22.32
44	राजापुर	बसंतपुर	1.05	5.87	1.76	11.56	-	0.84	21.08
45	वजुवार होतरा	बसंतपुर	1.04	5.86	1.76	9.52	-	0.93	19.11
46	चैनपुरा	अधौरा	5.23	5.95	1.76	16.63	-	1.23	30.80
47	बरबन कला	अधौरा	6.36	5.81	1.76	17.02	-	2.44	33.39
48	सदकी	अधौरा	10.36	5.57	1.78	21.00	-	-	38.71
49	जलालपुर	रामपुर	1.04	6.00	1.76	19.66	-	6.36	34.82
50	पसाई	रामपुर	1.04	5.93	1.76	19.71	-	4.01	32.45
51	कुदरी	रामपुर	6.45	-	1.76	18.22	-	-	26.43
52	ससना	कुदरा	1.04	6.00	1.76	17.94	-	4.00	30.74
53	सलथुआ	कुदरा	1.04	6.34	1.77	14.10	-	3.98	27.23
54	सिसवर	कुदरा	1.04	5.96	1.76	16.58	-	4.85	30.19
55	टोडी	भगवानपुर	1.07	7.69	1.76	19.99	-	4.50	35.01
56	भगवानपुर	भगवानपुर	1.04	6.08	1.76	17.59	-	-	22.95
57	सरैया	भगवानपुर	1.04	5.97	1.76	14.07	-	-	33.38
58	बहमौर खास	मोहनिया	1.05	5.97	1.76	21.02	-	3.58	36.71
59	बड़खर	मोहनिया	1.04	6.16	1.76	23.87	-	3.88	27.76
60	ददवां	मोहनिया	1.25	6.24	1.76	3.85	-	4.66	24.86
61	दुलही	चांद	1.04	5.99	1.76	12.12	-	3.95	35.38
62	शिवरामपुर	चांद	1.04	6.22	1.76	22.30	-	4.06	33.42
63	परही	चांद	1.04	6.04	1.76	20.57	-	4.01	26.15

64	कर्णपुरा	दुर्गावती	1.09	6.04	1.76	13.43	-	3.83	34.34
65	खजुरा	दुर्गावती	1.05	6.02	1.77	17.64	-	7.86	35.53
66	चानू	दुर्गावती	1.04	5.93	1.76	19.98	-	6.82	29.90
67	अखिनी	नुआवं	1.04	6.00	1.76	18.05	-	3.05	21.88
68	दुंदुना	नुआवं	1.04	4.16	1.76	12.60	-	2.32	25.77
69	नुआवं	नुआवं	1.04	6.28	1.76	12.57	-	4.12	21.98
70	रामगढ़	चैनपुर	1.05	6.27	1.76	12.90	-	-	35.88
71	बढ़ौना	चैनपुर	1.05	6.14	1.76	22.43	-	4.50	35.88
72	मेढ़	चैनपुर	1.04	5.85	1.77	17.23	-	4.17	30.06
73	दमदम	भभुआ	1.05	6.06	1.76	9.24	-	4.52	22.63
74	सिकठी	भभुआ	1.05	5.98	1.76	17.31	-	4.24	30.34
75	सोनहन	भभुआ	1.05	6.38	1.76	15.72	-	5.93	30.84
76	सहदुल्लापुर दरवां	रामगढ़	1.04	6.16	1.76	11.13	-	3.70	23.79
77	अहिवास	रामगढ़	1.04	6.07	1.76	18.30	-	3.23	30.40
78	महुआड़	रामगढ़	1.05	6.04	1.76	20.77	-	3.25	32.87
79	सेवनन	जहानाबाद	1.04	5.97	1.77	13.87	-	1.94	24.59
80	मंडई बिगहा	जहानाबाद	1.04	6.09	1.76	15.95	-	1.96	26.8
81	अमैन	जहानाबाद	1.04	6.07	1.78	23.35	-	7.92	40.16
82	कौर	हुलासगंज	1.04	8.85	1.76	17.86	-	2.66	32.17
83	बौरी	हुलासगंज	1.04	5.91	1.76	17.65	-	1.75	28.11
84	तीरा	हुलासगंज	1.04	5.60	1.76	21.47	-	1.41	31.28
85	कनसुआ	रतनी फरीदपुर	1.04	5.91	1.76	14.38	-	2.55	25.64
86	पंडौल	रतनी फरीदपुर	1.04	5.94	1.76	16.60	-	2.11	27.45
87	उचिटा	रतनी फरीदपुर	1.04	5.92	1.76	16.05	-	2.42	27.19
88	देवरा	मोदनगंज	1.04	5.91	1.76	16.77	-	2.30	27.78
89	गंधार	मोदनगंज	1.04	5.96	1.76	17.80	-	2.27	28.83
90	जैतीपुर कुरुआ	मोदनगंज	1.04	5.91	1.76	15.09	-	2.15	25
91	शाहपुर	घोसी	1.04	5.91	1.76	19.68	-	-	28.39
92	उबेर	घोसी	1.04	4.92	1.76	19.40	-	-	27.12
93	परवां	घोसी	1.64	5.51	1.76	19.54	-	-	28.45
94	कोहरा	मखदुमपुर	1.04	5.91	1.76	15.09	-	-	23.80
95	सोलहंडा	मखदुमपुर	1.04	5.90	1.76	25.50	-	-	34.20
96	बेला-बीरा	मखदुमपुर	1.04	6.95	1.76	21.24	-	-	30.99
97	उत्तरी सेरथू	काको	1.64	5.78	1.76	13.97	-	-	23.15

98	भवानीपुर दक्षिणी	प्रतापगंज	1.05	5.91	-	22.16	-	-	29.12
99	मझारी	निर्मली	1.04	8.83	1.76	18.61	-	-	30.24
100	दिघिया	निर्मली	1.04	5.91	1.76	22.70	-	-	31.41
101	बेला सिंगरमोती	निर्मली	1.04	5.91	1.76	18.89	-	-	27.60
102	बोरहा	राघोपुर	1.04	6.07	1.76	19.43	-	0.12	28.42
103	करजैन	राघोपुर	1.04	5.97	1.76	-	-	-	8.77
104	पिपराही	राघोपुर	1.04	4.71	1.76	28.59	-	-	36.10
105	पिपरा खुर्द	सरायगढ़	Nil	8.83	1.77	24.53	-	-	35.13
106	जिल्ला डुमरी	सरायगढ़	1.04	6.02	1.77	16.04	-	-	24.87
107	हनुमान नगर	सरायगढ़	1.05	5.95	1.76	11.77	-	-	20.53
108	कठहारा कदमपुरा	किशनपुर	1.04	8.20	1.76	13.17	-	-	24.17
109	दुबियाही	किशनपुर	1.04	5.95	1.76	17.17	-	-	25.92
110	बौराहा	किशनपुर	1.04	5.94	1.76	25.91	-	-	34.65
111	रामनगर	पिपरा	1.07	8.54	1.76	14.79	-	-	26.16
112	थुंबा	पिपरा	1.05	7.76	1.77	19.21	-	0.12	29.91
113	महेशपुर	पिपरा	1.05	5.95	1.77	26.01	-	0.10	34.88
114	मानगंज पश्चिम	त्रिवेणीगंज	1.05	6.05	1.76	19.48	-	-	28.34
115	हरिहरपट्टी	त्रिवेणीगंज	1.04	6.30	1.80	41.05	-	-	50.19
116	पुलवाहा	त्रिवेणीगंज	1.04	5.88	1.76	41.52	-	-	50.20
117	करिहो	सुपौल	1.04	8.02	1.76	25.80	-	-	36.62
118	लोकहा	सुपौल	1.04	6.09	1.76	22.00	-	-	30.89
119	बैरिया	सुपौल	1.04	5.91	1.76	25.00	-	0.09	33.80
120	कदमाहा	मड़ौना	1.04	5.92	1.76	9.70	-	-	18.42
121	सरोजा बेला	मड़ौना	1.04	5.69	1.76	14.98	-	0.14	23.61
122	घोघरिया	मड़ौना	1.04	5.88	1.76	26.26	-	-	34.94
123	भगवानपुर	बसंतपुर	1.04	8.85	1.76	25.87	-	0.13	37.65
124	बसंतपुर	बसंतपुर	1.04	5.98	1.76	27.71	-	0.14	36.63
125	परमानंदपुर	बसंतपुर	1.04	6.00	1.76	31.90	-	0.12	40.82
126	मोहम्मदगंज	छातापुर	1.05	5.91	Nil	38.72	-	0.10	45.78
127	छातापुर	छातापुर	1.05	6.00	1.76	20.67	-	-	29.48
128	ग्वालपाड़ा	छातापुर	Nil	5.93	1.76	35.75	-	-	43.44
129	सागरपुर	पंडौल	1.04	5.91	1.76	11.02	-	1.78	21.51
130	बोलाही	पंडौल	1.04	7.74	1.76	10.86	-	0.88	22.28
131	मेघौल	पंडौल	1.04	9.47	1.76	10.83	-	1.22	24.32

132	सनौर	रहिका	1.07	8.61	1.76	13.61	-	0.82	25.87
133	ककरौल	रहिका	1.04	5.94	1.76	8.62	-	0.97	18.33
134	सपता	रहिका	1.04	7.70	-	7.63	-	0.99	17.36
135	खजौली	खजौली	1.04	6.41	1.76	8.39	-	1.65	19.25
136	दतुआर	खजौली	1.04	6.02	1.77	10.07	-	1.04	19.94
137	बकुआ	खजौली	1.06	5.95	1.76	7.37	-	1.01	17.15
138	सेलरा	जयनगर	1.04	5.93	1.79	12.09	-	0.43	21.28
139	डोडवार	जयनगर	1.04	5.91	1.76	8.37	-	0.60	17.68
140	बेलही (दक्षिण)	जयनगर	1.04	5.90	1.76	7.88	-	0.69	17.27
141	कटैया	बासोपट्टी	1.07	5.88	1.76	8.17	-	-	16.88
142	रजफेत	बासोपट्टी	1.04	5.92	1.76	8.20	-	0.87	17.79
143	बासोपट्टी (पश्चिम)	बासोपट्टी	1.04	6.00	1.77	8.17	-	1.00	17.98
144	सलेमपुर	मधवापुर	1.04	5.99	1.76	11.06	-	1.61	21.46
145	उत्तरा	मधवापुर	1.04	6.05	1.76	12.15	-	0.71	21.71
146	बलिया	मधवापुर	1.04	5.90	1.76	6.35	-	1.13	16.18
147	कौना बरही	हरलाखी	1.05	7.19	1.76	5.52	-	0.48	16.00
148	चहुटा	बिसफी	1.05	5.91	-	7.05	-	0.84	14.85
149	खैरीबांका	बिसफी	1.04	8.07	-	7.12	-	0.52	16.75
150	बलहा	बिसफी	1.06	6.09	-	7.01	-	0.67	14.83
151	महतौर खुर्द	फुलपरास	1.05	6.08	1.76	8.37	-	2.44	19.70
152	बथनाहा	फुलपरास	-	6.55	-	7.99	-	-	14.54
153	डेरावां	फुलपरास	1.04	6.04	1.76	11.94	-	4.32	25.10
154	नढ़िया उत्तरी	लौकही	1.06	6.04	1.76	8.64	-	-	17.50
155	नढ़िया दक्षिणी	लौकही	1.07	4.78	1.77	2.86	-	1.23	11.71
156	लौकही	लौकही	1.06	6.07	1.76	10.70	-	0.61	20.20
157	बलनी महंथ	झंझारपुर	1.04	5.95	1.76	14.86	-	0.16	23.77
158	लोहना (उत्तरी)	झंझारपुर	1.04	5.97	1.76	4.93	-	1.11	14.81
159	रैयाम पूर्वी	झंझारपुर	1.04	6.02	1.76	7.24	-	1.24	17.30
160	द्वीप पश्चिमी	लखनपुर	1.04	6.69	1.76	9.59	-	-	19.08
161	तमुरिया	लखनपुर	1.06	6.05	1.76	8.30	-	1.14	18.31
162	कैथिनिया	लखनपुर	1.04	6.24	1.76	11.15	-	0.65	20.84
163	बसहा	बाबूबरही	1.05	5.90	1.76	6.21	-	0.94	15.86
164	छोढ़ी	बाबूबरही	1.07	7.95	-	5.97	-	1.18	16.17
165	मुरहद्दी	बाबूबरही	1.04	5.95	1.76	11.03	-	1.15	20.93

166	परिहारपुर	राजनगर	1.04	6.10	1.76	5.97	-	1.02	15.89
167	चिचाड़ी कानूनगो	राजनगर	1.05	5.88	1.76	12.88	-	0.81	22.38
168	पटवारा दक्षिण	राजनगर	1.05	6.28	1.76	11.12	-	0.71	20.92
169	राज मधेपुर पूर्वी	मधेपुर	1.07	7.94	1.79	9.94	-	0.96	21.7
170	मतरास	मधेपुर	1.05	5.98	1.76	10.37	-	0.91	20.07
171	सुंदर विराजित	मधेपुर	1.74	5.99	1.77	6.49	-	0.12	16.11
172	पदमा	लदनिया	1.04	6.04	1.77	6.56	-	0.96	16.37
173	दलोखर	लदनिया	1.08	6.48	1.27	8.34	-	1.44	19.11
174	गिधवास	लदनिया	1.07	6.07	1.76	9.98	-	0.90	19.78
175	अंधराठाढ़ी दक्षिण	अंधराठाढ़ी	106	6.02	1.78	5.09	-	0.87	14.82
176	नोनाउर	अंधराठाढ़ी	1.05	5.97	3.52	19.80	-	1.16	31.50
177	शीवा	अंधराठाढ़ी	1.04	5.95	3.54	9.80	-	1.10	21.43
178	छजना	अंधराठाढ़ी	2.82	5.93	1.76	5.78	-	1.38	17.67
179	परसा उत्तरी	अंधराठाढ़ी	1.06	6.11	1.76	5.41	-	0.81	15.15
180	संगी	अंधराठाढ़ी	1.06	5.93	1.76	6.75	-	-	15.50
181	ललमनिया	खुटौना	1.04	5.99	1.76	12.59	-	1.22	22.60
182	सिकटियाही	खुटौना	1.07	5.95	1.76	8.63	-	0.75	18.16
183	करमाघ	खुटौना	1.04	6.13	1.76	9.74	-	1.27	19.94
184	त्योंथ	बेनीपट्टी	1.05	6.02	1.76	9.36	-	0.97	19.16
185	पकरौली	बेनीपट्टी	1.04	5.95	1.76	8.81	-	1.16	18.72
186	अरेर	बेनीपट्टी	1.05	6.00	1.76	7.48	-	0.92	17.21
187	डेरवां	कुदरा	1.04	6.04	1.76	11.94	-	4.32	25.10
188	सकरी	कुदरा	1.04	11.07	1.76	14.89	-	7.15	35.91
189	मौरा	कुदरा	1.04	6.06	1.77	12.86	-	7.07	28.80
190	बड़हारा	मड़ौना	1.04	6.09	1.76	19.92	-	0.14	28.95
191	मड़ौना दक्षिणी	मड़ौना	1.04	6.00	1.76	14.70	-	-	23.50
192	मड़ौना उत्तरी	मड़ौना	1.04	6.03	1.76	16.08	-	-	24.91
193	माधोपुर	खुटौना	1.04	5.98	1.76	12.16	-	1.22	22.16
194	मझौरा	खुटौना	1.04	6.04	1.76	13.31	-	1.06	23.21
195	परसाही (पूर्वी)	खुटौना	1.08	6.05	1.76	9.12	-	1.62	19.63
	योग		**226.60**	**1194.73**	**327.23**	**2669.36**	**4.77**	**253.34**	**4676.03**

परिशिष्ट 4 : (जारी)

क्रम सं.	ग्राम पंचायतों का नाम	व्यय							
		10वां वित्त आयोग	11वां वित्त आयोग	12वां वित्त आयोग	एसजीआर वाइ	नरेगा	अन्य	10वां वित्त आयोग	बचत = प्राप्तियां – व्यय
1	माधोपुर	1.04	2.11	-	8.62	-	-	11.77	6.39
2	पटेढ़ा	1.04	5.61	1.74	6.27	-	0.65	15.31	1.21
3	जिगरावां	1.02	5.61	-	6.89	-	0.80	14.32	3.60
4	दिपहा	1.04	6.18	1.76	9.30	-	-	18.28	0.35
5	मुड़ियारी	1.04	5.58	1.71	9.22	-	0.89	18.44	1.77
6	छोटका मांझा	1.04	5.65	1.52	9.35	-	0.90	18.46	1.50
7	रामपाली	1.03	5.92	1.60	8.24	-	0.79	17.58	0.83
8	मकरियार	1.04	5.91	1.72	9.81	-	0.80	19.28	0.96
9	नाथूछाप	1.04	5.79	-	8.84	-	0.52	16.19	4.08
10	चैनपुर मुबारकपुर	0.97	5.63	1.75	10.80	-	0.80	19.95	1.04
11	भीखपुर	1.02	5.54	1.35	9.44	-	0.81	18.16	1.44
12	नयागांव	1.02	5.22	0.15	8.60	-	0.13	15.12	3.40
13	चांप	1.04	5.90	1.64	9.04	-	-	17.62	0.55
14	हरिहस (पश्चिमी)	1.04	5.83	1.70	8.76	-	0.59	17.92	0.37
15	मचकाना	1.04	5.65	1.51	6.26	-	-	14.46	0.98
16	माखनपुर	1.04	4.65	1.05	9.40	-	-	16.14	2.64
17	शंभोपुर	1.04	5.43	1.16	9.23	-	-	16.86	2.51
18	फलपुरा	1.02	5.86	1.58	9.46	0.22	-	18.14	0.62
19	राजनपुरा	1.04	5.84	1.73	9.34	-	-	17.95	0.05
20	करसंत	1.00	5.89	1.76	8.01	-	-	16.66	1.30
21	मदसारा	1.00	5.86	1.72	6.36	-	-	14.94	0.09
22	हरनाहर	0.88	4.69	1.65	9.43	-	0.98	17.63	3.08
23	सरना	0.98	5.55	1.65	7.05	-	-	15.23	1.54
24	अमरपुर	0.91	5.74	1.69	8.91	-	0.80	18.05	1.09
25	बहादुरपुर	1.04	5.98	1.69	10.15	-	0.74	19.60	0.99
26	हरिहरपुर लालगढ़	1.02	5.77	1.75	7.04	-	0.56	16.14	1.32
27	पकरी	1.03	5.62	1.70	7.98	-	-	16.33	0.09
28	सोन्हुआ	1.04	5.19	1.32	9.58	-	0.97	18.10	2.45
29	पूर्वी गुठनी	1.04	5.46	1.41	8.35	-	0.83	17.09	1.31

30	बलुआ	1.04	5.72	1.30	8.03	-	1.00	17.09	1.87
31	भोपटपुर	1.02	5.84	1.75	12.22	-	0.93	21.76	0.45
32	खवासपुर	1.01	6.27	1.75	10.17	-	0.85	20.05	0.68
33	डुमरा	1.03	6.07	1.76	9.7	-	0.91	19.47	0.12
34	असावन	1.03	5.42	-	6.87	-	0.46	13.78	3.70
35	नरेंद्रपुर	1.03	5.41	0.95	8.82	-	2.00	18.21	2.03
36	खेनदाई	1.04	5.65	-	8.81	-	0.77	16.27	1.02
37	मझवलिया	1.02	6.07	1.75	11.68	-	0.86	21.38	0.23
38	बढ़ोगा पुरुसोत्तिम	1.04	5.71	1.65	8.52	-	0.78	17.70	1.12
39	हरिहरपुर	1.02	5.82	1.73	7.81	-	0.96	17.34	0.72
40	ब्रह्मस्थान	1.04	5.90	1.75	4.77	-	0.79	14.25	0.12
41	गोपालपुर	-	6.08	1.44	10.57	-	0.69	18.78	0.41
42	भीखमपुर	0.97	4.93	1.31	7.89	-	-	15.10	3.62
43	वसौन	1.04	5.85	1.69	11.72	-	0.92	21.22	1.10
44	राजापुर	1.04	5.81	1.60	10.05	-	0.80	19.30	1.78
45	वजुवार होतरा	1.03	5.72	1.39	8.72	-	0.66	17.52	1.59
46	चैनपुरा	5.08	5.40	1.15	16.42	-	0.62	28.67	2.13
47	बरबन कला	6.34	5.24	1.52	16.94	-	2.40	32.44	0.95
48	सदकी	8.89	4.95	1.25	20.71	-	-	35.80	2.91
49	जलालपुर	0.99	5.92	1.27	19.59	-	6.12	33.89	0.93
50	पसाई	1.04	5.32	1.50	19.69	-	3.31	30.86	1.59
51	कुदरी	5.21	-	1.39	18.08	-	-	2.68	1.75
52	ससना	1.03	5.86	1.64	17.92	-	3.47	29.92	0.82
53	सलथुआ	1.04	6.31	1.76	14.10	-	3.69	26.90	0.33
54	सिसवर	1.03	5.96	1.76	16.57	-	4.40	29.72	0.47
55	टोडी	1.04	7.67	1.76	19.98	-	4.19	34.64	0.37
56	भगवानपुर	1.04	5.99	1.16	17.07	-	-	24.94	1.46
57	सरैया	1.02	5.86	1.40	13.21	-	-	21.64	1.31
58	बहमौर खास	1.04	6.08	1.47	20.99	-	3.33	32.67	0.71
59	बड़खर	1.21	6.13	1.15	23.23	-	3.13	34.63	2.08
60	ददवां	1.02	5.88	0.82	13.40	-	3.96	25.52	2.24
61	दुलही	1.04	6.17	1.56	11.83	-	3.84	24.13	0.73
62	शिवरामपुर	1.02	5.87	1.43	21.75	-	3.79	34.18	1.20
63	परही	0.97	4.14	1.56	18.20	-	3.87	30.52	2.90

64	कर्णपुरा	1.04	5.58	-	13.11	-	3.13	21.35	4.80
65	खजुरा	1.04	5.89	1.57	17.46	-	7.33	32.98	1.36
66	चानू	1.04	5.98	1.60	19.90	-	6.58	35.01	0.52
67	अखिनी	1.04	4.09	1.75	18.05	-	2.78	29.60	0.30
68	दुंदुना	1.03	6.19	1.72	12.60	-	2.10	21.55	0.33
69	नुआवं	1.02	6.03	1.65	12.17	-	3.89	24.93	0.84
70	रामगढ़	1.05	6.09	1.49	11.51	-	-	20.05	1.93
71	बढ़ौना	1.05	6.09	1.60	22.12	-	4.04	34.90	0.98
72	मेढ़	0.98	5.35	1.46	15.60	-	4.15	27.54	2.52
73	दमदम	1.04	5.63	1.70	8.09	-	4.46	20.92	1.71
74	सिकठी	1.02	5.97	1.35	17.18	-	3.31	28.83	1.51
75	सोनहन	1.05	6.37	1.56	15.12	-	4.74	28.84	2.00
76	सहदुल्लापुर दरवां	1.03	5.95	0.60	10.10	-	3.56	21.24	2.55
77	अहिवास	1.04	5.48	1.45	16.76	-	2.69	27.42	2.98
78	महुआड़	1.05	6.03	1.70	20.74	-	2.93	32.45	0.42
79	सेवनन	1.04	5.96	1.69	13.79	-	1.82	24.26	0.33
80	मंडई बिगहा	1.02	5.74	1.65	15.91	-	1.34	25.66	1.14
81	अमैन	1.01	5.58	1.20	23.03	-	7.35	38.17	1.99
82	कौर	1.01	5.03	1.60	17.76	-	2.59	28.49	3.68
83	बौरी	0.96	5.05	0.05	17.23	-	0.89	24.18	3.93
84	तीरा	0.83	5.29	1.12	19.13	-	0.79	27.16	4.12
85	कनसुआ	1.04	5.90	1.76	14.25	-	2.55	25.50	0.14
86	पंडौल	1.04	5.93	1.64	16.34	-	1.96	26.91	0.54
87	उचिटा	1.04	5.89	1.50	16.03	-	2.27	26.73	0.46
88	देवरा	1.01	5.62	0.96	16.63	-	1.59	25.81	1.97
89	गंधार	1.02	5.96	-	17.80	-	2.10	26.88	1.95
90	जैतीपुर कुरुआ	1.02	5.88	1.21	14.29	-	1.40	23.80	2.15
91	शाहपुर	0.95	5.91	1.75	19.65	-	-	28.26	0.13
92	उबेर	0.64	3.57	1.30	18.98	-	-	24.49	2.63
93	परवां	1.64	5.50	1.61	19.52	-	-	28.27	0.18
94	कोहरा	0.76	5.86	1.16	14.88	-	-	22.66	1.14
95	सोलहंडा	1.01	5.90	1.71	25.49	-	-	34.11	0.09
96	बेला–बीरा	0.98	6.64	1.72	21.13	-	-	30.47	0.52
97	उत्तरी सेरथू	1.64	5.75	1.76	13.91	-	-	23.06	0.09

98	भवानीपुर दक्षिणी	1.01	5.90	-	22.14	-	-	29.05	0.07
99	मझारी	-	8.57	1.60	14.85	-	-	25.02	5.22
100	दिघिया	-	3.16	-	14.30	-	-	17.46	13.95
101	बेला सिंगरमोती	-	5.56	1.50	15.67	-	-	22.73	4.87
102	बोरहा	0.92	4.36	1.76	18.22	-	0.12	25.38	3.04
103	करजैन	0.99	4.76	0.15	-	-	-	5.90	2.87
104	पिपराही	-	3.38	-	26.18	-	-	29.56	6.54
105	पिपरा खुर्द	-	6.89	1.69	24.31	-	-	32.89	2.24
106	जिल्ला डुमरी	0.99	5.99	1.74	15.94	-	-	24.66	0.21
107	हनुमान नगर	099	5.83	1.73	11.72	-	-	20.27	0.26
108	कठहारा कदमपुरा	0.82	6.69	1.75	13.14	-	-	22.40	1.77
109	दुबियाही	0.92	5.84	1.75	16.55	-	-	25.06	0.86
110	बौराहा	0.87	5.11	0.01	25.89	-	-	31.88	2.77
111	रामनगर	1.04	8.37	1.36	6.74	-	-	17.51	8.65
112	थुंबा	1.03	6.73	1.67	19.11	-	0.12	28.66	1.25
113	महेशपुर	1.04	5.85	1.53	18.73	-	0.10	27.25	7.63
114	मानगंज पश्चिम	1.04	5.91	1.76	4.60	-	-	13.31	15.03
115	हरिहरपट्टी	-	5.42	0.63	39.24	-	-	45.29	4.9
116	पुलवाहा	0.99	-	-	41.29	-	-	42.28	7.92
117	करिहो	0.74	7.62	1.69	24.60	-	-	34.65	1.97
118	लोकहा	0.87	4.77	1.05	16.94	-	-	23.63	7.26
119	बैरिया	0.93	5.13	1.70	24.25	-	0.09	32.10	1.70
120	कदमाहा	0.15	5.27	-	7.73	-	-	13.15	5.27
121	सरोजा बेला	0.58	3.37	1.40	14.80	-	0.14	20.29	3.32
122	घोघरिया	1.01	5.77	1.75	25.93	-	-	34.46	0.48
123	भगवानपुर	0.07	5.31	0.08	24.32	-	0.12	29.90	7.75
124	बसंतपुर	-	5.53	1.25	27.28	-	0.13	34.19	2.44
125	परमानंदपुर	-	5.77	1.59	31.89	-	0.11	39.36	1.46
126	मोहम्मदगंज	0.99	5.05	-	38.14	-	-	44.18	1.60
127	छातापुर	0.99	5.49	1.15	18.86	-	-	26.49	2.99
128	ग्वालपाड़ा	-	4.31	1.53	35.56	-	-	41.40	2.04
129	सागरपुर	1.03	5.59	1.48	7.73	-	1.58	17.41	4.10
130	बोलाही	1.03	7.63	1.47	9.00	-	0.86	19.99	2.29
131	मेघौल	1.04	9.43	1.76	10.77	-	1.14	24.14	0.18

132	सनौर	1.04	8.58	1.73	13.59	-	0.68	25.62	0.25
133	ककरौल	1.04	5.87	0.97	6.31	-	0.66	14.85	3.48
134	सपता	1.01	6.37	-	6.84	-	0.73	14.95	2.41
135	खजौली	1.04	6.40	1.76	8.34	-	1.64	19.18	0.07
136	दतुआर	1.04	5.34	0.92	8.61	-	0.17	16.08	3.86
137	बकुआ	1.06	5.68	1.65	7.26	-	0.85	16.50	0.65
138	सेलरा	1.03	5.90	1.68	11.61	-	0.30	20.52	0.76
139	डोडवार	1.02	5.63	1.21	7.32	-	0.38	15.56	2.12
140	बेलही (दक्षिण)	1.03	5.65	1.75	7.88	-	0.53	16.84	0.43
141	कटैया	1.06	5.33	1.76	7.74	-	-	15.89	0.99
142	रजफेत	1.04	5.92	1.68	7.27	-	0.67	16.58	1.21
143	बासोपट्टी (पश्चिम)	0.91	5.71	1.60	8.01	-	0.79	17.02	0.96
144	सलेमपुर	1.04	5.93	1.76	10.65	-	1.45	20.83	0.63
145	उत्तरा	1.04	5.92	1.76	10.26	-	0.66	19.64	2.07
146	बलिया	1.03	5.78	0.97	6.11	-	1.00	14.89	1.29
147	कौना बरही	0.99	6.86	1.47	5.44	-	0.33	15.09	0.91
148	चहुटा	1.00	4.71	-	5.70	-	0.62	12.03	2.82
149	खैरीबांका	1.03	7.74	-	6.94	-	0.31	16.02	0.73
150	बलहा	1.03	5.95	-	5.99	-	0.47	13.44	1.39
151	महतौर खुर्द	1.04	6.07	1.76	8.35	-	2.35	19.57	0.13
152	बथनाहा	-	6.30	-	6.54	-	-	12.84	1.70
153	डेरावां	1.03	6.03	1.69	11.82	-	3.74	24.31	0.79
154	नढ़िया उत्तरी	1.00	6.04	1.75	7.19	-	-	15.98	1.52
155	नढ़िया दक्षिणी	1.06	2.85	1.33	3.68	-	1.02	9.94	1.77
156	लौकही	0.95	5.47	1.29	8.61	-	0.18	16.50	3.70
157	बलनी महंथ	1.01	5.76	0.84	13.48	-	0.12	21.21	2.56
158	लोहना (उत्तरी)	1.04	5.95	1.20	4.29	-	1.00	13.48	1.33
159	रैयाम पूर्वी	0.99	4.88	1.38	5.43	-	0.82	13.50	3.80
160	द्वीप पश्चिमी	0.80	6.67	1.11	7.93	-	-	16.51	2.57
161	तमुरिया	0.89	5.44	1.70	5.03	-	0.26	13.32	4.99
162	कैथिनिया	1.04	4.96	1.70	8.91	-	0.46	17.03	3.81
163	बसहा	0.98	5.89	1.75	5.91	-	0.84	15.37	0.49
164	छोढ़ी	1.06	5.15	-	5.74	-	0.73	12.68	3.49
165	मुरहद्दी	1.04	5.94	1.71	9.20	-	1.11	19.00	1.93

166	परिहारपुर	1.03	6.10	1.70	4.79	-	0.89	14.51	1.38
167	चिचाड़ी कानूनगो	1.03	5.86	1.74	12.76	-	0.78	22.17	0.21
168	पटवारा दक्षिण	1.04	6.16	1.75	9.45	-	0.49	18.89	2.03
169	राज मधेपुर पूर्वी	1.05	7.43	1.76	9.47	-	0.87	20.58	1.12
170	मतरास	0.99	5.89	1.73	10.01	-	0.77	19.39	0.68
171	सुंदर विराजित	1.03	5.98	1.73	5.23	-	1.03	15.00	1.11
172	पदमा	0.85	6.01	1.53	5.99	-	0.68	15.06	1.31
173	दलोखर	1.07	6.44	1.15	8.34	-	1.39	18.39	0.72
174	गिधवास	1.06	6.06	1.74	9.98	-	0.82	19.66	0.12
175	अंधराठाढ़ी दक्षिण	1.05	5.63	1.76	4.18	-	0.69	13.31	1.51
176	नोनाउर	1.05	5.78	-	7.29	-	1.09	15.21	16.29
177	शीवा	1.03	5.42	2.03	8.45	-	1.00	17.93	3.50
178	छजना	2.81	5.91	1.70	4.80	-	1.26	16.48	1.19
179	परसा उत्तरी	1.04	5.87	0.96	4.70	-	0.75	13.32	1.83
180	संगी	1.05	5.74	1.20	5.62	-	-	13.61	1.89
181	ललमनिया	1.00	5.96	1.07	10.67	-	0.73	19.43	3.17
182	सिकटियाही	1.02	5.66	1.63	8.36	-	0.38	17.05	1.11
183	करमाघ	0.89	5.94	-	7.46	-	1.18	15.47	4.47
184	त्योंथ	1.05	5.96	1.58	8.32	-	0.81	17.72	1.44
185	पकरौली	1.03	5.79	1.75	8.47	-	1.14	18.18	0.54
186	अरेर	0.93	5.99	1.59	6.10	-	0.53	15.14	2.07
187	डेरवां	1.03	6.03	1.69	11.82	-	3.74	24.31	0.79
188	सकरी	1.02	10.75	1.53	13.05	-	6.08	32.43	3.48
189	मौरा	1.02	6.01	1.75	12.85	-	5.87	27.50	1.30
190	बड़हारा	-	4.39	1.45	18.96	-	-	24.80	4.15
191	मड़ौना दक्षिणी	0.58	4.80	0.90	14.62	-	-	20.90	2.60
192	मड़ौना उत्तरी	1.03	5.09	1.50	15.44	-	-	23.06	1.85
193	माधोपुर	1.01	5.27	-	10.14	-	1.09	17.51	4.65
194	मझौरा	1.04	3.86	-	10.20	-	0.41	15.51	7.70
195	परसाही (पूर्वी)	0.93	6.03	1.20	8.73		0.60	17.49	2.14
	योग	**205.34**	**1105.25**	**252.81**	**2476.85**	**0.22**	**219.11**	**4259.58**	**416.45**

परिशिष्ट 5 : बिहार में संग्रहित केंद्रीय करों का विवरण

(करोड़ रु.)

कर शीर्ष		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (दिसंबर 2008 तक)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क		**3271.58**	**3398.88**	**3769.84**	**2724.51**
सेवा कर		**83.79**	**156.04**	**195.48**	**136.62**
प्रत्यक्ष कर					
1	निगम कर	88.60	121.10	95.40	92.17
2	आय कर	368.00	438.61	629.90	608.65
3	अनुषंगी हितलाभ कर (फ्रिंज बेनेफिट टैक्स)	4.46	7.04	4.72	4.56
4	प्रतिभूति सौदा कर (सिक्यूरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स)	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बैंकिंग नगद ट्रांजैक्शन कर	0.05	0.03	0.07	0.06
6	होटल रिसिप्ट/ स्टेट ड्यूटी टैक्स	0.00	0.00	0.01	0.01
7	ब्याज/ व्यय कर	0.12	0.18	0.44	0.42
8	संपदा/ उपहार कर	0.20	0.30	0.17	0.16
9	**योग**	**461.43**	**567.26**	**730.71**	**706.03**
सीमा शुल्क					
1	कुल मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी)		0.56	0.73	0.63
2	कुल अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)		152.40	162.00	98.25
3	कुल विशेष सीवीडी		37.58	2.71	2.14
4	कुल विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क				
5	अतिरिक्त सीमा शुल्क (उपकर) एचएसडी पर				
6	अतिरिक्त सीमा शुल्क (उपकर) एमएस पर				
7	एमएस पर पेट्रॉलियम उत्पादों पर अधिभार				
8	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनएस ड्यूटी)		0.55	0.42	0.31
9	शिक्षा उपकर		3.30	4.29	3.61
10	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर			3.31	2.01
11	अन्य			5.97	3.44
12	कुल निर्यात कर				40.51
13	निर्यात पर कुल उपकर		1.03	0.02	0.00
14	कुल अन्य प्राप्तियां		4.48	3.18	2.33
15	**कुल सकल आय (1 से 14)**		**199.90**	**182.63**	**153.23**
16	वापसी (रिफंड)		0.22	-	-
17	शुल्क वापसी (सीमाशुल्क)		46.80	65.57	44.53
18	**कुल निवल आय (15-16-17)**		**152.88**	**117.06**	**108.70**

टिप्पणी : 2007-08 और 2008-09 के आंकड़े वापसी घटाने के बाद निवल संग्रहित करों के हैं।

XXX